

मिलने का पता —

१—टी० पी० वार्परोय

७, एडमान्सटन रोड, इलाहाबाद

२—ला० रामनारायण लाल

कानूनी पुस्तक विक्रेता

कटरा, इलाहाबाद

३—ईस्टर्न ला हाउस

१३, गणेशदत्त ऐवेन्यू, कलकत्ता

अथवा अन्य कानूनी पुस्तक विक्रेता।

मुद्रक—मुंशी रमजान अली शाह, नेशनल प्रेस, प्रयाग

FOREWORD TO THE SECOND EDITION

[By the Hon'ble Mr Shyam Krishna Dar, Retired Judge, Allahabad High Court, and Chairman Linguistic Commission for India].

In the concluding portion of the introduction to the first Edition of this book the author who was my distinguished senior in Agra College and at the Allahabad Bar, had stated that it was the belief of some people that of all the competing languages of India, Hindi in Devanagari script stood the best chance of becoming *lingua franca* of the country and that he would consider his labour in writing this book amply rewarded if this book in some way could serve the cause of the Hindi language. The recent happenings in India have brought the Author's belief much nearer realisation than it ever was before, and in the all-round development and enrichment which now awaits Hindi, this book is likely to prove a valuable contribution in the field of law and of legal literature.

The pleadings in this country in the mufassil are the result of the adaptation of the Mohammedan practice to the needs of the British administration of justice ; and two successive enactments of the Civil Procedure Code in 1882 and in 1908 have not yet been able to rid it completely of the influence of the Mohammedan petition writers or oriental hyperbole or indefiniteness. And it still continues to serve in some measure at least as an instrument of invective and of attacking the motive and character of one's opponent ; and it is still not merely and exclusively what it is intended to be *viz.* a concise statement of facts and law which go to make a claim or a defence.

The drafting of a satisfactory pleadings is a work of skill and of art, but the skill and art consists in close study of the case, in clear thinking, in sound knowledge and in the power of effective expression which the draftsman brings to bear on the task before he sets his pen on the paper, and not in the use of flowery language, invective or rhetoric or in the vagueness which is at once an excuse for want of clear thought and a device to spring

up a possible surprise on one's opponent. It may not be given to every legal practitioner to be a successful draftsman just as it is not given to every lawyer to be a successful advocate or a judge, but it is possible for every legal practitioner to master a few simple legal principles and a few simple technical rules which should enable him to draft pleadings which might satisfy the essential requirements of law and justice and are not disfigured by extraneous matter which has no proper place in pleadings.

The original Urdu book was written almost a generation ago by the late Mr. Panna Lal with the avowed subject of calling attention of the Mufassil practitioners to the evils which surrounded the pleadings and of furnishing them with a true and trustworthy guide in drafting pleadings. The Author who was both a successful draftsman and a successful lawyer, from his own rich experience and store of knowledge succeeded in producing a book which on its first appearance was universally acclaimed by the Bench and the Bar as a valuable contribution on the subject. That the book ran through two editions in Urdu and one Edition in Hindi in the Author's life time and that the book is still in demand and the third Urdu Edition and Second Hindi edition are being issued, shows the popularity and utility of the book and how well the work was done by the Author.

This edition of the book has been prepared by the Author's son Mr. Hari Pal Varshni of the U. P. Judicial service, who had cooperated with him in the preparation of the first edition, and who while retaining all essential features of his father's book, has enriched it with additional matter which materially adds to the utility of the book. That this book has a long life and utility before it I have no doubt ; and I have only to add my respectful tribute to the memory of the Author and my sincere appreciation of his son's labour in bringing out another edition of this work.

37, Canning Road,
Alhabad.

(Sd) S. K. Dar.

द्वितीय आवृत्ति के लिये प्राक्कश .

—:०:—

[लेखक :-माननीय श्री श्यामकृष्ण दत्त भूतपूर्व जज प्रयाग हाई कोर्ट
तथा सभापति भारतीय लिंग्युस्टिक कमीशन]

इस पुस्तक की प्रथम आवृत्ति की भूमिका के अन्तिम भाग में ग्रंथकार ने, जो कि आगरा कालेज तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे विख्यात अग्रज थे, यह लिखा था कि कुछ लोगों का यह विश्वास है कि इस देश की सर्वव्यापी भाषा बनने के लिये प्रतियोग करने वाली समस्त भारतीय भाषाओं में सबसे सुन्दर अवसर हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि को है और यह कि यदि यह पुस्तक किसी प्रकार से हिन्दी भाषा का पक्ष समर्थन कर सके तो ग्रंथकार उसको लिखने के अपने परिश्रम को प्रचुर मात्रा में पारितोषिक समझेगे । निकट कालीन घटनाओं ने ग्रंथकार के इस विश्वास को पिछले समय की अपेक्षा बहुत कुछ वास्तविकता के निकट पहुँचा दिया है और सर्वतोमुखी प्रगति एवं समृद्धि जो कि हिन्दी की प्रतीक्षा कर रही है, उन के लिये यह पुस्तक राजनियमिक साहित्य के क्षेत्र में एक बहुमूल्य दैन होगी ।

इस देश में बाहर के स्थानों में जो वाद प्रतिवाद लेख प्रचलित हैं वह आंग्ल शासन के न्याय वितरण की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित की हुई मुसलमानी शैली का फल है और वर्ष १८८२ व तदुपरान्त १९०८ के दीवानी व्यवहार-विधि संग्रह के संस्करण अत्र तक उस लेखन को यावनी आवेदन पत्र लेखकों तथा पूर्वोक्त आतिशयोक्ति व अनिश्चितता के प्रभाव से पूर्णतया छुटकारा नहीं दिला सके और यावनी शैली अत्र तक अधिक नहीं तो अशरूप में अवश्य ही तीव्र निंदा तथा अपने विपत्ती की मनोवृत्ति व उसके चरित्र पर आक्षेप करने की एक यंत्र बनी हुई है । यह शैली अत्र तक वह वस्तु नहीं हो पाई जो कि उसका होना उद्दिष्ट है अर्थात् उन घटनाओं व राजनियमों का, जो कि वाद व प्रतिवाद को बनाते हैं, एक संक्षिप्त वर्णन ।

संतोषजनक वादपत्र व प्रतिवाद पत्र का प्रकार बनाना एक कला व प्रवीणता का कार्य है परन्तु वह प्रवीणता व कला, वाद के घनिष्ठ अध्ययन, विशुद्धविवेचन, पूर्ण विद्वता तथा अपने विचारों को प्रभावकारक रीति से प्रगट करनेकी शक्ति में है जिनको कि निबन्धकारक निबन्ध के आरम्भ के पूर्व से ही प्रयोग में लाता है न कि सुशोभित या अलंकारिक भाषा, निन्दा या सदिग्धता में जो कि विशुद्ध विचार के अभाव का केवल एक बहाना तथा अपने प्रति पक्षी पर सम्भवत आकस्मिक आक्रमण करने के लिये रखी जाती है । सफल निबन्ध लेखक होना प्रत्येक अभिभाषक के भाग्य में न हो जैसा कि प्रत्येक अभिभाषक के भाग्य में सफल एडवोकेट या राजनियमों का पंडित अथवा न्यायाधीश होना नहीं होता परन्तु इतनी बात प्रत्येक अभिभाषक के लिये संभव है कि वह राजनियम सम्बन्धी कातिपथ मूल सिद्धांत

तथा इस कार्य सम्बन्धी विशेष नियमों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले जिस से कि वह ऐसे वाद प्रतिवाद पत्रों के निबन्ध बना सके जो कि राजनियमों व न्याय की सारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके और वह वाद प्रतिवाद पत्र एसी आवश्यक बातों के सम्मिश्रण के कारण विगड़े हुए न हों जिसके लिये कि उन में कोई उचित स्थान नहीं है।

लगभग एक पीढ़ी का समय हुआ कि ग्रन्थकार ने मौलिक उर्दू पुस्तक दूरवर्ती अभिभाषक गण का ध्यान प्रचलित वाद प्रतिवाद लेखन शैली से लिपटी हुई बुराइयों की ओर आकर्षित करने और उनको वाद प्रतिवाद पत्रों के लेखन में सच्चे व विश्वसनीय पथ-प्रदर्शन करने के स्पष्ट उद्देश्य से लिखी थी।

ग्रन्थकार जो कि एक सफल निबन्ध लेखक तथा साथ ही एक सफल अभिभाषक भी थे अपने निजी समृद्ध अनुभव तथा विद्वत्ता के भंडार से ऐसी पुस्तक लिखने में सफल हुये जिस के प्रथम प्रकाशन पर ही समस्त न्यायाधीश व अभिभाषक वर्ग ने उस पुस्तक को इस विषय के लिये सर्व सम्मति से एक बहुमूल्य दैन मान कर उसकी प्रशंसा की। ग्रन्थकार के जीवन में इस पुस्तक की दो आवृत्ति उर्दू में और एक हिन्दी में निकलना और पुस्तक की अत्र भी माँग होना तथा तृतीय उर्दू संस्करण व द्वितीय हिन्दी संस्करण का निकलना पुस्तक की उपयोगिता व लोक प्रियता के तथा इस बात के द्योतक हैं कि ग्रन्थकार ने उक्त कार्य कितने सुचारु रूप से सम्पन्न किया था।

पुस्तक का यह संस्करण ग्रन्थकार के सुपुत्र श्री हरिपाल वार्ष्णेय सिविल जज ने सम्पन्न किया है। श्री वार्ष्णेय ने पुस्तक की पहली आवृत्ति के तय्यार करने में भी ग्रन्थकार को सहयोग दिया था। और अत्र उन्होंने अपने पिता की पुस्तक की सारभूति आकृतियों को स्थापित रखते हुये इस पुस्तक को अतिरिक्त विषयों द्वारा समृद्ध कर दिया है जिसके कारण पुस्तक की उपयोगिता में विशेष वृद्धि हो गई है। मुझे इस में कोई सदेह नहीं है कि इस पुस्तक का जीवन व उपयोगिता बहुत विशाल है मुझे केवल ग्रन्थकार की स्मृति में अपनी सम्मानयुक्त श्रद्धाजलि तथा उनके सुपुत्र के इस अतिरिक्त संस्करण के निकालने के परिधम पर अपनी सच्ची व हार्दिक प्रसन्नता का समावेश करना है।

३७, कैनिंगरोड

इलाहाबाद

एस० के० दर

भूमिका

इस पुस्तक की प्रथमावृत्ति ५ वर्षों |हुये समाप्त हो गई परन्तु विश्वव्यापी युद्ध के कारण वागज और छुपाई की अन्य सामग्री की कमी हो जाने से दूसरा संस्करण, बहुतायत से माग होने पर भी अब तक नहीं निकाला जा सका । पिछले २ वर्षों में देश में बड़े बड़े परिवर्तन हो गये हैं परन्तु पुस्तक, के आधुनिक तम (up-to-date) और अभिभाषक समुदाय के लिये पूर्ण हितकारी बनाने का प्रयत्न किया गया है ।

प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय श्री पन्नालाल जी ने उर्दू प्लीडिंग की पहिली आवृत्ति आज से २० वर्ष पूर्व निकाली थी । उसके प्रकाशित होते ही उसका बहुत आदर और स्वागत हुआ और न्यायसम्बन्धी समूहों में उसने विशेष सम्मान प्राप्त किया । उसके उपरान्त पुस्तक की तीन उर्दू आवृत्तियाँ और एक हिंदी संस्करण भी निकाला गया जिनकी कि सर्वश्री सर वेजमिन लिन्डसे (जो कि उर्दू फारसी के विद्वान् और पहिले प्रयाग हाई कोर्ट के जज तथा उसके उपरान्त ओक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में न्याय के प्रोफेसर हुये), चीफ जस्टिस सर शाह मुहम्मद सुलेमान, जस्टिस सर सैयद अब्दुल रऊफ, चीफ जज सर सैयद वजीर हसन, जस्टिस कन्हैया लाल, डा० सुरेन्द्रनाथ सेन जैसे न्यायाधीश व न्याय पंडितों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की और जिसके कुछ विश्व विद्यालयों ने अपनी न्याय की पाठावली (Course) में भी रखा ।

अभाग्य से हमारे देश में प्लीडिंग की शिक्षा, अधिकांश विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से नहीं दी जाती और राजनियम (कानून) की परीक्षा प्राप्त कर लेने पर भी नये वकील को वाद प्रतिवाद और अनेक प्रकार के आवेदन पत्र लिखने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । कुछ वर्षों तक अनुभवी वकीलों के साथ काम सीखने की प्रणाली जो विलायत और कुछ अन्य देशों में प्रचलित है, हमारे देश में अभी तक सफल और संतोषजनक सिद्ध नहीं हुई है और अभिभाषक समुदाय में प्रविष्ट होने वाले की सहायता के लिये ऐसी पुस्तक का होना परमावश्यक है ।

इस संस्करण में पुस्तक को दो भागों में विभाजित किया गया है । प्रथम भाग में प्लीडिंग के सिद्धान्त और नियम व्याख्या सहित दिये गये हैं और द्वितीय भाग में अनेक प्रकार के वाद पत्र, प्रतिवाद-पत्र, आवेदन-पत्र, शपथपत्र, विवादपत्र, इत्यादि के नमूने उदाहरण और अनुकरण के लिये दिये गये हैं जिनसे नये वकील को अपने काम में सहायता मिले । प्रसिद्ध-पाटुलिपि लेखक श्री पन्नालाल जी की लिपियाँ जहाँ तक हो सका है ज्यों की त्यों ही रखी गई हैं । परन्तु प्रत्येक पद की प्राथमिक टिप्पणियों में उस विषय सम्बन्धी सब सूचनायें कोर्ट-फीस, अवधि इत्यादि सहित दे दी गई हैं । प्रथम भाग के पहिले तीन अध्यायों में नियमों की व्याख्या और उनका स्पष्टीकरण विस्तार-पूर्वक कर दिया गया है और शपथपत्र, विवाद-पत्र और अन्य प्रकार के आवेदन-पत्रों के विषय में चतुर्थ अध्याय नया बढ़ाया गया है, इस आवृत्ति की एक विशेषता यह है कि विलायती और इस देश के पूर्व न्याय दृष्टान्त (नजीरे) निम्नांकित सकेतों से दे दिये गये हैं और अन्त में अंग्रेजी और लैटिन (Latin) के न्याय-सम्बन्धी शब्दों की एक सूची हिन्दी, उर्दू पर्यायवाची शब्दों सहित दी गई है जो कि आशा

की जाती है कि पत्र-लेखकों को अत्यन्त सहायक होगा। अभिप्राय यह है कि प्रस्तुत पुस्तक को अपने विषय में अंग्रेजी स्वीकृत ग्रन्थों के अनुकूल बनाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न किया गया है।

हिन्दी पुस्तक लिखने में सब से अधिक कठिनाई यह हुई कि न्याय सम्बन्धी अरबी फारसी के बहुत से शब्द, जो वाद, प्रतिवाद और आवेदन पत्रों में प्रयुक्त होते हैं उनके पर्यायवाची और समान शब्द हिन्दी बोल चाल में नहीं मिलते। बहुत से अरबी, फारसी के शब्द वर्षों से प्रयोग होते होते ऐसे हो गये हैं कि उनके अनपढ़ ग्रामीण भी भली भाँति जानने और बोलने लगे हैं, ऐसे शब्दों के स्थान में संस्कृत विकास के कठिन व प्रचलित शब्द रखना पुस्तक की उपयोगता को कम करना है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके समान वाची शब्द हिन्दी में होना कठिन है जैसे शुफा, महर, तलाक इत्यादि। अंग्रेजी भाषा की शब्दावली सब भाषाओं से विद्याल होने पर भी अंग्रेजी न्यायालयों में न्याय सम्बन्धी लैटिन (Latin) और अन्य भाषाओं के शब्द बहुतायत से प्रयोग किये जाते हैं। अतः हिन्दी भाषा को सर्वोपयोगी बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि अन्य भाषाओं के कुछ विशेष शब्द अपनाये जावे।

सब बातों पर दृष्टि रखते हुये इस पुस्तक में यह मार्ग ग्रहण किया गया है कि अन्य भाषाओं के शब्दों को स्थान पूर्ति के लिये हिन्दी में जो सरल और बोल चाल के पर्यायवाची शब्द मिलते हैं वह प्रयोग में लेलिये गये हैं परन्तु जिन शब्दों के पर्यायवाची हिन्दी शब्द कठिन या कम बोल चाल के हैं उनके वैसे ही रहने दिया है अथवा उनके कोष्ठक में लिख दिया गया है, और प्रचार बढ़ाने के लिये समान वाची हिन्दी शब्दों का एक ही पद में प्रयोग किया गया है जैसे नात्रालिग और अवयस्क (न कि अप्राप्त वयस्कता), काब्रिज और अधिकृत वसीयत और निष्ठा, जामिन और प्रतिभू इत्यादि, उर्दू के साधारण शब्द जैसे शर्त, शिकायत इत्यादि का भी प्रयोग किया गया है और भाषा को सरल और साधारण बोल चाल का बनाने का ध्यान रखा गया है।

माननीय श्रीमान् श्यामकृष्ण जी दर ने इस संस्करण का प्राक्थन लिखने का कष्ट किया है इस कृपा के लिये मैं उनका बहुत आभारी हूँ। यदि यह पुस्तक हिन्दी भाषा को न्याय विभाग में प्रचलित करने में और अभिभाषक समुदाय के लिये हितकारी हो तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा। माग अधिक होने के कारण यह पुस्तक बहुत शीघ्रता में प्रकाशित की गई है और मुझको उसके प्रूफ (Proof) देखने का अवकाश नहीं मिला पाया अतः लगभग समस्त प्रूफ मेरे पुत्र चि० यतेन्द्रपाल वार्पण्य ने ही देखे हैं। उनके इस कार्य में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आशा करता हूँ कि पाठक गण उसे क्षमा करेंगे।

७, एटमन्टन रोड

इलाहाबाद

हरीपाल वार्पण्य

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
Foreword by Hon'ble Mr. S. K. Dar ..	1
प्र.कथन—माननीय श्री पं० श्यामकृष्णदर (अनुवाद)	III
भूमिका ..	VI
विषय सूची	VII
प्रस्त.चना	१-६
झीडिंग का अर्थ	१
झीडिंग का अभिप्राय और प्रयोजन	२
झीडिंग की वर्तमान दशा	३
त्रुटियों दूर न होने के कारण	४
पुस्तक की स्कीम	५

प्रथम भाग

प्रथम अध्याय— झीडिंग के साधारण नियम ७—३५

आर्डर ६ नियम न० १ व्याख्या सहित	७
” ” न० २	८
(१) झीडिंग में घटनाएँ हो	९
(२) वह घटनाएँ मुकदमे का तत्व हो	१४
(३) केवल घटनाएँ तत्व मुकदमा लिखी हों	१६
(४) उनका एक संचित बयान हो	१७
(५) प्रमाण न लिखा जावे	१८
(६) लेखन प्रणाली	१९
” ” न० ३ व्याख्या सहित	२०
” ” न० ४ ” ”	२०
” ” न० ५ ” ”	२२
” ” न० ६ ” ”	२३
” ” न० ७ ” ”	२४
” ” न० ८ ” ”	२४
” ” न० ९ ” ”	२५

विषय				पृष्ठ
आर्डर ६ नियम	न० १०	व्याख्या सहित	..	२६
" "	न० ११	" "	...	२७
" "	न० १२	" "	..	२८
" "	न० १३	" "	..	२९
" "	न० १४	" "	..	३०
" "	न० १५	" "	...	३१
" "	न० १६	" "	...	३२
" "	न० १७	" "	..	३३
" "	न० १८	" "	...	३५

द्वितीय अध्याय— वाद-पत्र या अर्जीदावा ३६—६०

	प्राथमिक नोट या हिदायत			६६
आर्डर ७ व्यवहार-विधि-संग्रह के नियमों की व्याख्या		...		३६
आर्डर ७ नियम न० १ (अ) नाम अदालत जहाँ वाद प्रस्तुत किया जावे—				
	टिप्पणी सहित	४०
" "	(ई) व , ऊ) नाप पता, इत्यादि वादी का और प्रतिवादी का, जहाँ तक ज्ञात हो सकता हो	...		४३
	वाद शीर्षक या मुकदमे का सिरनामा		४५
" "	(क) यदि वादी या प्रतिवादी नात्रालिग या पागल हो		४६
	विशेष मुकदमों में पक्षकारों का पता		४७
" "	(ख), घटनाएँ जिनसे नालिश करने का अधिकार उत्पन्न हो			४९
" "	(ग) घटनाएँ जिनसे प्रगट हो कि अदालत को दर्शनाधिकार प्राप्त है	५०
" "	वादी की प्रेरणा	५०
" "	(च) छोड़े हुये रुपये मुतालवा की संख्या	...		५२
" "	(छ) भगडे वाली सम्पत्ति का विवरण और उसका मूल्य			५३
" "	न० २ व्याख्या सहित	५३
" "	न० ३	" "	...	५३
" "	न० ४	" "	...	५४
" "	न० ५	" "	...	५४
" "	न० ६	" "	...	५६
" "	न० ७	" "	...	५७
" "	न० ८	" "	...	५७
	वाद पत्र या अर्जीदावे में लिखने योग्य बातों का सारांश	...		५८

तृतीय अध्याय— प्रतिवाद-पत्र, जवाब दावा या बयान तहरीरी

६१—८४

प्राथमिक नोट	६१
वोट फीस	६६
जवाब दावे का सिरनामा	६७
आर्डर = नियम न० १ व्याख्या सहित	६८
„ „ न० २ „ „	६८
„ „ न० ३ „ „	७१
„ „ न० ४ „ „	७२
„ „ न० ५ „ „	७४
„ „ न० ६ „ „	७७
„ „ न० ७ „ „	८०
„ „ न० ८ „ „	८१
„ „ न० ९ „ „	८१
„ „ न० १० „ „	८२
प्रतिवाद पत्र की बनावट	८२

चतुर्थ अध्याय,— आवेदन पत्र, शपथ-पत्र, और विवाद-पत्र

८५-९२

(१) दरखास्तें या आवेदन-पत्र	८५
(२) बयान हल्फी (शपथ-पत्र) आर्डर १६ व्यवहार विधि संग्रह	८७
(३) मूजवात अपील या विवाद-पत्र	८९

द्वितीय भाग

प्रथम अध्याय—वाद-पत्रों के नमूने

९३-४०१

१.—ऋण या कर्जा

प्राथमिक नोट	९३
तमस्तुक से लिया हुआ कर्जा	९४
बहीखाते के आधार पर नालिशें	९५
(१) कर्ज दिये हुये रुपयों के लिये	९६
(२) इत उधार कर्जों की बनावट	९६

विषय	पृष्ठ
(३) प्रामेसरी नोट का कर्जा	६८
(४) ,, ,, , दूसरा नमूना	६६
(५) ,, ,, , तीसरा नमूना	६६
(६) वाचत कर्जा जो तमस्मुक इन्दुल तलत्र पर लिया हो ...	१००
(७) ,, ,, जो नियत तारीख के तमस्मुक पर लिया हो ...	१०२
(८) ,, ,, जो विस्तत्रदी तमस्मुक पर लिय गया हो ...	१०३
(९) बदनी या सट्टा के तमस्मुक पर दावा	१०४
(१०) वाचत कर्जा जो बहीखाते पर लिया हो	१०५
(११) ,, ,, बकाया जो हिसाब होने पर स्वीकार किया हो ...	१०६
(१२) ,, ,, के जो हुन्डी लिखकर लिया गया हो ...	१०६
(१३) खरीदार की ओर से तमस्मुक के कर्जों की वाचत ...	१०७

२—अदायगी ज़ायद

प्रारम्भिक नोट	१०६
(१) वाचत रुपये के जो अधिक दे दिये हों	१०६
(२) अधिक दी हुई कीमत वापिस करने के लिये ...	११०

३—माल की कीमत

प्रारम्भिक नोट	१११
(१) नियत दाम पर बेचे गये माल की वाचत	११२
(२) दूसरा नमूना माल की कीमत के वाचत	११३
(३) तीसरा नमूना ,, ,, ,	११३
(४) वाचत क्रोमन माल खरीदार या उसने लेने वाले के विरुद्ध ...	११४
(५) दावा कीमत बमूल करने वाले से, खरीदार की तरफ से ...	११५
(६) बहीखाते में लिखे हुये माल की कीमत व कर्जों के वाचत ...	११६
(७) वाचत माल जो उचित मूल्य पर बेचा गया	११७
(८) ,, ,, ,, ,, , दूसरा नमूना	११७
(९) वाचत ऐसी वस्तु के जो प्रतिवादी के आर्डर पर बनाई गई और उसने न ली हो	११८
(१०) इसी प्रकार का दूसरा नमूना	११८
(११) नीलाम किये हुये माल की कीमत के लिये	११६
(१२) वाचत कम कीमत के जो दुबारा नीलाम कराने से हो ..	१२०

४—मजदूरी व नौकरी

प्रारम्भिक नोट	१२१
(१) उचित मजदूरी के लिये दावा	१२१

विषय	पृष्ठ
(२) दावा वाचत मुनासिब मजदूरी ...	१२२
(३) दावा मजदूरी इत्यादि की उचित कीमत की वाचत ...	१२२
५—हुन्डी व चैक	
प्रारम्भिक नोट ...	१२३
(१) दावा लिखने वाले का ऊपर वाले पर ..	१२४
(२) दावा रखने वाले का हुन्डी लिखने वाले पर ...	१२५
(३) दावा वेचान लेने वाले का सही करने वाले पर ...	१२५
(४) हुन्डी न सिक्कने पर रखने वाले का लिखने वाले पर दावा ...	१२७
(५) दावा वेचान लेने वाले का रखने वाले पर ...	१२८
(६) वेचान लेने वाले का उसको वेचान देने वाले के ऊपर ...	१२८
(७) वेचान लेने वाले का वेचान देने वाले और लिखने वाले पर ...	१२९
(८) चैक के आधार पर दावा ...	१३०
६—आपसी हिसाब—	
प्रारम्भिक नोट ...	१३१
(१) आपस के हिसाब के आधार पर नकद रुपया का दावा ...	१३२
(२) इसी प्रकार का दूसरा नमूना ...	१३२
७—अमानत का रुपया—	
प्रारम्भिक नोट ...	१३४
(१) वाचत अमानती रुपया ...	१३४
(२) ' ' ' ' अमानती माल के लिये ...	१३५
८—वादी के लिये वसूल किया हुआ रुपया—	
प्रारम्भिक नोट ...	१३६
(१) वेजा वसूल किये हुये रुपये की वापस के लिये ...	१३६
(२) वसूल किये हुये रुपये का अदा न करने पर ..	१३७
(३) वेजा वसूल किये हुये रुपये के न अदा करने पर ...	१३७
९—इस्तेमाल और दखल—	
प्रारम्भिक नोट ...	१३८
(१) मुनासिब किराये पर इस्तेमाल और दखल की वाचत ...	१३८
(२) उचित किराये पर उपयोग की वाचत ...	१३९
१०—पंचायती फैसले—	
प्रारम्भिक नोट ...	१४०
(१) दावा नकद रुपया का, जो पंचायती फैसले से दिलाया	

विषय	पृष्ठ
(२) पंचायती फैसले की वाचत	१४१
(३) पंचायत के इकरारनामे को दाखिल कराने के लिये ...	१४२
(४) पंचायती फैसला दाखिल होने और उसके अनुसार डिगरी तैयार होने के लिये दावा	१४३
११—विदेशी तजवाज़—	
प्रारम्भिक नोट	१४४
(१) दावा नकद रुपया का, विदेशी निर्णय के आधार पर ...	१४४
(२) विदेशी फैसले पर दावा	१४४
१२—ज़मानत—	
प्रारम्भिक नोट	१४५
(१) किराये की अदायगी के लिये जामिन के ऊपर नालिश ..	१४६
(२) ऋण की अदायगी के लिये , , ...	१४७
(३) माल की कीमत के बारे में, ,, ,, ...	१४७
(४) क्लर्क की ईमानदारी के बारे में, ,, ,, ...	१४८
(५) माल की कीमत के वाचत दोनों, जामिन व देनदार के ऊपर	१४८
(६) एक जामिन की दूसरे जामिन पर, अपने हिस्से का रुपया वगूल करने के लिये	१४९
(७) क्लर्क की ईमानदारी के लिये जामिन के इकरार नामे पर ..	१४९
१३—प्रतिज्ञा और उसका भंग होना—	
प्रारम्भिक नोट	१५०
(१) जमीन खरीदारी की प्रतिज्ञा भंग करने पर ...	१५१
(२) ,, ,, , दूसरा नमूना ..	१५२
(३) बेचे हुये माल का हवाला न करने पर ...	१५२
(४) बिक्री किये हुए माल का हवाला न करने पर ...	१५३
(५) बेचे हुये माल की डिलीवरी न मिलने पर दावा ...	१५४
(६) माल हवाला करने के मुआहिदा तोड़ने पर हरजे की नालिश	१५५
(७) नौकर रखने का मुआहिदा तोड़ने पर नालिश ...	१५५
= नौकरी करने का ,, ,, ...	
(८) ,, ,, ,, दूसरा नमूना ...	१५६
(१०) मजदूर के काम डिगाड़ने पर ..	१५६
१४—प्रिन्सिपल और एजेंट—	
प्रारम्भिक नोट	१५७

विषय	पृष्ठ
(१) हिसाब के लिये प्रिन्सिपल की एजेंट पर नालिश ...	१५७
(२) हिसाब समझने के लिये मृत के निष्काकर्ता (वसी) का एजेंट के ऊपर दावा ...	१५८
(३) हिसाब समझने के लिये प्रिन्सिपल का एजेंट के ऊपर ...	१५८
(४) ,, ,, ,, .. दूसरा नमूना ...	१५९
(५) बहीखाते के आधार पर आदत की बकाया के वावत ..	१६१
(६) पक्का आदतिया का, एजन्सी के इकरार पर दावा ..	१६१
(७) आदतिया की तरफ से व्यापारी के ऊपर दावा ...	१६२
(८) एजेंट का प्रिन्सिपल के ऊपर इकरार किये हुये रुपये के लिये	१६४
(९) कमीशन या दलाली के रुपये के लिये ...	१६४
(१०) हिसाब समझाने के लिये एजेंट की ओर से ...	१६५

१५—दूसरे की ज़िम्मेदारी का रुपया अदा करने करने पर

प्रारम्भिक नोट ...	१६६
(१) इकरार नामा से बरी करने पर ...	१६७
(२) हिस्सेदार की मालगुजारी की अदायगी के वावत ...	१६७
(३) दूसरे की डिगरी का रुपया अदा कर देने पर ...	१६८
(४) जायदाद के मालिक की ओर से किराया अदा कर देने पर	१६८

१६—रसदी (Contribution)

प्रारम्भिक नोट ...	१७०
(१) एक देनदार की ओर से जिसने डिगरी का रुपया अदा किया हो, दूसरे पर नालिश ...	१७१
(२) पृथक जिम्मेदारी होने पर रसदी की नालिश ...	१७१
(३) एक हिस्सेदार की साझे के खर्च की वावत दूसरे हिस्सेदार पर	१७२
(४) एक डिगरीदार की दूसरे डिगरीदार पर रसदी के लिये ...	१७२

१७—धोखा या फरेब (Fraud)

प्रारम्भिक नोट ...	१७३
(१) धोखे में माल लेने पर ...	१७४
(२) धोखे में दूसरे पुरुष को कर्ज दिलाने पर ...	१७४
(३) धोखे में माल लेने वाले और उसके क्रय करने वाले पर नालिश, जब धोखे का ज्ञान हो ...	१७५
(४) धोखा व वारन्टी का उल्लंघन ...	१७६

१८—चक्र सम्पत्ति (Moveables)

प्रारम्भिक नोट ...	१७७
--------------------	-----

विषय

पृष्ठ

(१) अनुचित रूप से माल रोकने पर	१७७
(२) माल की वापिसी या उसके मूल्य के लिये	१७८
(३) माल बरगद करने की घमकी देने पर वापिसी माल और निपेधाजा के लिये दावा	१७८
(४) माल की वापिसी और हुकम इस्तनाई के लिये	१७९

१९—साभा या शराकत

प्रारम्भिक नोट	१८०
(१) साभा तोड़ने और हिसाब समझाने के लिये दावा	१८१
(२) ,, ,, ,, दूसरा दावा	१८२
(३) साभा तोड़ने व हिसाब के लिये दावा	१८३
(४) साभा खतम करार देने पर हिसाब के लिये दावा	१८४
(५) तोड़े हुये साभे का हिसाब समझाने के लिये दावा	१८५
(६) मुनाफे के लिए एक हिस्सेदार का मैनेजर पर दावा	१८६

२०—मालिक व किरायेदार

प्रारम्भिक नोट	१८७
(१) मालिक की पेड काटने से रोकने के लिये नालिश	१८८
(२) मालिक की पट्टे व कबूलियत के ऊपर नालिश	१८९
(३) मालिक के वारिस की तरफ से किराये की नालिश	१९०
(४) अर्बधि समाप्त होने पर मालिक की दखल और किराये के लिये	१९०
(५) नोटिस देने के बाद किराये व दखल के लिये	१९०
(६) रहनगृहीता का रहनकर्ता किरायेदार के ऊपर, जायदाद के दखल के लिये दावा	१९१
(७) मालिक की दखल व किराये के लिये	१९२
(८) मिलकियत इनकार करने पर दखल के लिये	१९२
(९) दखल व किराये के लिये एवजी किराये दार पर	१९३
(१०) किरायेदार की मालिक पर कब्जे के लिये	१९३
(११) मालिक की किरायेदार पर मरम्मत न कराने पर	१९४
(१२) किरायेदार की मालिक पर हर्जे की नालिश	१९५

२१—इस्तावेजों का मंशोधन या मन्सूखी

प्रारम्भिक नोट	१९५
(१) मूल के आधार पर प्रतिजा मन्सूख कराने के लिये दावा	१९७
(२) बोम्बे न करार्ड हुई प्रतिजा की मन्सूखी के लिये	१९८

विषय	पृष्ठ
(३) वेहोशी की दशा में लिखाये हुये वसीयतनामे को मसूख कराने के लिये	१६८
(४) नात्रालिग से लिखाये हुये व्रैनामे की मंसूखी के लिये ...	२००
(५) भूठे बयान और धोखे से लिखाये हुये दस्तावेज की मसूखी के लिये परदा नशीन स्त्री का दावा	२०१
(६) अनुचित दत्राव डाल कर परदानशीन स्त्री से लिखाये हुये दस्तावेज की मंसूखी के लिये	२०२
(७) धोखे से लिखाये हुए दस्तावेज के मसूख कराने के लिये	२०३
(८) धोखे से लिखाये हुये दस्तावेज के सशोधन के लिये ...	२०४

२२—प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति (Specific Performance)

प्रारम्भिक नोट	२०४
(१) विक्री करने की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये ...	२०५
(२) " " " " , दूसरा दावा ...	२०६
(३) खरीदार का मुआहिदे की तामील के लिये ...	२०७
(४) इसी प्रकार का सुलहनामे के आधार पर ...	२०८
(५) खरीदार का बेचने वाले पर प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये ...	२०९
(६) खरीदार का बेचने वाले और परिवर्तन से पाने वाले पर पूर्ति के लिये दावा	२१०
(७) विक्री की निश्चय-प्रतिज्ञा से सूचित विक्रीकर्ता और खरीदार के ऊपर दखल के लिये दावा	२११
(८) प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये परिवर्तन कर्ता और खरीदार पर	२१३

२३—२६—रहन सम्बन्धीवाद—

२३—जायदाद के नीलाम के लिये दावे

प्रारम्भिक नोट	२१५
(१) नीलाम के लिये साधारण वाद ...	२१७
(२) रहन ग्रहीता के उत्तराधिकारी की ओर से, रहनकर्ता के उत्तराधिकारी पर, सम्पत्ति के नीलाम के लिये ...	२१८
(३) इसी प्रकार की रहनकर्ता के ऊपर, रहननामे के खरीदार की ओर से	२१९
(४) मुर्तहिन के प्रतिनिधि की ओर से राहिन व इजराय डिगरी से खरीदार के ऊपर नालिश	२२०
(५) रहन ग्रहीता का हिन्दू रहनकर्ता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों पर सम्पत्ति के नीलाम के लिये ...	२२२

विषय

पृष्ठ

(६) अचल सम्पत्ति के नीलाम के लिये मुर्तहिन की ओर से, हिन्दू पिता और पुत्रों पर दावा	२२३
(७) जायदाद के नीलाम के लिये पिछले मुरतहिन की अपने और मुख्य रूपये के लिये नालिश	२२४
(८) पिछले मुरतहिन की, राहिन और जायदाद खरीदने वाले के ऊपर	२२६
(९) पिछले मुरतहिन की ओर से पहिले मुरतहिन और राहिन के ऊपर	२२७
(१०) अमानत-पत्र के आधार पर जायदाद के नीलाम के लिये	२२८
(११) इजराय डिगरी में दी हुई जमानत को जायदाद नीलाम कराकर छुटाने के लिये	२२९
(१२) एक रहनकर्ता की दूसरे रहनकर्ता पर रसदी के लिये	२३०
(१३) रहन का कुल रूपया अदा करने पर हिस्से के खरीदार की रसदी के लिये	२३०
(१४) मुख्य रहन का रूपया काट कर रसदी के लिये	२३१

२४—प्रतिषेध या वैधात (Foreclosure)

प्रारम्भिक नोट	२३२
(१) प्रतिषेध के लिये साधारण वाद	२३३
(२) रहननामे की अवधि समाप्त हो जाने पर अधीकृत रहन-ग्रहीता की, रहन के उत्तराधिकारियों पर नालिश	२३४
(३) संयुक्त रहन का प्रतिषेध कराने और दखल के लिये	२३५
(४) काबिज मुरतहिन का राहिन पर	२३६

२५—रहन छुटाना या इनफ़िकाक (Redemption)

प्रारम्भिक नोट	२३७
(१) रहन छुटाने के लिये साधारण वाद	२३९
(२) रहन-कर्ता के उत्तराधिकारी की ओर से रहन ग्रहीता के प्रतिनिधि के ऊपर	२४०
(३) इसी प्रकार का अन्य वाद जब कि जायदाद पर दखल और हिसाब से बना हुआ रूपया लेना हा	२४१
(४) राहिन के प्रतिनिधि की, मुर्तहिन के उत्तराधिकारियों पर दखल, पूर्व लाभ व हिसाब के लिये नालिश	२४२
(५) पिछले मुर्तहिन का रहन छुटाने के लिये मुख्य मुर्तहिन पर	२४४
(६) रहन की हुई सम्पत्ति खरीदने वाले की रहनग्रहीता पर रहन छुटाने दखल, और हिसाब के लिये नालिश	२४५

विषय	पृष्ठ
(७) जायदाद के एक हिस्से को छुटाने के लिए कुल जायदाद के खरीदार पर नालिश	२४७
(८) रहन छुटाने के लिये इसी प्रकार का दूसरा दावा	२४६
२६—रहन सम्बन्धी अन्य नालिशें	
प्रारम्भिक नोट	२५०
(१) नीलाम के खरीदार की पिछले मुरतहिन पर नालिश, जब वह मुख्य रहन की डिगरी में फरीक न हो	२५१
(२) इसी प्रकार की, पिछले रहन की इजराय डिगरी के खरीदार की मुख्य रहन के खरीदार पर	२५२
(३) इजराय डिगरी के एक खरीदार की दूसरे खरीदार पर नालिश जब कि वह मुख्य रहन की डिगरी में फरीक न हो	२५३
(४) रहन ग्रहीता का, रहन की हुई जायदाद पर दखल पाने के लिये दावा	२५४
(५) रहन कर्ता के अनुचित कार्य से रहन की हुई जायदाद का भाग रहन ग्रहीता के कब्जे से निकल जाने पर	२५४
(६) रहनयुक्त जायदाद की मालियत कम हो जाने पर ग्रहीता का रहन-कर्ता पर दावा	२५४
(७) रहन युक्त जायदाद के बरबाद हो जाने पर रहन-ग्रहीता का रुपया वसूल करने के लिए दावा	२५६
२७—भार की पूर्ति (निफाज़-भार) (Charge)	
प्रारम्भिक नोट	२५७
(१) निर्वाह हेतु जायदाद से भार का रुपया वसूल करने के लिये	२५७
(२) खरीदार के उत्तराधिकारी की जमानत में रुपया छोड़ने पर भार के लिये	२५८
(३) " " " " दूसरा नमूना	२५६
२८—न्यास, ट्रस्ट या अमानत	
प्रारम्भिक नोट	२६०
(१) अमानत रखने वाले की, दो दावेदारों का भगड़ा तै करने के लिये	२६२
(२) इसी प्रकार की दूसरी नालिश	२६३
(३) मृतक की जायदाद के प्रबन्ध के लिये बर्जदारों की श्रोर से प्रोवेंट लेने वाले पर नालिश	२६३
(४) मृतक की जायदाद से कोई विशेष वस्तु पाने वाले का दावा	२६४

विषय

पृष्ठ

(५) मृतक की जायदाद से नकद ख़या पाने वाले की नालिश ...	२६४
(६) " " " " दूसरा नमूना ...	२६५
(७) एक ट्रस्टी की श्रोर से ट्रस्ट की पूर्ति के लिये ...	२६५
(८) ट्रस्ट से लाभ उठाने वाले की श्रोर से ट्रस्ट की पूर्ति के लिये ...	२६६
(९) मैनेजर को हटाने और ट्रस्ट की पूर्ति के लिये ...	२६७
(१०) प्रबन्ध कर्त्ता को हटाने के लिये ...	२६८
(११) वक्फ की हुई सम्पत्ति के मुतवल्ली को हटाने के लिये दावा ...	२६९
(१२) मंदिर की सेवा व पूजा को अनुचित रीति से रोकने पर ...	२७०
(१३) मसजिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर ...	२७०
(१४) कब्रस्तान में मुर्दा दफन करने से रोकने पर ...	२७१
(१५) दान की हुई सम्पत्ति के बचाने के लिये ...	२७७

२९—सम्मिलित सम्पत्ति (जायदाद-मुश्तर्का)

प्रारम्भिक नोट ...	२७२
(१) सम्मिलित मकान के बटवारे के लिये ...	२७४
(२) सम्मिलित मकान के एक हिस्से के बटवारे के लिए ...	२७५
(३) सम्मिलित दखल और पूर्वलाभ के लिए ...	२७५
(४) साभीदार के अनुचित कार्य करने पर ...	२७६
(५) " " " " दूसरा वाद ...	२७६
(६) सम्मिलित सम्पत्ति के पट्टे की मंजूरी के लिये ...	२७७
(७) विभाजन के पश्चात लिखे हुये पट्टे की मंजूरी और जायदाद पर दखल के लिये नालिश ...	२७७
(८) एक हिस्सेदार का गैर साभीदार पर दावा ...	२७८

३०—हिन्दू अविभक्त कुल (Trust)

प्राथमिक नोट ...	२७९
१—अविभक्त सम्पत्ति का विभाजन ...	२८०
२—अविभक्त सम्पत्ति का परिवर्तन ...	२८१
३—निर्वाह-व्यय ...	२८१
४—दत्तक पुत्र ...	२८३
(१) कुटुम्बी सम्पत्ति के बटवारे के लिये साधारण वाद ...	२८४
(२) दूसरा नमूना " " ...	२८५
(३) बटवारे और घोषणा के लिये ...	२८६
(४) कुटुम्बी की आशयकता के लिये पिता के परिवर्तन की मंजूरी के लिये ...	२८७

विषय	पृष्ठ
(५) एक सदस्य के परिवर्तन को खंडित कराने के लिये ...	२८८
(६) दत्तक पुत्र का पिता के लिखे दस्तावेज की डिग्री से बंधन में न आने के इस्तिकरार के लिये ...	२८८
(७) कुटुम्ब के सदस्यों की ओर से हिस्से बचाने के लिये ...	२८६
(८) अविभक्त कुल की विधवा को अधिकार न होने की घोषणा के लिये	२६०
(९) विधवा के खान पान का जायदाद पर भार करा देने के लिये	२६१
(१०) विधवा के कुटुम्बी घर में रहने के अधिकार के लिये ...	२६२
(११) विधवा से जायदाद पाने वाले पर दखल इत्यादि के लिये दावा	२६३

३१—पश्चात् दायभागी और हिन्दू विधवा या अन्य जीवन

दायभागी

प्रारम्भिक नोट	२६४
(१) हिन्दू विधवा के जीवित रहते हुए, उसके लिखे हुए वैनाने को उसकी मृत्यु के बाद प्रभावहीन घोषित कराने के लिये पश्चात् दायभागी का दावा	२६६
(२) विधवा के जीवित होते हुये उसके लिखे हुये दान पत्र को खंडित कराने के लिये पश्चात् दाय भागी का दावा	२६७
(३) विधवा के जीवित होते हुये उसके लिखे हुये दखली रहन को मसूख और वेअसर करार दिये जाने के लिये	२६८
(४) विधवा के, बिना उचित आवश्यकता के लिखे हुये दस्तावेज की मसूखी के लिये पश्चात् दायभागी का दावा	२६९
(५) विधवा के लिखे हुये पट्टे को उसकी मृत्यु के बाद वे असर करार दिये जाने और निषेधाज्ञा निकलवाने के लिये	३००
(६) विधवा के जीवित होते हुये, पुत्र उचित रूप से गोद न लिये जाने के इस्तिकरार के लिये	३०१
(७) गोद लिये हुये लड़के की ओर से विधवा के विरुद्ध उचित गोद लिये जाने के इस्तिकरार के लिये	३०२
(८) विधवा को जायदाद नष्ट करने से रोकने और रिसीवर नियत किये जाने के लिये	३०२
(९) विधवा की मृत्यु पर, अन्य पुरुष से जायदाद का दखल पाने के लिये	३०४
(१०) इसी प्रकार का दावा जबकि जायदाद पर काबिज मनुष्य अपने आपको दत्तक पुत्र बतलावे	३०५
(११) विधवा के दिये हुये सर्वकालीन दवामी पट्टेदार के विरुद्ध	३०५

विषय

पृष्ठ

(१२) दखल के लिये पुत्री का विभक्त कुन के सदस्यों पर दावा	३०६
(१३) हिन्दू विधवा का दखल और पूर्व लाभ के लिये विभक्त कुटुम्बियों पर दावा	३०६

३२—पति और पत्नी

प्रारम्भिक नोट	३०८
(१) पति का पत्नी के ऊपर विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के लिये	३०८
(२) " " " " दूसरा वाद	३०६
(३) स्त्री की ओर से खान पान के खर्चों के लिये	३१०
(४) पत्नी का रहायशी मकान में रहने व इस्तफार के लिये	३१०

३३—मुस्लिम शास्त्र

प्रारम्भिक नोट	३११
(१) स्त्री को ओर से निकाह तोड़ने के लिये दावा	३१३
(२) इसी प्रकार का विवाह विच्छेद के लिये दूसरा दावा	३११
(३) एकट ८ सन् १६३६ ई० की धारा २ के अनुसार निकाह फिस्क कराने का दावा	३१४
(४) स्त्री का पति के ऊपर "महर मोवज्जल" के लिये दावा	३१५
(५) निकाह मसूख हो जाने पर स्त्री का "महर मोवज्जल" के लिये	३१५
(६) मुसलमान विधवा का 'महर' के लिये मृतक पति के दाय-भागियों पर दावा	३१६
(७) " " " " " " दूसरा नमूना	३१६
(८) मृतक पत्नी के दायभागी की ओर से पति के ऊपर 'महर' के विभाग के लिये दावा	३१७
(९) वारिस का विधवा के ऊपर जो महर के बदले में जायदाद पर काबिज हो, दखल के लिये	३१७
(१०) वारिसों का महर के ऐवज में काबिज वेवा के ऊपर दखल के लिये	३१८
(११) एक वारिस का, दूसरे काबिज वारिसों पर, दखल व वासलात के लिये दावा	३१६
(१२) " " " " " " दूसरा नमूना	३१६
(१३) वारिस लड़की का, दूसरे वारिसों पर जिन्होंने रहन से जायदाद हटाती है, दखल के लिये दावा	३२०

विषय	पृष्ठ
(१४) अपने हिस्से को बचाने के लिये एक शरई हिस्सेदार का दूसरे शरई हिस्सेदारों पर	३२१
३४—हक शफा	
प्राथमिक नोट	३२२
(१) सम्मिलित शफी का मुसलमान शास्त्र के अनुसार शफा के लिये	३२५
(२) वाजिबुल अर्ज के आधार पर शफा का दावा ...	३२६
(३) " " , दूसरा वाद ...	३२६
(४) शरअ और वाजिबुल अर्ज के आधार पर शफे का दावा ...	३२७
(५) वाजिबुल अर्ज व मुसलमानी शास्त्र के अनुसार वैनामे की मसूखी और शफा के लिये दावा	३२८
३५—ज़मींदार और प्रजा	
प्राथमिक नोट	३३०
(१) जमींदार की ओर के मकान की वेदखली के लिये ...	३३१
(२) ज़मींदार की बिना इजाजत बनवाये हुये मकान के गिरा देने के लिये	३३२
(३) जमींदार का, उत्तराधिकारी न रहने पर मकान पर दखल पाने के लिये	३३३
(४) जमींदार का हक चहारम के लिये	३३३
(५) जमींदार की ओर से रसम और टकीने के लिये दावा ...	३३४
३६—दखल व वासिकाननामा (पूर्व लाभ)—	
प्राथमिक नोट	३३५
(१) दखल के लिये निर्दिष्ट प्रतिकार विधान की धारा ६ के अनुसार नालिश	३३७
(२) मालिक का, कब्जा करने वाले पर, अन्तर्गत लाभ के लिये ...	३३७
(३) अन्तर्गत लाभ और दखल के लिये, मालिक की ओर से अन्य पुरुषों के विरुद्ध	३३६
(४) उत्तराधिकारी की ओर से अधकृत पुरुष पर दावा ...	३३६
(५) अधिकारी दायभागियों की ओर से अन्य दायभागियों पर दखल के लिये	३४०
(६) उत्तराधिकारों का दखल व अन्तर्गत लाभ के लिये ...	३४२
(७) दखल और अन्तर्गत लाभ के लिये अधिकृत पुरुष और उसके खरीदार पर	३४३

विषय

पृष्ठ

- (८) नीलाम खरीदने वाले का दखल और वासलात के लिये ऋणी और उससे मिले हुये खरीदार पर दावा ... ३४४
- (९) जमीन पर दखल पाने और तामीर गिरवाने के लिये ... ३४५
- (१०) गोद लेने वाली स्त्री की ओर से, दत्तक पुत्र और उसके वसीयत किये हुये मनुष्य के विरुद्ध, दखल के लिये ... ३४६

३७—स्वत्व घोषणा (इस्तकरार) की साधारण नाटिशें

- प्राथमिक नोट ... ३४९
- (१) व्यवहार-विधि संग्रह के आर्डर २१ नियम ६३ के अनुसार असफल उजरदार की ओर से ... ३५१
- (२) इसी प्रकार का डिगरीदार की ओर से इस्तकरार के लिये ... ३५२
- (३) डिगरीदार और ऋणी के ऊपर परिवर्तन करने के हक के इस्तकरार के लिये ... ३५२
- (४) किसी जायदाद के एक हिस्से के नीलाम के अयोग्य होने की घोषणा के लिये ... ३५३
- (५) उत्तराधिकार के घोषित किये जाने के लिये ... ३५४
- (६) ऋण से बचने के लिये किये हुये परिवर्तन की मसूखी के लिये, एक लेनदार का दावा ... ३५५
- (७) लेनदार का ऋणी के परिवर्तन का मंसूख करने के लिये ... ३५६
- (८) लेनदार का, ऋणी और उसके पट्टेदार के विरुद्ध पट्टे का खडित घोषित किये जाने के लिये ... ३५७
- (९) रिसीवर का इन्सालवेन्ट के इन्तकाल को नाजायज करार दिये जाने के लिये ... ३५८
- (१०) असफल उजरदार का इन्सालवेन्ट के रिसीवर के ऊपर ... ३५९
- (११) अनाधिकारी पुरुष के लिखे हुये बानामे का नाजायज घोषित कराने के लिये ... ३६०
- (१२) डिगरी के ऋणियों में आपसी जुम्मेदारी के इस्तकरार के लिये ३६१
- (१३) घोखे से नीलाम के सार्टिफिकेट में नाम लिखा लेने पर इस्तकरार के लिये ... ३६२
- (१४) घोखे से प्राप्त की हुई डिगरी का मसूख व वेअसर करार दिये जाने के लिये ... ३६३
- (१५) जायदाद के स्वामी घोषित किये जाने का दावा जब कि बटवारे का मुकदमा अदालत माल में चल रहा हो ... ३६४

३८-लिमिटेड या रजिस्ट्री की हुई कंपनी

प्राथमिक नोट	...	३६५
(१) कंपनी का हिस्सेदार पर एलाटमेंट और मांग के रुपये के लिये दावा	३६६
(२) डायरेक्टरों के भूठा प्रास्पेक्टस प्रकाशित करके हिस्सा बेचने पर	३६७
(३) कंपनी के स्थापित करने वाले (Promotor) पर हिस्से बेचने के लिये असत्य वर्णन करने पर	३६८
(४) डायरेक्टर की ओर से फीस के लिये कंपनी के ऊपर	३६९
(५) कंपनी के लिक्विडेटर (Liquidator) की ओर से मांग के बकाया रुपये के लिये	३७०
(६) कर्जदार कंपनी के लिक्विडेटर से प्राप्त किये हुये कर्जों की नालिश	३७१

३९-बीमा (Insurance)

प्राथमिक नोट		
(१) मृतक के दायभागी का बीमा करने वाली कंपनी पर	३७२
(२) बीमा के रुपये के लिये मृतक के निष्ठाकर्ता का इनश्योरेंस कंपनी पर दावा	३७३
(३) अन्य पुरुष के जीवन के बीमे का रुपया वसूल करने के लिये जब कि अदायगी दावा करने वाले ने की हो	३७३

४०-प्राकृतिक स्वत्व व सुग्वाधिकार

प्राथमिक नोट	३७४
(१) पानी को नष्ट व अपवित्र करने पर	३७६
(२) नदी का पानी अपवित्र व नष्ट करने पर	३७६
(३) गूल फेरने या पानी काट लेने पर	३७७
(४) बहते हुये पानी को घेरने से रोकने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये	३७८
(५) आवपाशी के लिये पानी लेने में रोक डालने पर	३७८
(६) पानी लेने के अधिकार में विघ्न डालने पर हर्जें व निषेधाज्ञा के लिये	३७८
(७) एक तरफ का सहारा हटा लेने और नुकसान होने पर हर्जें का दावा	३७९
(८) इसी प्रकार का हर्जें व निषेधाज्ञा के लिये अन्य अभियोग	३८०
(९) हानिकारक कारखाना जारी रखने पर	३८१
(१०) हानिकारक कारखाना आरम्भ करने पर	३८१

विपय

पृष्ठ

(११) विशेष रास्ता बंद करने पर	३८२
(१२) सार्वजनिक रास्ता बंद करने पर	३८२
(१३) हानिकारक वस्तु के हटाने के लिये	३८३
(१४) " " " " " अन्य अभियोग ..	३८३
(१५) हानिकारक व दुखदाई वस्तु के हटाने के लिये	३८४
(१६) मछली पकड़ने के स्वत्व के सम्बन्ध में	३८५
(१७) पुल के ठेके में विघ्न डालने पर	३८६
(१८) पैठ या बाजार में रुकावट डालने पर	३८६
(१९) पानी सीचने में रुकावट डालने पर	३८७
(२०) पानी बहने में रुकावट डालने पर	३८८
(२१) प्रकाश के सुखाधिकार पाने के लिये निषेधाज्ञा के लिये ..	३८९
(२२) विशेष रास्ते से आने जाने के सम्बन्ध में	३९०
४१—असावधानी, गृफळत या लापरवाही	
प्राथमिक नोट	३९०
(१) असावधानी से गाड़ी हॉकने पर	३९२
(२) मोटर लापरवाही से हॉकने पर हर्जे का दावा	३९३
(३) रेल की सड़क पर, प्रतिवादी की लापरवाही से चोट लगने पर	३९३
(४) गाड़ी लड़ जाने से चोट आ जाने पर यात्री का रेलवे पर...	३९४
(५) मृतक के दायभागियों की ओर से हर्जे के लिये	३९५
(६) रेलवे कम्पनी पर माल न हवाला करने पर	३९५
(७) माल न हवाला करने और हानि होने पर रेलवे कम्पनी पर	३९६
(८) अधिक किराये की वापिसी के लिये	३९६
(९) रेलवे कम्पनी के ऊपर, भूल से फाटक न बंद करने और	
हानि पहुँचने पर	३९७
(१०) लापरवाही से लोहे का तार और लाइन का ढोरा ठीक न	
रखने पर रेलवे कम्पनी पर दावा	३९८
(११) रोशनी न होने से शारीरिक चोट पहुँचने पर यात्री का रेलवे	
पर दावा	३९९
४२—स्वत्व आविष्कार (Patent)	
प्राथमिक नोट	३९९
(१) पेटेन्ट ताले की नकल करने पर	४००
(२) मशीन के पेटेन्ट में विघ्न डालने पर	४००
४३—कापीराइट (Copyright)	
प्राथमिक नोट	४०१
(१) दूसरी पुस्तक प्रकाशित करके कापीराइट में विघ्न डालने पर	४०३

विषय	पृष्ठ
(२) नाटक के कापीराइट के सम्बन्ध में ...	४०३
(३) सगीत के कापीराइट का उल्लंघन करने पर ..	४०४
४४—ट्रेड-मार्क (Trade-Mark)	
प्राथमिक नोट ...	४०४
(१) ट्रेड मार्क उल्लंघन करने पर दावा ...	४०५
(२) " " " " दूसरा नमूना ...	४०६
४५—गुडविल (Goodwill)	
प्राथमिक नोट ...	४०७
(१) व्यापार की नेकनामी का उल्लंघन करने पर ...	४०७
४६—शारीरिक व संपत्ति सम्बन्धी अन्य अधिकार	
प्राथमिक नोट ...	४०६
(१) हमला किये जाने व चोट लगने पर हर्जे का दावा ...	४१०
(२) अनुचित रुकाव और मानहानि होने पर हर्जे के लिये ...	४१०
(३) " " " " दूसरा वाद ...	४११
(४) झूठा दोष लगाने और अपमान करने पर हर्जे के लिये ...	४१२
(५) अदालत में फौजदारी का मुकदमा चलाने पर हर्जे के लिये ..	४१२
(६) इसी प्रकार का दूसरा वाद ...	४१३
(७) " तीसरा वाद ...	४१६
(८) नौकर भगा ले जाने पर दावा ...	४१३
(९) हानिकारक जानवर रखने पर हर्जे का दावा ...	४१४
(१०) " " " " दूसरा नमूना ...	४१५
(११) सड़क की खराबी से हानि पहुँचने पर ...	४१५
४७—अदाकत पाक की नालिशें	
(१) बिना आज्ञा जमीन पर काविज रहने पर, उचित लगान के लिये	४१६
(२) नियत बकाया लगान के लिये ...	४१७
(३) कृषक की ओर से खेती करने के अधिकार के इस्तकरार के लिये	४१७
(४) वेदखली के लिये जमींदार का अस्थाई कृषक के ऊपर ...	४१८
(५) पूरा दखल पाने के लिये नालिश ...	४१८
(६) हिस्सेदार का नम्बरदार के ऊपर मुनाफे के लिये ...	४१६
(७) हिस्सेदारों में हिसाव समझने के लिये ...	४२०
(८) नम्बरदार की हिस्सेदारों पर खर्चा मालगुजारी इत्यादि के लिये	४२१

विषय

पृष्ठ

द्वितीय अध्याय—प्रतिवाद-पत्रों के नमूने

४२२-५०५

साधारण प्रतिवाद

...

...

४२२

१—ऋण या कर्जा

- (१) ऋण के दावे का साधारण प्रतिवाद पत्र ... ४२४
- (२) वाद पत्र न० २ का प्रतिउत्तर जब अदायगी और तमादी की आपत्ति हो ... ४२४
- (३) वाद-पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब कि ऋण व सूद के देने से इनकार हो । ... ४२५
- (४) तमम्बुक की नालिशो का साधारण प्रतिवाद पत्र ... ४२५
- (५) वाद पत्र न० ८ का प्रतिवाद पत्र जब कि कुल रुपये की वेजाकी की आपत्ति हो . ४२५
- (६) कुछ रुपया अदा करने की आपत्ति होने पर ... ४२६

२—अधिक अदायगी

- (१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब दोनों पक्षों में प्रतिजा की शर्तों पर मतभेद हो ४२७

३—माल की क्रीमत

- (१) माल के बेचने के वाद - 1 साधारण प्रतिवाद पत्र .. ४२७
- (२) माल रोक लेने के सम्बन्ध के वाद का प्रतिवाद पत्र ... ४२८
- (३) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब कि वेजाकी इत्यादि की आपत्ति हो ४२८
- (४) वाद पत्र न० १० का प्रतिवाद पत्र बिल्कुल इनकार करने पर ४२९

४—मज़दूरी व नौकरी

- (१) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि आपत्ति अदायगी की हो ४३०

५—हुन्डी व बैंक

- (१) साधारण प्रतिवाद पत्र ४३०
- (२) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब कि हुन्डी माल के ऊपर बी ई हो ४३१
- (३) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि वाद की मिलकियत से इनकार हो ४३१
- (४) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब हुन्डी न पेश करने की आपत्ति हो ४३२

विषय

(५) वाद पत्र न० ८ का प्रतिवाद जब कि जिम्मेदारी से इनकार हो ...

(६) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद जब बैंक में परिवर्तन करने की आपत्ति हो

६—आपसी हिसाब

(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद जब आपसी हिसाब होने से इनकार हो .. .

७—अमानत का रुपया

(१) वादपत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब अमानत से इनकार हो और तमादी की आपत्ति हो

८—वादी क लिये वसू क क्रिया हुआ रुपया

(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब उचित वसूलयार्ज की आपत्ति हो .

(२) वादपत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब प्रतिवादी अपने आपको मालिक बयान करता हो .. .

९—इस्तैमान आर दखल

(१) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि हिसाब क गलती हो

१०—ए वायत व ए वायती फैमला

(१) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जबकि अनोति व्यवहार की आपत्ति हो

११—विदेशी त नवीज

(१) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि विरोध दर्शनाधिका न होने का हं।

१२—जमानत

साधारण प्रतिवाद

(१) जब की अदायगी का विरोध हो

(२) जमानत से इनकार करने पर

(३) वेवाकी और जुम्मेदार न होने का विरोध होने पर

१३—मनिज्जा भंग हाने पर

साधारण प्रतिवाद

विषय	पृष्ठ
(२) पूर्ण प्रतिज्ञा न होने की आपत्ति होने पर	... ४४१
१४—प्रिन्सिपेल और ऐजेन्ट	
साधारण प्रतिउत्तर	'... ... ४४२
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद जब कि हिसात्र समझा देने की आपत्ति हो ४४३
(२) वाद पत्र न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब आपत्ति वेनाकी की हो ४४३
१५—अपना स्वत्व बचाने के लिए दूसरे के जुम्मेदारी की अदायगी	
साधारण प्रति उत्तर ४४४
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब वेनाकी की आपत्ति हो ४४४
(२) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद जब जुम्मेदारी का भगड़ा हो ४४५
१६—रसदी (Contribution)	
साधारण प्रतिउत्तर ४४५
(१) प्रतिउत्तर, वाद पत्र न० २ का, जबकि उत्तरदायित्व की संख्या और अदायगी की आपत्ति हो ४४६
(२) प्रतिवाद पत्र, वाद पत्र न० ४ का जब कुकीं स्थगित होने की आपत्ति हो ४४६
१७—फरेव (प्रपंच) और धांगवा	
(१) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र, क्रेता की ओर से जब कि नेकनीयत और धोखे की सूचना न होने की आपत्ति हो ४४७
१८—बल सम्पत्ति	
(१) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब वादी के माल हवाला करने से इनकार हो ४४८
१९—साम्ना या शराकत	
साधारण प्रतिउत्तर ४४९
(१) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब कि साम्ने की शर्तों का भगड़ा हो ४५०
(२) वाद पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र, जब दूसरे साम्नी होने इत्यादि की आपत्ति हो ४५१
२०—माबिक व किरायेदार	
(१) साधारण प्रतिउत्तर ४५२
(२) किरायेदार की ओर से ४५२

विषय	पृष्ठ
(ब) मालिक की ओर से	४५३
(२) वाद पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब वादी की मिलकियत से इनकार हो	४५३
(३) वाद पत्र न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब अदायगी और नोटिस अनुचित होने की आपत्ति हो	४५४
२१—इस्तावेजों की तरफ़ीम (संशोधन) या मंजूखी	
(१) साधारण प्रतिउत्तर	४५५
(२) वाद पत्र न० ५ का प्रतिवाद-पत्र जब कि वयस्क होने की आपत्ति हो	४५५
२२—प्रतिज्ञा का विशेष पूर्ति (Specific Performance)	
(१) साधारण प्रतिउत्तर	४५७
(२) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब वादी के प्रतिज्ञा भङ्ग करने की आपत्ति हो	४५८
(३) वाद पत्र न० ७ का प्रतिवाद पत्र पिछले खरीदार की ओर से जब सूचना न होने की आपत्ति हो	४५८
२३—२६—रहन की नाक़िशें	
२३—नीलाम (Sale)	
(१) साधारण प्रतिउत्तर	४५९
(२) वाद पत्र न० २ का प्रतिउत्तर जब रहन स्वीकार न हो और पश्चात् दायभागी होने की आपत्ति हो	४६०
(३) वाद पत्र न० १४ का प्रतिवाद-पत्र जब रसदी के रुपये की संख्या के सम्बन्ध में आपत्ति हो	४६१
२४—प्रतिषेध (बंधक मोचन या वैवात) (Foreclosure)	
(१) साधारण प्रतिउत्तर	४६१
(२) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से	४६२
२५—रहन से मुक्त कराना (इनफिकाक Redemption)	
(१) साधारण प्रतिवाद पत्र	४६३
(२) रहन छुड़ाने के-वाद का प्रतिवाद पत्र	४६४
(३) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से	४६४
२६—राहिन व मुतर्हिन	
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र बहुत से उज्रां से	४६६
(२) वाद पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब आपत्ति रहन के फर्ज़ी होने की हो	४६६

विषय

पृष्ठ

२७—भार की पूर्ति (निफाजवार)

साधारण प्रतिउत्तर	४६७
(१) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र खरीदार से परिवर्तन-ग्रहीता क' और से	४६७

२८—ट्रस्ट (अमानत)

(१) वाद पत्र नं० २ का प्रतिवाद पत्र, एक दावेदार की ओर से दूसरे दावेदार के विरुद्ध	४६८
(२) प्रतिवाद पत्र ऐसे दावे का जो वसीयत के आधार पर माल पाने वाले की ओर से दायर किया गया हो ...	४६८
(३) वसीयत नामे के प्रोवेट में प्रतिवाद पत्र	४६९
(४) वाद पत्र न० ११ का प्रतिवाद पत्र जब कि उचित प्रबन्ध की आपत्ति हो	४७०
(५) वाद पत्र न० १५ का प्रतिवाद जबकि प्रतिवादी भगड़े वाले मंदिर को अपनी निजी सम्पत्ति कहता हो ...	४७०

२९—संयुक्त सम्पत्ति जायदाद मुश्तर्की)

(१) साधारण प्रतिवाद	४७१
(२) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जबकि उज्र बटे हुये होने का हो	४७२
(३) वाद पत्र न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब कि नेक नीयती की आपत्ति हो	४७३

३०—हिन्दू अविभक्त कुल (खान्दान मुश्तर्की)

(१) वाद पत्र न० २ का उत्तर जब कि अविभक्त कुल होने से - इनकार हो	४७४
(२) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब गोद न लिये जाने और वादी के उत्पन्न न होने की आपत्ति हो ...	४७५
(३) वाद पत्र न० ८ का उत्तर जब कि अविभक्त कुल होना स्वीकार हो	४७६
(४) वाद पत्र नं० ११ का उत्तर अनेक आपत्तियों से ...	४७७

३१—हिन्दू विधवा और पश्चात् दाय धारी

(१) वाद पत्र नं० २ का प्रतिउत्तर जब उत्तरजीवित्व का विरोध हो ...	४७८
(२) वाद पत्र नं० ७ का प्रतिवाद-पत्र जब नियमानुसार गोद होने से इनकार हो ...	४७९
(३) वाद पत्र न० ९ का अनेक विरोध पर निर्भर प्रतिवाद पत्र ...	४७९

विषय	पृष्ठ
३२—पति और पत्नी	
(१) वाद पत्र न० २ का प्रतिउत्तर जत्र कि कठोरता और निर्दयता की आपत्ति हो ...	४८१
३३—मुसलिम शास्त्र	
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जत्र कि निवाह जायज होने का उज्र हो .	४८२
(२) वाद पत्र न० ६ का प्रति उत्तर जत्र 'महर' की सख्या और उसके अदा न होने का उज्र हो ..	४८२
(३) वाद पत्र न० १३ का उत्तर जत्र रिश्तेदारी से इनकार हो और कब्जा मुखालिफाना होने का उज्र हो	४८३
३४—अग्रक्रयाधिकार (दक शफा)	
(१) वाद पत्र न० २ का प्रतिउत्तर जत्र रिवाज से इनकार हो .	४८४
(२) वाद पत्र न० ४ का प्रतिउत्तर जत्र रिवाज और तलत्र से इनकार हो	४८५
३५—जमींदार और प्रजा	
(१) वाद पत्र न० १ का प्रति उत्तर जत्र कि क्रय करने की प्रथा होने की आपत्ति हो ...	४८६
(२) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जत्र लावारिसी से इनकार हो ...	४८६
३६—दखल और पूर्व लाभ (वासलान)	
(१) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जत्र आपत्ति विमुखाधिकार होने की हो	४८७
(२) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जत्र अनुचित दखल करने से इनकार हो ..	४८७
(३) वाद पत्र न० १० का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से ..	४८८
३७—स्वत्व घोषणा (इस्तकरार)	
(१) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जन कि ऋग्णा के मालिक होने से इनकार हो ...	४९०
(२) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जत्र कि इन्तिकाल जायज होने की आपत्ति हो ...	४९०
(३) वाद पत्र न० ११ का प्रतिवाद पत्र जत्र कि विक्रय पत्र के जायज होने का उज्र हो	

विषय	पृष्ठ
३८—लिमिटेड कम्पनी	
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र ...	४६२
(२) वाद न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब उत्तरदायित्व से इनकार हो ...	४६३
३९—बीमा	
(१) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब असत्य वर्णन और आत्म हत्या का उज्र हो ...	४६३
४०—प्राकृतिरु स्वत्व व सुखाधिकार	
(१) कष्ट दायक कार्य्य के हटाने के बाद का प्रतिउत्तर ...	४६४
(२) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब सुखाधिकार प्राप्त हो जाने की आपत्ति हो । ...	४६४
(३) वाद पत्र न० ११ का प्रतिवाद पत्र जब रास्ते के हक से इनकार हो ...	४६५
(४) वाद पत्र न० २२ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों पर निर्भर ...	४६५
४१—उपेक्षा (गफलत) व असावधानी	
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र, ऐसी हानि के विषय में जो असावधानी से गाड़ी हाकने से हुई हो ...	४६६
(२) नुकसान पहुँचाने के मुकदमों में प्रतिवाद ...	४६६
(३) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब कि चोरी हो जाने और उत्तरदायित्व न होने की आपत्ति हो ..	४६६
(४) वाद पत्र न० ९ का प्रतिवाद पत्र जब कि भूल से इनकार हो	४६७
४२—पेटेंट (Patent)	
(१) साधारण घटना प्रस्त प्रतिवाद पत्र ...	४६८
(२) वादपत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र, जब पेटेंट और उसपर अनुचित हस्तक्षेप करने से इनकार हो ...	४६८
४३—कापीराइट (Copyright)	
(१) साधारण प्रतिवाद ...	४६९
(२) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब कापीराइट से, इनकार हो ...	४६९
४४—ट्रेडमार्क (Trade mark)	
(१) साधारण प्रतिवाद ...	५००

विषय

- (२) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि छाप में अन्तर होने और वादी को अधिकार न होने की आपत्ति हो ... ५००

४५—गूडविल (Goodwill)

- (१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से ... ५०१

४६—शारीरिक और म्माति सम्बन्धी अन्य अधिकांश

- (१) मानहानि के लिये हर्जे के वादों में साधारण प्रतिवाद .. ५०२
 (२) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब आपत्ति बयान सच होने की हो ... ५०२
 (३) साधारण प्रतिवाद पत्र हर्जे की नालिशों में जो शत्रुता से फौजदारी का भूठा मुकद्दमा चलाने के विषय में हो .. ५०३
 (४) फारम न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब अभियोग सचा होने की आपत्ति हो ... ५०३

४७—अदाकत माल की नालिशें

- (१) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब कि गोद से इनकार हो ... ५०४
 (२) वाद पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब जमीदार और कृषक का सम्बन्ध होने से इनकार हो ... ५०४
 (३) वाद पत्र न० ८ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से ... ५०५

तृतीय अध्याय— शपथपत्र, प्रार्थनापत्र इत्यादि ५०६—५६० .

१—शपथ-पत्र

- (१) प्रमाण-पत्र सम्बन्धी शपथ-पत्र ... ५०६
 (२) किसी पक्षकार के मर जाने पर उसके उत्तराधिकारियों के नाम स्थित कराने के लिये ... ५०७
 (३) अदालत अपील में इजराय डिगरी स्थगित कराने की दरखास्त की पुष्टी के लिये ... ५०८
 (४) ” ” ” दूसरा शपथ-पत्र ... ५०९
 (५) शपथ-पत्र खर्चा या जमानत अपीलान्ट से लिये जाने के लिये ५१०

२—प्रार्थनापत्र

- (१) कार्यवाही स्थगित कराने के लिये .. ५११

३—आवेदन पत्र, हस्तान्तर वाद

- (१) जब पक्षों के बीच दो मुकद्दमों में एक सी बातों का भगड़ा हो ५१३

विषय	पृष्ठ
(२) जत्र न्यायाधीश प्रार्थी के विरुद्ध सम्मति प्रगट कर चुके हैं	५१४
(३) प्रमाण की सुविधा के आधार पर	५१५
४—वाद पक्षाकार	
(१) जरूरी फरीक का नाम बढ़ाये जाने के लिये ...	५१६
(२) अनावश्यक पक्षाकार का नाम पृथक किये जाने के लिये ...	५१७
५—स्थानी तामील	
(१) स्थानी तामील के लिये प्रार्थनापत्र	५१७
६—न द-त्र का संशोधन	
७—स्वर पर मुकदमा वा.म कराने के लिये	
(१) वादी के अनुपस्थित होने पर	५१६
(२) रेल की दुर्घटना के आधार पर	५१६
८—एकतरफा डिगरी की मंजूरी के लिये	
(१) समन की तामील और नालिश की सूचना न होने के कारण	५२०
(२) संरक्षिका के परदानशील होने और उसके कारिन्दा के बीमार हो जाने के आधार पर	५२१
९—बहिये के मुआइने के लिये	५२२
१०—मिसल तजब कराने के लिये	५२३
११—निर्णय से पूर्व गि.फ्तारी के लिये	५२४
१२—निर्णय से पूर्व कु.ी के लिये आवेदन पत्र	५२५
१३—नि.पे.ज्ञा के लिये	५२६
१४—गिमीवर नियम गि.े जाने के लिये	५२६
१५—उत्तराधिकारी का नाम चढ़ाने के लिये	५२७
१६—वादी से तजानत खर्चा लिये जाने को	५२८
१७—अन्तिम डिगरी की तैयारी के लिये	५२८
(१) तैयारी डिगरी कतई नीलाम जायदाद	५२८
(२) जत्र डिगरीदार को एक अवधि के अन्दर रुपया दाखिल करने का हुक्म हुआ हो	५२६
१८—जानी डिगरी की तैयारी के लिये	५२६
(१) साधारण प्रार्थना पत्र	५२६
(२) अज्ञानी की जायदाद के विरुद्ध	५३०

विषय	पृष्ठ
१९—दख्खान्त—इजराय डिगरी	५२६
२०—दख्खान्त, उज्जरदारी	५३३
(१) ऋणी की ओर से डिगरी जारी कराने पर ...	५३३
(२) अन्य विरोध ...	५३३
(३) उज्जरदारी उत्तराधिकारी की ओर से ...	५३३
(४) वेजा कुर्की होने पर अन्य व्यक्ति की ओर से ...	५३४
(५) इसी प्रकार का दूसरा नमूना ...	५३४
(६) तीसरा नमूना	५३४
२१—दख्खान्त, मंसूखी नीलाम	५३४
(१) पहला नमूना ...	५३५
(२) दूसरा नमूना ...	५३५
२२—विवाद-पत्र	
(१) पहला नमूना	५३८
(२) इसी प्रकार का अन्य फारम ...	५३७
(३) द्वितीय विवाद या अपील दोयम ...	५३७
२३—आवेदन-पत्र, इजराय स्थगित कराने के लिये	५३८
२४—अरीबान्ट से जणानन देने के लिये	५३८
२५—दख्खान्त वापसी रुआ	५३८
(१) डिगरी मसूख हो जाने पर ...	५३८
(२) वापसी दखल ..	५३९
(३) वास्ते वापसी दखल व हर्जा ...	५४०
२६—आवेदन-पत्र, डिगरी व व द पत्र के संशोधन के लिये	५४१
२७—आवेदन पत्र संक्षेप के सर्तीफिकेट के लिये	
(१) साधारण नमूना ...	५४२
(२) अवयस्क के पिता की ओर से संरक्षक बनने की ...	५४३
(३) संरक्षक नियत किये जाने के लिये बहिन की ओर से	५४३
२८—जायददा हस्तान्तर करने की आज्ञा के लिये आवेदनपत्र	
(१) रहन सादा की आज्ञा प्राप्त करने को ...	५४६
(२) विक्रय पत्र (ब्रैनामे) के द्वारा ...	५४७
२९—आवेदन पत्र संक्षेप हटाये जाने के लिये	५४८
३०—उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सर्तीफिकेट) विरासन	५४९
(१) उत्तराधिकार के सर्तीफिकेट के लिये ...	५५०

विषय	पृष्ठ
(२) वापसी या मंजूरी सर्टीफिकेट विरासत	... ५५०
३१—रूपया दाखिल करने के लिये आवेदन पत्र	
(१) राहिन की ओर से	... ५५१
(२) खरीदार की ओर से	... ५५१
(३) रहन कर्त्ता की ओर से स्वयं अपने और अन्य रहनकर्त्ताओं के उत्तराधिकारी होने पर	... ५५२
३२—आवेदन—पत्र प्रोवेट व प्रबन्धक पत्रों के लिये	
प्राथमिक नोट	... ५५७
(१) प्रोवेट के लिये आवेदन पत्र मय मृत्यु लेख के	... ५५४
(२) इसी प्रकार का दूसरा आवेदन पत्र जब मृत्यु-लेख की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की जावे	... ५५४
(३) प्रबन्धक-पत्र प्राप्त करने के लिये	... ५५६
३३—इन्साल्वेन्सी (देवालियापन)	
प्राथमिक नोट	... ५६३
(१) ऋणी की ओर से आवेदनपत्र	... ५५६
(२) जब गिरफ्तारी या कैद हो चुकी हो या कुर्की का हुकम हो गया हो	... ५६०
(३) लेनदारों की ओर से	... ५६०
पर्याय-शब्द सूची	५६१--५९०

प्रस्तावना

प्लीडिंग से क्या समझा जाता है

वह लेख जिससे मुद्दे (वादी) अपनी शिकायत अदालत के सामने रखता है और उसकी सहायता (दादरसी) चाहता है, वादपत्र, अर्जीदावा या अर्जी नालिश कहलाता है और मुकदमा उस समय से शुरू हो जाता है जब अर्जीदावा, मुद्दे या उसका वकील अदालत में दाखिल कर देता है। यदि वह नियमानुसार हो और उसमें कोई त्रुटि या खराबी न हो तो अदालत से मुद्दायलह के नाम सम्मन् जारी होता है, जिसमें मुकदमे की सुनवाई के लिये एक तारीख नियत होती है और मुद्दायलह को सूचना दी जाती है कि जो कुछ प्रतिउत्तर उसको करना हो, उस तारीख पर आकर करे।

सम्मन् की तामील हो जाने पर नियत तारीख पर मुद्दे के मुकदमे के जवाब में मुद्दायलह अपना लिखित बयान दाखिल करता है जिसको प्रतिवाद पत्र, जवाबदावा या बयान तहरीरी कहते हैं। अर्जीदावे और बयान तहरीरी से अदालत यह निश्चय करनी है कि दोनों पक्षों में कौन सी बातों पर झगड़ा नहीं है और कौन सी बातें ऐसी हैं कि जिनके सम्बन्ध में झगड़ा है।

कभी अर्जीदावा या बयान तहरीरी में, और कभी दोनों में कुछ खोट या खराबी होती है और कभी ऐसा होता है कि उन दोनों से झगड़े के हालात निश्चित नहीं होते और अन्य बातें मालूम करने की आवश्यकता होती है। इन दोनों दशाओं में अदालत, मुद्दे या मुद्दायलह, या दोनों को अतिरिक्त बयान दाखिल करने की आज्ञा देती है और दोनों पक्ष उस आज्ञा का पालन करते हैं। कभी फरीक़ैन अपने आप एक दूसरे के बयानों के जवाब में या किसी वार्ता की व्याख्या करने के लिये हाज़ात लिख कर अदालत के सामने पेश करते हैं और कभी अदालत स्वयं असली हालात जानने के लिये या फरीक़ैन के मुकदमा को सीमित करने के लिये उनसे या उनके वकीलों या पैरोकारों से सवाल करके उनके जवाब लिखती है¹। यह सब प्लीडिंग कहलाते हैं और उनसे झगड़े वाली बातें (निजाई अमूरत) निश्चय की जाती हैं जो तनकीह कहलाती है और जिनका निश्चय करना मुकदमे के फ़ैसले के लिये आवश्यक होता है।

परन्तु प्लीडिंग के पूरे आशय में अर्जीदावे और बयान तहरीरी के अतिरिक्त वह सब बयान भी आ जाते हैं जो फरीक़ैन की ओर से तनकीह नियत होने से पहिले किये जाते हैं। हिन्दी भाषा में कोई एक उपयुक्त और पूरा अर्थ

¹ Haji Fakirbux v. Thakur Pd, A I R 1941 Oudh 457

रखने वाला शब्द नहीं है जो प्लीडिंग के मतलब और मानी को उचित रूप से प्रगट कर सके। यही कारण है कि हिन्दी के संग्रह ज़ावता दीवानी के अनुवाद में प्लीडिंग शब्द को ज्यों का त्यों रख दिया है और उसकी जगह में कोई अन्य हिन्दी या उर्दू का शब्द काम में लाने का प्रयत्न नहीं किया। “बयान मुकदमा” प्लीडिंग के स्थान में, अन्य उचित शब्द न होने की दशा में काम में लाया जा सकता है। इस पुस्तक में प्लीडिंग शब्द और कहीं कहीं उसके अर्थ में “बयान मुकदमा” प्रयोग किया जावेगा। बयान मुकदमे से, साधारण रूप में, अभिप्राय मुद्दे के अर्जीदावे और मुदायलह के बयान तहरीरी से होगा। लेकिन उसके पूरे मानी में मुकदमे के वह सब ज़बानी और तहरीरी बयान फरीकन के शामिल होंगे जो उन्होंने तनक्रीह हो जाने से पहिले या तनक्रीह कायम होने के लिये किये हैं।¹

प्लीडिंग का अभिप्राय और प्रयोजन

प्लीडिंग या बयान मुकदमे का सबसे पहिला और मुख्य अभिप्राय यह होता है कि वे बातें जिनकी वाबत दोनों पक्षों में झगड़ा होता है और जिनके फैसले की आवश्यकता होती है, निश्चय और नियत हो जाती हैं जिसके कारण से मुकदमे के निर्णय करने में समय और मेहनत दोनों की बचत होती है और दोनों पक्ष नियत की हुई झगड़े की बातों से इधर उधर जाने से रोक दिये जाते हैं²।

दूसरा अभिप्राय यह होता है कि प्रत्येक पक्ष को प्रत्यक्ष और ठीक प्रकार से यह ज्ञात हो जाता है कि दूसरे पक्ष का क्या मुकदमा है जिसका उसको जवाब देना और मुकाबला करना है और किसी फरीक को अचानक और असावधानी की हालत में मुकदमा लड़ने का डर नहीं रहता। प्रत्येक पक्ष उचित रूप से सबूत व शहादत इकट्ठा और पेश कर सकता है और अपने मुकदमे की पैरवी के लिये तैयार हो सकता है³।

तीसरा लाभ प्लीडिंग का यह होता है कि एक संक्षिप्त और स्पष्ट लेख हमेशा के लिये बना रहता है जिससे भविष्य में झगड़ा होने की दशा में तुरन्त मालूम हो जाता है कि कौन कौन सी बातें फरीकन के बीच में तय हो चुकी हैं और उनकी वाबत मुकदमे बाजी नहीं हो सकती।

प्लीडिंग की वर्तमान दशा

प्लीडिंग की अनावट और तैयारी का ढंग, इस देश में कानूनी शिक्षा बहुत ऊँचे दर्जे पर पहुँच जाने और ज़ावता दीवानी में प्लीडिंग के नियम सम्मिलित

¹ Md. Vabiya v. Rahim Ali, A. I. R. 1929 Lah 165, 1945 Cal 218

² Per Jessel M. R. in Throp v. Holdsworth, (1876) 3 Ch. D. 637

³ Per Lord Halebury in Syed Mohd v. Fateh Mohd, 22 I. A. L. R. 22 Cal 224 (331) P. C.

हो जाने पर भी, शोचनीय और अधूरी दशा में है। सैकड़ों मुकदमों प्रति दिन ऐसे होते हैं जिनमें अनुचित या अधूरे प्लीडिंग से असली झगड़े का फ़ैसला नहीं होने पाता या उसका कोई विशेष भाग या भाव छूट जाता है जिससे अनावश्यक और बेकार मुकदमेवाजी पैदा हो जाती है। बहुत से कानूनी उच्च प्रगट होने से रह जाते हैं या उस समय में प्रगट किये जाते हैं जब उनके सुनने और तजवीज़ करने का समय नहीं रहता। कोई प्लीडिंग बहुत लम्बा और बहस से भरा हुआ होता है, किसी में अनावश्यक और बेमतलब का विस्तार होता है और असली और जरूरी उच्च नहीं दिये जाते या अधूरी तरह पर उनका सङ्केत मात्र होता है और उनके सम्बन्ध में जरूरी बातें नहीं लिखी जाती। लिखने का ढग और बयानात का सिलसिला भी नियमानुसार नहीं होता, यहाँ तक कि जो इनकार या स्वीकार एक दूसरे बयानों की बाबत किये जाते हैं वह भी उचित प्रकार से नहीं लिखे जाते¹।

बहुधा यह देखा गया है कि जब वकील लोग धारा ४१, सम्पत्ति परिवर्तन विधान² का उच्च करते हैं तो उसके सम्बन्ध में वे बातें नहीं लिखते जो उस दफे का आवश्यक भाग हैं और जिनके बिना वह दफा लागू नहीं होती। इसी तरह एस्टॉपिल (Estoppel—रोक बाद) का उच्च करते हुये दूसरे फ़रीक के उस बयान, फ़ैल (कार्य) या तर्क फ़ैल (चूक) का जिक्र नहीं किया जाता जिसको उस फ़रीक ने सच मान कर और जिस पर भरोसा करके काम किया हो। इसी प्रकार से अंगीकारी और ढील (Acquiescence and Laches) के मामले की बाबत भी वह चाक़ात पूरी तरह से बयान नहीं किये जाते जिनसे नालिश का हक़ समाप्त हुआ हो। पुरन्याय (Res judicata), जो मामूली और आम उच्च है, वह तक भी उचित प्रकार से नहीं लिया जाता। स्वीकृति या अंगीकारी (Ratification), निर्वाचन (Election), जुआ (Wager) इत्यादि के उच्च की बाबत भी यही हालत देखने में आती है, और यही दशा अन्य विधानों की विभिन्न धाराओं के विरोध पर होती है।

अनुभव में तो यहाँ तक आया है कि मुदायलह रूक्का या तमस्सुक की नालिश में सिर्फ़ झगड़े वाले व्यवहार से ही नहीं वरन् मुद्दई के साथ कोई लेन देन या सम्बन्ध होने से भी इनकार करता है परन्तु बयान तहरीरी जो उसकी ओर से दाखिल होता है उससे यह अभिप्राय प्रगट नहीं होता, सिर्फ़ झगड़े वाले मामले से ही इनकार पाया जाता है और इस कमी से मामले की रंगत पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। एक मुदायलह ऐसा है जिसने मुद्दई से वह कर्ज़ा जिसका दावा है नहीं लिया मगर और कर्ज़े लिये और दिये हैं, दूसरा मुदायलह ऐसा है कि जिसने न झगड़े वाला कर्ज़ा लिया और न किसी और कर्ज़े के लेने का उस को मुद्दई से सरोकार पड़ा। ऐसे मुदायलह की तरफ से केवल यह बयान तहरीरी

1 A I R. 1938 P. C 147; 1931 Cal 458

2 Transfer of Property Act

दाखिल करना कि मुद्दायलह ने भगड़े वाला कर्ज नही लिया और न भगड़े वाला तमस्सुक लिखा, कितना अन्तर डाल सकता है।

बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक फरीक के विरुद्ध जाती हैं और वह फरीक उनको जान बूझ कर अपने प्लीडिंग में नहीं लिखता और बहुत से महाशय इस प्रकार की कार्यवाही को एक प्रकार की बुद्धिमानी समझते हैं। परन्तु जब वे बातें दूसरे और के प्लीडिंग में आती हैं तो छिपाने वाले फरीक पर अदालत को धोका और भाँसा देने का सन्देह होता है और बहुधा करके अदालत का विश्वास उसकी ओर से हट जाता है और फिर उसका ठीक से जवाब देना असंभव हो जाता है और मुकदमें में दोष उत्पन्न हो जाता है। सारांश यह है कि बहुत सी कमी ऐसी हैं जिनका प्लीडिंग के ठीक और नियमानुसार तैय्यार करने के लिये दूर होना जरूरी है, और बहुत सा विस्तार और वे मतलब का बढ़ाव ऐसा है जिसका बंद करना आवश्यक है। प्लीडिंग के रूप और उसकी प्रणाली को ठीक करने की भी आवश्यकता है।

अब तक त्रुटियाँ दूर न होने के कारण

पश्चिमी प्लीडिंग के नियमों के जानने वाले वैरिस्टर, और एडवोकेट प्रायः हाईकोर्टों में काम करते हैं जहाँ पर नम्बरी (इबतदाई) मुकदमे नहीं सुने जाते और न फैसल होते हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के हाईकोर्टों में, जहाँ कुछ नम्बरी मुकदमें सुने जाते हैं, प्लीडिंग अंग्रेजी में दाखिल होती है और नियमानुसार होती हैं। इन प्रान्तों में प्रायः ६६ प्रतिशत मुकदमे मुफसिल की अदालतों में फैसल होते हैं जो उर्दू या उस प्रान्त की भाषा में निर्माण होते हैं और उनको वह लोग तैय्यार करने हैं जिनको पुराने ढंग की आदत पड़ी हुई है और जिनके लिये पुरानी आदत छोड़ना और नई जानकारी प्राप्त करके उसको काम में लाना कठिन होता है।

नये वकील महाशय जो पेशे में दाखिल होते हैं उनकी शिक्षा अंग्रेजी में होती है। उनको प्रान्त की भाषा से जिनमें प्लीडिंग दाखिल होते हैं, न अनुराग होता है और न उसमें उनको उचित योग्यता लिखने पढ़ने की और बयान मुकदमा अच्छी तरह शुद्धता के साथ तैय्यार करने की होती है। शब्दों का उल्था करने और मजमून बनाने में उनको तरह तरह की कठिनाइयाँ पड़ती हैं और उनके सुभीते और सहारे के लिये कोई ऐसी पुस्तक नहीं थी जिससे वह आवश्यकता के समय सहायता ले सकें। कुछ थोड़े से नमूने जो ज़ाव्ता दीवानी की परिशिष्ट में दिये हुये हैं वे साधारण मामलों से सम्बन्ध रखते हैं, जो टेढ़े और गूढ़ मामले प्रत्यक्ष होते हैं उनके लिये उन नमूनों से प्लीडिंग तैय्यार करने में बहुत कम सहायता मिलती है।

इस किताब का प्रयोजन

नये वकीलों को वकालत आरम्भ करने पर प्लीडिंग की इस अधूरी दशा, में

बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसके सिवाय सर्वसाधारण की जानकारी और शिक्षा के लिये भी आवश्यक है कि प्लोडिंग की तैयारी और उसके नियमों पर कोई माननीय पुस्तक हो। यह पुस्तक इसी आवश्यकता की पूर्ति करने के विचार से लिखी गई थी। आशा है कि जिनके लिये यह परिश्रम किया गया है वह उससे लाभ उठायेगे।

पुस्तक की स्कीम

पुस्तक दो भागों में विभाजित है—प्रथम भाग में अर्जीदावा, जवाबदावा, भिन्न भिन्न प्रकार की दरखास्तें इत्यादि लिखने के नियम व्याख्या सहित दिये गये हैं और द्वितीय भाग में प्रत्येक प्रकार के अर्जीदावा, बयान तहरीरी और दरखास्तों के नमूने दिये गये हैं।

प्रथम भाग के प्रथम अध्याय में प्लोडिंग के साधारण नियमों का, जो ज्वाब्ता दीवानी संग्रह के आर्डर ६ में दिये हुये हैं, व्याख्या सहित उल्लेख किया गया है। द्वितीय अध्याय में अर्जीदावा के विषय में आर्डर ७ में दिये हुए विशेष नियमों की समालोचना सहित दिया गया है और अर्जीदावा लिखने के लिये आवश्यक आदेश और उनके सम्बन्ध में उपयोगी अन्य बातें लिखी गयीं हैं। इसी प्रकार तृतीय अध्याय में बयान तहरीरी या जवाबदावा लिखने के नियम (जो आर्डर ८ में दिये हुए हैं) आवश्यक व्याख्या व समालोचना सहित लिखे गये हैं। इस भाग के चतुर्थ अध्याय में दरखास्त, बयान हलफी और याददाश्त अपील लिखने के नियम दिये गये हैं।

द्वितीय भाग में हर प्रकार के अर्जीदावे, बयान तहरीरी और दरखास्तों के भिन्न भिन्न प्रकार के नमूने दिये गये हैं। इस भाग के भिन्न भिन्न प्रकरण ज्वाब्ता दीवानी संग्रह में दिये हुए नमूनों के विचार से नियत किये गये हैं क्योंकि साधारण नालिशें प्रायः दो प्रकार की होती हैं, (१) जो प्रतिज्ञा पर निर्भर हो (Based on Contract) और (२) जो किसी प्रतिज्ञा पर निर्भर न हो (Based on Tort etc)। इनके अतिरिक्त अचल सम्पत्ति के सम्बन्धित नालिशें पृथक होती हैं। भिन्न भिन्न विषयों के प्रबन्ध में यह भी ध्यान रखा गया है कि इस कला में प्रविष्ट होने वाला भी सरलता और सुगमता से अपने कार्य में निपुण हो सके।

द्वितीय भाग के अन्त में साधारण प्रार्थना-पत्रों के अतिरिक्त, जो ज्वाब्ता दीवानी संग्रह के विभिन्न धाराओं के अन्तरगत दी जाती हैं—शपथ-पत्र (बयान हलफी), अपील-पत्र (मूजबात अपील) और विशेष दरखास्तों के नमूने जो अन्य विधानों पर आधारित हैं जैसे, संरक्षक को नियत करने और हटाने के लिये, या अवयस्क की सम्पत्ति परिवर्तन के लिये उत्तराधिकार के सर्टीफिकेट या

¹ (Under the Guardians and Wards Act, VIII of 1890)

निष्ठापत्र के प्रोवेट के लिये¹, रहन का रुपया जमा करने के लिये² और देवालिया करार दिये जाने के लिये)³, के नमूने भी दिये गये हैं। इस भाग से नये वकील और मुहरिगों को विशेष रूप से और मुख्तार व कारिन्दों को साधारण रूप से सहायता मिलेगी।

1 (Under the Indian Succession Act, XXXIX of 1925)

2 (Under the Transfer of Property Act, IV of 1822)

3 (Under the Insolvency Act, V of 1920)

प्रथम भाग

प्रथम अध्याय

प्लीडिङ्ग के साधारण नियम

सन् १९०८ ई० के पहले ज्ञावता दीवानी में प्लीडिङ्ग के कोई नियम नहीं थे। एक्ट नं० ५ सन् १९०८ ई० की ज्ञावता दीवानी में, जो आजकल भी प्रचलित है, कानून बनाने वालों ने प्रथम बार ऐसे नियमों को सम्मिलित किया और उनका एक पृथक आर्डर, नम्बर ६, नियत किया। इस आर्डर में एकत्रित किये हुए नियम प्लीडिङ्ग की उस प्रणाली पर बने हुए हैं जो इङ्ग्लैण्ड में जूडिकेचर एक्ट (Judicature Act) से प्रचलित हुए और जो दीवानी के मुकदमों के लिये प्लीडिङ्ग की सबसे अच्छी प्रणाली समझी जाती है।

प्लीडिङ्ग के साधारण नियम ज्ञावता दीवानी के आर्डर ६ नियम नं० २, ४, ६, ८ से १३ तक में दिये हुए हैं (Order VI Rules 2, 4, 6, 8 to 13 Civil Procedure Code)। इस आर्डर के दूसरे नियम भी प्लीडिङ्ग की तैयारी से सम्बन्ध रखते हैं इसलिये सुविधा के लिये इस अध्याय में आर्डर ६ के कुल नियमों को आवश्यक व्याख्या सहित दे दिया गया है जिससे अर्जीदावा या बयान तहरीरी लिखने वाला प्लीडिङ्ग के सिद्धान्तों को भली भाँति समझ सके और उसको प्लीडिङ्ग की तैयारी में उचित सहायता मिल सके।

नियम नं० १ (Order. VI. Rule 1, C. P. C)

प्लीडिङ्ग से अभिप्राय अर्जीदावा या बयान तहरीरी से होगा।

प्लीडिङ्ग के आशय के विषय में पहिले लिखा जा चुका है। प्लीडिङ्ग से प्रायः अभिप्राय अर्जीदावा या बयान तहरीरी से होता है, क्योंकि जो कुछ एतराज़ या बयान फरीक़ैन तनकीह होने से पहिले करते हैं वे इन्हीं दोनों का भाग समझे जाते हैं। सिद्धान्त से मुद्दई का कुल मुक़दमा अर्जीदावा में, और मुदायलेह का कुल मुक़दमा बयान तहरीरी में होना चाहिये।

पहली प्रणाली यह थी कि मुद्दई के अर्जीदावा के जबाब में मुदायलेह की ओर से बयान तहरीरी दाखिल होती थी और मुद्दई उसका जबाब दाखिल करता था और मुदायलेह उस जबाब का भी प्रतिउत्तर दाखिल कर सकता था। कभी कभी इसके बाद भी फरीक़ैन एक दूसरे के प्लीडिङ्ग का जबाब दाखिल करते थे और यह शृङ्खला चलती रहती थी। धीरे धीरे इसमें कमी होती गयी और वर्त्तमान संग्रह के अनुसार प्रायः मुद्दई की ओर से अर्जीदावा और मुदायलेह की ओर से जबाब दावा ही दाखिल करने की प्रथा रह गई है। परन्तु निम्नलिखित अवस्थाओं में दोनों पक्ष अर्जीदावा व जबाब दावा दाखिल हो जाने के बाद भी अदालत के सामने अतिरिक्त बयान तहरीरी पेश कर सकते हैं,—

(१) नियम नं० ५ के अनुसार यदि अदालत स्वयं, एक अतिरिक्त और उत्तम बयान अर्जीदावा या जवाब दावे का या प्लीडिंग में लिखी हुई किसी विशेष घटना के निम्नत आवश्यक समझे तो किसी पक्ष को ऐसा बयान दाखिल करने की आज्ञा दे और उस पक्ष को आज्ञा का पालन करना होता है ।

(२) नियम नं० १६ के अनुसार अदालत किसी फरीक को आज्ञा दे सकती है कि वह अपनी प्लीडिंग को बदल देवे या उसको सही कर देवे और ऐसी सब शुद्धियाँ उचित होती हैं जो कि फरीकैन के अश्ली भगड़े को निपटाने के लिये आवश्यक हों ।

(३) जब अदालत मुकदमें की पहली पेशी पर अर्जीदावा और बयान तहरीरी को पढ़ती है और मुकदमें के हालात जानने के लिये फरीकैन या उनके पैरोकारों से मुकदमे के वाक्यात पूछती है और आर्डर १० नियम २ के अनुसार यह बयान लिखे जाते हैं । यह कुल बयान भी प्लीडिंग के भाग समझे जाते हैं ।

वर्तमान संग्रह के अनुसार अर्जीदावा और बयान तहरीरी के दाखिल हो जाने के बाद यही तीन परिस्थिति हैं जिनसे प्लीडिंग की वृद्धि की जा सकती है और प्रत्येक पक्ष का मुकदमा इन पर आधारित होता है और मुकदमे की अन्तिम अवस्था तक उन बयानों की सहायता ली जा सकती है ।

ध्यान रहे कि मुफलिसी की दरखास्त जब तक मंजूर न हो जावे प्लीडिंग या बयान मुकदमा नहीं कही जा सकती, मंजूर हो जाने पर वह अर्जीदावा बन जाती है^१ इसी तरह एक वकील का बयान^२ या दरखास्त इजराय डिगरी^३ प्लीडिंग का भाग नहीं होती ।

नियम नं० २ (Or. VI, Rule 2)

प्लीडिंग में केवल एक संक्षिप्त बयान उन वाक्यात तत्व मुकदमा का लिखा जावेगा जिन पर किसी फरीक को अपना दावा या जवाब दही करना मंजूर है लेकिन कोई सबूत जिससे वह व घटनाएँ प्रमाणित की जावें नहीं लिखे जायेंगे । हर प्लीडिंग में नम्बरवार प्रकरण लिखे जावेंगे, और तारीख और रकमे और नम्बर अङ्को में लिखे जावेंगे ।

यह नियम सब से आवश्यक व महत्वपूर्ण है और इसमें प्लीडिंग के असली सिद्धान्त सक्षिप्त रूप में लिख दिये गये हैं । ध्यान से पढ़ने से पता लगता है कि इस नियम में नीचे लिखी हुई मुख्य बातें हैं ।

- (१) प्लीडिंग में वाक्यात या घटनाएँ लिखी जावे ।
- (२) वह वाक्यात तत्व मुकदमा या मुकदमें का आधार हों ।
- (३) और केवल ऐसे वाक्यात ही लिखे जावें ।

^१ A I R. 1914 Mad 256 (258) ; 1932 Lah 548

^२ A I R. 1923 Oudh 204 at page 206

^३ A I R 1916 Pat 39 (41)

- (४) उनका एक संक्षिप्त बयान हो ।
 (५) कोई सबूत जिससे वह वाक्यात साबित किये जावें न लिखा जावे ।
 (६) लिखने का ढंग स्या हो ।

जैसा नियम नं० १ में कहा गया है मुद्दई अपनी शिकायत अर्जीदावे में लिखता है और मुद्दायलेह उसका उत्तर अपने जवाब दावे में लिखकर अदालत के सामने पेश करता है । उन दोनों को चाहिये कि जो घटनाएँ शिकायत और उसके उत्तर में आवश्यक हों उनको अपनी अपनी प्लीडिंग में लिखें जिससे अदालत जान सके कि फरीक्रीन में किन बातों पर झगड़ा है और वह कैसे पैदा हुआ । मुद्दई को चाहिये कि वह कुल बातें लिखे जिनसे उसका हक और कब्जा भगड़े वाली चल या अचल सम्पत्ति के निस्बत में प्रगट हो और वे बातें भी लिखी जावें जिनसे मुद्दायलेह का मुद्दई के स्वत्व और अधिकार में हस्तक्षेप करना प्रगट हो । कानूनी शब्दों में ऐसी कुल घटनाएँ मुद्दई का स्वत्व उत्पन्न करने वाले वाक्यात कहलाते हैं और उनसे मुद्दई का मुकदमा प्रगट व स्पष्ट हो जाता है और मुद्दायलेह जान लेता है कि उसको किन किन बातों का जवाब देना है ।

इसी प्रकार मुद्दायलेह को अपने जवाब में वह कुल घटनाएँ लिखनी चाहिये जो मुद्दई के लिखे हुए वाक्यात को स्वीकार करें या उनसे इनकार करती हों और वह बातें भी लिखनी चाहिये जिनके कारण मुद्दायलेह ने वह कार्य किया या नहीं किया है जिसकी मुद्दई ने शिकायत की । इसके अतिरिक्त यदि मुद्दायलेह को मुद्दई के हक से इनकार हो या उसका हक मुद्दई से प्रथम हो तो वह वाक्यात भी लिखे जावे जिनसे यह प्रगट होता हो । अभिप्राय यह है कि दोनों पक्ष वह कुल बातें अपनी अपनी प्लीडिंग में लिखें जो उनकी सफलता के लिये और अदालत की जानकारी के लिये आवश्यक हों ।

(१) प्लीडिंग में वाक्यात हों

प्लीडिंग वाक्यात लिखने के लिये होती है और उस में वाक्यात ही लिखे जाना चाहिये न कि कानून जो उन वाक्यात से लागू हो या जो कानूनी अधिकार किसी फरीक्री को उन वाक्यात से पैदा होते हों । यह दोनों बातें लिखना ऐसी भूल है जो प्रायः बहुत पाई जाती हैं । साबित हुये वाक्यात पर कानून लगाना जज का काम है न कि फरीक्री मुकदमा का ।¹

फरीक्री मुकदमा का काम है कि वह भगड़ा वाले मामले के सम्बन्ध में जो कुछ वाक्यात हों, तारीखवार और ठीक ठीक बयान करे उनसे क्या अधिकार या ज़ुम्मेदारी किसी पक्ष की पैदा होती है वह अदालत के तजवीज़ करने का काम है । विना उन

¹ A I R 1943—Mad 190, 1930 B 511

घटनाएँ के बयान किये हुये कि जिनसे कानूनी अधिकार या ज़ुम्मेदारी पैदा होती हो, केवल अधिकार या ज़ुम्मेदारी को प्लीडिंग में बयान कर देना अनुचित होता है।¹

उदाहरणः—रास्ता रोकने के मुकदमे में केवल यह लिखना कि मुद्दई को अधिकार हक़ आसायश (सुगमता का अधिकार) रास्ता का मुदायलेह की ज़मीन पर, जो मकान मुद्दई के सामने पड़ी हुई है, हासिल है प्लीडिंग के सिद्धान्त के विरुद्ध है। मुमकिन है कि हक़ आसायश किसी (अतिया) दान से मिला हो या बटवारे ज़ायदाद से, या लगातार बीस साल तक उन दशाश्रों में उस अधिकार को काम में लाने से प्राप्त हुआ हो जो कानून हक़ आसायश एक्ट नं० ५ सन् १८८१ की धारा १५ में लिखी हैं। इसलिये जब तक वह वाक्यात न लिखे जावें जिन की वजह से कानूनी विचार से वह अधिकार पैदा हो गया है केवल ऐसे अधिकार का लिख देना नियम के विरुद्ध है।

इसी प्रकार विरासत (दाय) के मुकदमों में बिना पीढ़ी या शाखावली व मृत्यु क्रम (मरने का सिलसिला) लिखे हुये अपने को वारिस जाइज़ (शाखाधिकारी) बयान करना, या मन्सूखी दस्तावेज़ (पत्र को खण्डित कराने) के मुकदमे में बिना उन घटनाश्रों को लिखे हुये कि जिनसे मन्सूख कराने का अधिकार पैदा होता हो, अपने आप को ऐसी मन्सूखी का अधिकारी बयान करना, या नालिश में बिना ज़रूरी वाक्यात बयान किये हुये अपने आप को दखल का अधिकारी बतलाना और मुदायलेह का क़ब्ज़ा अनधिकारयुक्त बतलाना, प्लीडिंग के नियमानुसार नहीं है।

यदि मुदायलेह अपने किसी कानूनी अधिकार पर भरोसा करे जो वाक्यात से पैदा होता हो तो उसको चाहिये कि वह उन वाक्यात को अपने प्लीडिंग में लिखे न कि केवल कानूनी अधिकार को।

उदाहरण—किसी प्रतिज्ञा पूरा कराने के दावे में मुदायलेह की ओर से केवल यह उभ्र करना कि मुआहिदा मन्सूख हो चुका है या तमादी में आ गया, काफी नहीं है। उसको वह वाक्यात लिखना चाहिये कि जिनके द्वारा या जिस प्रकार से उस मुआहिदा को फरीक़ीन ने रद्द या मन्सूख कर दिया हो या कानूनी विचार से उस मुआहिदे का फ़िहक़ होना समझा जावे, या उस के पूरा कराने में तमादी की रोक पैदा हो गई हो।

प्लीडिंग का यह एक प्रारम्भिक सिद्धान्त है कि कोई पक्ष उन बातों को अपनी प्लीडिंग में न लिखे जिनको कानून उसके हक़ में मंज़ूर करता है या जिनके साबित करने का भार दूसरे पक्ष पर होता है जब तक कि उन बातों से विशेष रूप में इन्कार न किया गया हो (Order VI, Rule 13, C P. C) जैसे किसी हुन्डी या रुक्के के मुआवज़ा देने का इन्दराज़ ज़रूरी नहीं होता (Sec. 118 Negotiable Instrument- Act, 26 of 1881 ; 1943 Nag L J. p. 148) या जहाँ

¹ A I R 1943 P C 147 , I L R 12, Luck 279 , A I R 1940, Nag 228

पर मुद्दई ज़मीन पर काबिज़ हो और किसी अन्य अधिकारयुक्त पुरुष ने उसको बेदखल कर दिया हो तो मुद्दई को अपनी मिल्कियत दिखाना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि अनधिकार पुरुष के विरुद्ध क़ानून अधिकार-युक्त पुरुष का कब्ज़ा मान ही लेता है ।¹

उदाहरण :—इमारत गिरवाने के दावे में अगर मुद्दायलेह को रोक बाद (इस्टॉपेल Estoppel) का उज्र हो तो उसको कहना चाहिये कि वह ज़मीन जिस पर भगड़े वाली इमारत बनाई गई, वह अपनी मिल्कियत समझता था, और इसी विश्वास पर वह नेकनियती से इतने समय तक इमारत बनाता रहा और इतनी लागत की इमारत बना ली, इस बीच में मुद्दई स्वयं या उसका अधिकार युक्त मुख्तियार, कभी कभी या बराबर उसको देखता रहा और कभी कोई रोक नहीं की, और अपने तर्क फेल (कार्य न करने) से मुद्दायलेह को विश्वास दिलाया या विश्वास करने का अवसर दिया कि वह ज़मीन जिस पर इमारत बनाई जा रही थी, उसी की मिल्कियत है । यदि कोई दावा किसी विशेष या स्थानीय क़ानून की किसी धारा से न चल सकता हो या किसी विशेष अदालत में दायर न किया जा सकता हो तो वे सब बातें और घटनाएँ मुद्दायलेह को अपने जबाब में लिखना चाहिये जिससे वह विशेष धारा लागू होती हो ।

उदाहरण :—यदि काश्तकारी से वेदखली का दावा अदालत दीवानी में दायर किया गया हो तो मुद्दायलेह को वह वाक्यात लिखने चाहिये जिनसे यह प्रगट हो कि फरी-क़ैन में काश्तकार और ज़िम्मीदार का सम्बन्ध है या कि मुद्दायलेह किसी ठीका या पट्टे से मुद्दई की ओर से उस भूमि पर काबिज़ हुआ ।

इस सम्बन्ध में यहाँ पर और उदाहरण देना आवश्यक नहीं हैं । इस किताब में आगे नमूने दिये जावेंगे जिनको ध्यान से पढ़ने से पता लगेगा कि प्लीडिंग में किस तरह क़ानून लिखने से दबाव किया जाता है और कौन वाक्यात प्लीडिंग में लिखे जाते हैं । इस आदेश के विरुद्ध एक बचाव है जो नमूनों में उचित स्थान पर काम में लाया गया है वह यह है कि वाक्यता नफ़से मुकदमा बयान करते हुये अगर वाक्यात की दुरुस्ती व संक्षेप के ध्यान से क़ानून का हवाला दे दिया जावे तो हर्ज नहीं है । इसका कारण यह है कि कभी ऐसा करने से सुभीता ही जाता है और उससे वाक्यात का बयान समझ में अच्छी तरह आ जाता है और घटनाओं का सम्बन्ध एक दूसरे से मालूम हो जाता है । ब्रिटिश इंडिया में जहाँ करीब करीब सारा क़ानून ज़ाप्ता की शकल में है बहुधा उचित स्थान पर भिन्न भिन्न ऐक्ट का हवाला व उनकी मुख्य धारा देना भी ज़रूरी हो जाता है और उससे प्लीडिंग परमित और जल्द समझ में आ जाने योग्य हो जाती है । परन्तु उसके साथ इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कुल वाक्यात नफ़से मुकदमा (तत्व के) लिखे जावे और अगर उनके साथ दुरुस्ती बयान या उपर लिखे किसी और प्रर्थ के लिए किसी ऐक्ट की मुख्य दफ़ा का हवाला दिया जावे तो अनुचित नहीं ।

उदाहरण :—ज़ायदाद के दखल के दावे में जो एक ऐसे खरीदार के विरुद्ध हो, जिन्हने उसको दूसरे ने मोल लिया हो, और ज़ायदाद बेचने वाले को मुद्दई अनाधिकारी

बयान करे। अगर मुदायलेह उस दावा में यह उज़र करे कि उसके बेचने वाला ज़ाहरी मालिक, ज़ायदाद के असल मालिकों की रज़ामन्दी से था और मुदायलेह ने उस ज़ायदाद को मूल्य देकर, नेकनीयती से, उचित सावधानी के साथ, यह निश्चय करने के पीछे अपने हक में इन्तक़ाल कराया कि उसके इन्तक़ाल करने वाले को इन्तक़ाल करने का अधिकार था और इन घटनाओं का वर्णन करते हुये यह लिख देवे कि धारा ४१ क़ानून इन्तक़ाल ज़ायदाद (Transfer of Property Act) के अनुसार दावा क़ाबिल चलने के नहीं है, या यह धारा इस दावे को रोकती है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि ऊपर लिखा अंतिम भाग अनावश्यक है, मगर उससे असली मतलब तुरन्त समझ में आ जाता है।

धारा ४२ क़ानून दादरसी ख़ास (Specific Relief Act) व धारा ११५ क़ानून शहादत (Evidence Act) व दफ़ा ११ ज़ाबता दीवानी (Civil Procedure Code) के आक्षेप भी इसी तरह के हैं जो बहुधा अनुचित प्रकार से लिखे जाते हैं। उनके सम्बन्ध में तत्व के वाक़यात ज़रूर लिखना चाहिये और उन वाक़यात में अगर क़ानून का हवाला भी लिख दिया जावे तो अनुचित नहीं है।

इसी सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की यह है कि प्लीडिंग में क़ानून लिखना मना है, न कि क़ानून के एतराज इन दोनों का अन्तर हमेशा निगाह में रखना चाहिये। किसी फरीक़ के लिये अर्जीदावा या बयान तहरीरी के सिवा और कोई प्लीडिंग नहीं होती, जिसमें वह क़ानूनी आक्षेप दूसरे फरीक़ के दावा या जवाबदही के मद्दे पेश कर सके। और सिद्धान्त से भी हर फरीक़ का मुक़दमा उसकी प्लीडिंग में होना चाहिये। इसलिये हर एक फरीक़ का कर्तव्य है कि वह अपने सब क़ानूनी उज़र प्लीडिंग में लिखे।

क़ानूनी उज़र दो प्रकार के होते हैं।

(१) वह जो फ़रीक़ैन के माने हुये वाक़यात पर किये जा सकते हैं।

(२) वह जिनके लिये एक फरीक़ अतिरिक्त वाक़यात बयान करके उन उज़रात क़ानूनी को पैदा करता है।

उदाहरण नं० १—किसी दावा में मुद्दई एक वंशावली बयान करे और उसकी रिश्तेदारी के आधार पर अपने को मुदायलेह के मुक़ाबले में उत्तम अधिकारी हिन्दू धर्म शास्त्र मिताक्षर के अनुसार बयान करे। उसके उत्तर में मुदायलेह पहिले यह कह सकता है कि उस धर्म शास्त्र के अनुसार मुद्दई मुदायलेह के मुक़ाबले में उत्तम अधिकारी नहीं है, या दोनों समान अधिकारी हैं, या मुदायलेह मुद्दई से उत्तम अधिकारी है। दूसरे मुदायलेह यह कह सकता है कि फरीक़ैन पर मिताक्षर शास्त्र माननीय नहीं है, किन्तु दायभाग धर्म-शास्त्र माननीय है, और उससे मुद्दई अधिकारी बिलकुल नहीं है, या उत्तम अधिकारी नहीं है, या दोनों समान अधिकारी हैं।

दूसरी दशा में मुद्दायलेह को यह नया वाक्या बयान करना पड़ा कि फरीक़ैन पर धर्म-शास्त्र दाय भाग माननीय है और मुद्दई के बयान को इस बारे में काट करना पड़ा ।

उदाहरण नं० २—एक व्यापारी जिसने दूसरे व्यापारी को माल पहुँचाया हो, और माल के मूल्य का दावा अपने रहने की जगह की अदालत में दायर करे और मुद्दायलेह का यह उज़्र हो कि उस अदालत को मुक़दमा सुनने का अधिकार नहीं है । इस दशा में मुद्दायलेह मुद्दई के बयान किये हुये वाक्यात को मानते हुये यह कह सकता है कि उन वाक्यात से मुद्दई को दावा करने का अधिकार मुद्दई के निवास स्थान पर पैदा नहीं हुआ । और दूसरी दशा में वह मुआहिदा ठहरने या कीमत देने या माल संभालने की जगह की निसबत नये वाक्यात बयान करते हुए यह उज़्र कर सकता है कि अगर मुद्दई को दावा करने का अधिकार पैदा हुआ तो अन्य स्थान पर और मुद्दई के रहने की जगह पर पैदा नहीं हुआ ।

पक्षों की स्वीकृत घटनाओं पर कभी यह उज़्र भी पैदा हो जाता है कि विवादास्पद कारण उत्पन्न होने का स्थान उस अदालत की अधिकार सीमा के अन्दर नहीं है ।

तमादी (Limitation) का उज़्र भी ऐसा क़ानूनी उज़्र है कि जिसके लिये बहुधा नये वाक्यात बयान करने की कम ज़रूरत होती है और क़ानून तमादी की परिशिष्ट की धारा या किसी मुक़ामी या खास क़ानून के हवाले से उज़्र लिख दिया जाता है कि दावा में तमादी लगती है, परन्तु कभी कभी इस बात से कि क़ब्ज़ा किस प्रकार से था और तमादी कब से शुरू हुई और मुद्दत क्या थी और वह बढ़ी या नहीं, बहुत से झगड़े पैदा हो जाते हैं, ऐसी सूक्तों में फरीक़ैन को वाक्यात बयान करना होते हैं कि जिनसे उनका दावा या अधिकार उस मियाद से बचता हो । अगर मुद्दई का दावा क़ानून मियाद की किसी धारा से तमादी में आता हो तो उसके लिखना पड़ता है, कि वह कैसे तमादी से बचता है । (आर्डर • क़ायदा ६ ज़ान्ता दीवानी) ।

किसी मुआहिदा का जुधा या पब्लिक पालसी (Public Policy) के खिलाफ इत्यादि होने के आधार पर व्यवहार न चलने योग्य होने का, या किसी दावा का किसी क़ानून के अनुसार साधारण या किसी खास अदालत में वर्जित होना आदि भी क़ानूनी अवरोध हैं, जो कि आवश्यकतानुसार माने हुये वाक्यात पर या नये वाक्यात बयान करके किये जाते हैं और उनको उचित रीति से प्लीडिंग में लिखना चाहिये ।

अगर किसी फरीक़ को किसी कुलाचार या देशाचार या तिलारती मज़हबी या क़ौमी रिवाज़ पर भरोसा करना हो, तो वह भी प्लीडिंग में लिखना ज़रूरी है, इस कारण कि यद्यपि रिवाज़ क़ानून के मुक़ाबले में प्रचलित किया जाता है परन्तु वह क़ानून के समान नहीं होता, कि जिसका अदालत क़ानून शहादत की पूछ

धारा^१ के अनुसार स्वयं नोटिस ले सके, और न अदालत से यह आशा की जा सकती है कि वह सब सब लोगों के भिन्न भिन्न रिवाजों से परिचित हो। इसलिये रीति या रिवाज वाक्यात तत्व मुकदमा की तरह पर प्लीडिंग में लिखना चाहिये और उस के सब अंग और प्रसंग भी लिखना चाहिये।

यदि कोई फरीक कानून संयुक्त इंडिया के सिवाय अपने ऊपर या दूसरे फरीक के ऊपर किसी दूसरे कानून को माननीय बयान करता हो, और उसके कारण फरीक के कानूनी अधिकार जो संयुक्त इंडिया में विधान के अनुसार होते हो उन पर असर पड़ता हो तो उसको वह कानून भी अपने प्लीडिंग में लिखना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार का उज्र भी कानूनी उज्र के समान है, और अदालत उसको कानूनी उज्र के समान निर्णय व निश्चय करेगी।

संयुक्त इंडिया के बाहर की अदालतों की तजवीज़ दफा १३ व १४ ज्ञान्ना दीवानी के अनुसार संयुक्त इंडिया की अदालतों में प्रायः सीमित रीति मानी जाती है, जो उन धाराओं में लिखी है इस लिये वह वाक्यात जिनसे वह प्रचलित होने योग्य या अयोग्य होती हो, लिखना चाहिये।^२

२—वह घटनाएँ मुकदमे का तत्व हों

इसका मतलब है कि प्लीडिंग में जो तत्व की बातें हों, यानी वाक्यात नफ्से मुकदमा लिखे जावें और जो तत्व मुकदमा न हों न लिखे जावें। 'वाक्यात नफ्से मुकदमा' वह वाक्यात होते हैं जो मुद्दई या मुद्दायलेह को किसी मुकदमा में अदालत का फैसला अपने हक में कराने के लिये बयान व साबित करना ज़रूरी हों या कि दूसरे शब्दों में 'वाक्यात नफ्से मुकदमा' से उन सब आवश्यक घटनाओं से अभिप्राय है जो किसी पक्ष को अदालत की तजवीज़ अपने अनकूल कराने के लिये बयान और साबित करना आवश्यक हो।^३

उदाहरण १—रूपये के सादे दावा में मुद्दई का यह बयान कि मुद्दायलेह ने अमुक तारीख में इतने रुपये मुद्दई से उधार लिये, जो उसने अदा नहीं किये, वाक्यात नफ्से मुकदमा है। परन्तु यदि इसी के साथ मुद्दई यह भी बयान करे कि मुद्दायलेह बेईमान है, और बेइमानी से मुद्दई का कर्ज़ अदा करना नहीं चाहता; यह बात वाक्यात नफ्से मुकदमा नहीं है और इसको न लिखना चाहिये।

२—विवाह सम्बन्धी अधिकारों की पूर्ती के मुकदमों में, दोनों पक्षों में विवाह या निकाह का होना, और स्त्री पुरुष के समान रहना और दूसरे पक्ष का उन अधिकारों को

^१ S e 58, Evidence Act

^२ S e Sections 13 & 14 Civil Procedure Code

^३ 1 Q B 554, A I R 1916 Cal 658, 1934 All 11, 1917 Oudh 1917, 1938 P C 121 (Sind)

पूरा करने से बचना, 'वाक्यात नफ्से मुक़दमा' हैं।¹ बहुत से क़िस्से और कहानी जो उनके मेल के समय की हों वे वेज़ररी होती हैं जब तक कि ऐसे वाक्यात किसी दूसरे कारण से नफ्से मुक़दमा न हों, जैसे कि विवाह से इनकार करने की दशा में सन्तान का पैदा होना।

दखल के दावा में वह वाक्यात जिनसे मुद्दई के मालिक होना, या बेदखली का अधिकारी होना, प्रगट हो, तत्त्व मुक़दमा होते हैं।² इसी प्रकार रहन की नालिशों में जहाँ पर नीलाम या बयबात की प्रार्थना हो वहाँ, रहन की तारीख़, रहन कर्त्ता व रहन गृहीता का नाम, कितना रुपया रहन पर दिया गया और सूद की दर, रहन की हुई जायदाद का विवरण और वह रहन-घन जो मुद्दई को मिलना चाहिये इत्यादि वाक्यात मुक़दमा के तत्व होते हैं। रहन छुटाने के दावे में इनके अतिरिक्त दोनों पक्षों की प्रतिशायें जो कब्ज़ा व इन्फ़काक के बावत नियत की गई हों और जिनसे मुद्दई को रहन छुटाने का अधिकार प्राप्त होता हो, वह भी लिखनी चाहिये।

प्रत्येक मुक़दमे में यह निश्चय करना कि कोई विशेष घटना तत्त्व मुक़दमा है या नहीं उस मुक़दमे के आकार-प्रकार पर निर्भर होता है, इसलिये इस विषय में कोई मुख्य नियम नियत नहीं किया जा सकता। बहुत सी घटनायें ऐसी होती हैं जिनके बारे में यह कहना कि वे इस व्यवहार की तत्त्व हैं या नहीं बहुधा कठिन होता है। कभी कभी झीझिल लिखने के समय, अनुभव में आया है, कि एक घटना अनावश्यक मालूम हुई परन्तु मुक़दमा चलने के पश्चात् उसका पूर्ण प्रभाव और उसकी आवश्यकता प्रतीत हुई यहाँ तक कि मुक़दमे का फैसला उसी घटना के रूप के अनुसार हुआ।

वाक्यात नफ्से मुक़दमा क़ायम करने में वकील को चाहिये कि अपने क़ानूनी योग्यता और अनुभव से काम ले और जितने वाक्यात उसको फ़रीक़ मुक़दमा और कागज़ों से मालूम हो उनसे मुक़दमा के प्रकार व झगड़े वाली बातों पर ध्यान रखते हुये, यह निश्चय करे कि कौन वाक्यात नफ्से मुक़दमा हो सकते हैं, उनको वह प्लीडिंग में लिख दे। यदि किसी घटना की बाबत यह संदेह हो कि वह तत्त्व मुक़दमा है या नहीं तो उनमें यह है कि उसको भी प्लीडिंग में लिख दिया जावे जिसमें आगे उसकी आवश्यकता प्रतीत होने पर प्लीडिंग ठीक कराने में कठिनता व कष्ट न उठाना पड़े।

जो नमूने इस पुस्तक में दिये गये हैं उनसे आशा है कि ऐसे अभ्यास करने में सहायता मिलेगी, परन्तु वकील को अधिक भरोसा अपनी क़ानूनी योग्यता, मेहनत व अनुभव पर करना चाहिये। देखने में आया है कि कुछ अनुभवों वकील भी वाक्यात तत्त्व मुक़दमा में और अन्य वाक्यात में जो तत्त्व मुक़दमा नहीं होते, बहुत कम पहिचान करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि उनके बनाये हुये प्लीडिंग, जहाँ तक कि अच्छी भाषा और क़मानुसार वाक्यात का सम्बन्ध है बड़े अच्छे और बोल चाल के शब्दों में होते हैं, परन्तु

¹ A I R 1921 Lah 291

² See Order VI, Rule 9, C P C, A I R 1916 Cal 513

ज़रूरी और वे ज़रूरी सब वाक्यात मिले हुये होते हैं, और कानूनन जिन बातों का उनके साथ क्रम से बयान करना ज़रूरी होता है बहुधा छूट जाती है। ऐसे प्लीडिंग अदालत खारिज कर सकती है या सशोधन (तरमीम) के लिये वापिस कर सकती है। नये वकीलों को शुरू की कठिनाई और उचित भाषा न जानने की कठिनाई इसके अतिरिक्त होती है। इसलिये उनको चाहिये कि वह इस बारे में विशेष परिश्रम और अभ्यास करें बिना इसके सफलता प्राप्त होने में बहुत समय लगता है और तब भी पूर्ण योग्यता प्राप्त नहीं होती है।

३—केवल घटनाएँ तत्व मुकदमा लिखी हों

प्लीडिंग में वाक्यात नफ्से मुकदमा के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिये। वे ज़रूरी बातें न लिखी जावे। किन्तु शोक से लिखना पड़ता पड़ता है कि इस सम्बन्ध में प्लीडिंग की वर्तमान दशा बड़ी शोचनीय है। एक फरीक का दूसरे फरीक को चालाक, बेईमान, धोका देने वाला लिख देना साधारण बात है।¹ और उसके साथ उसके गवाहों को अपना दुश्मन व उसके मेल वाले बयान करना भी साधारण ढंग समझा जाता है। यह अनुचित और निन्दनीय है। कोई आदमी बेईमान हो, परन्तु वह अपने कानूनी अधिकार पाने से इस कारण रोका नहीं जा सकता और न उन कानूनी अधिकारों से वर्जित रक्खा जा सकता है जो उसकी वर्णित घटनाओं से पैदा होते हैं। और न इस कारण से किसी दूसरे फरीक को कोई ऐसा कानूनी अधिकार पैदा हो सकता है, जो बयान किये हुये वाक्यात से उसको पैदा नहीं होता।

इसी प्रकार बहुत सी कहानी प्लीडिंग में लोग लिख देते हैं जिसका फरीकैन के अधिकार पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, और अनावश्यक विस्तार बढ़ जाता है।

उदाहरणः १—मुकदमे में यदि यह भगड़ा हो कि मुद्दई ने किसी मकान या गाँव में रहना छोड़ा या नहीं, और मुद्दई उसकी काट के लिये यह लिखे कि वह दो वर्ष तक अमुक गाँव में रहा, और वहाँ से तीन बार आकर एक एक महीना भगड़े वाले मकान में रहता रहा, और फिर दूसरे गाँव में डेढ़साल रहा, और वहाँ से दो दफा आकर भगड़े वाले मकान में ठहरा, फिर तीसरे गाँव में रहा, और भगड़े वाले मकान में ठहरने को आया। इस सब कहानी की जगह पर मुद्दई लिख सकता है कि उसने भगड़े वाले मकान या गाँव में रहना नहीं छोड़ा, लेकिन वह रोजगार के सम्बन्ध में इतने वर्ष बाहर रहा और समय समय पर गाँव में आता और भगड़े वाले मकान में रहता रहा।

२—मान हानि और अदावती भूठा पौज़दारी मुकदमा चलाने पर हरजे के मुकदमों में शुरू में लोग बहुधा लम्बी चौड़ी कहानी लिख देते हैं जो अनुचित होती है। हमेशा ज़रूरी और मुख्य घटनाएँ लिखना चाहिये।

¹ 88 W R 245, 3 Ben L R 12, 3 Ch D 376, 7 Ch D 473 Per Brand J
in S P Jain v Sheolutt, A I R 1946 All 213, 1946 A W R 354

इसका यह अर्थ नहीं है कि लीडिंग में आरम्भिक (Introductory) या तमहीदी बातें छोड़ दो जावे कि जिनसे पक्षों का आपसी सम्बन्ध या व्यवहार भली भाँति प्रगट न हो सके। बहुधा ऐसी बातें अर्जी दावा या जवाब दावा का आवश्यक अंग होती हैं और उनसे फरीकैन का झगड़ा आसानी से समझ में आ जाता है और कुल झगड़े पर प्रकाश पड़ता है।

उदाहरणः—(१) वही खाते के लेन देन की नालिश में अर्जी दावे में यह लिखना की प्रतिवादी व्यापार अमुक नाम से करते हैं और वादी का लेन देन का काम अमुक नाम से होता है, ऐसे प्रारम्भिक वाक्यात है कि जिनसे मालूम होता है कि दोनों फरीक के बहीखातों में रकमों का आना जाना किस नाम से लिखा होगा।

(२) इसी प्रकार माल की वापसी या उसकी क्रीमत की नालिश में यह बयान करना कि मुदायलेह के यहाँ विवाह या और महफिन की सजावट के लिये मुद्दई के यहाँ से उसने समान मगनी मँगाया था अनावश्यक घटना नहीं है।

वे घटनायें जिनसे प्रत्युपकार या हर्जे की सख्या घटाई या बढ़ाई जा सके दावे या जवाब दावे में लिखनी चाहिये।¹ इङ्गलैण्ड के विधानानुसार ऐसी घटनायें जिनसे हर्जे की सख्या कम हो सके जवाब दावे में नहीं लिखी जा सकती परन्तु अँगरेजी विधान की धारा ४ हमारे देश के दीवानी सग्रह में शामिल नहीं की गयी।² इसलिये यहाँ पर वे कुल घटनायें जिनसे विशेष हानि का होना प्रगट हो या हर्जे इत्यादि की सख्या में वृद्धि हो अर्जी दावे में लिखी जा सकती है और जिन घटनाओं से मुद्दई के माँगे हुए हर्जे की सख्या कम की जा सके वह जवाब दावे में लिखी जा सकती है। जहाँ पर ऐसी घटनायें लिखना आवश्यक हो वहाँ उनको तारीखवार विवरण सहित लिखना चाहिये।³ यदि सिर्फ साधारण हर्जे का दावा हो और विशेष हर्जाना न माँगा गया हो तो तफसील देने की आवश्यकता नहीं होती।⁴ किसी पक्ष को कोई घटना दूसरे पक्ष का उत्तर अनुमान करके पेशबन्दी के रूप में नहीं लिखना चाहिये।⁵

४—उनका एक संक्षिप्त बयान हो

लम्बा बयान लिखना एक ऐसा रोग है जो लीडिंग में प्रायः सब जगह मिलता है। और इसकी जुम्मेदारी वकील और जज दोनों की है। और दोनों ही के सहयोग और प्रयत्न से इसे छुटकारा हो सकता है।

तब घटनाओं के बयान करने में जहाँ तक हो सके संक्षिप्त और स्पष्ट भाषा प्रयोग की जावे, परन्तु इसके साथ यह ध्यान रक्खा जावे कि भाषा कम करने में घटनाओं का

¹ Millington v Loring, 6 Q B D 190

² Compare Order 21, Rule 4 English Supreme Court Rules See also Wood v Durham, 21 Q B D. 501 (507)

³ Retchiff v Evans, 2 Q B D

⁴ A I. R 1933 Nag 29

⁵ A I. R 1923 Lah 475

क्रम न जाता रहे । और उनका मतलब नष्ट न हो ।¹ यदि घटनाएँ ऐसी हैं जो विस्तार की हैं परन्तु तत्व की हों उनके झोडिंग में अवश्य लिखना चाहिये, परन्तु ऐसे ढंग पर कि बेज़रूरत विषय में बढ़ाव न करें ।²

सक्षिप्त में लिखना बहुत कुछ लिखने वाले की भाषा की योग्यता और समझ के ऊपर भी निर्भर है । इसलिये झोडिंग लिखने वाले को उस भाषा का जिसमें झोडिंग लिखा जावे पूर्ण ज्ञान होना चाहिये । ध्यान यह रखना चाहिये कि घटनाएँ उचित और निश्चित रूप में बयान की जावें, और जहाँ तक हो सके थोड़े शब्दों में । परन्तु पहले गुण के सक्षिप्तता पर न्योछावर न किया जावे ।³

घटनाओं के सक्षिप्तता से लिखना झोडिंग की विद्या का आवश्यक अंग है परन्तु शुद्धता और निश्चयता का ध्यान रखते हुए घटनाओं के सक्षिप्त किया जावे । जहाँ तक हो ऐसे शब्द या वाक्य प्रयोग में न लाये जावे जिनसे एक से अधिक अर्थ निकल सकते हों, क्योंकि दूसरा पक्ष कह सकता है कि उसने वादी के अभिप्राय के विरुद्ध अन्य अर्थ समझे थे । इसके अतिरिक्त अदालत को उस पक्ष की ओर से घोखा देने का कभी कभी अनुमान होता है । इसलिये झोडिंग में सीधी और शुद्ध भाषा लिखनी चाहिये और वह घटनाएँ लिखी जावें जिनके पेश करने वाला पक्ष सत्य और ठीक समझता हो और जिनके बारे में उसे कोई सन्देह न हो और न वह सन्देह युक्त भाषा में लिखी जावे । नियम न० ४ की टिप्पणी भी इस सिलसिले में देखनी चाहिये ।

५—प्रमाण, जिससे घटनाएँ साबित की

जावें, न लिखा जावे

यदि झोडिंग में सबूत लिखा जावेगा तो विस्तार की कोई सीमा नहीं रह सकती और झोडिंग का मुख्य उद्देश्य जाता रहेगा ।⁴ इस विषय में बहुधा भूज जो झोडिंग की तैयारी में होती है यह है कि एक पक्ष दूसरे फरीक को स्वीकारी, जो उसके हक में पहिले की हो, लिख देते हैं और कभी कभी अन्य घटनाएँ भी लिख देते हैं जिनके बयान से उनके अधिकार की पुष्टि होती हो, परन्तु ऐसा न करना चाहिये ।

उदाहरण—यदि किसी मुकदमे में मुद्दई का दावा हो कि मुद्दई की लिङ्की, हवा व रोशनी के आने जाने के लिये बहुत पुरानी, २० वर्ष से पहिले की है और उसको वह अपने अधिकार से लगातार और खुल्लम खुल्ला, बिना किसी रोक टोक के काम में लाता रहा है, उसकी वास्तु उसके अधिकार सुगमता का (दक़ आसायश) प्राप्त है । इसके

1 19 I A 90 P. C.—I L R 19 Cal 507, A I R 1932 All 467.

2. I L R 58 Cal 418

3 Per Key J in *Townsend v Parton*, 182, 30 W. R 287

4 *Phillips v Phillips*, 4 Q B. D 127 (133), A I R 1925 Pat. 410.

जबान में मुद्दायलेह का बयान तहरीर में यह लिखना कि इस खिड़की को मुद्दई एक दूसरे मुकदमे में केवल थोड़े समय की होना और उसका मुद्दायलेह की आज्ञा से काम में लाना बयान कर चुका है नियम के विरुद्ध है। मुद्दायलेह को मुद्दई के बयान से इन्कार करते हुये यह लिखना चाहिये कि वह खिड़की केवल इतने साल की है और वह आज्ञा से काम में लाई जाती है।¹

इसी प्रकार जब फरीकैन में किसी पुरुष की वंशावली का भगड़ा हो, और दोनों फरीक एक दूसरे की वंशावली को भूँठा बयान करते हो, तो किसी फरीक को अपनी खिड़गी में यह लिखना कि दूसरे फरीक ने उस फरीक की वंशावली को श्मुक समय ठीक माना था या उसका एक भाग ठीक माना था खिड़गी के नियम के विरुद्ध है।²

अगर एक आदमी किसी काम या मुआहिदा का करना किसी दूसरे आदमी के अनुचित दबाव (Undue Influence) होने की वजह से बयान करे और उसकी पुष्टि के लिये इसी प्रकार से काम करने की दूसरी मिसालें जिनका भगड़े वाले मुआहिदा से कोई सम्बन्ध न हो खिड़गी में लिखे, तो ऐसा करना उचित नहीं है। सिर्फ उस मनुष्य का दूसरे पुरुष के असर में होना, एक घटना के रूप में लिख देना पर्याप्त होता है।

६—लिखने का ढंग क्या हो

इसका आशय यह है कि अर्जीदावा और बयान तहरीरी को धाराओं या दफों में बाँट कर लिखना चाहिये और दफा नम्बरवार हों। तारीख, रकम और गिनती अंकों में लिखी जावें।

दफों में बाँट देने का प्रथम लाभ यह है कि विषय के अर्थ में भ्रम नहीं होने पाता। यदि एक दफा में एक घटना लिखी जावे, जैसा की सर्वदा होना चाहिये, घटनायें तो क्रम से आती जाती हैं और बयान नियमानुकूल हो जाता है। एक घटना दूसरी घटना से बिल्कुल पृथक् हो जाने के कारण सर्वनाम लिखने के स्थान में असली नाम (संज्ञा) लिखना पड़ता है, और संदेह उत्पन्न होने या भाषा के पेचदार होने की सम्भावना नहीं रहती। ध्यान यह रखना चाहिये कि जहाँ तक हो एक दफा में एक ही घटना हो। जब कभी एक से अधिक बातें एक दफा में लिखी जावेंगी तो भाषा पेचदार हो जाने का भय रहेगा।

गिनती, तारीख और संख्या केवल अंकों में लिखे जाने का अर्थ यह है कि वृथा विस्तार न हो, इनके अक्षरों में लिखने से विस्तार होता है। परन्तु इसके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि गिनती इस तरह लिखी जावे कि गुलत पढ़ने या समझने का डर न रहे और जहाँ कहीं ऐसा भय हो वहाँ अक्षर और अक्षर दोनों में लिख देने से कोई हानि नहीं है या किसी अन्य प्रकार से बचाव और सावधानी की जा सकती है।

¹ Lumb v. Ewert, 49 L T 772, A I R 1921 Sild 159 (F. B)

² Davy v. Govt., 7 C D 478 (485); also 4 Q B D. 127 (133).

नियम नं० ३ (Order VI, Rule 3)

प्लीडिंग के लिये नमूने जो परिशिष्ट (अ) में दिये हुये हैं, काम में लाये जावेंगे यदि वे काम में आ सकते हों, नहीं तो दूसरे नमूने जहाँ तक हो सके उसी प्रकार के काम में लाये जावेंगे ।

इस नियम की मनशा है कि दीवानी संग्रह के परिशिष्ट (अ) में अर्जी दावे और जवाब दावों के जो नमूने दिये गये हैं वे जहाँ पर प्रयोग किये जा सकें, काम में लाये जावें वरना उसी प्रकार के अन्य फारम बनाये जा सकते हैं । जो नमूने परिशिष्ट (अ) में दिये गये हैं उनमें से प्रत्येक नमूना हर प्रकार से पूर्ण नहीं कहा जा सकता ।¹ परन्तु इन नमूनों के काम में लाने से अनुचित बढाव का दोषारोपण नहीं किया जा सकता । इस पुस्तक में उचित स्थान पर परिशिष्ट (अ) में दिये हुये नमूने भी दिये गये हैं । ज्ञावता दीवानी की मनशा है कि लिखित, प्लीडिंग प्रयोग किये जावे ।²

नियम नं० ४ (Order VI, Rule 4)

उन दशाश्रों में जिनमे प्लीडिंग पेश करने वाला किसी भूँठ बयान, धोखा, नुकसअमानत, जानबूझ कर चूक करने, या अनुचित दबाव पर भरोसा करता हो और उन सब सुरतों में जब कि ज्ञावता दीवानी के फारमों में दी हुई बातों के अतिरिक्त अन्य बातों का लिखना भी जरूरी हो तोवे बातें तारीख और जरूरी तफसील के साथ प्लीडिंग में लिखी जावेंगी ।

नियम नं० २ यह चारता है कि प्लीडिंग में घटनाएँ संक्षेप में लिखी जावें और नियम नं० ४ यह कहता है कि वे घटनाएँ ठीक और निश्चित रूप में बयान की जावें । आशय यह हुआ कि प्लीडिंग में दोनों बातें ही संक्षेप भी और ठीक और निश्चित बयान भी, यदि इन दोनों नियमों की पाबन्दी किसी फरीक ने अपने प्लीडिंग में न की हो तो वह अगले नियम नं० ५ के अनुमार मजबूर किया जा सकता है कि दूसरा और अच्छा बयान दाखिल करे और अदाजत ऐसा करने का हुकम दे सकती है ।³

प्लीडिंग में जो बातें लिखी जावें वह तारीखवार और जरूरी तफसील के साथ हो जिससे सन्देह उत्पन्न होने का स्थान न रहे और न बयान करने वाले को अपने बयान से इधर उधर जाने का अवसर मिल सके । प्लीडिंग को अनिश्चित प्रकार से और घूमती हुई इवारत में लिखना और जरूरत के वक्त उससे तरह तरह के मानी निकालना बहुत बुरा तरीका है । इसी तरह ऐसे शब्दों का काम में लाना जिनके दो अर्थ हो या शब्दों का ऐसा प्रयोग जिनमे एक से अधिक आशय निकलना या उत्पन्न होता हो अनुचित है । ऐसा करना दूसरे पक्ष को एक प्रकार का धोखा देना और अपने आप अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा करना है जो न्याय के विरुद्ध है ।

¹ I L R 58, Cal 418—1936 All 653 (655)

² A I R 1915 All 268 (269)

³ 7 P D 117 (121), 40 C W N 913, A I R 1932, Pat 355

दोनों पक्षों के कानूनी स्वत्वों पर सोच विचार करने और उनको निश्चय और नियत कर लेने के बाद जो प्लीडिंग बनाई जावेगी उसमें घटनाएँ ठीक और निश्चय रूप में जरूरी बयान हो सकेंगी क्योंकि तैयार करने वाले की बुद्धि और विचार दोनों फरीक के हक की बाबत स्पष्ट होंगे और वह उनके सम्बन्ध की बातें ठीक ठीक और अच्छी प्रकार से लिख सकेगा ।

कानून में यह बजित नहीं है कि यदि एक ही घटनाओं से एक से अधिक कानूनी स्वत्व किसी पक्ष को पैदा होते हों तो वह उनको एक प्लीडिंग में दर्ज न कर सके । इससे विपरीत यह आज्ञा है कि यदि कोई पक्ष अपने एक से अधिक हक पर भरोसा करता हो या दूसरे फरीक के दावे या जवाबदही को एक से अधिक प्रकार से स्थिर रहने के अयोग्य बयान करता हो, तो उसको साफ़ और स्पष्ट शब्दों में ऐसा लिखना चाहिये जिससे दोनों हर बात को भले प्रकार जानते हुये एक दूसरे का जवाब दे सकें और कोई शिकायत बेखबरी और अचानकता की न रहे ।

घटनाएँ ठीक तरह लिखने के लिये भाषा का उत्तम ज्ञान होना आवश्यक है इसलिये प्लीडिंग लिखने वाले को चाहिये कि आवश्यकतानुसार उचित शब्द उन मामलों के लिये काम में लावे जो उनके लिये नियत हैं ।

भूट बयानी, घोखा, धरोहरघात 'नुक्सअमानत' जानबूझ कर चूक करना, दावा नाजायज़, इत्यादि, ऐसे मामले हैं जो तरह तरह के रंग और ढंग से पैदा होते, और हो सकते हैं । जब तक किसी फरीक को उनके सम्बन्ध में आवश्यक बातें न मालूम हों वह उनका जवाब नहीं दे सकता ।

असत्य वर्णन (misrepresentation) किसी फरीक ने शब्दों या किसी लेख द्वारा की हो, या दो या अधिक लेखों के मुकाबले या मिलान से प्रगट होता हो, या कुछ शब्दों और कुछ लेख से प्रत्यक्ष हो इसलिये आवश्यक है कि दूसरे फरीक को ऐसे बयान का तरीका मालूम होना चाहिये जिसमें वह उसका उचित उत्तर दे सके ।¹

घोखा या फ़रेव (fraud) एक ऐसा मसला है जिसकी हज़ारों सूत्रें होती हैं । जिस तरह आदमी की समझ तरह तरह के व्यवहार उत्पन्न कर सकती है इसी तरह वह सासो प्रकार से दूसरों को घोखा दे सकता है । इसलिये जब तक वे घटनाएँ जिनसे फ़रेव प्रगट हो ठीक तरह से बयान न की जावे दूसरा फरीक उनकी काट नहीं कर सकता ।²

नुक्सअमानत (breach of trust) जिसके साधारण हिन्दी में अर्थ धरोहर घात या धरोहर में बेईमानी करने के हैं, जब कभी बयान की जावे तो उसके साथ उन कामों को भी जरूर लिखा जावे जिनसे अमानत का उत्पन्न होना और दूसरे फरीक का उसमें घात या बेईमानी करना प्रगट होता हो । सिर्फ यह कह देना कि

¹ A I R 1924 P C. 186, 1926 Bom 33

² A I R 1937 P C 146; I L R 64 I, A 143, 38 All 126, A. I R 1930 All 427, 1943 Oadh 192

प्रतिवादी के पास रोकड़ रहती थी और उसने बहुत सी रकमें ग़बन करलीं काफ़ी नहीं है ।¹

जानबूझ कर किसी काम में चूक (wilful default) करने की बावत भी वे कार्य लिखने ज़रूरी होते हैं जिनमें कि चूक बनती हो या जिन पर वह निर्भर हो । एक फ़रीक ने बहुत से काम दूसरे फ़रीक के विरुद्ध, किये हों और वह कुन मिल कर जान बूझ कर चूक की हद, तक न पहुँचते हों या उनमें से कुछ का कोई प्रभाव न हो, इसलिये वह विशेष कार्य लिखने चाहिये जिनकी बावत बयान किया जाता हो कि वह ग़क़लत पैदा करते हैं और वह जान-बूझ कर की गई ।²

अनुचित दबाव (undue influence) के वास्ते दोनों फ़रीक़ का आपस का सम्बन्ध और उनका आपसी वर्ताव या हंग बयान करना चाहिये और उसके साथ वह खास काम जो भगड़े वाले मामले से लगाव रखने हों लिखना ज़रूरी होते हैं ।³

मुआहिदे के मुक़दमों में मुआहिदे की शर्तों, और कब और कहाँ और किनके बीच में मुआहिदा हुआ और वह काम करना या न करना, जिनसे दूसरे फ़रीक़ में ज़रूरी मुआहिदा का तोड़ना बयान किया जाता हो लिखने आवश्यक होते हैं । उनके विलसिले बाते लिखी जावें ।

हिसाब समझने के मुक़दमे में वे घटनाएँ जिनसे मुद्दाअलह की हिसाब समझने की ज़ुम्मेदारी पैदा होती हो, लिखनी लाज़मी हैं और यह दिखलाना ज़रूरी है कि मुद्दई के हक़ पर मुद्दायलेह के किस काम के करने या न करने का असर पड़ा, जिससे उसको हिसाब समझने का हक़ पैदा हुआ ।

साराश यह है कि दोनों फ़रीक़ घटनाएँ ठीक और बिना लाग लपेट के निश्चित रूप में बयान करें जिससे वह नियत हो जावे और हर फ़रीक़ उनकी पुष्टि या काट आसानी से कर सके । और अदालत और फ़रीक़ैन सबूत और तहकीकात में परेशान न हो और न किसी फ़रीक़ को अचानक और बेख़बरी की हालत में मुक़दमा लड़ने की शिकायत पैदा हो ।⁴

नियम नं० ५ (Order VI, Rule 5)

एक अधिक और उत्तम बयान दावे या जवाब दावे के प्रकार, का या अधिक और अच्छे हालात किसी व्यवहार के, जो किसी प्लीडिंग में दर्ज हों सब मुक़दमों में दामिल किये जाने का हुक्म दिया जा सकता है, खर्चे इत्यादि की ऐसी शर्तों पर जो न्यायानुकूल हो ।

¹ A I R 1930 Mad 78 , 1936 Bom 30 (36)

² A I R 1941 Bom 28

³ A I R 1921 Pat 48 , 1928 Oudh, 330

⁴ 35 C2 D 410 , 7 C H D. 435

इस कार्यदे से एक फरीक अपने मुक़ाबिले वाले फ़रीक से ज़रूरी वाक़्यात मालूम कर सकता है और जो प्लीडिंग उसने अधूरा या अशुद्ध टाखिल किया हो, उसको पूरा और सही करा सकता है और अदालत ऐसे फरीक को हुक्म दे सकती है कि वह अधिक और अच्छा और ठीक प्लीडिंग दाख़ल करे या किसी ख़ास मामले की बाबत अधिक और ठीक हालत बयान करे और जिस फरीक की ग़लती से मुक़दमा मुजतबी हो या और कोई अइंचन पड़े उससे ख़र्चा दिलावे या और कोई उचित न्यायानुकूल आज्ञा दे।¹

मुख्य अभिप्राय इस नियम का भी यही है कि भगड़े वाले मामले के सम्बन्ध में जो घटनाएँ ज़रूरी हों वे उचित और निश्चित रूप में अदालत के सामने आ जावे और जिन बातों का भगड़ा हो वह ठीक ठीक नियत हो सके और इसी अभिप्राय के लिये हर एक पक्ष को अदालत से दरख़ास्त करने और अदालत को आज्ञा देने का अधिकार दिया गया है।

नियम नं० ६ (Order VI, Rule 6)

कोई आवश्यक प्रतिज्ञा, जिसके पूरा होने या घटित होने की बाबत विरोध करना मज़ूर हो, मुद्दई या मुद्दायलेह को, जैसी सूरत हो, अपने प्लीडिंग में स्पष्ट रूप से बयान करना चाहिये और आधान कुल आवश्यक शर्तों के इसके, पूरा या घटित होने का बयान जो मुद्दई या मुद्दायलेह के मुक़द्दमे के वास्ते ज़रूरी हों, उनके प्लीडिंग में समझ लिया जावेगा।

इस नियम की व्याख्या आवश्यक है। यदि किसी स्वत्व का प्रचार किसी शर्त के पूरा करने या किसी घटना के घटित होने पर निर्भर हो तो मुद्दई को अर्ज़ी दावे में उसका बयान करने की जरूरत नहीं है और जब तक मुद्दायलेह स्पष्ट रूप से बयान तहरीरी में उससे इनकार न करे उस शर्त का पूरा होना या वाक़ै होना मुद्दई के अर्ज़ी दावे से मान लिया जावेगा।²

उदाहरण नं० १—यदि किसी हिन्दू अविभक्त कुल की विधवा गुज़ारा पाने की अधिकारणी इस दशा में हो कि वह कुल, के रहायशी मकान में निवास करे और विधवा अपने गुज़ारे का दावा अदालत में करे तो उसको अर्ज़ी दावे में यह लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वह उस समय में, जिसका दावा है, ख़ानदान के रहायशी मकान में रही और जब तक मुद्दायलेह साफ़ तरह पर इस से अपने प्लीडिंग में इनकार न करे तब तक इस शर्त का पूरा होना विधवा के अर्ज़ी दावे से मान लिया जावेगा।

1 Thompson v Birkley, 31 L R 230 ; 53 L L R 53 Mad 645 ; 45 All 624 , 58 Cal. 539

2. A I R 1924 Pat. 205 , 1938 Lah. 96 , I. L R. 7 Lah. 422 , 24 All 402 F. B.

उदाहरण २—(अ) ने (ब) के हाथ गेहूँ इस शर्त से बेचे कि उनकी क्रोमत (अ) को जब मिलेगा जब वह गेहूँ किसी खास दफतर या किसी खास आदमी को जाँच से पास हो जावे । अगर (अ) गेहूँ डिलीवर करने के बाद (ब) पर क्रोमत का दावा दायर करे तो उसको अपने अर्ज़ी दावे में यह लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उसके डिलीवर किये हुये गेहूँ जाँच से पास हो गये थे और जब तक (ब) अपने प्लीडिंग में साफ तरह से इनकार न करे जाँच से पास होना अर्ज़ीदावे से समझ लिया जावेगा ।¹

इस सम्बन्ध में आर्डर ८ नियम २ भी देखना चाहिये ।

नियम नं० ७ (Order VI, Rule 7.)

किसी प्लीडिंग में, संशोधन की दशा के अतिरिक्त, कोई नया विनायदावा नहीं उठाया जावेगा और न कोई ऐसी घटना का बयान लिखा जावेगा जो प्लीडिंग पेश करने वाले फरीक के, किसी पहिले पेश किये हुये प्लीडिंग के प्रतिकूल हो ।

अब जवाब का जवाब और उसकी तरदीद देने का क़ायदा जाब्ता दीवानी संग्रह में नहीं रक्खा गया इसलिये इस नियम को अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती परन्तु आर्डर ८ नियम नं० ६ इस सम्बन्ध में देखना चाहिये ।

अभिप्राय इस नियम का यह है कि जब एक फरीक एक विनायदावा अपने प्लीडिंग में दर्ज करे तो दूसरी प्लीडिंग में नया विनायदावा नहीं उठा सकता परन्तु अदालत की आज्ञा से अपने पहिले प्लीडिंग का संशोधन करा सकता है ।²

इस तरह कोई फरीक जो घटनाएँ अपने प्लीडिंग में पहिले बयान कर चुका हो उसके प्रतिकूल बयान किसी दूसरे प्लीडिंग में नहीं कर सकता ।

नियम नं० १७ में प्लीडिंग के तर्जोम व बदलने का तरीका दिया हुआ है, उसके विचार से भी यह नियम विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है ।

नियम नं० ८ (Order VI, Rule 8)

जब किसी प्लीडिंग में कोई मुआहिदा बयान किया जावे, तो दूसरे फरीक के उससे सिर्फ इनकार करने से यह समझा जायगा कि उसको बयान किए हुये खास मुआहिदे या उन घटनाओं से इनकार है जिनसे वह मुआहिदा बनता हो, उसके क़ानूनन जायज़ या पूरे होने से इनकार नहीं समझा जायगा ।

इस क़ायदे का यह मतलब है कि अगर किसी मुआहिदे के होने और उसके क़ानूनन जायज़ होने दोनों से इनकार हो तो दोनों बातें साफ़ तौर से 'लख देना चाहिये ।

¹ I L R 22 Pat 513—A I R 1944 Pat 77

² 5 M I A 271 ; A I R 1943 Lah 159 ; 1929 Oudh 204 , 1919 Mad 471.

अगर केवल मुआहिदे में इनकार किया जावे तो उसके यह मानी होंगे कि मुआहिदा जो मुद्दई बयान करता है नहीं हुआ मगर उसके कानून से जायज़ होने का कोई एतराज़ नहीं है।¹

उदाहरण १—यदि मुद्दई बयान करे कि मुद्दायलेह ने मुद्दई के साथ मुआहिदा २०० गाँठ सूत हवाला करने का २ महीने के अन्दर एक ठहरे हुए भाव से किया, इसके जवाब में अगर मुद्दायलेह बयान करे कि उसको मुआहिदे से इनकार है तो उसका यह मतलब समझा जायगा कि फरीक़ैन में भगड़ा सिर्फ़ मुआहिदा होने या न होने का है। यदि मुद्दायलेह को मुआहिदा के जायज़ होने से इनकार हो तो उसको लिखना चाहिये कि ऐसा मुआहिदा कानून से नाजायज़ है और वह कारण भी लिखना चाहिये जिससे वह अपचारयुक्त हो जैसे कहा जा सकता है कि वह जुए के रूप से था या घोखा, फरेब, दाव नाजायज़ इत्यादि से हुआ है।

उदाहरण २—यदि मुद्दायलेह किसी दस्तावेज़ के असली होने और उसके कानूनन जायज़ होने पर हमला करता हो तो दोनों एतराज़ अलग २ लिखना चाहिये। हिफ़ दस्तावेज़ के इनकार से यह मानी होंगे कि उसके असली होने से इनकार है और उसकी बाबत फरेब, भूँठ बयानी, दाव नाजायज़ वगैरह कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो उसके विधान अनुसार ठीक होने में बाधा करता हो।²

दफ़ा २३, २६ कानून मुआहिदा (एक्ट ६ सन् १८७२) के अनुसार जो एतराज़ होते हैं वे भी मुआहिदे के नाजायज़ होने के होते हैं और उनको साफ़ तरह से लिखना चाहिये।

नियम नं० ९ (Order VI, Rule 9)

जब किसी दस्तावेज़ के विषय का बयान करना ज़रूरी हो तो प्लीडिंग में दस्तावेज़ के प्रभाव का संक्षेप बयान करना काफी होगा। पूरा दस्तावेज़ या उसके किसी भाग की नकल की ज़रूरत नहीं है, यदि उस दस्तावेज़ के शब्द या उनका कोई भाग तत्त्व मुकद्दमा न हो।

जब किसी दस्तावेज़ की विनाय पर नालिश दायर की जावे तो उस दस्तावेज़ की शर्तों का संक्षिप्त बयान प्लीडिंग में लिखना चाहिये लेकिन बहुत से मुकद्दमों में ऐसे होते हैं जिनमें दस्तावेज़ के शब्दों के अर्थ का भगड़ा होता है और वह तत्त्व मुकद्दमा होते हैं। ऐसे मुकद्दमों में दस्तावेज़ या उसका उचित भाग प्लीडिंग में नकल किया जा सकता है।

उदाहरण १—जो दावे शुफे के रिवाज या चलन की विनाय पर होते हैं उसमें वाजिबउलअर्ज़ का इन्दराज अकसर बहुधा तत्त्व मुकद्दमा होता है। एक फरीक़ उसको रिवाज

¹ A I R 1932 All 199, I L R 53 All 963 See Also A I R 1931 All 229

² I. L R 47 Bom 137, I L R 8 Pat 450

और दूसरा उसके मुआहिदा बयान करता है और अदालत उस इन्दराज के शब्दों से भगड़े की तजवीज और फैसला करती है। ऐसे मुकद्दमे में प्लीडिंग में इन्दराज लाजिव-उलश्रफ़ को नकल करना बेजा नहीं होता।

२—बहुत से वसीयतनामे की विनाय पर दायर होने वाले मुकद्दमों में वसीयतनामे के शब्दों के अर्थ पर वाद विवाद होता है और इस पर मुकद्दमे का फैसला निर्भर होता है। ऐसे मुकद्दमों में दस्तावेज़ के विशेष शब्द जिनके अर्थ और अभिप्राय का भगड़ा हो वह तत्व मुकद्दमा होते हैं और प्लीडिंग में लिये जाने चाहिये।¹

३—कभी २ किसी दस्तावेज़ का कानूनी असर उसके विशेष शब्दों पर निर्भर होता है और वही फरीकैन के दर्मान भगड़े को जड़ और तत्व मुकद्दमा होते हैं और प्लीडिंग में लिखे जा सकते हैं।

परन्तु ऐसे मुकद्दमों को छोड़ कर बाकी सब मुकद्दमों में दस्तावेज़ों का कानूनी असर लिखना काफी होता है। दस्तावेज़ों की पूरी शर्तें उनके प्लीडिंग में नकल कर देना अनुचित बढ़ाव करता है और ऐसा नहीं करना चाहिये।²

दस्तावेज़ का कानूनी असर लिखने में इस बात का खयाल रक्खा जावे कि वह उस नीतिपत्र के रूप और उसकी शर्तों से निकलता हो, किसी फरीक के मनमाने अर्थ न हो।

नियम न० १० (Order VI, Rule 10)

जग किसी पुरुष की दुश्मनी, धोखा देने का विचार, ज्ञान अथवा न्य बुद्धि की स्थिति प्रगट करना जरूरी हो तो इन स्थितियों का घटना की तरह पर बयान करना पर्याप्त होगा। उन बातों के बयान करने की जरूरत नहीं होती जिनसे वह प्रमाणित होती हैं।

यह नियम और नियम नम्बर ११ व १२, नियम नम्बर २ के भाग ४ के उदाहरण हैं और ज़ाहिर करते हैं कि विशेष मामले किस तरह प्लीडिंग में लिखे जावें।

जो हर्जे की नालिशों, फौजदारी का भूँटा और बेबुनियाद मुकद्दमा दायर करने की वाबत, मुद्दई के उससे वरी हो जाने पर दायर होती हैं उनमें दुश्मनी का बयान जरूरी और तत्व मुकद्दमा होता है।

ग़फलत और लामरवाई की विनाय पर हर्जे की नालिशों में इरादा और इल्म और कभी २ मन की हालत बयान करना आवश्यक होता है।³

फरेब से सम्बन्ध रखने वाले मुकद्दमों में फरेब करने का इरादा वाक़या नफ़स मुकद्दमा होता है।⁴

ऐसी सब नालिशों में मन की हालत बतौर एक वाक़या बयान की जा सकती है।

1 Harris v Ware 4 C P D 125, Phillips v Phillips, 4 Q B D 127

2 A I R 1916 Cal 658

3 L Q B 599, A I R 1931 Mad 110

4 I L R 31 Bom 37, 2 Q B 109.

नियम न० ११ (Order VI, Rule 11)

यदि यह प्रगट करना हो कि किसी पुरुष को किसी स्थिति या मामले या वस्तु की सूचना थी तो उस सूचना को घटना की तरह पर बयान करना पर्याप्त होगा सिवाय उस दशा के जब कि सूचना का रूप या उनके ठोक शब्द या वह हालत जिनसे सूचना प्रमाणित होती हो तत्त्व मुकदमा हों ।

सूचना (नोटिस) की परिभाषा सम्पति परिवर्तन विधान (एक्ट ४ सन् १८८२) की धारा ३ में दी हुई है ।^१

नीचे लिखी नालिशों में नोटिस का दिया जाना लिखना ज़रूरी होता है ।

(१) यदि मालिक किरायेदार के ऊपर नालिश वेदखली करे तो दफा १०६ कानून इन्तिकाल जायदाद के अनुसार ज़रूरी है कि उसने नालिश दायर करने से पहिले जायदाद खाली करने का नोटिस किरायेदार को दिया हो^२ और मुद्दई को अर्ज़ीदावे में ज़ादिर करना आवश्यक होता है कि वह ऐसा नोटिस दे चुका है या कि किसी कारण से उसका देना कानूनन लाजिमी नहीं था । अगर मुद्दायलेह नोटिस न दिये जाने या उसके कानूनन अपर्याप्त होने का एतराज़ करे तो उसको लिखना चाहिये कि खाली करने का नोटिस उसको नहीं दिया गया या कि जो नोटिस उसको दिया गया वह अमुक कारण से अपर्याप्त और बेकार है ।

(२) इसी तरह पर जो नालिश सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौन्सिल इंडियन यूनियन के मुक़ाबले में या किसी सरकारी अफसर के ऊपर उसके ओहदे के काम के सम्बन्ध में दायर होती हैं उनमें नालिश दायर करने से पहिले दो महीने का नोटिस ज़ाब्ता दोवानी की दफे ८० के अनुसार देना पड़ता है और अर्ज़ीदावे में यह लिखाना ज़रूरी है कि इस प्रकार का नोटिस दिया जा चुका है ।

(३) जो नालिश म्यूनीसिपैलटी या कोर्ट आफ वार्ड्स पर दायर होती हैं उनमें भी दो महीने का नोटिस नालिश दायर करने से पहिले देना होता है ।^३

(४) जो नालिश रेलवे पर दायर होती हैं उनमें दफे ७७ कानून रेलवे (एक्ट ६ सन् १८६०) के अनुसार यह ज़ाहिर करना अर्ज़ीदावे में ज़रूरी होता है कि बिनायदावे की तारीख से ६ महीने के अन्दर दावे का नोटिस ऐजेन्ट रेलवे या दूसरे आफिसर को जो उस दफा के अनुसार उसके लेने का अधिकार रखता हो, दिया जा चुका है ।^४

(५) जो नालिश हुन्डी लिखने या बेचान करने वाले पर ख़रीदार की ओर से न सिक्करने की दशा में होती हैं उसमें भी यह लिखना ज़रूरी होता है कि हुन्डी न सिक्करने का नोटिस मुद्दायलेह को दिया जा चुका है ।

^१ Sec 3, Transfer of Property Act (No IV of 1882)

^२ Sec 106, Transfer of Property Act

^३ Sec 80, Civil Procedure Code

^४ See Sec 77 and 140, Indian Railways Act (Act IX of 1890).

(६) जो नालिश तकमोल मुआहिदे के लिये प्रथम खरीदार की ओर से पिछले दे, खरीदार पर दायर होती है उनमें अन्वयल खरीदार जब ही सफल हो सकता है जब वह यह साबित करे कि पिछले खरीदार को उसके मुआहिदे का नोटिस (इल्म या सूचना) खरीदारी करने के समय था । ऐसी नालिश म इल्म का वाक्या तब मुकदमा होता है और अर्जादावे में उसका लिखना जरूरी है ।

कानून मुआहिदा (एक्ट ६ सन् १८७२) की दफा २२६ के अनुसार ऐजेन्ट को नोटिस, मालिक को नोटिस होने के बराबर होता है ।¹

जहाँ पर प्लीडिंग में नोटिस का दिया जाना लिखना हो वहाँ पर वह एक घटना के रूप में लिख देना काफी होता है । यह लिखना आवश्यक नहीं है कि नोटिस या सूचना का विषय क्या था या वह किस प्रकार से दिया गया । परन्तु जिन दावों में सूचना के शब्द या वह बातें जिनसे सूचना प्रमाणित हो तात्पर्य मुकदमा हो तो ऐसी हालत में यह भी लिखना चाहिये ।²

मालिक की तरफ से किरायेदार के विरुद्ध बेदखली की नालिशों में प्रायः भगड़ा तारीख खाली करने मकान और मियाद किराये की होती है । इसी प्रकार मुहायदे की विशेष पूर्ति की नालिशों में यह कि नोटिस या सूचना दूसरे पक्ष को किस प्रकार से दी गयी, इलकी वहस होती है । रेलवे कम्पनियों के विरुद्ध दावों में नोटिस प्रमाणित करना आवश्यक होता है और प्रायः यह प्रश्न उठता है कि नोटिस उचित पुरुष को दी गयी या नहीं । इसलिये उन नालिशों में जिनमें दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाना आवश्यक हो ऊपर लिखी बातों पर ध्यान रख कर उसका घटित होना लिखना चाहिये ।³

नियम नं० १२ (Order VI, Rule 12)

यदि कोई प्रतिज्ञा या सम्बन्ध किन्ही मनुष्यों के मन्वयन, सिलसिलेवार पत्रों या बात चीत या इसके अतिरिक्त और घटनाओं से पाया जावे तो उस प्रतिज्ञा या सम्बन्ध को एक घटना की तरह बयान करना और पत्रों या बात चीत या वाक्यात का हवाला देना काफी होगा । उनकी तकसील देने की जरूरत नहीं है और अगर ऐसी सूरत में वह पुरुष जो प्लीडिंग पेश करता है एक से अधिक प्रतिज्ञा या सम्बन्ध जो उन घटनाओं से पाये जाते हो, बदल की तरह बयान करना जरूरी समझे तो उसको अधिकार है कि उनको उस तरह से बयान करे ।

इस नियम का अभिप्राय यह है कि कोई मुआहिदा या दूसरा सम्बन्ध जिससे कानूनी हक पैदा होते हों, बहुत सी चिट्ठी या बात चीत से ढहरा हो तो प्लीडिंग में वह मुआहिदा या सम्बन्ध चिट्ठी या बात चीत के हवाले से, जैसी सूरत हो लिख देना काफी

1 Contract Act (IX of 1872)

2 A I R 1944, Pat 77 A I B

3 A I R 1944 Pat 77 A I B

होता है। जैसे तकमील मुआहिदे के मुकदमे में मुद्दई का अर्जीदावे में यह बयान करना काफी हो सकता है कि उससे मुद्द.यलेह ने जायदाद बेचने की प्रतिज्ञा ता० व ता० के पत्रों के जरिये से किया।

अगर इस प्रकार के पत्र व्यवहार से एक से अधिक प्रतिज्ञाओं के उत्पन्न होने की सम्भावना हो तो मुद्दई उन कुल प्रतिज्ञाओं के बदल की तरह पर बयान कर सकता है और बदल की दादरसी (alternative relief) माँग सकता है, जैसे एक ही पत्र व्यवहार से संभव है कि फरीकैन में विक्री का मामला हुआ हो या रहन दखली का। यह दोनों कानूनी हक प्रगट करने के बाद विक्री दादरसी के साथ रहन दखली की दादरसी बदल के तौर पर माँगी जा सकती है।

नियम नं० १३ (Order VI, Rule 13)

किसी फरीक को कोई ऐसी घटना अपने प्लीडिंग में बयान करने की जरूरत नहीं है जिसका कयास कानूनी (legal presumption) उसके हक से हो या जिसके मानित करने का भार दूसरे फरीक पर हो, जब तक कि उससे पहिले साफ तौर पर इन्कार न किया जा चुका हो (जैसे हुन्डी का रुपया जब कि मुद्दई की नालिश हुन्डी के ऊपर हो और मुआवजा खास तरह पर विनाय-दावी न हो)।

कयास कानूनी तीन तरह के होते हैं जो कानून शहादत की धारा में तफसील से बयान किये गये हैं^१ और उनके उदाहरण उसी कानून की अन्य ४ धाराओं में दिये हुये हैं। जो कानूनी कयास किसी फरीक के हक में हों, घटना की तरह प्लीडिंग में लिखने की उस फरीक को जरूरत नहीं होती, जब तक कि दूसरा फरीक उससे खुली तरह पर इन्कार न करे या उस कयास के सिवाय और विनाय पर भी वह फरीक कोई दादरसी चाहता हो या किसी चाही हुई दादरसी से इन्कार करता हो—

उदाहरण १—अ ने व पर एक हुन्डी के रुपये की नालिश की दफा। ११८ कानून हुन्डी (Sec. 11 B Negotiable Instruments Act) के अनुसार कानूनी कयास यह है कि हुन्डी बदल (मुआविजे) के साथ होती है—इसलिये अ को अपने अर्जीदावे में यह बात बतौर वाक्या लिखने की जरूरत नहीं है कि हुन्डी का बदल अदा हुआ था या हुन्डी मुआविजा देकर लिखी गई।^३

२—ऊपर लिखी नालिश में अगर (व) हुन्डी के बदल होने का उज़र करे या

^१ I. L. R. 45 All 35

^२ See Sec. 4, Indian Evidence Act

^३ 1943 S.C.L.J. 112

मुद्दै अर हुन्डी की विनायदावी के सिवाय असल कर्जा या मुआविजे की विनाय पर भी दावा करता हो तो वह अपने प्लीडिंग में यह घटना कि प्रत्युत्कार या बदल दिया गया लिख सकता है ।

बहुत से मुकदमों में ऐसा होता है कि रुकका (प्रामेवरी नोट) या हुन्डी उचित स्टाम्प पर न होने या किसी दूसरी वजह से शहादत में पेश किये जाने के क्वाबिल नहीं होता, ऐसी नालिशों में मुआविजे की विनाय भी नालिश में रखना जरूरी होता है और अर्जादावा इस तरह बनाना होता है कि रुकका या हुन्डी मिसल से निकाल दिये जाने पर भी मुद्दै के हक में असल मुआविजे की डिगरी हो सके और वह असल मुआविजे की जरूरी शहादत दे सके ।

• नियम नं० १४ (Order VI, Rule 14)

हर प्लीडिंग पर फरीक के और उसके वकील के (अगर कोई हो) दस्तखत होंगे परन्तु यदि प्लीडिंग दाखिल करने वाला फरीक पक्ष मौजूद न होने या किसी अन्य उचित कारण से प्लीडिंग पर हस्ताक्षर न कर सके तो उसकी ओर से दस्तखत करने या नालिश या प्रतिवाद करने के लिये नियमानुसार नियत किया हुआ कोई आदमी हस्ताक्षर कर सकेगा ।

हर फरीक और उसके वकील को प्लीडिंग पर दस्तखत करना चाहिये और फरीक की गैरहाजिरी में उसका मुखतार (सर्वाधिकारी या मुखयाधिकारी उसकी ओर से दस्तखत कर सकता है । एक मुकदमे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुद्दै की जबानो इजाजत काफो मान ली है ।¹

इस नियम का अभिप्राय है कि प्रत्येक पक्ष अपने प्लीडिंग की जिम्मेदारी ले और बाद को यह भगड़ा न उत्पन्न हो कि कोई अर्जादावा या बयान तहरीरी उस पक्ष की अज्ञा या अनुमति बिना उसकी ओर से दाखिल किया गया ।²

संग्रह ज्ञान्ता दीवानी जो १८५६ ई० व १८७७ ई० में प्रचलित की गयी उनमें कोई विशेष दफा नहीं थी जिससे किसी पक्ष का एजेंट या मुखतार उसकी ओर से प्लीडिंग पर दस्तखत कर सकता हो । यह त्रुटि १९०८ के संग्रह में दूर कर दी गयी ।³

हस्ताक्षर या तस्दीक की भूल या गलती ऐसी गलती नहीं है जिसके कारण प्लीडिंग खारिज कर दी जावे । ऐसी भूल के सुधार के लिये दूसरे पक्ष को आक्षेप जल्द से जल्द करना चाहिये और ऐसी भूल या गलती का सशोधन अदालत की इजाजत से किया जा सकता है ।⁴

1 A I R 1943 Cal 13

2 I L R 9 All 505 , A I R 1925 Sindh 275

3 I L R 25 All 431 , I L R 4 Bom 468

4 I L R 39 All 343, I L R 54 All 57 , I L R 22 All 55.

नियम नं० १५ (Order VI, Rule 15)

(१) सिवाय इसके कि किसी समय के प्रचलित कानून में अन्य प्रकार का हुक्म हो, हर एक प्लीडिंग के नीचे पक्ष दाखिल करने वाला या दाखिल करने वालों पक्षों में से एक या कोई दूसरा आदमी जो अदालत के इतमीनान में मुकदमे के हालात से परिचिन होना साबित हो, तसदीक लिखेगा ।

(२) तसदीक करने वाला आदमी प्लीडिंग के नम्बरवार फिकरो के बारे में यह लिखेगा कि किनकी तसदीक वह जाती इल्म से करता है और किनकी उस इत्तला से जो उसको मिली है और वह जिसको सत्य विश्वास करता हो ।

(३) तसदीक पर, तसदीक करने वाले के दस्तख़त होंगे और उसमें तारीख, जिस पर, और स्थान, जहाँ पर, दस्तख़त किये गये हो, लिखना होगी ।

तसदीक करने के लिये नियम यह है कि हर प्लीडिंग की तसदीक उसको पेश करने वाला पक्ष करता है । अगर पेश करने वाले कई मनुष्य हो और कुछ उनमें से तसदीक न कर सकते हो, या कुल तसदीक करने के योग्यकाबिल न हो तो उनमें से कोई एक या उनकी ओर से कोई और पुरुष, जो अदालत के विश्वास में मुकदमा के हालात से जानकारी रखता हो तसदीक कर सकता है ।¹

तसदीक हर फिकरे की वावत अपने जाती इल्म या इत्तला से जैसी परिस्थिति हो करनी चाहिये और तसदीक की तारीख व स्थान लिखना चाहिए और उसके नीचे हस्ताक्षर किये जावे ।

जिस हालात में कोई फ़रीक़ अपने प्लीडिंग की तसदीक खुद नहीं कर सकता तो उसके मुख़तार या पैरोकार को अदालत से इजाज़त हासिल करना होती है और इजाज़त के लिये दरख़वास्त और बयान हलफ़ी देना होती है और अदालत को इतमीनान दिलाना होता है कि वह वाक़यात मुक़दमा से परिचित है ।²

जिस अदालत के सामने प्लीडिंग पेश किये जावें उसका यह कर्तव्य है कि यह देखे कि इस नियम के अनुसार उनको प्रमायित कर लिया गया है और तसदीक उचित शब्दों में लिखी गयी है । जहाँ पर प्लीडिंग परदानशीन स्त्रियों की ओर से दाखिल की गयी हो वहाँ पर अदालत अपने आप को सन्तुष्ट कर सकती है कि वह प्लीडिंग उस स्त्री को, जिसकी ओर से वह दाखिल की गयी है, सुना कर समझा दी गयी थी और उसकी अनुमति, अदालत में दाखिल करने के लिये प्राप्त करली गयी थी ।³ परन्तु ध्यान रहे कि यदि

¹ I L R 17 Cal 580 (P C)

² I L R 26 All 154, I. L R 4 Bom 468 (F B).

³ 43 I A 212; I. L R. 38 All. 627 (P. C)

दूसरा पक्ष उपस्थित न हो तो एक तरफा फैसले के लिये ऐसी तसदीक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकती और उसके अतिरिक्त सबूत देना आवश्यक होता है।¹

जैसा नियम नं० १४ के नोट में ऊपर लिखा गया है तसदीक की गलती या भूल का सुधार अदालत की आज्ञा से किया जा सकता है। और दूसरे पक्ष को ऐसी त्रुटि जल्द से जल्द मौके पर दिखाना चाहिये।²

नियम नं० १६ (Order VI, Rule 16)

अदालत को किसी स्थिति मुकदमा पर अधिकार है कि किसी प्लीडिंग में से किसी ऐसे मामले को निकालने या संशोधन करने का हुक्म देवे जो अन-आवश्यक या अपमान युक्त हो या जिससे मुकदमे के निर्णय में अन्याय, उल-भ्रान्त या देर होने का भय हो।

इस क्रायदे से एक फरीक को दूसरे फरीक के प्लीडिंग, अदालत के हुक्म के द्वारा से संशोधन व तरमीम करने का अधिकार दिया गया है और यह ऐसा हक है जिससे भारत संघ में लोग बहुत कम फायदा उठाते हैं।

जो प्लीडिंग अनावश्यक व आकार में लम्बे चौड़े हों, या अनुचित शब्दों से भरे हों उनको तरमीम कराने की दरखास्त देना दूसरे पक्ष का ज़रूरी काम है और ऐसा करने से ही प्लीडिंग की वर्तमान दशा सुधर सकती है परन्तु यह प्रयत्न जब ही सफल हो सकता है जब अदालत भी इस ओर ध्यान दे। साधारणतया यह देखा है कि न्यायाधीश लोग इस तरह की दरखास्त को अच्छी निगाह से नहीं देखते और एक तरह से अपना समय नष्ट करना समझते हैं। यदि उनको यह प्रतीत हो जावे कि थोड़े दिन के बाद उनको अपना ढग बदलने और प्लीडिंग की छान बोन और दुरस्ती करने से बहुत कुछ सुगमता मिलेगी तो प्लीडिंग की प्रणाली उत्तम हो जावेगी ध्यान रहे की अदालत, बिला किसी पक्ष की दरखास्त के, स्वयं प्लीडिंग संशोधन का हुक्म दे सकती है।³

जो वाक्यांश तल मुकदमा न हो या जो फरीकैन का मुकदमा या आपसी सम्बन्ध समझने में मदद न देते हों वे ग़ैरज़रूरी होते हैं और उनके प्लीडिंग से निकाले जाने का हुक्म दिया जा सकता है।⁴

इसी तरह एक फरीक का दूसरे को वेईमान—चालाक—मक्कार—दगाबाज़ कहना या बिना कारण बददयानत बतलाना या उसको कोई दोष लगाना या किसी बदनाम गिरोह या पार्टी का मेम्बर, सरगना, वगैरह बयान करना सब अपमान युक्त शब्द हैं और

1 I L R 43 Cal 1001

2 I L R 20 All 442, I L R 54 All 57, I L R 46 All 637

3 I L R 40 Mad 365, F B

4 114 I C, 206 (All)

जब तक कि वह मुकद्दमे में तत्त्व मुकद्दमा न हों प्लीडिंग से निकालने के योग्य होते हैं ।¹

बहुत सी घटनाएँ ऐसी होती हैं जिनके प्लीडिंग में रहने से अदालत के दिल पर एक फरीक या उसकी शहादत की निस्वत बुरा खयाल पैदा होता है। न्यायाधीश आखिर मनुष्य ही होते हैं और ऐसा खयाल और बद् गुमानी पैदा हो जाने से अन्याय हो जाने का डर होता है। कुछ वाक्यात से मुकद्दमे के सुनने में परेशानी और देर होती है।² इस तरह के वाक्यात के लिये प्लीडिंग में कोई स्थान नहीं होना चाहिये सिवाय उन मुकद्दमों के जिनमें ऐसे वाक्यात तत्त्व मुकद्दमा हों।

नियम न० १७ (Order VI, Rule 17)

अदालत किसी नौबत कार्रवाई मुकद्दमे पर, किसी पक्ष को आज्ञा दे सकती है कि वह अपने प्लीडिंग को उस प्रकार से और उन शर्तों पर जो न्यायानुकूल हो बन्द दे, या तरमीम करे और ऐसे सब सशोधन कर दिये जावेंगे जो पक्षों के मध्य असली विवाद का निपटारा करने के लिये आवश्यक हों।

कभी २ ऐसा होता है कि दूसरे फरीक के बहीखाते या कागजात मुआइना करने या बन्द सवालात के जवाब से या अन्य प्रकार पर एक फरीक को अधिक हालत मालूम हो जाते हैं, या किसी गलती या भूल या कानूनी कमी की वजह से किसी फरीक को अपने प्लीडिंग तरमीम कराने की जरूरत होती है। इस नियम से अदालत को अधिकार दिया गया है कि वह किसी नौबत मुकद्दमे पर किसी फरीक को अपने प्लीडिंग न्यायानुकूल और विशेष शर्तों पर बदलने या तरमीम करने की इजाजत देवे, मगर तरमीम सिर्फ ऐसी होगी जो असल भगड़े फरीकैन का तसक्रिया करने के वास्ते जरूरी हो।

इस नियम का अभिप्राय है कि अदालत उन मुकद्दमों में जो उसके सामने पेश हों असली भगड़ा फैसला करे और इस विचार से जो कुछ सुधार अथवा संशोधन, उचित हों, उनकी आज्ञा दे देवे। परन्तु ध्यान रहे कि ऐसा करने से दूसरे पक्ष के साथ कोई अन्याय न होता हो।

¹ Davy v Garrot, 7 Ch Div 473, Per Braund, J in S P. Jain v Sheo Datt (A I R 1946 All 213—1946 A. W R 354)

“ It is far too common to find invective masquerading as pleading.....I hope that lawyers whose duty, both to their profession and to the court, it is to see that pleadings are properly framed, will set their face against this practice and whenever they do not, that Munsifs and Subordinate Judges will make strict use of those rules provided by the Civil Procedure Code for ensuring that the proper principles in practice of pleading are observed ”

² I I R 22 Mad 155 (160)

³ Per Bowen L J in Cropper v Smith, 26 Ch Div 700 (710)

यह नियम दरखास्त अथवा अन्य प्रार्थना पत्रों के संशोधन के लिये भी लागू होता है।¹ ज़ाबता दीवानी के संग्रह में भिन्न भिन्न प्रकार के संशोधन के लिये नियम पृथक पृथक दिये गये हैं। अदालत की आज्ञा, तजवीज और डिगरियों का संशोधन धारा १५२ के अनुसार हो सकता है।² धारा १५३ में अदालत को प्रायः पूर्ण अधिकार संशोधन व सुधार के लिये दिया गया है और अदालत मुकदमों की, और उससे सम्बन्धित कार्यवाही की किसी समय पर और किसी दशा में, त्रुटि या गलती का सुधार कर सकती है।³

आर्डर १ नियम नं० १० के अनुसार दावे में फरीक़ैन घटाये बढ़ाये जा सकते हैं।⁴ और आर्डर ६ नियम नं० १६ के अनुसार एक पक्ष दूसरे पक्ष की प्लीडिंग का अदालत की आज्ञा से संशोधन व खण्डन कर सकता है।⁵ वर्तमान नियम के अनुसार एक पक्ष अपने ही प्लीडिंग को अदालत की आज्ञा से तरमीम कर सकता है और आर्डर १४ नियम नं० ४ के अनुसार मुकदमों को तनकीहात का सुधार किया जा सकता है।⁶

इस कायदे के असली भाग ४ नियम हैं।

(१) तरमीम की इजाज़त किसी नौबत मुकदमों पर दी जा सकती है यहाँ तक कि अपील दायम तक में तरमीम हो सकती है। (A. I. R. 1941 Pat. 399; 1940 Lah. 256; 1941 Cal. 1 ; 56 All. 428; 1937 P. C. 42)

(२) तरमीम व बदल ऐसे प्रकार या तरह पर करने की आज्ञा दी जावेगी जो न्यायानुकूल हो, जिसका यह अभिप्राय है कि अगर किसी फरीक़ का जायज़ हक़ किसी कमी या गलती की वजह से मारा जाता हो तो उसके दूर करने के लिये तरमीम का अवसर दिया जावेगा। एक फरीक़ को दूसरे फरीक़ पर बेजा फायदा या क़ाबू हासिल करने के लिये तरमीम की इजाज़त न दी जावेगी। (I. L. R. 58 All. 505; I. L. R. 33. Bom. 644 (649); A. I. R. 1923. Lah. 505; 1944 Bom. 197.)

(३) दूसरी शर्तें जो न्यायानुकूल हो उसके साथ लगाई जा सकती हैं जैसे हर्ज़ा दिलाना और दूसरे फरीक़ को काट के लिये और नई शहादत तहरीरी या ज़बानी दाखिल करने का मौक़ा दिया जाना। (A. I. R. 1928 Oudh 305; 1927; Mad 182; 13 I. C. 128)

(४) असल भगड़े के तसफिये के लिये जो तरमीम जरूरी हों वह की जावेगी

1 A I R 1938 Pat 209.

2 Sec 152, Civil Procedure Code

3 Sec 153, Civil Procedure Code

4 Order I, Rule 10, Civil Procedure Code

5 Order 6, Rule 16, Civil Procedure Code

6 Order 14, Rule 5, Civil Procedure Code

जिसके यह मानी हैं कि ऐसी तरमीम नहीं की जावेंगी जिनके मुकद्दमे का प्रकार (Nature) बदलता हो और भगड़े वाली बातें कुछ से कुछ हो जाती हों। (I. A. Supp. 131 P.C.; 9 All. 188 ; 1942 Lab. 1 F. B. ; I. L. R. 34 Cal. 372).

नियम नं० १८ (Order VI, Rule 18)

यदि कोई फरीक जिसको तरमीम की इजाजत का हुक्म मिल गय हो, उस अवधि के अन्दर जो उस हुक्म से उस काम के लिये नियत की गई हो, या अगर उसमें कोई अवधि न मुकर्रर की गई हो तो हुक्म की तारीख से १४ दिन के अन्दर, तरमीम न करे तो बाद गुज़रने नियत मियाद के या १४ रोज़ के, जैसी सूरत हो, वह फरीक तरमीम नहीं कर सकेगा जब तक कि अदालत मियाद न बढ़ा देवे।

इस क़ायदे का सारांश यह है कि तरमीम नियत की हुई मियाद के अन्दर कर देनी चाहिये। अगर अदालत ने कोई मियाद नियत न की हो तो १४ दिन के अन्दर कर देनी चाहिये। यदि ऐसा न किया जावे तो तरमीम की इजाजत का हुक्म बेकार हो जाता है, या जब तक अदालत मियाद न बढ़ावे तरमीम नहीं हो सकती।¹

अदालत को सुहलत देने और मियाद बढ़ाने का अधिकार मियाद समाप्त होने से पहिले और मियाद समाप्त होने के बाद दोनों दशाओं में होता है और ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १४८ ऐसी मियाद बढ़ाने में लागू होती है।²

संशोधन के साधारण अधिकार, अदालत को दफ़ा १५३ ज़ाबता दीवानी संग्रह में दिये गये हैं और अदालत किसी अवसर पर किसी काररवाई की भूल चूक या ग़लती दूर कर सकती है यहाँ तक कि विशेष दशाओं में अपील दायम फैसल हो जाने के बाद भी अज़ीदावा व डिगरी तरमीम हो सकती हैं।

जो नियम क़ायदा न० १७ की व्याख्या में दिये हैं उनका तरमीम करने में हमेशा ध्यान रक्खा जाता है।

¹ I L R 1942 Kerela (P C), C O I C 376 , 1940 Mad 641

² I L R 10 Pen 263 , 41 C 442 See Sec 148, C P C

प्रथम भाग

द्वितीय अध्याय

वाद पत्र या अर्जीदावा

अर्जीदावा, मुद्दई की नालिश की नींव का पत्थर होता है जिस पर मुकदमें का भवन उठाया जाता है। पुष्ट नींव पर हर प्रकार की इमारत मज़बूत बन सकती है इसी प्रकार से योग्य और उचित अर्जीदावा बन जाने पर मुद्दई के मुकदमे में कानूनी त्रुटियाँ खराबी आने का भय कम हो जाता है। यदि अर्जीदावा ठीक और यथेष्ट नहीं होता तो तरह-रुकी खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। बहुत सी त्रुटियाँ ऐसी होती हैं जिनका दूर करना बहुधा कठिन और कभी-कभी असम्भव हो जाता है।

प्रतिष्ठित कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो फैसला होने से पहिले या अपील में वापस लेने पड़ते हैं और दुबारा नालिश करने की इजाज़त अदालत से हासिल करनी होती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अर्जीदावे की खराबी प्रथम अपील या अपील द्वितीय के सुनने के समय प्रतीत होती है और उस समय उसके दूर करने का कोई उपाय नहीं रहता और बहुत सा रूपया खर्च हो जाने पर भी मुद्दई अपने ऐसे हक पाने में असफल रहता है जो उसके कानून से मिलना चाहिये था। सैकड़ों अच्छे मुकदमे लीडिङ्ग की खराबी से बिगड़ जाते हैं और मुद्दई के वह फल नहीं मिलता जो न्याय और नीति दोनों से उसके मिलना चाहिये था।

इसलिये आवश्यक है कि अर्जीदावा बहुत सोच-विचार के बाद लिखा जावे और उस व्यवहार की हर ओर से जाँच परताल करने और ऊँच-नीच समझने के बाद उसके लिखने के लेखनी उठाई जावे।

सादा और मामूली तमस्सुक व कर्ज़ इत्यादि की नालिशों को छोड़ कर बहुत भगड़े और ऐच-पेच के मामलों के अर्जीदावे जो लोग वे सोचे-विचारे जल्दी से लिख देते हैं उनको बहुधा पढ़ताना पड़ता है। कभी सशोधन की दख्खास्त देनी होती है, कभी किसी धारा को चटाना, बढ़ाना या बदलना पड़ता है, कभी विनायदावी आगे पीछे की जाती है, कभी एक विनायदावी की जगह दूसरी विनायदावी रक्खी जाती है या दोनों जोड़ी जाती है और इस वजह से कभी-कभी नये मुद्दई या मुद्दायलह बनाये जाते हैं।

इन सब दशाओं में कष्ट और साधारण व्यय के अतिरिक्त दूसरे फरीक के हर्जा देना पड़ता है। मुकदमे में वेमत्तलब का बढ़ाव और फैनाव होता है। दूसरा पक्ष

मुद्दई की सच्चाई और ईमानदारी पर आक्षेप करने का अवसर पाता है और तरह २ की शिकायतें पैदा हो जाती हैं। कभी २ यह विरोध उत्पन्न हो जाता है कि एक तरह का मुकदमा तरमीम से दूसरी तरह का मुकदमा हुआ जाता है। ये सब त्रुटियाँ सोच विचार और समझ बूझ कर अर्जीदावा तैयार किये जाने पर बहुत कम होती हैं। और दूसरे पक्ष को एतराज़ के अवसर बहुत कम हो जाते हैं।¹

इसमें सन्देह नहीं कि उत्तम और उचित अर्जीदावा तैयार होना बहुत कुछ वकील की योग्यता, समझ और ऊँच नीच व आगा पीछा देख लेने पर निर्भर है, परन्तु साधारण योग्यता का वकील भी, यदि वह सावधानी और समझ से काम ले तो ऐसा अर्जीदावा बना सकता है जो असावधानी से बने हुये अर्जीदावों की त्रुटियों और दोषों से रहित होगा।

कोई वकील किसी पक्ष के मुकदमे को उससे अधिक पुष्ट और सफलता योग नहीं बना सकता जितना कि वह असल में है, लेकिन उसके मुकदमे को सब से अच्छी दशा में अदालत के सामने रखना योग्य वकील का कार्य है। उसका कोई पहलू या हालत ऐसी न छूट जावे या रह जावे जो उस पक्ष की सफलता में रोक डालने वाली हो या जिससे उसके मुकदमे में कोई कानूनी खराबी पैदा हो जाती हो।

इस कर्तव्य को उत्तम और उचित रूप से पूरा करने के लिए पहिला काम जो वकील को करना चाहिये वह यह है कि मुद्दई या उसके पैरोकार से, जो मुकदमे के हाल पूर्ण रूप से जानता हो, उन कुल हालात को ध्यान से सुने और सुनने में जल्दी न करे और न अधीर हो। जो वकील ऐसा नहीं करते उनको बहुत से मुकदमों में पूरे वाक्यात नहीं मालूम होते और अधूरे वाक्यात पर अर्जीदावा बना देते हैं जिसमें तरह २ की खराबी रह जाती है। हालात सुनने में यह जानने की कोशिश की जावे कि मुद्दई की असल शिकायत क्या है और वह क्या दादरसी, किस तरह से चाहता है।

सुगमता के लिये कुल हालात तारीखवार, क्रम से नोट कर लेने चाहिये। यदि मुद्दई कोई वंशावली, खानदानी कुर्सीनामा या शिजरा या दायभाग का क्रम बयान करे तो वह भी लिख लिया जावे। अगर मामला ऐसा हो जिसमें कुछ आदमियों के पैदा होने या मरने की तारीख ज़रूरी हों या कोई खास तरीका उनकी विसारत का हो, तो वह भी नोट कर लिया जावे। कोई दाय भाग के सम्बन्ध में रिवाज जैसे गद्दीनशीनी, लश्कियों का हिस्सा न मिलना इत्यादि बयान किया जावे तो वह भी लिख लिया जावे।

इसी तरह जिस जायदाद का भगड़ा हो, उसकी तफसील, वह कब और किस तरह पैदा हुई, और किसके कब्जे में रही, और उसका क्या उपयोग रहा, और मुद्दई का हक उसमें कब और किस तरह पैदा हुआ और मुद्दायलेह किस वजह से मुद्दई को उसका हक देने से इनकार करता है, यह सब बातें नोट की जावें। इसी सम्बन्ध में कोई नक़शा, गोशदारा, फेहरिस्त या याददाश्त बनाने की आवश्यकता हो तो वह भी बनवा ली जावे।

- (ग) वह घटनाएँ (वाक्यात) जिनसे यह प्रकट हो कि अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है ।
- (घ) दादरसी, जिसका मुद्दा दावेदार हो—
- (च) जहाँ मुद्दा ने मुजराई दी हो या अपने दावे का कोई भाग छोड़ दिया हो तो मुजरा दिये हुये या छोड़े हुये मतालबे की संख्या ।
- (छ) अदालत का मुकदमा सुनने के अधिकार और कोर्ट फीस के मतलब के लिये मुकदसे में जिस चीज का भगड़ा हो उसकी मालियत, और उसका विवरण जहाँ तक मुकदमे का उससे सम्बन्ध हो ।

(अ) नाम उस अदालत का जिसमें नालिश दायर की जावे—

यह निश्चय करने के लिए कि दावा किस अदालत में दायर किया जावेगा दो बातों पर ध्यान रखना चाहिये । पहली, मुकदमे को मालियत, दूसरी विनायदावाया हक नालिश का पैदा होना ।

(१) मालियत या तायून के सम्बन्ध में जाता दीवानी समूह की धारा १५ में नियम दिया हुआ है कि प्रत्येक मुकदमा सब से छोटे श्रेणी की अदालत में, जो उसके सुनने का अधिकार रखती हो, दायर किया जावेगा (See Section 15, C. P. C.)

खफ्रीफा की अदालतें, उन अदालतों की निस्वत जिनको नम्बरी मुकदमा सुनने का अधिकार होता है, छोटे दर्जे की अदालतें समझी जाती हैं और कानून खफ्रीफा (Provincial Small Cause Courts Act, Act IX of 1887) की धारा १६ के अनुसार जिन मुकदमों का अदालत खफ्रीफा से निर्याय हो सकता हो उनको दूसरी अदालत नहीं सुन सकती हैं । इसलिये उन मुकदमों को जिनकी मालियत ५००) से अधिक न हो (और ऐसे स्थानों में जहाँ अदालत खफ्रीफा का अधिकार १०००) है, वहाँ १०००) ५० से अधिक न हो) और वह मुकदमें नकद रुपये के सम्बन्धित हो, तब ऐसे मुकदमे अदालत खफ्रीफा ही में दायर करने चाहिये ।

जो नालिशें खफ्रीफा की अदालतें नहीं सुन सकतीं वह अदालत मुन्सफी, सिविल जजी या ज़िला जजी में, जिनको उनके सुनने का अधिकार हो दाखिल करना चाहिये । भारतीय संघ (Indian Union) में कलकत्ता, मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना, और नागपुर के हाई कोर्टों के अतिरिक्त जो कि सम्राटीय चार्टर से स्थापित की गई थीं, गवर्नर जनरल के पास किये हुये भिन्न भिन्न कानूनों से नीचे लिखी हुई अदालतें स्थापित की गई हैं ।

¹ For Bombay Presidency, Act XIV of 1869, For Madras

प्रेसिडेन्सी नगरों को छोड़कर मुफ़सिल को दीवानी अदालतें प्रायः चार प्रकार की होती हैं :—

- (१) अदालत ज़िला जज
- (२) अदालत सिविल जज या सर्वाडिनेट जज प्रथम श्रेणी
- (३) अदालत ज़िला मुन्सिफ या अन्य मुन्सिफ या सर्वाडिनेट जज द्वितीय श्रेणी
- (४) अदालत जज खफीफा ।

पहली दो प्रकार की अदालतों के आर्थिक अधिकार की कोई सीमा नहीं है और यह अदालतें हर प्रकार के मुकदमों सुन सकती हैं चाहे उनकी मालियत कितनी भी हो ।

मुन्सिफों के आर्थिक अधिकार प्रायः ५०००) रु० से अधिक नहीं होते और कहीं कहीं पर केवल २०००) ही होते हैं । खफीफा के मुकदमों का निर्णय करने का अधिकार न्यायाधीश के अनुभव के अनुसार दिया जाता है और प्रायः ५००) रु० तक होता है । जहाँ पर खफीफा की अदालत पृथक होती है वहाँ पर उनके आर्थिक अधिकार १०००) रु० तक दिये गये हैं ।¹

(संयुक्त प्रान्त में ऐसी अदालतें आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ और मुग़दाबाद में स्थित हैं)

बम्बई, पंजाब व मध्य प्रान्त में अदालत सिविल जज को अदालत सर्वाडिनेट जज प्रथम श्रेणी की कहते हैं और अदालत मुन्सिफ को अदालत सर्वाडिनेट जज द्वितीय श्रेणी कहते हैं ।

सर्वसाधारण के हित के लिये जो ट्रस्ट स्थापित किये जाते हैं या जिनका किसी धार्मिक कार्य से सम्बन्ध हो उनको बाबत ट्रस्टी हटाये जाने, नये ट्रस्टी नियत करने या प्रबन्ध प्रणाली नियत करने इत्यादि के दावे ज्ञाता दीवानी की धारा ३२ के अनुसार अदालत ज़िला जज में दाखिल होते हैं । और कानूनी उत्तराधिकार (Indian Succession Act, Act XXXIX of 1925) और ईसाई धर्म के अनुयायियों के विवाह सम्बन्धित मुकदमों में (under the Indian Divorce Act, IV of 1869) अदालत ज़िला जज या अदालत हाई कोर्ट में दाखिल होते हैं ।

बहुत से प्रान्तों में स्थानीय कानून प्रचलित हैं जिनके अनुसार विशेष मुकदमों में माल की अदालतों में दाखिल होते हैं और उन मुकदमों से अदालत दीवानी का कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इसलिये जहाँ आवश्यकता हो ऐसे प्रान्तीय या स्थानीय कानून को मुकदमा दायर करने से पहले अवश्य देख लेना चाहिये ।

विनाय दावा या दूक़ नालिश के सम्बन्ध में ज्ञाना दीवानी संग्रह की धारा १६, १७,

¹ Presidency Act III of 1873, For Bengal N. W. P. and Assam Act VII of 1887

१८, १९ और २० हैं जिनका साराश यह है कि अचल सम्पत्ति (जायदाद गैरमनकूला) स्थित के दावे उस अदालत में दायर होते हैं जिसकी अधिकार सीमा के अन्दर वह जायदाद स्थित हो और चल सम्पत्ति (जायदाद मनकूला) और किसी मनुष्य के व्यक्तिगत हानि पहुँचाने पर दण्डों के दावे, मुद्दई की इच्छानुसार उस अदालत में दायर होते हैं जिसकी अधिकार-सीमा के अन्दर नुकसान पहुँचाया गया हो, या जिसकी अधिकार-सीमा के अन्दर मुद्दायलेह रहता हो या कारबार करता हो, या लाभ के हेतु कार्य करता हो।

इन नियमों के अनुसार प्रत्येक दावा उस अदालत में दायर किया जावेगा जिसके कि अक्षरतया समाप्त की अधिकार-सीमा के अन्दर—

(अ) मुद्दायलेह और जब एक से अधिक मुद्दायलेह हों तो हर एक मुद्दायलेह मुकदमा दायर करने के समय वास्तव में और अपनी खुशी से रहता हो या कारबार करता हो या मुनाफे के लिये काम करता हो, या।

(ब) मुद्दायलेहम में से कोई एक (जहाँ एक से अधिक हों) मुकदमा दायर करने के समय वास्तव में और अपनी खुशी से रहता हो या कारबार करता हो या अपने फायदे के लिये काम करता हो परन्तु शर्त यह है कि ऐसी हालत में या तो अदालत ने आज्ञा दे दी हो या मुद्दायलेहम जो ऊपर लिखी तरह न रहते हों या कारबार न करते हों या आप मुनाफे के लिये काम न करते हों, ऐसा दावा दायर होने में रज़ाखन्द हो, या—

(स) बिनाय दावा, पूर्ण या अंशित उत्पन्न हुआ हो।

अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले दखल, बटवारा या विभाजन, रहन होने पर नीलाम और इनफिकाक, भार की पूर्ति इत्यादि के दावे वहीं पर दायर होंगे जिस अदालत की अधिकार सीमा में ऐसी अचल सम्पत्ति स्थित हो। यदि भूगढ़े की जायदाद एक से अधिक अदालतों की अधिकार सीमा में स्थित हो तब दावा उनमें से किसी एक अदालत में मुद्दई की इच्छानुसार दायर किया जा सकता है।

प्रतिज्ञा भंग होने पर दावा करने का स्वत्व वहाँ पैदा होता है जहाँ पर (१) प्रतिज्ञा या मुहाइदा किया गया हो या (२) जहाँ पर ऐसी प्रतिज्ञा को भंग किया गया हो या (३) जहाँ पर उसके सम्बन्ध में कोई रुपया दिया लिया गया हो या दोनों पक्षों में और कोई कार्य करना नियत किया गया हो।

उदाहरण—यदि एक पुरुष ने स्थान देहली में २०० बोरे सरसों मुद्दई को स्थान बम्बई में देने और उसका मूल्य मुद्दई के फर्म से जो कि स्थान पटना में स्थित है, लेने की प्रतिज्ञा की और उसका रहने का स्थान कलकत्ता हो तो प्रतिज्ञा भंग होने पर दावा इन चारों शहरों में दायर किया जा सकता है क्योंकि देहली, बम्बई और पटना में बिनाय दावा पैदा हुआ और कलकत्ता मुद्दायलेह के रहने का स्थान था।

अदालत का मुकदमा सुनने का अधिकार (अख्तियार समाप्त) प्रार्थना पत्र या अर्जीदावा के बयानों पर निर्भर होना है¹ कभी कभी फरीकैन में मुआहिदा हो जाता है। कि यदि उनमें किसी व्यवहार या व्यवसाय का झगड़ा उत्पन्न होगा तो किसी विशेष अदालत में दायर किया जावेगा, यदि ऐसी प्रतिज्ञा हो तो दावा नियत अदालत में ही दायर करना चाहिये²

संयुक्त प्रान्त में U. P. Agriculturists' Relief Act की धारा, के अन्तर्गत कृषक के विरुद्ध दावा उसी अदालत में दायर किया जा सकता है जिसकी अधिकार सीमा में वह रहता हो न कि जहाँ उसका मोरुसी निवास स्थान हो³ मुदायलेह के निवास स्थान का नालिश दायर करते समय ध्यान रखना चाहिये।

(ई) व (ऊ) नाम पता व रहने का स्थान मुद्दई का और मुदायलेह का जहाँ तक मालूम हो सकता हो।

जाता दीवानी संग्रह के आर्डर १ नियम नं० १ के अनुसार।

“वह सब मनुष्य एक मुकदमे में मुद्दई सम्मिलित किये जा सकते हैं जिनको किसी एक ही कार्य या मामले या कर्तव्यों या मामलों के सिलसिले की बाबत, या उनके सम्बन्ध में, किसी दादरसी का हक होना बयान किया जाता हो, चाहे सम्मिलित हो कर पृथक् २, या उनमें से किसी को, जहाँ यदि ऐसे आदमी पृथक् २ दावा दायर करते, तो घटनाओं या कानून के समान प्रश्न उत्पन्न होते”।

इसी प्रकार से उसी आर्डर के नियम ३ के अनुसार “वह सब मनुष्य मुदायलेह बनाये जा सकते हैं जिनके विरुद्ध में कोई दादरसी का हक एक ही कार्य या व्यवहार या कई कार्यों या व्यवहारों में होना बयान किया जाता हो, चाहे सम्मिलित होकर या पृथक् २ या उनमें से किसी पर, जहाँ कि पृथक् २ दावे ऐसे मनुष्यों के विरुद्ध में दायर होते, तो कोई घटनाओं या कानून का समान प्रश्न उत्पन्न होता”।

इन दोनों नियमों का अभिप्राय यही है कि जहाँ पर समान प्रश्न कानून से या घटनाओं से उत्पन्न होते हों वहाँ पर एक से अधिक मनुष्यों के स्वत्वों का निर्णय अदालत कर सकती है और ऐसे सब मनुष्य को एक ही मुकदमे में मुद्दई या मुदायलेह बनाये जा सकते हैं।

साधारणतया दावों में वादी और प्रतिवादी नियत पुरुष ही होते हैं परन्तु बहुत से दावे ऐसे होते हैं जिनमें निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कई विशेष पुरुषों में से वास्तविक स्वत्वशुद्धिकारी कौन सा पुरुष है या किसके विरुद्ध अदालत

¹ Heli Ananti v Chouhu, A. I. R. 1930, All 193 F B

² Muesli v. Durgadas, A. I. R. 1946, Lab 57, F B 936 All 514, 1937 All 650

³ Kichori Lal v. Ram Sander, 19 A L J 822.

से डिगरी मिल सकती है। ऐसी दशा में इन नियमों के अनुसार वे सब मनुष्य मुद्दई या मुद्दायलेह बनाये जा सकते हैं।

ऐसे मनुष्यों के अतिरिक्त बहुत से मुकदमों में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका फ़रीक होना दूसरे नियमों के अनुसार आवश्यक होता है और उनके फ़रीक किये बिना वह मुकदमे नहीं चल सकते।

ज़ाव्ता दीवानी का आर्डर ३४ नियम १, रहन के दावों से सम्बन्ध रखता है और वह यह है:—

“रहन के सम्बन्धित किसी दावों में वे सब मनुष्य फ़रीक बनाये जावेंगे जिनका रहन वाली जायदाद या रहन छुड़ाने के अधिकार में कोई हक हो”

इसलिये रहन के मुकदमे में चाहे वह रहन छुड़ाने का हो या जायदाद नीलाम कराने का, वे सब व्यक्ति फ़रीक कर लेने चाहियें जिनका सम्बन्ध जायदाद या हक इनफिकाक से हो^१ जो पुरुष मुद्दई बनने चाहिये और बनने से इनकार करें, उनके मुद्दायलेह बना देना चाहिये और यह बात स्पष्ट रूप से अर्ज़ीदावे में लिख देना चाहिये।

इसी तरह मुआहिदा की बाबत जो नालिश उसके पूरा करा पाने या उसकी बाबत और दादरसी हासिल करने की होती है उसमें वे सब व्यक्ति जिनको दादरसी का हक होता हो और वे सब मनुष्य जिनके मुक़ाविले में दादरसी का हक होता हो, ज़रूरी फ़रीक होते हैं और उनके लिये भी ऊपर लिखे अनुसार कार्रवाई करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में कानून मुआहिदा (एक्ट १ सन् १८७२) की दफे ४१ व ४३ पर ध्यान रखना चाहिये।

बहुत से मुकदमों में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको फ़रीक बनाना या न बनाना मुद्दई के अख्तियार में होता है। जैसे अगर कोई बर्ज़ का खर्चादा उसकी वसूलयाबी का दावा देनदार के मुक़ाविले में दायर करे तो बर्ज़ा बेचने वाले का फ़रीक मुकदमा करना लाज़िमी नहीं होता। इसी तरह जो और दूसरी नानिशें इन्तक़ाल लेने वाले की जानिव से होती हैं उनमें इन्तक़ाल करने वाले फ़रीक ज़रूरी नहीं होते लेकिन सुबिधा इसीमें बहुधा रहती है कि बेचने वाले को फ़रीक कर लिया जावे जिसमें वह आगे के अपने किये हुए इन्तक़ाल की बाबत कोई भगड़ा पैदा न कर सके।

जहाँ कहीं सन्देह हो कि कोई विशेष व्यक्ति फ़रीक बनाना चाहिये या नहीं तो ऐसी दशा में अच्छा यही होता है कि उसके फ़रीक मुकदमा कर लिया जावे और अर्ज़ीदावे में वह घटनायें लिख दी जावें जिनके कारण से उसके फ़रीक बनाया हो। ऐसा करने से यदि अदालत उसके अनावश्यक फ़रीक करार देती है तो मुद्दई से खर्चा बहुधा उन चरनायों का खयाल करते हुये नहीं दिलाती।

१ A I R 1927, P C 232

२. A. I R 1935 Cal 667

जो नालिश मियाद खतम होने के करीब दायर होती है उसमें फरीक बनाने की बाबत विशेष सावधानी बर्तनी पड़ती है। अगर कोई जरूरी फरीक मियाद के अन्दर फरीक बनने से रह जाता है तो उसके मुक़ाविले में दावे में तमादी लग जाती है।

इन सब बातों को सामने रखते हुए वकील को अर्ज़ादावा तैयार करना और मुक़दमे को तरतीब देना चाहिये।

इन दोनों उपनियमों (ई व ऊ) में पूरा पता से अभिप्राय पिता का नाम, जाति, व्यवसाय और निवास स्थान से होता है जिससे उस व्यक्ति की व्यक्तित्व (Individuality) निश्चय हो जाय। जहाँ वादी या प्रतिवादी संख्या में एक से अधिक हो तो उन पर नम्बर डाल देने चाहिये विशेष कर जब प्रतिवादियों की संख्या अधिक हो और उनके स्वत्व एक से पृथक् पृथक् हों या उनको भिन्न २ कारणों से प्रतिवादी बनाया गया हो तो उनके दूसरे पृथक् २ पक्ष बना देने से सुविधा होती है जैसे प्रतिवादी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष इत्यादि (मुद्दायलेहम फरीक अव्वल, फरीक दोयम, फरीक सोयम वगैरह)

यदि वादी बहुत से हो और उनके स्वत्वाधिकार पृथक् हो सकते हैं तो भी ऐसा ही कर लेना चाहिये परन्तु ऐसा कम होता है क्योंकि जहाँ भिन्न २ वादियों के स्वत्व पृथक् २ होते हैं वहाँ पर उनकी ओर से एक ही मुक़दमा चालू करने के बजाय एक से अधिक दावा दायर करना अच्छा होता है। जब किसी विशेष वादी या प्रतिवादी के सम्बन्ध में कोई घटना अर्ज़ादावे में लिखी जावे तो यह अच्छा होता है कि उसके नाम के साथ उसका नम्बर अथवा उसका पक्ष या दोनों ही लिख दिये जावें जैसे—“लक्ष्मी चन्द वादी नं० २” या “रामकृष्ण प्रतिवादी नं० ६” या “अहमद बख्श मुद्दायलेह फरीक दोयम” इत्यादि। ऐसा करने से गलती का डर बहुत कम हो जाता है।

उपनियम (अ), (ई) और (ऊ) में जो बातें लिखी जाती हैं वह मुक़दमे का सिरनामा कहलाती हैं। अर्ज़ादावे में मुक़दमे का सिरनामा विवरण के साथ दिया जाता है और वह इस प्रकार होता है। (देखो परिशिष्ट (१) अपेन्डिक्स (ए) ज़ाब्ता दीवानी)।

मुक़दमे का सिर नामा

अदाबत ...

अ— व — (लिखो पूरा पता, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान इत्यादि)
 वादी या मुद्दई ।

बनाम

क— ख — (लिखो पूरा पता, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान इत्यादि)
 प्रतिवादी या मुद्दायलेह ।

इसके अतिरिक्त मुक़दमे का नम्बर और (वर्ष ईसवी सन्) लिखा जाता है। वास्तव में यह सिरनामे का कोई भाग नहीं है परन्तु इसके लिखने की आवश्यकता इस कारण

से होती है कि एक अदालत में एक साल में सैकड़ों मुकदमों दायर होते हैं और जब तक मुकदमों का साल और नम्बर न मालूम हो उसकी मिसल का पता लगना कठिन होता है और उसके सम्बन्ध के कागज़ उसकी मिसल में सुविधा से सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। इसलिये अर्ज़ीदावे के सिवाय और जो प्रमाण पत्र, कागज़, दरख्वास्त, फिहरिस्त सबूत इत्यादि दाखिल होते हैं उन पर भी संक्षिप्त सिरनामा और मुकदमों का नम्बर और साल लिखना पड़ता है और वह इस प्रकार होता है—

अदालत..... ।

नम्बर मुकदमासन्..... ।

अ—व,..... मुद्दई ।

बनाम

क—ख,.....मुद्दायलेह ।

(क) यदि मुद्दई या मुद्दायलेह नाबालिग या बुद्धिहीन (पागल) हो तो हो यह कि वह ऐसा है—

इस नियम के अनुसार जिन मुकदमों में वादी या प्रतिवादी आवश्यक या बुद्धिहीन (नाबालिग या पागल) होते हैं उनमें आवश्यक होता है कि इस बात का उल्लेख किया जावे क्योंकि विधानानुसार ऐसा व्यक्ति न कोई दावा कर सकता है न किसी दावे का प्रति उत्तर दे सकता है ।

यदि वादी (मुद्दई) नाबालिग या बुद्धिहीन हो तो उसकी ओर से दावा उसके किसी मित्र, पैरोकार या रफ़ीक की मार्फ़त, आर्डर ३२ नियम न० १ ज़ाप्ता दीवानी संग्रह के अनुसार होना चाहिये । यदि ऐसा न किया जावे तो प्रतिवादी की प्रार्थना पर ऐसा दावा खारिज कर दिया जाता है और जो पुरुष या वकील ऐसा दावा दायर करने का ज़िम्मेदार हो उससे अदालत प्रतिवादी का खर्चा दिला सकती है।

इसी प्रकार से यदि प्रतिवादी नाबालिग या बुद्धिहीन हो तो अदालत मुकदमों में किसी अन्य कार्यवाही होने से पहले आर्डर ३२ नियम ३ ज़ाप्ता दीवानी संग्रह के अनुसार उसका संरक्षक या वाली उस मुकदमों के लिये नियत करती है और इसके लिये दरख्वास्त मुद्दई को देना पड़ती है जो किसी ऐसे पुरुष का नाम निर्धारित करता है जो नाबालिग का संरक्षक होने योग्य हो और जिसका कोई हक नाबालिग के विरुद्ध उस मुकदमों में न हो । यदि नाबालिग का पहले से कोई सर्टिफिकेट प्राप्त संरक्षक हो तो प्रायः वही मुकदमों में उसका संरक्षक नियत किया जाता है ।

जो प्रार्थना पत्र मुकदमों के दौरान में संरक्षक नियत करने के लिये दी जाती है उसकी पुष्टि (ताईद) के लिये शपथ पूर्वक कथन (बयान हलफ़ी) देना होता है जिसमें

प्रातवादी के अवयस्क होने और निर्धारित संरक्षक का उसका योग्य संरक्षक होना इत्यादि लिखना चाहिये। जो नियम नाबालिगों के लिये ज्ञाप्ता दीवानी संग्रह में दिये हुए हैं वही नियम आर्डर ३२ नियम १५ के अनुसार बुद्धिहीन पुरुषों को भी लागू होते हैं

दावा हमेशा नाबालिग के नाम से दाखिल होता है, बली के नाम से दाखिल नहीं होता और न बली फरीक मुकदमा समझा जाता है¹ विला बली के कोई दावा नाबालिग की ओर से अदालत में सुनने योग्य नहीं होता है। कोई मुसलमान नाबालिग स्त्री भी अपने पति के विरुद्ध तलाक के लिये दावा बिना बली के नहीं कर सकती² और बिना सरदर नियत किये नाबालिग के विरुद्ध यदि डिगरी हासिल भी कर ली जावे तो वह न्याय विरुद्ध होती है³ इसलिये यह हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है कि जहाँ पर कोई फरीक नाबालिग हो, उसका सरदर नियत कराये बिना मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहिये यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग का, उसकी बिना रजामती संरक्षक नहीं बनाया जा सकता है⁴ यदि मुकदमे के दौरान में नाबालिग बालिग हो जावे तब उसकी सूचना अदालत को दरखास्त देकर देनी चाहिये जिससे अदालत उसके संरक्षक को हटा दें।

विशेष मुकदमों में फरीकैन का पता

कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनमें मुद्दई और मुद्दायलेह के पता देने के लिए विशेष नियम बताये गये हैं। इन नियमों का ध्यान रखकर अर्जिदावा या जवाबदावा तैयार करना चाहिये। शीर्षक के नमूने नीचे दिये हुये हैं।

जो नालिशें सरकार की ओर से या उसके विरुद्ध की जाती हैं उनमें जामा दीवानी संग्रह की धारा ७६ के अनुसार पता इस प्रकार देना चाहिये।

(अ) जब कि मुद्दई या मुद्दायलेह केन्द्रीय सरकार हो तो उसका पता (Government of India Act of 1935) के अनुसार "गवर्नर जनरल इन काउन्सिल" या "इन्डियन यूनियन सरकार"

पहिले "सिक्रेटरी आफ स्टेट फार इन्डिया इन कौन्सिल" के नाम से जो मुकदमे चलते थे वह अब Indian Independence Act 1947 के बाद "भारत संघ" या "इन्डियन यूनियन" के नाम से जावेंगे।]

(ब) जब कि प्रान्तीय सरकार फरीक हो तो उसका पता प्रान्तीय सरकार के नाम से दिया जाता है, जैसे प्रान्तीय सरकार संयुक्त प्रान्त विहार इत्यादि।

एडवोकेट जनरल, प्रान्त या सूबा...

1 Bhaba Pershad Khan v Secretary of State, I L R 14 Cal 159 (F B.)

2 Salina Bibi v Natthi, 1944 A L W 41.

3 Vali Jan v Bankey Behari, 30 I L R Cal 1021 (P C) also 57 Mad. 973, 55 Cal 124

4 Baij Nath Rai v Dharam Deo Tewari, 14 A. L J 353, 29 A L J 777.

कलकटर या जिलाधीश जिला

स्टेट ऑफ या रियासत

[Sovereign Prince या Ruling Prince, स्वतंत्र नरेश अपने राज के नाम से दावा कर सकता और उसके विरुद्ध उसके राज के नाम से दावा हो सकता है इस सिलसिले में जासा दीवानी समूह की धारा ८२ से ८७ तक देखने योग्य है ।]

अ—ब— लिमिटेड कम्पनी जिसका रजिस्टरी किया हुआ दफ्तर स्थान है ।

अ—ब— एक पब्लिक आफिसर क—ख—कम्पनी का ।

अ—ब— (लिखो पूरा पता इत्यादि स्वयं अपने और क—ख— (पता इत्यादि लिखो) के और सब ऋण देने वालों की ओर से ।

अ—ब— (पूरा पता और निवास्थान लिखो) स्वयं अपनी और अन्य डिबेचर हिस्सेदार कम्पनी . . . लिमिटेड की ओर से ।

अ—ब— 'नावालिग (पूरा पता और निवास्थान लिखो), क—ख (या कोर्ट आफ वार्डस) अपने रफ्रीक—की मारफत ।

अ—ब— (पूरा पता इत्यादि) पागल (या कमसमझ बज़रिये क—ख अपने रफ्रीक के

अ—ब— 'फर्म शराकती जो साफे का कारवार स्थान आफशल रिसविर करता है ।

[दो या दो से अधिक व्यक्ति जो आपस में किसी फर्म के साभोदार हों, उस साभोदारी के संबंधित दावे फर्म के नाम से दायर कर सकते हैं और उनके विरुद्ध भी फर्म के नाम से दावा हो सकता है । एक ही साभोदार फर्म की ओर से अर्जा दावा व जवाब दावा पर हस्ताक्षर कर सकता है और उसको प्रमाणित (तसदीक) कर सकता है परन्तु हिन्दू अविभक्त कुल की ओर से, कर्ता या मैनेजर के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हिन्दू कुल के सदस्य कानूनन साभोदार नहीं समझे जाते ।¹

सिन्ध और पजाब प्रान्तों को छोड़कर, जहाँ पर जासा दीवानी के आर्डर ३० नियम ३ को हिन्दू अविभक्त कुल के कारवार के लिये भी लागू कर दिया है, अन्य प्रान्तों में कुल के फर्म के नाम से दावा नहीं चल सकता ।²

अ—ब— (पता इत्यादि) बज़रिये अपने एटर्नो क—ख (पता इत्यादि) . . . के ।

अ—ब—, (पता इत्यादि) शिवायत ठाकुर

अ—ब—, (पता इत्यादि) वसी अ—ख मरे हुये का . . .

अ—ब—, (पता इत्यादि) उत्तगधिकारी—मृत क—ख—का ।

¹ A I R 1936 Nag 292

² A I R 1940 Lab 256, 1935 [All 280, 1933 Bom 304, 1938 Pat 270]

नियम न० १ (ख)—घटनाएँ जिनसे नालिश करने का अधिकार उत्पन्न हो और यह कि वह रुच पैदा हुआ—

इस उ.नियम का अर्थ है कि मुकदमे के तत्व की घटनाएँ, अर्थात् वे घटनाएँ जिनको प्रमाणित करने पर मुद्दई अदालत का निर्णय अपने हक में घोषित होने की आशा करता हो, अर्जीदावे में लिखनी चाहिये ।¹

इन्हीं तत्व की घटनाओं के उचित रूप से उल्लिखित किए जाने पर दोनों पक्षों के स्वत्वों और मुकदमे का निर्णय निर्भर होता है क्योंकि ये घटनाएँ मुकदमे की बुनियाद या आधार होती हैं । इनके यथेष्ट रूप से लिखने के लिए नियम पहले अध्याय में दिये जा चुके हैं (आर्डर ६, नियम २ और उसकी व्याख्या विशेष रूप से देखनी चाहिये) ।

उन नियमों का सारांश यह है कि प्रार्थना पत्र से स्पष्ट रूप से प्रगट होना चाहिये कि मुद्दई को किस प्रकार में और किस समय हक नालिश उत्पन्न हुआ और मुद्दाअल्लेह की ज़म्मेदारी किस प्रकार पैदा हुई । ये घटनाएँ विस्तार पूर्वक नहीं बरन् संक्षिप्त रूप में लिखी जानी चाहिये ।

इस सम्बन्ध में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है । कहीं कहीं पर एक ही घटना से या बहुत से घटनाओं से वादों को एक से अधिक स्वत्व उत्पन्न होते हैं और उनके लिए वह भिन्न भिन्न दादरसी माँग सकता है । इसके विरुद्ध कहीं कहीं पर एक से अधिक घटनाओं के घटित होने पर भी उसका एक ही दादरसी मिल सकती है । दोनों दशाओं में घटनाओं को अर्जीदावे में इस प्रकार से लिखना चाहिये जिससे मुद्दई के भिन्न भिन्न स्वत्व, यदि हों प्रकट हो जावें और वह उन सबको प्रमाणित कर सके और वहस के समय उनसे सहायता ले सके ।

उदाहरणः—(१) यदि मुद्दई अपने किसी पूर्वज का उत्तराधिकारी हो और ऐसे पूर्वज ने उसके हक में निष्ठापत्र (वसीयत नामा) भी लिखा हो, तो यह दोनों बातें अर्जीदावे में प्रगट होनी चाहिये कि मुद्दई उत्तराधिकार से और वसीयत से भी पूर्वज की संपत्ति पाने का अधिकारी है ।

(२) यदि वादी अपने मकान के सामने की ज़मीन को प्रायः २० वर्ष से आने जाने या मालकाना रूप से प्रयोग में लाता रहा हो और प्रतिवादी उसमें हस्तक्षेप करे तो वादी अपने दावे में कह सकता है कि वह उस ज़मीन का १२ साल से अधिक कब्ज़ा मुद्दालिपाना रखने से मालिक हो गया और यदि यह साबित न हो सके तो यह भी कि उसको उस भूमि पर सुविधाधिकार (हक आशाइश) हासिल है ।

(३) इसी प्रकार मुद्दई, मुद्दायलह के ऊपर उसको, अपनी ओर से किरायेदार बसान करके दावा करे और यह भी कि मुद्दई उस जायदाद का मालिक है ताकि किराये दारी साबित न होने पर दावा खारिज न हो ।

¹ O. J. : Gill, 8 C P 107, I L R 30 Bom. 570, I L R 39 All 506 ;
I L R 22 Cal 451

वे घटनाएँ जिनसे हक उत्पन्न होने का समय प्रगट हो इसलिये लि जना आवश्यक होता है जिससे दावे का मियाद के अन्दर होने का हिसाब लग सके ।¹

नियम नं० १, (ग) वे घटनाएँ जिनसे यह प्रकट हो कि अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है ।

इस नियम के अनुसार यह अर्जीदावा मे दिखलाना आवश्यक होता है कि अदालत की अधिकार सीमा के अन्दर प्रतिवादी का निवास स्थान होने, अथवा हक नालिश उत्पन्न होने या भगड़े वाली अचल संपत्ति का ऐसी सीमा मे स्थिति होने के कारण अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है² इस सम्बन्ध मे जानता दीवानी संग्रह की १५ से लेकर २० तक धाराएँ देखली जावे और यदि तब भी किसी विशेष अदालत का मुकदमा सुनने का अधिकार संदेह युक्त प्रतीत हो, तो वे सब घटनाएँ जिनसे मुद्दे का उस अदालत में दावा करने का हक बनता हो, अर्जीदावे मे स्पष्ट रूप से लिख दी जावें ।

यदि दावा किसी प्रतिज्ञा या उसकी पूति न करने से सम्बन्ध रखता हो, तो कानून मुआहिदा (Contract Act) की वे धाराएँ जिनमे प्रस्ताव की स्वीकारी या अस्वीकारी का उल्लेख है ध्यान में रखनी चाहिये क्योंकि हक नालिश अंगतः अधिकार सीमा में उत्पन्न होने से भी अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है ।

यह बात मुद्दे को सिद्ध करनी होती है कि उस अदालत को, जहाँ पर दावा दाखिल किया गया, मुकदमा सुनने का अधिकार है न कि मुद्दायलह को, कि ऐसा अधिकार उस अदालत को नहीं है³ । इसके अतिरिक्त जो बयान अर्जीदावे में लिखे जाते हैं उन्हीं के अनुसार, न कि जवाबदावे के बयानों के अनुसार, वह अदालत नियत होती है जहाँ कि मुकदमा सुना जावेगा⁴ और यह भी अर्जीदावे के बयानों पर ही निर्भर है कि मुकदमा अदालत माल मे सुना जावे या दीवानी मे⁵ इस लिए ऐसे बयानों का अर्जीदावा में लिखा जाना अत्यन्त आवश्यक होता है ।

नियम नं० १ (घ) मुद्दे का फरियाद, या दादरसी जिसका वह पार्थी हो ।

मुद्दे की प्रार्थना, जो अर्जीदावे के अन्तिम भाग मे लिखी जावे, उचित और स्वष्ट शब्दों में होनी चाहिये और इस प्रकार की होवे जो उसकी बयान की हुई घटनाओं

1. I L R 59 Cal 448

2. A. I. R. 1938 Mad 497 ; 1925 Nag 183

3. A. I. R. 1938 Mad 497.

4. I L R 52 All 501, F B , 13 Pat 344 F B , A. I. R. 1934, Lah. 803

5. A. I. R. 1931 All. 664 .

से उसके विधानानुसार मिल सकती हो और अदालत उसके देने का अधिकार रखती हो। अनावश्यक शब्द दादरसी में उचित नहीं होते और आगे चलकर उनसे अन्य झगड़े उत्पन्न होने का भय रहता है। ऐसे शब्द जैसे 'मुद्दई के हक का खयाल करके' या 'बतजवोज़ इस वाके के कि ..' या 'बहुस्तक्रार इस अमर के' इत्यादि अनावश्यक शब्द हैं और व्यर्थ होते हैं। कभी २ उनके कारण अधिक कोर्ट फीस देनी पड़ती है।

यदि किसी नाबालिग के संरक्षक ने कोई जायदाद क्रय या रहन कर दी हो या उसका कोई अन्य परिवर्तन कर दिया हो और नाबालिग, बालिग हो जाने पर जायदाद के दखल का दावा दायर करे तो ऐसी नालिश में बैनामे, रहननामे या अन्य दस्तावेज़ बे मंसूख कराने की प्रार्थना अनावश्यक होती है।

इसी प्रकार से उत्तरदायी या पश्चात् दाय-भागी (वारिस या बाद) जो दखल की नालिश किसी हिन्दू विधवा के मर जाने पर ऐसे पुरुष के मुक़ाबले में दायर करते हैं जिसने उस विधवा से दै या रहन इत्यादि ली हो, उसी नालिश में इन्तकाल मंसूख कराने की दादरसी व्यर्थ होती है, परन्तु देखने में आया कि प्रायः अनुभवी वकील भी ऐसी दादरसी लिखे बिना नहीं रहते।

जिन मुक़दमों में इस्तक्रार की दादरसी जरूरी हो वहाँ उसके लिये प्रार्थना करना चाहिये जैसे कुर्षी से बचाने के लिये इस्तक्रार कराना जरूरी होता है परन्तु जहाँ दखल की दादरसी हो वहाँ इस्तक्रार भी चाहना व्यर्थ होता है।

रहन के आशर पर जो नालिश जायदाद के नीलाम की हो, उसमें दादरसी चाहे डिग्री आर्डर ३४ रूल ४ ज़ाब्ता दीवानी के अनुसार माँगी जा सकती है चाहे वह इवारत लिख दी जा वे जो ऐसी डिग्री में लिखी जाती है। रहन छुटाने, रहन के प्रतिषेध करने और प्रतिष्ठा पूर्ति की नालिश में भी इसी प्रकार से दादरसी बनाना चाहिये।¹ विरोध ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अदालत हुकम सुनाने में बहुधा दावे को डिग्री या डिस्मिस करती है और उसी के अनुसार डिग्री तैयार होती है और डिग्री में डिग्री लिखने वाले अधिकतर अर्जादावे की दादरसी की इवारत नक़ल कर देते हैं, इसलिए जिस पक्षर उत्तम और उचित शब्दों में दादरसी होगी, तो दावा डिग्री होने पर उसी प्रकार अधिक अक्सर उनके प्राप्त होने का होगा।

जो नालिश मरे दृष्टे श्रेणी के उत्तराधिकारी के ऊपर हो उसमें दादरसी की माँग श्रेणी की जायदाद के मुक़ाबले में होनी चाहिये यदि वारिस ने कोई ऐसी जायदाद का हिस्सा अपने काम में लगा लिया हो तो उसकी हद तक, दादरसी वारिस की म़ात के मुक़ाबले में माँगी जा सकती है।

अन्यथा (नाबालिग) अथवा बुद्धि हीन (पागल) की केवल जायदाद ज़म्मेदार

¹ Or. 54, Rule 2 to 7, C. P. C.

होती है। इसी तरह मन्दिर के शिवायत, ट्रस्टी और वक्फ की जायदाद के मुतवल्ली बहुषा जायदाद की हद्द तक जुम्मेवार होते हैं सारांश यह है कि दादरसी ऐसी मॉगी जावे जो विधानानुसार मिल सकती हो और मुकदमे की घटनाओं से मुद्दई उसके पाने का हकदार हो।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि आर्डर २ नियम ३ जाब्ता दीवानी संग्रह का अभिप्राय है कि जो जो प्रार्थना एक ही विनाय दावे के निसबत मुद्दई कर सकता है और जो उसको विधानानुसार मिल सकती है उसको करनी चाहिये क्योंकि यदि असावधानी से कोई विशेष प्रार्थना छूट जावे तो उसके लिये दूसरा दावा नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके लिये अदालत से आज्ञा न ली गई हो। मुद्दई का कुल दावा जो किसी विशेष विनाय पर उत्पन्न हो उसके मुकदमें में सम्मिलित समझा जाता है^१ इसलिये मुद्दई का कर्तव्य होता है कि प्रत्येक दादरसी जो उसके मिल सकती हो, अर्जीदावे में दर्ज करे।

नियम नं० १ (च) मुजरा दिये हुए या छोड़े हुए मालके की संख्या।

जो दावे का भाग छोड़ा जावे या मुजरा दिया जावे उसके अर्जीदावे के अन्दर या हिसाब की तफसील में, या दोनों जगह जैसा जहाँ उचित हो लिख देना चाहिये। छोड़े हुए भाग का अन्य दावा नहीं हो सकता और मुद्दई का दावा एक विनाय मुख्तसमत की बावत उस कुल दादरसी का समझा जाता है जो वह उस की बावत कर सकता है। यदि मुद्दई ने कानूनन दो दादरसी मिलने का हक हो और वह उनमें से केवल एक दादरसी चाहे तो यह समझा जायेगा कि दूसरी दादरसी उसने छोड़ दी है। (देखो जाब्ता दीवानी आर्डर २, रूल २)।

नियम नं० १ (छ) भगड़े वाली सम्पत्ति का विवरण और उसकी मालियत।

जाब्ता दीवानी संग्रह की धारा १५ से प्रत्येक मुकदमा उसकी मालियत के अनुसार सबसे नीचे की श्रेणी की अदालत में दाखिल होता है इसलिये अर्जीदावे में मालियत लिख देने से वह अदालत निश्चित हो जाती है जिसको उस मुकदमे के सुनने का अधिकार हो^२ और उसी आधिकार संख्या, मालियत या तायून से यह निश्चय होता है कि उस मुकदमे में अपील हो सकती है या नहीं और यदि हो सकती है तो किस अदालत में। भगड़े वाली वस्तु की मालियत के हिसाब से ही कोर्ट फीस देनी होती है।

जहाँ कोर्ट फीस भगड़े वाली सम्पत्ति के बाज़ारी मूल्य के हिसाब से ली जावे वहाँ यह दोनों संख्या एक ही होती हैं परन्तु बहुत से मुकदमों में अन्य रीति से कोर्ट फीस लिया जाता है जैसे ज़मींदारी के दखल के दावों में मालगुजारी के पंचगुनी संख्या पर यद्यपि उसका बाज़ारी मूल्य वही अधिक हो^३ रहन छुटाने या रहन के प्रतिषेध के दावों में कोर्ट फीस रहन के मूल घन पर दिया जाता है^४ और किरायेदार को वेदखल करने के दावों में

1 1900 A W N 214 .

2 I L R 40 Mad Page 1

3 See A I R 1957 Bcn 326 , and Sec 7 V (d) Court Fees Act

4 Sec Art 17 (iii) Court Fees Act

केवल एक वर्ष के किराये की संख्या पर कोर्ट फीस लगता है, ऐसे दावों में अदालत के आर्थिक अधिकार के लिये और कोर्ट फीस के लिये दावे की मालियत की संख्या भिन्न भिन्न होती है।

इस उप-नियम के अनुसार भगड़े वाली जायदाद की मालियत और उसका विवरण अदालत के मुकदमा सुनने के अधिकार को नियत करने और कोर्टफीस अदा करने की गुरज से लिखना जरूरी होता है। कभी दोनों के लिए मालियत एक होती है और कभी पृथक् पृथक्। इस सम्बन्ध में कोर्टफीस¹ और स्ट्ट्स वैल्यूएशन एक्ट² ८ सन् १८८७ की उचित धाराओं का ध्यान रक्खा जावे।

नियम नं० २—यदि मुद्दई नकद रुपया का दावेदार हो तो अर्जीदावे में दावे की शुद्ध संख्या लिखी जायगी परन्तु यदि नालिश पिछले मुनाफे की हो और शुद्ध संख्या इस प्रकार की हो कि वह मुद्दई और मुद्दाअलेह के मध्य हिसाब लिये जाने पर मालूम हो तब अर्जीदावे में दावे के रुपये की केवल अनुमानित संख्या लिखनी पर्याप्त होगी।

भाशय यह है कि जब मुद्दई दावे के रुपये की ठीक संख्या जानता हो तो उसको वह संख्या लिख देनी चाहिये, जैसे कर्जा, तमस्तुक, हुन्डी, रुक्का, माल की क्रीमत इत्यादि की नालिश में ठीक तादाद लिखना जरूरी है। यदि नालिश किसी जायदाद की ग्रामदनी की बावत हो या हिसाब समझने की हो जिनमें हिसाब हुए बिना ठीक तादाद नहीं मालूम हो सकती, उनमें अनुमान से तादाद लिख देना काफी होता है।

हिसाब समझाने, पुराने मुनाफे और अन्य ऐसे दावों में जहां नालिश करने के समय मुद्दई को अपना रुपया निश्चित रूप से मालूम न हो, उनमें पिछले मुनाफे के हिसाब से³ न कि आगे होने वाले मुनाफे के हिसाब से मालियत निश्चित की जाती है और उस पर कोर्ट फीस दी जाती है।⁴ और बहुधा यह प्रार्थना करना उचित होता है कि हिसाब से जितना रुपया मुद्दई का निकले उसकी डिगरी, कोर्ट फीस लेकर सादिर की जावे। यदि अदालत मुकदमे की मालियत से अधिक की डिगरी मुद्दई को दिलाती है तो ऐसे अधिकांश पर डिगरी की तय्यारी के समय कोर्ट फीस ले ली जाती है।

नियम नं० ३—जब अचल सम्पत्ति के लिये दावा हो तो अर्जीदावे में उस जायदाद का पर्याप्त पता, जिससे वह नियत की जा सके, लिखा जायेगा यदि उस जायदाद की चौहद्दी या नम्बर, बन्दोबस्त या पैमाइश के कागजों में दर्ज हो तो अर्जीदावे में ऐसी चौहद्दी और नम्बर लिखे जावेंगे।

¹ Court-fees Act VII of 1870 as amended in 1938

² Suits Valuation Act, Act 8 of 1887

³ I I R 53 Cal 992, 5 Pat 361 F B

⁴ A I R 1935 Loh 689, 22 I C. 71

जायदाद की तफसील लिखने के दो मतलब होते हैं। प्रथम यह कि दोनों पक्षों में उसकी पहचान की वाबत कोई झगड़ा नहीं होने पाता¹ और दूसरे डिग्री सादिर हो जाने के बाद उसके इजराय में कोई बखेड़ा नहीं होता।² उपरोक्त स्पष्ट नियम, होने पर भी यह देखा गया है कि वकीलों के मुहरिरर हम तरफ पूरा ध्यान नहीं देते। कहीं चौहद्दी अशुद्ध होती है, कहीं खाता और खेवट का नम्बर नहीं होता, और कहीं मुहाल लिखने से रह जाता है। कहीं रसदी हिस्सा न्यूनाधिक (कम बेश) लिख दिया जाता है, कहीं रकबा या मालगुजारी ठीक नहीं होते³ जिसका फल यह होता है कि इजराय डिग्री में बहुत से विरोध उत्पन्न हो जाते हैं और कभी कभी मुद्दई अपनी डिग्री का फल पाने से वंचित रहता है। इसलिये वकील का कर्तव्य है, कि वह जायदाद की तफसील और उसका पता स्वयं देख लेवे और केवल मुहरिरर के ऊपर ही न छोड़ देवे। कुछ दिनों के अनुभव के बाद मालूम होगा कि बहुत सी मुकदमेवाजी जो इजराय डिग्री में इस असावधानी से खड़ी हो जाती है वह उत्पन्न न होगी और दोनों पक्ष बहुत से अनुचित व्यय से बचेंगे। यदि कोई गलती, तफसील या जायदाद के पते इत्यादि में, मुकदमे के मध्य में ज्ञात हो तो उसको तुरन्त संशोधन करा देना चाहिये। ज़ान्ता दीवानी की धारा १५२ के अनुसार इस तरह की दुरुस्ती हर समय हो सकती है।

नियम नं० ४—जब मुद्दई प्रतिनिधि (क्रायममुकाम) की हैसियत से दावा करे तो अर्जीनावे में न केवल यह प्रगट किया जायगा कि उसका दावा की वस्तु में वर्तमान स्वत्व है वरन यह भी दिखलाना होगा कि उसने वह आवश्यक कार्यवाही (यदि कोई हो) करली है, जिसमें उसके उसके सम्बन्ध में दावा करने का अधिकार प्राप्त होता है।

जो रुपये की नालिश उत्तराधिकारी की ओर से दायर हो उसमें आवश्यक होता है कि डिग्री सादिर होने से पहिले उत्तराधिकार का सर्टिफिकट दाखिल किया जावे।⁴ इसी प्रकार जो नालिश किसी वसीयतनामे के एक्जीक्यूटर (Executor) की ओर से की जावे उसमें प्रोबेट या प्रवन्धक पत्र (Probate or Letters of Administration). प्राप्त करके दाखिल करना ज़रूरी होता है⁵ इसलिये ऊपर लिखे नियम के अनुसार प्रतिनिधि को अपनी नालिश में दोनों बातें लिखना चाहिये। प्रथम यह कि वह प्रतिनिधि की हैसियत से नालिश करने का अधिकार रखता है⁶ और दूसरी यह कि वह सर्टिफिकट विरासत, प्रोबेट या प्रवन्धक पत्र या अन्य कार्यवाही जो वारिस या ऐसे क्रायममुकाम का नालिश का अधिकार हासिल करने के लिये ज़रूरी होती हो, कर चुका है।

1 5 C W N 121

2 See Or 20, Rule 9, C. P C

3 I L R 23 Pat 145, A I R 1944 Pat 254

4 I L R 23 Pat 145, A I R 1944 Pat 254 .

5 See Sections 212, 213, Succession Act

6 I L R 7, Bom 467, 12 Lah 428

अगर मुद्दई किसी इन्तकाल के जरिये से नालिश करने का अधिकारी हो तो उसका जिक्र करना जरूरी है। यदि एक से अधिक इन्तकाल हुये हों तो उनको सिलसिले से लिख देना चाहिये जिससे मुद्दई का अन्तिम स्वत्वाधिकारी होना प्रगट हो सके। यदि मुद्दई किसी हिन्दू अविभक्त का उत्तरजीवी (पसमान्दी) होने की हैसियत से दावा करता हो, तो उसको लिखना चाहिये कि वह इस तरह से मालिक है और उत्तराधिकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

उत्तराधिकारी और निष्ठाकर्ता (वसी Executor) की नालिशों के अतिरिक्त निम्न लिखित नालिशें भी प्रतिनिध की हैसियत से होती हैं —

- (१) किसी समूह या विरादरी की ओर से एक या एक से अधिक व्यक्ति की नालिश। (under Or. 1, rule 8, C. P. C.)
- (२) किसी ट्रस्ट से सबन्धित, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की नालिश (under Sec. 92, C. P. C.).
- (३) हिन्दू अविभक्त कुल की ओर से कर्ता या मैनेजर की नालिश
- (४) किसी मूर्ति या मठ की ओर से शिवायत या प्रबन्धक की नालिश^१
- (५) ठाके या शराकत की ओर से फर्म या कोठी के नाम से नालिश^२

नियम नं० ५—अर्जीदावे सं यह प्रगट होना चाहिये कि मुद्दाअलेह दावा की हुई वस्तु में हक रखता है या हक रखने का दावा करता है और वह इस बात का जुम्मेदार है कि मुद्दई के दावे का जवाब दे।

किसी दावे का कारण तब ही उत्पन्न होता है जब कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे जो उसको नहीं करना चाहिये या कोई ऐसा कार्य न करे जो उसको करना कानून से आवश्यक हो। जैसे यदि कोई पुरुष किसी से ऋण ले या कोई माल खरीद करे और उसका रुपया या मूल्य मागने पर या किसी निश्चित समय पर देने की प्रतिज्ञा करे, परन्तु प्रतिज्ञा की पूर्ति न करे, तो वह ऐसे कार्य न करने का दोषी होता है जो उसको करना चाहिये था।

इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे की नाली बन्द करदे, या दीवाल गिरादे, या उसकी जायदाद पर अनुचित कब्जा कर ले वे, तो वह ऐसा कार्य करता है जो उसको विधान की दृष्टि में करना नहीं चाहिये था और प्रत्येक दशा में मुद्दई के दावा करने पर अदालत मुद्दायलह से उचित कार्य न करने या अनुचित करने का जवाब तलब करती है। अर्जीदावे में लिखी हुई घटनाओं से, मुद्दई का ऐसे प्रश्न करने का अधिकार प्रत्यक्ष होना चाहिये।

^१ A. I. R 1927 All. 128 (130)

^२ A. I. R 1930 Pat 97

^३ See Order 20 C. P. C.

साधारण ऋण के दावे में यह लिखना कि मुद्दाअल्लेह पर इतना रुपया बाकी है जो उसने अदा नहीं किया मुद्दई के ऐसे अधिकार को पूर्ण रीति से प्रगट कर देता है। इसी प्रकार हुक्म इमतनाई निकलवाने के दावे में मुद्दई का सुलाधिकार (हक़ आसायश) इत्यादि का वर्णन कर देना मुद्दाअल्लेह से जवाब तलब किये जाने के लिये काफी होता है।

इसलिये अर्जीदावे से यह प्रगट होना जरूरी है कि जिस बात का दावा किया जाता है उसका सम्बन्ध मुद्दाअल्लेह से है या मुद्दाअल्लेह उससे अपना सम्बन्ध बतलाता है और उस सम्बन्ध के कारण वह मुद्दई के दावे का जुम्मेदार है।¹ सम्भव है कि मुद्दाअल्लेह की ज़िम्मेदारी किसी मरे हुये आदमी के या किसी पहिले ओहदेदार के प्रतिनिध की हैसियत से हो, ऐसी दशा में यह बात अर्जीदावे से प्रगट होनी चाहिये और उसी के अनुसार मुद्दाअल्लेह की ज़िम्मेदारी नियत करनी चाहिये।²

नियम नं० ६—जब नालिश उस मुद्दत के बाद दायर की जावे जो तमादी की क़ानून से नियत हो, तो अर्जीदावे में वह कारण जिसमें तमादी से बचाव वांछनीय हो, प्रगट करना चाहिये।

अर्जीदावा तैयार करते समय यह देखना आवश्यक होता है कि हक़ नालिश कब पैदा हुआ और कौन सी क़ानून तमादी की धारा उससे लागू होती है। अगर उस धारा से नियत की हुई मियाद बीत चुकी हो तो इस नियम के अनुसार अर्जीदावे में यह दिखलाना जरूरी है कि किस बिनाय पर दावा तमादी से बचता है।³ वह कारण जो दावे को तमादी से बचा सकते हैं वह क़ानून तमादी⁴ की धारा ६ से लेकर २१ तक में दज़ हैं। नाबालिगी, बुद्धहीनता ब्रिटिश इन्डिया (अब भारतीय) सघ से बाहर रहना, जुम्मेदारी का इक़वाल, असल व सूद या दोनों का अदा करना, ऐसे कारण हैं जिनसे मियाद बढ़ जाती है। कभी कभी अदालती कार्रवाई का ढँग न मालूम होने और ग़लत कार्रवाई करने से भी मियाद मिल जाती है। यदि ऐसे कारण अर्जीदावे में न लिखे जावे तो वह ख़ारिज हो सकता है⁵ और न मुद्दई उन कारणों का प्रमाण दे सकता है⁶ यद्यपि अदालत अर्जीदावे के संशोधन की आज्ञा दे सकती है⁷ यदि मियाद ख़तम होने के दिन अदालत की छुट्टी हो तो, छुट्टी के बाद अदालत खुलने के दिन मुक़दमा दाखिल किया जा सकता है और ऐसी दशा में यह लिखना आवश्यक नहीं है क्योंकि, यह स्वयं

1 A I R 1924 Nag 191

2 A. I R 1927 P C 41, 11 M I A 241 (265), I. L R. 41 A 247

3 A I R 1936 Mad 545, 1933 Lah. 491, 1944 Nag 37, I. L R 54 All 506, I L R (1944) Mad 572

4 Act 9 of 1908, Limitation Act, Secs 6—21

5 Under Or VII, rule 11, cl D

6. I. L R 31 Cal 195, A. I. R 1934 P C 208, 1934 Lah 753

7. I. L. R 34 Bom. 250, 1918 Lah. 220).

अदालत देख सकती है¹ परन्तु यदि यह लिख भी दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती ।

जिस विनाय पर मियाद बढवाना मंजूर हो वह विनाय लिखना आवश्यक होता है । यदि कोई विशेष काल मियाद से घटाना मंजूर हो तो उसका आरम्भ और अन्त ठीक तरह से लिख देना चाहिये । यदि कोई साधारण धारा जैसे १२० लगानी मंजूर हो तो वह भी यदि मुनासिब हो तो लिख दी जावे परन्तु हर हालत में ऐसा लिखना जरूरी नहीं है । यदि कोई विशेष धारा जैसे ८५ या ६४ कानून तमादी की लगती हो तो सुविधा इधी में होती है कि उसको स्पष्ट रूप से अर्जीदावे में लिख दिया जावे ।

नियम नं० ७—प्रत्येक अर्जीदावे में वह दादरसी जिसका मुद्दई दावेदार हो, स्पष्ट रूप से लिखी जावेगी, चाहे वह दादरसी एक हो या एक के बजाय दूसरी हो और किसी साधारण या अन्य दादरसी का लिखना आवश्यक नहीं है, जिसको अदालत हमेशा, यदि उचित समझे उसी प्रकार से दे सकेगी जैसे कि यदि वह मांगी गई होती, और यही नियम प्रत्येक दादरसी से लागू होगा जो मुदायलेह अपने दयान तहरीरी में मांगता हो ।

दादरसी की तफसील की बाबत पहिले उपनियम नं० १ (घ) की व्याख्या में लिखा जा चुका है, दो या कई दादरसी में से एक दादरसी या एक के स्थान पर दूसरी दादरसी उस समय मांगना आवश्यक होती है जब मुद्दई एक साथ सब के पाने का अधिकार नहीं रखता या उनमें से देवल एक पा सकता है । जब ऐसी दशा हो तो स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिये कि प्रमुख दादरसी मुद्दई को और उसके न मिलने की हालत में अन्य दादरसी मिलनी चाहिये ।

जैसे यदि चल सम्पत्ति का दावा हो तो जायदाद न मिलने की सूरत में दूसरी दादरसी मुआवजा या हर्जा की होनी चाहिये । बहुत से मुकदमों में मुद्दई को निश्चित रूप से मालूम नहीं होता कि अनेक मुदायलहों में से कौन जुम्मेदार होगा, ऐसी दशा में दादरसी नीचे लिखे प्रकार से मांगी जा सकती है ।—

“मुदायलेहम या जो उनमें से मुद्दई के दावे का जुम्मेदार करार पावे उसके मुकाबले में डिगरी सादिर की जावे ” ।

नियम नं० ८—जब मुद्दई कई भिन्न भिन्न दावों या विनाय दावों के आधार पर दादरसी चाहता हो, जो अलग और एक दूसरे से पृथक् कारणों पर निर्भर हो, तो वह जहाँ तक हो सके अलग अलग और भिन्न भिन्न रूप से लिखी जावेगी ।

उन परिस्थितियों के अतिरिक्त जो ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर २, नियम ४ और ५ में दी हुई हैं, मुद्दई को एक दावे में एक से अधिक विनाय नालिश सम्मिलित करने का अधिकार नहीं होता है, और प्रत्येक विनाय नालिश पृथक् २ वयान होनी चाहिये जिससे यदि मुद्दायलेह उज्र करे और अदालत से कोई विनाय नालिश अलहदा करने का हुकम हो, तो अर्जीदावे का संशोधन सरलता से हो सके। ऐसा करने से कोर्टफीस और अदालत का मुकदमा सुनने का अधिकार मालूम करने में सुविधा होती है और मुद्दायलेह हर एक की बाबत जवाब भी आसानी से दे सकता है।¹

वह सिद्धान्त जिनके अनुसार मुद्दई एक दावे में एक से अधिक विनाय दावा सम्मिलित कर सकता है ज़ाब्ता दीवानी संग्रह के आर्डर २ नियम ३ में दिये हुये हैं। ऐसा करने के लिये पहली शर्त यह है कि वे सब विनाय दावे जो सम्मिलित किये जावें, एक ही मुद्दायलेह के विरुद्ध हों या जहाँ पर मुद्दायलेहों की संख्या एक से अधिक हो तो उनके विरुद्ध अविभक्त (मुशर्तका) हों। इसी प्रकार जहाँ पर कई मुद्दई एक ही मुद्दायलेह या एक से अधिक मुद्दायलेह के विरुद्ध अविभक्त स्वत्व रखते हों तो उनको एक ही दावे में शामिल किया जा सकता है। दूसरी शर्त यह है कि ऐसे विनाय दावे के सम्मिलित हो जाने पर अदालत का मुकदमा सुनने का अधिकार उनकी कुल जोड़ी हुई मालियत के अनुसार निश्चित होता है और कोर्ट फीस प्रत्येक विनाय दावे पर पृथक् पृथक् देनी पड़ती है (देखो कोर्ट फीस एक्ट नं० ७ सन् १८८० की धारा १७)

किसी अचल सम्पत्ति के दखल की नालिश में बकाया किराया या पुराने मुनाफ़ा का दावा भी उसका अंश समझा जाता है। इसी प्रकार अचल सम्पत्ति के सम्बन्धी प्रतिज्ञा पूर्ति न करने के दावे में, हर्जे का दावा उसका अंश समझा जाता है और एक ही दावे में दोनों प्रार्थना माँगी जा सकती हैं।

अर्जीदावे में लिखने योग्य बातों का सारांश

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है अर्जीदावा या अर्जीनालिश वह लेख होता है जिससे मुद्दई अपनी शिकायत अदालत में उपस्थित करता है और उसकी सहायता का प्रार्थी होता है। अंग्रेजी में इसके *Plaint* और इंग्लैंड में उसके *Statement of claim* कहते हैं।

अर्जीदावे या अर्जीनालिश में जो बातें लिखी जानी चाहियें वे ज़ाब्ता दीवानी संग्रह के आर्डर ६ में दर्ज हैं और आर्डर ७ में वे बातें दी हुई हैं जो विशेष रूप से लिखी जाती हैं। इस लिये प्रत्येक अर्जी दावा आर्डर ६ और ७ में भिन्न भिन्न दिये हुये नियमों के अनुसार होना चाहिये और उसमें निम्नलिखित बातें आवश्यक होती हैं।

- (१) उस अदालत का नाम जिसमें दावा दायर किया जावे (आ० ७ नि० १ अ)
- (२) मुद्दई का नाम पता और निवास स्थान और मुद्दायलेह का नाम, पता और निवास स्थान जहाँ तक मालूम हो सके (आ० ७ नि० १ ई०)
- (३) यदि मुद्दई या मुद्दायलेह प्रवयस्क (नाबालिग) या बुद्धिहीन हों तो यह कि वह ऐसे हैं (आ० ७ नि० १ क)
- (४) यदि मुद्दई ने प्रतिनिधि की हैसियत से दावा दायर किया हो तो यह प्रगट किया जावे कि मुद्दई भ्रगड़े के मामले से सम्बन्ध रखता है और यह कि उसने वह सब आवश्यक कार्य कर लिये हैं जिनसे उसको नालिश दायर करने का अधिकार प्राप्त हो (आ० ७ नि० ४)
- (५) मुकदमे की वे तत्व घटनाये जिन पर मुद्दई तर्क करता हो सञ्चित रूप में लिखी जावें (आ० ६ नि० २)
- (i) वे घटनाये जो मुकदमे की आधार हों (आ० ७ नि० १ ख) ऐसी घटनाये भिन्नभिन्न धाराओं में बांट कर नम्बर वार लिखी जावेगी और तारीख, नम्बर, रकम, अकों में लिखी जावेगी (आ० ६ नि० २)
- (ii) यदि मुद्दायलेह के घोखा, असत्य वर्णन, अनुचित दवाव या धरोहर को अनुचित प्रयोग में लाने का तर्क करना हो तो उन घटनाओं की तारीख, रकम इत्यादि विवरण सहित लिखना चाहिये (आ० ६ नि० ४)
- (iii) यदि कोई पक्ष किसी प्रतिज्ञा के अव्यवहारिक या विधान युक्त न होने का विरोध करे, तो उस प्रतिज्ञा से केवल इन्कार कर देना पर्याप्त नहीं होता (आ० ६ नि० ८)
- (iv) यदि किसी दस्तावेज का उल्लेख किसी मुकदमे में आवश्यक हो तो उसके प्रभाव को अत्यन्त सञ्चित रूप में लिख देना पर्याप्त होगा और पूर्ण दस्तावेज या उसके किसी भाग की नकल करना आवश्यक न होगा जब तक कि उसके शब्द तत्व मुकदमा न हों । (आ० ६ नि० ६)
- (v) जब किसी व्यक्ति की दुश्मनी, घोखा देने की इच्छा, किसी घटना की सूचना वा होना या अन्य बल्पना युक्त तर्क का लिखना आवश्यक हो तो उन दावों के घटना के रूप में लिख देना पर्याप्त होता है और वे विवरण आवश्यक नहीं हैं जिनसे वे बातें प्रामाणिक होती हों (आ० ६ नि० १०)

- (६) यदि नकद रुपये का दावा हो तो उसकी सही संख्या अर्जीदावे में लिखी जावेगी परन्तु यदि दावा पुराने मुनाफे का हिसाब समझाने का हो तो उसकी अनुमानित संख्या लिखी जा सकती है। (आ० ७ नि० २)
- (७) जब कि दावा अचल सम्पत्ति के लिये हो तो उसका ऐसा विवरण दिया जावेगा जिससे उसकी पहचान आसानी से हो सके। (आ० ७ नि० ३)
- (८) मुद्दायलह का भगड़े वाली वस्तु से प्रयोजन रखना या प्रयोजन रखने का दावेदार होना अर्जीदावे से प्रगट होना चाहिये। (आ० ७ नि० ५)
- (९) अर्जीदावे में यह लिखा जाना आवश्यक है कि मुद्दई का विनाय दावा कब और कहाँ पर उत्पन्न हुआ और यह कि अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार है (आ० ७ नि० १ ग)। यदि नालिश साधारण अवधि के पश्चात दाखिल हो तो वह कारण जिनसे कानून मियाद से बचाव होता हो लिखने चाहिये (आ० ७ नि० ६)
- (१०) दावे की मालियत देना, जहाँ तक संभव हो, अदालत का मुकदमे सुनने का अधिकार निश्चित करने और कोर्ट फ्रीस नियत करने के लिये आवश्यक है। (आ० ७ नि० १ घ)
- (११) न्याय के लिये प्रार्थना जो मुद्दई चाहता हो, लिखी जावेगी परन्तु जो दादरसी अदालत स्वयं दे सकती हो उसके लिखना आवश्यक नहीं है (आ० ७ नि० ७)
- (१२) अर्जीदावे के अन्त में उसको पेश करने वाले मुद्दई या किसी एक मुद्दई या उसकी ओर से किसी अधिकार युक्त पुरुष का प्रमाणित (तसदीक) करना चाहिये (आ० ६ नि० १५)

ऊपर लिखे इन्दराज हो जाने पर अर्जीदावा पूर्ण हो जाता है। दावा दाखिल तब कहा जा सकता है जब कि अर्जीदावा अदालत के सामने पेश कर दिया जावे या किसी ऐसे शौहदेदार व्यक्ति को दे दिया जावे जो इस काम के लिये नियत किया गया हो (आ० ४ नि० १) परन्तु उसका दायर होना तब ही कहा जा सकता है जब कि उसका इन्दराज उचित रजिस्टर में हो जावे।

तृतीय अध्याय

प्रतिवाद-पत्र, जवाबदावा या वयान तहरीरी ।

सीडिङ्ग की परिभाषा में वाद पत्र या अर्जीदावा और प्रतिवाद पत्र या जवाब दावा व वयानतहरीरी सम्मिलित होते हैं जैसा कि ज्ञानदा दीवानी संग्रह के आर्डर ६ नियम न० १ में दिया हुआ है, इसलिये सीडिङ्ग के साधारण नियम जो ज्ञानदा दीवानी के आर्डर ६ में दिये हुए हैं और इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में व्याख्या सहित दिये जा चुके हैं प्रतिवाद-पत्र (वयान तहरीरी) से भी लागू होते हैं और वयान तहरीरी लिखने में उनका ध्यान रखना आवश्यक है। जो वयान या विरोध, जवाब दावे में बाढी के शिरोद्ध किये जावें या जो व्यवहार की तत्व घटनायें प्रतिवादी की ओर से हो उनका प्रबन्ध और लिखने का ढंग बिल्कुल वादपत्र या अर्जीदावे के समान होना चाहिये। और कुल घटनायें उसी सिद्धिसिले में जैसा कि अर्जीदावे में किया जाता है लिखनी चाहिये।

ध्यान रहे कि जैसे अर्जीदावा दानी के मुकदमे की नीव होती है उसी प्रकार वयान तहरीरी प्रतिवादी के मुकदमे की जड़ होती है और प्रतिवादी की हार-जीत बहुत कुछ उस पर निर्भर होती है। जिस अंश तक वयान तहरीरी नियमानुसार होगी और उसमें सब आवश्यक घटनाएँ और विरोध होंगे उसी सीमा तक मुद्दागलेह की ओर से मुकदमा अच्छी तरह लड़ा जा सकेगा।

एक विशेष बात वयान तहरीरी की बावत यह है कि अर्जीदावे की तरह उसका संशोधन सरलता से नहीं हो सकता। जो अशुद्ध अथवा त्रुटिपूर्ण अर्जीदावे दाखिल हो जाते हैं वह अदालत की आज्ञा से संशोधित हो सकते हैं और पहूपा ऐसा होता है कि यदि कानूनी त्रुटि अर्जीदावे में रह जाती है तो नालिश बापिस भी हो जाती है, नई नालिश करने की आज्ञा भी मिल जाती है, परन्तु वयान तहरीरी संशोधन का कोई उपाय कानून में नहीं दिया गया। जो घटना एक बार उस में लिख दी जाती है वह किसी तरह दूर नहीं हो सकती, केवल विशेष परिस्थितियों में अधिक वयान तहरीरी दाखिल करने की आज्ञा मिल जाती है परन्तु ऐसी दशा कम होती है। मुकदमा की वापसी तो प्रतिवादी के हक में ही ही नहीं सकती, इसलिये वयान तहरीरी की तैयारी में अर्जीदावे से भी अधिक सावधानी की आवश्यकता है।

जो आदेश वादपत्र तैयार करने के सम्बन्ध में दिये जा चुके हैं उन पर प्रतिवाद पत्र के बनाने में भी, जहाँ तक कि वे उस में लागू हों, अमल करना चाहिये । जैसे मुकदमें की घटनाओं को ध्यान से सुनना, उनका नोट करना, उसके सम्बन्ध में कुल जरूरी कागजात देखना और पढ़ना, शजरा, नक़शा या गोशवारा बनाना या बनवाना, उन कागजात की जिनका मुकदमे से सम्बन्ध हो नक़ल प्राप्त कराना और आवश्यक मिसलों का मुआइना कराना । इस प्रकार जो कुछ सामग्री एकत्रित हो उससे एक सिलसिले वार नोट या याददाश्त तैयार करना और उसके तैयार करने में तारीखों का ध्यान रखना ।

जब नोट या यादादाश्त तैयार हो जावे तो उसको और अर्जीदावे को सामने रख कर वकील को चाहिये कि नीचे लिखी बातों पर सोच विचार करे ।

१—अर्जीदावे में लिखी हुई किन घटनाओं से प्रतिवादी का इनकार है, और कौन सी स्वीकार है, और किन की उसको सूचना नहीं है, जिनको कि वह वादी से साबित कराना चाहता है ।

२—मुद्दे के दावे के जवाब में किन घटनाओं और कागजों पर मुदायलेह भरोसा करता है, और तत्व मुकदमा घटनाएँ (नफस मामला वाक़यात) जो मुद्दे ने बयान किये हैं, उनके जवाब में मुदायलेह की तत्व घटनाएँ क्या हैं, और मुद्दे के जितने बयान को वह स्वीकार करता हो और उनसे जो हक़ मुद्दे को उत्पन्न होता हो उसके पूरा करने के लिये वह तत्पर है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों ?

३—अर्जीदावे के बयानों से या उन बयानों से जो मुदायलेह करता है मुद्दे को हक़ नालिश है या नहीं और मुद्दे (वादी) अकेला दावा कर सकता है या नहीं ।

४—मुद्दे की ओर से किसी फरीक़ की वावत नाचालगी (अवयस्कता), पागलपन, काथम मुक़ामी इत्यादि के कारण से दावा ठीक प्रकार से दाख़िल हुआ है या नहीं ।

५—मुद्दे ने आवश्यक व्यक्तियों को फरीक़ किया है या नहीं, और कोई आदमी ऐसे तो नहीं है जो फरीक़ जरूरी मुक़दमा है और मुद्दे या मुदायलेह की हैसियत से फरीक़ नहीं बनाये गये और इसका दावे पर क्या क़ानूनी असर पड़ता है ।

६—वादी ने किसी अनावश्यक मनुष्य को तो फरीक़ नहीं किया है और उसके पृथक् होने से मुक़दमे पर अब या भविष्य में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं । यदि पड़ता है तो क्या ?

७—अर्जीदावे में बिनायदावी एक है या एक से अधिक । अगर कई हैं तो वह कानूनन एक दावे में नालिश हो सकती हैं या नहीं और उनकी सुनवाई एक साथ सुविधा से हो सकती है या नहीं ?

८—अर्जीदावा जान्ता दीवानी के आडर ६ और ७ के नियमों के अनुसार बनाया गया है या नहीं ? यदि नहीं तो उसमें क्या खराबी है और उसका कानूनी असर क्या है ?

९—अर्जीदावे के बयानों को मानते हुए, नालिश की मालियत या अदालत के मुकदमा सुनने के अधिकार के ख्याल से दावा उस अदालत में जिसमें कि दायर हुआ है, हो सकता है या नहीं ?

१०—किसी विशेष अदालत में दावा दायर करने के लिये मुद्दई ने कोई गलत घटनायें वर्णन की है या कोई रकम षनावटी बढ़ा दी है और मुदायलेह के बयान की हुई घटनायें या तादाद से दावा किस अदालत में दायर होना चाहिये ?

११—क्या किसी विधान के कारण, जो अब प्रचलित है या पहिले प्रचलित थी दावा दायर होने के योग्य नहीं हैं ?

१२—कोर्टफीस अर्जीदावे पर उचित लगा हुआ है या नहीं ?

१३—दावे की दिनाय, दावे का अधिकार उत्पन्न होने की तारीख जो मुद्दई ने बयान की हो, उसके दिचार से कानून तमादी का कौनसा आर्टिकल लागू होता है और मुदायलेह की बयान की हुई घटनाओं से कौन सा आर्टिकल लागू होता, और यदि कोई भेद हो उसका मुद्दई के दावे पर क्या असर पड़ना है ।

१४—यदि दावा साधारण अवधि के पश्चात् दायर हुआ हो और भियाद बढ़ाने के लिये कोई नवीकारी या अदायगी, बयान की जाती हो, या एक या सब बातों की नाबालगी, पागलपन या भारत संघ (Indian Union) से बाहर रहना बयान किया जाता हो, या किसी बेकार मुकदमेवाजी पर भरोसा किया जाता हो, तो उनके सम्बन्ध में यह देखना कि जो घटनाएँ वादी बयान करता है वं कहां तक असत्य हैं और उन घटनाओं से सब शर्तें पूरी हो जाती हैं या नहीं जो विधानानुसार अवधि बढ़ाने के लिये आवश्यक होती हैं ।

१५—यदि मुद्दई ने दावा प्रतिनिधि वसी, ट्रस्टी या परिवर्तन प्रहीता की हस्तियत में किया हो तो यह देखना कि वास्तव में मुद्दई की वह हस्तियत है या नहीं, और उस हस्तियत से उसको दावा करने का अधिकार है या नहीं, और उसने उन नश शर्तों और नियमों को पूरा किया है या नहीं जो दावादायर करने का अधिकार देने के लिये जरूरी है ।

इस सम्बन्ध में जो दस्तावेज परिवर्तन इत्यादि के बयान किये गये हों उनके विषय में यह देखना चाहिये कि वह स्टांप, रजिस्ट्री, गवाही इत्यादि समेत कानूनन परिपूर्ण हैं या नहीं और वह परिवर्तन किसी मुकदमे या कुरकी के होते हुये तो नहीं हुआ और वह विधानानुसार उचित है या नहीं। यह पूछतीछ उन दस्तावेजों के विषय में भी करना जरूरी है जिन पर दावा निर्भर हो या जिन पर मुद्दई अपने दावे के सबूत में भरोसा करता हो।

१६--यह देखना कि फिलीकैन में कोई मुकदमेवाजी पहिले हुई या नहीं और हुई तो उसका दावे से कुछ सम्बन्ध है, या नहीं और उसकी वजह से कुल दावा या उसका कोई भाग पूर्व न्याय (Res Judicata) से वर्जित होता है या नहीं।

१७—वादी का कोई कार्य करना या उसका कोई बयान या इजहार ऐसा तो नहीं हुआ जिस पर एतबार करके और उसको सही मानकर प्रतिवादी ने कोई काम किया हो और उसका कानून से असर रोकबाद और खामोशी व ढील का होता हो (Estoppel, Acquiescence and Laches)

१८—यह देखना की नालिश दाखिल करने से पहिले मुद्दई को कोई नोटिस मुद्दायलेह को देने की जरूरत थी कि नहीं और यदि जरूरत थी तो मुद्दई ने नोटिस दिया है या नहीं। यदि दिया है तो उस नोटिस में कोई दोष तो नहीं था और यदि नहीं दिया है तो न देने से उसका नालिश पर क्या असर पड़ता है ?

१९—यदि दावा किसी प्रतिज्ञा से सम्बन्ध रखता हो तो यह देखना कि वह प्रतिज्ञा उचित थी या नहीं और उसकी लिखा पढी नियमानुसार हुई या नहीं और वह विधान से माननीय और योग्य है या नहीं, उसका बदला क्या है और वह बदल कानूनन उचित है या नहीं और प्रतिज्ञा के होने में कोई घोखा, असत्य वर्णन या अनुचित दवाब या और कोई कारण ऐसा तो नहीं है जिससे वह कानून से प्रचलित होने योग्य न हो। प्रतिज्ञा के समय पक्षों की आयु क्या थी और बुद्धि की दशा क्या थी ?

२०—यदि दावा प्रतिज्ञा की पूर्ति, विशेष कर, प्रतिज्ञा करने वाले और उसके परिवर्तन ग्रहीता के विरुद्ध हो, तो यह देखना की मुद्दई ने उस प्रतिज्ञा का ज्ञान होना, परिवर्तन ग्रहीता के इन्तकाल लेते समय बयान किया है या नहीं और मुद्दायलेह ऐसा होना मानता है या नहीं ?

२१—यदि दोनों पक्षों में यह झगड़ा हो कि तारीख या रजिस्ट्री की वजह से एक का दस्तावेज प्रथम या मुख्य और दूसरे का मध्यम माना जावे तो यह देखना

कि कौन सा दस्तावेज किस दस्तावेज के इल्म के साथ लिखा गया और किस एक में दूसरे का वर्णन या हवाला है या नहीं ।

२२—यदि दावा किसी हुक्म या डिग्री या दस्तावेज की मन्सूखी का हो तो यह देखना कि सिर्फ मंसूखी का दावा हो सकता है या नहीं और जो बयान मुद्दई ने किये हैं उनसे उसकी मंसूखी का हक पैदा होता है या नहीं ।

२३—यदि दावा अपना स्वत्व घोषित कराने (इस्तकरार हक) का हो तो यह देखना कि मुद्दई अपने वो भगड़े वाली जायदाद पर क्वाधिज (अधिकृत) होना बयान करता है या नहीं और असल में वह क्वाधिज है या नहीं ।

२४—यदि दावा किसी अमानत से सम्बन्ध रखता हो जो आम ख़ैरात अथवा सर्व साधारण के पुण्य हेतु या किमी धार्मिक कार्य के लिये नियत की गई हो तो यह देखना कि मुद्दई का कोई ऐसा सम्बन्ध अमानत से है जिससे वह दावा करने का हक रखता है और उसने आवश्यक आज्ञा ले ली या नहीं ।

२५—यदि कोई दैविक आपत्ति के कारण जैसे भूचाल, बिजली गिरना इत्यादि या राज्यों के सभ्राम से हानि हुई हो तो यह देखना कि उनकी वजह से प्रतिवादी जिम्मेदारी से छूट सकता है या नहीं ।

२६—यदि प्रतिवादी ने कोई काम नेकनीयती से किया हो और कोई बदल दिया हो तो यह देखना कि वह किसी क़ानून या न्याय के कारण से दावे से उसका छुटकारा हो सकता है या नहीं ।

२७—यदि दावा किसी अचल सम्पत्ति के विषय में हो तो यह देखना कि उसकी तफ़सील, पता और तादाद ठीक है या नहीं । यदि कोई ग़लती है तो उसका क्या फल होगा ।

२८—अगर दावे में पिछला मुनाफ़ा दिलाये जाने की माँग हो तो यह देखना कि पिछले मुनाफ़े (वासनात) की तादाद सही है या नहीं और मुद्दायलेह व हिस्सा से वह तादाद क्या होती है और कितने दिनों की बाबत माँगी जा सकती है ।

२९—यदि अर्जीदावे में कोई हिस्सा हो तो यह देखना कि वह सही है या नहीं और अगर ग़लत है तो ग़लती क्या है और सही हिस्सा क्या होना चाहिये ।

३०—यदि दावे में सूद सम्मिलित हो तो यह देखना की सूद तावानी तो नहीं है और सूद की प्रतिज्ञा Unconscionable bargain की सीमा को तो नहीं पहुँचता और किसी कानून से वर्जित तो नहीं है और कौन ऐसी घटनाएँ हैं जिनके कारण से प्रतिवादी कुल सूद या उसकी दर कम करा सकता है।

३१—यदि मुद्दे ने कोई रकम माँगी हो जो डिमाव किये बिना नहीं माँगी जा सकती हो उसके सम्बन्ध में जरूरी हिसाब का देखना।

३२—यदि मुदायलेह कोई मुजराई चाहता हो तो यह देखना कि कानून से वह मुजराई पा सकता है या नहीं और कानून की सब शर्तें उसकी बाबत पूरी होती हैं या नहीं।

३३—यदि मुदायलेह अपनी माँग मुद्दे के विरुद्ध (Counter-claim) पेश करता हो, तो यह देखना कि अदालत के दर्श-नाधिकार और दावे के रूप और प्रकार का ध्यान में रखकर ऐसा हो सकता है या नहीं और कानून की शर्तें पूरी होती हैं या नहीं।

३४—जो प्रार्थना वादी करता हो, उसकी बाबत यह देखना कि वह विधानानुसार उसको मिल सकती है या नहीं और जो बयान मुद्दे ने अर्जी-दावे में किये हैं या जो मुदायलेह बयान करना चाहता है उनके खयाल से मुद्दे उसको पा सकता है या नहीं।

३५—मुकदमे के खर्च का कौन फरीक देनदार होगा और किसके दोष से मुकदमेबाजी उत्पन्न हुई, और उसके सम्बन्ध में क्या क्या घटनाएँ लिखना जरूरी है।

ऊपर लिखी बातों के अतिरिक्त ऐसी बातें जो मुकदमे से विशेष सम्बन्ध रखती हो ध्यान में रखकर वकील के बयान तहरीरी लिखने के लिये तैयार होना चाहिये।

कोर्ट फीस

ज्वाब्ता दीवानी संग्रह जो सन् १८५९ ईसवी में प्रचलित हुआ उसके अनुसार प्रतिवाद-पत्र या जवाब दावे पर भी कोर्ट फीस लगानी पड़ती थी परन्तु वर्तमान ज्वाब्ता दीवानी के अनुसार जो कि सन् १९०८ में प्रचलित है जवाब दावे या बयान तहरीरी पर कोर्ट फीस नहीं लगती। कोर्ट फीस एक्ट की धारा १९ उपधारा ३ के अनुसार वह जवाब दावे जो कि अदालत की आज्ञा से पहली

पेशी पर दाखिल किये जावें उन पर कोर्ट फीस नहीं माँगी जा सकती इसलिये यदि पेशी से पहले ही जवाब दाखिल कर दिया जावे तो उस पर भी कोर्ट फीस की आवश्यकता नहीं होती¹ परन्तु ध्यान रहे कि यदि प्रतिवादी जवाब दावे से कोई अपना रुपया निकलता हुआ बयान करे और अपने हक में डिगरी की प्रार्थना करे तो उसपर कोर्ट फीस देनी पड़ती है।

जवाब दावे का सिरनामा

नियमानुसार प्रतिवाद-पत्र (जवाब दावा) लिखने के लिये शुरू में मुकदमे का सिरनामा उसी प्रकार लिखना चाहिये जैसा कि अर्जी दावे में सिरनामा लिखा जाता है अर्थात् अदालत का नाम, नम्बर मुकदमा, और पक्षों के नाम इत्यादि। जहाँ पर बहुत से वादी या प्रतिवादी हों वहाँ पर उनमें से पहले का नाम लिखकर “इत्यादि” जोड़ देना पर्याप्त होता है उसके बाद “जवाब दावा या बयान तहरीरी प्रतिवादी प्रथम पक्ष या मुद्दायत्नेह नं० १” इत्यादि जैसी दशा हो शब्द लिखने चाहिये जिनसे ज्ञात हो जाय कि किस प्रतिवादी की ओर से बयान तहरीरी दाखिल किया गया है।

जवाब दावे में किसी प्रार्थना के लिखने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि प्रतिवादी अपने हक में रुपये के लिये डिगरी का इच्छुक न हो।

बयान तहरीरी के अन्द में भी अर्जीदावे की तरह हस्ताक्षर और तसदीक का लेख होना चाहिये।

जो नियम प्रतिवाद पत्र या बयान तहरीरी बनाने के लिये ध्यान रखना पड़ते हैं वह ज्वाब्ता दीवानी समूह के आर्डर नं० में दिये हुए हैं। हम उस कुल आर्डर को आवश्यक व्याख्या सहित आगे देते हैं।

¹ See Section 19 Clause 3, Court Fees Act VII of 1870 and A. I R 1926 Mad 347, 1922 Pat 252.

प्रतिवाद पत्र या बयान तहरीरी

नियम नं० १ (Order VIII, Rule 1)

प्रतिवादी को अधिकार है कि मुकदमे की पहली पेशी के समय या उससे किसी समय पहिले या उस के अन्दर जो अदालत नियत कर दे अपना बयान तहरीरी दाखिल करे और यदि अदालत आज्ञा दे तो ऐसा करना आवश्यक होगा।

मुकदमे की पहिली पेशी¹ के समय तक मुद्दायलेह को अधिकार है कि अपना बयान तहरीरी, वह जब चाहे दाखिल करे मगर पहिली पेशी हो जाने के बाद वह बयान तहरीरी केवल अदालत की आज्ञा लेकर दाखिल कर सकता है और उस अधिकार के अन्दर जो अदालत नियत कर दे।

केवल प्रतिवादी को जो मुकदमा में फरीक होता है, प्रतिवाद पत्र दाखिल करने का अधिकार होता है कोई अन्य मनुष्य जो फरीक मुकदमा न हो बयान तहरीरी दाखिल नहीं कर सकता, यद्यपि वादी ने उसके विरुद्ध अर्जीदावे में बयान किये हों।²

यदि अदालत हुक्म दे तो बयान तहरीरी दाखिल करना प्रतिवादी का कर्त्तव्य होता है और न दाखिल करने की दशा में मुकदमा एकतरफा सुना जाकर डिगरी एक तरफा सादिर हो सकती है।

नियम नं० २ (Order VIII, Rule 2)

प्रतिवादी को चाहिये कि वह अपने स्वीडिङ्ग में वे सब बातें लिखे जिनसे प्रगट यह होता हो कि दावा चल नहीं सकता या कि वह विधानानुसार नाजायज है या नाजायज करार देने के योग्य है और कुल ऐसे विरोध लिख दे जो यदि न लिखे जायें तो दूसरे फरीक को पीछे अचानक मालूम होवें या उनसे घटनाओं की ऐसी तनकीह³ उठती हो जो अर्जीदावे से पैदा न हों, जैसे धोखा, फरेब, तमादी, दस्तबर्दारी, अदायगी, पूर्ती हो जाना, इत्यादि।

1. See Order X, Rule I, C P C , I L R 1939 Nag 110 , A I R 1926 Mad 337.

2 I L R 53 All 466 , 55 S W R 17.

3 Berdan v Greenwood, 3 Ex 26, I, L R 22 Pat 220; A I R 1937

इस नियम का आशय यह है कि जैसे वाद पत्र में वादी का कुल मुकदमा होता है उसी प्रकार प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी का कुल मुकदमा होना चाहिये। जितने विरोध प्रतिवादी, वादी के दावे पर कर सकता हो या जो घटनाएँ उसके जवाब में दे सकता हो वह कुल बयान तहरीरी में लिख देनी चाहिये।

कुल प्रतिवाद निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं।

(१) प्रतिवादी अर्ज़ीदावे के बयान और उसमें लिखी हुई घटनाओं से इनकार करे या उनको स्वीकार न करे।

इस परिस्थित में वादी को अपना अर्ज़ीदावे का कुल बयान सिद्ध करना पड़ता है।

(२) प्रतिवादी अर्ज़ीदावे के बयान को स्वीकार करे और उनका प्रभाव दूर करने के लिये नई घटनाएँ बयान करे जिनसे वादी के बयानों का जवाब पूरा हो जाता हो।

इस परिस्थित में सबूत का भार प्रतिवादी पर होता है और उसको बोखा या फरेब, तमादी, दस्तबरदारी इत्यादि ऐसे बयान कुल लिखना होते हैं जिनसे मुद्दई के बयान की काट होती है। यदि ऐसे बयान जवाबदावे में न लिखे जावें तो वादी को उनकी कोई सूचना मुकदमे की पेशी से पहिले नहीं हो सकती और वह, उनके अचानक मालूम होने की दशा में, उनका उचित उत्तर नहीं दे सकता और न उनके विरुद्ध प्रमाण या शहादत पेश कर सकता है इसलिये नियम नं० (२) यह चाहता है कि वह कुल घटनाएँ जिन पर मुदायलेह, मुद्दई की लिखी हुई घटनाओं को मान कर उसके दावे की काट के लिये भरोसा करता हो, वह बयान तहरीरी में लिख दी जावें जिससे मुद्दई को उनके अचानक मालूम होने की आपत्ति न हो और उन घटनाओं की तहकीकात, जो अर्ज़ीदावे में नहीं थे, आसानी से हो सके।

(३) प्रतिवादी अर्ज़ीदावे के बयानों को मानते हुए उनके कानूनी असर की दावत प्रतिवाद करे।।

इस दशा में प्रतिवादी को बयान करना पड़ता है कि वादी के बयानों से कानूनन वह असर पैदा नहीं होता जो वादी प्रगट करता है इसके विरुद्ध दूसरा असर पैदा होता है जिससे दावा नहीं चल सकता।

(४) प्रतिवादी मुजराई चाहे या वादी के विरुद्ध अपना दावा पेश करे।

इस दशा में प्रतिवादी को वह कुल घटनायें बयान करनी चाहिये जिनसे उसको मुजराई या दावे का हक प्राप्त हुआ हो और कानून से उसको मुजराई मिल सकती हो या दावा उसका चल सकता हो।

यही चार प्रकार हैं जो मुद्दायलेह के प्रतिवाद के हो सकते हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रतिवाद-पत्र में मुद्दायलेह की ओर से एक ही प्रकार की जवाबदही की जावे । जैसा अवसर हो एक से अधिक या सब प्रकार का प्रतिवाद एक ही बयान तहरीरी में काम में लाया जा सकता है ।¹ कभी कुछ घटनायें स्वीकार होती हैं कुछ घटनाएँ स्वीकार नहीं होतीं, कुछ से इनकार होता है । जो घटनायें स्वीकार होती हैं उनको सही मानते हुये मुद्दायलेह उनके कानूनी असर पर एतराज करता है और उनका असर दूर करने के लिए और घटनाएँ भी बयान करता है और इसी के साथ मुजर्रा या अपना दावा मुद्दई के मुकाबिले में पेश करता है । अभिप्राय यह है कि जैसा अवसर हो वैसा ही प्रतिवाद का स्वरूप होना चाहिये ।

जवाबदावा बनाने के लिये भी प्लीडिंग के साधारण नियमों का (आर्डर ६ नियम २, ४, ६, ८, १०, ११, १२ व १३ जाब्ना दीवानी) जो इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में आवश्यक व्याख्या सहित दिये जा चुके हैं ध्यान रखना चाहिये ।

वादी की उल्लिखित घटनाओं के साधारण विरोध के अतिरिक्त जो विशेष विरोध प्रतिवादी की वर्णन की हुई घटनाओं से प्रायः उत्पन्न होते हैं वह नीचे लिखे जाते हैं । आवश्यकतानुसार उनके स्पष्ट रूप से बयान तहरीरी में लिखना चाहिये ।

- (१) अदालत के मुकदमा सुनने का अधिकार न होना । (Want of Jurisdiction)
- (२) पक्षों को अनुचित सम्मिलित करना या आवश्यक फरीक का सम्मिलित न होना । (Non-joinder or Mis-joinder of Parties)
- (३) दावे का किसी विधान से वर्जित होना या दायर होने के योग्य न होना । (Non-maintainability of Suit.)
- (४) कई बिनाय दावों के बिना एक दावे में सम्मिलित करना । (Mis-joinder of Causes of Action)
- (५) दावे का कोई भाग का छूट जाना । (Part of Assets)
- (६) तमादी । (Limitation.)
- (७) स्वामोशी व ढील । (Acquiescence and Laches)
- (८) रोक वाद । (Estoppel)
- (९) पूर्व न्याय । (Res Judicata)
- (१०) जुघा । (Wager or Wagering Contract.)
- (११) निर्वाचन । (Election)
- (१२) स्वीकारी या श्रमीकारी । (Ratification)

¹ A I R 1942, All 308, 1925 Oudh 120, I L R 34 Cal 51 F B, A I. R. 1942, Mad 592.

- (१३) राजकीय कार्य या हुक्म सरकार । (Act of State)
(१४) दैवीकारण (कुदरती सबब) (Vis Major)
(१५) न्याय युक्त उत्तर । (Equitable Defence, Equity)
(१६) बेवाकी या अदायगी या तकमील या दस्तबरदारी । (Payment, performance or Relinquishment)
(१७) बदल का न होना (Want of Consideration)
(१८) नालिश का अधिकार न होना । (Want of Right to Sue.)
(१९) स्व प्रतिज्ञा भङ्ग करना (Breach on part of Plaintiff)
(२०) मुद्दई का स्वयं शिकायती काम में सम्मिलित होना । (Contributory negligence)
(२१) शिकायती काम का कानूनन जायज़ होना । (Justification.)
(२२) धोखा (फरेब) । (Fraud)
(२३) असत्य वर्णन । (Misrepresentation)
(२४) दोनों फ़रीक़ की ग़लती । (Mutual Mistake)
(२५) अनुचित दबाव (Undue Influence)
(२६) नाबालग़ी या बुद्धि हीनता । (Minority or Insanity)
(२७) परिवर्तन, नेकनियती से बदल देकर लेना । (Bonafide transfer for value)
(२८) मुक़दमे के दौरान में परिवर्तन होना । (Transfer during Pendency of Suit)
(२९) रसदी पाने का हक़ । (Contribution)

नियम नं० ३ (Order VIII, Rule 3)

प्रतिवादी के लिये यह पर्याप्त न होगा कि वह उन घटनाओं व कारणों से जो वादी ने अर्जीदावे में बयान किये हो अपने बयान तहरीरी में ग्राम इनकार कर दे वरन् उसको प्रत्येक घटना के बयान की वाकत जिसकी सत्यता वह स्वीकार न करता हो पृथक्, पृथक् लिखना चाहिये, सिवाय हर्जे के ।

इस नियम का अभिप्राय यह है कि जो बयान मुद्दई ने अर्जीदावे में किये हो उनमें से हर बयान के लिये जिसको मुद्दायलेह स्वीकार न करता हो अलग अलग अपना जवाब बयान तहरीरी में लिखना चाहिये ।¹ कुल बयान की वाकत एक साथ लिख देना कि स्वाकार नहीं है ठीक न होगा । जैसे यदि मुद्दई का बयान हो कि मुद्दायलेह ने उससे

¹ *Thorp v Holdsworth*, 3 Ch D 637, 1938 O W N. 1030, A I R 1916 L.L. 411.

५०) रु० कर्ज लिये उनमें से १५) रु० एक बार और १०) रु० दूसरी बार अदा किये, यदि मुद्दायलेह को इन घटनाओं से इनकार हो तो उसका सिर्फ यह लिखना कि तसल्लीम नहीं है, या इनकार है, काफी न होगा उसके कहना चाहिये कि उसने मुद्दई से १०) रु० कर्ज नहीं लिये और न १५) रु० और १०) रु० मुद्दई को अदा किये।

इसी प्रकार यदि मुद्दई का बयान हो कि मुद्दायलेह ने उससे धोखा देकर ५०) रु० ले लिये और मुद्दायलेह को इससे इनकार हो तो लिखना चाहिये कि मुद्दायलेह ने कोई धोखा मुद्दई को नहीं दिया और न ५०) रु० या और कोई धन मुद्दई से लिया। केवल यह लिखना कि मुद्दायलेह को इनकार है या स्वीकार नहीं है, काफी नहीं है।

साधारण अस्वीकारी से मुद्दायलेह का कोई बयान उन घटनाओं की बाबत नहीं आता जो मुद्दई बयान करता है इसलिये भगड़े का मामला स्पष्ट नहीं होता और न पूरे व्यवहार पर उचित प्रकाश पड़ता है। विवादास्पद विषय (तनकीह) नियत करने और मुकदमे का उचित निर्णय होने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि अदालत को भगड़े के दोनों पहलू दृष्टिगोचर हो जावे। जब मुद्दई एक घटना को सत्य कहे और मुद्दायलेह उसको असत्य बतलावे, तब तनकीह पैदा होती है, कि ऐसी घटना घटित हुई या नहीं।

जैसे अर्जीदावे में मुद्दई ने १० घटनाये लिखी हों और उनमें से मुद्दायलेह ६ को स्वीकार न करता हो या झूठ बतलाता हो तो उसके चाहिये कि उन ६ घटनाओं में से प्रत्येक की बाबत अपने बयान तहरीरी में सिलसिले से वह बयान लिखे जो मुद्दायलेह के अनुसार ठीक है और इस तरह पर मुद्दई के सब बयानों का जवाब दे।

हर्जे की बाबत इस तरह का बयान लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हर्जे को सिर्फ स्वीकार न करना काफी होता है।¹

नियम नं० ४ (Order VIII, Rule 4)

यदि प्रतिवादी अर्जीदावे में लिखी किसी घटना से इनकार करे तो उसका चाहिये कि अस्पष्ट प्रकार से न करे वरन वास्तविक घटना उल्लेख करे। जैसे यदि यह बयान किया गया हो कि उसने कोई नियत रकम पाई तो उस विशेष रकम के पाने से इनकार करना पर्याप्त न होगा उसके उस रकम या उसके किसी अंश के पाने से इनकार करना चाहिये या यह लिखना चाहिये कि इतनी रकम उसको मिली। यदि कोई घटना बहुत से हालात के साथ बयान की गयी हो तो उस घटना से उन हालात के साथ इनकार कर देना काफी न होगा।

नियम ३ में हर घटना के विषय में अलग २ जवाब देना आवश्यक बतलाया गया है और नियम ४ में यह बतलाया गया है कि किसी घटना से इनकार किस प्रकार से करना चाहिये। यदि अर्जीदावे में मुद्दई ने यह बयान किया हो कि मुद्दायलह ने उससे १० जनवरी सन् १९४५ को १०० रु० कर्ज़ लिये, और मुद्दायलह इसके जवाब में सिर्फ इतना कहे कि उसने उक्त तारीख को १०० रु० कर्ज़ नहीं लिये तो यह इनकार काफ़ी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि मुद्दायलह ने १० जनवरी सन् १९४५ के बजाय १५ जनवरी सन् १९४५ को १०० रु० कर्ज़ लिये हो, या १०० रु० की जगह ५० रु० कर्ज़ लिये हों, और इसका इनकार मुद्दायलह की ओर से ऊपर लिखे वाक्य से नहीं होता। इस नियम के अनुसार पूरा इनकार जब होता है जब मुद्दायलह यह कहे कि उसने १० जनवरी सन् १९४५ या किसी और तारीख को मुद्दई से १०० रु० या और कोई मतालवा कर्ज़ नहीं लिया।

इसी प्रकार यदि मुद्दई बयान करे कि उसका और मुद्दायलह का एक इकरारनामा इन इन शर्तों से हुआ था और मुद्दायलह उसके जवाब में सिर्फ इतना कहे कि उसको, फ़रीकैन के दरम्यान इकरारनामा का उन शर्तों से जो मुद्दई बयान करता है, होने से इनकार है, तो यह इनकार लाफ़ नहीं है। मुद्दायलह को यह कहना चाहिये कि उसको इनकार है कि फ़रीकैन के दरम्यान वह इकरारनामा जो मुद्दई बयान करता है, या और कोई इकरारनामा मुद्दई की बयान की हुई शर्तों से, या किन्हीं और शर्तों से हुआ। अगर उसको इकरारनामा का होना स्वीकार हो और शर्तें स्वीकार न हों तो यह कहना जरूरी है कि शर्तें जो नियत हुईं, यह थीं और जो शर्तें मुद्दई बयान करता है वह ग़लत हैं।

अगर अर्जीदावे में यह बयान हो कि मुद्दायलह ने मुद्दई के कारिन्दे को स्थान बम्बई में १०० रु० रिश्वत के ता० ५ जनवरी सन् १९४५ को दिये और मुद्दायलह इसके जवाब में यह कहे कि उसने उस तारीख पर मुद्दई के कारिन्दे को १०० रु० रिश्वत के बम्बई में नहीं दिये तो यह जवाब मुद्दायलह का इस नियम के अनुसार स्पष्ट इनकार नहीं है क्योंकि असली घटना रिश्वत देने की है और मुद्दायलह के ऊपर के जवाब से उससे लाफ़ इनकार नहीं होता, क्योंकि संभव है कि रिश्वत बम्बई के बजाय अहमदाबाद में दी हो, या ५ जनवरी सन् १९४५ के बजाय फरवरी सन् १९४५ की किसी तारीख को दी हो और १०० रु० की जगह ५० रु० या और कोई मतालवा दिया हो। इसी जवाब मुद्दायलह की ओर से यह होना चाहिये कि उसने ५ जनवरी सन् १९४५ को या किसी अन्य तारीख पर, बम्बई में या किसी अन्य स्थान पर मुद्दई के कारिन्दे को १०० रु० या कोई मतालवा रिश्वत नहीं दिया।

इस नियम का प्रयोजन (अभिप्राय) भी वही है जो नियम नं० ३ का है। दोनों प्रायशः ही जो अर्जों के मान्य परीक्षण के मध्य में होते हैं वह ठीक निश्चय हो जाते

हैं और कोई पक्ष मुकदमे की सुनवाई के समय मामले से इधर उधर नहीं जा सकता।¹

नियम नं० ५ (Order VIII, Rule 5 C. P. C.)

अर्जीदावे में प्रत्येक घटना का बयान, जिसकी बाबत स्पष्ट रूप से या आवश्यक अभिप्राय से इनकार न किया जावे, या जिसको मुद्दायल्लह अपनी स्वीकृति में स्वीकार न बयान करे, स्वीकार समझा जायगा, सिवाय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो अयोग्यता रखता हो।

परन्तु यदि अदालत अपने अधिकार से चाहे तो उस स्वीकार युक्त घटना को ऐसी स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य प्रकार से प्रमाणित किये जाने की आज्ञा दे सकती है।

इस नियम का वास्तविक अभिप्राय यह है कि वादी के जितने बयान हों उन सब की बाबत प्रतिवादी का पूरा जवाब होना चाहिये। यदि प्रतिवादी वादी के किसी बयान का जवाब अपने स्वीकृति में न दे तो उससे यह समझ लिया जायगा कि वह बयान उसको स्वीकार है।² परन्तु यह रूल तभी लागू होगा जब मुद्दायल्लह अपना जवाब दाखिल करे। जवाब न दाखिल करने से यह नहीं मान लिया जावेगा कि वह अर्जीदावे के बयान स्वीकार करता है।³ इसलिये बहुत ज़रूरी है कि छोटी से छोटी घटना भी उत्तर रहित नहीं रहनी चाहिये और जो कुछ बयान प्रतिवादी का प्रत्येक घटना की बाबत हो वह लिख दिया जावे।

जो प्रतिवादी अव्यक्त या बुद्धिहीन होते हैं वह अयोग्यता रखते हैं। उनके विषय में यह नियम लागू नहीं होता।⁴

नियम ३, ४ और ५ का मिल कर अभिप्राय यह है कि इनकार और स्वीकृति हर घटना का पृथक और अलग २ हो और वह इनकार और स्वीकृति स्पष्ट और खुले शब्दों में हो न कि सन्देह युक्त शब्दों में।⁵ यदि किसी घटना से इनकार न किया जावेगा तो यह समझा जावेगा कि वह स्वीकार है।

किसी घटना से इनकार दो प्रकार से होता है पहिला यह कि प्रतिवादी वादी की बयान की हुई किसी घटना को स्वीकार न करे और दूसरा यह कि वह उस

1. A I. R. 1929 All 721, 1924 Mad 833, 1923 Cal 578

2 I L. R. 1938, Nag 469, 1943 Mad. 268, I L R. Lah 623

3 I L R. 43, Cal. 1001, A I R 1928 Lah 769

4. A I. R 1936 Pat 428, 1923 Mad 114

5 I L R 55 All 700, A I R 1927 All 225, 1929 Mad 950 (957)

घटना की वास्तव यह बयान करे कि असल में वह घटित नहीं हुई। “स्वीकार न करने” से “इनकार करना” अधिक प्रभावशाली शब्द है और दोनों के आशय में साधारणतया यह भेद होता है कि अस्वीकारी में अभिप्राय यह होता है कि प्रतिवादी के ज्ञान में वह घटना नहीं घटित हुई और प्रतिवादी उस घटना को वादी से प्रमाणित कराना चाहता।

इनकार से अभिप्राय यह होता है कि वास्तव में वह घटना घटित नहीं हुई और वादी का बयान उसके विषय में असत्य है। इसलिये जब भ्रगड़े वाला व्यवहार प्रतिवादी को ज्ञात हो और वह उसके न होने का विरोध करता हो तो उसकी ओर से इनकार होना चाहिये। यदि वह मामला प्रतिवादी को ज्ञात न हो तो उसकी ओर से केवल अस्वीकार करना काफी होगा।

यदि वादी किसी कार्य को प्रतिवादी का किया हुआ बयान करे और प्रतिवादी उस बयान को सच न मानता हो, तो उसको चाहिये कि वह उस बयान से इनकार करे और कहे कि उसने वह कार्य नहीं किया।¹

उदाहरण

१—जब मुद्दे की शिकायत हो कि मुद्दायलह ने मुद्दे की जमीन पर अनुचित हस्तक्षेप किया और अमूक मूल्य की लकड़ी काट कर अपने काम में ले ली तो यदि मुद्दायलह को इससे इनकार हो तो कहना चाहिये कि मुद्दायलह ने मुद्दे की किसी आराज़ी पर हस्तक्षेप नहीं किया और न कोई लकड़ी काटी या अपने काम में ली।

२—यदि मुद्दे का बयान हो कि मुद्दायलह ने मुद्दे की दूकान स्थित बाज़ार फुलही शहर आगरा पर कब्ज़ा नाजायज़ कर लिया और मुद्दायलह को ऐसा करने से इनकार हो और इस बात से भी इकार हो कि मुद्दे की कोई दूकान उस बाज़ार या शहर में है तो उसको नीचे लिखे दो वाक्य लिखने होंगे।

(अ) मुद्दायलह ने किसी दूकान स्थित बाज़ार फुलही शहर आगरा पर अनुचित अधिकार नहीं किया।

(ब) बाज़ार फुलही शहर आगरा में मुद्दे की कोई दूकान नहीं है।
आगरा कोई दूकान अर्जीदावे में विशेष करके लिख दी हो तो यह जवाब देना होगा :—

(अ) दूकान जिसका बयान अर्जीदावे में है, मुद्दे की दूकान नहीं है।

(ब) मुद्दायलह ने उस दूकान पर कब्ज़ा नाजायज़ नहीं किया।

यदि प्रतिवादी को किसी घटना का कोई भाग स्वीकार और कोई भाग अस्वीकार हो तो साफ लिखना चाहिये कि इतना अंश स्वीकार है और इतना अस्वीकार है या इतने भाग से इनकार है ।

जैसे अर्जीदावे में यह बयान किया गया है कि मुद्दायलह ने अमुक बयान किया जिस पर यक्रीन करके मुद्दई ने अमल किया और वह बयान धोखा और ग़लत बयानी पर निर्भर था, उसके जवाब में मुद्दायलह कह सकता है कि उसके वह बयान करना तसलीम है मगर इससे इनकार है कि वह धोखे और ग़लत बयानी पर निर्भर था । सदेह और सशय दूर करने के लिये बहुधा इनकार के साथ ऐसे शब्दों के लिखने की भी आवश्यकता होती है जो मुद्दायलह के मतलब को ठीक प्रगट करें जैसे, यदि मुद्दई का बयान हो कि "मुद्दायलह ने १० जून सन् १९४६ को मुद्दई से २०० रु० कर्ज़ लिये," और मुद्दायलह को यह कर्ज़ या कोई और कर्ज़ लेने से इनकार हो तो उसको लिखना चाहिये कि "मुद्दायलह ने ता० १० जून सन् १९४६ या किसी और तारीख़ पर २०० रु० जो मुद्दई माँगता है या कोई और कर्ज़ मुद्दई से नहीं लिया" यदि उसने भगड़े वाले कर्ज़ के सिवाय कर्ज़ लिया और दिया हो तो कहना चाहिये कि "मुद्दायलह ने वह कर्ज़ जिसका दावा है नहीं लिया और न कोई अन्य कर्ज़ मुद्दई का मुद्दायलह के लुम्मे चाहिये" ।

यदि मुद्दई किसी आदमी को अवयस्क (नाबालिग) बयान करता हो और उसकी उम्र १८ साल से कम बतलाता हो और मुद्दायलह को उसकी अवयस्कता से इनकार हो तो सब से अच्छा मार्ग यह होता है कि इनकार के साथ उसकी ठीक, या अनुमान से अवस्था जो मुद्दायलह के ज्ञान में हो प्रकट कर दी जावे जिससे कोई बयान में सदेह न रहे । इसी तरह अगर अदा की हुई रकम की तदाद की बाबत कमी बेशी का भगड़ा हो तो मुद्दायलह को जवाब में सही रकम प्रगट करना उचित होता है ।

अगर मुद्दई ने दावे को तामादी से बचाने के लिये कोई विशेष कारण बयान किया हो या कोई विशेष आर्टिकल लगाया हो तो जवाब में उस वजह से इनकार करने हुए यह भी कहा जा सकता है कि वह वजह कानून से मियाद बढ़ाने के लिये काफ़ी नहीं है या कि वह आर्टिकल जो मुद्दई लगाना चाहता है लागू नहीं होता ।

उन घटनाओं के अतिरिक्त जो तत्व मुद्ददमा होती हैं । अर्जीदावे के प्रथम भाग में कुछ बातें ऐसी लिखी जाती हैं जिनमें पक्षों का आपस का सम्बन्ध या व्यवहार का उत्पन्न होना प्रगट होता है । ऐसी बातें अर्जीदावे के मध्य में या अन्त में भी असली घटनाओं के साथ में आ जाती हैं लेकिन वह व्यवहार का तत्व नहीं होती । इस प्रकार की घटनाओं की बाबत यदि मुद्दायलह को उनसे इनकार हो, तो वह एकत्रित रूप से

इनकार कर सकता है और कह सकता है कि जो घटनाएँ धारा नं०में लिखी हैं उनसे कुल से और उनमें से प्रत्येक घटना से इनकार है, या स्वीकार नहीं है।

नियम नं० ६ (Order VIII, Rule 6 C. P.C.)

यदि किसी नकद रुपये के दावे में प्रतिवादी वादी के दावे से कोई निश्चय रकम मुजरा लेना चाहता हो, जो विधानानुसार प्रतिवादी को वादी से मिल सकती हो और जो अदालत के आर्थिक अधिकार सीमा से अधिक न हो, और उसके सम्बन्ध में दोनों पक्ष वही हैसियत रखते हो जो उस के दावे में हो, तो प्रतिवादी मुकदमें की पहिली पेशी के समय परन्तु उसके बाद नहीं, जब तक कि अदालत आज्ञा न दे देवे, अपना बयान तहरीरी दाखिल कर सकता है जिसमें उस कर्ज का विवरण जिसकी वह मुजराई चाहता है, दर्ज होगा।

२—ऐसे बयान तहरीरी का ऐसा ही प्रयोजन होगा जैसे अर्षीदावे का, एक काट के दावे (Cross Suit) में, जिससे आदलत प्रारंभिक दावे और मुजराई दोनों, की बाबत पूर्ण निर्णय कर सके, किन्तु उसका कोई प्रभाव छत्र भार (lien) पर, जो किसी वकील का उस खर्च के मुकाबले में जो लिगरी से उसको दिलाया गया हो, न होगा।

३—जो नियम प्रतिवादी के जबाबदावा से लागू होते हैं वह उस बयान तहरीरी से भी लागू होंगे जो मुजराई के दावे के जवाब में हो।

उदाहरण

(अ) ' अ ' ने ' ब ' के लिये २००० रु० वसीयत से छोड़े और ' क ' को अपना निष्ठा कर्त्ता (वसी) और शेषाधिकारी (residuary legatee) नियत किया। ' ब ' मर गया और ' ख ' ने ' ब ' की सम्पत्ति का प्रबन्धक पत्र (चिट्ठियात एहतमाम तरका प्राप्त) किया। ' क ' ने १०००) रु० ' ख ' की जमानत की बाबत अदा किये फिर ' ख ' ने वसीयती रुपये की ' क ' पर गालिश की। ' क ' वसीयती रुपये में से १००० रु० कर्ज की बाबत मुजरा नहीं पा सकता क्योंकि ' ब ' और ' ख ' की वसीयती रुपये के बारे में वह हैसियत नहीं है जो १००० रु० अदा करने के बारे में है।

(ब) ' अ ' बिना वसीयत किये और ' ब ' का कर्जदार, मर गया। ' क ' ने ' अ ' की जबाबदावा का प्रबन्धक पत्र (एहतमाम की चिट्ठियात) हासिल किया। ' ब '

ने उसमें से कुछ जायादाद 'क' से खरीद की। दावे में, जो क्रीमत की बाबत 'क' 'ब' के ऊपर दायर करे, उसमें 'ब' अपना कर्जा 'क' से मुजरा नहीं पा सकता क्योंकि 'क' की देा हैसियत पृथक् २ हैं। पहिली 'ब' को बेचने वाले की जिससे कि वह क्रीमत का दावा दायर करता है और दूसरी 'अ' का प्रतिनिधि होने की।

- (क) 'अ' ने 'ब' पर हुन्डी की नालिश की, 'ब' का बयान है कि 'अ' ने बेजा गफलत उसके माल के बीमा कराने में की और वह हर्जों का जुम्मेदार है जो उसके मुजरा मिलना चाहिये। हर्जों का मतालवा निश्चय न होने क वजह से मुजराई नहीं हो सकती।
- (ख) 'अ' ने 'ब' पर हुन्डी की १०० रु० की नालिश की। 'ब' की एक डिगरी १००० रु० की 'अ' पर है। दोनों मतालवे निश्चित होने के कारण मुजरा हो सकते हैं।
- (ग) 'अ' ने 'ब' पर अनुचित हस्तक्षेप (मदाखलत बेजा) के हर्जों की नालिश की। 'ब' के पास 'अ' का एक प्रामेसरी नोट (रुका) १००० रु० का है और वह उसके उस मतालवे से मुजरा कराना चाहता है जो दावे में 'अ' को दिलाया जावे। 'ब' ऐसी मुजराई करा सकता है क्योंकि तजवीज होते ही दोनों मतालवे निश्चित हो जाते हैं।
- (घ) 'अ' और 'ब' ने 'क' पर १००० रु० की नालिश की। 'क' ऐसे दावे में वह कर्जा जो सिर्फ 'अ' पर वाजिब हो मुजरा नहीं करा सकता।
- (च) 'अ' ने 'ब' और 'क' पर १००० रु० की नालिश दायर की। 'ब' अपना कर्जा जो अकेले 'अ' से लेना हो मुजरा नहीं करा सकता।
- (छ) 'अ' पर 'ब' और 'क' की सभे की कोठी के १००० रु० चाहिये। 'ब' मर गया और 'क' जीवित है। 'अ' ११०० रु० के कर्जों का दावा जो अकेले 'क' पर चाहिये, दायर करता है। 'क' १००० रु० की मुजराई करा सकता है।

ऊपर लिखे नियम और उसके उदाहरणों का ध्यान के साथ पढने से ज्ञात होगा कि मुजराई विशेष दशाओं में और विशेष प्रकार के मुकदमों में होती है। जब तक इस नियम की सब शर्तें पूरी न हों मुजराई नहीं हो सकती। वह शर्तें यह हैं।^१

१—दावा नकद रुपये का हो।

२—जिस मतालवे की मुजराई चाही जाती हो वह निश्चित रकम हो।

३—वह मतालवा अदालत की माली अधिकार सीमा से ऊपर न हो ।

४—वह रकम कानून से वसूल होने योग्य हो ।

५—मुद्दायलह, की मुजराई रकम की बाबत वही हैसियत हो जो मुद्दई की नालिश के मतालवे की बाबत हो, या दूसरे शब्दों में दोनों फरीकैन को वही हैसियत हासिल हो जो मुद्दई के दावे में उनकी हो ।

यह जरूरी नहीं है कि मतालवे-मुजराई की संख्या मुद्दई के दावे से कम हो, यदि मुजराई और मुद्दई के दावे की संख्या बराबर होती है तो एक फरीक का दूसरे के जिम्मे कुछ नहीं रहता, यदि मुजराई का मतालवा मुद्दई के दावे से अधिक हो तो जितना अधिक होता है उतने की डिगरी मुद्दई के मुकाबले में हो सकती है (उदाहरण ख) यदि मुद्दई का दावा खारिज भी हो जाय तब भी मुद्दायलह डिगरी पा सकता है ।¹

एक हैसियत का मतलब यह है जैसा इक मुद्दई को मुद्दायलह से रुपया मांगने का हो उसी तरह मुद्दायलह को भी अपने रुपया मांगने का इक मुद्दई से हो ।² अगर एक फरीक वसी या मैनेजर की हैसियत से रुपया मांगता हो और दूसरा जाती हैसियत से तो दोनों की हैसियत एक नहीं होती और मुजराई नहीं हो सकती ।³

अदायगी और मुजराई के भेद का ध्यान रखना चाहिये । अदायगी किसी जुम्मेदारी की बाबत होती है जिसको पूरा कराने के लिये नालिश होती है । मुजराई किसी और पृथक् मामले के विषय में होती है जिसकी जुम्मेदारी मुद्दई पर होती है और मुजराई चाहने पर उसकी निस्वत भगड़ा मुकदमे में तय होता है ।⁴

चूँकि मुजराई का सम्बन्ध एक पृथक व्यवहार से होता है इसलिये मुजराई के मतालवे पर अज्ञी-नालिश की तरह कोर्टफीस देना पड़ता है ।⁵ अदायगी के उज्र पर कोई कोर्टफीस नहीं दिया जाता ।⁶

अगर मुद्दायलह अपने जबाबदावे में मुजराई का विरोध नहीं उठाता तो वह मुजराई की शहादत देने से और उस पर बहस करने से रोक दिया जाता है ।⁷ और

1. I I R 56 All 912, A I R 1942 Cal 552, 1942 Mad 580 ; 1 L R. 5 All 97

2. A I R 1941 C.J. 308 1940 L.J. 290

3. I I R 5 All 299, A I R 1940 Nlg 77

4. I I R 1940 All 306, 5 I C 17

5. I I R (1942) Mad 830 I L R 1941 Nlg 752, A I R 1935 Pat. 219 I I R 288 A 52

6. I I R 287 L.J. 62

7. I I R 1937 All 311, 1935 Mad 242

मुद्दई की डिगरी हो जाने पर, उसकी इजरा में भी ऐसी मुजराई मुद्दायलह नहीं पा सकता ।¹ इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि मुद्दायलह मुजराई का विरोध जवाबदावे में स्पष्ट रूप से लिख देवे ।

मुजराई का मतालवा निश्चित होने का अर्थ यह है कि उसकी संख्या निश्चित हो न कि यह कि वह दूसरा पक्ष स्वीकार करता हो या उसकी डिगरी अदालत से सादिर हो चुकी हो । अनिश्चित हर्जे या खिसारे की मुजराई नहीं हो सकती ।² यदि हिसाब लगाने पर मतालवा निश्चित किया जा सके तो उसकी मुजराई मुद्दायलह माग सकता है ।³ परन्तु जहाँ पर फरीकैन का पुराना हिसाब देखना पड़े और बिना हिमाव के रकम निश्चित न हो सकती हो या मुद्दायलह के हिस्से या उसकी संख्या की निस्वत भ्रमझा हो, ऐसी दशा में मुद्दायलह मुजराई नहीं मांग सकता ।⁴

अदालत मुजराई का प्रश्न उसी संख्या तक फैसल कर सकती है जितना कि उस अदालत को अधिकार हो, क्योंकि मुद्दायलह की मुजराई के रकम की वजह से ही यह हैसियत एक मुद्दई की तरह होती है और उसके हक में आर्डर २० रूल १६ फिकरा १ के अनुसार डिगरी सादिर की जा सकती है ।⁵ इसलिये यदि मुजराई का मतालवा अदालत के नकदी अधिकार से अधिक हो तो उसका दूसरा दावा किया जा सकता है या मुद्दई के ऐसी संख्या स्वीकार कर लेने पर उचित हुक्म दिया जा सकता है । यह आवश्यक नहीं है कि दावे और मुजराई की संख्या मिला कर अदालत के आर्थिक अधिकार के अन्दर हों क्योंकि वह दो दावे गिने जावेंगे ।⁶ जैसे एक मुसिफी के दावे में जहाँ अदालत का आर्थिक अधिकार १००० रु० हो और यदि दावा २००० का हो किन्तु मुद्दायलह ५०००) रु० तक की मुजराई माग सकता है ।

नियम नं० ७ (Order VIII, Rule 7 C. P. C.)

अगर मुद्दायलह एक से अधिक और जुदागाना जवाबदही या मुजराई पर भरोसा करता हो जो पृथक और अलग २ घटनाओं पर निर्भर हो, वह जहाँ तक हो सके पृथक और अलग २ लिखी जावें ।

इस नियम का अभिप्राय यह है की मुद्दायलह मुद्दई के दावे का जवाब कई प्रकार से दे सकता है और एक से अधिक मतालवे की मुजराई मांग सकता है । यदि ऐसे जवाब या मुजराई अलग २ घटनाओं से बनते हों तो वे घटनाएँ अलग २

1. A I R 1924 Lah 434

2. I. L. R 46 Alld. 922, A. I R 1943 Oudh 17, 5 I C. 67 and 211

3. L B R 186 F D

4. I L R 1941 Nag 753, 57 Cal 855, 39 All 392, A I R 1936 All d 522

5. I L R 57 Alld 912, A. I R 1942 Cal. 559

6. A. I. R 1932 Bom 611, 1942 Mad 580, I L R 5 Alld 236, 3 Cal 527

लिखनी चाहिये। ऐसा करने से पक्षिक का फैसला अलाहिदा २ किया जा सकेगा और मुद्दै भी अलाहिदा २ जवाब दे सकेगा। (देखो आर्डर ७ नियम ८)

नियम नं० ८ (Order VIII, Rule 8, C. P. C.)

कोई वजह जवाब दावा की, जो नालिश करने या मुजर्राई का बयान तहरीरी दाखिल करने के बाद पैदा हुई हो, मुद्दायलह या मुद्दै, जैसी सूरत हो, अपने बयान तहरीरी में ठठा सकता है।

साधारण नियम यह है कि फरीकैन के स्वत्व व अधिकार का निर्णय उस तारीख तक किया जाता है जिस तारीख पर मुकदमा दायर किया गया हो¹ परन्तु विशेष परिस्थितियों में न्याय-रक्षा के लिये अदालतें दावा दायर होने की बाद की घटनाओं का भी फैसला करते समय खयाल कर सकती हैं।²

इस क्रायदे के अनुसार विशेष परिस्थित में मुद्दै और मुद्दायलह दोनों दूसरा बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं और वह विशेष परिस्थित यह है कि उसके दाखिल करने का कारण, अज्ञीदावा या बयान तहरीरी मुजर्राई का, दाखिल करने के बाद पैदा हुई हो। इसी नियम के अनुसार मुद्दै मुद्दायलह के मुजर्राई के बयान तहरीरी के जवाब में अपना बयान तहरीरी दाखिल करता है।

नियम नं० ९ (Order VIII, Rule 9, C. P. C.)

कोई प्लीडिंग बाद बयान तहरीरी मुद्दायलह के दाखिल नहीं किया जायेगा सिवाय इस प्लीडिंग के जो मुजर्राई के जवाब में पेश किया जावे किन्तु अदालत की आह्ला से और ऐसी शर्तों पर जिनके अदालत उचित समझे नया प्लीडिंग दाखिल हो सकेगा, परन्तु अदालत को अधिकार है कि जिस समय चाहे बयान तहरीरी या अधिक (मज्जोद) बयान तहरीरी दाखिल करावे और उसके दाखिल करने के लिये समय नियत करे।

साधारण नियम यह है कि मुद्दायलह का बयान तहरीरी दाखिल होने के बाद कोई प्लीडिंग दाखिल नहीं होता किन्तु तीन परिस्थितियों में ऐसा होता है और वे ये हैं—

(१) जब मुद्दायलह ने मुजर्राई चाही हो, तो मुद्दै उसके जवाब में अपना बयान तहरीरी दाखिल कर सकता है।

¹ I L R 10 Luck 270, 11 AFB 438, A I R 1940 Sca 162

² A I R 1941 Oor 222 (494) 1929 AFB 341 I L R 52 B.L. 868, C L J 74

- (१) अदालत की इजाज़त से और उन शर्तों पर जो अदालत नियत करे दोनों फरीक नया या अधिक बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं ।
- (३) जब अदालत स्वयं किसी फरीक से बयान तहरीरी या अधिक बयान तहरीरी माँगे

नियम नं० १० (Order VIII, Rule 10, C. P. C.)

अगर कोई फरीक जिससे बयान तहरीरी माँगा गया हो, बयान तहरीरी उस अवधि के अन्दर दाखिल न करे जो अदालत से नियत हुई हो तो अदालत को अधिकार है कि उस फरीक के विरुद्ध तजवीज देवे या मुकदमे को निसबत कोई ऐसा हुक्म दे जो उचित हो ।

नियम नं० ६ और १० का उद्देश्य है कि अतिरिक्त, जवाब दावा पेश करने से पहले अदालत की आज्ञा प्राप्त करली जावे,^१ यदि अवयस्क मुद्दायलद मुकदमे के दौरान में वयस्क या बालिग हो जाता है तब भी वह अदालत से आज्ञा लिये बिना स्वयं जवाब दावा नहीं दाखिल कर सकता है।^२ यदि फरीकैन की झीडिङ्ग में कोई त्रुटि या अस्पष्टता हो तो अदालत उसके एक पूर्ण और अतिरिक्त जवाब दावा दाखिल करने की आज्ञा दे सकती है।^३ और उस फरीक के, अदालत की आज्ञा उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध मुकदमा फैसला कर सकता है या अन्य उचित हुक्म दे सकती है। ध्यान रहे कि अतिरिक्त जवाब दावे में कोई फरीक अपने पहले जवाब दावे के विरुद्ध बयान नहीं कर सकता ।

बयान तहरीरी की बनावट

जैसा कि नियम नं० २ की टिप्पणियों में उल्लिखित किया गया है प्रतिवाद के स्वरूप ४ होते हैं ।

- (१) प्रतिवादी अर्जादावे के बयान और घटनाओं से इन्कार करे या उनके स्वीकार न करे ।
- (२) प्रतिवादी उन बयानों को स्वीकार करे पर उनका प्रभाव नष्ट करने के लिये अन्य घटनाथे बयान करे जिनसे उस पर ज़िम्मेदारी न आती हो ।
- (३) अर्जादावे की घटनाओं को स्वीकार करते हुए भी उनके विधानानुसार प्रभाव पर आक्षेप करे । अथवा,

१. A. I. R. 1925 Bom 390, 1915 Mad 984

२. A. I. R. Mad 117, 1937 Pat 625

३. I. L. B. 17 Cal 840 (848)

(४) प्रतिवादी अदायगी की मुजराई चाहे या वादो के विरुद्ध अपना दावा पेश करे ।

प्रतिवाद के येही ४ स्वरूप हो सकते हैं जो विशेष २ परिस्थितियों और दशाओं में काम में लाये जाते हैं । आवश्यकतानुसार चारों प्रणाली एक ही जवाबदावे में काम में लाई जा सकती हैं क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रणाली प्रयोग में लाई जावे ।

जवाबदावा लिखने की एक से अधिक रीतियाँ प्रचलित हैं । एक रीति जिसकी सबसे अधिक प्रथा है वह यह है की पहिले अर्जीदावे की प्रत्येक धारा के विषय में इनकार, स्वीकारी या अस्वीकारी लिखी जाती है । इस प्रकार अर्जीदावे के सब धाराओं की बाबत लिखने के बाद अतिरिक्त बयान (उज्रात मज़ीद) या इसी तरह के शब्दों से सरनाभा करके मुद्दायलह के विरोध लिखे जाते हैं जिनमें मुद्दायलह का कुल मुक़दमा लिखा जाता है ।

दूसरी रीति यह है कि अर्जीदावे के हर फ़िक्क्रे की बाबत इनकार या स्वीकारी होना या न होना लिखते हुये उस फ़िक्क्रे का पूरा जवाब मुद्दायलह की ओर से एक या एक से अधिक फ़िक्करो में लिख दिया जाता है । जब इस प्रकार अर्जीदावे के एक फ़िक्क्रे का मामला पूरा हो जाता है तो दूसरे फ़िक्क्रे की बाबत इनकार, स्वीकारी या अस्वीकारी लिख कर उसका पूरा जवाब दिया जाता है । इसी तरह हर फ़िक्क्रे का जवाब देकर कुल बयान तदरीरी तैयार होता है ।

तीसरी रीति यह है कि अर्जीदावे के फ़िक्करो का हवाला न देकर मुद्दायलह मुक़दमे की तत्व बटनाएँ बयान करता है और उस सिलसिले में उन घटनाओं के विषय में जो मुद्दों से बयान की हैं इनकारो या स्वीकारी करता है ।

हॉटिंग के उदाहरण जो इस पुस्तक में आगे दिये जावेंगे उनमें तीनों तरह के बयान तदरीरी मिलेंगे किन्तु सबसे उत्तम रीति यही होती है कि मुद्दायलह अर्जीदावे के हर फ़िक्क्रे को नगरवार लेवे और उसकी बाबत बयान करे कि उससे इनकार है या वह स्वीकार है या स्वीकार नहीं है या इतना स्वीकार है और इतना स्वीकार नहीं है और उसकी बाबत मुद्दायलह का उत्तर क्या है और पूरा जवाब उसी जगह लिख दे । जब पहिले फ़िक्क्रे का जवाब इस तरह क़तम हो जावे तब दूसरा फ़िक्करा लेवे और उसका जवाब भी उसी तरह लिखे । फिर तीसरा, चौथा, पाँचवाँ फ़िक्करा वगैरह अन्त तक लेला जावे और जवाब देवे और अपने घटनाओं के और कानूनी विरोध उचित बयान पर लिखता जावे और बचे हुये विरोध या मुजराई इत्यादि अन्त में लिख देवे । इस तरह तैयार किया हुआ तदरीरी दाखिल होने से दोनो पक्षों का मुक़दमा बहुत ज़द समझ में आ जाता है और विवाद तद विषय (तनक़ीद) आसानी से निरत हो जाते हैं ।

प्लीडिंग के नियमों की पूर्ति भी उत्तम रूप से हो जाती है। जो बयान तहरीरी के नमूने आगे दिये गये हैं वह बहुधा इसी बनावट के हैं।

प्लीडिंग में, नियमों के अनुसार कानूनी स्वत्व लिखने की आवश्यकता नहीं होती परन्तु अनेक स्थानों पर ऐसा लिख देने से घटनाओं के समझने में सुविधा होती है और बहुधा बड़ाव बच जाता है। ऐसी दशा में यह लिख देना कि वादी असुक्र स्वत्व का अधिकारी है या प्रतिवादी उसका जिम्मेदार है अनुचित नहीं होता।

जहाँ मुद्दायलह मुजराई चाहता हो या अपना दावा मुद्दई के मुक़ाबिले में पेश करता हो, तो वह बयान तहरीरी में उन घटनाओं के लिखते हुये जिनसे ऐसा हक़ पैदा हो, लिख सकता है कि वह मुजराई या अपना मतालबा पाने का अधिकारी है।

चतुर्थ अध्याय

दखर्वास्त, हलफी बयान और अपील

१—दखर्वास्ते

मुकदमा दायर हो जाने के बाद जब वह पहिली अदालत या अदालत अपील में चलता रहता है, उसके सिलसिले में बहुत सी दखर्वास्ते ज्ञान्ता दीवानी संग्रह की विविध धाराओं और नियमों के अनुसार गुजरती हैं, जैसे मुकदमे की काररवाई रुकवाना, उसको एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल कराना, हुकम हमतनाई निकलवाना, रिसीवर नियत कराना इत्यादि। जब कोई दावा या अपील किसी एक फरीक की अनुपस्थिति में डिगरी या डिग्रिसिख हो जाता है तो उसको नम्बर पर लाने के लिये दखर्वास्त पेश होती है, जब मुकदमा एक अदालत से एक फरीक के हुक में निर्णय हो जाता है तो सफल पक्ष उस तजवीज की डिगरी के असफल पक्ष के विरुद्ध जारी करने के लिये इजराय की दखर्वास्त पेश करता है और असफल फरीक उसमें उज्रदार होता है। यदि अदालत अपील से पहिली अदालत का फैसला मनसूख हो जाता है और पहिली अदालत से सफल पक्ष ने इजराय डिगरी से कुछ लाभ प्राप्त कर लिया होता है तो अपील से जीतने वाला फरीक उसके मुकामले में वापसी की दखर्वास्त पेश करता है।

इन सब दखर्वास्तों के अतिरिक्त एक अदालत की डिगरी और अन्य आज्ञाओं के विरुद्ध अपील की दखर्वास्ते, जो मूजवात अपील या याद्दाश्त अपील के नाम से होती जाती हैं, पेश होती हैं, और हर अदालत दीवानी की डिगरी या हुकम की तजवीज सानी, निर्णय पर फिर से विचार करने, की दखर्वास्त हो सकती हैं। इजराय डिगरी में जो कारवाई होती है उनके सिलसिले में बहुत सी दखर्वास्ते, उज्रदारी, मंमूखी नीलाम इत्यादि की गुजरती हैं। रहन के मुकदमों में प्रारम्भिक डिगरी के पश्चात् अंतिम डिगरी बनने की दखर्वास्त, और यदि आइ की जायदाद के नीलाम से पूरा रुपया वसूल नहीं होता, तो जात के मुकामले में डिगरी बनवाने की दखर्वास्त दी जाती है। इस तरह पर अनेक प्रकार की दखर्वास्ते पेश होती हैं।

उन दरखास्तों के अतिरिक्त जो किसी दीवानी के मुकदमे या अपील के खिलखिले में दी जावें, दीवानी की अदालतों को बहुत सी ऐसी दरखास्तें सुनने का अधिकार होता है जिनका सम्बन्ध किसी मुकदमों से नहीं होता, जैसे किसी अवयस्क (नाबालिग) का संरक्षक नियत करने, संरक्षक (वली) को इजाजत इन्तकाल देने, सार्टीफिकेट उत्तराधिकारस्वत्व (विरासत) या प्रोवेद प्रबन्धक-पत्र (चिट्ठियात एहतमामतर्का) हासिल करने, देवालिया करार दिये जाने इत्यादि इस प्रकार की दरखास्तों पर जो कारवाई होती है वह मुत्तफर्रिका मुकदमे कहलाते हैं और जाब्ता दीवानी संग्रह ऐसी कारवाई से लागू होता है ।

असाधारण और मुत्तफर्रक दरखास्तों के बनाने के लिये भी वह सावधानी बर्तनी चाहिये जो कि प्लीडिंग बनाने के लिये और यह ध्यान रखना चाहिये कि उनमें अनावश्यक बातें न लिखी जावे जिनसे उनका आकार न बढ़ने पावे किन्तु जिस उद्देश्य के लिये दरखास्त दी जावे उसकी पूर्ति के लिये उचित घटनाएँ और बयान उल्लिखित किये जावें ।

यह जानने के लिये कि प्रार्थना पत्र में क्या लिखा जावेगा वह कानून जिसके आश्रित दरखास्त दी जावे ध्यान से पढ़ लिया जावे । जाप्ता दीवानी संग्रह और अन्य कानूनों की भिन्न भिन्न धाराओं में प्रायः वे सब बातें विवरण सहित लिखी हुई हैं जिनका किसी एक दरखास्त में लिखना, जो उस कानून के अनुसार दी जावे, आवश्यक होता है जैसे जाप्ता दीवानी संग्रह की धारा १० में मुकदमें की कार्यवाही को स्थगित कराने के लिये ; धारा २४ में मुकदमें को इन्तकाल कराने के लिये ; आर्डर ३३ नियम २ में मुफलिसों के लिये या अवयस्क का संरक्षक बनने के लिये एक्ट ८१८९० में (Guardian and Wards Act 1890) । या देवालिया के लिये कानून देवालिया (Provincial Insolvency Act) ऐसी दरखास्तों में यह विशेष ध्यान रखना चाहिये कि कोई विवरण जो उस कानून के अनुसार लिखना आवश्यक हो दरखास्त में छूट न जावे, जहाँ तक हो सके वे ही शब्द प्रयोग में लाये जावें, जो उस कानून के अनुसार जिसके आश्रित दरखास्त दी जावे, आवश्यक हों ।

दरखास्त के सिरनामे में अदालत का नाम लिखने के बाद प्रार्थी (सायन) का नाम और विरुद्ध पक्ष (फरीक सानी) का नाम लिखना चाहिये । यदि दरखास्त किसी नम्बरी या मुत्तफर्रक मुकदमे के सम्बन्ध में दी गई हो तो उस मुकदमे का नम्बर और वर्ष अदालत के नाम के नीचे लिखना चाहिये । वड कानून या नियम जिसके अनुसार दरखास्त दी जावे, सिरनामे के नीचे लिखा जावे । जिस प्रकार से भिन्न २ दरखास्त लिखी जाती हैं वे इस पुस्तक के

द्वितीय खंड में दिये हुये नमूनों से सुगमता से जाने जा सकते हैं, उनको ध्यान से देखना चाहिये ।

प्लोडिंग की तरह घटनायें जो दरखास्तों में लिखी जावें शुद्ध और स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में दीजावें । उनको भिन्न २ धाराओं में विभाजित किया जावे और जहाँ तक हो सके एक घटना एक धारा या पैरा में लिखी जावे और पैरो पर नम्बर डाले जावे । जहाँ पर आवश्यक घटनायें अनेक हों या पुराना व्यवहार हो तो ऐसी घटनाओं को तारीखवार या अन्य सिलसिले से लिख देना चाहिये ।

अनेक दरखास्तों के समर्थन के लिये हलफी बयान (शपथ पत्र) देना कानून से जरूरी होता है जैसे पंचायती फैसले के विरुद्ध एतराज, उत्तराधिकारी का नाम चढ़वाना, रिसीवर नियत कराना इत्यादि । अन्य साधारण दरखास्तों के समर्थन के लिये भी अदालत बयान हलफी माँगती है । जहाँ पर दरखास्त और बयान हलफी दोनों में एक ही घटनाओं का वर्णन हो वहाँ पर यह उत्तम होता है कि उन घटनाओं को हलफी बयान में लिखकर दरखास्त में न दोहराया जावे बरन् यह लिखा जा सकता है " उन घटनाओं के अनुसार जो कि इस दरखास्त की पुष्टि के बयान हलफी में वर्णन की गई है सायल प्रार्थी है कि..... इत्यादि इत्यादि " दरखास्त की मालियत भी लिखना चाहिये जिससे अदालत का रसुम, ललवाना, वकीलों की फीस इत्यादि नियत हो सके ।

घन्त में प्रार्थना जो कुछ हो साफ शब्दों में लिखनी चाहिये और उसके नीचे प्रार्थी या उसके वकील के हस्ताक्षर होने चाहिये । बहुत सी दरखास्तों पर दरदोक लिखना भी जरूरी होता है । जैसे अर्जीदावा, तर्मीम करने की दरखास्त इत्यादि । ऐसी दरखास्तों को अर्जीदावा की तरह प्रमाणित भी करना चाहिये ।

इन सब प्रकार की दरखास्तों में से बहुत सी दरखास्तें ऐसी होती हैं जिनके लिखने या बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती । इस लिये हर प्रकार की दरखास्तों के नमूने देने से पुस्तक का अनावश्यक बढ़ाव होगा । इस लिये केवल उन दरखास्तों के नमूने दिये गये हैं जिनके बनाने में कुछ कठिनाई होती है या जिनकी भावत सावधाना करने की आवश्यकता है ।

दरखास्तों के नमूने से उनकी समर्थन (ताईद) के बयानहलफी बड़ी आसानी से, यदि नियमों और दिये हुये नमूनों का ख्याल रक्खा जावे, बन सकता है ।

२—बयान हलफ़ी (शपथ-पत्र)

(आर्डर १९ ज़ाबता दीवानी संग्रह)

बयान हलफ़ी अदालत की बहुत सी कार्रवाइयों में दाखिल होते हैं। कभी वह अदालत के हुकम से एक या एक से अधिक घटना सिद्ध करने के लिये पेश किये जाते हैं। कभी उनके देने की आवश्यकता मुकदमे से संबन्धित अन्य बातें प्रगट करने के लिये होती हैं, कभी दस्तावेज़ात के मुआईने के सम्बन्ध में उनका दाखिल करना आवश्यक होता है। कभी वह मुकदमे के दौरान में किसी दरखास्त के समर्थन में पेश किये जाते हैं। मुकदमे के या उसकी किसी कार्य-वाही को स्थगित कराने, या अन्य हुकम निकलवाने, उत्तराधिकारी का नाम चढ़वाने, कुर्की या गिरफ्तारी कराने, रिसबिर नियत कराने इत्यादि की डिगरी बगैरह की दरखास्त के साथ बयान हलफ़ी देना जरूरी होता है जिस द्वारा अदालत को विश्वास दिलाया जाता है और उसका इतमोनान किया जाता है कि वे घटनाएँ जिनके आधार पर दरखास्त दी जाती है, सच हैं।

बयान हलफ़ी नीचे लिखे नियमों के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिये—

१—बयान हलफ़ी में सिर्फ़ वे घटनाएँ लिखी जावें जो शपथ लेने वाला अपनेज़ाती इल्म से समर्थन कर सके।

यदि बयान हलफ़ी किसी मुकदमे की दरखास्त की पुष्टि में दिया जावे तो उसमें वे घटनाएँ भी लिखी जा सकती हैं जिनका बयान हलफ़ी देने वाले को विश्वास हो किन्तु शर्त यह है कि ऐसे विश्वास का कारण भी प्रकट कर दिया जावे।

२—बयान हलफ़ी पृथक २ धाराओं में विभाजित हो और प्रत्येक धारा पर सिलसिले से नम्बर हो।

३—जहाँ तक हो सके व्यवहार या घटनाओं के पृथक २ भाग अलग अलग धाराओं में लिखे जावें।

इन नियमों के अतिरिक्त बयान हलफ़ी के प्रारम्भ में बयान देने वाले का पूरा पता लिखना पड़ता है और यह प्रगट करना भी जरूरी होता है कि उसका उस काररवाई से, जिसमें बयान हलफ़ी वह दे रहा है, या उसके करीकों से, क्या सम्बन्ध है।

बयान हलफी के अन्त में तसदीक लिखना होती है। तसदीक में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये कि किन घटनाओं को बयान करने वाला अपने ज्ञाती इल्म से सच जानता है और किन घटनाओं को वह सच विश्वास करता है और वह विश्वास किस सूचना से या अन्य प्रकार से वह रखता है। तसदीक में स्थान और तारीख लिखी जानी चाहिये और उस पर हस्ताक्षर होना चाहिये।

क्योंकि असत्य शपथ पत्र पेश करने वाले के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा चल सकता है इसलिये हलफी बयान की तैयारी में विशेष सावधानी बर्तनी चाहिये। वकील का कर्तव्य है कि वह बयान दाखिल करने वाले से उन घटनाओं की जिनका शपथ पत्र में वर्णन हो पूरी २ पूछताछ करके तसदीक कर लेवे जिससे उस मनुष्य की या वकील की असावधानी से भविष्य में कोई दुष्परिणाम न उत्पन्न हो। बयान हलफी में यदि किसी स्थान या किसी व्यक्ति का उल्लेख होवे तो उसका पूरा पता भी देना चाहिये जिससे उसकी पहचान हो सके। यदि बयान के लिये किसी दस्तावेज से सहायता ली गई हो तो उसका पता और विवरण देना चाहिये। ध्यान रहे कि बयान हलफी का सशोधन नहीं हो सकता परन्तु यदि कोई गलती या अशुद्धि हो गई हो या अन्य आवश्यक घटनायें लिखना जरूरी हो तो दूसरा बयान हलफी दाखिल किया जा सकता है।

३-मूजवात अपील

मूजवात या याददाश्त अपील वह पत्र होता है जिसमें वह ऐतराज या दजूआत, (मूल कारण या तत्व) लिखे जाते हैं जिनके आधार पर अधीन प्रदास्त का फैसला मनसूख करने की प्रार्थना किसी पक्ष की ओर से होती है।

मूजवात अपील प्रार्थना पत्र की तरह नहीं लिखी जाती। इसमें दूसरे पक्ष की सिवायत लिखना या मुकदमे के व्यवहार की घटनाएँ लिखना बेकार होता है, इस लिये ऐसा नहीं करना चाहिये।

अर्जीदादा और जवाब दादा की तरह मूजवात अपील में भी ऊपर उस अरान्त का नाम लिखना होता है जिसमें अपील दादर की जावे। इसके बाद अपील का नम्बर, प्राधी का नाम और मुकदमे का सिरनामा, यानी फरीकैन का नाम और एस हुजूम या डिपरी की तकलील जिसके विरुद्ध अपील की जावे और कसबी गालीपत लिखनी चाहिये। इसके बाद वह मूल कारण जिनके आधार पर या

जिनकी वजह से अधीन अदालत का फैसला भंग व मंसूख कराना हो दर्ज करना चाहिये। अपील करने वाले पक्ष की प्रार्थना या वह दादरसी जिसका वह इच्छुक हो, भी साधारणतया मूजबात अपील में लिखी जाती है यद्यपि यह उसका आवश्यक अंग नहीं है क्योंकि अदालत उचित दादरसी अपीलान्ट को हमेशा दिला सकती है।

मुकदमे के सिरनामा में अपीलान्ट या अपील करने वाले का नाम पहले लिखा जाता है और उसके बाद रैसपौन्डैन्ट, विरुद्ध पक्ष या फरीक सानी, का। पक्षों के नाम के साथ यह भी लिख देना चाहिये कि वह पहिली अदालत में किस हैसियत से फरीक थे, वादी या प्रतिवादी, मुद्दई या मुद्दायलह, सायल या फरीक सानी जैसे—

(१) अ—ब—(पता इत्यादि) .. मुद्दई या मुद्दायलह अपील करने वाला
(अपीलान्ट) बनाम

क—ख—(पता इत्यादि) मुद्दई या मुद्दायलह उत्तरदाता (रैसपान्डैन्ट) या

(२) अ—ब—(पता इत्यादि) डिगरीदार या मदयून, अपील करने वाला
(अपीलान्ट) बनाम

क—ख—(पता इत्यादि) डिगरीदार या मदयून, उत्तरदाता (रैसपान्डैन्ट)

फरीकैन के नाम के बाद उस आर्डर या डिगरी का विवरण देना चाहिये जिसके खिलाफ अपील की गई हो, उसका नम्बर व साल, तारीख, नाम अदालत जिसने डिगरी पास की और नाम हाकिम इस प्रकार से लिखना चाहिये।

“अपील खिलाफ डिगरी मिस्टर या श्री..... मुसिफ, पश्चिमी, इलाहाबाद, जो मुकदमा नम्बरी..... सन् मे ता०... मा०... सन्को सादर हुई।”

“उपरोक्त मुद्दई अपीलान्ट अदालत जिला जज इलाहाबाद में, खिलाफ डिगरी मिस्टरमुंसफ, गरवी, इलाहाबाद, मुकदमा नं०..... सन्.....जो ता०.....मा०.....सन्.....को सादर हुई निम्न लिखित कारणों से अपील करता है”.....

(देखो फारम नं० १ परिशिष्ट १ ज्वाब्ता दीवानो संग्रह)

मूजबात अपील में मूल कारणों के पहिले अपील की मालियत लिखनी चाहिये। यद्यपि ज्वाब्ता दीवानो संग्रह में इस विषय पर कोई नियम नहीं दिया गया, भिन्न २ हाई कोर्टों ने नियम बना रखे हैं जिनसे अपील का तायून लिखना जरूरी होता है¹, क्योंकि कभी मुकदमे का एक अंश डिगरी होता है और बाकी भाग खारिज होता है और अपील उसी अंश की दायर की जाती है जिसमें अपील

करने वाला पक्ष असफल रहता है, इसके अतिरिक्त कोर्ट फीस, वकीलों की फीस इत्यादि ऐसे नियत किये गये तायून के हिसाब से ही लगाई जाती है, इसलिये अपील और क्रॉस अपील की मालियत लिखनी चाहिये ।

वजहान अपील वह कारण होते हैं जिनकी वजह से उस हुकम या डिगरी को कोई पक्ष संसूख और रद्द कराना चाहता है । आर्ट ४१ रूल २ के अनुसार अपील करने वाला पक्ष उन्ही वजहान पर बहस कर सकता है जिनको उसने अपनी यादगारत अपील में दर्ज किया हो यद्यपि अदालत अन्य वजहान पर भी अपना निर्णय दे सकती है और अपीलान्ट को अन्य कारणों पर बहस करने की आज्ञा दे सकती है परन्तु यह बहुधा नहीं दी जाती^१ । कोई पक्ष अपना मुकदमा अपील में बदल नहीं सकता न कोई ऐसी वजह उठा सकता है जिनको उसने प्रारंभिक अदालत में अपना आधार नहीं किया^२ या जिनको उसने प्रगट नहीं किया^३ । इन सब बातों का ध्यान रख कर अपील की मूजबात बतानी चाहिये ।

प्रथम अपील में अधीन अदालत की शहादत समझने की गलती और कानून जो मुकदमे से लागू हो उसकी त्रुटियाँ, दोनो पर बहस की जा सकती है इसलिये वह सब वजहान मूजबात अपील में लिखने चाहिये । द्वितीय अपील प्रायः अधीन अदालत की कानून सन्धी गलती पर ही हो सकती है इसलिये कानूनी त्रुटियों पर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

आर्ट ४१ रूल १ के अनुसार मूजबात अपील में (१) विरोध (ऐतराज) संक्षिप्त रूप से लिखे जावें, (२) उसमें शहादत, बहस या दयान न लिखा जावे, (३) प्रत्येक विरोध पृथक लिखा जावे और उसपर सिलसिलेवार नम्बर डाला जावे (४) वह ऐतराज उस डिगरी से संबन्धित हो जिसके विरुद्ध अपील की जावे । इसके अतिरिक्त मूजबात अपील के साथ अधीन अदालत की तजवीज व डिगरी की नकल, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो दाखिल करना चाहिये । यदि किसी विशेष कारण से नकल न मिल सकी हो तो उसको बाद के दाखिल करने की इजाजत ले ली जावे ।

दादरती लिखने के बाद अपील करना या उसके वकील के हस्ताक्षर होने चाहिये । मूजबात अपील कर तसदीक नहीं लिखी जाती इसलिये अपील करने वाले पक्ष का वकील ही दस्तखत कर सकता है ।

आर्ट ४१ रूल २२ ने अनुसार अपील दाखिल हो जाने पर दूसरा फरीक या सफल पक्ष क्रॉस अपील या अपील (Cross objection or cross appeal)

^१ See Section 41, Rule 2.

^२ See Section 41, Rule 2.

^३ See Section 41, Rule 2.

दाखिल कर सकता है। क्रास-अपील के लिये भी उन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिये जो मूजबात अपील के लिये आवश्यक हैं, साधारण शब्दों को जहाँ तहाँ बदल देना चाहिये।

सिरनामे में “अपील” के बजाय “क्रास-अपील” और सिरनामा के नीचे इस प्रकार लिखना चाहिये।

“क्रास-ओब्जेक्शन या एतराज खिलाफ अपील आ० ४१ रूल २२ के अनुसार ……(उत्तरदाता पक्ष का नाम) की ओर से”।

क्रास-अपील, अपील दाखिल हो जाने के एक महीने के अन्दर दायर किया जा सकता है। यह अवधि यदि अदालत अपील चाहे बढ़ा सकती है। क्रास-अपील का नोटिस दूसरे पक्षो को अदालत की ओर से दिया जाता है और अपील यदि अदम पैरबी में खारिज भी हो जावे, तब भी क्रास-अपील की सुनवाई की जाती है।

द्वितीय भाग

प्रथम अध्याय

अर्जीदावों के नमूने

१—ऋण या कर्जा

ऋण भिन्न २ प्रकार से लिया जाता है। साधारण रूप से सरखत, रुका, टीप या तमरमुक, हुन्डी और बही खाते इत्यादि पर कर्ज लिया जाता है। और इसके प्रतिरिक्त कहीं-कहीं जमाने लेन देन भी होता है। इसलिये कर्जों की नालिशें भिन्न २ प्रकार की होती हैं।

इस भाग से अर्जी दावों के जो नमूने दिये गये हैं वह हत उधार, प्रमेसरी नोट, टीप या तमरमुक, और बहीखाते इत्यादि पर लिये हुए कर्जों की दावत हैं। हुन्डी व चैक इत्यादि की नालिशें अन्य भागों में आगे दी जावेंगी। हर प्रकार की नालिश का नमूना लिखना असम्भव ही नहीं वरन् वृथा भी है। जो नमूने यहाँ पर दिये गये हैं उनसे हर प्रकार के ऋण की नालिश आसानी से तय्यार की जा सकती है।

यदि कर्जा किसी दस्तावेज पर दिया गया है तो दावा उसी के आधार पर होना चाहिये। यदि सादे कर्जों का दावा हो तो उममें कर्जों का दिया जाना, उसकी अदायगी की प्रतिज्ञा और उसका भंग होना और वह किन शर्तों पर दिया गया था अर्जी दावे में लिखना चाहिये। यदि दावा तीन साल के अन्दर है तो कर्जों की अदायगी के इकरार का लिखना आवश्यक नहीं है। यदि कर्जा रुई के बहीखाते में लिखा हो या मुदायतह ने अपने हाथ से तहरीरी इकरार किया हो तो भी अर्जी दावे में इसका लिखना जरूरी नहीं है परन्तु यदि इसी इकरार के ऊपर दावा किया जावे तो इसका लिखना जरूरी है। जवाब में मुदायतह कह सकता है कि कर्जा समूल होने काबिल नहीं है क्योंकि दावा किसी अन्दाय उक्त या अनुचित काम के लिये दिया गया था या वह कर्ज की शर्तों से इन्कार कर सकता है।

यदि ऋणी अदना हरनाहर या बिन्दर खी हार न को तो मुद्दे को कर्जा

साबित करना होता है।¹ और यदि ऋणी अपने हस्ताक्षर को तस्लीम कर लेवे तब उसको यह साबित करना होता है कि उसने वह कर्जा नहीं लिया।²

यदि दस्तावेज किसी अविभक्त हिन्दूकुल के फर्म के हित में लिखा गया हो तो दावा अविभक्त कुल के मैनेजर या कर्त्ता के नाम से करना चाहिये या उस कुल के सब बालिग सदस्यों के नाम से न कि ऐसे फर्म के नाम से क्योंकि अविभक्त हिन्दू कुल का कानूनन कोई फर्म नहीं हो सकता।³ यदि प्रामेसरी नोट एक से अधिक व्यक्तियों के नाम लिखा गया हो तो दावा सब की ओर से होना चाहिये।⁴ यदि स्टाम्प की कमी से प्रामेसरीनोट प्रमाणित होने के अयोग्य हो तो मुद्दई अपना ऋण अन्य शहादत से तब ही साबित कर सकता है जब कि वह ऋण प्रामेसरी नोट लिखने के पहिले से निकलता हो अन्यथा नहीं।⁵ इसलिये जहाँ ऐसे कम स्टाम्प के नोट पर दावा करना हो तो अर्जादावे में पुरानी बकाया, माल की क्रोमत इत्यादि को प्रगट कर देना चाहिये जिससे उसकी शहादत दी जा सके।

यू० पी० एग्रीकलचरिस्ट रिलीफ एक्ट १९३४ के पास हो जाने पर कारतकार ऋणी के विरुद्ध कोई दावा तहरीरी लेख बिना दायर नहीं किया जा सकता।⁶ मुद्दई के वही खाते का इन्दराज ऐसा तहरीरी सबूत नहीं माना जाता। इस कानून की धारा ३६ के अनुसार ऋणी को कर्षे की तहरीरी की नकल देना आवश्यक है वरना मुद्दई सूद नहीं पा सकता। यदि मुद्दई लेन देन करता हो तो उसको इस कानून के अनुसार नियम पूर्वक हिसाब रखना चाहिये और उसकी वाषिक प्रतिलिपि ऋणी के पास भेजनी चाहिये।⁷

तमस्सुक से दिया हुआ कर्जा

तमस्सुक के दावों में कर्जदार का तमस्सुक लिखना, रुपये का दिया जाना, सूद की शरह और वह शर्तें या शर्तें जिसके तोड़ने पर दावा किया गया हो अर्जादावे में लिखनी चाहिये, परन्तु अनावश्यक शर्तों को लिखना नहीं चाहिये।⁸

1 A I R 1926 P C 139, 1932 All 164, 1939 Rang 85 F B

2 A I R 1943 All 90

3 A I R 1940 Bom 164, 1939 Bom 147

4 A I R 1937 Rang 227 F B

5 Sheo Nath vs Sarju Nons A I R 1943 All 220

6 A I R 1943 Oudh 332

7 See Secs 32, 34 and 39 L P Agri Rel Ac, 1934

8. देखो नमूना नं० ६ और ७।

क्रिस्त बन्दी तमस्सुक के दावे में क्रिस्त वाजिब होने की तारीख और यदि कोई क्रिस्त अदा की गई हों तो अदायगी का रुपया और तारीख लिखा जाना चाहिये। यदि किसी एक क्रिस्त के अदा न होने पर कुल ऋण अदा हो जाने योग्य होने का इक्कार हो और तारीख वाजिबी से मियाद गुजर जाने पर दावा किया गया हो तो तमस्सुक के उस विषय सम्बन्धी पूरे शब्द लिख देना उत्तम होता है। यदि मुद्दई ने कुल रुपया वसूल करने का हक छोड़ दिया हो और सिर्फ बकाया क्रिस्तों का ही दावा करे तो उसके ऐसा छोड़ देना साफ तौर पर अर्जीदावे में लिखना चाहिये।¹

बही खाते के आधार पर नालिशें

यह दावे दो प्रकार के होते हैं एक तो वह नालिशें जो कि बहीखाते के असली इन्दराजात पर की जाती हैं। दूसरी वह जिनमें आपस में हिसाब होकर दोनो पक्षों की अनुमति से बकाया चढ़ा दी जाती है। जहाँ बकाया चढ़ाने के बाद प्रतिवादी या उसका मुख्तार दरताक्षर करदे तो उस तारीख से विनाय दावा पैदा होता है। (धारा ६४ कानून मियाद)। यदि मुद्दायलह के हस्ताक्षर ऐसी जगह पर हो तो दावा असली इन्दराज पर ही करना चाहिये परन्तु बकाया चढ़ाने की तारीख से मियाद लगाई जावेगी।² अवधि बढ़ाने के लिये स्वीकृति या (Acknowledgment) मियाद के अन्दर होनी चाहिये।³ जहाँ पर एक से अधिक ऋणी हो तब एक के स्वीकृति से दूसरे के विरुद्ध मियाद नहीं बढ़ती।⁴ ध्यान रखना चाहिये कि यदि कर्जदार बकाया पर दस्तखत करे और बकाया २० रु० से अधिक हो तो एक आने का टिकट लगा होना चाहिये।

मियाद—साधारण ऋण के दावों में, जो हत उधार, रक्का, टीप, नोट, बही-खाते इत्यादि के आधार पर हो, मियाद तीन वर्ष की होती है, उस तारीख से जब कि मुद्दई का दावा करने का अधिकार उत्पन्न हुआ। यदि ऋण की तहरीर भी रजिस्ट्री हुई हो तब मियाद ६ साल की होती है।⁵

इन्दुलतलब बर्जा में तारीख तहरीर से ही मियाद शुरू हो जाती है।

1 देखो नमूना नं० ८।

2 Bhokmath vs Netron, C A L J 800

3 C A B 1908 A 127 F B

4 A I L L. B. C, A" 820 F F, 1911. C. I. 187

5 अर्जीबल ई. ई. ६७, ७४, ७५. कानून मियाद।

यदि अदायगी की कोई तारीख नियत की गई हो तो उस तारीख से, यदि कोई शर्त नियत हो तो उस शर्त के उल्लंघन के दिन से ।

(१) *बाबत रुपया के जो कर्ज़ दिया गया हो

(मुकदमे का सिरनामा)

(अ—ब—) मुद्दई बयान करता है :—

१—तारीख.....माह.....सन्को मुद्दई ने मुद्दायलह को मुबल्लिग.....रु० कर्ज़ दिये जो बतारीख.....को अदा हो जाना चाहिये थे ।

२—मुद्दायलह ने यह रुपया सिवाय..... रु० के, जो उसने तारीख..... माह.....सन्.....को दिये थे, अदा नहीं किया ।

३—(अगर मुकदमे में कोई क़ानूनी तमादी लगती हो और मुद्दई उससे बचने का अधिकारी हो तो यहाँ पर बयान करे)—

जैसे—

मुद्दई... माह.....सन्.....से ता०...मा० .. स०...तक नाबालिग़ (या पागल) था ।

४—बिनाय दावा ता०को पैदा हुई और अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है ।

५—दावे की मालियत अदालत के दर्शनाधिकार के लियेरु० है और देने कोर्टफ़ीस के लियेरु० है ।

मुद्दई प्रार्थना करता है कि उसकोरु० मय सूदफी सदी, ता०..... से फैसले के दिन तक का, दिलाया जावे ।

(२) हत उधार कर्ज़ों की बाबत

बअदालत

न० मु० सन्

अहमदबक़्श वल्द मुहम्मदयार खाँ, कौम पठान, पेशा लैनदैन, साकिन मीरगंज इलाहाबाद मुद्दई

* ऊपर दिया हुआ नमूना ज़ाव्ना दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) शिङ्खन १ का पहिला नमूना है । और अगले नमूनों में जो क़हा गया है "कि फिकरा नं० ४ व ५ नमूना नं० १ का दर्ज़ करो" वह इसी नमूने के फिकरा नं० ४ व ५ से अभिप्राय है ।

बनाम

छोटे वल्द रमजानी, कौम कसाई, पेशा तिजारत, साकिन बहादुरगंज
इलाहाबाद मुदायलेह

अहमदबक्श मुद्दई नीचे लिखा हुआ बयान करता है :—

१—मुदायलेह के बाप रमजानी ने मुबलिय २०००) ६० (दो हजार)
१६ जून सन् १६३५ ई० को मुद्दई से मारफत उसके वली, मुहम्मद यार खाँ से कर्जा लिया
और मुआहिदा किया कि आधा रुपया मय सूद १६० फी सदी १६ जून सन् १६३६ ई०
को और बकाया आधा रुपया मय सूद १६० फी सदी १६ जून १६३७ को अदा
करेगा ।

२—रमजानी ने एक हजार रुपया मय सूद ता० १६ जून सन् १६३६ ई० को अदा
कर दिया लेकिन बकिया रुपया और उसका सूद अदा नहीं किया ।

३—इसके बाद रमजानी की मौत हो गई । मुदायलेह उसका लड़का और
वारिस है और उसकी जायदाद पर वाक्लिफ है ।

४—मुदायलेह ने १६ दिसम्बर सन् १६३७ ई० को २०) ६० सूद में अदा किये
और कुछ अदा नहीं किया ।

५—बतारीख १७ जून सन् १६३७ ई० को जिस रोज फि १०००) ६० और
उसका सूद वाजिब हुआ मुद्दई नाबालिय (या पागल) था और वह २० अगस्त
सन् १६४१ ई० को बालिय हुआ (या उसका पागलपन दूर हो गया) इसी
लिये दावा मियाद के अन्दर है ।

६—रिबाब से मुद्दई के प्रतिज्ञा किये हुए दिन तक मुदायलेह पर.....
रुपया वाजिब है जो उसने तलब व तक्राजा करने पर भी नहीं दिये ।

७—बिनाय मुखासमत १६ जून सन् १६३७ को पैदा हुई लेकिन सहर
उसका ता० २० अगस्त सन् १६४१ बरोज बालिय होने मुद्दई के (या) बरोज दूर
होने उसके पागलपन के) बमुकाम शहर इलाहाबाद में हुआ और अदातत को
अख्तियार समाप्त हासिल है ।

८—मालियत दावा, कोर्ट-पीठ देने व अख्तियार अदालत के लिये.....
२० है ।

मुद्दई माफी है कि उसको२० अहल व सूद जैसा कि रिबाब ने नीचे दर्ज है

मय खर्च नालिश, सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन तक वमुकाबले जायदाद रमजानी के, जो मुद्दायलेह के कब्जे में है दिलाया जावे ।

तफसील हिसाब

असल रुपयार०
सूद एक र० सै० माहवारी के हिसाब से १६ जू } सन् १९३७ ई० से १५ मई सन् १९४२ तकर०
वसूल १७ जून सन् १९३७ कोर०
बाकी र० .

(इबारत तसदीक, दस्तखत मुद्दई, तारीख व मुकाम) द० वकील मुद्दई इलाहाबाद १५ मई सन् १९३२ ई० ।

(३) *बाबत कर्जा जो प्रामेसरी नोट पर लिखा गया हो ।

(सिरनामा)

(अ—ब—) वादी नीचे जिखी प्रार्थना करता है :—

१—प्रतिवादी ने एक प्रामेसरी नोट वादी के नाम अपने हाथ से ता० को लिख दिया और.....र० मय सूद १ र० माहवारी इन्दुलतलब (या लिखने की तारीख से दो माह बाद) अदा करने का इकरार किया ।

२—प्रतिवादी ने उसमें से कुछ अदा नहीं किया ।

३—विनाय दावा—

४—तायून नालिश—

मुद्दई प्रार्थी है कि उसको.....र० असल और सूद मय खर्चा नालिश और दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

*नमूना न० ३ के सिलसिले में लीडिङ्ग का नियम नम्बर १३ और उसकी टिप्पणी जो तीसरे अध्याय में दी गई है देखनी चाहिये । इस नमूने में दावा लिखे हुए प्रामेसरी नोट के आचार पर है ।

(४)*दूसरा नमूना वावत कर्जा जो प्रामेसरी नोट पर लिया गया हो ।

(सिरनामा)

उक्त मुद्दई निम्न लिखित प्रार्थना करता है—

१—मुद्दायलेह मुद्दई की दूकान से जो कि बाज़ार कसेगठ, हाथरस में है और जिस पर.....नाम पड़ता है कपड़ा की खरीद किया करता था

२—ता०... ..को क्रीमत परचा का हिसाब होकर..... रु० मुद्दई के मुद्दायलेह पर बकाया निकले ।

३—मुद्दायलेह ने उसी तारीख को .. रु० का प्रामेसरी नोट मुद्दई के नाम लिख दिया और एकरार किया कि उक्त रुपया मय सूद ॥) सैकड़ा माहवारी मुद्दई को उसके मॉगने पर अदा करेगा ।

४—मुद्दायलेह ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया ।

(यहाँ पर फिकरा नं० ४ व ५ नमूना नं० १ का मज़मून लिखना चाहिये) Fresh live (दादरसी या प्रार्थना)

(५) तीसरा नमूना वावत कर्जा जो प्रामेसरी नोट पर लिया गया हो ।

बध्नालत सिविल जज महोदय, बुलन्द शहर, अलीगढ़

न० मु० सन् १६ ई०

प्यारे लाल बल्द मोहन लाल, वैश्य पेशा लैन दैन साकिन मोरपुर परगना व तरसील खुरजा जिला बुलन्दशहर—मुद्दई ।

बनाम

१—राधेशिंह, बल्द हरबकष,

२—मोहनसिंह,

३—हरबकषिंह,

बेटे गंगाबकष,

} डौम जाट, साकिन मौज़ा कज-
रुका, परगना व तहसील खुरजा,
जिला बुलन्दशहर—मुद्दायलेह

* नोट:—जब प्रामेसरी नोट का मुद्रावज़ा कोई पहिला कर्जा या प्रामेसरी नोट की दोसर जिम्मेदारी न अलट हो तो मुद्दई प्रामेसरी नोट के स्टाम्प की इमी या और किसी कारण से शाहदत में पेश न हो सकने पर, उक्त पहिले कर्जे या जिम्मेदारी को साकिन पर रु० का है और अदालत उसकी उदारी तद्विर कर सकती है ।

उपर लिखे नमूने न० ४ व ५ ऐसी दशा में प्रयोग में लाने चाहिये क्योंकि इनमें कर्जा एवम् लिखाया गया है और उक्त कर्जा वावत रुका का प्रामेसरी नोट का लिखा जाना लिखाया गया है ।

ध्यारे लाल मुद्दई निम्न लिखित बयान करता है :—

१—राधेसिंह मुद्दायलेह नं० १ व गंगाबक्स ने जो मुद्दायलेह नं० २ व ३ का वाप था १,०००) रु० २४ जून सन् १९ . . . को मुद्दई से कर्ज लिया और यह रुपया, एक रु० सैकड़ा माहवारी सूद के साथ मांगे जाने पर अदा करने का वायदा किया ।

२—राधेसिंह व गंगाबक्स ने इस कर्ज के बाबत एक प्रामेसरी नोट मुद्दई के नाम लिख दिया जो कि अरज़ीदावे के साथ दाखिल किया जाता है ।

३—असली मदयून गंगाबक्स मर गया है । मुद्दायलेह नं० २ व ३ उसके लड़के व वारिस हैं और उसकी जायदाद पर काबिज़ हैं और सब मुद्दायलेहम मुद्दई का रुपया अदा करने के ज़िम्मेदार हैं ।

४—यह कि १६ जून १९.....ई० को मुद्दई को १४० रु० सूद में असल मदयून से इस प्रामेसरी नोट पर वसूल हुए, बाक़ी रुपया अभी बाक़ी है ।

५—हिसाब से.....रु० मुद्दई के निकलते हैं मुद्दायलेहम तलब व तकाज़ा करने पर भी यह रुपया अदा नहीं करते ।

६—बिनाय दावा तारीख लिखे जाने रुकके से (२४ जून १९... ई०) वमुकाम मीरपुर, इस अदालत की हद के अन्दर पैदा हुआ ।

७—दावे का तायून अदालत के अख्तयार व कोर्टफिस अदा करने के लिये मु०.....रु० है ।

मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) दावा दिलाने . . . रु० के मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन तक, वमुक़ाबले ज्ञात व जायदाद मुद्दायलेह नं० १ और वमुक़ाबले जायदाद मुद्दायलेह नं० २ व ३ डिगरी किया जावे ।

(ब) मुक़दमे के हालात को देखते हुए जो दादरसी अदालत बहक इन्साफ समके सादिर करे ।

(६) बाबत कर्ज़ा जो तम्ममुक़ इन्दक़तलब पर लिया गया हो ।

बअदालत मुन्सकी कोन, अलीगढ़

नं०.....मु०.....१६...ई०

ला० गंगाप्रसाद, }
ला० विशनलाल } बेटे ला० कत्यानदास खत्री, पेशा लैनदैन, रहने वाले नगूला, हाल शहर कोन, भुइल्ला मियांगंज, मुद्दायान,

बनाम

- १—इसमाइल, वल्द करीमवक्स,
 - २—अब्दुलमजीद. वल्द खुदावक्स,
- } रंगरेज, साकिन बरवे, तहसील
 विसौली, जिला बदायूँ—मुद्दा-
 यलेह ।

मुद्दयान नीचे लिखा हुआ बयान करते हैं :—

१—ता० १७ मई सन् १६ के मुद्दायलेह नं० १ व खुदावक्स (जो कि मुद्दायनेह नं० २ का बाप व मूरिस था) ने मुद्दायान से ६००) रुपया नकद कर्जा लिये और एक तम्मसुक लिख दिया जिस में वह रुपया मय समय सूद ॥३) आ० सैकड़ा माहवारी, मागने पर अदा करने का इकरार किया । सूद का रु० छः माही देना ठहरा और अगर यह रुपया छठे महीने न अदा हो तो यह इकरार हुआ कि सूद का रुपया असल में जोड़ दिया जावे और सूद दर सूद उक्त दर के हिसाब से वसूलयाबी के दिन तक लगाया जावे ।

२—ता० २१ जून स १६के दस्तावेज के लिखने वालों ने १५०) रु० असल व सूद में अदा किये और यह वसूलयाबी तम्मसुक पर अपने हाथ से लिख कर दस्तखत कर दिये ।

३—इसके बाद खुदावक्स का देहान्त हो गया । मुद्दायलेह नं० २ उसका लड़का व उत्तराधिकारी है और उसकी जायदाद पर अधिकार रखता है ।

४—हिसाब से ...रु० मुद्दयान के निकलते हैं और उनको इस रुपये के वसूल करने का तक्क मुद्दायलेह नं० १ व जायदाद खुदावक्स (जो कि मुद्दायलेह नं० २ के बच्चे में है) से हासिल है ।

५—मुद्दायलेह से बई बार रुपया मांगा गया लेकिन वे देने को तैयार नहीं हुए ।

६—विनाय दावा १७ मई सन् १६... ..तारीख लिखे जाने दस्तावेज में शहर धोल में अदालत की एही के अन्दर पैदा हुआ । चूँकि १५०) रु० २१ जून सन् १६ के दिया गया है दावा अन्दर मियाद है ।

७—मालियत दावे की अदालत के अधिकार वा डेप्ट प्रीस के लिये.....रु० है ।

८—एहई प्राणी है कि—

दावा दिला पानेरु० असल और सूद जैसा कि नीचे हिसाब में दिखलाया है, मय लर्च गान्शि या सूद दौरान व आइन्दा वक़्त होने तक मुद्दायलेह नं० १ की जाल व जायदाद के खिलाफ और जायदाद खुदावक्स के खिलाफ जो मुद्दायलेह नं० २ के बच्चे में हो, बिगरी दिया जावे

हिसाब रक्का —

असल

... . रु०

सूद १७ मई सन् १६—ने २१ जून सन् १६—तक

कुल २ साल १ महीना ४ दिन का दर ॥३॥ सैकड़ा४०
माहवारी वसूल ता० २१ जून १६— को४०
बाक़ी४०
सूद २१ जून १६— से २१ मई १६— तक कुल २३	
माह का दर ॥३॥ सैकड़ा माहवारी४०
कुल जोड़४०

तसदीक की इबारत

हस्ताक्षर मुद्दैयान

” वकील

(७) बाबत क़र्जा जो नियत तारीख के तम्पसुक पर क़िया हो ।

(सिरनामा मुकदमा)

मुद्दई नीचे लिखी अर्ज करता है :—

१—ता० . माह.....सन् को मुद्दायलेह ने एक तम्पसुक मुद्दई के नाम लिख दिया और उनमें इक्क़ार किया कि वह ६००) मय सूद ४० १) सैकड़ा माहवारी तारीख लिखी जाने तम्पसुक के एक साल के अन्दर अदा करेगा । यदि वह आघा रुपया छः महीने के अन्दर और बकाया ४० एक साल के अन्दर बेबाक कर दे तो सूद १) सै० माहवारी के बजाय १) ४० सैकड़ा माहवारी लगाया जावेगा और यदि रुपया अदा न किया जावे तो मुद्दाअलेह सूद दर सूद छः माही १) सै० माहवारी बेबाकी होने के दिन तक देने का ज़िम्मेदार होगा ।

२—मुद्दायलेह ने आघा रुपया और उसका सूद जैसा प्रतिज्ञा किया था छः महीने के अन्दर दे दिया । लेकिन बक़िया आघा रुपया और सूद १ साल के अन्दर नहीं दिया ।

३—लिखे हुए दस्तावेज के हिसाब से जिसके विनाय पर यह दावा किया जाता है.....४० मुद्दई के मुद्दायलेह पर बाक़ी है जो अभी तक मुद्दायलेह ने अदा नहीं किये ।

४—विनाय दावा :—

५—तायून नालिश :—

(दादरसी की प्रार्थना)

(८) वास्तु कर्जा जो फ़िस्तबन्दी तमस्सुक पर लिया गया है ।

बन्धुदालत सिविल जज अदायू ।

न० मु०.....सन् १६...

(१) शरीफुद्दीन, बेटा, (२) मुस० नजीमुल्जनिषा, बेटी, रफीउद्दीन, साकिन
इस्लामनगर, क़ौम शेख, पेशा ज़मींदारी—मुद्दयान ।

बनाम

(१) बहादुरअली, लड़का, (२) मुहम्मद महरुलनिषा, लड़की (३) मु०
कलमुलनिषा, बेवा अहमदअली, साकिन इस्लाम नगर क़ौम मुगल, पेशा खेती—
मुद्दायलेहम

मुद्दयान मज़कूर नीचे लिखा बयान करते हैं :—

१—अहमदअली मूरिस मुद्दायलेहम ने ता० १० अप्रैल सन् १६३१ ई० को
६४००) रु० रफीउद्दीन मूरिस मुद्दयान का पहिला कर्जा बचूल करके एक तमस्सुक,
जिसके ऊपर कि यह नालिश की जा रही है लिख दिया । उसमें इकरार किया कि मतालबा
८००) रु० की छमाई बिरतो से बिना छुद के अदा करेगा और पहिली किस्त ता० १०
अक्टूबर १६३३ और दूसरी ता० १० अप्रैल सन् १६३४ को अदा करना ठहरा और
बाकी बिरतों इसी हिसाब से १० अक्टूबर व १० अप्रैल को हर छमाही, जब तक कि रुपया
बेदाक न हो अदा करना ठहरा और किसी किस्त के नियत समय पर न दिये जाने पर कुल
रुपया एक साथ मय १ रुपया सै० माहवारा छुद, वाहदा पूरा न करने के दिन से देना
इकरार पाया ।

२—ता० १० अक्टूबर १६३३ ई० को अहमदअली ने पहिली किस्त अदा करदी ।
इसके बाद उसका देहान्त हो गया ।

३—मुद्दायलेहम मृतक अहमद अली के उत्तराधिकारी हैं और उसकी सम्पत्ति पर
आपकार बिसे हुए हैं ।

४—मुद्दायलेहम के दूसरी किस्त का रुपया जो कि उनकी १० अप्रैल सन् १६३४
ई० को देना था नहीं दिया । इसलिये कुल रुपया मूल और छुद एक साथ देना उन पर
बाध्य हो गया ।

५—रफीउद्दीन मूरिस मुद्दयान का भी ता० १० मई १६३८ ई० को देहान्त
हो गया । मुद्दयान उसके वारिस हैं और उन्होंने इस कर्ज के रुपये का सर्टिफिकेट विरामद
अहमदअली से ले लिया है ।

६—नीचे दर्ज किये हुए हिसाब से १६२६॥॥) रु० आज की ता० तक मुद्दायलेहम को देने चाहिये ।

७—मुद्दइयान इस कर्ज के रुपये को, मृतक अहमदअली की जायदाद से, जो कि मुद्दायलेहम के अधिकार में है, वसूल करने के हकदार हैं ।

८—अहमदअली की जायदाद में से, एक मकान जो कि मुहल्ला शाह पाड़ा शहर कोल में है मुद्दायलेहम ने २८००) रु० को बेच कर रुपयाअपने ज्ञाती काम में लगा लिया है इसलिये कर्ज के २८००) रु० के लिये मुद्दायलेहम की ज्ञात व जायदाद खास, देनदार है ।

९—मुद्दायलेहम से इस रुपये के वेवाक करने को कहा गया और एक रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया गया लेकिन वह ध्यान नहीं देते और न कुछ अदा करते हैं ।

१०—विनाय दावा दूसरी किस्त न देने पर ता० १० अप्रैल १९३४ को इसलाम-नगर में, अदालत की हदों के अन्दर पैदा हुआ ।

११—दावे की मालियत कोर्ट फीस देने व अदालती अधिकार के लिये ६६२६॥॥) रु० है ।

इसलिये मुद्दई प्रार्थी है

कि उसका दावा ६६२६॥॥) रु० मूल मय सूद और खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन तक असली मदयून मृतक अहमदअली की सम्पति के खिलाफ जोकि मुद्दायलेहम के अधिकार में है डिगरी किया जावे और इसी रुपये में से २८००) रु० तक मुद्दइयान को डिगरी वसूल करने का हक मुद्दायलेहम की ज्ञात व खास जायदाद से दिया जावे ।

(यहाँ हिसाब का व्यौरा देना चाहिये) ।

(९) वदनी या सट्टा के तमस्सुक पर दावा ।

(सिरनामा)

(अ—ब—) मुद्दई नीचे लिखा वयान करता है—

१—ता०को मुद्दायलेह ने मुद्दई के पहिले कर्ज के.....रु० अपने ऊपर कबूल करके एक तमस्सुक एक रु० सैकड़ा माहवारी सूद पर मुद्दई के नाम तहरीर कर दिया और इस तमस्सुक के असल व सूद की अदायगी में उसने अपनी रबी सन् १३— फसली की गेहूँ की पैदावार को १० सेर फी रु० देने का इकरार किया और ऐसा न करने पर ता०...के बाज़ार भाव से मय सूद इन्दुलतलब अदा करने का वाइदा किया ।

२—मुद्दायलेह ने इकरार के बमूजिव मुद्दई के हवाले गल्ला नहीं किया ।

३—गेहूँ का भाव ता०— को बाज़ार में १६ फी रु० था ।

४ - दास्तावेज़ की शर्तों के बमूजिब, हिसाब से मुद्दई के मुद्दाअल्लेह के ऊपर - रु० निकलते हैं जो उसने अब तक अदा नहीं किये।

१-विनाय दावा (मुद्दाअल्लेह के इक़रार न पूरा करने के दिन से)

६-तायून दावा :—

मुद्दई की प्रार्थना :—

(१०) *श्रावत क़र्ज़ा जो वही खाते पर लिया हो।

(मुकदमे का सिरनामा)

उपरोक्त वादी निम्न लिखित प्रार्थना करता है—

१-प्रतिवादी व्यवसाय का वाग्दार रामगोपाच मोहनलाल के नाम से करते हैं।

२-प्रतिवादी, वादी की दुकान में जिस पर वृजलाल प्यारेलाल नाम पढ़ता है और जो हाथरस में स्थित है, तिजारत के काम के लिये इतना कर्ज़ लेते थे जो कि उनकी दुकान के बराबरी में प्रतिवादियों का दुकान व नाम लिखा जाता था और उसके समय समय पर देते रहते थे।

३-प्रतिवादियों के खाते पर ॥॥ रु० सै० माहवारी का सूद लगाया जाता था।

४-ता० * * *से ता० * * *तक * * * रु० वादी के वहीखाते में प्रतिवादियों के नाम पड़े और * * * रु० उनके जमा हुए।

५-नीचे दिये हुए हिसाब के अनुसार * * * रु० मूल व व्याज मुद्दाअल्लेहम के ऊपर हाज़ी हैं जो मुद्दाअल्लेहम ने तबाज़ा करने पर भी अदा नहीं किया।

*नोट—यदि परीचैन में कितनी तारीख पर हिसाब होकर कुछ रुपया मुद्दाअल्लेहम पर बाकी निकला हो और उसका दावा किया जाय तो निम्न न० ५ ऐसे लिखना चाहिये—

५-ता० * * * से ता० * * * तक * * * होने कही न हिसाब होकर * * * रु० वादी का प्रतिवादी पर निकला जो इतने तबाज़ा करने पर भी अदा नहीं किया।

और बिबरन न० ५ में उल्लेख के बिना न कुछ दे दोगे यह वाक्य व्यवहार में लिखना चाही होगा।

६—बिनाय दावा :—

७—दावे की मालियत :—

(प्रार्थना)

(११) * बाबत कर्जा बकाया जो हिसाब होने पर
स्वीकार कर लिया गया हो

(सिरनामा)

उक्त मुद्दई नीचे लिखी प्रार्थना करता है ।

१—मुद्दई लैन देन का कारबार करता है और मुद्दाअलेह अनाज की दूकान करता है ।

२—मुद्दाअलेह, मुद्दई से कर्जा लिया करता था और सूद व हिसाब ॥) सै० माहवारी देता था ।

१—१७ फरवरी स०..... से लेकर जून स०..... तक फरीकों में ता०..... मा० ..सन्.....को हिसाब होकर... ..रु० मुद्दई का मुद्दाअलेह के ऊपर निकला ।

४—हिसाब लेन देन और बकाया का मुद्दई की दूकान के खाते में दर्ज है । मुद्दाअलेह ने बकाया स्वीकार करके उस पर अपने दस्तख़त कर दिये और टिकट लगा दी ।

५—मुद्दाअलेह ने बकाया का रुपया और उसका सूद अभी तक अदा नहीं किया ।

६—बिनाय दावा—

७—दावे की मालियत—

प्रार्थना

(१२) बाबत कर्जा के जो हुन्डी लिख कर लिया गया हो ।

(सिरनामा)

मुद्दई निम्न लिखित प्रार्थना करता है—

*नोट—यदि आपस के चलते हुए हिसाब की बकाया मनज़ूर न की गई हो तो भी इसी नमूने को जहाँ तहाँ बदल कर काम में लाना चाहिये ।

† नोट—हुन्डियों की नालिशों के नमूने आगे हुन्डी के प्रकरण में दिये गये हैं ।

१—मुद्दाअल्लेह, फ़र्म रामचन्द्र सोहन लाल वाकै बिलराम के मालिक है ।

२—मुद्दाअल्लेह ने ता० ... को ६००) रु० १) रु० सै० माहवारी सूद पर मुद्दई ने कर्ज़ लिये और २ महीने बाद अर्दा करने की प्रतिज्ञा की ।

३—मुद्दाअल्लेह ने दो महीने का सूद पेशगी मुद्दई को दे दिया और कर्ज़ के रुपये के बदलें में दो महीने की मुद्दती हुन्डी अपने फ़र्म के ऊपर मुद्दई के नाम लिख कर देदी ।

४—दो महीने व्यतीत हो जाने पर भी अभी मुद्दाअल्लेहम ने हुन्डी का रुपया अर्दा नहीं किया ।

५—सूद की दर १) रु० सै० माहवारी फरीकैन में ठहरी थी । मुद्दई हुन्डी के रुपये पर, रुपया अर्दा न होने की तारीख से नालिश करने के दिन तक, सूद का एकदार है ।

६—विनाय दावा ता० ... हुन्डी की मियाद खतम होने के दिन से मुकाम बिलराम में पैदा हुई और अदालत को अधिकार नालिश सुनने का हासिल है ।

७—दावे की मालियत:—

मुद्दई प्रार्थी है :—

वि रु० असल व सूद (जैसा नीचे दिसाव में दिया है) मय खर्चा नालिश व सूद दायान व आइन्दा, वसूल होने के दिन तक की छिगरी की जावे ।

(दिसाव का व्पौरा)

(१६) ख़रीदार की ओर से तम्मसुक के कर्ज़ की वाबत ।

(सिरताबा)

मुद्दई निम्नलिखित प्रार्थना करता है :—

१—मुद्दाअल्लेह नं० १ ता० ४ जनवरी मन् १६...ई० को ३००) रु० मुद्दाअल्लेह नं० २ से तम्मसुक के ऊपर कर्ज़ लिये और इस रुपये को १) रु० सै० माहवारी सूद के साथ मालिक पर अर्दा करने की प्रतिज्ञा की ।

२—रुपया पर सूद छ. माही अर्दा करना ठहरा और ऐसा न करने पर यह ठहरा

* नोट—कर्ज़ का न लिखों के अर्जोदवे, जो कि प्रमेवरी नोट, हुन्डी, वहीखाते या और किसी तरह से लिखा गया हो इन्ही हंत से लिखे जा सकते है । आवश्यक शब्द बरकर रहेगा आदि ।

कि सूद का रुपया मूल में जोड़ दिया जावे और १) रु० सै० माहवारी के हिसाब से ही सूद दर सूद लिया जावे ।

३—मुद्दाअलेह नं० १ ने मुद्दाअलेह नं० २ को ऋण के रुपये में से कुछ अदा नहीं किया ।

४—मुद्दाअलेह नं० २ ने अपना अमल व सूद का रुपया वसूल करने का हक ता०... को बैनामा करके मुद्दे के हाथ बेच दिया और अब मुद्दे उसका मालिक और रुपया वसूल करने का हकदार है ।

५—इस बै की सूचना मुद्दाअलेह नं० १ को रजिस्टर्ड नोटिस से ता० को दे दी गई थी ।

६—मुद्दाअलेह नं० १ ने रुपया अभी अदा नहीं किया ।

७—हिसाब से मुद्दाअलेह नं० १ पर .. . रु० निकलते हैं और यही मालियत कोर्ट-फीस देने व अदालत के अखत्यार समाप्त के लिये हैं ।

८—विनाय दावा तमस्सुक लिखे जाने के दिन, ता०... ..से अदालत की अधिकार सीमा के अन्दर पैदा हुई और अदालत को मुकदमा सुनने का हक हासिल है ।

मुद्दे प्रार्थी है कि—उसकोरु० मय खर्च नालिश, सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक मुद्दाअलेह नं० १ से दिलाया जावे ।

२-अदायगी ज़ायदाद

यदि किसी व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति के हिमात्र से १००) रु० निकलते हों और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी भ्रम से १५०) अदा कर देवे तो अधिक दिया हुआ ५०) रु० पहला व्यक्ति वापस माँग सकता है। कभी २ वसूल करने वाला भी गलती से अपने रुपये से अधिक वसूल कर लेता है ऐसी दशा में भी पहला व्यक्ति उस रुपये के वापस पाने का अधिकारी होता है।

ऐसे दावे अंगरेजी में " Money had and received " के नाम से कहे जाने हैं। इन दोनों प्रकार के दावों में मुद्दई वा रुपया मुद्दाअलेह के कब्जे और उपयोग में रहता है और मुद्दाअलेह उसको सूद सहित, जो कि हरजे के रूप में माँगा जा सकता है वापिस करने का जुम्मेदार होता है। यदि अनुचित दबाव में रुपया या कोई वस्तु मुद्दई से ले ली गई हो तो गानून मुद्दाअलेह की धारा ७२ के अनुसार उसकी वापसी का भी दावा हो सकता है परन्तु ध्यान रहे कि कानून न जानने के कारण यदि गलती हुई हो तो दावा नहीं हो सकता, वाकआत की गलती से ही गिनाय दावा पैदा होती है।^१

मियाद— इन दावों में अधि प्रायः ३ साल की होती है जिसकी गणना अदायगी या वसूलियाधी की तारीख से की जाती है या गती मालूल होने के दिन से (See Act 96 Limitation Act)।^२

(१) * दावत रुपये ले जो ज़यादा दे दिया हो।

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित पार्थना करता है।

१- ता० दो, मुद्दई चाँदी की खलाख आ० फी तोले की दर में मोल होने को और मुद्दाअलेह देवने को, राफ़ी हुए।

२- मुद्दई ने यह खलाख के हाथों पर परखवाई और उसके कहने पर ५०) रु० एक खलाख १५००) तोले खालिफ़ चाँदी की है मुद्दई ने ६०) उसकी दावत में गलत हो दिये।

१. १३. १९०० अ. १००

२. १३. १९०० अ. १००

* टिप्पणी—किसी दिये हुआ नगूना जमाना रवाना के शिखूल १ अर्पेन्डिक्स (५) का नगूना न० २ है।

१—उनमें से हर एक सलाख १२०० तोले खालिस चाँदी की निकली और यह बात जब मुद्दई ने रुपये दिये थे उसको मालूम नहीं थी ।

४—मुद्दाअल्लेह ने वह रुपया जो उसको ज्यादा दिया गया था वापिस नहीं किया है ।

(यहाँ पर क्रिकरा नं० ४ व ५ नमूना नं० १ और मुद्दई की प्रार्थना लिखना चाहिए) ।

(२) अधिक दी हुई क्रीमत वापिस करने के लिये ।

नाम अदालत—

नं० मुकदमा

सोहनलाल मुद्दई बनाम

हरपरशाद मुद्दाअल्लेह ।

सोहनलाल मुद्दई निम्नलिखित प्रार्थना करता है ।

१—ता० १६ अगस्त सन् १९—को मुद्दाअल्लेह ने २०० बोरी गेहूँ १०) रु० फ्री बोरी के हिसाब से मुद्दई के हाथ यह कह कर बेचे कि हर एक बोरी में २ मन गेहूँ हैं ।

२—मुद्दाअल्लेह ने गेहूँ के २०० बोरे मुद्दई के हवाले कर दिये और मुद्दई ने ठहरी हुई क्रीमत के हिसाब से २०००) रु० मुद्दाअल्लेह को अदा कर दिये ।

३—ता० २५ अगस्त सन् १९—ई० को मुद्दई ने वही गेहूँ के बोरे फरम मगनीराम बुद्धसेन के हाथ बेचे और जब उक्त फर्म ने बोरियाँ तुलवाईं तो हर एक बोरी १ मन ६० सेर की उतरी ।

४—मुद्दाअल्लेह के पास १० सेर हर बोरी के हिसाब से ५० मन गेहूँ की क्रीमत २००) रु० ज्यादा पहुँचे ।

५—मुद्दाअल्लेह ने यह रुपया माँगने पर भी अदा नहीं किया ।

६—बिनाय दावा ता० २५ अगस्त सन् १९—तोल में कमी मालूम होने के दिन सेपर अदालत की सरहद के अन्दर पैदा हुई और अदालत को नालिश सुनने का हक हासिल है ।

७—दावे की मालियत अदालत के अखत्यार व कोर्ट फीस देने के लिये २००) रु० है ।

मुद्दई प्रार्थी है कि उसको यह रुपया मय खर्च नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक दिलाया जावे ।

३-माल की कीमत

ऐसे दावों में माल बिक्री करने और कीमत अदा करने का मुआहिदा अर्जी दावा में लिखना चाहिये। यदि कीमत पहिले न ठहराई गई हो तो दफा ८६ कानून मुआहिदा (Sec 89 Contract Act) के अनुसार उचित कीमत मांगी जा सकती है परन्तु यह भा मुद्दे के अर्जीदावे में लिखना चाहिये। यह स्पष्ट रूप से लिखा जावे कि कीमत कब देना ठहरी थी, मुद्दे से माल मिलने के पहले या मुदाअल्लेह के माल हवाले हो जाने पर, अथवा किसी नियत समय के बाद, चूंकि जब तक कीमत अदा होने योग्य न हो जावे तब तक दावा नहीं किया जा सकता।

यदि एक ही मुदाअल्लेह से कई बार बिक्री की गई हो तो हर एक बिक्री को पृथक पृथक न देकर उनका विवरण अर्जीदावे के अन्त में परिशिष्ट या सूची के रूप में दिया जा सकता है। खर्चा इत्यादि, यदि मुदाअल्लेह में इकरार किया गया हो, या उसकी पूर्ति के लिए जरूरी हो, तब ही मांगा जा सकता है।

बिकरी किये हुए माल की रिलीवरी न लेने पर दावा करते समय यह देखना चाहिये कि खरीदार माल का मानिक हो गया है या नहीं (देवो कानून धित्री माल धारा ११ से २७ तक)।^१ यदि वह इसका मानिक हो गया है, यद्यपि माल बिक्री कर्ता के अधिकार में ही हो तो भी बिक्री कर्ता कीमत का दावा कर सकता है या दफा १०७ कानून मुदाअल्लेह (Contract Act) के अनुसार उचित मोटिस देकर माल को फिर देव सकता है और कमी कीमत का खरीदार से ऊपर दावा कर सकता है। यदि खरीदार माल का मानिक नहीं हुआ तो सिर्फ बेचने वाला अर्जति का दावा कर सकता है, जो कि मुदाअल्लेह ने देने के दिन, खरीदारी कीमत और दाखारी कीमत का अन्तर होता है।^२

जहाँ माल की मित्त केयत निश्चय न हो वहाँ पर बतौर बदल के (Alternatively) दोनों बातें एक ही अर्जीदावे में लिखी जा सकती हैं।

माल लेने से इनकार करने के दावे में मुद्दे का अन्वय दिखाना चाहिये कि खरीदने वाला माल लेना चाहता लेकिन मुदाअल्लेह ने इसका अन्वय करने से इनकार किया। माल के दावे में मुद्दे का लिखना चाहिये कि माल का मानिक मुदाअल्लेह हो

^१ The Sale of Goods Act, 1930, Section 11-27.

^२ The Sale of Goods Act, 1930, Section 107.

१—उनमें से हर एक सलाख १२०० तोले खालिस चाँदी की निकली और यह बात जब मुद्दई ने रुपये दिये थे उसको मालूम नहीं थी ।

४—मुद्दाअल्लेह ने वह रुपया जो उसको ज्यादा दिया गया था वापिस नहीं किया है ।

(यहाँ पर क्रिकरा नं० ४ व ५ नमूना न० १ और मुद्दई की प्रार्थना लिखना चाहिए) ।

(२) अधिक दी हुई क़ीमत वापिस करने के लिये ।

नाम अदालत—

नं० मुकदमा

सोहनलाल मुद्दई बनाम

हरपरशाद मुद्दाअल्लेह ।

सोहनलाल मुद्दई निम्नलिखित प्रार्थना करता है ।

१—ता० १६ अगस्त सन् १९—को मुद्दाअल्लेह ने २०० बोरी गेहूँ १०) ६० फी बोरी के हिसाब से मुद्दई के हाथ यह कह कर बेचे कि हर एक बोरी में २ मन गेहूँ हैं ।

२—मुद्दाअल्लेह ने गेहूँ के २०० बोरे मुद्दई के हवाले कर दिये और मुद्दई ने ठहरी हुई क़ीमत के हिसाब से २०००) ६० मुद्दाअल्लेह को अदा कर दिये ।

३—ता० २५ अगस्त सन् १९—ई० को मुद्दई ने वही गेहूँ के बोरे फरम मगनीराम मुद्धसेन के हाथ बेचे और जब उक्त फर्म ने बोरियाँ तुलवाईं तो हर एक बोरी १ मन ३० सेर की उतरी ।

४—मुद्दाअल्लेह के पास १० सेर हर बोरी के हिसाब से ५० मन गेहूँ की क़ीमत २००) ६० ज्यादा पहुँचे ।

५—मुद्दाअल्लेह ने यह रुपया माँगने पर भी अदा नहीं किया ।

६—बिनाय दावा ता० २५ अगस्त सन् १९—तोल में कमी मालूम होने के दिन सेपर अदालत की सरहद के अन्दर पैदा हुई और अदालत को नालिश सुनने का हक़ हासिल है ।

७—दावे की मालियत अदालत के अख्तयार व कोर्ट फीस देने के लिये २००) ६० है ।

मुद्दई प्रार्थी है कि उसको यह रुपया मय खर्च नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक दिलाया जावे ।

३—माल की कीमत

ऐसे दावों में माल बिक्री करने और कीमत अदा करने का मुआहिदा अर्जी दावा में लिखना चाहिये। यदि कीमत पहिले न ठहराई गई हो तो दफ्ता ८६ कानून मुआहिदा (Sec 89 Contract Act) के अनुसार उचित कीमत माँगी जा सकती है परन्तु यह भी मुद्दों के अर्जीदावे में लिखना चाहिये। यह स्पष्ट रूप से लिखा जावे कि कीमत कब देना ठहरी थी, मुद्दों से माल मिलने के पहिले या मुद्दाअलेह को माल हवाले हो जाने पर, अथवा किसी नियत समय के बाद, चूंकि जब तक कीमत अदा होने योग्य न हो जावे तब तक दावा नहीं किया जा सकता।

यदि एक ही मुद्दाइसे से कई बार बिक्री की गई हो तो हर एक बिक्री को पृथक पृथक न देकर उनका विवरण अर्जीदावे के अन्त में परिशिष्ट या सूची के रूप में दिया जा सकता है। खर्चा इत्यादि, यदि मुद्दाइसे में इकरार किया गया हो, या उसकी पूर्ति के लिए जरूरी हो, तब ही माँगा जा सकता है।

बिक्री किये हुए माल की डिलीवरी न लेने पर दावा करते समय यह देखना चाहिये कि खरीदार माल का मालिक हो गया है या नहीं (देखो कानून बिक्री माल, धारा १६ से २७ तक)।¹ यदि वह उसका मालिक हो गया है, यद्यपि माल बिक्री कर्ता के अधिकार में ही हो तो भी बिक्री कर्ता कीमत का दावा कर सकता है या दफ्ता १०७ कानून मुद्दाइसा (Contract Act) के अनुसार उचित नोटिस देकर माल को फिर बेच सकता है और कमी कीमत का खरीदार के ऊपर दावा कर सकता है। यदि खरीदार माल का मालिक नहीं हुआ तो सिर्फ बेचने वाला हर्जाने का दावा कर सकता है, जो कि मुद्दाइसा तोड़ने के दिन, इकरारी कीमत और बाजारी कीमत का अन्तर होता है।²

जहाँ माल की मलकियत निश्चय न हो वहाँ पर बतौर बदल के (Alternatively) दोनों बातें एक ही अर्जीदावे में लिखी जा सकती है।

माल लेने से इन्कार करने के दावे में मुद्दों को अवश्य दिखाना चाहिये कि उसने माल देना चाहा लेकिन मुद्दाअलेह ने उसको ग्रहण करने से इन्कार किया। कीमत के दावे में मुद्दों को दिखाना चाहिये कि माल का मालिक मुद्दाअलेह हो

1 Sale of Goods Act also I L R 32 Cal 816 , 33 Cal 547 , 50 Bom 360 ; 24 A L J 657, 1926 P C 38

2 24 I Cal 124 , 25 All 55, 94 I C 924, P. C.

गया है और यदि दुबारा बिकरी होने पर हर्जे का दावा हो तो मुद्दाअलेह को नेटिस होना भी दिखाना चाहिये ।

माल की डिलीवरी न देने पर दावे में मुद्ई को दिखाना चाहिये कि उसने डिलीवरी मांगी याकि मुद्दाअलेह ने स्वयं डिलीवरी देने का इक्कार किया था ।

अनस्थिर वस्तुओं (Moveables) या चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में धारा १२ कानून दादरसी खास (Specific Relief Act) से अनुसार प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये दावा नहीं किया जा सकता क्योकि इन चीजों का मुआवजा रुपये में दिया जा सकता है । परन्तु यदि वह वस्तु किसी विचित्र प्रकार की या विशेष मूल्य की हो तो प्रतिज्ञा की पूर्ति का दावा किया जा सकता है इसलिए अर्जी दावे में उनकी विचित्रता का बयान होना चाहिये ।¹

(१) * नियत दाम पर बेचे हुए और हवाले किये हुए

माल की वादत

(सिरनामा)

मुद्ई निम्नलिखित प्रार्थना करता है :—

१—ता० को ने १०० बोरी आटे की (या माल जिसकी फिहरिस्त दी जाती है) मुद्दाअलेह के हाथ बेचा और हवाले किया ।

२—मुद्दाअलेह ने.....२० माल के बारे में हवाला करने माल के दिन (या और किसी तारीख के जो अर्जीदावे से पहिले हो) देने का इक्कार किया था ।

३—यह रुपया उसने अदा नहीं किया ।

४—ता० .. . को.....का देहान्त हो गया और वह अपने अखीरी वसीयतनामे से अपने भाई मुद्ई को वसी मुकरर कर गया ।

५—बिनाय दावा—

६—दावे की मालियत—

७—मुद्ई वसी की हैसियत से दादरसी चाहता है ।

1 Sec 12 Specific Relief Act, A I R 1925 Lah 905, 90 I C 605

* ऊपर दिया हुआ नमूना नाप्ता दीवानी के शिष्यूल नं० १ अफेन्डिस (अ) का नमूना नं० ३ है ।

(२) दूसरा नमूना माल की कीमत के बाबत

(सिरनामा)

उक्त मुद्दइयान निम्न लिखित प्रार्थना करते हैं :—

१—मुद्दाअल्लेह की हुन्डी परचे की दूकान स्थान एटा में उनके पुरखा गोबरधनदास वंसीधर के नाम से जारी है ।

२—मुद्दइयान तिजारत व हुन्डी परचे का कारबार हरमुखराय कन्हैयालाल के नाम से हाथरस मे करते हैं ।

३—मुद्दइयान से मुद्दाअल्लेहम की दूकान हुन्डी परचा खरीद किया करती थी ।

४—मुद्दाअल्लेह के खाते में ब्याज की दर ॥=) सै० माहवारी की थी जो मियाद के १५ दिन बाद से लगाई जाती थी ।

५—ता०..... को हिसाब कर के २३२४॥=) रु० मुद्दइयान के, मुद्दाअल्लेहम पर हुन्डी परचे की कीमत के बाकी निकले और उसकी चिट्ठी मुद्दाअल्लेहम ने मुद्दइयान के थरोसे के लिये टिकट लगा कर लिख दी ।

६ इसके पश्चात् मुद्दाअल्लेहम ने २००) रु० ता० . . . के और १००) रु० ता० . . .को, कुल ३००) रु० अदा किये और बकाया... ..रुपया अभी अदा नहीं किया ।

७—हिसाब सेरु० मुद्दइयान के निकलते हैं और अदालत के ४ दर्शना-धिकार व कोर्टफ्रीस देने के लिये यही दावे की मालियत है ।

(३) तिसरा नमूना माल की कीमत के बाबत

नाम अदालत

मु०

न०

सन्

फर्म मेसर्स कोर्ड ऐन्ड मैकडानलड लिमिटेड

मुद्दइयान

बनाम

शवाला प्रसाद

मुद्दाअल्लेह

मुद्दइयान निम्न लिखित बयान करते हैं :—

१—मुद्दहयान का ईट बनाने का कारखाना स्थान सिकन्दरा में मेसर्स कौर्ड ऐन्ड मैकडानैलड के नाम से जारी है ।

२—मुद्दाअलेह ने सिकन्दराराऊ में जिनिङ्ग फैक्टरी बनवाने के लिये मुद्दहयान के कारखाने से जून सन् १६ --से ईट खरीदना शुरू किया और २ सितम्बर १६—तक खरीद करता रहा और उनकी कीमत भिन्न भिन्न तारखों में अलल हिसाब देता रहा और मुद्दहयान के कारखाने से बिल माहवारी उसके यहाँ जाते रहे ।

३—ईटों की कीमत व जमा का हिसाब मुद्दहयान के बहीखाते में लिखा हुआ है जो कि नियमानुकूल रखे जाते हैं ।

४—बहीखाते के हिसाब से जिसकी नकल अर्जीदावे के साथ दी जाती है मुद्दहयान के... . रु० निकलते हैं ।

५—मुद्दहयान के माँगने पर मुद्दाअलेह रुपया वेवाक करने का वायदा करता रहा और इसी लिए उसने १२ जून सन् १९—व १८ जून सन् १९—को पत्र लिखे जो अर्जीदावे के साथ पेश किये जाते हैं लेकिन रुपया वेवाक नहीं किया ।

६—वकाया रुपये पर मुद्दहयान, कारखाने के सरिश्ते से जो कि बिल के ऊपर दिया हुआ है बतौर हरजाना १) रु० सै० माहवारी सूद पाने के इक़दार हैं !

मुद्दहयान प्रार्थी हैं कि :—

(अ) दावा दिला पाने ... रु० श्रसल व सूद (जिसका व्यौरा नीचे हिसाब में दिया हुआ है) मय खर्च नालिश व सूद दौरान व आइन्दा, रुपया वसूल होने के दिन तक, मुद्दाअलेह के ऊपर हिसारी किया जावे ।

व्यौरा हिसाब—

(४) बाबत कीमत माल, खरीदार या उससे लेने वाले के खिलाफ

(सिरनामा)

मुद्दहयान निम्नलिखित निवेदन करते हैं :—

१—मुद्दहयान आदन का कारबार स्थान डिबाई में गिरधारी लाल भोलानाथ के नाम से करते हैं ।

२—मुद्दाअलेह न० १ का फर्म दुर्गाप्रसाद रामप्रसाद के नाम से और मुद्दाअलेह न० २ का फर्म लुईड्रेफस ऐन्ड कम्पनी के नाम से चंदासी में जारी है ।

३—मुद्दाअलेह न० १ ने दिसम्बर सन् १६—ई० में मुद्दहयान के फर्म से डिबाई में ३७५ बोरे गोहूँ जिनका वजन होता है ६८) फा मन के हिसाब से खरीद किये

जिसका मूल्य तुलाई और मज़दूरी लगा कर और दाना व खाद काट कर.....
रु० हुआ।

४—माल की डिलीवरी ३ फरवरी सन् १९—को मुद्दाअलेह नं० १ ने अपने सामने डिवाई के रेलवे स्टेशन पर मुद्दाअलेह नं० २ के मुलाजिम को दिला दी और मुद्दाअलेह नं० २ ने अपने नाम से वह माल स्थान कीमारी को भेज दिया।

५—मुद्दाअलेह नं० २ ने मुद्दाअलेह नं० १ के कहने के अनुसार मुद्दहयान को मूल्य देने का वाहदा किया और ८ फरवरी सन् १९—ई० को अपने दफ्तर में वाक़ायदा बिल बनवा कर उस पर मुद्दहयान के दस्तख़त रुपया देने के लिये कराए लेकिन पीछे से रेल की बिल्टी खो जाने का बहाना करके उसका रुपया नहीं दिया।

६—मुद्दहयान ने मुद्दाअलेह नं० २ को नोटिस दिया जिस पर उन्होंने कीमारी माल पहुँच जाने पर रुपया देने का वाहदा किया लेकिन माल कीमारी पहुँच जाने पर भी मुद्दाअलेह नं० २ ने रुपया नहीं दिया और तरह तरह की हुजत करते हैं।

७—मुद्दहयान ने मुद्दाअलेह नं० १ से भी रुपया माँगा और नोटिस दिया लेकिन वह भी रुपया देने को अमादा नहीं होते।

८—मुद्दहयान माल की कीमत और उस पर १५ रु० सै० माहवारी का सूद बतौर हजे के पाने के दोनों मुद्दाअलेहम से या उनमें से जो देनदार कगार दिया जावे, हक़दार हैं।

९—बिनाय दावा ता० ३ फरवरी १९—ई० माल खाना करने के दिन से अदालत के अधिकार की हद्दों के अन्दर स्थान डिवाई में पैदा हुई।

१०—दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस के लियेरु० है।

मुद्दहयान प्रार्थी हैं कि नीचे लिखे हिसाब के अनुसार.....रु० का दावा मय खर्चा, व सूद दौरान, व आहन्दा वसूल होने के दिन तक दोनों मुद्दाअलेहम पर या उस पर जो देनदार पाया जावे, डिगरी किया जावे।

(हिसाब की तफ़सील)

(५) दावा कीमत वसूल करने वाले से खरीदार की तरफ से

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित प्रार्थना करता है :—

१—ता०..... कोरु० हुन्डी परचे के कीमत के बारे में सोभाराम के प्रतिवादियों पर चाहिये थे ।

२—हुन्डी परचे की कीमत इस हिसाब से है—

(यहाँ पर विवरण देना चाहिये)

३—ऊपर लिखी ता०.....को सोभाराम ने अपना लहना बैनामा लिख कर वादी के हाथ बेच दिया और अब मुद्दई उसका मालिक व वसूल करने का हकदार है ।

४—बै करने की सूचना मुद्दई ने मुद्दाअलेह को ता०.....को दे दी थी ।

५—प्रतिवादी ने यह रुपया अदा नहीं किया ।

(यहाँ पर नमूना न० १ के फिकरा नं० ४ व ५ का विषय लिखना चाहिये)

(प्रार्थना)

(६) बही खाते में लिखे हुए माल की कीमत व कर्जे के बारे में दावा

(सिरनामा)

मुद्दइयान नीचे लिखा बयान करते हैं :—

१—यह कि शहर कोल में मुद्दइयान का फर्म भुवनीलाल मोहनलाल के नाम से और मुद्दाअलेहम का तालो का कारखाना छोटेखाँ नूरखाँ के नाम से बहुत दिनों से जारी है ।

२—यह कि मुद्दाअलेहम अपने कारखाने के लिए नकद रुपया, पीतल और अन्य सामान मुद्दइयान से बहुत दिनों से लेते थे और उस रुपये और पीतल व सामान की कीमत को ॥=) सै० माहवारी सूद के साथ समय समय पर अदा करते रहते थे ।

३—यह कि तारीख.....से लेकर ता०.....तक मुद्दाअलेहम के नाम रु० .. . नकद व माल की कीमत व सूद के बारे में मुद्दइयान के बहीखाते में.....रु० कुल दर्ज हुए और.....रु० मुद्दाअलेहम के फुटकर जमा हुए । इसलिये रु० मुद्दइयान के मुद्दाअलेहम पर बहीखाता के हिसाब से बाकी है ।

४—यह कि मुद्दाअलेहम ने हिसाब के दौरान में एक टफे ता०... . को अपना हिसाब समझ लिया और ११५०) रु० मुद्दइयान के बहीखाते में निकाल कर अपने दस्तखत कर दिये और टिकट लगा दी ।

५—यह कि मुद्दइयान ने बकाया रुपया के अदा करने के लिये कई बार तकाजा किया लेकिन मुद्दाअलेहम ने कुछ ध्यान नहीं दिया ।

मुद्दइयान प्रार्थी हैं कि.....रु० असल व सूद नीचे दिये हुए हिसाब से मय खर्च नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक मुद्दाअलेहम से दिलाया जावे ।

(७) वावत माळ जो उचित मूल्य पर बेचा व हवाला किया गया

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित प्रार्थना करता है :--

१—ता०.....को वादी ने खाने पीने व पसरट्टे का सामान (जिसका विवरण-नीचे दिया गया है) प्रतिवादी के हाथ बेचा और उसके हवाला किया । इसकी कीमत के बारे में किसी प्रकार का मोल भाव नहीं हुआ ।

२—इस कुल सामान का उचित मूल्य.....रु० होते है ।

३—प्रतिवादी ने यह रुपया नहीं दिया ।

(यहाँ पर नमूना न० १ के फिकरे ४ व ५ का विषय लिखना चाहिये) ।

विवरण.....प्रार्थना ।

(८) इसी प्रकार का दूसरा नमूना ।

(सिरनामा)

फर्म मोतीराम बुद्धसेन उक्त मुद्दई निम्नलिखित विनय करते हैं :—

१—मुद्दई की पसरट्टे की कोठी स्थान हाथरस में जारी है ।

२—मुद्दाअलेहम ने अपने लड़के की शादी के लिये ता०.....से ता०.....तक मसाले द्रव्यादि मुद्दई की कोठी से मँगवाये जिसका विवरण नीचे हिसाब में दिया गया है ।

३—मुद्दाअलेहम ने इन चीजों का कोई भाव तै नहीं हुआ लेकिन उनकी मुना-सिव कीमत हिसाब से.. ...रु० होती है ।

४—मुद्दाअलेहम ने कई बार मँगने व नोटिस देने पर रुपया अदा नहीं किया ।

५—दावे की मालियत अदालत के अधिकार (मज़मून फिकरा न० ४ व ५ नमूना १ लिखिये)

६—मुद्दई प्रार्थी है :—

(अ) कि.....रु० हिसाब का दिलाया जावे ।

(ब) खर्च नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक भी दिलाया जावे ।

* (९) वावत ऐसी वस्तु के जो प्रतिवादी के आर्डर पर बनाई गई हो और उसने न लिया हो

(सिरनामा)

उपरोक्त वादी निम्नलिखित विनय करता है :—

१—ता० कोस्थान पर या कोई अन्य वस्तु (अ—ब—) ने वादी से प्रतिज्ञा की कि वादी उसके लिये (६ मेज और ५० कुर्सियाँ) बनावे और उनके हवाले करने पर (अ—ब—) उनके दाम. . . रु० अदा करेगा ।

२—यह कि वादी ने वे चीज बना कर ता० . . . को (अ—ब—) से कहा कि वे तैयार हैं और वादी उनके देने को उसी समय से तैयार और राजी है ।

३—यह कि (अ—ब—) ने उन चीजों को नहीं लिया और न उनकी कीमत अदा किया ।

(नमूना नं० १ के फिकरे नं० ४ व ५ लिखिये)

(वादी की प्रार्थना)

(१०) इसी प्रकार का दूसरा नमूना

(सिरनामा)

मुहम्मद अमीर मुद्दई अर्ज करता है :—

१—मुद्दई बाजार चोंदनी चौक शहर देहली में तमवीर बनाने का काम करता है ।

२० नोट—ऊपर दिया हुआ नमूना जान्ना दीवानी के शिड्यूल १ अपेनडिक्स (अ) का नमूना न० ५ है ।

मुद्दाअलेह ने ता०.....सन्.....को मुद्दई से यह मुद्दाहिदा किया कि मुद्दई उसके लिये ६ तसवीर नीचे लिखे नमूने की, जो कि मुद्दाअलेह ने मुद्दई को दिया एक हफ्ते के अन्दर तैयार करके हवाला कर देवे और मुद्दाअलेह २५०) रु० उनकी कीमत मुद्दई को अदा करेगा ।

(नमूने की तफसील)

३—मुद्दाअलेह ने १०) रु० मुद्दई को ठहराते वयाना समय के दिये और बाकी २४०) तसवीर हवाले करते वक्त देना करार पाये ।

४—मुद्दई ने मुद्दाहिदे के अनुसार तसवीरे नमूने के मुताबिक १ हफ्ते के अन्दर तैयार करके मुद्दाअलेह को देना चाही और मुद्दाअलेह से २४०) रु० बाकी कीमत के माँगे ।

५—मुद्दाअलेह तसवीर लेने और बाकी कीमत देने पर तैयार नहीं होता और विला वजह हुज्जत और टाल टूल करता है ।

६—मुद्दई तैयार की हुई तसवीर देने और बाकी कीमत का रुपया लेने को हर वक्त तैयार रहा और अब भी है ।

(मजमून फिकरा न ४ व ५ नमूना नं० १ लिखिये ।)

मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) मुद्दाअलेह से २४०) रुपया बाकी कीमत और खर्च नालिश और सूद दौरान व आइन्दा, रु० वसूल होने तक दिलाये जावे और ६ तसवीर तैयार की हुई नमूने सहित मुद्दई से मुद्दाअलेह को दिला दी जावे ।

(११) नीलाम किये हुए माल की कीमत के लिये

(सिरनामा)

मुहम्मदजान मुद्दई नीचे लिखा निवेदन करता है :—

१—मुद्दई ने तारीख..... को नीलाम में मुद्दाअलेह को कुछ सामान जिसकी कीमत ४००) रु० थी नीलाम की शर्तों के अनुसार फरोख्त किया । एक शर्त यह थी कि नीलाम के एक हफ्ते बाद तक रुपया अदा करके माल उठा लिया जावे ।

२—माल की तफसील और कीमत जिस पर मुद्दाअलेहम ने माल खरीद किया नीचे दी हुई है—

(नाम माल)

(कीमत)

३—मुद्दाअलेह ने मियाद के अन्दर माल नहीं लिया और न उसकी कीमत अदा की ।

(मज़मून फिकरा न० ४ व ५ नमूना न० ११ लिखना चाहिये)

(प्रार्थना)

* (१२) बाबत उस कमी कीमत के जो दोबारा नीलाम कराने से हो

(सिरनामा)

मुद्दई नीचे लिखा निवेदन करता है :—

१—ता० को मुद्दई ने (कुछ माल) इस शर्त पर नीलाम किया कि जो माल १० दिन के अन्दर रुपया अदा करके न लिया जावे वह फिर खरीदार की तरफ से नीलाम कर दिया जाय और यह शर्त मुद्दाअलेह को मालूम थी -

२—मुद्दाअलेह ने कुछ चीनी के वर्तन.....रु० को नीलाम में खरीदा ।

३—मुद्दई, मुद्दाअलेह को यह वर्तन नीलाम के दिन और उसके १० दिन बाद तक देने को तत्पर और राजी था ।

४—मुद्दाअलेह अपने खरीद किये हुये वर्तनों को नीलाम के १० दिन बाद तक नहीं ले गया न उनकी कीमत अदा की ।

५—ता०.....को मुद्दई ने वह वर्तन मुद्दाअलेह की तरफ से.....रु० को दोबारा नीलाम कर दिये ।

६—दूसरे नीलाम में खर्चा.....रु० हुआ ।

७—मुद्दाअलेह ने वह कमी जो दूसरे नीलाम करने पर हुई अदा नहीं की ।

(फिकरा ४ व ५ नमूना न० १ लिखिये)

मुद्दई की प्रार्थना ।

४—मजदूरी व नौकरी

मजदूरी या रजत का दावा तभी लाया जा सकता है जब कि मुद्दे किमी इकार की वजह से मुद्देअलेह के लिये कोई काम करे। यदि ऐसा काम करने से कुछ सामान भी लगाया जावे तो मुद्दे उसकी उचित कीमत माँग सकता है (देखो दावा नं० ३)। परन्तु अपने ही सामान से यदि मुद्दे मुद्देअलेह के लिये कोई चीज बनावे (जैसे तस्वीर, मेज़, कुर्सी, इत्यादि) तो हर्जाने का दावा लाना चाहिये क्योंकि यहाँ पर मजदूरी मुद्दे ने अपने लिये ही की न कि मुद्देअलेह के लिये। परन्तु यदि कोई मनुष्य दूसरे की जायदाद पर बिना इजाजत अपने आप ही कोई ऐसा काम करे जो कि उसको मन्जूर करना पड़े तो वह उसका मुद्देअलेह पाने का हकदार नहीं होता जैसे कोई व्यक्ति अधिकार विरुद्ध कब्जा करके मकान की मरम्मत करा देवे।

मजदूरी का दावा किसी काम के समाप्त हो जाने पर ही करना चाहिये जब तक कि दोनों पक्षों में ऐसी कोई प्रतिज्ञा न हो कि काम अधूरा रहने पर भी मजदूरी दी जावेगी (देखो कानून मुद्देअलेह ; धारा ३६)

मियाद—मजदूरी या नौकरी अदा होने की नियत तारीख से तीन साल के अन्दर दावा दायर होना चाहिये यदि ऐसी कोई तारीख नियत न हो तो काम समाप्त होने के तीन वर्ष के अन्दर।

*(१) उचित मजदूरी के लिये दावा

(सिरनामा)

बादी निवेदन करता है :—

१—ता०.....से ता०.....तक बादी ने कुछ तस्वीर और नक्शे प्रतिवादी के कहने पर बनाए। इस विषय पर कोई इकार नहीं हुआ था कि उस काम के लिये, कितना रुपया बादी को दिया जावेगा।

1. Article 36, Limitation Act

*नोट—यह जाप्ता दीवानी के शिड्यूल १ अपेनडिक्स (अ) का नमूना

नं० ७ है।

२—उस काम की उचित मज़दूरी.....रुपया है ।

३—प्रतिवादी ने यह रुपया अदा नहीं किया ।

(मज़मून फिकरा नं० ४ व ५ नमूना न० १ लिखना चाहिये)

वादी की प्रार्थना

(१) बाबत मुनासिब मज़दूरी ।

(सिरनामा)

(अ—ब—) मुद्दई निवेदन करता है—

१—मुद्दई सिलाई का काम करता है ।

२—ता०.....को मुद्दाअलेह के यहाँ लड़के की शादी थी । उसने शादी के लिये बहुत से कपड़े सिलवाये लेकिन शरह के बारे में कोई मुआहिदा नहीं किया ।

३—मुद्दई ने जो कपड़े सिये उनकी मुनासिब सिलाई नीचे दर्ज हैं—

(नाम कपड़ा)

(सिलाई)

४—मुद्दाअलेह ने सिलाई के हिसाब में सिर्फ २५) रु० दिये हैं बकिया.....रु० तकाज़ा करने पर भी नहीं दिये ।

५—बिनाय दावी ता०.....(काम तैयार करने के दिन से)

मुद्दई प्रार्थी है कि.....रु० मुद्दाअलेह से मय सूद के दिलाया जावे ।

*(३) मज़दूरी इत्यादि की उचित कीमत की बाबत ।

(सिरनामा)

मुद्दई निवेदन करता है :—

१—ता०.....को (स्थान)—में मुद्दई ने एक मकान (यहाँ मकान का नम्बर व पता देना चाहिए) मुद्दाअलेह के लिये उसके कहने पर तामीर किया और उसका मसाला (ईंट, चूना इत्यादि) भी अपने पास से लगाया, लेकिन कोई इकरार इस बात का नहीं हुआ था कि उस काम और मसाले की क्या कीमत दी जायगी ।

२—उस काम और मसाले की उचित कीमत.....रु० है ।

३—मुद्दाअलेह ने यह रुपया अदा नहीं किया ।

५—हुन्डी व चैक

हुन्डी के दावों में कुछ आवश्यक शब्द जान लेने चाहिये। वह यह हैं।

जो पुरुष हुन्डी लिखता है उसको "लिखने वाला" और जिसके हक में लिखी जाती है उसको "रखने वाला" और जिसका हुन्डी अदा करने का आदेश दिया जावे उसको "ऊपर वाला" कहते हैं।

जो हुन्डी खरीद करता है वह "बेचान लेने वाला" और जो बेचता है वह "बेचान देने वाला" कहलाता है। जो कोई हुन्डी को सही करके उसके अदा होने की जिम्मेदारी लेवे वह "सही करने वाला" कहलाता है।

इनके अंग्रेजी में समान शब्द यह है :—

लिखने वाला Drawer	बेचान लेने वाला Endorsee
रखने वाला Payee	बेचान देने वाला Endorser
ऊपर वाला Drawee	सही करने वाला Acceptor

हुन्डी के दावों में तारीख, रकम और फरीकैन के नाम स्पष्ट रूप से दिये जाने चाहिये। यह भी लिखना चाहिये कि प्रतिवादी हुन्डी का लिखने वाला, सही करने वाला, या बेचान करने वाला है। यदि वह लिखने वाला या बेचान देने वाला हो, तो उसको हुन्डी के न सिकरने का नोटिस दिया जाना भी दिखाना चाहिये क्योंकि (दफा १८ Negotiable Instruments Act के अनुसार) नोटिस जरूरी होने के सिवाय बिनाय दावा भी नोटिस देने की तारीख सं शुरु होता है। कोई सही करने वाला अपने नाम के पहिले सब फरीकैन (लिखने, सही करने और बेचान देने वालों) पर दावा कर सकता है और जब तक हुन्डी न सिकर जावे यह सब लोग देनदार है और सब को फरीक मुद्दमा बनाना चाहिये। दावा नं ३ व ४ के नेट सावधानी से इसी सिलसिले में पढ़ने चाहिये।

हुन्डी व चैक का रक्का और अन्य Negotiable Instruments की तरह Negotiable Instruments Act की धारा ११८ के अनुसार प्रत्युपकार (मुआवजा या बदल) मान लिया जाता है इस लिये अर्जी दावे में यह लिखना कि हुन्डी या चैक बदल के एवज में लिखा गया जरूरी नहीं है परन्तु यह जरूर लिखना चाहिये कि हुन्डी या चैक, जिसका दावा किया जावे

सकरने के लिये पेश की गई थी और उसको अदायगी नहीं की गई। उसी विधान की धारा ७६ के अनुसार यदि कोई सूद के लिये प्रतिज्ञा हुन्डी में न लिखी हो तो मुद्दई धारा ८० के अनुसार ६ रुपया सैकड़ा वार्षिक सूद मांग सकता है।^१

मियाद—हुन्डी या चैक का रुपया भुगतान होने योग्य हो जाने की तारीख, से ३ साल के अन्दर दावा दायर होना चाहिये।

(१) दावा लिखने वाले का ऊपर वाले पर।

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी ने ता०.....को प्रतिवादी के ऊपर अपने हाथ की लिखी हुई हुन्डी से, जो मुद्दती तीन महीने की थी, प्रतिवादी को आदेश दिया कि वह ५००) ६० वादी को मुद्दत पूरी हो जाने पर अदा करे।

२—प्रतिवादी ने हुन्डी को सही (Accepted) कर दिया लेकिन उसका रुपया मुद्दत पूरी हो जाने पर नहीं दिया।

३—वादी का नीचे लिखा रुपया प्रतिवादी पर चाहिये।

हुन्डी का रुपया	५००) ६०
सूद ता०	से लेकर दावा दायर करने की तारीख तक—६०
निखराई व सिकराई—	— ६०

४—बिनाय दावा ता० को हुन्डी के दिन गुजर जाने पर (स्थान) में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

५—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) दावा दिलाने.....६० असल व सूद व निखराई सिकराई डिगरी किया जावे।

(ब) खर्च नालिश व सूद रुपया वसूल होने के दिन तक दिलाया जावे।

1. A. I R 1923 Lahore 388 ; 22 C W N 1036 , 1934 A L J 892
2 A I R 1928 Bom 35 F B , 107 I C 753 ; 6 A L J. 233

(२) दावा रखने वाले का हुन्डी लिखने वाले पर

(सिरनामा)

मुद्दई निवेदन करता है।

१—ता०.....को फर्म मुद्दाअलेह ने जिनका.....नाम पड़ता है एक हुन्डी.....र० की अपने ऊपर, ६० दिन की मुद्दती, मुद्दई के रखने की लिखी।

या—मुद्दाअलेह ने एक हुन्डी से, जो उसने ता०.....को अपने ऊपर मुद्दई के हक में लिखी.....र० का ६० दिन की मुद्दत के बाद अदा करने का इत्तारार किया।

२—यह मुद्दत (६० दिन की) गुजर गई, मुद्दाअलेह ने हुन्डी का रुपया अदा नहीं किया।

३—हुन्डी ॥॥) सै० माहवारी के सूद से ली गई थी। मुद्दई इसी दर सेबाद का सूद भी लगाता है।

४—मुद्दई का, नीचे दिये हिसाब से.....र० निकलता है।

(हिसाब की तफसील)

५—बिनाय दावा, ता०.....को हुन्डी की मुद्दत पूरी होने से.....(स्थान) में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई—

६—दावे की मालियत।

(मुद्दई की प्रार्थना)

(३) दावा बेचाएलेने वाले का मही करने वाले पर

(सिरनामा)

मुद्दई निवेदन करता है—

१—फर्म रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर ने ता०.....को एक ६००) र० की हुन्डी, मुद्दती २ माह, फर्म रामसहाय गौरसहाय कलकत्ता के ऊपर, फर्म धनीराम साधूराम कानपुर के हक में लिखी।

२—फर्म धनीराम साधूराम ने उक्त हुन्डी मुद्दइयान को बेचान कर दी और मुद्दइयान उसके मालिक हैं । (देखो नोट नं० १)

३—मुद्दइयान ने हुन्डी की मियाद गुजर जाने पर वह फर्म मुद्दाअलेहम, रामसहाय गौरसहाय, कलकत्ता को उसके रुपये की वेवाकी के लिये पेश की । मुद्दाअलेहम ने हुन्डी को सही कर दिया लेकिन उसका रुपया अभी तक अदा नहीं किया । (देखो नोट नं० ३)

४—मुद्दइयान, हुन्डी का रुपया व सूद और निखरा सिकराई वगैरह मुद्दाअलेहम से वसूल करने के हकदार हैं । (देखो नोट नं० २)

५—बिनाय दावा—

६—दावे की मालियत—

मुद्दइयान प्रार्थी है कि :—

(अ) दावा, दिलापाने.....रु० हुन्डी का व.....रु० सूद का ॥) सै० माहवारी की दर से, ता० मुद्दत पूरी होने से नालिश करने के दिन तक व.....रु० खर्च निखराई सिकराई कुल.....रु० के मुद्दाअलेहम पर मय खर्च नालिश व सूद रु० वसूल होने के दिन तक, डिगरी किया जावे ।*

*नोट नं० १—यदि मुद्दइयान के पास हुन्डी कई बेचान के बाद आई हो तो फिकरा नं० २ में यह लिखना चाहिये—

“फर्म धनीराम साधूराम ने (अ—ब—) के नाम और (अ—ब—) ने— (क—ख—) के नाम और— (क—ख—) ने मुद्दइयान को बेचान किया और मुद्दइयान उसके अब मालिक हैं” ।

नोट नं० २—अगर दावा हुन्डी लिखने वाले पर भी करना हो तो फिकरा नं० ४ ऐसे लिखना चाहिये और दोनों को मुद्दाअलेहम बनाना चाहिये ।

“मुद्दइयान, रुपया हुन्डी, सूद व निखराई सिकराई इत्यादि के फर्म रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर, हुन्डी लिखने वाले व फर्म रामसहाय गौरसहाय कलकत्ता, जिनके ऊपर हुन्डी लिखी गई और जिन्होंने उसको सही किया, से लेने के हकदार हैं ” ।

नोट नं० ३—यदि मुद्दइयान ने किसी अन्य पुरुष के हाथ हुन्डी बेचान करदी हो और उसके न सिकरने पर मुद्दइयान को उसका रुपया देना पडा हो तो फिकरा नं० ३ इस तरह होना चाहिये—

“मुद्दइयान ने उक्त हुन्डी (अ—ब—) के हाथ बेचान की और बेचान लेने वालों ने मुद्दत गुजरने पर मुद्दाअलेहम की दूकान पर अदायगी के लिये उसको पेश किया, मुद्दाअलेहम ने हुन्डी को सही कर दिया मगर उसका रुपया अदा नहीं किया । मजबूर हो कर मुद्दइयान को, उसका रुपया, सूद, निखराई सिकराई वगैरह बेचान लेने वाले को वापिस देना पडा ” ।

(४) हुन्डी न सिकरने पर रखने वाले का लिखने वाले पर दावा

१—प्रतिवादियों ने ता० को एक ७००) रु० की हुन्डी, मुद्दती ३० दिन, वादी के नाम फर्म रामसहाय गूदड़मल कानपुर के ऊपर, माल के बदले में लिखी। (देखो नोट नं० १ व ४)

२—वादी ने मुद्दत पूरी हो जाने पर, उसके रुपये की अदायगी के लिये हुन्डी फर्म रामसहाय गूदड़मल कानपुर को पेश की। (देखो नोट नं० २)

३—उक्त फर्म ने हुन्डी को नहीं सिकारा और इस की सूचना वादी ने प्रतिवादियों को रजिस्ट्री नोटिस से ता०को दे दी।

४—प्रतिवादियों ने नोटिस देने पर भी हुन्डी का रुपया सूद व निखराई सिकराई इत्यादि अभी तक नहीं दिया। उसका हिसाब नीचे दिया है—* (देखो नोट नं० ३)

* नोट नं० १ - यदि वादी के रखने की हुन्डी न हो और उसने बेचान लिया हो तो अर्जीदावा इसी तरह का होगा और धारा नं० १ में “वादी के नाम” के बजाय उस आदमी का नाम लिखना चाहिये जिसके हक में हुन्डी पहिले लिखी गई हो और अन्त में उन सब बेचानों का उल्लेख होना चाहिये जिससे वादी हुन्डी का मालिक हुआ।

नोट नं० २—हुन्डी का न सिकराना दो तरह से हो सकता है। पहला तो यह कि जिसके ऊपर हुन्डी हो वह उसको सही न करे, और दूसरा यह कि मुद्दत पूरी होने पर रुपया अदा न करे। दोनों हालतों में नालिश करने का स्वत्व उत्पन्न होता है इस लिये यदि सही करने से इन्कार करने पर नालिश की जाय तो धारा नं० २ में “रुपये की अदायगी” के बजाय “सही करना” लिखा जावे। शेष विषय वैसा ही रहेगा।

नोट नं० ३—कभी कभी लिखने वाले को हुन्डी न सिकराने का नोटिस दिये जाने का हक नहीं होता या वादी किसी कारण से नोटिस नहीं दे सकता और कानूनन इसके न देने के प्रभाव से बचना चाहता है (दफा ७८ कानून हुन्डी, ऐक्ट २६ सन् १८८१ ई०) ऐसी दशा में धारा नं० ४ के बजाय नीचे लिखी हुई धारा लिखना चाहिये।

“प्रतिवादी का कोई रुपया या वीजक फर्म रामसहाय गूदड़मल कानपुर वालों पर नहीं था ” याकि “प्रतिवादी ने फर्म रामसहाय गूदड़मल को उक्त हुन्डी सिकराने से रोक दिया था (या जो कुछ नोटिस न देने का कारण हो) इस कारण से प्रतिवादी हुन्डी न सिकराने के नोटिस पाने का अधिकारही नहीं था ” ।

नोट नं० ४—यदि हुन्डी मुद्दती होने के बजाय दर्शनी, पहुँचे दाम की या माँग पर अदा करने की हो, तो अर्जीदावे में “ मुद्दती ३० दिन ” के बजाय वही शब्द लिखने चाहिये और आवश्यक सशोधन के साथ अर्जीदावा इसी प्रकार का होना चाहिये।

रुपया हुन्डी	रु०	} कुल.....रु०
सूद	रु०	
खर्च निखरार्ह सिकरार्ह	रु०	
खर्च नोटिस	रु०	

(५) हाव बेचान लेने वाले का सखने वाले पर

१—दूकान रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर ने ता०.....को दो हजार रुपये की एक हुन्डी मुद्दती ६० दिन रामसहाय गौरसहायमल कलकत्ता के ऊपर धनीराम साधूराम कानपुर वालों को लिखी ।

२—फर्म धनीराम साधूराम ने इस हुन्डी का वादी के नाम बेचान कर दिया ।

३—वादी ने इस हुन्डी को दूकान रामसहायमल गौरसहायमल कलकत्ता वालों पर अदायगी के लिये पेश किया लेकिन उन्होंने उसको नहीं सिकारा ।

४—वादी ने हुन्डी न सकरने की रजिस्ट्री नोटिस ता० को प्रतिवादी को दे दिया ।

५—प्रतिवादी ने हुन्डी का रुपया व सूद व खर्चा निखरार्ह सिकरार्ह वादी को अदा नहीं किया ।

(यहाँ रुपये का हिसाब देना चाहिये)

(६)-बेचान लेनेवाले का उसको बेचान देने-
वाले के ऊपर दावा

१—दूकान रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर ने ता०.....को ...रुपये की दर्शनी (या पहुँचे दाम की) हुन्डी फर्म रामसहाय गौरसहायमल कलकत्ता के ऊपर फर्म धनीराम साधूराम कानपुर वालों के हक में तहरीर की ।

२—फर्म धनीराम साधूराम ने यह हुन्डी फर्म राधाकिशन सीताराम खुर्जावालों के हाथ बेचान की और राधाकिशन सीताराम ने उसको फर्म मुद्दश्यान के हाथ जिस पर कि.....नाम पड़ता है बेचान कर दिया ।

३—वादियों ने हुन्डी को अदायगी के लिये फर्म रामसहाय गौरसहायमल कलकत्ता को पेश किया लेकिन उन्होंने उसको नहीं सिकारा ।

४—वादियों ने हुन्डी न सिकरने का नोटिस प्रतिवादियों (फर्म राधाकिशन, सीताराम खुर्जा) को ता०.....को रजिस्ट्री कराकर दे दिया ।

५—प्रतिवादियों ने हुन्डी का रुपया, सूद व इखराजात व खर्च निखरई सिकरई मुद्दयान को अदा नहीं किया उसका व्योरा नीचे दिया जाता है ।

हुन्डी का रुपया—	र०	} कुल रुपया.....
सूद	र०	
खर्च निखरई सिकरई	र०	

(७) दादा बेचान लेनेवाले का बेचान देनेवाले और लिखने वाले पर

नाम अदालत.....

नं० मु०.....सन्...

१—बुद्धसेन	} वादी	} प्रतिवादी
२—कैदारनाथ		
३—हीरालाल		
बनाम		
१—श्यामलाल	} प्रथम पक्ष	
२—बद्रीदास		
३—गंगाप्रसाद	} द्वितीय पक्ष	
४—मदनमोहन		
५—ब्रजलाल		
६—राधेलाल		
७—माधोप्रसाद		

वादी निवेदन करते हैं :—

१—वादी दूकान जीवाराम कन्हैयालाल हाथरस के मालिक हैं जिसका मैनेजर व अपने हिस्से का मालिक बुद्धसेन का सगा भाई मुन्नालाल था और अब उसकी जगह पर कर्ता खानदान की हैसियत से मुद्दई न० १ मैनेजर है ।

२—प्रतिवादी प्रथम पक्ष एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं और हाथरस में श्यामलाल बद्रीदास के नाम से कारबार करते हैं ।

३—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की दूकान गन्नीलाल मदनमोहन के नाम से पत्थर बाजार हाथरस में है जिसका मैनेजर अपने हिस्से का मालिक व खानदान मुशतर्फी का कर्ता होने की वजह से उनका बुजुर्ग गन्नीलाल था ।

४—नीचे लिखी हुई चार किता हुन्डियाँ गन्नीलाल मदनमोहन की, अपने ऊपर की हुई और श्यामलाल बद्रीदास के रखे की हैं और उन्ही के आधार पर यह नालिश की जाती है—

(१)	हुन्डी तादादी	१०००)	मियादी	५० दिन ता०
(२)	" "	१०००)	"	६० दिन ता०
(३)	" "	१०००)	"	७० दिन ता०
(४)	" "	१०००)	"	८० दिन ता०

५—श्यामलाल बट्टीदास ने ये हुन्डियाँ ता०..... को जीवाराम कन्हैयालाल के हाथों मुन्नालाल मैनेजर के नाम मुआवज़ा पाकर बेची ।

६—वादियों ने हुन्डियों की मियाद पूरी हो जाने पर उनको अदायगी के लिये प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को पेश किया लेकिन उन्होने उनको नहीं सिकारा ।

७—हुन्डी न सिकरने की खबर वादियों ने प्रतिवादी प्रथम पक्ष को नियमानुसार दी और उनसे उनका रुपया भी माँगा ।

८—हुन्डियों का रुपया अभी तक दोनों प्रतिवादियों में से किसी ने अदा नहीं किया ।

९—हाथरस की बाज़ार के रिवाज व आपस के इकरार से वादी ॥३॥ सै० माहवारी के हिसाब से सूद पाने के हकदार है ।

१०—विनाय दावी, हुन्डी न सिकरने के दिन से अदालत के इलाके के अन्दर स्थान.....पर पैदा हुई ।

११—दावे की मालियत अदालत के अधिकार और कोर्टफीस देने के लिये ४०४०) रु० है ।

वादी प्रार्थी है :—

(अ) कि नीचे दिये हिसाब के अनुसार ४०४०) रु० मय खर्च नालिश व सूद रुपया वमूल होने तक दिलाया जावे ।

(तफसील हिसाब)

(८) चैक के आधार पर दावा

१—प्रतिवादी ने ता०.... का एक चैक ५००) रु० का इलाहाबाद बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद के ऊपर वादी के नाम तहरीर करके उसके हवाले कर दिया ।

२—वादी ने वह चैक इलाहाबाद बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद के यहाँ ता०..... को पेश किया मगर बैंक ने चैक का रुपया अदा नहीं किया ।

३—वादी ने रजिस्ट्री नोटिस के द्वारा जो ता०.....को दिया गया प्रतिवादी को चैक न सिकरने की इत्तला दे दी मगर प्रतिवादी ने चैक का रुपया अदा नहीं किया ।

४—वादी चैक का रु०.....सूद के साथ प्रतिवादी से वसूल करने का हकदार है ।

६—आपसी हिसाब

साधारणतया आपसी हिसाब का अभिप्राय शुद्ध रूप से नहीं समझा जाता और किन्हीं दो फर्म के आपसी लेन देन को लोग आपसी हिसाब ख्याल कर लेते हैं । वास्तव में यदि दो व्यक्तियों या फर्मों के मध्य रकमों और माल का आना जाना हो और उन दोनों का सम्बन्ध ऋणी और ऋण देने वाले का न हो तब वह आपसी हिसाब कहलाता है । ऐसे हिसाब में कभी एक पक्ष के ऊपर और कभी दूसरे पक्ष के ऊपर बकाया की रकम निकलती है । इसके विरुद्ध ऋण के व्यवहार में बकाया हमेशा ऋणी के ऊपर ही निकलती है ।

आपसी हिसाब होने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक ऐसे व्यवहार की पृथक जिम्मेदारी उत्पन्न होती हो । इसके विरुद्ध ऋण होने की दशा में नाम की तरफ ऋण की रकम लिखी जाती है और जमा की तरफ, मूल या सूद या दोनों की अदायगी । जमा की रकमों नाम की रकमों से सम्बन्धित होती है और वह पृथक जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं करती वरन् पहली ही जिम्मेदारी की बेबाकी के लिये होती हैं ।

मियाद—आपसी हिसाब यदि खुला और चलता हुआ रहे अर्थात् कोई बाकी न निकाली गई हो और आपसी व्यवहारों की शृंखला चलती रहे, तब उसकी विशेषता यह होती है कि कानून मियाद के आर्टिकल ८५^१ के अनुसार उसकी नालिश उस वर्ष के अन्त से ३ साल के अन्दर हो सकती है जिस वर्ष में उक्त हिसाब की अन्तिम रकम लिखी जाना स्वीकार हो या प्रमाणित की जा सके^२ साधारण ऋण की मियाद केवल ३ साल की होती है ।^३

1 See Art 85, Schedule I, Limitation Act

2 I L R 39 All 33, 47 Bom 128, 27 A L J. 73, 107 I C 533

3 1934 A L J R. 623, P. C

* (१) आपस के हिसाब के आधार पर नक़द रुपया का दावा

(मुक़दमे का सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ऊपर लिखे हुए फ़रीकैन कानपुर में साहूकारी का काम करते हैं ।

२—फ़रीकैन के फ़र्मों में आपस में हिसाब एक अरसे से चला आता था और जो रुपये का लेन देन होता था दोनों के वही खातों में लिखा जाता था और सालाना दिवाली पर हिसाब का मिलान हो कर एक फ़र्म की बकाया दूसरे फ़र्म पर दोनों के वही खातों में लिख दी जाती थी ।

३—अन्तिम बार तिथि.....या ता०.....को हिसाब का मिलान होकर..... रुपया मुद्दई फ़र्म के, मुद्दाअलेह के फ़र्म पर निकले थे और उसके बाद बदस्तूर रुपये का लेन देन तिथि.....या ता०...तक होता रहा और हिसाब खुला और चलता हुआ रहा ।

४—इस आपसी हिसाब में ब्याज की दर आठ आना ॥) सै० माहवारी थी और पहिले हिसाब में भी इसी दर से ब्याज लगाया जाता रहा था ।

५—हिसाब से जो कि अर्जादावे के साथ दाखिल किया जाता है फ़र्म मुद्दई का मुद्दाअलेह के फ़र्म पर.....रु० निकलता है ।

(२) इसी तरह का दूसरा नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं—

१—वादी का फ़र्म जीवाराम कन्हैयालाल के नाम से, पत्थर बाज़ार शहर हाथरस में प्रचलित है ।

२—प्रतिवादी एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं और उनका कौटुम्बिक फ़र्म गन्नीलाल मदनमोहनलाल के नाम से इसी बाज़ार में है ।

३—वादियों के फ़र्म जीवाराम कन्हैयालाल व प्रतिवादियों के फ़र्म गन्नीलाल मदनमोहन में आपस में लेन देन था जो तिथि.....या ता०..... से आरम्भ हुआ ।

* नोट—इन दावों के लिये इसी अध्याय में कर्जा के दावा नं० १० का नोट देखना चाहिये ।

४—लेन देन की सब रकम दोनों फर्म के बहीखातो में लिखी जाती थी और फरीकैन में आपस में व्याज की दर ॥=) सै०मा०थी ।

५—उपरोक्त दोनों फर्मों में तिथि... .. या ता० ... को हिसाब हुआ और आपस के लेन देन की रकमों को काट कर वादियों के फर्म मुद्दइयान के प्रतिवादियों के फर्म पर १०,००७॥=) रुपये निकलते थे, उसका जमा खर्च दोनों फर्मों के बहीखातों में हुआ था ।

६—इसके बाद २० तारीख को प्रतिवादियों के फर्म के नाम पड़े और.....२० तारीखको तथा२० ता० को कुल... रुपया जमा हुए इस तरह से.....२० फर्म मुद्दइयान के फर्म मुद्दाअलेहम पर बाकी है ।

७—यह कुल हिसाब वादियों के फर्म बहीखातों में जिसकी नकल अर्जीदावे के साथ पेश की जाती है और प्रतिवादियों के बहीखातों में जिसकी नकल पेश कराई जावेगी दर्ज है ।

८—हिसाब से ११८८०) २० वादियों का प्रतिवादियों के ऊपर बाकी है जो उसने मॉगने व तक्काजा करने पर भी अदा नहीं किया ।

९—लेन देन तारीखसे शुरू हुई लेकिन फरीकैन में, कानून मियाद के दफा ८५ के मुताबिक, आपसी हिसाब मियाद के अन्दर हुआ था और प्रतिवादियों के यहाँ ४६००) २० तारीख को नकद गये और तारीख... .. को प्रतिवादियों ने हिसाब सही स्वीकार करके बकाया निकाली और मु०३६१०) २० सूद में अदा करके जमा कराये और तारीख को हिसाब तसलीम करके ६०४०) २० अदा किये इस लिये दावे में तमादी का कोई असर नहीं है ।

१०—दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्टफीस देने के लिये ११८८०) २० है ।

११—विनाय दावी तारीखकी मियाद के अन्दर अदालत के इलाके में स्थान हाथरस में पैदा हुई ।

१२—वादी प्रार्थी हैं :—

(अ) दावा दिला पाने ११८८०) २० असल व सूद नीचे दिये हुए हिसाब के अनुसार, मय खर्च दौरान व आइन्दा, वसूल होने के दिन तक प्रतिवादियों के ऊपर डिगरी किया जावे ।

(हिसाब का विवरण)

७—अमानत का रुपया

जिन शर्तों पर अमानत रक्खी गई हो वह अर्जी दावे में लिखनी चाहिये और इसकी अदायगी का तक्राजा किया जाना और रुपये का अदा न होना भी लिख देना चाहिये क्योंकि नालिश की विनाय ऐसा तक्राजा करने से उत्पन्न होती है।¹ इस सम्बन्ध में ट्रस्ट के प्रकरण का नोट भी देखना चाहिये।

(१) बाबत अमानती रुपया

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—मुद्दाअल्लेहम का साहूकारी का फर्म.....के नाम से बाजार बादशाही मसजिद शहर मुरादाबाद में जारी है।

२—मुद्दई का रुपया मुद्दाअल्लेह की दूकान पर अमानत में जमा रहता था जिसका सूद ॥) आने सैकड़े माहवारी मुद्दाअल्लेह मुद्दई को अदा करते थे और कुल रुपये के, इन्दुलतलब (माँगा, जाने पर) देनदार थे।

३—मुद्दई ने पहिले मुबल्लिग.....रु० ता०..... को जमा किये और बाद को बहुत सी रकमे जमा करता रहा और असल व सूद में रुपया लेता रहा।

४—रुपये के लैन दैन का कुल हिसाब मुद्दाअल्लेहम की दूकान के बहीखातों में और बही याददाश्त मुद्दई में, जो मुद्दाअल्लेहम की दूकान के मुनीम ने उसको दे रक्खी थी, दर्ज है और वह हिसाब अर्जीदावे के साथ पेश किया जाता है।

५—हिसाब से मुद्दई कारु० मुद्दाअल्लेहम पर बाकी है जो मुद्दाअल्लेहम ने अदा नहीं किया।

६—विनाय दावी ता०को रुपया माँगने और मुद्दाअल्लेहम के न अदा करने के दिन से वमुकाम मुरादाबाद अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

७—दावे की मालियत—

(प्रार्थना)

1. Art 60, Limitation Act See also I L R 51 Mad 549, A I R 1927 Bom. 433 ; 1927 Pat 91

(२)—अमानती माफ़ के बारे में, दूसरा नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—यह कि प्रतिवादी दूकान राधाकृष्ण सीताराम स्थिति खुरजा के मालिक हैं ।

२—यह कि वादी के पिता बिहारीलाल का उक्त दूकान पर समय समय पर रुपया जमा होता था और इसी तरह पर उसको इस दूकान से रुपया वसूल भी होता था और वह रुपया प्रतिवादियों की दूकान की बहियों में और वादी के पिता के हिसाब की बही में दर्ज होता रहा और अंतिम बार तिथि.....या तारीख... ..को मुद्दई के पिता और प्रतिवादियों की दूकान में आपस का हिसाब हुआ और मुबलिंग ४६३०॥) रु० प्रतिवादियों ने अपने ऊपर स्वीकार और मन्जूर किये और इस रकम का बहियों में इन्दराज हुआ ।

३—यह कि इसके बाद ८१८) रु० मुद्दई के पिता को कई तारीखों में वसूल हुये ।

४—यह कि फरीकैन के इक्करार से इस रुपये पर व्याज ॥३॥ आने सैकड़े माहवारी लगाया जाता था ।

५—यह कि 'वादी के पिता बिहारीलाल का देहात हो गया । वादी उनका उत्तराधिकारी है, और इस रुपये को वसूल करने का हकदार है और उसने कर्ज का रुपया वसूल करने का सर्टिफिकेट विरासत ले लिया है ।

६—यह कि हिसाब से ४११२॥) रु० असल व ६६६) रु० सूद कुल ४८११॥) रु० निकलते हैं जिनको वादी मृतक बिहारीलाल का वारिस होने के कारण प्रतिवादियों से वसूल करने का हकदार है और यही दावे की मालियत, कोर्टफीस व अदालत के अधिकार के लिये है ।

७—यह कि बिनाय दावा तिथि.....तदनुसार ता०....., आखिरी बकाया निकालने के दिन से अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई है और अदालत को अधिकार मुकदमा सुनने का हासिल है

मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) ४८११) रुपया असल और सूद या जितना भी रुपया वादी के पिता बिहारीलाल का प्रतिवादियों पर निकलता हो सूद सहित वसूल होने के दिन तक, मय नालिश खर्च के वादी को दिलाया जावे ।

(हिसाब का विवरण)

८—वादी के लिये वसूल किया हुआ रुपया

यदि कोई पुरुष कोई ऐसा रुपया वसूल कर लेवे जिसका हकदार कोई अन्य पुरुष हो तो वह वसूलयाबी हकदार मनुष्य के लिये समझी जाती है और वसूल करने वाला व्यक्ति, हकदार मनुष्य को उसको देने का जिम्मेदार होता है।

यदि रुपया अदा करने वाले के किसी कार्य या गलती से ऐसा हुआ हो तो वह अदायगी जायद कहलाती है और उसके नमूने अन्य प्रकरण में दिये जा चुके हैं। यदि ऐसी वसूलयाबी रुपया वसूल करने वाले की गलती या उसके अन्य कार्य से हुई हो जिसका जिम्मेदार रुपया अदा करने वाला न हो, दोनों दाराओं में अधिकारी पुरुष ऐसे रुपये के लिये दावा कर सकता है और उन अर्जीदावों के नमूने इस प्रकरण में दिये गये हैं।

मियाद—ऐसे दावों में कानून मियाद का आर्टीकल ६२ लागू होता है (Art 62 Limitation Act) और मियाद ३ साल की होती है।¹

[नोट—इस सिलसिले में अदायगी जायद की मद में दिये हुए अर्जीदावे और नोट देखने चाहिये। वह ऐसे रुपये के बारे में हैं जो वास्तव में गलती से प्रतिवादी ने वादी के लिये वसूल किया]

(१) बेजा वसूल किये हुये रुपये की वापसी के ढिये

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—मुद्दई मौजा रामनगर तहसील स्याहा में खेती का काम करता है।

२—मुद्दाअलेह उसी मौजे में जमींदार की तरफ से कारिन्दा था और काश्तकारों से लगान वसूल करता था।

३—ता०.....को मुद्दाअलेह ने मुद्दई से यह कहा कि वह जमींदार का कारिन्दा और लगान वसूल करने का हकदार है और मुद्दई ने मुद्दाअलेह के बयान को सही समझ कर रबी सन्फ० का लगान मुत्रलिंग..... रुपया मुद्दाअलेह को अदा कर दिया और मुद्दाअलेह ने उसकी रसीद जमींदार के कारिन्दे की हैसियत में दे दी।

४—इसी लगान के बारे में जमींदार ने मुद्दई के ऊपर अदालत माल में नालिश दायर की। मुद्दई ने लगान की अदायगी का उज्र, मुद्दाअलेह की दी हुई वसूलयाबी की रसीद पर किया, लेकिन अदालत से ता०.....को यह फैसला हुआ कि मुद्दाअलेह

1. I L R 46 Cal 670, P C, 30 All 318, A I R 1927 All. 161, F B

लगान वसूल करने के दिन से करीब ६ महीने पहिले अर्खास्त हो चुका था और उस तारीख पर लगान वसूल करने का हकदार नहीं था, इसलिये जमींदार का दावा मुद्दई के ऊपर डिगरी हो गया ।

५—मुद्दई अदा किये हुए रुपये को मय १) ६० सै० माहवारी सूद व जमींदार की नालिश के खर्चे का जो उसके ऊपर निकला मुद्दाअलेह से पाने का हकदार है ।

६—विनाय दावी ता०.....को रुपया अदा करने के दिन और ता०.....को जमींदार की डिग्री होने के दिन से बमुकाम मौजा रामनगर, अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

७—दावे की मालियत—

(मुद्दई की प्रार्थना :—)

(२)—वसूल किये हुए रुपये को अदा न करने के बारे में

१—मुद्दई और मुद्दाअलेह की एक डिग्री नम्बरी सन् ६० अदालत..... की जो रामसहाय इत्यादि मद्दयूनों के ऊपर मुत्रलिगा ६० . की थी ता० . को अदा होने योग्य हुई ।

२—मुद्दाअलेह ने इस डिग्री को अदालत से जारी कराकर उसका.....६० सूद के साथ मद्दयून डिग्री से ता० .. को वसूल करके अपने काम में लगा लिया ।

३—मुद्दई का हिस्सा डिग्री मज़कूर में एक चौथाई था ।

४—मुद्दाअलेह ने मुद्दई के हिस्से का मतालबा और सूद तकाजा करने पर भी अदा नहीं किया ।

(३)—वेजा वसूल किये हुये रुपये को न अदा करने पर

१—मुद्दई का कर्जा अ... ..ब ...आदमी के ऊपर बज़रिये सादा तमस्तुक ता० का लिखा हुआ था, जो मुद्दई ने फर्जी तौर पर अपने नौकर मुद्दाअलेह के नाम लिखा लिया था ।

२—इस दस्तावेज़ की नालिश मुद्दई के खर्चे से मुद्दाअलेह के नाम में अ...ब... के ऊपर अदालत .. .में दायर हुई और उसके विनाय पर ता० .. को डिग्री नम्बरीसन्अ—ब— के ऊपर सादिर हुई ।

३—मुद्दाअलेह ने वह डिग्री अदालत से जारी कराकर उसका कुल रुपया मु०..... ६० अ—ब— से ता०..... को बदनीयती से स्वयं वसूल करके अपने काम में खर्च कर दिया ।

४—उक्त रुपये का मालिक व वसूल करने का हकदार मुद्दई है । मुद्दाअलेह ने यह रुपया मुद्दई के माँगने पर भी अभी तक अदा नहीं किया ।

६—इस्तेमाल और दखल

(Use and Occupation)

प्रयोग (इस्तेमाल) और दखल के मुआवजे के दावे अंग्रेजी में विशेष नाम से पुकारे जाते हैं। (Compensation for Use and Occupation)

यदि एक व्यक्ति की जायदाद दूसरे व्यक्ति के प्रयोग में हो जो पहिले व्यक्ति के स्वत्व को स्वीकार न करे, तो प्रयोग करने वाला व्यक्ति मालिक को उसके मुआवजे का देनदार होता है। यह परिस्थित बहुधा तब होती है जब प्रयोग कर्ता ने कब्जा व दखल मालिक से लिया हो परन्तु वह दस्तावेज जिसके आधार पर कब्जा दिया गया किसी कानूनी त्रुटि के कारण शहादत में पेश किये जाने योग्य न हो जैसे स्टाम्प की कमी, या रजिस्ट्री न होना इत्यदि। ऐसी दशा में विधान अनुमान करता है कि प्रतिवादी की मनशा उचित किराया देने की थी। उक्तम रीति यह है कि अर्जीदावे में मुद्दे बतौर बदल के वास-लात भी मांगे ताकि यदि प्रतिवादी, वादी के आज्ञा से काबिजा होना अस्वीकार करे तो क्षति-पूर्ति (खिसारे) के बदले वादी को अन्तरभूत लाभ (वासलात) मिल सके।

यह दावे ऐसी दशा में किये जाते हैं जबकि मुद्दाअलेह मुद्दे की आज्ञा से लेकिन बिना किसी इकार के मुद्दे की जायदाद पर काबिजा रहा हो। यदि यह डर हो कि मुद्दाअलेह मुद्दे की आज्ञा से कब्जा करने से इनकार करेगा तो बतौर बदल के दर्यानी मुनाफे का भी दावे में इजहार करना चाहिये। यदि किराये व बेदखली के दावे में किरायेनामा या पट्टा शहादत में न पेश किया जा सके या किरायेदारी की शर्तें साबित न की जा सकें तो अर्जीदावे का संशोधन करा के इस्तेमाल व दखल का दावा किया जा सकता है। इस्तेमाल और दखल के दावे में मुद्दे का मालिक या अधिकारी सिद्ध करना आवश्यक नहीं है बर्यंकि यदि मुद्दाअलेह मुद्दे की आज्ञा से काबिजा हो तो कानून शहादत की धारा ११६ के अनुसार, मुद्दे का मलकियत से इनकार नहीं कर सकता।

मियाद—आर्टिकल ११५ या १२० के अनुसार, जो लागू हो ३ या ६ वर्ष की होती है।

* (१) मुनासिब किराये पर इस्तेमाल और दखल की बाबत

(सिरनामा)

*नोट—यह नमूना जान्ता दीवानी के पहले शिखरूल के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर ६ है।

मुद्दई जो कि मृतक अ—ब—का वसी (निष्ठाकर्ता) है निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दाअल्लेह ने मकान नम्बरवाकै सडक.....उपरोक्त अ—ब—की अनुमति से ता०से ता० तक अपने दखल में रक्खा और उस मकान में रहने के लिये कोई किराया ठीक तय नहीं हुआ था ।

२—उस मकान का उचित किराया मुत्रलिंग.....रुपये होते हैं । मुद्दाअल्लेह ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया ।

३—विनाय दावा

४—दावे की मालियत

५—मुद्दई अ—ब—के वसी की हैसियत से दावा करता है ।

(मुद्दई की प्रार्थना)

* (२) उचित किराये पर उपयोग की बाबत

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :

१—मोटर कंपनी लिमिटेड का मोटरों का कारखाना शहर.....में जारी है और वहाँ से मोटर किराये पर दी जाती हैं ।

२—प्रतिवादी ने उपरोक्त कारखाने की एक मोटर नम्बरी... ..या (अगर दूसरा पता हो तो लिखना उचित है), ता० .. .से० .ता० .. .तक अपने दखल व उपयोग में रक्खा । इस मोटर को उपयोग में रखने के लिये कोई किराया ठीक तय नहीं हुआ था ।

३—मोटर का उचित किराया, उस समय के लिये मु० रुपया होता है ।

४—श्यामलाल मोटर कंपनी लिमिटेड का मैनेजिंग एजेन्ट है और कंपनी के आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन से (कंपनी के नियमों से) नालिश करने का अधिकारी है ।

* नोट—नालिशे जो मालिक और किरायेदार में होती हैं उनके नमूने आगे दूसरे प्रकार में दिये हुये हैं ।

१०—पंचायती फ़ैसले

पंचायत दो तरह से होती है एक जो कि अदालत के बाहर बिला अदालत की मदद से (Without intervention of court) होती है और दूसरी वह है जो किसी दायर हुए मुद्दमा में अदालत की (intervention) सहायता से होती है। पहले तरह की पंचायत से जो फ़ैसला होता है उनका वाकत अदानत में नियमानुसार दावा किया जा सकता है और मुद्दई अपनी प्रार्थना में जो कुछ उसका फ़ैसला से दिलाया गया हां मांग सकता है। दूसरी तरह के पञ्चायती फ़ैसले के अनुसार अदालत डिगरी बना देती है। पञ्चायत की वाकत कानून पहले जाणा दीवानी के परिशिष्ट २ धारा २० (Sch. II Para 20 C. P. C) में दर्ज थे। सन् १९४० में कानून पञ्चायती (Arbitration Act) पास हुआ और पञ्चायती फ़ैसलों के विषय में अब कुछ कानून हमी ऐक्ट में दे दिये गये हैं और (Sch. II C. P. C.) मन्सूख कर दिया गया है। इस ऐक्ट में कानून तमादी के धारा १५८, १५९, १७८ और १७९ में संशोधन हो गया है। नये धारा १५८ कानून मियाद के अनुसार पञ्चायत फ़ैसला अदालत में दाखिल कराने के लिये फ़ैसला करने की नोटस तामील होने के तीन महीना के अन्दर ही जानी चाहिये। पञ्चायती फ़ैसला मन्सूख कराने की दरखास्त फ़ैसला दाखिल होने के ३० दिन के अन्दर ही जा सकता है, पहले इसकी मियाद केवल दस दिन ही थी।

यदि अदालत में दावा दायर किये बिना कोई क्गपदा पंचों के सुपुर्द कर दिया गया हो आर पंचों ने फ़ैसला दे दिया हो तो वादी उसके अनुमरण के लिये नम्बरी नालिश दायर कर सकता है और उसको वही प्रार्थना दावे में करनी चाहिये जो पञ्चायत से उसके हक में निर्णय हुआ हो। परन्तु उत्तन रीति यह होती है कि कोई पक्ष उचित अदालत में दरखास्त दे सकता है कि पञ्चायती फ़ैसला अदालत में दाखिल किया जावे और उसके अनुसार डिगरी तैयार की जावे। ऐसी दरखास्तों पर साधारण दरखास्त के समान स्टाम्प लगता है और वह फ़ैसले के ६ महीने के अन्दर दाखिल हो जानी चाहिये।^१ अदालत को इन दरखास्तों पर यह विचार करना होता है कि डिगरी पञ्चायती फ़ैसले के अनुसार जारी की जा सकती है या नहीं।^२

यदि मुद्दमे के दौरान में अदालत की बिना आज्ञा के फ़ैसले अरने क्गपदे को पंचा के सुपुर्द कर दें और पञ्च अपना फ़ैसला दे दें तब भी

1 A. I. R. 1939 All. 758, 1935 Lab. 134

2. 13 C. W. N. 62

3. Art. 78, Limitation Act

4. I. L. R. 45 All. 628

अदालत फैसले के अनुमार डिगरी तैयार होने का हुक्म दे सकती है।^१ पंचायत के लिये लिखित दरखास्त होनी चाहिये परन्तु दोनों पक्षों की अनुमति से मौखिक प्रार्थना पर भी मगड़ा पंच के सुपुर्द किया जा सकता है।^२ पंचायत के दावों से पक्षों का पंचायत के लिये रजामन्दी, पंचायती फैसले का दिया जाना उससे जो कुछ दावरसी दिलाई गई हों स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये।

मियाद—नम्बरी दावा दायर करने के लिये मियाद ६ जाल की होती है परन्तु यदि दावा प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति का हो सब मियाद केवल ३ वर्ष की होगी।^३

* (१) दावा नक़द रुपया का, जो पंचायती फैसले से
दिल्लिया गया हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.....को वादी और प्रतिवादी में १० कुप्पे तेल की कीमत के विषय में आपस में झगड़ा हुआ जिसको वादी माँगता था और प्रतिवादी देने से हन्कार करता था। दोनों पक्ष इस झगड़े को अ ..व...और क...ख...के पंचायती फैसले पर छोड़ने के लिये राजी हुये। इसका इकरार नामा साथ साथ पेश किया जाता है।

२—ता०.....को उक्त पंचों ने फैसला किया कि प्रतिवादी वादी को.....रुपया अदा करे।

३—प्रतिवादी ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया।

(यहाँ पर फिकरा न० ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

६ वादी का प्रार्थना

(२) पंचायती फैसले के बाबत

(सरनामा)

दुरर निम्नलिखित निवेदन करता है :—

1 Order 23, Rule 3, C P. C.; I L R 51 Bom. 908, F B

2. 20 C W N 137, P C; I L R 30 All 32.

3 Art 120, Limitation Act; Kuldip vs. Mohan Dube, I L R 34 All 43

4 Art 113, Limitation Act

* नोट—यह नमूना ज़ाबता दीवानी के शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) का नम्बर १० है।

१—फरीकैन ने मकानात मुहल्ला मदार दरवाजा शहर बदायूँ में एक दूसरे से मिले हुये हैं ।

२—दोनों मकानों के बीच में एक गली है जिसकी मिलकियत की बाबत फरीकैन में भगड़ा था और जिसमें मुद्दाअलेह ने हाल ही में एक पाखाना बनवा लिया था ।

३—फरीकैन ने ता०..... के इकरारनामा में मु० गुफफारहुसेन वकील को भगड़ा तै करने के लिये पञ्च बनाया और उनको अधिकार दिया कि गली की मिलकियत और मुद्दाअलेह के बनाये हुए पाखाने के हटा देने की बाबत वह जो कुछ फ़ैसला कर देगे वह फरीकैन को कबूल व मजूर होगा और फरीकैन उसके अनुसार काम करेंगे ।

४—उक्त पञ्च ने बाकायदे पञ्चायत की और फरीकैन और उनकी शहादत को सुना और ता०.....को अपना फ़ैसला बाकायदे तैयार करके सुना दिया । पञ्च साहब ने उक्त गली को दोनों फरीकैन की मुश्तर्का मिलकियत करार दिया और मुद्दाअलेह को हुक्म दिया कि वह एक महीने के अन्दर पाखाने को गली के अन्दर से हटा दे ।

५—यह मियाद खतम हो गई और मुद्दाअलेह ने अभी तक पाखाना नहीं हटाया ।

६—बिनाय दावी

७—दावे की मालियत—

मुद्दई प्रार्थना करता है कि मुद्दाअलेह को हुक्म दिया जावे कि वह बनवाये हुए पाखाने को खुदवा देवे वरना अदालत के द्वारा और मुद्दाअलेह के खर्चों से वह गिरवा दिया जावे ।

* (३) पञ्चायत के इकरारनामों के दाखिल कराने के लिये

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—फरीकैन एक कित्ता बाग, आराजी ३ बिस्वा १७ बिस्वान्ती पुख्ता नम्बरी .. वाकै मौजा.....परगना.....के मालिक मुश्तर्का आधे आधे हिस्से के हैं ।

२—उस बाग में तरह २ के फूलदार व फलदार पेड़ हैं और कुछ हिस्से में गुलाब की खेती भी होती है ।

३—फरीकैन में बाग के फल फूल और गुलाब की काश्त के उपयोग के बारे में बहुत दिनों से भगड़ा था ।

* नाट—ऐसे दावे सन् १९४० के Arbitration Act में पहिले Schedule II, rule 17, C. P. C. के अनुसार दाखिल किये जाते थे ।

५—फरीकैन ने भगड़ा मिटाने के लिये ता०.....को पञ्चायती इकरारनामा लिख दिया और उससे (अ) व (ब) को पञ्च और (क) को सरपञ्च इकरारनामे में लिखे हुए अधिकारो के साथ नियत किया । नकल इकरारनामा साथ साथ पेश की जाती है ।

५—अभी तक उक्त सरपञ्च व पञ्चो ने कोई पञ्चायत नहीं की और न पञ्चायती फैसला तय्यार किया ।

६—विनायदावी—

७—दावे की मालियत—

मुद्दई की प्रार्थना है कि ता०.....का इकरारनामा अदालत में दाखिल होने का और उसके अनुसार पञ्चायती कार्रवाई होने का हुकम किया जावे ।

* (४) पञ्चायती फैसला दाखिल होने और उसके अनुसार टिग्री तय्यार होने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—दोनो पक्ष एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य थे और कई प्रकार की जायदाद, ज़मींदारी व सकनी, अर्थात् शहरी, चल संपत्ति जैसे जेवर, नकद रुपया और मवेशी, सवारी इत्यादि के मालिक थे ।

२—दोनो पक्षों में बहुत दिनों से आपस में विरोध था और वह खानदानी जायदाद को आपस में बंटवाना चाहते थे ।

३—ता०के इकरारनामे से फरीकैन ने अ ब को पञ्च मुकर्रर किया । असली पञ्चायती इकरारनामा उक्त पञ्च के पास है उसकी नकल अर्जीदावे के साथ पेश की जाती है ।

४—ता० को उक्त पञ्च ने अपना पञ्चायती फैसला तैय्यार कर दिया और जायदाद का बंटवारा कर दिया । असली पञ्चायती फैसला उक्त पञ्च ने प्रतिवादी के कब्जा में रहने का आदेश दिया है और वह उसके पास है । नकल साथ साथ पेश की जाती है ।

५—विनायदावा ता० को पञ्चायती फैसला तय्यार होने के दिन से अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

६—दावे की मालियत अदालत के अधिकार के लिये, बटवारे से वादी के हिस्से यानी रुपये की है और कोर्टफीस रु० का अदा किया जाता है ।

वादी प्रार्थी है कि ता० का पञ्चायती फैसला अदालत में दाखिल कराया जावे और उसके अनुसार टिग्री तय्यार की जावे ।

२ नोट—एतरे दावे सन् १९४० के Arbitration Act के पहिले Civil Procedure Code के Schedule II, rule 20 के अनुसार दाखिल होते थे ।

११—विदेशी तजवीज़

क्योंकि अभी तक विदेशी वा रियासतों की डिगरियाँ भारतसंघ (Indian Union) की अदालतों में जारी नहीं कराई जा सकती (दफा ४५ आन्ता दीवानों) इसलिये उनके बाबत नम्बरा दावा किया जा सकता है यदि प्रतिवादी भारतसंघ में रहता हो। इन दावों में असली बिनाय दावे का दिखाना आवश्यक नहीं है सिर्फ प्रतिवादी के विरुद्ध तजवीज़ का हाना, और उसका अपनी ज़ुम्मेदारी पूरा न करना, दिखा देना काफी होता है।

मियाद—विदेशी निर्णय की तारीख से मियाद ६ साल की होती है।^१

(१) दावा नक़द रुपया का, विदेशी निर्णय के आधार पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.....को स्थान.....में महकमा.....रियासत.....ने वादी और प्रतिवादी के मुकदमें में जो कि उस विभाग में दायर था, यह फैसला किया कि प्रतिवादी.....रु० वादी को मय सूद ऊपर लिखी तारीख से अदा करे।

२—प्रतिवादी ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया।

(यहाँ पर क्रि.नं. ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

मुद्दई की प्रार्थना—

(२) विदेशी फैसले पर दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.....को मुद्दई ने एक दावा मुद्दाअलेह पर रियासत जैपुर की अदालत हाईकोर्ट में दायर किया।

२—ता०.....को अदालत हाईकोर्ट ने उक्त मुकदमें में मुद्दई का दावा डिग्री किया और हुक्म दिया कि मुद्दाअलेह २०००) रुपये सिक्का रियासत जैपुर मुद्दई को अदा करे।

३—अदालत हाईकोर्ट रियासत जैपुर कानून से स्थापित है और उसका इजलास बाकायदे उक्त रियासत के कानून के मुताबिक होता है और उसको फरीकैन के मुकदमा सुनने व फैसला करने का हक हासिल था।

४—मुद्रालिग २०००) २० सिक्का जैपुरी की कीमत सिक्का सरकारी मे... ..
रुपया होता है ।

(यहाँ पर फिकरा नम्बर ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

५—मुद्दई प्रार्थी है कि उसको . रुपया और खर्चा नालिश व सूद रुपया वसूल होने के दिन तक मुद्दाअलेह से दिलाया जावे ।

१२—जमानत

जमानत दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत, ज्ञाती या शखसी और दूसरी सम्पत्ति या जायदाद की, कभी कभी दोनों प्रकार की पाबन्दी एक ही जमानत में सम्मिलित होती है जिससे प्रतिभू (जामिन) की ज्ञात और जायदाद दोनों जिम्मेदार होती है । इस प्रकरण मे केवल ज्ञाती जमानत के सम्बन्धित अर्जीदावे दिये गये हैं । जहाँ जायदाद की जमानत दी जाती है उसकी नालिश सादा रहन की नालिश के तुल्य होती है जिनके "नीलाम की नालिशों" के प्रकरण में नमूने दिये गये हैं ।

व्यक्तिगत (ज्ञाती) जमानत की नालिश साधारण तमस्तुक की नालिश के प्रकार की होती है परन्तु उसमें जमानत की शर्तें लिखना आवश्यक होता है और यह कि वे घटनायें जिन पर प्रतिभू ने जिम्मेदारी ली थी घट चुकी है और वादी को नालिश करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है । यह भी लिखना चाहिये कि जमानत लिखित थी या मौखिक (जवानी) और हानि का विवरण देना चाहिये ।

साधारणतया ऋणी और प्रतिभू की जिम्मेदारी एक समान होती है, जब कि दोनों के विरुद्ध दावे का कारण एक साथ उत्पन्न हो, और नालिश ऋण देने वाले की इच्छानुसार दोनों पर पृथक २ या एकत्रित करके दायर की जा सकती है, यदि इसक विरुद्ध कोई इकरार न हो ।

यदि प्रतिभू ने किसी मनुष्य की ईमानदारी के लिये जमानत दी हो और उसकी बेईमानी से उसके मालिक की हानि होवे तो ऐसे दावों के सम्बन्ध में कानून मुआहिदा की धारा १२४ से लेकर १४७ तक देख लेनी चाहिये । याद प्रतिभू किसी डिगरी के जारी होने पर उसके रुपये के देने की जिम्मेदारी ले तो ऐसे जामिन के विरुद्ध पृथक नालिश करने की आवश्यकता नहीं होती और दीवानी संग्रह की धारा १४५ के अनुसार डिगरी प्रतिभू के विरुद्ध भी, असली ऋणी के तुल्य जारी कराई जा सकती है और जमानत का रुपया वसूल करने के लिये वह भी डिगरी में फरीक समझा जाता है ।

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य या घटना से भविष्य में हानि न होने का विश्वास दिलावे और हानि हो जाने पर उसकी पूति करने की प्रतिज्ञा करे तो इस तरह का इकरार भी एक प्रकार की जमानत होती है और उसकी नालिश भी अन्य जमानत के दावों की भाँति की जा सकती है।

मियाद—जमानत के लिये मियाद ३ साल की होती है और वह दावे का कारण प्रत्यक्ष होने की तारीख से गिनी जाती है।^१ यदि जमानत किसी रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेज से नियत की गई हो तब मियाद ६ साल की हो जाती है।^२

*** (१) किराये की अदायगी के लिये जामिन के ऊपर नालिश**

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.....को (अ—ब—) ने वादी से..... (समय) के लिये मकान नम्बर.....स्थित सड़क.....मुबलिग रु० वार्षिक पर, जो कि मासिक अदा होना ठहरा था, किराये पर लिया।

२—प्रतिवादी ने उक्त मकान के किराये के मासिक अदा होने के लिये अपनी जमानत की।

३—किराया बावत माह.....सन् जो कि मुबलिगरु० होता है, अदा नहीं किया गया (यदि प्रतिज्ञा-पत्र में जामिन को इतना देना जरूरी हो तो यह और लिखना चाहिये)।

४—ता०.....को वादी ने किराया न अदा होने की सूचना प्रतिवादी को दी और उसके बावत तकाजा भी किया।

५—प्रतिवादी ने किराये का रुपया अभी तक अदा नहीं किया।

६—दावे का कारण :—

७—दावे की मालियत :—

1 Arts 82 and 83, Limitation Act

2 Art 116, Limitation Act

* नोट—यह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिक्म (अ) जगता दीवानी का नमूना नम्बर १२ है।

(२) ऋण की अदायगी के लिये ज़ामिन के ऊपर नालिश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—एक पुरुष, नवीबख्श मुद्दई के १०००) रु० का कर्जदार था और मुद्दई उस पर नालिश करने वाला था ।

२—ता० को इस इकरार के बदले में, कि मुद्दई नवीबख्श को ता०तक कर्ज का रुपया अदा करने की मुहलत दे दे और उस समय तक उस पर नालिश न करे, मुद्दाअलेह ने उसकी जमानत लिख दी और यह इकरार किया कि नवीबख्श के, ऊपर लिखी ता०.....तक कर्ज का रुपया न अदा करने पर स्वयं ता०... ..को यह रुपया अदा करेगा ।

३—मुद्दई ने इस जमानत की वजह से कर्जा का रुपया अदा करने के लिये ता०.तक नवीबख्श को मुहलत दे दी और उस पर नालिश नहीं की ।

४ - नवीबख्श ने कर्ज का मतालवा वादा की हुई तारीख पर अदा नहीं किया और वह रुपया उस पर अभी तक बाकी है ।

५—बिनाय दावा ता०को मुद्दाअलेह के वादा तोड़ने के दिन से स्थान..... में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

६—दावे की मालियत :—

७—(मुद्दई की प्रार्थना)

(३) माल की कीमत के वारे में, ज़ामिन पर नालिश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :--

१—ता०... . को मुद्दई ने २०००) रु० का किराने का सामान, जिसका तफसील नीचे दी हुई है मुद्दाअलेह की जमानत पर, एक पुरुष रामलाल को उधार दिया और मुद्दाअलेह ने, मुद्दई के रामलाल को माल उधार देने पर यह इकरार किया कि अगर रामलाल माल की कीमत अदा न करेगा तो मुद्दाअलेह उसकी कीमत मुद्दई को देगा ।

२—उक्त रामलाल (या मुद्दाअलेह) ने अभी तक माल की कीमत अदा नहीं की ।

३—बिनायदावा माल बेचने के दिन से ता०.....को स्थान....., अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

४—दावे की मालियत --

(मुद्दई की प्रार्थना)

(४) क्लर्क की ईमानदारी के बारे में, ज़ामिन के ऊपर नाज़िश

१—मुद्दई ने ता०... .. को अहमदउल्ला को मुद्दाअलेह की जमानत पर अपना क्लर्क नियत किया और मुद्दाअलेह ने उसी तारीख... .. को एक जमानत नामा लिख दिया जिससे इकरार किया कि अहमदउल्ला के पास जो कुछ रकमे क्लर्क की हैसियत से आवेगी मुद्दई को देता रहेगा और माहवारी खर्च और आमदनी का हिसाब मुद्दई को समझाता रहेगा और यदि अहमदउल्ला ऐसा न करेगा तो मुद्दाअलेह मुवलिग १०००) २० तक उसके चाल चलन का जिम्मेदार रहेगा ।

२—इस इकरार के अनुसार अहमदउल्ला लुः माह तक मुद्दई का नौकर रहा लेकिन उसने न तो कुल वसूल किया हुआ रुपया मुद्दई को अदा किया और न माहवारी हिसाब समझाया ।

३—जहाँ तक मुद्दई मालूम कर सका है नीचे लिखी रकमे अहमदउल्ला ने अदा नहीं की और न उनका कोई हिसाब दिया—

ता०.....	वसूल किया हुआ	२०
”	”	”

मुद्दई का कुल रुपया जो अहमदउल्ला पर बाकी है—

४—मुद्दाअलेह ने यह रुपया तकाजा करने पर भी अदा नहीं किया ।

(५) माल की कीमत के वास्त दोनों, ज़ामिन व देनदार, के ऊपर नाज़िश

१—ता०... ..को प्रतिवादी नम्बर १ ने वादी से प्रार्थना की कि वादी उसके हाथ, उधार माल बेचे ।

३—ता०... ..को प्रतिवादी नम्बर २ ने मुद्दई के पास लिखकर यह तहरीर भेजी और इकरार किया कि यदि वादी प्रतिवादी नम्बर १ को ४००) २० तक माल उधार देवे तो प्रतिवादी नम्बर २ उसका देनदार होगा ।

३—यदि वादी ने लिखी हुई इस तहरीर के अनुसार प्रतिवादी नम्बर १ को मु० ३७५) २० का किराने का माल (नीचे लिखे हुए विवरण के अनुसार) उधार बेच डाला ।

४—दोनों प्रतिवादियों ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया ।

* (६) एक ज़ामिन की दूसरे ज़ामिन पर, अपने हिस्से का रुपया वसूल करने के लिये नालिश

(सिरनामा)

१—ता० .. को एक रजिस्ट्रीयुक्त लगन-पत्र (जमानतनामा) लिखा गया जिससे वादी और प्रतिवादी सयुक्त रूप में और पृथक-पृथक ३०००) २० तक एक पुरुष राहतअली के जो उस समय शाहजहाँपुर म्युनिसिपैलटी में खजॉची के पद पर नौकर था, जामिन हुये कि उक्त राहतअली अपना खजॉची का काम नेक नीयती और इमानदारी के साथ करेगा ।

२—राहतअली ने वेइमानी की और म्युनिसिपैलटी का बहुत सा रुपया गवन कर गया जिसकी वजह से शाहजहाँपुर की म्युनिसिपैलटी ने वादी के ऊपर दावा करके डिग्री हासिल करली और उसका कुल रुपया मय खर्चा वादी से वसूल कर लिया ।

३—प्रतिवादी इस मतालवे के आधे हिस्से का जुम्मेदार है जो उसने अदा नहीं किया ।

† (७) क्लर्क की ईमानदारी के लिये ज़ामिन के इकरार नामों पर नालिश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता० को मुद्दई ने (अ—ब—) को क्लर्क की हैसियत से नौकर रक्खा ।

२—ता० . . को मुद्दाअलेह ने मुद्दई से इकरार किया था कि अगर (अ—ब—) क्लर्क के पद का अपना काम ईमानदारी से न करे और कुल रुपया या कर्ज के दस्तावेज या और किसी माल की बाबत जो मुद्दई के इस्तेमाल के लिये मिले, उसका हिसाब न दे सके, तो जो कुछ नुकसान उमकी वजह से मुद्दई को हो, उसके बारे में मुद्दाअलेह मुआवजा, अदा करेगा किन्तु यह रुपया मुवलिया .. २० से ज्यादा किसी हालत में न होगा ।

या २—मुद्दाअलेह ने मुद्दई से इकरार किया था कि वह मुद्दई को .. २० वतौर जुमाना देगा लेकिन इस शर्त पर कि अगर (अ—ब—) अपने क्लर्क व खजॉची

* नोट — यदि दावा दोनों फरीकैन के ऊपर दायर करके डिग्री प्राप्त की गई हो और कुछ रुपया एक ने अदा किया हो तो उसका दावा भी इसी प्रकार का होगा परन्तु कुछ आवश्यक शर्त बदले जायेंगे ।

† नोट — यह नमूना शिडयूल ४ अपेन्डिक्स (अ) जाप्ना दीवानी का नम्बर ६८ है ।

के पद पर नेक नियती व ईमानदारी से काम करे और सब रुपया, दस्तावेज और माल बगैरह का, जो मुद्दई के लिये उसके पास अमानत में आवे ठीक ठीक हिसाब मुद्दई को दे दे तो यह इकरारनामा रद्द हो जावेगा ।

या २—.....उसी तारीख में मुद्दाअलेह ने मुद्दई को इकरार नामा लिख दिया जो इसके साथ पेश किया जाता है ।

३—ता०और ता०को (अ—ब—) ने.....रु० और अन्य सामान जो कुल... ..रु० का होता है मुद्दई के लिये बमूल किया लेकिन उसका हिसाब उसने नहीं दिया और उस पर अब तक... ..रु० बाकी है और वह हिसाब का देनदार है ।

१३—प्रतिज्ञा और उसका भंग होना

केवल विशेष प्रतिज्ञायें ऐसी होती हैं जिनके भंग होने पर अदालत से उस प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति कराई जा सकती है अधिकांश प्रतिज्ञाओं के भंग होने पर वादी हर्जा माँग सकता है । इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थिति ऐसी भी होती हैं जहाँ पर प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति नहीं कराई जा सकती परन्तु प्रतिज्ञा के विरुद्ध कार्य करने से प्रतिवादी रोक जा सकता है ।

चल सम्पत्ति के सम्बन्धित प्रतिज्ञा भंग होने पर प्रायः हानि ही दिलाई जाती है और अचल सम्पत्ति सम्बन्धित प्रतिज्ञाओं के भंग होने पर साधारण-तथा विशेष पूर्ति कराई जाती है । जहाँ किसी प्रतिज्ञा की पूर्ति किसी पुरुष के व्यक्तिगत कार्य पर निर्भर हो तो ऐसे पुरुष के प्रतिज्ञा भंग करने पर उसके ऐसे कार्य करने से अदालत मनाही का हुक्म दे कर रोक सकती है । जो व्यक्ति प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति का अधिकारी हो, वह अपनी इच्छानुसार केवल हर्जे का ही दावा कर सकता है । इस प्रकरण में केवल वह अर्जीदावे दिये गये हैं जहाँ पर हर्जा माँगा जावे । प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति और मनाही के हुक्म के लिये दावों के नमूने उचित प्रकरण में आगे दिये जावेंगे ।

यदि दावा प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति का हो वहाँ पर वादी उसी बिनाय पर हरजाने के लिये दूसरा दावा नहीं ला सकता, इस लिये इन मुकदमों में विकल्प में (बतौर बदल के in the alternative) हरजाने की प्रार्थना कर देनी चाहिये ताकि यदि अदालत विशेष पूर्ति का फैसला न भी करे तो हरजाना मिल सके ।

अर्जीदावे में प्रतिज्ञा का किया जाना, और वादी का अपने भाग की प्रतिज्ञा पूर्ति करना, या पूर्ति के लिये तत्पर (प्रस्तुत) और रजामन्द होना, और प्रतिवादी

का प्रतिज्ञा भंग करना दिखाना चाहिये । वादी को अपनी रजामन्दी दिखाने के लिये वह सब घटनाँ जिनसे उसकी तत्परता प्रगट हो लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि यह प्रमाण में पेश की जा सकता है । यदि प्रतिज्ञा का नियत समय के अन्दर पूरा होना आवश्यक था तो यह भी लिखना चाहिये और यदि कोई समय नियत नहीं किया गया था तो वादी का उचित समय के अन्दर उनको पूरा करने को तय्यार रहना और प्रतिवादी से उसकी पूर्ति के लिये कहना, दिखाना चाहिये । यदि प्रतिवादी ने मुआहिदा पूरा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है या जायदाद किसी और व्यक्ति को बेच कर उसको पूरा न करने की इच्छा प्रकट की है तो वादी को अपनी तय्यारी और रजामन्दी दिखाना जरूरी नहीं है । हरजाने के दावे में, खर्चा जो कि इकरारनामें की तय्यारी में हुआ हो और रुपये का सुद भी दावे में जोड़ा जा सकता है और वह घटनाँ जिनसे हर्जे का रुपया नियत हो अर्जीदावे में लिखना चाहिये । (इसी खिलासले में "माल की कीमत" के प्रकरण का नोट पृष्ठ १११ पर भी पढ़ना चाहिये) ।

मियाद—प्रतिज्ञा भंग होने पर हर्जे के दावे में मियाद ३ साल की होती है । यदि लिखित और रजिस्ट्री प्रतिज्ञा हो तब मियाद ६ साल की होती है ।

* (१) जमीन खरीदारी की प्रतिज्ञा भंग करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०... ..को वादी और प्रतिवादी ने एक इकरारनामा लिखा जो अर्जीदावे के साथ दाखिल है ।

या १—ता०.....को वादी और प्रतिवादी ने आपस में यह इकरार किया कि वादी प्रतिवादी के हाथ ४० बीघे जमीन . . (स्थान) में स्थिति है... ..रु० बेच देगा और प्रतिवादी उसको वादी में क्रय करेगा ।

२—यह कि ता०... ..स्थानमें वादी ने जो कि उस समय बिना किसी के सामने के उस जायदाद का अकेला मालिक था, (और जैसा कि प्रतिवादी को बतला दिया गया था वह सम्पत्ति सब जिम्मेदारियों और भार रहित थी) प्रतिवादी को उस जायदादका एक विक्रय-पत्र इस शर्त पर देने के लिये उपस्थित किया कि प्रतिवादी उसकी कीमत का रुपया अदा करे ।

1 A I R 1928 Lah. 20, 111 I C 4'8

2 I L R. 54 Cal. 97, 99 I C 244

* नोट—यह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिकर (अ) जाप्ता दीवानी का नमूना न० १३ है ।

के पद पर नेक नियती व ईमानदारी से काम करे और सब रुपया, दस्तावेज और माल वगैरह का, जो मुद्दई के लिये उसके पास अमानत में आवे ठीक ठीक हिसाब मुद्दई को दे दे तो यह इकरारनामा रद्द हो जावेगा ।

या २—.....उसी तारीख में मुद्दाअलेह ने मुद्दई को इकरार नामा लिख दिया जो इसके साथ पेश किया जाता है ।

३—ता०.....और ता०.को (अ—ब—) नेरु० और अन्य सामान जो कुल... ..रु० का होता है मुद्दई के लिये वगल किया लेकिन उसका हिसाब उसने नहीं दिया और उस पर अब तकरु० बाकी है और वह हिसाब का देनदार है ।

१३—प्रतिज्ञा और उसका भंग होना

केवल विशेष प्रतिज्ञायें ऐसी होती हैं जिनके भंग होने पर अदालत से उस प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति कराई जा सकती है अधिकांश प्रतिज्ञाओं के भंग होने पर वादी हर्जा माँग सकता है । इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थिति ऐसी भी होती हैं जहाँ पर प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति नहीं कराई जा सकती परन्तु प्रतिज्ञा के विरुद्ध कार्य करने से प्रतिवादी रोक जा सकता है ।

चल सम्पत्ति के सम्बन्धित प्रतिज्ञा भंग होने पर प्रायः हानि ही दिलाई जाती है और अचल सम्पत्ति सम्बन्धित प्रतिज्ञाओं के भंग होने पर साधारण-तथा विशेष पूर्ति कराई जाती है । जहाँ किसी प्रतिज्ञा की पूर्ति किसी पुरुष के व्यक्तिगत कार्य पर निर्भर हो तो ऐसे पुरुष के प्रतिज्ञा भंग करने पर उसके ऐसे कार्य करने से अदालत मनाही का हुक्म दे कर रोक सकती है । जो व्यक्ति प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति का अधिकारी हो, वह अपनी इच्छानुसार केवल हर्जे का ही दावा कर सकता है । इस प्रकरण में केवल वह अर्जीदावे दिये गये हैं जहाँ पर हर्जा माँगा जावे । प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति और मनाही के हुक्म के लिये दावों के नमूने उचित प्रकरण में आगे दिये जावेंगे ।

यदि दावा प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति का हो वहाँ पर वादी उसी बिनाय पर हरजाने के लिये दूसरा दावा नहीं ला सकता, इस लिये इन मुकदमों में विकल्प में (बतौर बदल के in the alternative) हरजाने की प्रार्थना कर देनी चाहिये ताकि यदि अदालत विशेष पूर्ति का फैसला न भी करे तो हरजाना मिल सके ।

अर्जीदावे में प्रतिज्ञा का किया जाना, और वादी का अपने भाग की प्रतिज्ञा पूर्ति करना, या पूर्ति के लिये तत्पर (प्रस्तुत) और राजामन्द होना, और प्रतिवादी

का प्रतिज्ञा भंग करना दिखाना चाहिये ।¹ वादी को अपनी रजामन्दी दिखाने के लिये वह सब घटनाएँ जिनसे उसकी तत्परता प्रगट हो लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि यह प्रमाण में पेश की जा सकता है । यदि प्रतिज्ञा का नियत समय के अन्दर पूरा होना आवश्यक था तो यह भी लिखना चाहिये और यदि कोई समय नियत नहीं किया गया था तो वादी का उचित समय के अन्दर उनको पूरा करने का तय्यार रहना और प्रतिवादी से उसकी पूर्ति के लिये कहना, दिखाना चाहिये । यदि प्रतिवादी ने मुआहिदा पूरा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है या जायदाद किसी और व्यक्ति को बेच कर उसके पूरा करने की इच्छा प्रकट की है तो वादी को अपनी तय्यारी और रजामन्दी दिखाना जरूरी नहीं है । हरजाने के दावे में, खर्चा जो कि इकरारनामों की तय्यारी में हुआ हो और रुपये का सूद भी दावे में जोड़ा जा सकता है और वह घटनाएँ जिनसे हर्जे का रूपया नियत हो अर्जीदावे में लिखना चाहिये ।² (इसी सिलासले में "माल की कीमत" के प्रकरण का नोट पृष्ठ १११ पर भी पढ़ना चाहिये) ।

मियाद—प्रतिज्ञा भंग होने पर हर्जे के दावे में मियाद ३ साल की होती है । यदि लिखित और रजिस्ट्री प्रतिज्ञा हो तब मियाद ६ साल की होती है ।

*(१) जमीन खरीदारी की प्रतिज्ञा भंग करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०... . को वादी और प्रतिवादी ने एक इकरारनामा लिखा जो अर्जीदावे के साथ दाखिल है ।

या १—ता०.....को वादी और प्रतिवादी ने आपस में यह इकरार किया कि वादी प्रतिवादी के हाथ ४० बीघे जमीन . . (स्थान) में स्थिति है... ..रु० बेच देगा और प्रतिवादी उसको वादी में क्रय करेगा ।

२—यह कि ता०... . स्थान.....में वादी ने जो कि उस समय बिना किसी के नामों के उस जायदाद का अकेला मालिक था, (और जैसा कि प्रतिवादी को बतला दिया गया था वह सम्पत्ति सब जिम्मेदारियों और भार रहित थी) प्रतिवादी को उस जायदादका एक विक्रय-पत्र इस शर्त पर देने के लिये उपस्थित किया कि प्रतिवादी उसकी कीमत का रूपया अदा करे ।

1 A I R 1928 Lab 20, 111 I C 48

2 I L R. 54 Cal. 97, 99 I C 244

* नोट—यह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिकस (अ) जाप्ता दीवानी का नमूना न० १३ है ।

या २—वादी प्रतिवादी के नाम त्रैनामा या विक्री पत्र लिखने के लिये राजी था और अब भी राजी है ।

३—यह कि प्रतिवादी ने कीमत का रुपया अभी तक अदा नहीं किया ।

४—दावे का कारण—

५—दावे की मालियत -

वादी की प्रार्थना ।

(२) ज़मीन खरीदारी की प्रतिज्ञा भंग करने पर

१— ता०.....को एक इकरार नामे से मुद्दाअलेह ने एक मजिल मकान वाकै (यहाँ पर कुल तफसील देना चाहिये) तीन हजार रुपये को मुद्दई के हाथो बेचने का मुआहिदा किया जिसमें से ५००) रुपया उसी समय बयाना के रूप में मुद्दई ने मुद्दाअलेह को दे दिया और शेष रुपया ता० . . . को त्रैनामा के लिखे व रजिस्ट्री होने के दिन अदा होना करार पाया ।

२ मुद्दई फौज में नौकर है और उसकी छुट्टी ता० . . .को खतम होती थी इस वास्ते उसने ता०..... त्रैनामे की रजिस्ट्री व लिखे जाने के लिये नियत की थी ।

३ —मुद्दई हर समय बकाया रुपया अदा करने को तय्यार रहा लेकिन मुद्दाअलेह ने त्रैनामे की रजिस्ट्री नियत ता०... ..को नहीं होने दी ।

४—उस तारीख के पश्चात मुद्दई ने मुद्दाअलेह को नोटिस दिया कि वह एक हफ्ते के अन्दर त्रैनामे को तहरीर व रजिस्ट्री करदेवे लेकिन मुद्दाअलेह ने इस पर ध्यान नहीं दिया ।

५—मुद्दाअलेह के मुआहिदा तोडने की वजह से मुद्दई त्रैनामे का रुपया व बकाया रुपया (जो उसने देने के लिये इकट्ठा किया था), के उपयोग में वञ्चित रहा और रजिस्ट्री वगैरह की पूँछ ताँल में जो रुपया खर्च हुआ उसकी तफसील नीचे दी जाती है

१ — बयाने का रु० ५००)

२—व्याज बयाने पर रु०—

कुल जोड . रु०

३—बकाया रुपया पर सूद—

४—रजिस्ट्री का खर्च—

* (३) बेचे हुए माल को हवाला न करने पर नाजिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

* नोट—यह नमूना शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ) जागता दीवानी का नमूना नम्बर १४ है ।

१—ता० . . . को वादी और प्रतिवादी ने आपस में इकरार किया कि प्रतिवादी ता०.....को आटे के १०० बोरे वादी के हवाले करे और वादी उसी समय उनकी क्रीमत.....६० अदा करे ।

२- उस तारीख को माल को खानगी पर वादी यह रुपया प्रतिवादी को देने को तैयार था और उसने उसके देने को और माल लेने को प्रतिवादी से कहा था ।

३—प्रतिवादी ने माल वादी के हवाले नहीं किया जिसकी वजह से वादी को बर लाभ नहीं हुआ जो कि उसको माल मिल जाने पर होता ।

४—दावे की मालियत -

५—बिनाय दावी -

(वादी की प्रार्थना)

(४) बिक्री किये हुए माल को हवाला न करने पर

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है : -

१—स्थान हाथरस में.....(तिथि या तारीख) को मुद्दाअलेह ने १५१ मन रुई ६३) ६० फी मन के हिसाब से मुद्दई के हाथ बेची और माल के देने का वाइदा मित्ती.....तक का किया सफेद रुई १५ फी मन देना ठहरा और बीज (बीया) ५ ई सेर फी मन का ठहरा और तौल बाज़ारू भाव फी मन के बजाय नौषड़ी फी मन का ठहरा ।

२—मुद्दई ने मुद्दाअलेह को बयाना के तौर पर ११) ६० अदा किया और क्रीमत माल देने के वक्त अदा करना तै हुआ ।

३—रुई का भाव दिन प्रति दिन चढ़ता गया और मित्ती.....तदनुसार तारीख.....को भाव २५) ६० फी मन का हो गया । मुद्दाअलेह ने मुद्दई के बार बार कहने और समय पूरा हो जाने पर भी माल नहीं तौला ।

४—मुद्दई को मुद्दाअलेह के माल न डिलीवर करने से वह लाभ प्राप्त नहीं हो सका जो मुद्दाअलेह के माल दे देने से होता ।

५—मुद्दई भगड़े को निपटाने के लिये इकरार में २५) ६० फी मन के भाव के बजाय २५) ६० फी मन के नुकसान का दावीदार है ।

६—बिनाय दावा तारीख. . . .वाइदा होने के दिन में स्थान हाथरस में पैदा हुई ।

७—दावे की मालियत १४००) ६० है ।

८—मुद्दई प्रार्थना करता है कि दावा दिला पाने मुबल्लिग १४००) ६० असल व

सूद, नीचे लिखे हिसाब से मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व भविष्य में रुपया वसूल होने के दिन तक मुद्दाअलेह के ऊपर डिग्री किया जावे ।

(हिसाब का विवरण)

(५) बेचे हुए माल की विलीवरी न मिलने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं :—

१—उक्त दोनो पक्ष अनाज, रुई व तिनौले का व्यापार नगर अलीगढ़ में करते हैं ।

२—प्रतिवादियो ने वादियो से तारीख .. . को ५०० मन तिनौला प्रति रुपया २६ सेर डेढ़ पाव (॥५६।=) के हिसाब से क्रय किया पैसा ६० तुलाई देने की प्रतिज्ञा की और वादा किया कि तिनौले प्रतिज्ञा की ता० से १५ दिन पीछे तौल कराये जावे, यही इकरार लिख कर प्रतिवादियो ने वादियो को दे दिया ।

३—तिनौले का भाव बाद को मदा हो गया इसलिये वादियों के बार बार कहने पर भी प्रतिवादियो ने अपने वाइदे के अनुसार तिनौला नहीं तौला ।

या अंत में ता०.....को वादियो ने प्रतिवादियो को नोटिस दिया कि चार दिन के अन्दर तिनौले तुलवा देवे लेकिन उन्होने तिनौला नहीं तौलाया और जवाब में एक गलत नोटिस वादियो को दे दिया ।

४—वादियो ने विवश होकर बाजार भाव से तिनौला ता०.....को २८ सेर प्रति रुपये के हिसाब से बेच दिया और इस प्रकार से वादी की ७६०) ६० की हानि प्रतिवादियों के वाइदा तोड़ने से हुई ।

५—वादी हकदार हैं कि उनको ७६०) ६० मय सूद ॥) सैंकडा मासिक प्रतिवादियो से दिलाया जावे ।

६ तिनौला दावा तिनौला बेचने की तारीख से अदालत के अधिकार के अन्दर पैदा हुई और वह वाइदा तोड़ने के दिन से आरम्भ हुई ।
वादी प्रार्थी हैं :—

(अ) कि ७६०) ६० हजे का दावा मय सूद दौरान व आशदा वसूल होने के दिन तक प्रतिवादियों के ऊपर डिग्री किया जावे ।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे ।

(क) अन्य दादरसी जो अदास्त उचित समझे वादियो के हक में सादिर करे ।

(६) माल हवाला करने के मुआहिदा तोड़ने पर हरजे की नालिश

१—तारीख... माह.....सन्.....को मुद्दाअलेह ने २०० बोरे गेहूँ वजनी ४०० मन १०) ६० फी मन के हिसाब से मुद्दई के हाथ वेचे और एक महीने के अन्दर उनको हवाले करने का वायदा किया और यह मुआहदा तहरीर कर दिया ।

२—मुद्दई ने यह गेहूँ .जैसा कि मुद्दाअलेह को अच्छी तरह से मालूम था रेलीब्रादर्स को मुआहदे से ४० दिन के अन्दर सपलाई करने के वास्ते खरीद किया था और रेलीब्रादर्स से १५) ६० फी मन का भाव ठहरा था ।

३—मुद्दाअलेह ने यह माल मुद्दई के हवाले नहीं किया और ता०..... को मुद्दई के बार बार कहने पर हवाला करने से इनकार कर दिया ।

४—मुद्दाअलेह के वादा तोड़ने की वजह से मुद्दई को वह लाभ नहीं मिला जो उसको रेलीब्रादर्स को माल देने से होता ।

५—मुद्दाअलेह के वादा तोड़ने से मुद्दई का नीचे लिखा हुआ नुकसान हुआ (जैसे ५) ६० फी मन के हिसाब से ४०० मन पर नुकसान २०००) ६० हुआ) ।

*(७) नौकर रखने का मुआहिदा तोड़ने पर नालिश

१—ता० .. .को वादी और प्रतिवादी में यह इकरार हुआ कि वादी (एकाउन्टेड फोरमैन, क्लर्क, सुनीम, मोटरड्राइवर या नौकर) की हैसियत से प्रतिवादी की नौकरी (एक वर्ष) तक करेगा और प्रतिवादी उसको.....रुपया मासिक वेतन दिया करेगा ।

२—ता०... ..को वादी प्रतिवादी का नौकर हुआ और जब से नौकर है और साल के अन्त तक उसी नौकरी पर रहने के लिये राजी है और यह प्रतिवादी को अच्छी तरह मालूम है ।

३—ता०.....को प्रतिवादी ने वादी को बिना किसी कारण के नौकरी से हटा दिया और वेतन देने से भी इनकार कर दिया ।

(८) नौकरी करने का मुआहिदा तोड़ने पर नालिश

१—मुद्दाअलेह लोहे के इमारती सामान तय्यार करने का काम बाजार कर्नेल ग० बानपुर में करता है ।

* नोट—यह नमूना शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ) जाप्ता दीवानी का नम्बर १५ है ।

। नोट—यदि इकरारनामों में फिकरा नं० ४ में लिखी हुई शर्त न हो तो मुद्दई नौकरी से निकाले जाने पर हरजे की नालिश कर सकता है । और यदि फरीकैन में यह शर्त हो कि नौकरी से निकालने पर कोई नोटिस दिया जावे तो इसी नमूने के फिकरा नम्बर ४ में यह और लिखना चाहिये, "नौकरी से निकालने के पहिले मुद्दाअलेह मुद्दई को एक महीने का नोटिस देगा"।

२—मुद्दाअल्लेह ने १५ जौलाई सन् १९३५ ई० को 'इक्करारनामा लिख दिया जिससे मुद्दई को अपने कारखाने का तीन साल के लिये, १ अगस्त सन् १९...ई० से २५०) रु० मा० वेतन पर मैनेजर नियत किया ।

३—मुद्दई उसी तारीख से मैनेजरी का कार्य ईमानदारी के साथ करता रहा । ता० १७ मई सन् १९३६ ई० को मुद्दाअल्लेह ने मुद्दई को अनुचित रूप से नौकरी में निफाल दिया और नौकर रखने से इनकार किया ।

४—दोनों फरीकैन में शर्त यह थी कि अगर मुद्दाअल्लेह बेजा तौर पर मुद्दई को नौकरी से निफाले तो वह पूरे ३ साल की तनख्वाह का देनदार होगा ।

* (९) इसी प्रकार का दूसरा दावा

१—ता०.....वादी और प्रतिवादी में यह इक्करार हुआ कि वादी.....रु० साल पर प्रतिवादी को नौकर रखेगा और प्रतिवादी नक्काश की हैमियत में वादी की एक वर्ष तक नौकरी करेगा ।

२—वादी अपनी तरफ से इक्करार पूरा होने के लिये सब कुछ करने को तैयार है और ता०.....को उसने यह बात प्रतिवादी से कही भी थी ।

३—प्रतिवादी ने ता०.....से वादी की नौकरी करना शुरू की लेकिन ता०..... से उसने वादी की नौकरी करने से इनकार कर दिया ।

† (१०) मज़दूर के काम बिगाड़ने पर नाबिश्

१—ता०.....को वादी और प्रतिवादी के मध्य आपस में एक प्रतिज्ञापत्र लिखा गया जो साथ साथ पेश किया जाता है (या उसका तात्पर्य यह था) ।

२—वादी ने अपनी ओर से प्रतिज्ञापत्र की सब शर्तें पूरी कीं ।

३—प्रतिवादी ने जो राजगीर था प्रतिज्ञापत्र में दिया हुआ मकान अनुचित प्रकार से और फारीगरी के विरुद्ध बनाया । वादी को यह हानि हुई

(यहाँ पर हानि का विवरण देना चाहिये)

* नोट—यह ज़ास्ता दीवानी के शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर १६ है ।

† नोट—यह ज़ास्ता दीवानी के शि०१ अपेन्डिक्स (अ) का नमूना न० ७१ है ।

१४—प्रिन्सिपल और एजेन्ट

शब्द एजेन्ट की परिभाषा में कागिम्दा, मुख्तार आस या मुख्तार खास, आवृ-
तिया और वे सब व्यक्ति जो दूसरे पुरुष के लिये कोई कार्य करें सम्मिलित होते
हैं। साधारण प्रकार से एजेन्ट अपने प्रिन्सिपल से कमीशन इत्यादि पाता है परन्तु
एजेन्ट की सम्बन्ध उत्पन्न करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसके
प्रिन्सिपल की ओर से कोई प्रत्युत्तर दिया जावे और एक मित्र या कोई
कुटुम्बी भी किसी विशेष कार्य के लिये असली मालिक का एजेन्ट मान लिया
जाता है।

इन मुकदमों में प्रिन्सिपल और एजेन्ट का सम्बन्ध आपस में कब उत्पन्न
हुआ, एजेन्ट की जरूरी शर्तें और किसी प्रतिज्ञा या कानूनी शर्तों का तोड़ना,
जिसमें दावे का कारण उत्पन्न हुआ हो अर्थात् दावे में लिखना चाहिये। प्रिन्सिपल
ए एजेन्ट के एक दूसरे के साथ आपस में क्या कर्तव्य हैं और जिनके उल्लंघन
करने में बिनाय दावा पैदा होना है वह धारा २११ से २२५ तक कानून मुआहिदा
में दिये हुये हैं।¹

मियाद—जहाँ एजेन्ट ने प्रिन्सिपल की ओर से रुपया अदा किया हो
कानून मियाद के आर्टिकल ६१ के अनुसार दावा ३ साल के अन्दर दायर होना
चाहिये। यदि प्रिन्सिपल एजेन्ट के विरुद्ध अचल सम्पत्ति के निश्चत दावा दायर करे
तो आर्टिकल ८३ के अनुसार ३ वर्ष और यदि एजेन्ट की लापरवाही या बेईमानी
से हानि हुई हो तो आर्टिकल ६० के अनुसार सूचना की तारीख से ३ साल।

(१) हिसाब के लिये प्रिन्सिपल की एजेन्ट पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—यह कि ता०.....के प्रतिवादी ने एक इकरारनामा लिखा जिससे उसने
प्रतिज्ञा की कि वह वादी के एजेन्ट की हैसियत से उसके कारखाने के बने हुए ताले
इत्यादि कमीशन पर वेचेगा और वादी के माँगने पर ठीक ठीक हिसाब उस को देता
रहेगा और जो रुपया माल वेचने से वसूल होगा वह भी हिसाब के साथ साथ देता रहेगा।

२—यह कि ता०.....माह.....सन्.....ई० से लेकर ता०.....माह
.....सन्.....ई० तक प्रतिवादी ने वादी के एजेन्ट की हैसियत से उसके कारखाने के बने
हुए ताले इत्यादि वेचे। विप्रे हुए माल की ठीक ठीक संख्या और उनकी क्वांटि जो
प्रतिवादी ने वसूल की वादी को मालूम नहीं है।

1 Sec 185 Contract Act ; I. L. R. 22 Bom 754 , 20 All 497

२—दोनों फरीकैन में तारीख को स्थान हाथरस में एजेन्सी का इकरार हुआ ।

३—आढत की दर प्रतिवादियों के क्रय विक्रय पर [२] आना १० और आपसी सूद [३] सैकड़ा मा० की दर से लेना देना करार पाया ।

४ - वादी ने माल की खरीद व विक्री प्रतिवादियों की बम्बई की दूकान पर पक्की आढत में तारीख.....ई० से शुरू की और अपना माल रई व कपास हाथरस व कोसी या इटावे में तैयार किया हुआ विक्री के लिये प्रतिवादियों की दूकान पर भेजता रहा ।

५ - इस काम का सिलसिला तिथि.....या तारीख.....तक चलता रहा और इस समय में लाखों रुपये के माल व नकद रुपया का आना जाना रहा ।

६ - प्रतिवादी, बार बार कहने पर भी ठीक हिसाब नहीं देते और न वादी का बाकी और सूद अदा करते हैं ।

७ - प्रतिवादियों ने कुछ हिसाब वादी के पास भेजे हैं जिनमें आढत, पिंजरा पोल, धर्मखाता व रेल के बीमे की रकमें गलती से वादी के नाम लिख दी हैं और नमूना का माल कम दर से लगाया गया है और तौल में बहुत कमी दिखाई गई है । वादी के माल विक्री होने का भाव कम और खरीदारी का भाव अधिक लिख दिया है ।

८ - वादी का हिसाब करके बहुत सा रुपया प्रतिवादी पर निकलेगा, लेकिन उसकी ठीक तादाद बिना हिसाब के मालूम नहीं हो सकती और यह सब हिसाब प्रतिवादियों के कब्जे में हैं और वह कमीशन एजेन्ट की हैसियत से हिसाब समझाने और वादी के रुपया के अदा करने का देनदार व जिम्मेदार है ।

९ वादी इस समय दावे की मालियत (११०००) रु० करता है और उस पर कोर्ट फीस अदा करता है । हिसाब से जितना रुपया निकलेगा उस पर अधिक कोर्ट फीस लगा दी जायेगी ।

१० - एजेन्सी का इकरार स्थान हाथरस में हुआ था और प्रतिवादी कमीशन एजेन्ट की हैसियत से वादी के रहने के स्थान हाथरस में हिसाब समझाने के जिम्मेदार हैं । प्रतिवादी भी हाथरस के रहने वाले हैं इसलिये अदालत को दावा सुनने का अधिकार प्राप्त है ।

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) प्रतिवादियों को हुकम हो कि वह वादी को उसके माल की ता० मे ता० तक खरीद व विक्री का ठीक ठीक हिसाब समझा देवे ।

(ब) हिसाब से वादी का जो कुछ रुपया निकलता हो उसकी डिगरी नालिश के खर्च व सूद के साथ प्रतिवादियों पर की जावे ।

(५) वहीखाते के आधार पर आढत की बकाया के बाबत दावा

(सिरनामा)

वादी नीचे लिखा निवेदन करते हैं : -

१ - प्रतिवादी व्यापार का कारोबार हरगोविन्द दुर्लभदास के नाम से करते हैं ।

२ वादियों की दूकान बसतलाल हीरालाल हाथरस, की आढत में प्रतिवादी माल खरीदा करते थे और उसकी कीमत हुन्डी व नोट आदि से देते रहते थे ।

३ - प्रतिवादी के खाते में सूद ॥॥ आ० सैकडा मासिक की दर से लगाया जाता था और आढत, माल की कीमत पर ॥॥ आ० सैकडा की थी ।

४ - माल की खरीदारी और रुपये का देन लेन मुद्दइयान की दूकान के वही खातो में जो कि महाजनी में, नियमानुसार रखे जाते हैं ठीक-ठीक लिखा जाता है ।

५ - प्रतिवादी का खाता तिथि या तारीख.....से शुरू हुआ और तिथि या तारीखतक चलता रहा । इस समय में १३८८४)र० प्रतिवादी के नाम और १२३४७॥॥॥ उनके जमा हुये । मु० १५३६३)॥ खाते में बाकी रहे और ता०.....से आज तक का सूद ६०॥॥), २२॥॥३) दूकान का किराया ॥॥॥ नोटिस का खर्च कुल १६५०) प्रतिवादी के ऊपर बाकी है । वादी की दूकान के वही खाते की नकल अर्जी दावे के साथ-साथ पेश की जाती है ।

६ - प्रतिवादी ने कुछ बाजरा वादी की आढत में खरीद किया था वह भाव सस्ता हो जाने के कारण हाथरस रहने दिया और बाद को स्थान सेहौर मगा लिया और कुछ बाजरा बाकी रह गया वह अभी तक हाथरस में मौजूद है उसके देने में वादी को एतराज नहीं है ।

७ - प्रतिवादी वादी का रुपया बार-बार माँगने व तकाजा करने पर भी अदा नहीं करते । विनाय दावी स्थान हाथरस में मियाद के अन्दर पैदा हुई ।

८ - दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस देने के लिये १६५०) र० है ।

वादी प्रार्थी हैं कि :—

(अ) १६५०) र० असल व सूद जैसा कि हिसाब से निकलता है दिलाने के लिये दावा मग खर्चा नालिश व सूद, दौरान व आइदा प्रतिवादी पर डिग्री किया जावे ।

(६) पक्का आढतिया का, एजन्सी के इफ़रार पर दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१ - मुद्दई का कार्यर्य व्यापार पक्की आढत करने का है ।

२—मुद्दई की आढत में मुद्दाअलेह सूत खरीद किया करता था और उस खरीदारी में मुद्दई का रुपया लगता था और उस रुपये पर मुद्दाअलेह ब्याज दस आने सैकड़ा मा० अदा करता था ।

३—मिती या तारीख ... तक दोनों फरीकों के दर्म्यान हिसाब जारी रहा और उसके पहले का हिसाब तै हो गया था सिर्फ ११०) रु० मुद्दाअलेह को देना बाकी था ।

४—मुद्दाअलेहम का कुल हिसाब मुद्दई के वही खातों में दर्ज है और जो रुपया मुद्दाअलेह ने अदा किया वह जमा किया गया है ।

५—अन्त में मुद्दाअलेह की खरीदी हुई सूत की २०२ गॉठ मुद्दई के यहाँ पड़ी रही जिनको मुद्दाअलेह ने सस्ता भाव हो जाने के कारण नहीं उठाया ।

६—मुद्दई ने मुद्दाअलेह को नोटिस दिया कि वह गॉठ उठा लेवे परन्तु मुद्दाअलेह ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया । लाचार होकर मुद्दई ने सौदा मुद्दाअलेह रामचन्द्र की रजामन्दी से हरदेवदास मिल वालो के साथ तै कर लिया और कई मनुष्यों के कहने पर मुद्दाअलेह को सिर्फ २) आ० फी रु० के नुकसान का जुम्मेदार ठहराना मान लिया जिसका जमा खर्च मुद्दई के वही खातों में किया गया ।

७—दोनों फरीकैन में ब्याज ॥=) सैकड़ा माहवारी ठहरा था ।

८—अब हिसाब से ४४५४) रु० असल व सूद मुद्दई का मुद्दाअलेह पर निकलता है जो उसने अदा नहीं किया ।

९—मुद्दाअलेह ने मुद्दई के वही खातों में लिखा हुआ अपना कुल हिसाब देख लिया है ।

१०—त्रिनाय दावा आखिरी तकाजे के दिन से स्थान हाथरस में ता० को अदालत के अन्दर पैदा हुई और अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है ।

११ दावे की मालियत (४४५४)) रु० ।
मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) ४४५४) रु० असल व सूद और खर्चा नालिश मय सूद दौरान व आईन्दा मुद्दई को मुद्दाअलेह से दिलाया जावे इत्यादि

(७) आढतिया की तरफ से व्यापारी के ऊपर दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी की आढत की दूकान अब्दुलमजीद अब्दुलहमीद के नाम से स्थान हाथरस के बाजार मुसनि दरवाजा में जारी है और मुद्दईयान तिजारत का कारोबार शमलाल खेमचन्द्र के नाम से स्थान मथुरा में करते हैं ।

२—मुद्दाअलेहम ने मुद्दइयान के लिये बहैसियत आदतिया दो अदद खत्ती खरीद की जिसकी तफसील यह है—

तिथि या० ता० खरीदारी	असाद सुदी ६	असाद सुदी १०
वजन	४२४५४	४४८५२
भाव	४ —)	४
किस्म गल्ला	वेभर चनारी	वेभर मटरारी
पता	रामलालगज की	बो० जोधराज छीतर-मल की ।

३—दोनों खत्तियों के नफा नुकसान के लिये मुद्दइयान ने ४००) रु० मुद्दाअलेहम के पास जमा किये और दोनो खत्तियाँ मुद्दाअलेहम के पास इस शर्त से रही कि वह मुद्दइयान के कहने पर उनको विक्रय करेगे ।

४—मुद्दाअलेहम समय समय पर बाजार भाव के बारे में इत्तला देते रहे और भाव के हिसाब से कीमत की कमी का रुपया उनसे मगाते रहे, मुद्दइयान का कुल १३५०) रु० पहुँचा ।

५—फागुन सवत् ..मे मुद्दाअलेहम ने खत्तियों की कीमत का बीजक जिसमे अदा बिया हुआ रुया दिखाया गया था मुद्दइयान को दिया और उस समय भी मुद्दाअलेहम ने मुद्दइयान से कह दिया कि वह खत्तियाँ मुद्दइयान की अनुमति से बेचेगे ।

६—इसके बाद कई बार मुद्दइयान ने मुद्दाअलेहम से खत्तियाँ बेचने के लिये कहा वह टाल टाल करते रहे । इस पर मुद्दइयान ने यह भी चाहा कि खत्तियों की कीमत का बकिया रु० अदा करके खत्तियाँ मुद्दाअलेहम से लेकर अपने कन्नजे मे कर लेवे लेकिन मुद्दाअलेहम ने न वह खत्तियाँ बेची और न मुद्दई के हवाले की ।

७—मुद्दाअलेहम उन खत्तियों को देना नहीं चाहते और मुद्दइयान के रुपया को मारना चाहते हैं ।

८—खत्तियों मे फायदा है लेकिन मुद्दइयान भगडे की वजह से रुपया की वापसी का दावा करते हैं ।

९—इस रुपये पर |||) आ० मैकडा माहवारी का सूद देना करार पाया था और रसी शर्त ने मुद्दइयान सूद मँगते हैं ।

१०—विनाय दावा नवम्बर १९४५ ई० में आखिरी इनकार करने के दिन से हाभरस मे पैदा हुई ।

११—दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस के लिये १५००) रु० है ।

मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) मुवलिग १५००) रु० असल व सूद का जैसा कि नीचे हिसाब में दिया है या उतनी रकम जो अदालत मुद्दई की मुद्दाग्रलेहम पर तजवीज करे सूद सहित दिलाई जावे ।

(ब) और कोई दादरसी जो मुकदमें मे न्याय के हेतु समझी जावे वह मुद्दई को दिलाई जावे ।

(क) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे ।

हिसाब की तफसील :—

असल रुपया	सूद	कुल जोड
१३५०)	III) आ० सै० बक्राया	
	रकम पर	१५००) रु०
	१५०)	

(८) एजैन्ट की प्रिन्सपल के ऊपर इकरार किये हुए रुपये के लिये नालिश

१—यह कि प्रतिवादी ने ता०.....को अपने हाथ की लिखी हुई चिट्ठी से, वादी को मिर्जापुर से २०० बोरे अलसी खरीदने के वास्ते अपना एजैन्ट नियत किया । शर्त यह ठहरी थी कि वादी अपने उत्तरदायित्व पर प्रतिवादी के लिये माल किसी ऐसी कीमत पर जो ७) रु० प्रति मन से अधिक न हो क्रय करेगा और उसको बम्बई भेज देगा और प्रतिवादी वादी की कीमत और कमीशन के रुपये की ' पहुँचे दाम ' की हुन्डी को सिकार देगा ।

२—यह कि इस इकरार के अनुसार वादी ने ता०.....से ता०.....तक अपनी जुम्मेदारी पर प्रतिवादी के लिये १६३ बोरी अलसी ठहरे हुए भाव के अन्दर क्रय की और ता०.....को उनको बम्बई भेज दिया और प्रतिवादी के ऊपर माल की कीमत व कमीशन के रुपया की हुन्डी (अ—ब—) के नाम लिख दी जो ता०.....को भुगतान के लिये उपस्थित की गई ।

३—यह कि प्रतिवादी ने ता०.....को उक्त हुन्डी को नहीं सिकारा और उसकी अदायगी से इनकार कर दिया, इसी ता०.....को विनाय दावी पैदा हुई ।

(९) कमीशन या दलाली के रुपये की नालिश

१—वादी दलाली का काम करता है और वह हाथरस में मकानों का दलाल है ।

२—प्रतिवादी ने ता०.....को वादी को यह हिदायत की कि वादी उसका

मकान जो मुहल्ला लखपती शहर हाथरस मे है बिकवा देवे और उसकी जो कुछ कीमत मिलेगी उस पर २) रु० सैकडा प्रतिवादी कमीशन अदा करेगा ।

३—वादी ने प्रतिवादी का मकान.....रु० मे.....के हाथ बिकवा दिया और उसका ब्रैनामा भी रजिस्ट्री हो गया ।

४ — प्रतिवादी ने कमीशन का.....रु० वादी को अभी तक अदा नहीं किया ।

* (१०) हिसाब समझाने के लिये एजेंट की ओर से नाक़िश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दई कमीशन एजेंट है और मुद्दाअलेह कपड़े बेचने का काम किनारी बाजार आगरे में करता है ।

२—ता०.....माह.....सन्.....को मुद्दई और मुद्दाअलेह में जवानी यह करार पाया कि मुद्दई जो ग्राहक मुद्दाअलेह के यहाँ लावेगा और जो उसके यहाँ से कपडा खरीदेगे उसकी कीमत पर वह मुद्दई को १) आ० सैकडा कमीशन देगा । (देखो नोट न० १)

३—यह कि मुद्दई बहुत से ग्राहक मुद्दाअलेह की दूकान पर लाया जिन्होंने कपड़ा मुद्दाअलेह की दूकान से खरीदा । ग्राहको के नाम व पता जहाँ तक मुद्दई को याद है सूची (अ) अर्जादावा मे दर्ज हैं परन्तु ग्राहको की ठीक ठीक संख्या मुद्दई को मालूम नहीं है ।

४—यह कि मुद्दाअलेह ने इस कमीशन के रुपये को अब तक अदा नहीं किया । मुद्दई ने मुद्दाअलेह से बार बार इसको देने के लिये कहा परन्तु उसने ध्यान नहीं दिया ।

५—यह कि विनाय दावी स्थान आगरा मे ता०.....से लेकर ता०.....तक कमीशन को न अदा करने के समय पैदा हुई ।

* १ नोट—यदि मौखिक प्रतिज्ञा होने के बजाय इकरारनामा या चिठी इत्यादि लिखी हुई हो तो धारा न० २ मे यह लिखना चाहिये और जो कुछ शर्तें नियत हुई हो वर भी लिख देना चाहिये और उन शर्तों का पूरा होने का बयान धारा नम्बर ३ में करना चाहिये ।

२ नोट—यदि मुद्दई अपना काम पूरा कर चुका हो लेकिन मुद्दाअलेह की बेजा बर्गवार्ड ने अपना ने की शर्तें पूरी न हो सकी हों, तो यही नमूना जहाँ तहाँ आवश्यक संशोधन करके काम मे लाग जा सकता है ।

मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) मुबलिगा १५००) रु० असल व सूद का जैसा कि नीचे हिसाब में दिया है या उतनी रकम जो अदालत मुद्दई की मुद्दाअलेहम पर तजवीज करे सूद सहित दिलाई जावे ।

(ब) और कोई दादरसी जो मुकदमें में न्याय के हेतु समझी जावे वह मुद्दई को दिलाई जावे ।

(क) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे ।

हिसाब की तफसील :—

असल रुपया	सूद	कुल जोड़
१३५०)) आ० सै० बकाया	
	रकम पर	१५००) रु०
	१५०)	

(८) एजैन्ट की प्रिन्सपल के ऊपर इकरार किये हुए रुपये के लिये नालिश

१—यह कि प्रतिवादी ने ता०.....को अपने हाथ की लिखी हुई चिट्ठी से, वादी को मिर्जापुर से २०० बोरे अलसी खरीदने के वास्ते अपना एजैन्ट नियत किया । शर्त यह ठहरी थी कि वादी अपने उत्तरदायित्व पर प्रतिवादी के लिये माल किसी ऐसी क्रीमत पर जो ७) रु० प्रति मन से अधिक न हो क्रय करेगा और उसको बम्बई भेज देगा और प्रतिवादी वादी की क्रीमत और कमीशन के रुपये की ' पहुँचे दाम ' की हुन्डी को सिकार देगा ।

२—यह कि इस इकरार के अनुसार वादी ने ता०.....से ता०.....तक अपनी जुम्मेदारी पर प्रतिवादी के लिये १६३ बोरी अलसी ठहरे हुए भाव के अन्दर क्रय की और ता०.....को उनको बम्बई भेज दिया और प्रतिवादी के ऊपर माल की क्रीमत व कमीशन के रुपया की हुन्डी (अ—ब—) के नाम लिख दी जो ता०.....को भुगतान के लिये उपस्थित की गई ।

३—यह कि प्रतिवादी ने ता०.....को उक्त हुन्डी को नहीं सिकारा और उसकी अदायगी से इनकार कर दिया, इसी ता०.....को बिनाय दावी पैदा हुई ।

(९) कमीशन या दलाली के रुपये की नाशिक

१—वादी दलाली का काम करता है और वह हाथरस में मकानो का दलाल है ।

२—प्रतिवादी ने ता०.....को वादी को यह हिदायत की कि वादी उसका

मकान जो मुहल्ला लखपती शहर हाथरस में है विकवा देवे और उसकी जो कुछ कीमत मिलेगी उस पर २) रु० सैकड़ा प्रतिवादी कमीशन अदा करेगा ।

३—वादी ने प्रतिवादी का मकान.....रु० में.....के हाथ विकवा दिया और उसका ब्रैनामा भी रजिस्ट्री हो गया ।

४ — प्रतिवादी ने कमीशन का.....रु० वादी को अभी तक अदा नहीं किया ।

* (१०) हिसाब समझाने के लिये एजेंट की ओर से नाक़िश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दई कमीशन एजेंट है और मुद्दाअलेह कपड़े बेचने का काम किनारी बाजार आगरे में करता है ।

२—ता०.....माह.....सन्.....को मुद्दई और मुद्दाअलेह में जवानी यह करार पाया कि मुद्दई जो ग्राहक मुद्दाअलेह के यहाँ लावेगा और जो उसके यहाँ से कपड़ा खरीदेगे उसकी कीमत पर वह मुद्दई को १) आ० सैकड़ा कमीशन देगा । (देखो नोट न० १)

३—यह कि मुद्दई बहुत से ग्राहक मुद्दाअलेह की दूकान पर लाया जिन्होंने कपड़ा मुद्दाअलेह की दूकान से खरीदा । ग्राहकों के नाम व पता जहाँ तक मुद्दई को याद है सूची (अ) अर्जीदावा में दर्ज हैं परन्तु ग्राहकों की ठीक ठीक संख्या मुद्दई को मालूम नहीं है ।

४—यह कि मुद्दाअलेह ने इस कमीशन के रुपये को अब तक अदा नहीं किया । मुद्दई ने मुद्दाअलेह से बार बार इसको देने के लिये कहा परन्तु उसने ध्यान नहीं दिया ।

५—यह कि बिनाय टावी स्थान आगरा में ता०.....से लेकर ता०.....तक कमीशन वेत न अदा करने के समय पैदा हुई ।

* १ नोट—यदि मौखिक प्रतिज्ञा होने के बजाय इकरारनामा या चिठी इत्यादि लिखी हुई हो तो धारा न० २ में यह लिखना चाहिये और जो कुछ शर्तें नियत हुई हो वह भी लिख देना चाहिये और उन शर्तों का पूरा होने का बयान धारा नम्बर ३ में करना चाहिये ।

२ नोट—यदि मुद्दई अपना काम पूरा कर चुका हो लेकिन मुद्दाअलेह की बेजा बर्गवाई ने अपना भेद की शर्तें पूरी न हो सकी हों, तो यही नमूना जहाँ तहाँ आवश्यक संशोधन करके काम में लाया जा सकता है ।

६ — दावे की मालियत—

मुद्दई की प्रार्थना :—

(अ) मुद्दाअलेह से हिसाब कपड़े की खरीदारी और कमीशन की आमदनी का उन खरीदारों के निसवत लिया जाये जो मुद्दई मुद्दाअलेह की दूकान पर लाया ।

(ब) जितना रुपया हिसाब करने के बाद मुद्दई का निकले उसकी डिग्री मय खर्च नाजिश व सूद वसूल होनेकी दिन तक मुद्दाअलेह पर की जावे ।

१५ — दूसरे की ज़िम्मेदारी का रुपया अदा करने पर

ऐसी नालिशें विभिन्न दशाओं में करनी होती हैं । साधारण दशा तो यह होती है कि कोई रुपया एक मनुष्य को अदा करना हो और ऐसी अदायगी से मुद्दई के हक की भी रक्षा होती हो परन्तु वह मनुष्य उस रुपये को अदान करे और मुद्दई उसको बेबाक करदे । दूसरी दशा यह होती है कि किसी अन्य पुरुष से वसूल होने वाला रुपया किसी कानून की त्रुटि या ग़ज़ती से या किसी अनुचित कार्य की वजह से बलपूर्वक मुद्दई से वसूल कर लिया जावे और मुद्दई के एतराज होने पर भी उसको अदा करना पड़े । तीसरी दशा यह होती है कि किसी अवयस्क (नवालिग) या विवेकहीन (फातिहल अफ़ल) या अन्य ऐसे पुरुष को जो स्वयं प्रतिज्ञा करने के योग्य न हो, के निर्वाह-योग्य सामग्री दी जावे और अन्तिम दशा यह होती है जब कि एक व्यक्ति दूसरे के लिये कोई काम करे और उसका अभिप्राय बिना प्रत्युपकार या बदला के ऐसा काम करने का न हो ।

यानी जब किसी दूसरे की जुम्मेदारी का रुपया मुद्दई से ज़बरदस्ती वसूल किया जावे, या उससे कानूनन वसूल किया जा सके, या मुद्दई को अपने हक बचाने के लिये रुपया देना पड़े तो इन हालतों में, मुद्दई मुद्दाअलेह पर दावा कर सकता है । जैसे कि किसी मुद्दाअलेह के विरुद्ध डिग्री की इजरा में मुद्दई को जायदाद कुर्क हो जाने पर¹ या किसी मुरतहिन के, राहिन के किराये विरुद्ध की डिग्री अदा कर देने पर² दावा किया जा सकता है, परन्तु यदि वादी को रुपया देने से कोई लाभ नहीं था और उससे वह ज़बरदस्ती वसूल किया गया, तो ऐसी हालत में दावा नहीं किया जा सका।³

1 I L R 23 All 563, 52 Cal 914

2 19 A L J 73, I L R 32 Cal 643

3. Angdal vs Sidhgopal, A I B 1940 All 214; 1939 Pat 497

अर्जीदावे में (१) यह कि मुद्दई ने रुपया अदा किया है (२) यह कि वह अदायगी मुद्दाअलेह की तरफ से की गई जैसे मुद्दाअलेह ने स्वयं रुपया दित्वाया हो या ऐसी घटनाएँ हों जिनसे मुद्दाअलेह का अभिप्राय रुपया दिलाने का प्रगट होता हो (३) मुद्दाअलेह रुपये देनदार है ।

नोट :— कानून मुआहिदा¹ की धारा ६८ से ७० इस सिलसिले में देख लेनी चाहिये । जो नमूने इस भाग में दिये गये हैं वह साधारण तत्रदील के साथ अन्य दशाओं में भी काम में लाये जा सकते हैं ।

* (१) इकरार नामा से बरी करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.....को वादी और प्रतिवादी कोठी.....के नाम से सामे मे व्योपार करते थे । उन्होंने साम्ना तोड कर आपस मे यह इकरार किया कि प्रतिवादी सामे का सब माल असत्राव अपने पास रखे और कोठी का कुल कर्जा अदा करदे और जो दावे इसके ऊपर कोठी के कर्जे के बारे किये जावे उन सबसे वादी बरी कर दिया जावे ।

२—यह कि वादी ने इकरारनामे के अनुसार जो जो शर्तें उसकी तरफ से पूरी होनी चाहिये थी पूरी कर दी ।

३ - यह कि ता० ... को एक पुरुष श्री राम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से वादी और प्रतिवादी के ऊपर कोठी के कर्जे की वावत डिग्री हासिल की और वादी ने..... रुपया उस डिग्री की अदायगी मे श्रीराम को दिया ।

४—यह कि यह रुपया प्रतिवादी ने वादी को अभी तक नहीं दिया ।

५—विनाय टावी :—

६—दावे की मालियत :—

(वादी की प्रार्थना)

(२) हिस्सेदार की माल गुजारी की अदायगी के वावत ।

१—मुद्दई और मुद्दाअलेह मौजा दरियापुर मुहाल सफेद में हिस्सेदार हैं ।

२—इस मुहाल का अधूरा बटवारा हो गया है और कुल मुहाल की मालगुजारी एकजार्ड अदा की जाती है ।

1 Contract Act 2 of 1876 Sec 68 to 70

१ नोट यह नमूना शिर्दूल १ अपेन्डिक्म (अ) जान्ना दीवानी का नम्बर ६० है ।

३—मुद्दाअलेह ने सन् १३— फसली की बावत अपने हिस्से की मालगुजारी सरकारी खजाने में जमा नहीं की । मुद्दई ने अपने हिस्से की मालगुजारी अदा कर दी थी ।

४—शेष मालगुजारी के लिये सरकार की ओर से मुहाल की कुल जमादारी नीलाम के वास्ते कुर्क हुई ।

५—मुद्दई ने अपना हिस्सा बचाने के लिये... . मालगुजारी का रुपया जो मुद्दाअलेह पर चाहिये था, ता०.....को सरकारी खजाने में जमा कर दिया और मुद्दाअलेह के ऊपर मालगुजारी का रुपया बेबाक हो गया ।

६—मुद्दई उस का, मय ब्याज १) रुपया सैकड़ा माहवारी के, लेने का मुद्दाअलेह से हकदार है ।

(३) दूसरे की डिग्री का रुपया अदा कर देने पर ।

१—ता०.....के लिये हुये ठीकानामे से प्रतिवादी भौजा अहमदनगर में मुहाल रामसहाय का, शेरसिंह जमादार को ओर से १३— फसली से १३— फसली तक तीन साल के लिये ठेकेदार रहा ।

२—शेरसिंह ने ठेके के रुपया की अदायगी के लिये वादी को भी ठेकेनामे की तहरीर मे सम्मिलित कर लिया था ।

३—ऊपर लिखे सालों मे कृपको से प्रतिवादी ने लगान की तहसील वमूल की और उसने सरकार की मालगुजारी भी अदा की लेकिन ठेके का ३००) रुपया जो शेरसिंह जमीदार को देना चाहिये था अदा नहीं किया ।

४—शेरसिंह ने ठेके का रुपया और ब्याज की नालिश दोनो पक्षो के ऊपर अदालत माल मे दायर की और वहाँ से ता०..... कोरुपया की डिग्री दोनो पक्षो पर हो गई ।

५—उस डिग्री की इजराय मे शेरसिंह ने वादी की जमीदारी की हकीयत कुर्क कराई और वादी ने अपनी जायदाद बचाने के लिये डिग्री और खर्च का रुपया ता० को अदालत मे जमा कर दिया और डिग्री बेबाक कर दी ।

६—ठेके की कुल आय प्रतिवादी के हाथ में आई और वही ठेके के कुल रुपये का देनदार है जो कि वादी को ठेके में शरीक होने के कारण अपनी सम्पत्ति बचाने के लिये देना पडा ।

७—प्रतिवादी ने यह रुपया तकाजा करने पर भी अदा नहीं किया ।

(४) जायदाद के मालिक की ओर से किराया
अदा कर देने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—काटन जिनिंग फेक्टरी लालचन्द ताराचन्द हाथरस में सालिकराम प्रतिवादी नम्बर १, एक तिहाई हिस्से का मालिक था और शेष दो तिहाई के मालिक अन्य प्रतिवादी थे ।

२—इस कारखाने की जमीन मूरध्वज नाम के एक मनुष्य की थी और वह कारखाने के मालिकों के पास तीन साल के किराया पर इस शर्त पर थी कि यदि किराया वाजिब होने के दिन से दो महीने के अन्दर किराया अदा न किया जावेगा तो जमीन के मालिक को कारखाने की जमीन व इमारत पर दखल पाने का अधिकार होगा ।

३—सालिकराम का हिस्सा वादी के पास ता०..... के लिखे हुए किफालती दस्तावेज से ५०००) रुपया में आड था जिसकी विनाय पर डिग्री नम्बरीसन् अदालत सिविल-जजी अलीगढ से सालिकराम के ऊपर सादिर होकर प्रतिपेध में थी और उसमें ता०... ..नीलाम के लिये नियत थी ।

४—इसी समय में जमीन के मालिक मूरध्वज ने इस साल के किराये की वाजत डिग्री ता०को अदालत सिविल जजी अलीगढ से कारखाने के मालिकों के ऊपर इस शर्त पर प्राप्त कर ली कि यदि वह लोग डिग्री का रुपया दो माह के अन्दर अदा न करें तो कारखाने की इमारत को गिरा देने के बाद मूरध्वज को उसकी जमीन पर दखल दिलाया जावे ।

५—यह दो महीने की अवधि नीलाम की तारीख से पहिले ही समाप्त होती थी और भय यह था कि किराये की डिग्री का रुपया अवधि के अन्दर न अदा होने पर कारखाने की कुल इमारत गिरा दी जावेगी और वादी अपनी आड की डिग्री का रुपया वसूल नहीं कर सकेगा ।

६—वादी ने अपना एक बचाने के लिये किराये की डिग्री का.....रुपया प्रतिवादियों की ओर से ता०.. को अदालत की आजानुसार मूरध्वज के लिये दाखिल कर दिया और वह डिग्री बेबाक हो गई ।

७—वादी इन दाखिल किये हुए रुपये को, कारखाने के मालिक प्रतिवादियों से १) रुपया कैकडा मामिक नूद सहित पाने का दावेदार है ।

१६—रसदी (Contribution) *

रसदी के दावे ऐसी दशा में उत्पन्न होते हैं जबकि दोनों पक्ष एक तीसरे मनुष्य को अदायगी के लिये देनदार हो और वादी ने अपने हिस्से से अधिक अदायगी की हो। दावा करने का हक अदायगी करने के बाद पैदा होता है। ऐसे दावों में वादी को (१) वह घटनाएँ जिनसे फरीकैन की मुश्तर्का जिम्मेदारी साबित हो (२) वादी का हिस्सा (३) यह कि उसने अपना हिस्सा अदा कर दिया है (४) वह मतालबा जो उसने ज्ञायद (अधिक) अदा किया हो (५) और प्रतिवादियों को कहाँ तक वादी को रूपया अदा करना चाहिये अर्जी दावे में लिखना चाहिये।

यदि वादी ने कुछ हिसाब कुछ कम रूपया देकर वेवाक किया हो या किसी प्रतिवादी ने कुछ रूपया अदा किया हो तो यह सब स्पष्ट रूप से विवरण सहित दिखाना चाहिये और जितना रूपया वास्तव में दिया गया हो उसी का दावा किया जा सकता है। ऐसे मुकदमों में कर्जदार या वह मनुष्य जिसको वादी ने रूपया अदा किया हो जरूरी फरीक नहीं है।

रसदी के मुकदमों में एक विशेषता यह होती है कि जहाँ पर एक म अधिक प्रतिवादी हो वहाँ उनके विरुद्ध एकजायी डिग्री के वजाय पृथक-पृथक डिग्री होती है जिससे प्रत्येक प्रतिवादी की जिम्मेदारी प्रतीत हो। यदि ऐसा न किया जावे तो जहाँ पर बहुत स फरीक हो वहाँ पर एक दावे के वजाय उतने ही दावे करने पड़ें।

यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई रकम पाने के हकदार हो और वह उनमें से एक ही ने वसूल कर ली हो तब भी दूसरा व्यक्ति या अन्य हिस्सेदार अपने हिस्से की रकम के लिये दावा कर सकता है और वह भी एक प्रकार से रसदी की ही नालिश होती है। ये दावे ज़ाबता दीवानी की धारा ७३ के अनुसार बहुधा किये जाते हैं।

रसदी के दावे सम्मिलित जिम्मेदारी से पैदा होते हैं और वे हिस्सेदारों,^१ कर्ष लेने वालों,^२ रेहन करने वालों,^३ जमानत देने वालों और ट्रस्टियों इत्यादि में आपस में उत्पन्न होते हैं जबकि मुद्दे को अपनी जिम्मेदारी से अधिक रूपया अदा करना पड़ा हो।

1 26 C W N. 634

2 I. L R 43 All 77 ; 19 C W. N 193

3 A I R 1925 All 127, 16 A L J 148

नोट* :—इसमें सादा रसदी के नमूने ही दिये गये हैं जहाँ पर अचल सम्पत्ति

पर भार उत्पन्न नहीं होता। यदि रसदी से अचल सम्पत्ति पर भार उत्पन्न होता हो उसके लिये भाग २३ नौ नाम की नालिशों के नमूना नम्बर १३१४ व १५ देखने चाहिये।

मियाद—रसदी का दावा रूपय) अदा करने के दिन से तीन साल होना चाहिये (देखो आर्टिकिल ६१ और ६६ कानून मियाद) ।

(१) एक देनदार की ओर से, जिसने डिगरी का हाया अदा हो, दूसरे पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—दोनों फरीकैन, इंट व चूना बनाने के कारखाने में जो मौजूद जिला मुरादाबाद में था, आधे आधे हिस्से के हिस्से दार थे ।

२—यह कारखाना दोनों पक्षों की रजामन्दी से बन्द हो गया और उन असबाब पक्षों ने अपने अपने भाग का बॉट लिया था ।

३—कारखाने के ऊपर, प्यारेलाल नामक एक व्यक्ति का ऋण था जो ता०... . के अदालत सिविल जज मुरादाबाद से, दोनों पक्षों के ऊपर डिग्री हो

४—डिग्रीदार ने इस डिग्री की इजराय में वादी की सम्पत्ति कुर्क वादी ने डिग्री और इजराय का खर्च इत्यादि का रूपयाअदालत करके डिग्री वेवाक कर दी ।

५—प्रतिवादी इस मतालवा में से आधे का देनदार है और वादी हिस्सा में अदा करने के दिन में सूद पाने का अधिकारी है ।

६—विनाय दावी—

७—दावे की मालियत—

(वादी की प्रार्थना)

(२) जुदागाना जिम्मेदारी होने पर रसदी की नालिश

१—सुई और सुहायलह ने ता० ... मा० ... सन्..... ई. वस्तांज लिख कर रामसहाय नामक एक पुरप से १५००) कर्जा लिया जो गारमारी ने इन्दुलतलब अदा करने ठहरे ।

२—इन कर्ज के १५००) रूपया में से १०००) रूपया सुहायलह ने रूपया सुई ने लिए थे ।

एक तीस
से अधिक
होता है
जुम्मेन
अज्ञान
१ (५) फ
जी नरे

॥ हा -
वे विचार
वर्षा =
। हा -

१५५
पृष्ठ
दिनेन
। ५५५

ौर न
संगर
रहें
दुसर

तो
दिने
नवा

मि

४—रामसहाय ने बाकी रुपया वसूल करने को नालिश दायर करके डिग्री नम्बरी.....सन्.....अदालत.....से फरीकैन के ऊपर ता०.....के हासिल की और इजरा करा कर उसका कुल मतालवा ता०.....के मुद्दई से वसूल कर लिया ।

५—मुद्दायलह के ऊपर, हिसाब से.....रुपया निकलता है जो कि उसको मुद्दई को देना चाहिये । मुद्दायलह तलब व तकाजा करने पर भी यह नहीं देता । मुद्दई १) रुपया सैकड़ा रूद बतौर हर्जा पाने का हकदार है ।

(३) एक हिस्सेदार की साभे के खर्च की बाबत दूसरे हिस्सेदार पर नालिश

१—कासगञ्ज जिला ऐटा में म्यूनिसिपलगञ्ज की दूकानों के फरीकैन मालिक हैं जिसमें से वादी का हिस्सा ॥=) आ० और प्रतिवादी का ॥=) आ० का है ।

२ - दूकानों की जमीन की मालिक कासगञ्ज की म्युनिसिपैलटी है और फरीकैन के पुरखों ने ता०.....के लिखे हुये दवामी (सर्वदा) पट्टे की शर्तों के अनुसार दूकाने तैयार की थी और उस पट्टे की एक शर्त यह थी की दूकानों की मरम्मत म्युनिसिपैलटी की आज्ञा के अनुसार दूकानों के मालिकों को करानी होगी और मरम्मत न कराने पर पट्टे दारी का हक खतम हो जावेगा और वह वेदखल कराये जावेगे ।

३—कासगञ्ज की म्युनिसिपैलटी से ता०.....के इन दूकानों की मरम्मत के लिये दो महीने की मियाद का एक सक्यूलर जारी हुआ ।

४—वादी ने इस सक्यूलर के अनुसार दूकानों की मरम्मत करा दी और इसमें मुद्दई का १०००) रुपया खर्च हुआ ।

५—मरम्मत का हिसाब अर्जीदावे के साथ साथ पेश किया जाता है ।

६—.....रुपया प्रतिवादी के हिस्से का उसके ऊपर वाजिब है जो उसने बार-बार माँगने पर भी अदा नहीं किया ।

७—बिनाय दावा ता०.....(मरम्मत कराने के दिन से) ।

(४) एक डिग्रीदार की दूसरे डिग्रीदार पर रसदी के लिये नालिश

(देखो दफा ७३ जान्ता दीवानी)

१—मुद्दई की एक डिग्री नम्बर.....सन्.....अदालत सिविल जन इलाहाबाद, रामलाल मदयून के विरुद्ध थी जिसकी इजराय में उसकी जायदाद कुर्क थी ।

२—मुद्दायलह की एक दूसरी डिग्री नम्बर.....सन्.....अदालत.....भी रामलाल मदयून के ऊपर थी और उसकी इजराय में भी वही जायदाद कुर्क और नीलाम के लिए चढ़ी थी ।

३—मुदायलह की इजराय डिग्री में यह जायदाद ता०.....फो.....रुपया में नीलाम हुई और मुदायलह बिला मुद्ई के इल्म के नीलाम का रुपया अदालत से ता०.....फो उठा ले गया ।

४—मुद्ई की डिग्री नम्बरी...सन्...का मतालवा नीलाम को तारीख के दिनरुपया था और मुदायलेह की डिग्री नम्बरी.....सन्.....का मतालवा नीलाम के दिन.....रुपया था ।

५—कुल नीलाम के मतालवा में से खर्चा निकाल कर हिसाब से जैसा कि नीचे दिया हुआ है रसदी का.....रुपया मुद्ई पाने का हकदार था जो मुदायलह ने अनुचित रूप से वसूल कर लिया । मुद्ई रसदी का.....रुपया और उस पर १) सैकड़ा माहवारी नूद पाने का मुदायलह से अधिकारी है ।

१७—धोखा या फरेब

धोखे के सम्बन्ध में कानून यह है कि यदि कोई काम किसी मनुष्य से धोखे से कराया गया हो या उसके विरुद्ध किया गया हो, चाहे वह कितना ही नियम-पूर्वक और गम्भीरता से हुआ हो, व्यर्थ होता है, और उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर धोखा किया गया हो उसका कोई प्रभाव नहीं होता । वह ऐसे कार्य को खण्डित करा सकता है, और यदि उसका कोई हर्जा या हानि हुई हो तो वह धोखा देने वाले व्यक्ति से वसूल कर सकता है ।

धोखा और फरेब भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयोग में लाये जाते हैं और उसके अनेक रूप हो सकते हैं । इसलिये वे घटनाएँ जिनसे वादी को धोखा दिया जाना प्रत्यक्ष हो और जिनसे उसका हक नालिश उत्पन्न हो, अर्जीदावे में लिखना चाहिये ।

धोखे या गलत बयानी से यदि वादी को कोई नुकसान हुआ हो तभी दरजाने का दावा किया जा सकता है । बिना नुकसान हुए दावे का कारण उत्पन्न नहीं होता । धोखे का अर्जीदावे में पूरा बयान होना चाहिये और यह भी दिखाना चाहिये कि प्रतिवादी ने स्वयं या उसके ही कारण वह धोखा किया गया, या उसको धोखे के फलस्वरूप लाभ हुआ । वादी को ऐसे गलत बयान पर विश्वास होना और यह कि प्रतिवादी उसका असत्य होना जानता था अर्जीदावे में लिखना चाहिये ।

मियाद—आर्टिकल ९५ कानून मियाद के अनुसार धोखे के ज्ञान की तारीख से मियाद-तीन साल की होती है। जब तक कि वादी के धोखे का ज्ञान न हो तब तक मियाद का कोई प्रभाव नहीं होता और मियाद की अवधि ऐसे ज्ञान होने की तारीख से आरम्भ होती है।

* (१) धोखे से माल लेने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—ता०.....के प्रतिवादी ने वादी के उसके हाथ कुछ माल बेचने पर राजी करने के लिए वादी से यह कहा कि प्रतिवादी मालदार है और अपनी सब देनदारी के अलावा.....रुपया की हैसियत रखता है।

२—वादी इस वजह से अपना माल जिसकी कीमत रुपया थी प्रतिवादी के हाथ बेचने और हवाला करने पर राजी हो गया।

३—प्रतिवादी के यह बयान ठीक नहीं थे और उस वक्त प्रतिवादी स्वयं जानता था कि वह झूठ बयान कर रहा है।

४—प्रतिवादी ने इस माल की बाबत रुपया नहीं अदा किया।

(माल हवाला न किया गया हो तो यह कि वादी के माल की तैयारी और इसके लादने और वापिस लेने में.....रुपया व्यय करना पडा।)

५—बिनाय दावा:—

६—दावे की मालियत :—

(वादी की प्रार्थना)

† (२) धोखे से दूसरे पुरुष को कर्ज दिलाने पर

१—ता०.....के मुद्दायलह ने मुद्दई से यह बयान किया कि, महावीर प्रसाद एक विश्वास योग्य और मालदार आदमी है और अपनी देन से कहीं ज्यादा रुपये की मालियत रखता है।

या, यह कि महावीर प्रसाद एक जुम्मेदार और अच्छी हैसियत का मनुष्य है उसको माल कर्ज देने में किसी तरह का डर नहीं है।

* नोट—यह नमूना शिडयूल १ अपेडिन्क्स (अ) जाय्ता दीवानी का नमूना नम्बर २१ है।

† नोट—शिडयूल १ अपेडिन्क्स (अ) जाय्ता दीवानी का नमूना नम्बर २२।

२—इस वजह से मुद्दई, महावीर प्रसाद के हाथ.....रुपया का चावल तीन महीने के वायदे पर बेचने को राजी हुआ ।

३—मुद्दायलह के यह बयान बिल्कुल भूठे थे और वह उस समय पर जानता था कि वह भूठ बयान मुद्दई को धोखा देने की नीयत से कर रहा है (या मुद्दई-को धोखा देने और नुकसान पहुँचाने के वास्ते कर रहा है) ।

४—महावीर प्रसाद ने उस चावल का रुपया अदा नहीं किया और मुद्दई उस माल के हाथ से खो बैठा ।

* (३) धोखे से माल लेने वाले और उसके क्रय करने वाले पर नालिश, जब धोखे का ज्ञान हो

(सिरनामा)

घाटी निम्नलिखित निवेदन करना है :—

१—ता०. .. को प्रतिवादी रामलाल ने वादी को, इस अभिप्राय से कि उसके हाथ कुल माल विव्रय किया जाय, यह प्रकाशित किया कि प्रतिवादी एक मालदार और इमानदार मनुष्य है और अपनी देनदारी से.....रुपया की अधिक मालियत रखता है ।

२—वादी इस कारण से, रामलाल के हाथ एक सौ सन्दूक चाय जिसका मूल्य.....रुपया था बेचने और हवाला करने पर सहमत हो गया ।

३—रामलाल का यह कथन बिल्कुल असत्य था और वह उस समय उसका भूँटा होना स्वयं जानता था (या बयान करते समय प्रतिवादी रामलाल दिवालिया था और वह जान बूझ कर भूँट बोला) ।

४ रामलाल ने वह माल केवल... ..रुपया में प्रतिवादी रामनरायण के हाथ, जिसने उस बयान के भूँट होने का ज्ञान था, बेच दिया ।

५—दावे का कारण :—

६—दावे की मालियत :—

वादी की प्रार्थना

(१) वह माल वापिस दिलाया जावे और अगर यह न हो सके तो..... रुपया दिलाया जावे !

(२) इस माल को रोक रखने की वाचन... ..रुपया हरजाना दिलाया जाय ।

नोट—यह नमूना सिट्टूल & अपेन्डिज्म (१) जाम्ना दीवानी का नमूना न० २३ है ।

(४) घोड़ा व वारन्टी का उल्लंघन

१—प्रतिवादी ने ता०.....को एक घोड़ा इस शर्त के साथ ६२५) रुपया में वादी के हाथ बेचा कि वह तन्दुरुस्त व पुष्ट है न कभी भागता है न किसी को लात मारता है और बहुत अच्छा काम देता है ।

२—प्रतिवादी के यह बयान बिल्कुल गलत थे क्योंकि मुआहिदे से पहिले मुदायलह का घोड़ा तन्दुरुस्त नहीं था, कई बार लगाम तोड़ चुका था और कई बार अपनी लातो से आदमियों को चोट पहुँचा चुका था, इसके अतिरिक्त उसको गाड़ी में काम करने की आदत भी न थी ।

३—वादी ने प्रतिवादी के भूँठे बयान को कि प्रतिवादी का बेचा हुआ घोड़ा पुष्ट है और गाड़ी में बहुत अच्छी तरह चलता है सच समझ कर उसको प्रतिवादी से ६२५) रुपया में मोल लिया और कीमत अदा की ।

४—यह बयान करते समय प्रतिवादी उसको भूँठ जानता था और उसने भूँठा जान कर वादी को धोका देने की नीयत से यह बयान किया ।

५—वह घोड़ा ऊपर निखी त्रुटियों के कारण वादी के किसी काम का न था लिये इस विवश होकर वादी ने उसको ३७५) रु० में बेच कर छुटकारा पाया और वादी को कीमत कमी होने और बेचने के खर्चों के अतिरिक्त उसको बेचने की तारीख तक खिलाने और देख भाल करने में.....रुपया व्यय करना पडा । जिसका विवरण यह है—

(१) कीमत की कमी—

(२) खुराक का खर्चा—

(३) बेचने का खर्चा—

कुल जोड़..... रुपया

१८—चल-सम्पत्ति

(Personal Property or Movables.)

दूसरे के माल को अनुचितरूप से रोकने या उसके उपयोग में लाने पर यह दावे किये जा सकते हैं। इनमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि वह माल या वस्तुएँ प्रतिवादी ने किस प्रकार से (उचित या अनुचित) पाया। मांगने पर माल वापिस करने से इनकार करना दिखाना चाहिये। वादी को दावा करने के समय उस माल के ऊपर तुरन्त अधिकार करने का हक हासिल होना चाहिये न कि यह कि वह किसी समय पर उनका अधिकारी होगा और यह भी अर्जी दावे में दिखाना चाहिये।

साधारण प्रकार से चल सम्पत्ति के दावों में माल न मिलने पर उसका मूल्य हर्जे के रूप में दिलाया जाता है इसलिये इन दावों में मूल्य की भी अतिरिक्त प्रार्थना होनी चाहिये।

विशेष दशाओं में उन्ही वस्तुओं का वादी को दिलाया जाना, जिसके लिये उसके दावा किया हो आवश्यक होता है जैसे किसी ग्रन्थकार के दावे में प्रकाशक या छापेखाने के मालिक से उसकी कच्ची लिपि का दिलाया जाना या किसी विशेष मूल्य के चित्र का प्रतिवादी से दिलाया जाना। ऐसे दावे दफा ११ कानून दादरखी ख़ास के अनुसार दायर किये जा सकते हैं और यदि माल या वस्तु किसी विशेष मूल्य का हो तो हुकम इम्तनाई भी निकलवाया जा सकता है।

मियाद—इन दावों में मियाद तीन साल की होती है। देवो आर्टिकल ४८ व ५६ कानून मियाद।

(१) अनुचित रूप से माल रोकने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०... ..को इस अर्जीदावे के साथ दी हुई सूची की चीजों का वादी मालिक था (या वह घटनाएँ लिखनी चाहिये जिनसे अधिकार का हक प्रकट हो) और इन सब चीजों की मालियत लगभगरूपया थी।

२—उस तारीख से मालिश करने के दिन तक प्रतिवादी ने वह माल वादी को नहीं दिया।

३—एक मालिश के वापर करने में पहिले अर्थात् ता०.....को वादी ने अपना माल प्रतिवादी के गोग लेविग करने देने से इनकार किया।

४—बिनाय दावी—

५—दावे की मालियत—

६—वादी प्रार्थी है कि—

(अ) उसके माल पर कब्जा दिलाया जावे और अगर माल पर कब्जा न दिलाया जा सके तो वादी को रुपये दिलाये जावे ।

(ब) माल के रोक रखने का.....रुपया हरजाना दिलाया जावे । (यहाँ माल की सूची देनी चाहिये)

*** [२] माल की वापसी या उसके मूल्य के लिये ।**

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दायलह के यहाँ दिसम्बर सन् १९—में लडके की शादी थी । उसने महफिल सजाने के लिये नीचे लिखा हुआ सामान मुद्दई के यहाँ से मंगनी लिया ।

(सामान की तफसील)

२—शादी हो जाने के बाद उस सामान के साथ मुद्दायलह ने एक कालीन कीमती १८०) रुपया और दो दड़ी के फर्श कीमती करीब २००) रुपया वापिस नहीं किये ।

३—मुद्दई ने बार बार मुद्दायलह से कालीन और फर्शों को वापिस करने को कहा और ता०..... को एक रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस भी दिया लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और यह इन्कार करने के बराबर है ।

४—बिनाय दावा ता०.....को वापिस सामान न करने के दिन से स्थान में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

५—दावे की मालियत :—

६—मुद्दई प्रार्थी है कि मुद्दायलह को हुक्म हो कि वह कालीन और दोनों फर्श मुद्दई के हवाले करे नहीं तो उनकी कीमत ३८०) रुपया मुद्दायलह से मुद्दई को दिलाया जावे ।

† [३] माल बरबाद करने की धमकी देने पर वापिसी

माल और हुक्म इमतनाई के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

* नोट—यह नमूना शिड्यूल १ परिशिष्ट (अ) का नमूना नम्बर २३ है ।

† नोट—यह शिड्यूल १ परिशिष्ट (अ) जाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर ३६ है ।

१—मुद्दई अपने दादा के एक नामी चित्रकार से बने हुये चित्र का मालिक है और उन सब चीजों का जिनका नीचे बयान आया है मालिक था और उस तस्वीर की कोई नकल मौजूद नहीं है। (या कोई और ऐसी विशेषता लिखनी चाहिये कि वह वस्तु बहुत रुपया खर्च करने पर भी नहीं मिल सकती)।

२—ता० के वादी उसको सुरक्षित रखने के लिये प्रतिवादी के पास रख आया था।

३—ता० के वादी ने वह तस्वीर प्रतिवादी से माँगी और उसके रखने के खर्च को देने के लिये कहा।

४—प्रतिवादी ने उसके वापिस करने से इन्कार किया और धमकी देता है कि यदि उससे ऐसा कहा जावेगा तो वह उसे छिपा देगा, बेच डालेगा या और किसी तरह से नुकसान पहुँचावेगा।

५—अगर कोई मुआवजे का रुपया दिलाया जावे तो वह वादी की तस्वीर बिगाड़ देने का उचित मुआवजा न होगा।

६—बिनाय दावी :—

७—दावे की मालियत :—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) हुक्म इम्तनाई से प्रतिवादी तस्वीर को बेचने या छिपाने या नुकसान पहुँचाने से रोक दिया जावे।

(ब) प्रतिवादी से वह चित्र वादी को वापिस दिलाई जावे।

[४] एरु री वायसी और हुक्म इम्तनाई के लिये

१—मुद्दई के पिता इमा मुद्दीन शायर थे और उन्होंने एक नजम की किताब अपनी जिन्दगी में बनाई थी जिसको वह छपवाना चाहते थे।

२—किताब का मसौदा बिलकुल पूरा हो गया था लेकिन उसको प्रकाशित कराने से पहिले ही पिछले अगस्त में उनका देहान्त हो गया।

३—मुद्दायलह इसरार प्रेस, कानपुर नामक छापेखाने का मालिक है और उसके यहाँ किताबों की छपाई का काम होता है।

४—ता० के मुद्दई ने किताब का मसौदा मुद्दायलह को दिखलाया और उससे प्रार्थना की कि वह उचित शर्तों पर उसको प्रकाशित करदे।

५—मुद्दायलह ने वह मसौदा मुद्दई से ले लिया और यह वायदा किया कि मजमून देख लेने के बाद उसकी शर्तों को निश्चित करेगा। बहुत दिन हो जाने परभी मुद्दायलह, न तो किताब प्रकाशित करने की शर्त निश्चित करता है और न मुद्दई को मसौदा वापिस देता है और उसके बार बार कहने पर उसको फाड़ डालने की धमकी देता है।

६—मसौदा ने जो नजम है उनका बनना अब असम्भव है और उनके फाड़ देने पर उनका रुपया नें मुआवजा नहीं हो सकता।

१६—साम्पा या शराकत

साम्पा वह सम्बन्ध है जो उन मनुष्यों के मध्य में होता है जिन्होंने अपनी सम्पत्ति, परिश्रम, अथवा विद्या किसी कार्य में लगाने, जिसको वे सब मिलकर करते हों या उनमें से कोई व्यक्ति उन सब की ओर से करता हो, और जिसका लाभ (मुनाफा) उन्होंने परस्पर बाँटने की प्रतिज्ञा की हो। (देखो धारा २३६ प्रतिज्ञा-विधान)

साम्पा की बाबत नालिशें प्रायः दो प्रकार की होती हैं, पहली तो साम्पा तोड़ने और हिसाब समझने की, दूसरी सिर्फ हिसाब के लिये। दूसरी प्रकार की नालिशें तभी होती हैं जब कि साम्पा का कारवार बन्द हो चुका हो या किसी साम्पादार के मरजाने के कारण साम्पादारी खत्म हो चुकी हो। साधारण रूप से साम्पादारी का कार्य होते हुए में हिसाब समझाने की नालिश नहीं हो सकती और न एक साम्पादार दूसरे साम्पादार पर किसी निश्चित रूपसे या रकम का जिसका साम्पा से सम्बन्ध हो दावा कर सकता है। वह अपने हिस्से का मुनाफा भी तभी माँग सकता है जब कि साम्पादारी स्थित होते समय ऐसी शर्त नियत की गयी हो। साम्पादारों के परस्पर स्वत्व और उत्तरदायित्व उन प्रतिज्ञाओं पर निर्भर होते हैं जो उनमें आपस में ठहरती हैं। ऐसी प्रतिज्ञा बहुधा प्रकट रहती हैं परन्तु कुछ कारवार के प्रकृति के ऊपर भी निर्भर होती हैं। उन प्रतिज्ञाओं का परिवर्तन अथवा संशोधन कूल साम्पादारों की सहमति से ही हो सकता है। जहाँ ऐसी प्रतिज्ञायेँ प्रकट न की गयी हो तब साम्पादारों के स्वत्व और उत्तरदायित्व का निपटारा एक्ट ६ सन् १९३२ ई० की विविध धाराओं के अनुसार होता है।¹

शराकत के दावे मुआहिदा के अनुसार होते हैं और यदि कोई ऐसा मुआहिदा न हो तो कानून मुआहिदा के अनुसार साम्पा तोड़ने के लिये दफा २१४ में दी हुई किसी विनाय पर दावा किया जा सकता है। वह विनाय अर्जी दावे में शराकती शर्तों के साथ स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये। इसके साथ हिसाब भी माँगा जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो रिसीवर नियत करने की प्रार्थना भी की जा सकती है। यदि हिसाब माँगा जाय तो साम्पादारों के हिस्से और वह शर्तें, जिनसे विनाय दावा पैदा हुई हो, लिखनी चाहियें।

अदालत का कर्तव्य है कि वह साम्पा तोड़ने और पक्षों के मध्य में हिसाब तय होने के लिये स्वयं डिग्रो में हुक्म दे और इसके लिये अर्जी दावे में यह लिखना कि प्रत्येक प्रतिवादी से कितना रुपया वसूल होना चाहिये जरूरी नहीं है। यदि दावे से पहिले ही शराकत फिस्क होना करार देना हो तो उसकी

तारीख और वह क्यों कर फिस्क हुई यह भी लिखना चाहिये। शराकत का हिसाब कौन रखता था और किस के पास पहीखाते इत्यादि हैं यह सब प्रश्न प्रारम्भिक डिग्री में तय किये जाते हैं।

यदि वादी किसी विशेष हिस्सेदार को मैनेजर होने के कारण या अन्य किसी कारण से हिसाब समझाने या किसी कागज या वस्तु का देनदार ठहरावे तो वे सब बातें अर्जीदात्रे में लिखनी चाहिये जिनकी वजह से ऐसी प्रार्थना की गयी हो। जहाँ पर बहुत से साझेदार होते हैं वहाँ पर साझे का काम बहुधा एक या दो साझेदार ही देखते भालते हैं। वही हिसाब और साझे की तहवील रखते हैं, इसलिये उन्हीं से हिसाब समझाने की प्रार्थना होनी चाहिये।

कानून मुआहदा की धारा २५४ में वह सब कारण लिखे हुए हैं जिनके वजह से साझा तोड़ने का दावा किया जा सकता है और रिखीवर नियत हो सकता है। यदि साझे की सम्मिलित सम्पत्ति की देखभाल आवश्यक न हो और साझे का रुपया वसूल करना न हो तब रिखीवर नियत कराना व्यर्थ होता है। इन दावों में प्रथम या श्वतदाई डिगरी के बाद प्रायः हिसाब लिया जाता है। डिगरी हो जाने पर साझेदारी नालिश दायर होने की तारीख से फिस्क या तोड़ी हुई मानी जाती है^१ और साझा टूटने से पहले एक साझेदार दूसरे साझेदार से हिसाब नही माँग सकता^२ जब तक कि साझेदारी क्रयम होने के समय ऐसा इकरार न हुआ हो।

मियाद—साझे का अन्त हो जाने पर मुनाफे या हिसाब की नालिश आर्टिकल १०६ कानून मियाद के अनुसार ३ साल के अन्दर होनी चाहिये परन्तु साझा तोड़ने या सालाना मुनाफा माँगने के लिये दावा आर्टिकल १२० के अनुसार ६ वर्ष के अन्दर किया जा सकता है।

कोर्ट फीस—हिसाब समझाने के दावे में वादी अपने हिसाब से लगभग दावे की सालियत नियत कर सकता है। यदि हिसाब से उसका रुपया अधिक निकले तब उसको डिगरी बनने से पहले शेष अधिक रुपये पर कोर्ट फीस देनी पती है।

(१) साझा तोड़ने और हिसाब समझाने के लिये दावा

१—वादी और प्रतिवादी.....साल (या महीने) से आपस में कुछ लिखी हुई प्रतिमात्रों के अनुसार सन्ने में कारखार करते थे (या लिखे हुए दस्तावेज के अनुसार या वेगो के जगदी इकरार ने, जैसा हो वैसा लिखना चाहिये)।

१ I L R 20 Mad 31.

२ A I R 1927 P C 70

३ I L R 9 A 120

२—साभे के समय में कुछ भगड़े और लड़ाई वादी और प्रतिवादी में पैदा हुई जिनकी वजह से उस कारवार को ऐसी दशा में रखना कि दोनों पक्षों को लाभ हो असम्भव है ।

(या प्रतिवादी ने साभे की शर्तों का उल्लङ्घन किया जोकि नीचे दी गई है) ।

(२) साभा तोड़ने और हिसाब समझाने के बिये दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—फरीकैन अनाज की क्रयविक्रय की एक दूकान साभे में बाजार खलीफा मडी इलाहाबाद में मई सन् १६... ..ई० से जारी हुई और अब तक जारी है ।

२ - मुद्दई का हिस्सा साभे के कारवार मे ६ आने का, और मुदायलह १ व २ मे से हर एक का हिस्सा ५ आने का, इस तरह कुल १६ आने का था और हर एक हिस्सेदार ने अपने अपने हिस्से के अनुसार रुपया लगाया और अपने अपने हिस्से के लाभ और हानि के लेने देने का इक़रार किया ।

३—फरीकैन में आपस में यह शर्त ठहरी थी कि मुदायलह नं० १ साभे की दुकान पर खरीद फरोख्त का काम करेगा और मुदायलह नं० २ उसका हिसाब किताब रखेगा और उसके कब्जे में दूकान का सामान रहेगा और मुद्दई बाहर जाकर माल खरीद कर लावेगा ।

४—मुद्दई अपना काम साभा शुरू होने से ही बड़ी कोशिश और मेहनत से करता रहा और दोनों मुदायलहम अपने जिम्मे का काम ईमानदारी और मेहनत के साथ नहीं करते ।

५—मुदायलह नं० १ अधिकतर अपने निजी काम में लगा रहता है जिससे साभे के काम का बहुत हरजा और नुक़सान होता है और मुदायलह नं० २ साभे का ठीक हिसाब नहीं रखता और उसने हिसाब का लगभग २०००) रुपया अनुचित रूप से अपने काम में लगा लिया है ।

६—ऐसी हालत में साभे का कारवार लाभ सहित नहीं चल सकता ।

७—मुद्दई ने मुदायलह से साभा तोड़ने और हिसाब समझाने को कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देते इसलिये विवश होकर यह नालिश करनी पड़ी ।

८—बिनायवादी ता०... . को हिसाब देने और साभा तोड़ने से इन्कार के आखिरी दिन से स्थान इलाहाबाद में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

९—दावे की मालियत अदालत व कोर्ट फीस के लिये १०००) रुपये हैं ।

मुद्दई प्रार्थी है कि :—

- (क) फरीकैन का साझा तोड़ दिया जावे
- (ख) सामे के कारखाने का हिसाब लिया जावे ।
- (ग) एक रिसीवर नियत किया जावे ।

(३) साझा तोड़ने व हिसाब के किये दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—फरीकैन और उनके पूर्वजो ने काटन प्रेस का एक कारखाना सन् १६— ई० से सामे में स्थान हाथरस में जारी किया और उसका नाम पूरनमल श्यामलाल काटन प्रेस रक्खा ।

२ सामे की कुल शर्तें ता०.....के लिये हुये इकरारनामे मे दर्ज हैं जो फरीकैन और उनके पुरुखों ने अपने अपने हिस्सों के विवरण के साथ लिख कर रजिस्ट्री करा दिया था ।

३ - ता०.....के इकरारनामा लिखने वालो में से कई आदमियों का देहान्त हो गया और उनके उत्तराधिकारी उनकी जगह पर कारखाने में सामी हुये । अभी तक मुकदमे के फरीकैन सामे के कारखाने में हिस्सेदार हैं और उनके हिस्से इस भाँति है :—

हिस्सा मुद्दई— $\frac{१}{४}$

हिस्सा मुद्दायलह नं० १— $\frac{१}{४}$

हिस्सा मुद्दायलह नं० २— $\frac{१}{४}$ हिस्सा मुद्दायलह नं० ३, ४, ५ व ६— $\frac{१}{४}$

हिस्सा मुद्दायलह नं० ७— $\frac{१}{४}$ ।

४— इस कारखाने का मैनेजर व कारकुन ता०.....के लिखे हुए इकरारनामे से मुद्दायलह नं० १ का पिता जमनादास नियत किया गया था और उसके देहान्त के बाद ६ साल से मुद्दायलह नं० १ है ।

५— मुद्दायलह नं० १ सामे के कारखाने का ठीक प्रबन्ध नहीं करता और न हिस्सेदारों को इकरारनामे के अनुसार हिसाब समझाता है और न मुनाफा अदा करता है (यहाँ पर और भी कोई शिकायत हो तो लिखनी चाहिये जैसे.....) ।

६— मुद्दायलह नं० १ ने मुद्दायलह नं० ३ से ६ तक के सामे में एक दूसरा कारखाना खोल लिया है और अधिकतर वह गाँठ बधाई का काम उसी कारखाने में करते हैं और फरीकैन के सामे के कारखाने को नुकसान पहुँचाता है । मुद्दई को ४ साल के कोई उरमे हिस्से का लाभ नहीं मिला ।

७— मुद्दई अब कारखाने में साझा नहीं रखना चाहता ।

८— मुद्दायलह नं० ने साझा तोड़ने और हिसाब समझाने को कहा गया और रजिस्ट्री गोरिस भी दिया गया लेकिन उन्होंने प्यान नहीं दिया ।

६—विनायदावी (नोटिस देने के दिन से) ।

१०—दावे की मालियत --

११—मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(क) कारखाना पूरनलाल श्यामलाल हाथरस का साभा तोड़ दिया जावे ।

(ख) मुद्दायलह नं० १ को हुक्म हो कि वह साभे के कारखाने का हिसाब मुद्दई को समझा देवे ।

(ग) रिसीवर नियत किया जावे और ऋण वग्ल व अदा किया जावे और अन्य प्रबन्ध किया जावे ।

(घ) हिसाब से जो कुछ मुद्दई का निकले वह मुद्दई को दिलाया जावे ।

(४) साभा खतम करार देने और हिसाब के लिये दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—ता०.....के रजिस्ट्री किये हुए इकरारनामे के अनुसार फरीकैन और उनके पुरखों ने एक कारखाना काटन प्रेस कानपुर में जारी किया जिसका नाम कानपुर काटन वर्क्स रक्खा ।

२—लाला महावीर प्रसाद उस कारखाने के मैनेजर नियत हुये और कारखाने मे हिस्सेदार भी थे । आमदनी और खर्च का सब हिसाब कित्ताब इकरारनामे की शर्तों के अनुसार उन्हीं के पास रहा करता था और उन्ही की मारफत हिस्सेदारों को बटवारा हुआ करता था ।

३—उस इकरारनामे में यह शर्त है कि आमदनी और खर्च का हिसाब सालाना हुआ करेगा और हिस्सेदारो के मंजूर किये हुये खर्चों को काट कर बचा हुआ रुपया हिस्सेदारों में उनके हिस्सो के अनुसार बाँट दिया जाया करेगा ।

४—असली कुल हिस्सेदारो का देहान्त हो गया और कुछ हिस्सेदारो के हिस्से छिन गये अब उक्त कारखाने में हिस्सेदार और उनके हिस्से इस भाँति हैं—

मुद्दई = ॥ ; मुद्दायलह नं० १—॥ आना , मुद्दायलह नं० २ से ५ तक —॥॥ ; मुद्दायलह नं० ६ से ६ तक ≡॥ ; मुद्दायलह नं० १०, ११ —॥ ; मुद्दायलह नं० १२ —॥ कुल जोड़ १६ आना ।

५—ता०.....को लाला महावीर प्रसाद मैनेजर अदालत जजी कानपुर से देवा-लिया करार दे दिये गये और कानूनन साभा टूट गया और कोई अन्य व्यक्ति कारखाने का मैनेजर नियत नहीं हुआ ।

६—ता०.....को उक्त मैनेजर का हिस्सा उनके रिसीवरों के द्वारा नीलाम हो गया और उसको मुद्दायलह नं० १ ने खरीद लिया है और वह कुल कारखाने पर बेजा कब्जा करके अपने आप को मैनेजर बतलाता है ।

७ - वास्तव में अब कोई साभा स्थिति नहीं है और न मुद्दायलह नं० १ मैनेजर है ।
८—कारखाना और हिसाब किताब के कुल कागज मुद्दायलह नं० १ के कब्जे में है और उसने कारखाने का बहुत सा सामान अपने निजी काम में लगा लिया है ।

९—मुद्दायलह नं० १ से हिसाब तय करने और कारखाने का बटवारा करने के लिये बारबार कहा गया लेकिन वह राजी नहीं होता ।

१०—विनायदावी (मुद्दायलह नं० १ के अनुचित अधिकार करने के दिन से) ।

११—दावे की मालियत—

१२—मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ , उक्त कारखाने में फरीकैन का सामान खतम करार दिया जावे ।

(ब) साभे का कुल हिसाब किताब समझाया जावे और कारखाने को जो ऋण देना लेना हो वह अदा व वसूल किया जावे । कुल खर्चा व देन लेन के बाट जो नकद रुपया और साभे का सामान हो वह हिस्सेदारों में उनके हिस्सों के अनुसार बाँट दिया जावे ।

(क) रिसेवर नियत किया जावे ।

(५) तोड़े हुये साभे का हिसाब समझाने के लिये दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि मुद्दायलह और मुद्दई के चचेरे भाई कड़हरमल की आठत की दूकान और टाल मुडसान दरवाजा शहर हाथरस में जारी थी ।

२—यह कि दूकान और टाल में कड़हरमल और मुद्दायलह आधे आधे के हिस्सेदार थे ।

३—यह कि कड़हरमल ता०.....को मर गया और उसके मर जाने की वजह से साभा टूट गया ।

४—यह कि साभे की दूकान का कुल हिसाब किताब और रोकड़ बाकी मुद्दायलह के कब्जे में हैं ।

५—मुद्दई कड़हरमल का उत्तराधिकारी हैं और उसने कई बार मुद्दायलह से प्रार्थना की कि जो कुछ हिसाब कर के कड़हरमल का निकलता हो वह मुद्दई के हवाले करे लेकिन मुद्दायलह ने इस पर ध्यान नहीं दिया ।

६—विनायदावी (मुद्दायलह के इन्कार करने के दिन से) ।

७—एक समय दावे की मालियत अदालत के अद्विगार व वेर्ट फीस के लिये (१००) रुपया रखी जाती है अगर हिस्से में इन्होंने ज्यादा रुपया निवलेगा तो उस पर मुद्दई अदालत कोर्ट फीस बढ़ा करेगा ।

मुद्दई प्रार्थी है कि साभे की दुकान और टाल का हिसाब मुद्दायलह से लिया जावे और कुल लेन देन का हिसाब वेवाक क (के नकद रुपया और स्टोक व वारदाना इत्यादि में से, जो कुछ हिस्सा कड़हरमल का करार दिया जावे वह मुद्दायलह से मुद्दई को दिलाया जावे और इसके लिये यदि रिसीवर नियत करना जरूरी समझा जावे तो उसके लिये हुक्म दिया जावे ।

* (६) मुनाफे के लिये एक हिस्सेदार का मैनेजर पर दावा

१—मुद्दई काटन जिनिङ्ग के कारखाने में जिसका नाम रामलाल प्यारेलाल है एक चौथाई का हिस्सेदार है ।

२—मुद्दायलह उस कारखाने का कुल हिस्सेदारों की तरफ से मैनेजर व कारकुन नियत हुआ है और उसका यह कर्तव्य है कि वह हर साल की पहिली अगस्त को मुनाफा हिस्सेदारों में बाँट देवे और उस का हिसाब उनके पास भेज देवे ।

३—मुद्दायलह ने सन्.....से.....तक लाभ का हिसाब मुद्दई के पास भेजा लेकिन मुनाफे का रुपया बार बार माँगने पर भी नहीं भेजा ।

(देखो नोट नं० १ व ३,)

४—ऊपर लिखे इकरारनामे में यह शर्त है कि पहिली अगस्त के बाद लाभ देने की दशा में मैनेजर लाभ के रुपयों पर आठ आना सैकड़ा माहवारी के हिसाब से सूद का देनदार होगा । मुद्दई इस लिये सूद लेने का हकदार है ।

(देखो नोट नं० २,)

५—हिसाब से मुद्दई का.....रुपया मुद्दायलह के ऊपर निकलता है ।

* नोट नं० १- अगर मुद्दायलह ने लाभ का हिसाब न भेजा हो तो फिकरा नं० ३ में यह भी लिखना चाहिये । लेकिन इस हालत में लाभ की रकम ठीक ठीक मालूम नहीं हो सकती ।

नोट नं० २—अगर सूद की दर इकरारनामे में न दी गई हो तो सूद बतौर हरजा भी वसूल किया जा सकता है और ऐसाही फिकरा नं० ४ में लिखना चाहिये ।

नोट नं० ३—अगर मुद्दायलह की जिम्मेदारी वजाय इकरारनामे के और किसी तरह पर नियत हुई हो या कारखाने का दस्तूर हो तो यह भी फिकरा नं० ३ में लिखा जा सकता है ।

२०—मालिक व किरायेदार

मालिक और किरायेदार के सम्बन्ध की बाबत कई प्रकार की नालिशें हो सकती हैं। ऐसी नालिशें साधारण प्रकार से मालिक की ओर से किरायेदार के ऊपर दकाया किराया और वे दखली को होती हैं।

वे दखली की नालिश में यह आवश्यक है कि किरायेदारी नालिश दायर करने से पहिले खतम हो चुकी हो वरना मालिक को दखल पाने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

किरायेदारी का अन्त कई प्रकार से हो सकता है। प्रथम यह कि मालिक किरायेदार को पन्द्रह दिन का (जहाँ पर साहवारी किरायेदारी हो) या ६ महीने का (जहाँ पर सालाना किरायेदारी हो) दफा १०६ कानून इन्तकाल जायदाद के अनुसार नोटिस दे देवे और किरायेदारी खतम कर देवे। ऐसे नोटिस देने में यह ध्यान रखना चाहिये कि नोटिस की मियाद किरायेदारी की अन्तिम तिथि पर खतम होनी चाहिये।

यदि किरायेदारी किसी नियत अवधि के लिये हो और किरायेनामें से नोटिस देने की शर्त न हो तब उस अवधि के पूरा हो जाने पर नोटिस देना आवश्यक नहीं होता और किरायेदारी अन्त हो जाती है।

तीसरी किरायेदारी खतम करने की विधि यह होती है कि किरायेदार की मालिक की मित्कयत से इन्कार करने पर या किसी तीसरे मनुष्य को उसका मालिक बढाने पर, मालिक नोटिस देकर किरायेदारी का अन्त कर सकता है। और भी दशाओं से जो दफा १११ कानून इन्तकाल जायदाद में दी हुई है किरायेदारी खतम की जा सकती है।

वेदखली के दावों में जिस विनाय पर वेदखल करना हो वह दिखानी चाहिये। यदि नोटिस के विनाय पर हो तो ध्यान रहे कि नोटिस, तहरीरी और नोटिस देने वाले का दस्तखती होना चाहिये और कम से कम १५ दिन (मकान इत्यादि के लिये) या ६ महीने का (खेत, जमीन वगैरह के लिये) होवे। यदि नियत समय के पूरा हो जाने पर वेदखली का दावा हो तो नोटिस देने की जरूरत नहीं होती।

किराये के दावों से किराये देने का इन्कार और दकाया का रुपया साफ तौर पर दिखाना चाहिये। यदि किराया नामा किसी नियत समय के लिये था तो मुद्दालह का बच्चा दिखाना जरूरी नहीं है लेकिन अगर किरायेनामा नियत समय के लिये न हो तो यह दिखाना कि उस समय में जिसके लिये दावा किया जाता है मुद्दालह जायदाद पर कब्जा रहा, जरूरी होता है। किरायेनामों के विनाय पर दावे से मुद्दालह, मुद्दई के मालिक होने से इन्कार नहीं

कर सकता इसलिये अर्जी दावे में मुद्दे का मालिक होना लिखना आवश्यक नहीं है। दावा करने की तारीख पर जो कुछ बकाया हो वह सब दावे में शामिल कर लेना चाहिये नहीं तो उसके लिये आर्डर २ क्रायदा २ जज्वा दीवानी के अनुसार दूसरा दावा नहीं किया जा सकता।

किरायेदार की तरफ से मालिक के विरुद्ध नालिशें कम होती हैं कभी कभी किरायेदारी का सम्बन्ध नियत हो जाने पर भी मालिक किरायेदार को कब्जा नहीं देता या कोई मरम्मत या तामीर जिसका फरीकैन में इत्तार हुआ हो नहीं कराता। ऐसी सूरतों में किरायेदार की ओर से नालिश की जा सकती है।

मियाद—किरायेदारी, ज्वाानी, पट्टा, सरसत या बिना रजिस्ट्री किये हुये किराये नामे से जहाँ उत्पन्न हो वहाँ पर आर्टिकल ११० कानून मियाद के अनुसार ३ साल की मियाद होती है। यदि किरायेनामा रजिस्ट्री किया हुआ हो तो मियाद ६ साल की होती है (आर्टिकल ११६) बेदखली का दावा १२ साल के अन्दर दायर किया जा सकता है (आर्टिकल १३९ कानून मियाद)

कोर्ट फीस—बेदखली के लिये किरायेदार के विरुद्ध सिर्फ एक साल के किराये पर कोर्ट फीस लिया जाता है।

नोट :—पिछले महायुद्ध की वजह से प्रायः सभी बड़े शहरों में मकानों की कमी के कारण किरायेदारों की रक्षा के लिये मध्यवर्ती सरकार की ओर से आर्डिनेन्स पास किये गये थे। और इसी अभिप्रायः से महायुद्ध अन्त हो जाने पर भी भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न कानून पास किये गये हैं। संयुक्त प्रान्त में एक्ट नं० ३ सन् १९४७^१ ३० सितम्बर १९४८ तक प्रवर्तित है इस कानून की अवधि हाल ही में १९५० तक बढ़ा दी गई है। इसलिये इस अवधि तक मालिक और किरायेदार के दावों में इस प्रान्त में या अन्य प्रान्तों में जहाँ ऐसे ही दूसरे विधान लागू हों, नालिश करने से पहले उनको देख लेना चाहिये।

* (१) मालिक की पेड़ काटने से रोकने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

- १—वादी (यहाँ सम्पत्ति का वर्णन करना चाहिये) का मालिक है।
- २—प्रतिवादी उस पर वादी के दिये हुये पट्टे के अनुसार अधिकृत है।
- ३—प्रतिवादी ने वादी की बिना सहमति कई कीमती पेड़ काट डाले हैं और वेचने के लिये कई और पेड़ काट डालने को कहा है।

(फिकरा नं० ४-५ नमूना नं० १ यहाँ पर लिखना चाहिये)

1. The United Provinces Temporary Control of Rent and Eviction Act, 1947

*यह शिड्यूल १ परिशिष्ट (अ) जाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर १६ है। इस्तेमाल और दखल के वाचत नमूने पद ६ में दिये जा चुके हैं।

६—वादी प्राची है कि प्रतिवादी उस जमीन में कोई और पेड़ काटने या और किसी से पेड़ कटवाने से, अदालती हुकम से रोक दिया जावे । (यहाँ पर नकद मुआवजा दिलाने की प्रार्थना भी की जा सकती है) ।

(२) मासिक की पट्टे व कबूलियत के ऊपर नालिश

१—ता०.....के रजिस्ट्री किये हुये पट्टे से मुद्दई ने एक मजिल पक्की दूकान जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी हुई है स्थित बाज़ार ... शहर.....मुद्दायलह को ७ साल के लिये किराये पर दी ।

२—मुद्दायलह ने उसी तारीख को किरायेदारी की निस्वत कबूलियत लिखदी और रजिस्ट्री करा दी और उसमे हर महीने की अन्तिम तारीख को २५) रुपया मासिक के हिसाब से किराया देना इक़रार किया ।

३—मुद्दायलह दूकान पर किरायेदार की हैसियत से काबिज़ है और उसके ऊपर किराया इस भाँति बाकी है—

ता०.....से लेकर ता०.... तक, कुल.....महीने का २५) रुपया मासिक की दर से.....रुपया ।

४—कबूलियत में लिखी हुई शर्त के अनुसार मुद्दायलह वक़ाया रुपये पर १२ आना सैकड़ा माहवारी के हिसाब से सूद पाने का हक़दार है ।

(३) मासिक के वारिस की तरफ़ से किराये की नालिश

(सिरनामा)

मुद्द या निम्नलिखित निवेदन करती हैं: --

१—कस्बा जहारी परगना टप्पल में मुद्दया की एक मजिल पक्की और कच्ची दूकान (जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी हुई है) स्थित है और भण्डावाली के नाम से मशहूर है ।

२—यह दूकान मुद्दया के पति तेजराम ने खरीदी और बनवाई थी और उसका सामने का थोड़ा सा हिस्सा मुद्दया ने कुछ दिनों से पक्का बनवा लिया है ।

३—इस दूकान पर कई किरायेदार मुद्दया के पति की तरफ़ से बैठते और किराया अदा करते रहे ।

४—ता० ई० से मुद्दायलह उस दूकान पर १०) रुपया माहवारी के हिसाब से मुद्दया के पति की तरफ़ से किरायेदार था और समय समय पर मुद्दया के पति को किराया अदा करता रहा । ता० को मुद्दायलह ने किराये में ५०) रुपया मुद्दया को अदा किये और आगे के लिये ता०.....से किराया—द्वज्जय १०) रुपये के ८) रुपया माहवार—मुद्दया से मजूर करा लिया ।

५—मुद्दायलह के ऊपर हिसाब से.....रुपया किराये की बाबत बाकी है।

६—बिनायदाबी हर माह की ता० २२ को किराया वाजिब होने के दिन से पैदा हुई। मुद्दैया वतौर हरजा बकाया रुपये पर एक रुपया सैकड़ा मासिक के हिसाब से सूद पाने की हकदार है।

७—मुद्दैया प्रार्थी है कि बकाया किराया व सूद का.....रुपया मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक उसको मुद्दायलह की ज्ञात व जायदाद से दिलाया जावे।

(४) अवधि समाप्त होने पर मासिक की दखल और किराये के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने एक मंज़िल कच्चा नौहरा स्थित मौज़ापरगना..... प्रतिवादी को ता०.....की रजिस्ट्री युक्त कबूलियत से ३ साल के लिए १५) मासिक किराये पर दिया और किराया हर मास देना ठहरा।

२—यह ३ साल ता०.....को खतम हो गईं।

३—प्रतिवादी के ऊपर ६ महीने का किराया ता०.....से ता०..... तक बाकी है।

४—वादी जायदाद पर दखल और बकाया किराया पाने का अधिकारी है और उसको किरायेदारी समाप्त होने के दिन से दखल मिलने के दिन तक हरजाना दिलाया जावे।

६—दावे के कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) उसको दखल दिलाया जावे।

(ब) ६०) रुपया शेष किराया दिलाया जावे।

(क) दखल मिलने तक का हरजाना दिलाया जावे।

(५) नोटिस देने के बाद किराये व दखल की नालिश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दई की एक दो खनी दूकान जो कि सब्जी मंडी शहर कोल में स्थित है ता०..... से २२) रुपया मासिक किराये पर मुद्दायलह के पास है ।

२—मुद्दायलह ने एक किरायेनामा ता०.....को मुद्दई के नाम लिख दिया था जो पेश किया जाता है ।

३—मुद्दायलह के ऊपर ४ महीने का किराया ४८) रुपया शेष है । मुद्दई को, मुद्दायलह को किरायेदार रखना मंजूर नहीं है और उसने मुद्दायलह को एक नोटिस भी दे दिया है ।

४—मुद्दायलह नोटिस देने पर भी दूकान खाली नहीं करता और न किराया अदा करता है । मुद्दई दूकान पर दखल और किराये का रुपया पाने का हकदार है ।

५—विनायदावी, दखल के बावत नोटिस की अवधि समाप्त होने के दिन से और किरायेदारी खतम होने के दिन से पैदा हुई, और किराये की बावत हर महीने की ११ तारीख से रधान कोल में पैदा हुई ।

६—दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस के लिये वार्षिक किराया १४४) रुपया और बकाया ४८) रुपया कुल १९२) रुपया है ।

७—मुद्दई प्रार्थी है :—

(अ) कि उसको ऊपर लिखी दूकान जिसकी चौहद्दी नीचे दर्ज है, पर दखल दिलाया जावे ।

(ब) ४८) रुपया बकाया किराया भय खर्च नालिश व सूद दिलाया जावे ।

(६) मुर्तद्दिन वा राहिन किरायेदार के ऊपर, ज्ञायदाद के दखल के लिये दावा

(चिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१— ता० २५ अक्टूबर सन् १९— ई० के लिखे हुये दखली रहननामे से मुद्दायलह ने एक मजिल पक्की दूकान स्थित किनारी बाजार आगरा जिल्हे चारों चौहद्दी नीचे लिखी हुई ह मुद्दई के पास दखली रहन की और उसी तारीख को किराया नामा लिख कर मुद्दायलह ने यह दूकान मुद्दई से किराये पर ले ली और उसने मुद्दई की मर्जी के अनुसार माह उमाह किरायेदार की हैसियत में कब्जिज रहा ।

२—मुद्दायलह की किरायेदारी ता० के नोटिस से २५ नवम्बर सन् १९— ई० को समाप्त हो गई ।

३—मुद्दई उस दूकान पर दखल पाने का हकदार है ।

५—मुदायलह के ऊपर हिसाब से..... ..रुपया किराये की वाजत बाकी है।

६—विनायदावी हर माह की ता० २२ को किराया वाजित होने के दिन से पैदा हुई। मुद्दैया वतौर हरजा वक़ाय़ा रुपये पर एक रुपया सैकड़ा मासिक के हिसाब से सूद पाने की हक़दार है।

७—मुद्दैया प्रार्थी है कि वक़ाय़ा किराया व सूद का.....रुपया मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक उसको मुदायलह की ज़ात व जायदाद से दिलाया जावे।

(४) अवधि समाप्त होने पर मासिक की दख़ल और किराये के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने एक मंज़िल कच्चा नौहरा स्थित मौज़ापरगना..... प्रतिवादी को ता०.....की रजिस्ट्री युक्त कबूलियत से ३ साल के लिए १५) मासिक किराये पर दिया और किराया हर मास देना ठहरा।

२—यह ३ साल ता०.....को ख़तम हो गईं।

३—प्रतिवादी के ऊपर ६ महीने का किराया ता०.....से ता०..... तक बाकी है।

४—वादी जायदाद पर दख़ल और वक़ाय़ा किराया पाने का अधिकारी है और उसको किरायेदारी समाप्त होने के दिन से दख़ल मिलने के दिन तक हरजाना दिलाया जावे।

६—दावे के कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) उसको दख़ल दिलाया जावे।

(ब) ६०) रुपया शेष किराया दिलाया जावे।

(क) दख़ल मिलने तक का हरजाना दिलाया जावे।

(५) नोटिस देने के बाद किराये व दख़ल की नालिश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दई की एक दो खनी दूकान जो कि सब्जी मंडी शहर कोल में स्थित है ता०..... से २२) रुपया मासिक किराये पर मुद्दायलह के पास है ।

२—मुद्दायलह ने एक किरायेनामा ता०.....को मुद्दई के नाम लिख दिया था जो पेश किया जाता है ।

३—मुद्दायलह के ऊपर ४ महीने का किराया ४८) रुपया शेष है । मुद्दई को, मुद्दायलह को किरायेदार रखना मंजूर नहीं है और उसने मुद्दायलह को एक नोटिस भी दे दिया है ।

४—मुद्दायलह नोटिस देने पर भी दूकान खाली नहीं करता और न किराया अदा करता है । मुद्दई दूकान पर दखल और किराये का रुपया पाने का हकदार है ।

५—बिनायदावी, दखल के बावत नोटिस की अवधि समाप्त होने के दिन से और किरायेदारी खतम होने के दिन से पैदा हुई, और किराये की बावत हर महीने की ११ तारीख से स्थान कोल में पैदा हुई ।

६—दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फ्रीस के लिये वार्षिक किराया १४४) रुपया और बकाया ४८) रुपया कुल १९२) रुपया है ।

७—मुद्दई प्रार्थी है :—

(अ) कि उसको ऊपर लिखी दूकान जिसकी चौहद्दी नीचे दर्ज है, पर दखल दिलाया जावे ।

(ब) ४८) रुपया बकाया किराया मय खर्च नालिश व सूद दिलाया जावे ।

(६) मुत्तद्दिन का राहिन किरायेदार के ऊपर, जायदाद के दखल के लिये दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता० २५ अक्टूबर सन् १९—ई० के लिखे हुये 'दखली रहननामे से मुद्दायलह ने एक मजिल पक्की दूकान स्थित किनारी बाजार आगरा जिसके चारों चौहद्दी नीचे लिखी हुई हैं मुद्दई के पास दखली रहन की और उसी तारीख को किराया नामा लिख कर मुद्दायलह ने यह दूकान मुद्दई से किराये पर ले ली और उसमें मुद्दई की मर्जी के अनुसार माह ब्रमाह किरायेदार की हैसियत से काबिज रहा ।

२—मुद्दायलह की किरायेदारी ता० के नोटिस से २५ नवम्बर सन् १९—ई० को समाप्त हो गई ।

३—मुद्दई उस दूकान पर दखल पाने का हकदार है ।

४ विनायदावी (ता० २५ नवम्बर सन् १६— ई० करायेदारी खतम होने के दिन से) ।

५—दावे की मालियत (एक साल का किराया) ।

६—मुद्दई प्रार्थी है कि उसको ऊपर लिखी दूकान पर मुद्दायलह को वेदखल कराकर दखल दिलाया जावे ।

(७) मालिक की दखल व किराये के लिये नालिश

१—ता०.....के लिखे हुये किरायेनामे से प्रतिवादी ने मकान नम्बरी ५४ खुशहाल पर्वत इलाहाबाद वादी से २५) रुपया मासिक किराये पर ३ साल के लिये ता०.....से लिया और उसमें रहने लगा ।

२—किरायेनामे में यह शर्त है कि प्रतिवादी मासिक किराया हर महीने की पहिली तारीख को अदा करता रहेगा और किसी महीने का किराया बाकी रहने पर वादी को, प्रतिवादी को वेदखल करने का अधिकार होगा । -

३—प्रतिवादी अभी तक मकान में किरायेदार की तरह रह रहा है उसने ता०..... तक का किराया अदा किया और ता०.....तक का किराया बाकी है जो प्रति वादी अदा नहीं करता ।

४—वादी मकान पर दखल पाने का और बाकाया किराया और हरजा पाने का हकदार है । वादी ने प्रतिवादी को किरायेदारी खतम करने का नोटिस दे दिया है ।

(८) मिलकियत इन्कार करने पर दखल की नालिश

१—प्रतिवादी नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी और वादी के पूर्वजों की तरफ से किरायेदार है और इसी हैसियत से उस पर क़ाबिज है ।

२—ता०ई० तक इस जायदाद का किराया १२५) रुपया वार्षिक प्रतिवादी वादी को अदा करता रहा ।

३—उसके बाद से प्रतिवादी ने वादी को किराया देना बन्द कर दिया और अब वादी को उस जायदाद का मालिक होने से इन्कार करता है और अपने आपको मालिक बतलाता है ।

४—वादी इस जायदाद पर दखल पाने का दावेदार है और प्रतिवादी को किरायेदारी खतम करने और जायदाद खाली कराने की नीयत से कानूनी नोटिस दे चुका है ।

५—विनाय दावी (मिलकियत इन्कार करने के दिन से) ।

(९) दखल व किराये के लिये एवजी किरायेदार पर नाक़िश
(सिरनामा)

मुद्दई निम्न लिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दई का वालिद मुहम्मद अहमद एक मजिल अहाता नं०.....वाक़य छावनी मेरठ का मालिक था ।

२—ता०.....ई० के लिखे हुये किराये के इकरारनामे (पट्टा या कबूलियत) से मुहम्मद अहमद ने यह अहाता ७) रुपये मासिक पर मुहम्मद बक्स नामी एक आदमी को ७ साल के लिये किराये पर उठाया । किराया हर महीने देना ठहरा था ।

३—मुहम्मद बक्स उस अहाते पर काबिज रहा और मुद्दई के पिता को किराया अदा करता रहा । बाद को उसने ता०.....को बैनामा लिख कर अपने किरायेदारी के हक़क मुद्दायलह के नाम कर दिये । उस वक्त से मुद्दायलह जायदाद पर काबिज हो गया और मुहम्मद अहमद को किराया अदा करता रहा ।

४—मुहम्मद अहमद का ता०.....को इन्तकाल हो गया । अकेला मुद्दई उसका वारिस और अहाते का मालिक है ।

५—ता०.....ई० को मुद्दई ने मुद्दायलह को नोटिस दिया कि वह अहाते को ता०..... तक खाली कर देवे ।

६—मुद्दायलह ने मुद्दई को अहाते पर दखल नहीं दिया और दखल देने से इन्कार करता है और उस पर अनुचित रूप से काबिज है ।

७—मुद्दायलह ने ता०.....ई० तक का किराया अदा कर दिया है उसके बाद का किराया उस पर वाकी है ।

८—बिनाय दावा वावत दखल, किरायेदारी खतम होने के दिन, ता०..... को और वकाया किराये की वावत पिछले हर महीने की १० ता० को पैदा हुई ।

९—दावे की मालियत —

१०—मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(क) अहाते पर दखल दिलाया जावे ।

(ख).....रुपया वकाया किराया दिलाया जावे ।

(ग) ता०.....ई० से दखल मिलने के दिन तक दरम्यानी मुनाफ़ा दिलाया जावे ।

(१०) किरायेदार की, माज़िक पर, क़ब्जे के लिये नाक़िश

१—ता०.....के रजिस्ट्री किये हुये पट्टे से मुद्दायलह ने एक मंजिल पक्का मकान स्थित मुहल्ला सराय खिरनी शहर फतेहपुर १५) रुपया मासिक किराये पर ता०.....से ७ साल के लिये मुद्दई को किराये पर दिया और इकरार किया कि मुद्दई (उसके उत्तराधिकारी

था उसके कायम मुकामों) के, उपर लिखा हुआ किराया देते रहने पर इकरारी अर्वाधि तक उनके दखल और कब्जे में वह मकान रहेगा और मुद्दालयह या उसके उत्तराधिकारी व कायम मुकाम या उसके द्वारा से उसके साभ्नी या दावीदार, वादी के कब्जे व दखल में किसी तरह की रुकावट या मदाखलत न कर सकेगे (पट्टे में जो कुछ शर्त हो वह लिखनी चाहिये) ।

२—मुद्दई ने उसी तारीख को मकान की किरायेदारी मजूर करली और मुद्दालयह के नाम कबूलियत लिख कर रजिस्ट्री करा दी ।

३—मुद्दालयह उस मकान का पूरी तौर पर मालिक नहीं था और वह ७ साल के लिये उसको किराये पर मुद्दई के हाथ नहीं उठा सकता था ।

४—पट्टे व कबूलियत के लिख जाने के बाद महावीर प्रसाद मुद्दालयह के सगे भतीजे ने एक दावा इस मुकदमें के दोनों फरीकैन पर मकान के पट्टे व दखल की मसूखी के लिये इस विनाय पर किया कि वह मकान एक मुशतर्का खानदान की जायदाद है जिसके मुद्दालयह व महावीर प्रसाद सदस्य हैं और अकेले मुद्दालयह को, विना महावीर प्रसाद की सहमति जायदाद को ७ साल के पट्टे पर देने का कोई अधिकार नहीं था ।

५—यह दावा पहिली अदालत से मुद्दालयह की जवाबदही करने पर भी ता०... ..को डिग्री हुआ और अपील से ता०को वह फैसला बहाल रहा ।

६—इस फैसले के बमूजिब महावीर प्रसाद ने बजरिये अदालत मुद्दई को ता०.....को वेदखल करके खुद दखल ले लिया ।

७—मुद्दई मकान में रहने और उसके इस्तेमाल से रोक दिये जाने पर हरजा पाने का हकदार है।

(११) मालिक की किरायेदार पर मरम्मत न कराने पर नालिश

१—ता०.....को प्रतिवादी ने वादी से एक मंजिल कच्चा व पक्का मकान स्थित मदार दरवाजा अनूपशहर.....रुपया मासिक पर ३ साल के लिये किराये को लिया और उसमें स्वयं रहने लगा ।

२—किरायेदारी के बावत वादी ने प्रतिवादी के नाम रजिस्ट्री किया हुआ पट्टा और प्रतिवादी ने वादी के नाम रजिस्ट्री की हुई कबूलियत लिखाई । असली कबूलियत नालिश के साथ दाखिल की जाती है ।

३—कबूलियत में शर्तें यह हैं :—

(१) यह कि जब तक वह किरायादार प्रतिवादी उस मकान में रहेगा अपने ध्यय से मकान की हर वर्ष मरम्मत कराता रहेगा और उसको रहने के योग्य रखेगा ।

(२) मौजूद मकानात को किसी तरह बदल नहीं सकेगा और न उनकी हालत को किसी प्रकार से बिगड़ने देगा ।

४—प्रतिवादी ने इन शर्तों के विरुद्ध मकान की २ वर्षों से सफेदी और मरम्मत नहीं कराई जिस कारण उसकी छूते खराब हो गई हैं और चूती हैं, जगह जगह पर दीवाल और फर्श का पलस्तर उखड़ गया है और बालाखाने की दो कड़ियाँ टूट गई हैं इसके अलावा प्रतिवादी ने एक खिड़की जो हवा व रोशनी के लिये सड़क की तरफ थी निकलवा दी है और उस जगह को बहुत भद्दी तरह ईंटों से बन्द करा दिया है और मकान की दशा किल्कुल खराबकर रखी है ।

(१२) किरायेदार की मालिक पर हरजे की नालिश

१—ता०.....को प्रतिवादी ने एक रजिस्ट्री युक्त दस्तावेज लिख कर वादी को मकान नं०.....स्थित.....शहर..... साल के लिये कुछ शर्तों पर किराये पर दिया और प्रतिवादी ने वायदा किया कि वादी और उसके कायम मुकाम इस मुदत तक उस मकान पर उचित रूप पर त्रिला एतराज काबिज रहेंगे ।

२—वादी को नालिश का अधिकार देने के लिये जिन जिन शर्तों का तोड़ना आवश्यक था वह तोड़ी गईं ।

३—ता०.....को इकरारी अवधि के अन्दर रामनरायन, उस मकान के असली मालिक ने वादी को उस मकान से निकलवा दिया और उसको अब तक कब्जा नहीं देता ।

४—इस वजह से वादी अपना दर्जीगीरी का पेशा उस मकान में नहीं कर सकता और वहाँ से निकल जाने में उसका.....रुपया व्यय हुआ और (अ—ब—क इत्यादि) का काम उसके हाथ से जाता रहा ।

२१—दस्तावेजों की तरमीम या मन्सूखी

(Rectification and Cancellation of Documents)

किसी नीति-पत्र या दस्तावेज के संशोधन (तरमीम) की आवश्यकता जब उत्पन्न होती है जब कि उस दस्तावेज से उसके दोनों पक्षों का वह अभिप्राय प्रगट न होना हो जो कि उसके लिखने में उनका उद्देश्य था । यदि ऐसी त्रुटि किसी एक पक्ष की गलती या असावधानी से उत्पन्न हुई हो तो साधारण प्रकार से उस नीति-पत्र का संशोधन नहीं हो सकता । परन्तु यदि वह नीति-पत्र दोनों पक्षों की गलती या उनके भ्रम से उत्पन्न हुआ हो तो उसका संशोधन अदालत से कराया जा सकता है और ठीक ऐसीही दशा में यह कहा जा सकता है कि वह उभयपक्ष की अभिप्राय व इच्छा को उचित रूप से प्रगट नहीं करता ।

यदि एक ही पक्ष कोई भूल कर रद्द हो और ऐसी भूल दूसरे पक्ष के धोखे या असत्यवर्णन इत्यादि के कारण उत्पन्न हुई हो तभी वह दस्तावेज के संशोधन कराने या उसके खंडित कराने का दावा कर सकता है। यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष से कोई दस्तावेज बलपूर्वक, अनुचित दबाव, धोखा या फरेब अथवा असत्य वर्णन से लिखा लेता है या कोई पक्ष दस्तावेज लिखने के समय अवयस्क (नाबालिग) अथवा विवेक हीन (फातिरुल-अबल) होता है तब उसके विरुद्ध वह दस्तावेज पूर्णरूप से या अंश रूप से जैसी दशा हो व्यर्थ या प्रभाव रहित होता है और वह पक्ष उसके संशोधन कराने या खंडित एलान किये जाने का दावा कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रतिज्ञा बिना बदल या अपूर्ण बदल के होवे अथवा किसी साधारण नीति के विरुद्ध होवे जैसे जूए की हार के बदले में दस्तावेज लिखाना इत्यादि, यह भी ऐसे कारण हैं जिनसे दस्तावेज की तरमीम या मन्सूखी कराई जा सकती है।

यदि दावा तरमीम कराने का हो तो वादी को अर्जीदावे में फरीकैन की असली मन्शा, और यह कि वह दस्तावेज में उचित प्रकार से तहरीर नहीं की गई और इन दोनों में क्या फर्क है दिखाना चाहिये। यह अन्तर किस प्रकार से हुआ (धोखे से या गलती से हुआ हो तो दोनों फरीकैन ने गलती की हो) और उससे वादी को जो हानि हुई हो या होने का भय हो यह भी दिखाना चाहिये।

किसी दस्तावेज को मन्सूख या खंडित कराने के लिये वादी को दो बातें दिखानी चाहिये (१) यह कि दस्तावेज खंडित है या उसके खंडित कराने का वादी को अधिकार प्राप्त है। (२) यह अगर दस्तावेज इसी हालत में छोड़ दिया जाय तो वादी को बहुत हानि पहुँचने का भय है। (दफा ३६ कानून दादरसी खास)। इसलिये अर्जीदावे में यह बातें होना आवश्यक हैं—

(१) दस्तावेज का संक्षिप्त बयान।

(२) वह वाक्यात जिनसे वह मन्सूख किया जा सकता है।

(३) दस्तावेज मन्सूख न कराने पर वादी को क्या हानि हो सकती है।

दस्तावेज मन्सूख कराने के लिये स्पष्ट रूप से प्रार्थना करनी चाहिये, सिर्फ इस्तफरार कराना हर जगह काफी नहीं होता। यदि दस्तावेज से दखल भी दे दिया गया है तो अदालत वादी को दखल की दरखवास्त करने पर मजबूर कर सकती है।

मियाद—दस्तावेज की तरमीम के लिये दावा तीन साल के अन्दर उस तारीख से जब कि वादी को दोनों पक्षों की गलती अथवा अन्य पक्ष के धोखे, असत्य वर्णन इत्यादि का ज्ञान हुआ जहाँ दावा दस्तावेज की मन्सूखी के लिये हो और

ऐसा दस्तावेज खंडित या बेअसर न हो तो तीन साल की होती है ।¹ परन्तु यदि वह दस्तावेज शुरू से ही वादी के विरुद्ध खंडित और बे असर हो तो तीन साल की मियाद लागू नहीं होती क्योंकि वादी उस दस्तावेज को बिना मन्सूख कराये भी दखल या अन्य उचित प्रार्थना का दावा कर सकता है और ऐसी दशा में मियाद ६ साल की होती है यदि वादी और उसके पूर्वाधिकारी दस्तावेज में फरीकैन हो² वसीयत नामे की मन्सूखी के लिये भी मियाद ६ साल की होती है ।³

कोर्ट फीस—यदि दावा सिर्फ इस्तकरार का हो कि अमुक रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज मुद्दे के विरुद्ध काल अदम और बे असर है और अन्य कोई प्रार्थना की गई हो (consequential relief) तो दफा १७ (३) कोर्ट फीस ऐक्ट के अनुसार नियत कोर्ट-फीस लगता है⁴ लेकिन यदि दस्तावेज की मन्सूखी की भी प्रार्थना की गई हो तो आर्टिकल १ परिशिष्ट १ कोर्ट फीस ऐक्ट के अनुसार मालियत पर कोर्ट फीस लगाना चाहिये ।⁵

(१) भूक के आधार पर प्रतिज्ञा मनसूख कगने के लिये, दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१--ता०.....को प्रतिवादी ने वादी से यह बयान किया कि एक कित्ता भूमि क्षेत्रफल ता०.....बीघा स्थित... .. प्रतिवादी की है ।

२ - वादी को उस जमीन को... ..रुपया में खरीदने के लिये यह भूँटा विश्वास दिलाया गया कि वह बयान सच है और वादी ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर दिये जो कि इस नालिश के साथ दाखिल किया जाता है । उस जमीन का किवाला वादी के नाम नहीं लिखा गया ।

३ - ता०को वादी ने प्रतिवादी को कुछरुपया उसकी कीमत के बावत अदा कर दिये ।

४—यह जमीन असलियत में केवल ५ बीघे निकली ।

५—बिनाय दात्री —

६—दावे की मालियत —

वादी की प्रार्थना —

(अ) रुपया मयसूद ता०से दिलाया जावे ।

(ब) वह इकरारनामा वापिस करा दिया जावे और मनसूख कर दिया जावे ।

1 Article 91 Limitation Act ; I L R 50 All 510 ; A. I R. 1928 All 268

2 22 I. A 171 ; A I. R 1926 Lah 635.

3 Art 120 Limitation Act ; 51 I C 943.

4 1935 L J. R 869 F B ; A. I. R. 1935 All, 817.

5 I.L R 5 Luck 235.

(२) धोखे से कराई हुई प्रतिज्ञा की मनसूखी के लिए

१—वादी १० बीघे पक्की भूमि नं०.....स्थित मौजा नूरपुर तहसील फतेहगढ़ जिला आगरा का मालिक और जमींदार है ।

२—यह मौजा वादी के निवास स्थान से लगभग ३ मील की दूरी पर है और रेल या पक्की सड़क न होने से वादी का वहाँ आना जाना बहुत कम होता है ।

३—वादी की यह जमीन बहुत घटिया दरजे की है जिसको चिरस्थायी कृषक गैर मौरूसी किसान) बहुत कम लगान पर जोता बोया करते हैं ।

४—प्रतिवादी ने इस जमीन के मोल लेने के लिये उसके मुनाफे के लिहाज से (जो कि सरकारी मालगुजारी देने के बाद लगान से वसूल होता है) ता०.....कोरूपया में, वादी से खरीदारी का मुआहिदा किया ।

५—इस मुआहिदे की बाबत वादी ने एक इकरारनामा प्रतिवादी के नाम लिख कर उसी तारीख को उसके हवाले कर दिया ।

६—वादी को मालूम हुआ है कि उस जमीन में ३ फिट की गहराई पर एक बहुमूल्य कोयले की खान है जिसका मुआहिदे के समय वादी को कोई ज्ञान नहीं था । प्रतिवादी को कोयले का वहाँ मौजूद होना मालूम था और वादी के पीछे उसने भूमि को जगह जगह पर खोद कर यह अच्छी तौर पर निश्चय कर लिया था । मुदायलह ने यह बात वादी को नहीं बताई और उसके जान बूझकर धोखे में रक्खा ।

७—उक्त प्रतिज्ञा प्रतिवादी ने जान बूझकर धोखे के साथ कराई थी और वादी पर माननीय नहीं है ।

(३) बेहोशी की दशा में लिखाये हुये वसीयतनामे को मनसूख कराने के लिए दावा

(सिरनामा)

मुद्दया नीचे लिखी अर्ज करती है :

१—मुद्दया के पिता लालसिंह बहुत स्त्री जायदाद, शहरी व जमींदारी के, मुरादाबाद के जिले में मालिक व काबिज थे ।

२—उक्त लालसिंह का ८० साल की उम्र में ता० १६ जून १६.....ई० को देहान्त हो गया ।

३—लालसिंह के कोई औलाद नहीं थी और उनकी स्त्री श्रीमती राजकुँवर उन्हीं के सामने मर चुकी थी । केवल मुद्दया उनकी पुत्री उनकी मृतक सम्पति (मतरका) की मालिक और काबिज हुई और अब भी है ।

४—लालसिंह को बहुत दिनों से बवासीर का रोग था और अधिक आयु होने

के कारण से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी और उनके अपने हानि लाभ का कोई ज्ञान नहीं रहा था।

५—मुद्दिया अधिकतर उन्हीं के पास रहती थी परन्तु जून के आरम्भ में अपनी ससुराल, श्यारोल जिला शाहजहाँपुर एक शादी में चली गई थी।

६—मुद्दिया की अनुपस्थिति में लालसिंह को बुखार आ गया और वाय की हालत हो गई। मरने से २—३ दिन पहिले वह बिल्कुल बेहोश हो गये थे और यह बेहोशी की हालत मरते समय तक रही। मुद्दायलहम ने जो लालसिंह के परिवारी हैं मुद्दिया की अनुपस्थिति और उनकी बेहोशी का अनुचित लाभ उठाकर चालाकी से कात्तिव और गवाहों को मिलाकर लालसिंह की तरफ से अपने नाम एक वसीयतनामा तैयार कराया और सब-रजिस्ट्रार को धोखा देकर उसकी रजिस्ट्री करा ली।

७—असलियत में लालसिंह ने कोई वसीयतनामा अपनी खुशी व रजामन्दी से अपने आप, होश हवास की हालत में मुद्दायलहम के नाम नहीं लिखा। और न १४ जून सन् १६.....ई० को जिस रोज कि उस वसीयतनामे की रजिस्ट्री होना दिखाई गई है, उक्त लालसिंह शारीरिक व मानसिक दुर्बलता से और बुखार व वाय की बेहोशी से, अपने हानि लाभ को सोच समझ कर अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध कर सकते या वसीयत नामा लिख सकते थे।

८—मुद्दिया मृतसम्पत्ति (मतरुका, पर काबिज़ है परन्तु मुद्दायलहम उसको तरह तरह की धमकी वेदखल करने और हानि पहुँचाने की देते हैं और एक गाँव की वावत मुद्दायलहम नं० १ ने वसीयतनामे के आधार पर अदालत माल में अपना नाम दाखिल होने के लिये ता०.....को दरखास्त दे दी है।

९—इस वसीयतनामे के बिना मंख किये हुए पड़ा रहने से मुद्दिया को आगे हानि का डर है।

१०—विनायदावी, ता० १७ जुलाई सन् १६.....ई० मुद्दायलहम के, धोखे की काररवाई मालूम होने की दिन से और ता० ...को मुद्दायलहम नं० १ की, अपना नाम दाखिल करने की दरखास्त देने के दिन से स्थान.....में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

११—दावे की मालियत अदालत के अधिकार हेतु कुल सम्पत्ति की मालियतरुपया है और कोर्ट फीस.....रुपया पर दिया गया है।

मुद्दिया प्रार्थी है कि :—

(अ) ता० १५ जून सन् १६.....ई० का रजिस्ट्री किया हुआ वसीयतनामा जो कि मुद्दिया के पिता लालसिंह का लिखा दिखाया गया है काट दिया जावे और मनसूख कर दिया जावे।

(ब) इस नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे।

(४) नाबालिग से लिखाये हुये वैनामे की मनसूखी के छिये

(सिरनामा)

षादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी अवयस्क (नाबालिग) है और उसका सर्टीफिकेट प्राप्त हुआ संरक्षक उसकी माँ, प्रतिवादी नं ३ है ।

२—प्रतिवादी नं ३ ने वादी के संरक्षक बनने का सर्टीफिकेट अदालत जजी लाहौर से प्राप्त किया जो वादी के वयस्क होने पर ता०.....को समाप्त हो गया ।

३—अवयस्क वादी और प्रतिवादी नं० १ की मित्रता थी और वह एक जगह ही उठा बैठा करते थे वादी प्रतिवादी न० १ के कहने पर चलता था और उसके काबू और बस में था ।

४—प्रतिवादी नं० १ ने वादी के अवयस्क और अनुभवहीन होने और ऐसे सम्बन्ध का अनुचित लाभ उठाया और उसको धोके से अपने बस में लाकर कई भूठे रुक्के और दस्तावेज अपने और अपने मित्रों के नाम लिखा लिये और उनके बदले में वादी को अधिक से अधिक ४००) रुपया दिये ।

५—इसके बाद प्रतिवादी नं० १ ने ता०.....के सिविल सर्जन सहारनपुर से वादी के बालिग होने का सर्टीफिकेट लेकर नीचे लिखी हुई हकीयत का वादी से अपने नाम वैनामा ७०००) रुपया अदा किए हुये दिखला कर रजिस्ट्री करा लिया लेकिन वास्तव में वादी को केवल २००) रुपया नकद दिये और बाकी पहिले कर्जों के रुककों में काट देना (मुजरा देना) दिखाया ।

६—हकीकत में यह वैनामा वादी की अवयस्कता में बिना रुपया दिये अनुचित असर डाल कर धोखे से लिखाया गया है । वह कानूनन नाजायज है और उससे नीचे लिखी जायदाद में प्रतिवादी नं १ का कोई अधिकार पैदा नहीं हुआ ।

७—वादी अभी तक इस जायदाद पर काबिज़ है और प्रतिवादी का दखल उस पर नहीं है ।

८—बिनायदावी (वैनामा लिखने की तारीख से) ।

९—दावे की मालियत अदालत के अधिकार हेतु जायदाद की कीमत यानी ७०००) रुपया है और नियत कोर्ट फीस दिया गया है ।

१०—वादी प्रार्थी है कि ता०.....का रजिस्ट्री किया हुआ वादी की ओर से प्रतिवादी के नाम नीचे लिखी हुई जायदाद की जाबत लिया हुआ वैनामा मनसूख कर दिया जावे ।

(सम्पत्ति का विवरण)

(५) भूँटे बयान और धोखे से लिखाये हुये
दस्तावेज की मनसूखी के लिये
परदा नशीन स्त्री का दावा

१—वादी एक अनपढ़ और परदा नशीन औरत है ।

२—प्रतिवादी वादी का भाई है और बहुत दिनों से वादी की ओर से उसके हिस्से की जायदाद का प्रबन्ध और तहसील वसूल करता था ।

३—वादी को हर तरह से प्रतिवादी पर विश्वास और भरोसा था और उस पर सदेह करने का कोई कारण नहीं था ।

४—लगभग दो साल पहिले प्रतिवादी ने वादी से कहा कि जायदाद के सुप्रबन्ध और निगहबानी के लिए वादी की तरफ से प्रतिवादी के नाम एक लिखे हुए पत्र की आवश्यकता है जिससे हर प्रकार के अधिकार प्रतिवादी को दे दिये जावें ।

५—वादी ने प्रतिवादी के बयान को उचित और सच समझ कर एक दस्तावेज पर जो प्रतिवादी ने ऊपर लिखे अभिप्राय के लिये लिखा हुआ बतलाया, अपने अँगूठे का निशान लगा दिया और प्रतिवादी ने उसकी रजिस्ट्री वादी को परदे में बैठा कर, भूँठा बयान करके धोखे से करा ली ।

६ वादी को उस दस्तावेज की तहरीर, उसके लिखने के या रजिस्ट्री के समय नहीं समझाई गई और न उसका मतलब व कानूनी असर बतलाया गया और न उसको किसी रिश्तेदार या और अन्य मनुष्य की सलाह मिली । वादी ने प्रतिवादी पर विश्वास होने के कारण उसके वाकत कोई सन्देह नहीं किया ।

७—लगभग २ महीने हुए कि वादी के पास अदालत माल से उसके हिस्से की जायदाद के वाकत एक दाखिल खारिज का नोटिस आया । उस समय वादी को प्रतिवादी की ईमानदारी पर सन्देह हुआ और पूँछ ताछ करने पर मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने प्रबन्ध अधिकार पत्र के बजाय वादी के हिस्से की वाकत त्याग पत्र (दस्तवरदारी) अपने नाम लिखा लिया है और उसके आधार पर वह अनुचित रीति से वादी के हिस्से की जायदाद को लेना चाहता है ।

८—असलियत में वादी ने प्रतिवादी के नाम अपने हिस्से का कोई (त्याग पत्र) नहीं लिखा और न अपने हिस्से का किसी तरह पर त्याग किया ।

९—वादी अपने हिस्से पर अभी तक काबिज है ।

१०—वह दस्तावेज बिना मनसूख किये पड़े रहने पर वादी को दाखिल खारिज के मुकदमे में हानि पहुँचने का और आगे चल कर हानि होने का भय है ।

(६) अनुचित दबाव डाल कर पर्दा नशीन स्त्री से लिखाये दूये दस्तावेज़ की मनसूखी के लिये दावा

१—वादी के पति के दादा, सुखदेव १० वीं व १८ विसवा पक्की भूमि समापुर परगना व तहसील कोल का, जोकि खाता खेवट नं० ३ मुहाल सुखदेव में दर्ज है, अकेला मालिक और काबिज था ।

२—लगभग ३२ साल हुये होंगे कि सुखदेव का देहान्त हो गया । वादी के पति लेखराजसिंह का पिता दलीपसिंह जोकि सुखदेव का लड़का था उसी के सामने मर चुका था इसलिये अकेला लेखराजसिंह उस सम्पत्ति का मालिक हुआ ।

३—लगभग ११ साल हुये होंगे कि लेखराजसिंह भी बिना औलाद छोड़े मर गया और वादी उस जायदाद पर अपने पति की अकेली उत्तराधिकारिणी होने के कारण मालिक और काबिज हुई लेकिन कौटुम्बिक प्रतिष्ठा और आपसी प्रीति के कारण लेखराजसिंह की माता लाल कुँवर का नाम वादी के नाम के साथ साथ माल के कागजों में दर्ज हो गया ।

४—वादी एक अनपढ़ और परदा नशीन स्त्री है उसको यह मामले समझने की योग्यता और बुद्धि नहीं है और वह श्रीमती लालकुँवर के बुढ़ापे और सास होने के कारण उसके काबू और दबाव में रहती थी ।

५—वादी के पति लेखराजसिंह के कुटुम्ब के लोग वादी के उत्तराधिकारी होने की वजह से उससे रंज मानते हैं और तरह तरह की मुकदमे वाजी स्वयं करते और अन्य आदमियों से कराते हैं ।

६—वादी की सास श्रीमती लालकुँवर और वादी एक ही मकान में रहती हैं । प्रतिवादी लालकुँवर का भतीजा है और वादी और लालकुँवर के पास आता जाता था और घर के काम में मदद देता था ।

७—प्रतिवादी ने वादी के साथ सहानुभूति प्रगट की और वादी को यह विश्वास दिलाया कि वह वादी का शुभचिन्तक और भला चाहने वाला है और यदि वादी उसको मुखतारआम नियत करदे तो वह उसको उसके पति के कुटुम्ब के लोगों के हमलों से बचावेगा और उनसे मुकाबला करने में उसकी बहुत सहायता करेगा और कोई भगड़ा न होने देगा ।

८—मुसम्मात लालकुँवर ने प्रतिवादी के इस बयान को सहारा दिया और वादी को प्रतिवादी का मुखतारआम रखने को राजी किया और वादी प्रतिवादी के नाम मुखतारनामा लिखने के लिये तैयार हो गई ।

९—प्रतिवादी ने मुखतारनामा लिखने के वहाने से वादी के अँगूठे का निशान एक कागज पर लगवाया और वादी ने प्रतिवादी के कहने पर उसकी रजिस्ट्री करादी लेकिन वादी को उस पत्र का तात्पर्य न पढ़ कर सुनाया गया और न समझाया गया ।

१०—लगभग २० दिन हुये होंगे कि वादी को यह खबर हुई कि उसके साथ धोखा किया गया है और उससे नीचे लिखी जायदाद के वावत एक रहननामा प्रतिवादी ने अपने नाम लिखा लिया है ।

११—वादी ने इसके बाद रजिस्ट्री के दफ्तर से पता लगवाया और नकल ली तो मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने एक सादा रहननामा ३०००) रुपया का नीचे लिखी जायदाद के वावत १७ मई सन्.....१९.....ई० को वादी की तरफ से लिखा लिया है ।

१२—वादी को रहननामा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न उसने असलियत में कोई रहननामा लिखा और न कोई बदले का रुपया वादी ने लिया । रहननामे के लिखवाने और रजिस्ट्री करवाने की सब काररवाई प्रतिवादी ने धोखा और फरेब से की है ।

१३—इस दस्तावेज के बिना मनसूख हुये पड़े रहने से वादी को भविष्य में हानि पहुँचने का भय है ।

(७) धोखे से लिखाये हुए दस्तावेज को मनसूख कराने के लिये दावा

१—वादी के पति ठाकुर टीकमसिंह का १९—ई० में देहान्त हुआ और वादी उनकी उत्तराधिकारी की हैसियत से अपने पति की कुल मृत सम्पत्ति (मतरुका) पर मालिक और कब्जिज हुई ।

२—प्रतिवादी नं० १ ठाकुर टीकमसिंह का सगा भाई है । दोनों भाई अलग अलग रहते थे और उनका कारोबार और जमींदारी व खेती सब अलग अलग थी और ठाकुर टीकमसिंह का अलहदगी की हालत में देहान्त हुआ ।

३—सितम्बर १९.....ई० में प्रतिवादी नं० १ ने प्रतिवादी नं० २ के नाम अपने आप एक इकरारनामा लिखा और उसके लिखने और रजिस्ट्री के समय वादी को यह धोखा देकर कि वह इकरारनामा तालिबनगर की जमींदारी के प्रबन्ध की सहूलियत के लिये (जो कि वादी और प्रतिवादी नं० १ का सभके का अविभाजित महल है) लिखाया जाता है वादी को अपने साथ शामिल कर लिया और उसने प्रतिवादी नं० १ के कथन पर विश्वास करके उस पर हस्ताक्षर कर दिये और उसकी रजिस्ट्री करा दी ।

४—अब वादी को मालूम हुआ है कि वह इकरारनामा ऊपर लिखे अभिप्राय के लिये नहीं लिखाया गया और अनावश्यक है और उसमें भिन्नलिखित शब्द लिखे गये—

“टीकमसिंह, और शेरसिंह एक अविभक्त कुल (मुश्तर्का खानदान) के सदस्यों की हैसियत से शामिल और शरीक थे और जायदाद जमींदारी और सब कारवार उनका शामिल था ।”

५—प्रतिवादी नं० २ प्रतिवादी नं० १ का आदमी है और दोनों का आपस में एका है ।

६—वादी एक अनपढ़ और पर्दा नशीन स्त्री है वह यह बातें समझने की योग्यता नहीं रखती न उसके पास इस योग्य कोई मनुष्य था कि जिससे वह सलाह कर सकती । प्रतिवादी ने वादी की पुत्री के पति और उसके काम की देख भाल करने वाले ठाकुर केवलसिंह को मिलाकर चालाकी से इकरारनामा लिखवाया । वादी उसको न अच्छी तरह से सुन सकी और न अच्छी तरह से समझी ।

७—प्रतिवादी नं० २ ने इकरारनामे के आधार पर कोई काररवाई नहीं की और न उसकी कोई ऐसी इच्छा मालूम होती है परन्तु प्रतिवादी नं० ३ का दफा नं० ४ में दिये हुये शब्दों के प्रयोग में लाने और मृतक टीकमसिंह की सम्पत्ति का अपने आप को मालिक दिखाने के लिये इरफ़ा मालूम होता है ।

८—इकरारनामा वतमान दशा में रहने से वादी को उसके हक घटने और किसी समय उसको उससे हानि पहुँचने का भय है ।

(८) धोखे से लिखाये हुये दस्तावेज के संशोधन के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—देवबन्द जिला सहारनपुर के मुहल्ला सैयदवाड़े में एक पक्की हवेली और उसी से मिली हुई चार दूकानों का वादी मालिक था । हवेली के दरवाजे के, दो दूकान पश्चिम और दो दूकान पूरव की ओर थी ।

२—वादी ने ६ जून १६.....ई० के बैनामे से हवेली और पूरव की दो दूकान ६०००) रु० प्रतिवादी के हाथ बेच दी ।

३—बैनामे का मसौदा प्रतिवादी के कहने से लिखा गया । उसने उसमें ग़लती या धोखे से बै की हुई जायदाद की तफसील इस तरह से लिखवाई है जिससे दो दूकान के बजाय चारों दूकान बैनामे में शामिल होती हैं ।

४—वादी को बैनामे के लिखे जाने और रजिस्ट्री के समय प्रतिवादी की यह काररवाई मालूम नहीं हुई । वादी ने प्रतिवादी की ईमानदारी पर भरोसा करके बै की हुई जायदाद की तफसील और हदों के ध्यान से नहीं देखा ।

५—पश्चिमी दो दूकानों पर जो बै नहीं की गईं वादी अभी तक काबिज़ है परन्तु बैनामा के बिना संशोधित पड़े रहने से वादी को हानि पहुँचने और भगड़े में पड़ने का डर है ।

६—बिनायदावी (धोखे की काररवाई मालूम होने के दिन से) ।

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि ६ जून १९—ई० के बैनामे में ब्रै की हुई जायदाद की तफसील और उसकी सरहदों का इस तरह से संशोधन किया जावे कि जिससे हवेली के दरवाजे की पश्चिम ओर वाली दो दूकान उसमें शामिल न हों (या जिससे केवल हवेली और पूर्वी दो दूकानों का ब्रै होना प्रकट होवे) ।

२२—प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति (तामील मुखतस)

(Specific Performance of Contract)

किसी मुआहदे या प्रतिज्ञा की पूर्ति न होने पर, प्रतिज्ञा भंग करने वाले से, अदालत उस प्रतिज्ञा का पालन करा सकती है अथवा उसके विरुद्ध दूसरे पक्ष को उसका हर्जा दिला सकती है । बहुत सी प्रतिज्ञाएँ ऐसी होती हैं जिनकी विशेष पूर्ति के लिये अदालत प्रतिज्ञा भङ्ग करने वाले पक्ष को आज्ञा देती है कि वह अपनी प्रतिज्ञा का पालन करे और ऐसा न करने पर, अदालत उसकी ओर से उस कार्य की पूर्ति करती है और वह उभय पक्ष पर इसी प्रकार माननीय होता है जैसे कि प्रतिज्ञा भङ्ग करने वाले पक्ष ने उस कार्य को किया हो ।

साधारण प्रकार से ऐसे दावे किसी पक्ष के विक्रय-पत्र, रेहन या पट्टा इत्यादि की प्रतिज्ञा कर देने के बाद दूसरे पक्ष के हित में न दस्तावेज लिखने पर दायर किये जाते और वादी के सफल हो जाने पर अदालत वह बयनामा, रेहन नामा या पट्टा प्रतिवादी की ओर से खुद मुद्दे के हरू में लिखती है जिसकी विधि ज़ाबता दीवानी के संग्रह में दी गई है ।

कानून दादरसी खास (Specific Relief Act) की भिन्न भिन्न धाराओं का ध्यान रखते हुए ऐसी नालिशें तैयार करनी चाहिये । विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुआहिदा या प्रतिज्ञा जिसका पालन कराना लक्ष्य हो उसकी अदालत से विशेष पूर्ति हो सकती हो । अर्जी नालिश में मुद्दे को अपनी ओर से कुल शर्तों के, जो कि नियत की गई हों हर समय पूरा करने के लिये तत्पर होना दिखाना चाहिये । यदि प्रतिज्ञा कर्ता से किसी अन्य पुरुष ने जायदाद को किसी परिवर्तन द्वारा प्राप्त कर लिया हो तो उसके प्रतिज्ञा का ज्ञान होना अर्जीदावे में लिखना आवश्यक होता है वरना उसके विरुद्ध वादी विशेष पूर्ति की डिगरी का अधिकारी नहीं होता ।

प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति (तामील मुखतस) के लिये अर्जीदावे में वह सब बातें लिखनी आवश्यक हैं जो कि अचल सम्पत्ति की बिक्री के बारे में लिखनी होती हैं (देखो नोट पद १३) ।

यदि अचल सम्पत्ति की बिक्री के बाबत मुआहदे को विशेष पूर्ति करने का

दावा करना हो तो उनका बहुमूल्य या विशेषता अर्जीदावे में दिखाना चाहिये नहीं तो दफा १२ कानून दादरसीखास के अनुसार विशेष पूर्ति के बजाय मुआवजा दिलाया जाता है।

मुकदमे के फरीक—इन मुकदमों में जिन मनुष्यों के मध्य प्रतिज्ञा हुई हो, या उनके उत्तराधिकारी अथवा वह पुरुष जिनसे वह प्रतिज्ञा पालन कराई जा सकती हो उचित पक्ष होते हैं और उनके अतिरिक्त अन्य फरीक नहीं बनाये जा सकते। क्रय की प्रतिज्ञा में खरीदार अपने हक का परिवर्तन कर सकता है और परिवर्तन गृहीता विशेष पूर्ति का दावा कर सकता है।¹ अन्य फरीक जो ऐसे दावे कर सकते हैं या जिनके विरुद्ध ऐसे दायर किये जा सकते हैं कानून दादरसी खास की दफे २३ व २७ में दिये गये हैं।²

मियाद—जहाँ पर प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये कोई समय नियत हो तो दावा नियत समय के तीन साल बाद तक होना चाहिये। यदि कोई ऐसा नियत समय न हो तब तीन साल की अवधि की गणना उस समय से की जाती है जब कि प्रतिज्ञा की पूर्ति से इन्कार किया गया हो या वादी को ऐसी इन्कारी का ज्ञान हुआ हो। रजिस्ट्री किये हुए मुआहिदे के तामील के लिये भी मियाद ३ साल की है।³

कोर्ट-फीस—इन दावों पर कोर्ट-फीस कानून कोर्ट-फीस की दफा ७ (१०) के अनुसार लगती है।⁴

डिग्री—मुआहिदे की विशेष पूर्ति की डिगरी की विशेषता यह होती है कि ऐसी डिगरी से दोनों पक्ष लाभ उठा सकते हैं और उसकी इजराय वादी और प्रतिवादी दोनों ही करा सकते हैं।⁵

*** (१) विक्री करने के मुआहिदे की तामील के लिये**

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.....के लिखे हुये इकरारनामे से प्रतिवादी ने वादी से इकरारनामे

1. 26 A. L. J. 196.

2. Secs. 23 and 27 Specific Relief Act.

3. Art 113 Limitation Act ; I. L. R. 31 Mad. 452

4. Sec 7 (X) Court Fees Act.

5. I. L. R. 59 Ca 1501 ; 46 Bom. 990 ; 55 Mad 796

* **नोट**—यह शिड्यूल १ परिशिष्ट (अ) जान्ता दीवानी का नमूना नम्बर ८७ है। इसी सिलसिले में भाग १३ के नमूने १ व २, जब दावा तामील के बजाय हर्जें का हो देखने योग्य हैं।

में लिखी हुई जायदाद कोरुपया में मोल लेने (या बेचने) का इकरार किया ।

२—वादी ने प्रतिवादी से प्रार्थना की कि वह अपनी तरफ से उस इकरारनामे को पूरा करे परन्तु उसने ऐसा नहीं किया ।

३ - वादी अपनी तरफ से इकरारनामे की तामील के लिये तैयार और राजी रहा और अब भी यह बात प्रतिवादी अच्छी तरह से जानता है ।

४ - दावे का कारण —

५—दावे की मालियत —

वादी प्रार्थी है कि प्रतिवादी को हुकम दिया जावे कि वह इकरारनामे की तामील करे और वह सब काम पूरे करे जो कि वादी को उस जायदाद पर पूरा कब्जा देने के लिये आवश्यक हो (या उसी जायदाद का कब्जा कबूल करे) और नालिश का खर्चा दे ।

(२) उसी तरह का दूसरा दावा

१—ता०.....के वादी और प्रतिवादी ने इकरारनामा लिखा जो दाखिल किया जाता है, इकरारनामे में लिखी हुई जायदाद का प्रतिवादी मालिक था ।

२- ता०.....के वादी ने.....रुपया प्रतिवादी को पेश किया और प्रार्थना की कि प्रतिवादी उस सम्पत्ति को उचित दस्तावेज लिख कर वादी के नाम कर दे ।

३—ता०.....के वादी ने द्वारा यही प्रार्थना प्रतिवादी से की (या प्रतिवादी ने वादी के नाम जायदाद दस्तावेज लिख कर करने से इन्कार किया) ।

४—प्रतिवादी ने अभी तक कोई परिवर्तन पत्र (दस्तावेज इन्तकाली) नहीं लिखा ।

५—वादी अब भी प्रतिवादी की सम्पत्ति के लिये निश्चित रुपया देने को तैयार और राजी है ।

(३) खरीदार का मुआहिदे की तामील के लिये दावा

१—ता०.....जून १६—ई० के स्थान सिकन्दराराज में प्रतिवादी ने नीचे लिखी हुई अपनी हकीमत को वादी के हाथ २२०००) रुपया में बेचने का मुआहिदा किया ।

२—यह कि उसी तारीख को प्रतिवादी ने प्रामेसरी नोट (रुक्का) लिख कर १५००) रु० बैनामे का स्टाम्प खरीदने इत्यादि खर्च के लिये वादी से लिये और मुआहिदे की याददाश्त लिख कर वादी के हवाले कर दी जो दाखिल की जाती है । यह याददाश्त इकरारनामे के समान है प्रतिवादी ने उस पर अनुचित रूप से एक आने का टिकट लगाया है । वादी उस पर कमी और दंड देकर उसको गवाही में पेश करते हैं ।

३—वैनामे के रुपयों में से प्रामेसरी नोट का १५००) रुपया और एक कित्ता डिगरी सिविल जजी अलीगढ़, लाला विशम्भर सहाय डिगरी दार वनाम सालेह मुहम्मदखाँ का रुपया मुजरा होना ठहरा था और देवकीनन्दन तेजपालसिंह और गोवर्धन ऋण देने वालों का रुपया अदा करना और बकाया रुपया रजिस्ट्री के समय नकद देना ठहरा था। प्रतिवादी ने एक हफ्ते के अन्दर वैनामे की तकमील करने का वायदा किया था।

४—वादी मुआहिदा के अनुसार वैनामा कराने और रुपया देने को तैयार रहा और अब भी है। प्रतिवादी की वेईमानी करने को इच्छा है और वह वैनामे की पूर्ती करने में टाल टूल करता है और वादी के बार बार कहने पर भी वह वैनामा लिखने और उसकी पूर्ती करने को तैयार नहीं होता।

(जायदाद का विवरण)

(४) इसी प्रकार का सुलहनामे के आधार पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी का मकान मुहल्ला मामूभानजा में है जिसके पिछवाड़े पूरब की ओर कुछ ज़मीन खाली पड़ी हुई है।

२— इस जमीन की मिलकियत और उस पर नाली निकालने की वाजत फरीकैन में कुछ भगड़ा था और आपस में मुकदमा चलकर उसकी अपील जारी थी।

३—ता० १ मार्च सन् १९—ई० के अदालत के सामने फ़रीकैन में यह करार पाया कि वह ज़मीन (२४ फी० लम्बी ३ फीट चौड़ी) जोकि नकशे में लाल लकीर से दिखाई गई है प्रतिवादी १००) रुपया में वादी के नाम बँ कर दे और २०) रुपया बयाने के प्रतिवादी ने तभी ले लिये, बकाया रुपया रजिस्ट्री के समय देना करार पाया और यह भी इकरार हुआ कि प्रतिवादी वादी के नाम सुलहनामे के अनुसार १ सप्ताह के अन्दर वैनामा लिख दे।

४—वादी सदा वैनामे को पूरा कराने और रजिस्ट्री के समय बकाया ८०) रुपया देने के लिये तैयार रहा और बार बार प्रतिवादी से वैनामे की पूर्ति के लिये कहा। वह वैनामे को पूरा करने और रजिस्ट्री कराने से इन्कार करता है।

५—विनायदावी (पूर्ण करने का अन्तिम तकाजा करने के दिन से)।

६—दावे की मालियत (१००) रुपया)।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) मुआहिदे की तकमील के लिये प्रतिवादी को हुक्म हो कि ऊपर

लिखी जमीन का बँनामा वादी के नाम मार्च १९—३० के तस्फियानामे के अनुसार लिख दे और उसको रजिस्ट्री करा देवे ।

(ब) उसकी तकमील और रजिस्ट्री के बाद उस जमीन पर वादी को दखल दिलाया जावे ।

(क) नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे ।

(५) खरीदार का वेचने वाले पर, प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये

१—ता० १० जनवरी १९—३० में नीचे लिखी हुई ज़मीन को, वादी ने प्रतिवादी के हाथ वेचने का इक़रार किया और उसकी कीमत पंचायत और आपस की रज़ामन्दी से २१५०) रुपया नियत हुई, इस रुपया मे से १५०) रुपया प्रतिवादी ने वादी से रसीद लेकर अदा कर दिये और बाकी रुपया बँनामे की रजिस्ट्री के समय जो कि पंच ने १० मार्च सन् १९—३० को क़रार दी वादी को देना ठहरा और ऐसा न करने पर ५००) रुपया प्रतिवादी से वादी को दिलाना पंच ने तजवीज किया ।

२—वादी ने प्रतिवादी की रज़ामन्दी से उस जमीन का बँनामा १० मार्च १९—३० को २५) रुपया के स्टाम्प के ऊपर लिखवा दिया और प्रतिवादी से बकाया २०००) रुपया देने और बँनामे की रजिस्ट्री कराने को कहा ।

३—प्रतिवादी ने १० मार्च १९—३० को बकाया रुपया देने और बँनामे की रजिस्ट्री कराने का वायदा किया । वादी उनके पास उस तारीख़ को गया लेकिन वह टाल टूल करने लगे इसलिये मजबूर होकर वादी ने उनको तार दिया और दफ़्तर रजिस्ट्री में बँनामे की रजिस्ट्री के लिये अर्जी पेश की और ३३ बजे तक वहाँ हाज़िर रहा लेकिन प्रतिवादी हाज़िर नहीं हुये और न रुपया लाये और वेईमानी से वादी को एक भूँठा नोटिस दे दिया कि उसने आपसी सुलहनामे के अनुसार बँनामा लिखवा कर पूरा नहीं किया ।

४—प्रतिवादी ने जान बूझ कर इक़रार तोड़ा और बँनामे की रजिस्ट्री नहीं कराई और न रुपया अदा किया, वादी बँनामे की रजिस्ट्री कराने को हर समय तैयार रहा और अब भी है लेकिन प्रतिवादी बकाया २०००) रुपया देने को तैयार नहीं हुए और न अब है ।

५—वादी बँनामे की तकमील कराने और बकाया २०००) रुपया प्रतिवादी से पाने का हक़दार है और वह १० जनवरी १९—३० के आपसी सुलहनामे से ५००) रुपया हरजे के भी प्रतिवादी से पाने का हक़दार है ।

६—त्रिनायदावी (१० मार्च १९—३० बँनामे की रजिस्ट्री न करने के दिवस से) ।

(६) खरीदार का बेचने वाले और परिवर्तन से पाने वाले पर तामील के लिये दावा

बन्धदालत—

नम्बर...

लाला चिरंजीलाल..... .. वादी ।

बनाम

तोताराम प्रतिवादी नं० १ व लल्लूसिंह प्रतिवादी नं० २ ।

वादी निवेदन करता है :—

१—यह कि प्रतिवादी नं० २ लल्लूसिंह, हरदेवसिंह व सुन्दरसिंह के साथ खाता खेवट नं० ५, कुल ४० बीघा १० बिस्वा पुख्ता भूमि स्थित हाथरस में से ६ बीघा १७ बिस्वा का मालिक था ।

२—यह कि ता० १४ नवम्बर १९—ई० को प्रतिवादी नं० २ ने हरदेवसिंह व सुन्दरसिंह के सामे में एक दवामी पट्टा ८ बीघा १९ बिस्वा पुख्ता भूमि १८६) रुपया के लगान की अपनी ६ बीघा १७ बिस्वा भूमि को सम्मिलित करके केशवदेव मैनेजर श्रीबलदेव मिल कम्पनी के नाम लिख दिया और वह ज़मीन केशवदेव के अधिकार में मिल बनाने के लिये कर दी ।

३— यह कि बलदेव मिल कम्पनी ने उस जमीन पर मिल तैयार की लेकिन कम्पनी के फेल हो जाने से वह मिल वादी और कई हिस्सेदारों ने सामे में खरीद ली । यह मिल मय उस ज़मीन के वादी के कब्जे में है और अब उसका नाम फूलचन्द वागला मिल रक्खा गया है ।

४—यह कि नवम्बर १९—ई० में प्रतिवादी नं० २ ने कुल भूमि ८ बीघा १९ बिस्वा में से अपने आधे हिस्से को बेचने की इच्छा प्रकट की और वादी से ॥)॥॥ आना सैकड़ा लाभ पर विक्री का मामला तै होकर २० नवम्बर १९—ई० को बैनामे का मसौदा भी तैयार हो गया और प्रतिवादी ने बयाने के ४००) रुपया वादी से लेकर वै करने के लिये इकरारनामा लिख दिया ।

५— यह कि तोताराम प्रतिवादी नं० १ ने वादी के नाम इस इकरारनामे की खबर पाकर प्रतिवादी नं० २ को बहका कर ८ दिसम्बर १९—ई० को एक विक्रयपत्र अपने नाम लिखा लिया और भूगड़ा और मुकदमे वाजी फैलाने की नीयत से वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक रुपया इस बैनामे में लिखवा लिया ।

६—यह कि प्रतिवादी नं० १ को वादी के वै करने के मुआहिदे का, जिसके आधार पर २० नवम्बर १९—ई० का इकरारनामा लिखा गया, अच्छी तरह से शान था ।

७—प्रतिवादी नं० १ के नाम का बैनामा, वादी के विक्रय करने के इकरार

का ज्ञान और सूचना होते हुये हुआ है और वह वादी के विरुद्ध विल्कुल बेअसर है ।

८—वादी ने प्रतिवादी नं० २ से कई बार उस भूमि का बँनामा लिखने और उसकी तकमील करके रजिस्ट्री कराने और इकरारनामे में लिखे हुये हिसाब के अनुसार बँनामा का रुपया लेने के लिये कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देता और टाल टुल कर देता है ।

९—बिनायदावी—(२० नवम्बर १९—ई० वादी के नाम इकरारनामा लिखने और ८ दिसम्बर १९—प्रतिवादी के नाम बँनामा लिखने के दिन से पैदा हुई) ।

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) २० नवम्बर १९—ई० के लिखे हुये इकरारनामे की तामील की जावे और अदालत की डिगरी से प्रतिवादी को हुकम हो कि वह १ मास के अन्दर आधे हिस्से का, (८ बीघा १९ बिस्वा पक्की आराजी जो कि ६ बीघा १७ बिस्वा के साथ खाता खेवट नं० ५ में दर्ज है) बँनामा लिख दे ।

(ब) इस नालिश का व्यय वादी को दिलाया जावे ।

(७) बिक्री की निश्चय प्रतिज्ञा से सूचित बिक्रीकर्ता और खरीदार के ऊपर दखल के लिये दावा

अदालत.....

नम्बर मुकदमा... ..

नरायनसिंह.....वादी ।

बनाम

१—श्यामलाल.....प्रतिवादी, प्रथम पक्ष ।

२—नजीरहसन उर्फ मुहम्मद
नजीरअहमदखॉ

३—मुसम्मात तलूकी ।

४—मुसम्मात हरा ।

} प्रतिवादी, द्वितीय पक्ष ।

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी ने अपनी नीचे लिखी हुई हक्कीयत ६२५) रुपया में वादी के हाथ बेचने का मुआहिदा किया और १९ जौलाई १९—ई० को बँनामा तैयार कर दिया । २५०) रुपया वादी ने अदा कर दिये और २७५) रुपया रजिस्ट्री के समय देना परार पाये वकाया १००) रुपया पहिले मर्तद्दिन (रहन ग्रहीता) को देने के लिये वादी के पास छोड़े गये और दो एक दिन में रजिस्ट्री कराने का वायदा किया

२—बाद को उस हक्कीयत का अधिक मूल्य मिलने लगा और प्रतिवादी नं० २ की नीयत में वेईमानी आ गई । उसने बैनामे की रजिस्ट्री कराने में टाल टूल की और वादी जबरदस्ती उसकी रजिस्ट्री करने को तैयार हुआ ।

३—प्रतिवादी नं० २ ने वादी का यह इरादा जान कर, वह हक्कीयत आपस में साजिश से एका करके प्रतिवादी नं० १ के नाम ४ अगस्त १९.....ई० को बैनामा लिख कर वेच दी और प्रतिवादी नं० १ ने पहिले मुआहिदे से सूचित होते हुये भी वेईमानी से हक्कीयत अपने नाम वै कराली ।

४ वादी मजबूर होकर अपने बैनामे को रजिस्ट्री के लिये ७ अगस्त १९.....ई० को दफ्तर सन्न-रजिस्ट्रार अलीगढ़ में पेश किया लेकिन प्रतिवादी नं० २ ने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई ।

५—वादी ने रजिस्ट्रार अलीगढ़ से जवरन रजिस्ट्री कराने का हुकम लेकर अपने नाम लिखे हुये बैनामे की ३१ मार्च १९ - ई० को रजिस्ट्री कराली और उसका वेची हुई जायदाद के ऊपर पूरा अधिकार हो गया और वह उस जायदाद का मालिक है ।

६—प्रतिवादी नं० १ ने, वादी के नाम बिक्री होने का ज्ञान और सूचना होते हुये भी वेईमानी और प्रतिवादी नं० २ से मिल कर वादी हानि पहुँचाने के लिये यह जायदाद मोल ले ली है और बैनामे में कीमत का रुपया भूँठा लिखा है । उस बैनामे का वादी के विरुद्ध कोई असर नहीं है और वादी जायदाद पर दखल और वासलात पाने का प्रतिवादी से हकदार है ।

७—विनायदावी (बैनामा लिखे जाने के दिन यानी २९ जौलाई १९.....ई० को पैदा होकर रजिस्ट्री के दिन यानी १३ मार्च १९.....ई० को हुई) ।

८—शवे की मालियत—(बैनामे का ६५०) और ५०) ६० वासलात कुल ७००) रुपया अदालत के अधिकार के लिये है और कोर्ट फीस मालगुजारी से ५ गुने .. ६० पर.....६० दी गई है ।

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) नीचे लिखी हुई जायदाद पर प्रतिवादी को वेदखल कराकर वादी को दखल दिलाया जावे ।

(ब) ५०) रुपया सन् १३.....फसली के बाबत वासलात, प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

(क) इस नालिश का खर्चा दिलाया जावे ।

(ख) मुकदमे के हालत देखकर अगर और कोई दादरसी आवश्यक समझी जाय तो दिलाई जावे ।

(८) प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये परिवर्तनकर्ता
और खरीदार के ऊपर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि ता० १७ अप्रैल १६.....ई० को स्थान हाथरस में प्रतिवादी फरीक अब्दुल ने एक पक्की बनी हुई एक मजिला हवेली का जो कि मुहल्ला लखपतीगंज हाथरस में थी और जिसकी चौहद्दी नीचे दी हुई है (१४०००) रु० में वादी के हाथ बेचना तै किया और बयाने का (१०००) रु० लेकर उस हवेली की बाबत इकरारनामा इस शर्त पर लिख दिया कि एक महीना के अन्दर हवेली का विक्रयपत्र प्रतिवादी नम्बर १, वादी के नाम लिख कर बाकायदे रजिस्ट्री कर देगा और बकाया रुपया रजिस्ट्री के समय वादी से वसूल कर लेगा ।

२—प्रतिवादी नम्बर १ से बैनामे की पूर्ति करने और रजिस्ट्री कराने और बकाया रुपया लेने के लिये बार बार कहा गया लेकिन वह टालटूल करता रहा ।

३—यह कि इसके बाद प्रतिवादी नम्बर १ ने ता० २१ जौलाई सन् १६.....ई० को उस हवेली का बैनामा लोभ मे आकर (१६०००) रु० में प्रतिवादी नम्बर २ के नाम कर दिया और उसने वादी के नाम हवेली बेचने के मुआहिदे से सूचित होते हुये भी उसके अपने नाम तै करा लिया ।

४—यह कि प्रतिवादी नम्बर २ के हक में लिखा हुआ बैनामा पहिली विक्री का शान होते हुए किया गया है वह वादी के विरुद्ध बिल्कुल बेअसर है और वादी उस पहिले मुआहिदे की तकमील व तामील कराने का दोनों प्रतिवादी के विरुद्ध हक्कदार है ।

५—प्रतिवादी नं० १ से मुआहिदे की तामील और जायदाद पर दखल देने और बकाया (१३०००) रुपया लेने को कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देता ।

६—बिनायदावी १७ अप्रैल सन् १६.....ई० मुआहिदे के दिन से और २१ जौलाई सन् १६.....ई० प्रतिवादी नम्बर २ के नाम बैनामा लिखे जाने के दिन से पैदा हुई ।

७—दावे की मालियत (इकरारी कीमत यानी १४०००) रुपया है) ।
वादी प्रार्थी है—

कि वादी के नाम तै करने के मुआहिदे की तामील करा दी जावे और जायदाद के ऊपर दखल दिला दिया जावे ।

२३-२६—रहन की नालिशों

२३-नीलाम के लिये दावे

रेहन कई प्रकार के होते हैं। रेहन सादा या दृष्टि-बन्धक (Simple mortgage) विक्रय-तुल्य रेहन, (Mortgage by conditional sale) रेहन भोग बन्धक या रेहन दखली, (Usufructuary or possessory mortgage) रेहन अङ्गल (English mortgage) रेहन बढवालगी सम्पत्ति-स्वत्व पत्र (Mortgage by deposit of title deeds) और अनियमित रेहन (Anomalous mortgage)।

इसी तरह से रेहन से सम्बन्ध रखने वाली नालिशों भी कई प्रकार की होती हैं।

यहाँ पर वह नीचे लिखे चार भागों में दी गई है।

नं० २३—नीलाम, (Sale)

नं० २४—बैबात (प्रतिपेघ—Foreclosure)

नं० २५—इनफिकाक (रहन छुटाना—Redemption) और

नं० २६—राहिन व मुरतहिन की अन्य नालिशों।

रहन का कानून बहुत कठिन और गूढ़ है और यहाँ पर विस्तार पूर्वक उसके ऊपर लेख नहीं लिखा जा सकता। वकील को चाहिये कि ऐसी नालिशों में अर्जीदावा लिखने से पहिले सम्पत्ति परिवर्तन विधान (Transfer of property Act) की उचित धाराओं को अच्छी तरह देखे।

नीलाम की नालिश तभी की जा सकती है जब कि मुद्दे के आड़ की हुई जायदाद के विक्रय से रहन-धन प्राप्त करने का अधिकार हो। यह अधिकार प्रायः दृष्टिबन्धक (जिसको रेहन सादा, रेहन कफालती या आड़ भी कहते हैं) से प्राप्त होता है और रेहन-धन के लिये नालिश तभी की जा सकती है जब कि रेहन नामे में लिखी हुई शर्तों के अनुसार रेहन ग्रहीता को रेहन का रुपया पाने का अधिकार पैदा हो जाता है।

इन नालिशों में रेहन की तारीख, रेहन कर्ता व रेहन ग्रहीता का नाम, रेहन का रुपया, सूद की दर रेहन की हुई जायदाद का विवरण और वह तारीख जब कि रेहन का रुपया अदा होने के योग्य हो गया लिखनी चाहिये। यदि मुद्दे या मुद्दाअलेह का हक किसी परिवर्तन से प्राप्त हुआ हो अथवा एक से अधिक परिवर्तन हों तो उनका भी संक्षिप्त बयान होना चाहिये और ऐसे परिवर्तन ग्रहीताओं को मुकदमें में फरीक बनाना चाहिये।

नीलाम के लिये दावे में पहिला मुर्तहिन जरूरी फरीक नहीं होता और जायदाद उस रहन के आधीन नीलाम की जा सकती है लेकिन आर्डर ३४

नियम १२ के अनुसार अदालत मुर्तहिन की रजामन्दी से जायदाद को बिना किसी भार के नीलाम कर सकती है ।

यदि किसी पाश्चात् रहन ग्रहीता का वादी के रहन से, किसी हिस्से की बाश्त हक़ मुख्य हो तो वादी उसका रुआया अदा कर देने पर नीलाम के लिये दावा कर सकता है । यदि वादी किसी हिस्से के बारे में उसका हक़ स्वीकार करे तो उसको वह हिस्सा रहन से छुटाना चाहिये । ऐसी हालत में इनफिकाक के लिये कोर्ट फीस देनी पड़ती है ।

नीलाम, बैबात व, इनफिकाक के सब दावों में रहन का पूरा विवरण जैसा कि अपेन्डिक्स (अ) ज़ाप्ता दीवानी के नमूनों में दिया हुआ है देना चाहिये । इनफिकाक के दावे में रहन छुटाने के लिये यदि और कोई शर्त हो तो वह भी लिखनी चाहिये । राहिन और मुर्तहिन के खत्व जो जायदाद के परिवर्तन से पैदा हुये हों पृथक २ देना चाहिये । यदि रहन की हुई जायदाद की तफ़सील बटवारे या बन्दोबस्त से बदल गई हो तो अर्जीदावे में जायदाद का पहिला और नया विवरण दोनो दिखाना होता है ।

बकाया रुपया का हिसाब अर्जीदावे के आखीर में तफ़सीलवार देना चाहिये और यदि रहन दखली हो तो आमदनी व खर्च का हिसाब भी दिखाना होता है ।

हिन्दू अदिभक्त कुटुम्ब के विरुद्ध रहन के दावों में यदि जायदाद रहन-कर्ता की पैदा की हुई हो तो कुटुम्ब के और सदस्यों को फरीक़ नहीं बनाना चाहिये क्योंकि राहिन के सिवाय औरों के विरुद्ध बिनाय दावा पैदा नहीं होता । परन्तु जब जायदाद मुश्तर्का खानदान की हो, जिधमें कि और मेम्बरों का भी हक़ हो तब ही ऐसे मेम्बर फरीक़ बनाने चाहिये और वह पटनाएँ जिनसे वह रहन के पाबन्द हों अर्जीदावे में लिखना चाहिये । जैसा कि राहिन खानदान का कर्ता था या रहन से खानदान को फायदा पहुँचा या कि कुटुम्ब के हेतु रहन करना आवश्यक था या कि किसी पहिले कर्ज की अदायगी के लिये रहन किया गया था ।

जहाँ पर पहिले कर्ज की बेशकी के लिये अदिभक्त कुल की जायदाद रहन की गई हो वहाँ पर यह दिखाना कि ऐसा कर्ज आवश्यक था ज़रूरी होता है परन्तु यदि वह कर्ज (१) पिता ने ले लिया हो, (२) अथवा सदस्यों की रजामन्दी से लिया गया हो या (३) रहन के समय तक किसी सदस्य का जन्म न हुआ हो तो कर्ज की आवश्यकता दिखाने की ज़रूरत नहीं होती ।

रहन ग्रहीता यदि चाहे तो बिना और मेम्बरों को फरीक़ बनाये हुये ही रहन कर्ता के विरुद्ध दावा कर सकता है । ऐसा करने में भी कर्ज की आवश्यकता नहीं दिखानी पड़ती क्योंकि रहन कर्ता यह नहीं कह सकता कि वह रहन

करने का अधिकारी न था परन्तु यदि और कोई मेम्बर रहन पर आक्षेप करना चाहे तो फरीक बनने के लिये दरखास्त दे सकता है।

यदि आड़ की हुई सम्पत्ति के नीलाम से रेहन का कुल रुपया बेचाक न हो और रेहन में रेहन-कर्ता की जाती जिम्मेदारी का इत्कार हो तब व्यक्तिगत डिगरी के लिये भी प्रार्थना की जा सकती है। इस विषय पर भिन्न भिन्न हाई-कोर्टों में कुछ मतभेद है कि अर्जीदावे में ऐसी प्रार्थना लिखना आवश्यक है या नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि जब तक डिगरी में जायदाद नीलाम होकर रेहन का रुपया बकाया न रहे तब तक इस प्रकार की प्रार्थना करना व्यर्थ होता है। परन्तु ऐसी प्रार्थना दावे में लिख देने से कोई हर्ज नहीं होता और दूसरे पक्ष को एक तरह से सूचना हो जाती है कि वादी रेहन का पूरा रुपया जायदाद से न वसूल होने पर जाती डिगरी से वसूल करना चाहता है। जान्ता दीवानी संग्रह में दिये हुये नमूनों में भी इस प्रकार की प्रार्थना उपस्थित है।¹

यदि रेहन-प्रहीता रेहन की जायदाद का कुछ भाग खरीद लेवे और रेहन का रसदी रुपया बकाया जायदाद से वसूल करना चाहे या कोई रेहन-कर्ता रेहन का कुल रुपया अदा करके अन्य रेहन कर्ताओं से उनके हिस्से का रुपया वसूल करना चाहे, इन दोनों दशाओं में भी नालिश नीलाम की होती है और इस पुस्तक में दिये हुये नमूने उचित संशोधन के साथ काम में लाये जा सकते हैं। उनमें वे घटनाएँ जिनसे रसदी का हक पैदा हो लिखना चाहिये।²

इसी प्रकार से जिन जमानत नामों में (लगनक-पत्रों में) अचल सम्पत्ति आड़ की जाती है वह सादा रेहन के तुल्य होते हैं और उनके अर्जीदावे भी इसी प्रकार से तैयार करने चाहिये।

मियाद—रजिस्ट्री किये हुए रेहन नामों के ऊपर नीलाम या प्रतिषेध (बैवात) की नालिशें रुपया अदा हो जाने के योग्य होने की तारीख से १२ साल के अन्दर होनी चाहिये। यदि जाती डिगरी की भी प्रार्थना हो तो दावा ६ साल के अन्दर दायर किया जावे।³

कोर्ट-फीस—कुल रेहन-धन पर, मूल और उसका सूद जिसका दावा किया जावे उस पर पूरी कोर्ट-फीस लगती है।

डिगरी—रेहन के दावों में प्रायः दो प्रकार की डिगरियाँ हुआ करती हैं। पहली प्रारम्भिक और इसके बाद दोनों पक्षों में हिसाब किताब हो जाने पर

1. See I. L. R. 57 All. 797, A. I. R. 1933 Oudh 520; 1924 Lah. 132. 35 L. W. 559 P. C.

2. Form No 45 App. A, Sch 1 C P. C.

3. A. I. R. 1935 All 263 and 391; 1931 Pat 164

4. Articles 129 and 139 Limitation Act.

दूसरी अन्तिम । प्रारम्भिक (इन्तर्दाई या Preliminary) डिगरी हो जाने पर साधारण प्रकार से ६ महीने का अवकाश या जो समय अदालत उचित समझे दिया जाता है और इसके बाद अन्तिम डिगरी प्रस्तुत की जाती है । नीलाम की नालिशों में प्रारम्भिक डिगरी आर्ट ३४ नियम ४ के अनुसार और अन्तिम (Final या क्लॉसर्ड) डिगरी आर्ट ३४ नियम ५ संग्रह जाब्ता दीवानी के अनुसार प्रतिषेध (वैवात या Foreclosure.) के दावों में प्रारम्भिक डिगरी आर्ट ३४ नियम २ और अन्तिम डिगरी आर्ट ३४ नियम ३ के अनुसार और रेहन छुड़ाने के दावों में प्रारम्भिक डिगरी आर्ट ३४ नियम ७ के अनुसार और अन्तिम नियम ८ के अनुसार प्रस्तुत की जाती है ।

नोट:—भिन्न भिन्न दशाओं में नीलाम की नालिशों में क्या क्या लिखना चाहिये यह नीचे दिये हुये नमूनों के पढ़ने से ज्ञात होगा । इन नमूनों में कहीं पर मुकदमों का पूरा सिरनामा कहीं पर विवरण पूर्ण घटनायें और कहीं पर पूरी दादरसी, पाठक की जानकारी के हेतु लिख दी गयी हैं ।

२३—नीलाम

* (१) नीलाम की साधारण नालिश का नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि प्रतिवादी की जमीन का वादी रहन गृहीता (मुर्तहिन) है ।

२—रहन का विवरण इस भाँति है—

(अ) रहन की तारीख—

(ब) रहन कर्ता और रहन गृहीता का नाम—

(क) रहन के ऊपर कितना रुपया लिया गया—

(ख) सूद की दर —

(ग) रहन की हुई जायदाद —

(घ) रुपया जो इस समय रहन पर निकलता है—

(च) यदि वादी को अन्य प्रकार से स्वत्व मिला हो तो संक्षिप्त रूप से बर्णन करना चाहिये कि वादी किस हेंसियत से दावेदार है ।

(अगर वादी कब्जा समेत रहनदार के हो तो यह भी लिखना चाहिये कि—)

* नोट—यह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) ज़ाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर ४५ है ।

३—वादी ने रहन की हुई सम्पत्ति पर ता०..... को कब्जा पाया और ता०..... से रहनदार की हैसियत से काबिज है।

४—विनाय दावा—

५—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(क) दावा का मतालवा जो कुछ प्रतिवादी पर हो दिलाया जावे और उसके अदान होने पर (जहाँ आर्डर ३४ कायदा ६ लागू होता हो) जायदाद को नीलाम किया जावे।

(ख) नीलाम की कीमत से यदि वादी का रुपया बेबाक न हो तो वादी को आशा दी जावे कि वह शेष रुपया के लिये डिगरी जारी कर सके।

(२) रहन ग्रीता के उत्तराधिकारी की ओर से, रहन कर्ता के उत्तराधिकारी पर, सम्पत्ति के भीष्म की नाबिश्

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि अमरसिंह नामक एक पुरुष प्रतिवादी की भूमि का मुर्तहिन था रहन की तफसील नीचे दर्ज है—

(अ) रहन की ता० — २३ जौलाई सन् १६...ई०।

(ब) रहन करने वाले का नाम — केसरीराय, मुर्तहिन — अमरसिंह।

(क) तादाद रुपया २००) ५०।

(ख) ब्याज १॥) ५० सैकड़ा मासिक हर छठवे महीना देना करार पाई और छमाही सूद न देने पर सूद दर सूद देना ठहराया।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति की तफसील— ३ हिस्सा मवाजी ४७ बीघा पुस्ता आराजी ८५) मुन्दर्जा खाता खेवट नम्बर ५ मुश्तर्का रामप्रसाद इत्यादि दीगर वाकै मौजा हरकीगढ़ी परगना पटला तहसील खैर केवलसिंह नम्बरदार।

(घ) रकम जो वाजिबउल अदा है—मुब.लिग १५६४) रुपया।

३—दस्तावेज का असली मालिक अमरसिंह एक अविभक्त हिन्दू कुल का सदस्य था और कुटुम्ब के अविभक्त होते हुए उसका देहात हो गया। वादी शेषाधिकारी होने की वजह से उसका मालिक और नालिश करने का हकदार है।

४—दस्तावेज के लेखक केसरीराय का भी देहान्त हो गया है। प्रतिवादी उसके भतीजे हैं और उसकी जायदाद पर काबिज हैं।

५—विनाय दावा दस्तावेज लिखने के दिन से ता० २३ जौलाई सन् १६..... ई०

को और अन्तिम तकाजा करने के दिन से ता०.....को स्थान हर की गढ़ी परगना पटला तहसील खैर जिला अलीगढ़ में अदालत के अधिकार के अन्दर पैदा हुई।

६—दावे को मालियत (१५६४) रुपया) ।

वादी प्रार्थी है कि :—

प्रतिवादी को हुकम हो कि २३ जौलाई सन् १६—ई० के रहन नामे की वावत असल व सूद का (१५६४) रुपया मय खर्चा और सूद दौरान व आइंदा, रुपया वसूल होने के दिन तक एक नियत तारीख तक प्रतिवादी अदालत के अन्दर जमा करे और ऐसा न करने पर रहन की हुई जायदाद नीलाम की जावे और नीलाम के मतालवे से कुल रुपया बेबाक कर दिया जावे ।

(३) इसी प्रकार की रहनकर्ता के ऊपर, रहननामे के खरीदार की ओर से नाक़िश

बअदालत.....

नम्बर मुकदमा.....

मदनलाल

वादी

वनाम

- १—मौलानखश वल्द लाल खॉ
- २—मु० मुन्नी लड़की लाल खॉ
- ३—छेदी लाल
- ४—भोलानाथ

} प्रतिवादी

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी प्रतिवादी नं० १ व २ की सादा रहन की हुई सम्पत्ति का रहन ग्रहीता है ;

२—रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की तारीख — २५ अगस्त सन् १६.....ई० ।

(ब) रहन कर्ताओं के नाम—लाल खॉ वल्द महबूब खॉ और मौलानखश वल्द लाल खॉ ।

रहनदार का नाम—भोलानाथ ।

(क) रहन का रुपया— ५५० रुपया ।

(ख) सूद की दर — ॥=॥ आना मासिक और सूद छमाही देना ठहरा । कुल रुपया तीन साल के अन्दर बेबाक करना था जो अदा नहीं किया ।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण—एक पक्का बना हुआ मकान स्थित मुहल्ला मदार दर्वाजा शहर अलीगढ़ जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है।

(घ) हिसाब से इस समय १०४०।।।- निकलता है।

(च) १२ नवम्बर सन् १६.....ई० के विक्रय पत्र से भोलानाथ वास्तविक रहनदार ने वादी के नाम यह रहन नामा जिसके ऊपर कि दावा किया जाता है बेच दिया, अब वादी उसका मालिक और दावा करने और रुपया वसूल करने का अधिकारी है।

३—लाल खाँ का देहाँत हो गया, प्रतिवादी नम्बर १ उसका लड़का और प्रतिवादी नम्बर २ उसकी लड़की, उसके उत्तराधिकारी हैं इसलिए दोनों को परीक बनाया गया।

४—प्रतिवादी नम्बर ३ उस जायदाद का इस रहन के भार से सूचित खरीदार- है और तरतीब मुकदमा के लिये प्रतिवादी बनाया गया।

५—नम्बर ४ असली रहनकर्ता केवल नालिश के सुधार व तरतीब के लिये फ़रीक किया गया है।

६—बिनाय दावा ता० २५ अगस्त सन् १६.....ई० को स्थान हाथरस में पैदा हुई।

७—दावे की मालियत (१०४०।।।-) है।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी नम्बर १, २ व ३ को आज्ञा हो कि वह नीलाम का रुपया मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व भविष्य में रुपया वसूल होने के दिन तक वादी को अदा करें नहीं तो सम्पत्ति नीलाम की जावे।

(ब) यह कुल रुपया या इसका कोई भाग वाकी रहने पर मौलाबक्स प्रतिवादी की, या मृतक लाल खाँ की और कोई सम्पत्ति इस रुपया की देनदार ठहराई जावे और वादी को अधिकार दिया जावे कि वह ऐसी डिग्री की तैयारी के लिये दरखास्त दे सके।

(४) मुर्तहिन के प्रतिनिधि (कायम मुक़ाम) की ओर से राहिन व इन्तराय डिगरी से खरीदार के ऊपर नाबिश्

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं।

१—वादी उस जायदाद के सादा मुर्तहिन हैं जिसके द्वितीय प्रतिवादी प्रथम राहिन हैं।

२—इस रहन की तफसील यह है—

(क) रहन की तारीख—७ मार्च सन् १६...ई० ।

(ख) राहिन का नाम—चौधरी समीउद्दीन ।

मुरतहिन का नाम—लाला वासदेव सहाय ।

(ग) रहन का रुपया—४०००)६० ।

(घ) सूद की दर—॥३) सै० मा० और कुल रुपया माँगने पर अदा करना ठहराया ।

(ङ) रहन की हुई जायदाद की तफसील —

(१) पौने नौ त्रिस्वा जमीदारी स्थित सुलतानपुर परगना बलराम तहसील कासगंज जिला ऐटा जो खेवट नम्बर १ में ६४२ दर्ज है ।

(२) नीलाम की एक मंजिल कोठी जिसकी चौहद्दी नीचे दी हुई है और जो राल के तालाब पर सिकन्दरा जिला अलीगढ़ में स्थित है ।

(चौहद्दी)

(च) इस समय कुल १०५३२) रुपया वाजिब हैं ।

३—वादी और उनके उत्तराधिकारी और लाला वासदेव सहाय का सम्मिलित कारखाना था जिसके मैनेजर लाला वासदेव सहाय थे । कुटुम्ब में बटवारा हो जाने के कारण से कारखाना भी हिस्सों में बाँट दिया गया था लेकिन वह दस्तावेज जिसके ऊपर यह नालिश की जाती है मुश्तर्क रहा और वादी उसके मालिक व दावा करने के हकदार हैं ।

४—वादी १ से ५ तक का हिस्सा ३ है, वादी नम्बर ६ का हिस्सा ३ है; वादी ७ और ८ का हिस्सा ३ है; और वादी नम्बर ९ का हिस्सा भी ३ है ।

५—असली राहिन चौ० समीउद्दीन खाँ का देहाँत हो गया प्रतिवादी फ़रीक प्रथम उनके कानूनी उत्तराधिकारी और उनकी जायदाद पर काबिज हैं और उस ऋण के अदा करने के ज़ुम्मेदार हैं ।

६—प्रतिवादी द्वितीय एक नकद रुपया की डिग्री के इजराय में इस हकियत के एक हिस्से का खरीदार है उसका हक इस दस्तावेज के भार के बाद पैदा होता है और नालिश की तरतीब और उसका रहन छुटाने का हक मिटाने के लिये उसको फ़रीक बनाया गया है ।

७—राल तालाब की कोठी अब टूटी हुई दशा में है और उस पर एक पहिली क़िफालत का भार है इस लिये मुद्दयान उसको इस क़िफालत से छुटकारा देते हैं ।

८—चौधरी समीउद्दीन खाँ ने १४४६) रुपया सन् ..ई० के नील की बिक्री से दावे के दस्तावेज़ में अदा किये उसमें से १०००) रुपया असल में और ४४६) ता० ५ अप्रैल सन्.....ई० तक सूद मुजरा कराये और उसके बाद कुछ नहीं दिया ।

६--प्रतिवादी फरीक तृतीय व वादी नं० ६ के बीच में पञ्चायत से भगड़ा तै होकर दस्तावेज के रुपया वसूल करने का हक वादी नम्बर ६ को दिया गया है अतएव प्रतिवादी भगड़ा मिटाने के लिये फरीक बनाये गये हैं ।

१०--बिनायदावी ता०

११--दावे की मालियत (१०५३२) रुपया)

वादी प्रार्थी है कि :-

(अ) प्रतिवादी फरीक प्रथम व फरीक द्वितीय को हुकम हो कि वह १०५३२ रुपया असल व सूद नीचे लिखे हुये हिसाब के अनुसार मय खर्च नालिश व सूद दौरान और आइंदा रुपया वसूल होने के दिन तक अदा करें नहीं तो जायदाद नीलाम की जावे ।

(हिसाब का विवरण)

(५) रहनग्रहीता का हिन्दू रहनकर्ता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों पर सम्पत्ति के नीलाम के लिये दावा

१--वादी उस सम्पत्ति के सादा रहनग्रहीता हैं जिसके प्रतिवादी राहिनान हैं ।

२--इस रहन का विवरण निम्नलिखित है--

(क) रहन की तारीख... ..

(ख) रहनकर्ता का नाम.....

रहनग्रहीताओं का नाम.....

(ग) रहन का रुपया.....

(घ) सूद की दर..... १।।।) रुपया सैकड़ा मा० सूद छःमाही ।

कुल रुपया इन्दुल तलब अदा करना ठहरा ।

(ङ) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण (यहाँ पर विवरण लिखना चाहिये) ।

(च) इस समय मुबल्लिग.....) रु० वाजिब है ।

३--प्रतिवादी नम्बर २, ३ व ४ प्रतिवादी नं० १ के अवयस्क पुत्र हैं और नम्बर ३ व ४ दस्तावेज लिखने के बाद पैदा हुये हैं । कुल प्रतिवादी अविभक्त कुल के सदस्यों की हैसियत से श्रृण अदा करने के उत्तरदायी हैं क्योंकि प्रतिवादी नम्बर १ ने मैनेजर व कर्ताकुटुम्ब की हैसियत से कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये श्रृण लिया था ।

(६) अर्चक संपत्ति के नीकाम के लिये मुर्तहिन की ओर से, हिन्दू पिता और पुत्रों पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी अर्जीदावे में लिखी हुई प्रतिवादी नम्बर १ की स्वयं पैदा की हुई जायदाद का मुर्तहिन है ।

२—उस रहन का विवरण नीचे दर्ज है —

(अ) रहन नामा लिखने की तारीख—

(ब) राहिन का नाम भोलाप्रसाद, प्रतिवादी नम्बर १ ।

मुर्तहिन का नाम—मिश्रीलाल, वादी ।

(क) रेहन का रुपया...३०००)

(ख) ब्याज की दर फ़ी सैकड़ा ॥३॥ आना मासिक है और ब्याज के अदा होने की शर्त यह है कि सूद छमाही अदा होगा सूद के न देने पर वह रुपया भी असल में मिला कर उस पर भी ब्याज इसी दर से अदा किया जायेगा ।

(ग) मरहूना सम्पत्ति अर्जीदावे में नीचे दर्ज है :—

(घ) अर्ब.....रुपया रहननामे के वाजत वाजिबउल अदा है ।

३—यह जायदाद भोला प्रसाद प्रतिवादी फ़रीक प्रथम की खुद पैदा की हुई है और यह श्रृणु उसने हिन्दू अविभक्त कुल के कर्ता की हैसियत से कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये लिया था प्रतिवादी फ़रीक द्वितिय भोला प्रसाद के पुत्र होने की वजह से उसके अदा करने के जुम्मेवार हैं और नालिश की तरतीब व भगड़े को दूर करने के लिये उनको भी फ़रीक मुकदमा किया गया है ।

४—श्रीमती नगोना (प्रतिवादी नं० ७) ने एक मजिल मकान को जिसमें भोला प्रसाद रहते हैं और जो शहर कोल मुहल्ला नंगा टोला में स्थित है एक सादी डिगरी को जारी करके खरीद लिया है और पं० गङ्गा प्रसाद प्रतिवादी नं० ८ ने दूकान एक मंज़िला जो शहर कोल मुहल्ला मियागंज में है दस्तावेज की नालिश करके कुर्क करा ली है अतएव मुकदमे की तरतीब के लिये इनको प्रतिवादी फ़रीक तृतीय बनाया गया है ।

५—दस्तावेज लिखने वाले भोला प्रसाद ने रहननामे के मुतालवे में केवल..... रुपया ता०.....ई० को वादी को अदा किया और ता०.....को मौजा मुन्नवर को वादी के हाथ.....रुपया, जुज़ मतालबा रहननामे में बै कर दिया अर्ब केवल.....रुपया वादी का प्रतिवादी के ऊपर बाकी है जो कि रहन की हुई जायदाद से वसूल हो सकता है ।

६—भोला प्रसाद असलियत में, एक मजिल दूकान (जो शहर कोल मु० गियाँ

गंज में स्थित है) का मालिक नहीं था बल्कि केवल मुर्तहिन था और उसने उसका रेहन छुटा कर उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया था इसलिये वादी उसकी क़िफ़ालत से दस्तबन्दार होता है ।

७—विनाय दावा.....

८—दावे की मालियत.....

९—वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को रुपया असल व सूद मय खर्चा नालिश व सूद आज तक का प्रति-वादी से दिला दिया जावे वरना जायदाद के नीलाम से वादी का रुपया वसूल कराया जावे ।

(ब) अगर जायदाद मरहूना के नीलाम से वादी का रुपया अदा न हो तो वादी को अधिकार दिया जावे कि वह भोलाप्रसाद की जात व दूसरी जायदाद से वसूल कर सके ।

(१) तफसील जायदाद जो आड़ हुई है ।

(२) तफसील जायदाद जो नीलाम होने वाली है ।

* (७) जादाद के नीलाम के लिये पिछले मुर्तहिन की अपने और मुरत रहन के रुपये के लिये नाक़िश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी प्रतिवादी नं० १ की भूमि का सादा रहनदार है ।

२—इस रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की तारीख—

(ब) रहन करने वाले का नाम—रामचरण ।

रहन गृहीता का नाम —बलदेवसिंह ।

(क) रहन के रुपये की संख्या.....१२५०) रुपया ।

(ख) ब्याज की दर.....१) रुपया सै० मा० और हर छठे महीने पर ब्याज दर ब्याज और कुल रुपया इन्दुलतलब अदा करना करार पाया ।

* नोट—क़ानून से पिछले मुर्तहिन को यह आवश्यक नहीं है कि अपने रेहन की नालिश में पहिले मुर्तहिन को फ़रीक बनाये या उसके रेहन को जुदा कर दोनों रेहनों का रुपया वसूल करने की प्रार्थना करे परन्तु उसको क़ानून से यह अधिकार प्राप्त है । इस तरह की बहुत कम नालिश होती हैं लेकिन जहाँ मुख्य रहन में विना पिछले मुर्तहिन को फ़रीक बनाये हुए नीलाम हो जावे उस समय ऐसी प्रार्थना आवश्यक है । नमूना नं० ८ व (नौ) इसी प्रकार के हैं ।

(ग) इस समय ३३२५) रुपया वाजिब हैं ।

(घ) जायदाद मरहूना का विवरण—

३— प्रतिवादी फरीक द्वितीय इस जायदाद के कुछ हिस्से का पहिला मुस्ताहिन हैं जिसकी तफसील यह है—

(अ) रहन की तारीख

(ब) नाम राहिन—रामचरण व हरनाम ।

नाम मुस्ताहिन—श्री गोपाल व भजनलाल ।

(क) रेहन का मतालत्रा ५००) रुपया ।

(ख) व्याज की दर ॥॥) आना सैकड़ा मासिक और कुल रुपया इन्दुलत-लत्र अदा करना होगा ।

(ग) इस समय जो मतालत्रा वाजिब है ८४०) रुपया ।

(घ) जायदाद मरहूना का विवरण—

४—वादी का रुपया अदा करने के लिये प्रतिवादी फरीक प्रथम से कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देते । वादी.....रुपया वसूल करना चाहता है ।

५—दावे की बिनाय ता०दस्तावेज के लिखने के दिन से व ता०इनकार करने के दिन से स्थान.....में अदालत के अधिकार के अन्दर पैदा हुई ।

६ दावे की मालियतरुपया है ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी फरीक अव्वल को हुकम हो कि वह मुबलिगा ३३२५) रुपया मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन तक अदालत की मुकरर की हुई तारीख पर वादी को अदा करें ।

(ब) प्रतिवादी के यह रुपया न अदा करने पर वादी को अधिकार दिया जावे कि वह प्रतिवादी फरीक द्वितीय का रुपया अदा कर दे और उसको ७ मई सन् १९...ई० के लिखे हुये दस्तावेज की रकम वसूल करने का अधिकार रहन की हुई जायदाद को नीलाम करके, और ता० ६ जून सन् १९.....ई० के दस्तावेज का रुपया उस दस्तावेज में लिखी हुई जायदाद को नीलाम करके वसूल करने का अधिकार दोनों मय खर्चा नालिश व सूद वसूल होने के दिन तक डिग्री से दिया जावे ।

(८) नीलाम के लिये पिछले मुरतहिन की, राहिन और जायदाद खरीदने वाले के ऊपर नाबिश

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :—

१—वादी, प्रतिवादी फरीक दोगम की रहन की हुई जायदाद की सादा मुरतहित है।

२—इस रहन की तफसील यह है—

(अ) रहन की तारीख—

(ब) राहिनो का नाम—तारासिंह व बहादुरसिंह।

मुरतहिन का नाम—मुरलीधर।

(क) रहन का रुपया --४०००) रु०।

(ख) व्याज की दर फी सैकडा १=) रु० मासिक और व्याज हर साल अदा होगा वरना सालाना सूद असल में मिलाया जावेगा और कुल रुपया इन्दुल तलत्र अदा होगा।

(ग) मरहूना जायदाद का विवरण—

(घ) इस समय मु० ७००००) रु० वाजिव हैं।

३—२१ मई १९०६ ई० के लिखे हुये त्रैनामे से मुरलीधर की स्त्री श्री० परवती व मुरलीधर के लड़के रूपराम की स्त्री श्री० गंगा कुँअर ने जो कि इस दस्तावेज की, उत्तराधिकारिणी होने की वजह से मालिक हुई, यह दस्तावेज वादी के नाम त्रै कर दिया और अब वादी दस्तावेज की मालिक और दावा करने की अधिकारिणी है।

४—असली मदीयून तारासिंह का देहान्त हो गया प्रतिवादी नं० ७, ८ व ९ उसके उत्तराधिकारी हैं।

५—प्रतिवादी नं० १ और प्रतिवादी नं० २ से ६ तक के पूर्वाधिकारी, त्रिहारी लाल इस जायदाद के पहिले मुरतहिन, ता०..... के लिखे हुए दस्तावेज तादादी ३६५०) रुपये से थे।

६—इन पहिले मुरतहिनों ने पिछले मुरतहिन मुरलीधर व रूपराम को मुकदमे में फरीक नही बनाया और उनको बिना रहन छुटाने का अबसर दिये हुए रहननामे के आधार पर डिग्री करके, जायदाद को ३२६६२=)।, डिग्री के कुल मतालवे में, ता०.....को नीलाम मे खरीद लिया और उसी समय से उस जायदाद पर काजिव हैं और उसके मुनाफे से लाभ उठाते हैं।

७—प्रतिवादी प्रथम पक्ष की इस डिग्री व नीलाम की कार्रवाई से वादी के विरुद्ध कोई असर नही होता और वादी कुल प्रतिवादियों के विरुद्ध जायदाद का नीलाम कराने की हकदार है।

८—जायदाद की आमदनी से मटरूमल विहारीलाल का कुल रुपया बेचाक हो गया है और अब इस जायदाद पर उनका कोई रुपया बाकी नहीं है ।

९—वादी इस बात पर भी राजी है कि यदि हिसाब से प्रतिवादी फरीक अब्बल की कोई रकम वाजिब हो तो वह वादी से दिलाई जावे और जायदाद, दस्तावेज के मुतालबे की बात जो वादी को प्रतिवादी फरीक अब्बल को देना पड़े, नीलाम की जावे ।

१०—दावे का तायून मुत्रलिंग ८००००) ५० है ।

११—बिनायदावी—

१२—वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी को हुकम हो कि वह ७००००) रुपया असल व सूद मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन दस्तावेज में लिखी हुई दर के अनुसार उस तारीख पर जो इस बारे में अदालत नियत करे वादी को अदा करे नहीं तो जायदाद नीलाम की जावे और वादी के रुपया की बेचाकी करा दी जावे ।

(ब) अगर ता०के दस्तावेज की बात कोई रुपया प्रतिवादी फरीक प्रथम को दिलाना अदालत उचित समझे तो उसके लिये वादी को उसके देने का अवसर दिया जावे और जायदाद फिकरा (अ) में लिखे हुये मुतालबे और इस रुपये के दिलाने के लिये नीलाम की जाये ।

* (९) पिछले मुरतहिन की ओर से पहिले मुरतहिन और राहिन के ऊपर सम्पत्ति नीलाम कराने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -

१—प्रतिवादी फरीक प्रथम प्रतिवादी फरीक द्वितीय की ज़मीन के सादा रहन ग्रहीता हैं ।

४ नोट न० १- इस सिलसिले में डिग्री का नमूना जो जाप्ता दीवानी के शिब्यूल १ परिशिष्ट (ब) के नम्बर ६ में दिया हुआ है देखने योग्य है ।

न० २—मुरतहिन को अधिकार है कि वह नालिश केवल अपने राहिन के ऊपर दायर करे और हक मुरतहिन के नीलाम की प्रार्थना करे या वह हक रहननामा और रहननामा दोनों के आधार पर अपने राहिन और जायदाद के असली मालिक के ऊपर नालिश करे और असली हक़ीयत के नीलाम की प्रार्थना करे । पहिली दशा में अर्जोदावा भाग २६ के नमूना नम्बर १ के अनुसार होगा और दूसरी दशा में इस नमूने के अनुसार अर्जोदावा लिखा जावेगा ।

२—रहन का विवरण यह है—

(यहाँ पर भाग २३ के नमूना नं० १ में दी हुई बातें लिखनी चाहिये) ।

३—वादी उस रहननामे का सादा रहनग्रहीता है और उसका विवरण यह है ।
(यहाँ पर भी भाग २३ में दिये हुये रहननामे की कुल बातें लिखनी चाहिये जैसे कि पहिले नमूने में लिखी जा चुकी हैं) ।

४—दावे की मालियत—

५—वादी प्रार्थी है कि—

अदालत से हुक्म हो कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष.....रुपया असल व सूद ता०के लिखे हुये रहननामे की बाबत खर्च नालिश व सूद इत्यादि, सहित और प्रतिवादी द्वितीय पक्षरुपया असल व सूद ता०.....के रहन नामा की बाबत मय खर्च नालिश इत्यादि एक नियत तारीख तक अदा करे और दोनों प्रतिवादियों के अपना अपना मतालवा न अदा करने की दशा में सम्पत्ति नीलाम की जावे और वादी का मतालवा वेवारा किया जावे ।

*(१०) जमानत नामे के आधार पर जायदाद के नीलाम के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१-- ता०के वादी ने प्रतिवादी नं० १ को मुन्शी (क्लार्क या मुर्नम) की हैसियत में नौकर रक्खा ।

२ - ता०के प्रतिवादी नं० २ ने रजिस्ट्री किये हुए जमानत नामे से इकरार किया कि यदि प्रतिवादी नं० १ क्लार्क के पद का अपना काम ईमानदारी और सच्चाई से न करे और कुल नक़द रुपया, दस्तावेज़ और माल जो वादी के लिये उसके मिले उसका हिसाब न दे सके तो जो कुछ वादी को उसकी वजह से हानि होगी उसकी बाबत प्रतिवादी उतनी रकम जोकि . . ६० से ज्यादा न हो अदा करेगा और उसकी अदायगी के विश्वास के लिये नीचे लिखी जायदाद जमानत नामे में उस मतालवे की देनदार कर दी ।

(यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण देना चाहिये)

३— ता० और ता० .. . के प्रतिवादी न० १ ने मुबल्लिग६० का माल इत्यादि वादी के नाम वसूल किया और उसका हिसाब नही दिया और वह मतालवा अब तक बाकी है ।

* नोट—इसी सिलसिले में भाग १२, जमानत का नमूना नं० ७ देखना चाहिये ।

४—त्रिनाय दावी (बाकी के हिसाब का मतलबा देने से इन्कार करने के दिन से)

५—दावे की मालियत —

६—वादी प्रार्थी है कि —

उसका मतलबा जो कि प्रतिवादी न० १ पर बाकी है दिलाया जावे नही तो जमानत नामे मे लिखी हुई सम्पत्ति नीलाम की जावे ।

*** (११) इजराय डिगरी में दी हुई जमानत को जायदाद नीलाम करार लुगाने के क्रिये नाक़िश**

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : —

१—अदालत सिविल जजी से एक डिग्री नम्बर १६६० ई०, ७०००) २० की मय खर्चा नालिश ता० २२ जनवरी सन् १६.....ई के हिदायतउल्ला-प्रतिवादी के ऊपर वादी को प्राप्त हुई ।

२—हिदायतउल्ला ने वादी के विरुद्ध अदालत हाईकोर्ट में अपील न० ५६ सन् १६.....दायर की और फैसला न होने तक इजरायडिग्री स्थगित रखने के लिये दखास्त दी ।

३—हाईकोर्ट से इजरायडिग्री स्थगित रहने की इजाजत ता० ६ मार्च सन् १६.....के इस शर्त पर हुई कि डिग्री की जायदाद की बाबत जमानत हिदायतउल्ला अपीलॉट से ले ली जावे ।

४—जमानत की तफसील नीचे लिखी है—

(क) जमानत नामे के लिखने की तारीख— २८ फरवरी सन् १६ ई० ।

(ख) जामिन का नाम..... रामसहाय ।

जिसके नाम जमानतनामा लिखा गया .. रजिस्ट्रार हाईकोर्ट इलाहाबाद ।

(ग) जमानत की संख्या .. कुल मतलबा उस डिग्री का जो अदालत हाईकोर्ट से मुकदमा अपील अव्वल नम्बरी ५६ सन् १६.....ई० मे सादिर हो ।

(घ) जमानत की हुई जायदाद का विवरण .. १ बिस्वा जिमीदारी मुन्दर्जा खाता खेवट नम्बर ६ मुहाल रामसुख मौ० चन्दनपुर तहसील भोगाँव जिला मैनपुरी ।

(ङ) रकम जो इस वक्त वाजिब है ... डिगरी का कुल रुपया, मुबलिंग ६६५०) २० ।

* नोट—सादा जमानत की नालिशें इसी प्रकार के पद १२ में दी जा चुकी हैं ।

५—हिदायतउल्ला की अपील हाईकोर्ट से ता० ७ अगस्त सन् १६ ई० को खारिज हो गई, और जमानत का मतालवा वाजिब हो गया ।

६—रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने जमानतनामा वादी के नाम बदल दिया और अब वादी नालिश करने का अधिकारी है ।

* (१२) एक राहिन की दूसरे राहिन पर, रसीद के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—फरीकैन की जायदाद एक मनुष्य मोहनलाल के पास सादा रहन थी ।

२—उस रहन का विवरण यह है—

(जैसा कि नीलाम के नमूना न० १ में)

३—फरीकैन के पूर्वाधिकारी (मूरिस) शेरसिंह राहिन का देहान्त हो गया । मोहनलाल मुरतहिन ने इस रहननामा के अनुसार रहन के मतालवे और ब्रैवात के लिये अदालत .. . में दावा नम्बरी ३०१ सन् १६.....ई० फरीकैन के मुकाबले दायर किया जो ता० १७ मई सन् १६ ई० को डिग्री हुआ ।

४—वादी ने ता० को इस डिग्री का कुल.....रु० अदालत में दाखिल कर दिया और डिग्री खारिज हो गई ।

५—वादी कुल डिग्री के आधे मतालवे का मय ब्याज १) रु० सै० मासिक व सूद दर सूद सालाना जोड़ कर अदा होने की तारीख तक पाने का दावीदार है ।

(१३) रहन का कुल रुपया अदा करने पर हिस्से के खरीदार की रसदी के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी नं० १ अर्जीदावे में नीचे लिखी हुई जायदाद (अ) (ब) व (ज) का मालिक था ।

२—प्रतिवादी नं० १ की यह कुल जायदाद एक पुरुष हरदेवदास के यहाँ.....रु० में ता० के लिखे हुए सादा रहननामे के अनुसार रहन थी । दस्तावेज में ब्याज की दर ३) रु० सैकड़ा मासिक थी और सूद वार्षिक जोड़ा जाता था ।

* नोट—सादा विभाग (रसदी या Contribution) की नालिशों पद १६ में दी जा चुकी है ।

३—वादी जायदाद (अ) का खरीदार और प्रतिवादी नं० २ जायदाद (ब) का खरीदार है जो इजराय डिग्री में प्रतिवादी नं० १ के मुकाबले जेर रहननामा नीलाम हुई । जायदाद (ज) का प्रतिवादी नं० १ अब भी मालिक व काबिज है ।

४—वादी ने ता० ... के रहननामा मौसूमा हरदेवदास के कुल मतालवे को अदा करके हर एक जायदाद को आड़ से बचा लिया ।

५—नीचे लिखे हिसाब से रसदी का मतालवा (ब) जायदाद के ऊपर ... रु० और (ज) जायदाद के ऊपर... रु० होता है ।

आड़ की हुई कुल जायदाद का मूल्य ४१००)

जायदाद (अ) का मूल्य १४००) रसदी का .. रु० ।

” (ब) ” ” १६००) ” ”... रु० ।

” (ज) ” ” १०००) ” ”..... रु० ।

६—प्रतिवादी ने अपनी जुम्मेवारी का मतालवा अदा नहीं किया ।

(१४) मुख्य रहन का रुपया काट कर रसदी के दिये नालिश

(सिरनामा)

उक्त वादी निम्नलिखित अर्ज करता है :—

१—प्रतिवादी नं० १ जायदाद (अ), (ब), व , ज) का मालिक था ।

२—जायदाद (अ), रामलाल के यहाँ प्रतिवादी नं० १ की ओर से ॥३॥ सै० मा० व्याज पर.....रु० में रहन थी ।

३—प्रतिवादी नं० १ की ओर से जायदाद (ब) दिलदार हुसेन के यहाँ ता० ... के दखली रहननामे के द्वारा ...रु० में रहन थी जिस पर अधिकार मुरतहिन का था और सूद व लाभ बराबर बराबर था ।

४—प्रतिवादी न १ यह कुल जायदाद मुन्नुलाल के यहाँ ता०... के सादा रहननामे के अनुसाररु० में दस्तावेज पर १) रु० सै० मा० वार्षिक व्याज दर व्याज रहन की थी ।

५—फिर प्रतिवादी नम्बर १ ने (अ) जायदाद को प्रतिवादी नं० २ के हाथ वै कर दिया और (ब) जायदाद का हक राहिनी सादा कर्ज के बारे में नीलाम होकर नीलाम का मूल अदा करने पर वादी ने खरीद लिया । प्रतिवादी नं० १ जायदाद (ज) का खुद मालिक है ।

६—मुन्नुलाल ने ता०... के सादा रहननामे के आधार पर फरीकैन के उपर ता०.....के अदालत.....मुकदमा नम्बरी.....में आड़ हटाने व जायदाद के

नीलाम के लिये नालिश दायर की और ता०..... के फरीकैन से मुकाबले .. . ६० की डिग्री प्राप्त की ।

७—फरीकैन ने डिग्री का मतालवा अदा नहीं किया इसलिये अदालत से ६० वसूल करने के लिये नीलाम देने का हुकम हुआ ।

८—वादी ने जायदाद बचाने के लिये डिग्री का कुल मतालवा ता० के अदालत में जमा कर दिया और डिग्री पूरा रुपया दे दिये जाने के सबब से खारिज हो गई ।

९—सुन्वलाल के नाम रहननामा होने के समय जायदाद (अ) का बाजारी मूल्य फिक्रा नं० २ में लिखे हुये हुये कफायत को घटा कर .. ६० था और जायदाद (ब) की फिक्रा नं० ३ में लिखे हुये दखली रहन मतालवा घटा कर .. ६० थी और जायदाद (ज) की ६० थी । रसदी के लिये जायदाद (अ) पर६० और जायदाद (ज) के ऊपर... . ६० निकलता है ।

१०—प्रतिवादी नं० १ व २ ने अपने ऊपर निकलता हुआ रुपया अभी तक अदा नहीं किया ।

२४—प्रतिषेध या वैवात

(Foreclosure)

रेहन के सम्बन्ध की यह दूसरी प्रकार की नालिश होती है । यदि रेहन धन रेहन के शर्तों के अनुसार अदा होने योग्य हो गया हो और उसके देने में रेहन कर्ता असमर्थ रहे तब रेहन-ग्रहीता (१) रेहन की हुई सम्पत्ति को नीलाम करा कर अपना रेहन धन प्राप्त कर सकता है अथवा (२) उसको यह अधिकार होता है कि रेहन-कर्ता के रेहन छुड़ाने के हक को नष्ट करा देवे और उस सम्पत्ति का स्वयं मालिक हो जावे । इस दूसरी प्रकार की कारवाइ को प्रतिषेध कहते हैं ।

प्रतिषेध की नालिश में वही सब घटनाएँ और विवरण देनी चाहिये जो कि नीलाम की नालिश में और जो कि पद २३ के नोट में ऊपर लिखी जा चुकी हैं । ये दोनों प्रकार की नालिशें रेहन-ग्रहीता की ओर से दायर की जाती हैं और एक ही रूप की होती हैं । परन्तु वादी की प्रार्थना सम्पत्ति के नीलाम के बजाय प्रतिवादी का हक नष्ट करने और वादी को सम्पत्ति का मालिक करार देने की होती है ।

मियाद—प्रतिषेध की नालिश भी नीलाम की नालिश की तरह रेहन

का रुपया अदा होने योग्य हो जाने की तारीख से १२ साल के अन्दर होनी चाहिये ।¹

कोर्ट-फीस—दावे की मालियत या रहन के मूल धन पर पूरा कोर्ट फीस लगता है ।

(१) * प्रतिषेध (वैवात) के क्रिये साधारण नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि वादी प्रतिवादी की जमीन का रहनग्रहीता है जिसे बेचे जाने के लिये प्रार्थना की जा रही है ।

२—इस रहन का विवरण इस भाँति है—

(अ) रहन की तारीख.....।

(ब) राहिन का नाम।

मुरतहिन का नाम ।

(क) रहन का मतालबा ।

(ख) सूद की दर।

(ग) रहन की हुई जायदाद की तफसील..... ।

(घ) मतालबा जो इस समय निकलता है..... ।

(च) यदि वादी ने किसी दूसरे से अधिकार प्राप्त किया हो तो संक्षेप में लिखना चाहिये कि वादी दावा करने का हकदार है ।

३—' यदि वादी मुरतहिन मय कब्जा हो तो इस भाँति लिखना चाहिये —

वादी ने रहन की हुई जायदाद पर ता०.....के कब्जा हासिल किया और उसी तारीख से मुरतहिन की हैसियत में जायदाद पर क़ाबिज है) ।

४—दावे का कारण—

५—दावे की मालियत—

* नोट १—यह नमूना ज़ाता दीवानी के शिष्यूल १ अ० (अ) के न० ४५ के अनुसार है ।

* नोट २—रहन की हुई जायदाद के बेचने का अधिकार सिर्फ़ सादा राहिन को है । रहन दखली में रहन की हुई जायदाद को बेचने का अधिकार उसी हालत में है जहाँ कि राहिन ने स्वयं अपनी जात से रुपया देने की प्रतिज्ञा की हो ।

वादी प्रार्थी है कि—

बकाया मतालवा और मुकदमा दायर करने के दिन से उसका सूद दिलावाया जावे और यह न अदा किये जाने पर जायदाद रहन से छुटाने से रोक दी जावे और कब्जा दिलाया जावे ।

(२) रहन नामे की अवधि समाप्त हो जाने पर अधीकृत रहन-ग्रहीता की, रहन-कर्ता के उत्तराधिकारियों पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी की आराजियो का वादी रहन-ग्रहीता मय कब्जा है ।

२—रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की तारीख — ११ जुलाई सन् १६.....ई० ।

(ब) रहन कर्ता का नाम — हरदयाल ।

रहन-ग्रहीता का नाम—शेरसिंह ।

(क) रहन के रुपये की संख्या—५०००) रु० ।

(ख) सूद की दर—रहन के रुपये पर सूद और रहन की हुई सम्पत्ति का लाभ बराबर करार पाया गया और यह ठहरा कि रहन-ग्रहीता सम्पत्ति पर काबिज रहे और सूद के बदले में लाभ लेता रहे । १५ साल के बाद वास्तविक रुपया अदा कर देने पर जायदाद रहन से छूट जावेगी नहीं तो बिक्री (वै) पूरी हो जावेगी ।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण—

४०० बीघा भूमि हक्कीयत जमींदारी, खाता खेवट नं० ७ महाल जैशीराम मौजा रबूपूर, परगना जेवर, जिला बुलन्दशहर ।

(घ) इस समय रहन का वास्तविक मतालवा ५०००) बकाया है ।

(च) असली रहन-ग्रहीता शेरसिंह का देहान्त हो गया, वादी उसका लड़का व उत्तराधिकारी है और रहन की हुई जायदाद पर काबिज है ।

(छ) असली राहिन हरदयाल का भी देहान्त हो गया । प्रतिवादी न० १ उसकी लड़की मानकुँअर का लड़का है और उत्तराधिकारी होने के कारण माल के कागजों में उसका नाम दर्ज है ।

३—प्रतिवादी नं० २ मृतक हरदयाल के कुटुम्ब का है । प्रतिवादी नं० २ और नं०

१ में, आपस में हरदयाल के उत्तराधिकारी होने की वावत भगड़ा है और मुकदमा चल रहा है। आगे का भगड़ा मिटाने के लिये उनको फरीक बनाया गया है।

(३) सयुक्त रहन होने पर जायदाद का प्रतिषेध कराने और दखल के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी की जायदाद का वादी दो रहननामों के अनुसार मुरतहिन है।

२—पहिले रहन का विवरण इस भाँति है :—

(अ) रहन की तारीख .. १६ जून सन् १६—ई० ।

(ब) रहन करने वाले का नाम—यारमुहम्मद ।
मुरतहिन का नाम—दिलदारबख्श ।

(क) रहन का मतालबा—३५००) रु० ।

(ख) ब्याज की दर || $\frac{1}{2}$ आना सै० माहवारी और ब्याज दर ब्याज छः माही और कुल रुपया रहन की ता० से अवधि के अन्दर ६ साल में अदा होना ठहरा और रहन की हुई जायदाद न अदा करने पर विक्री हो जावे ।

(ग) जायदाद का व्योरा—पक्की बनी हुई एक मजिला हवेली मय कुल हक्क स्थित रानी मन्डी, शहर इलाहाबाद ।

(यहाँ पर चौहद्दी लिखी जावे)

(घ) इस समय इस रहन के ५२२०) रु० निकलते हैं ।

३—दूसरे रहन का विवरण यह है ;—

(अ) राहिन का नाम—यारमुहम्मद ।

मुरतहिन का नाम—इलाहीबख्श लड़का व नूर फातमा लड़की
दिलदार बख्श ।

(ब) रहन की ता० ११ सितम्बर सन् १६.....ई० ।

(क) रहन का मतालबा—६००) रु० ।

(ख) ब्याज की दर फी सैकड़ा ||| आ० मा० ब्याज दर ब्याज और कुल रुपया १३ जून सन् १६.....ई० तक अदा होना ठहरा ।

(ग) इस समय १६२५) रु० इस रहन नामे की वावत वाजिव है ।

(घ) रहन की हुई जायदाद वही जायदाद जो १६ जून सन् १६.....ई० के पहिले रहननामे में रहन है ।

४—१३ जून १६३५ ई० के रहननामे के असली मुरतहिन दिलदार बरुश का देहान्त हो गया, वादी उसका लडका और उसकी लड़की मुसम्मात नूर फातमा उसके वारिस हुए । मुसम्मात नूर फातमा ने दोनों रहननामों में अपना हक वादी के नाम दान , हिवा कर दिया । अब वादी अकेला मालिक और दावा करने का हकदार है ।

५—बिनायदावी (दोनों रहननामों की अवधि समाप्त होने के दिन से) ।

६ - दावे की मालियत :—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) प्रतिवादी को हुकम हो कि वह ६३४५) रु० असल और सूद दोनों रहननामों का मतालवा मय खर्च नालिश व सूद अदालत से नियत की हुई तारीख तक अदा करे नहीं तो रहन की हुई जायदाद प्रतिपेध कर दी जावे और वादी को उस पर दखल दिला दिया जावे ।

(४) काबिज मुरतहिन का राहिन पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१ - प्रतिवादी नं० १ की जायदाद का वादी काबिज मुरतहिन है ।

२—उस रहन का विवरण यह है :—

(अ) रहन की तारीख—१६ मई सन् १६.....ई० ।

(ब) राहिन का नाम—हरभजन ।

मुरतहिन का नाम—सीताराम ।

(क) रहन के रुपये की संख्या—१२५०) रु० ।

(ख) सूद की दर ॥) सैकड़ा मासिक और यह भी करार पाया कि मुरतहिन सात साल तक रहन की हुई जायदाद पर काबिज रह कर उसकी आमदनी वसूल करे और सरकारी माल गुजारी और तहसील वसूल के खर्च काट कर जो कुछ मतालवा बचे उसको हर छमाही रहन के सूद में काटता रहे । जो कुछ भी सूद के रुपये में हो वह हर छमाही रहन के मतालवा में जोड़ कर उस पर भी इसी हिसाब से सूद लगाया जावे । सात साल की अवधि के बाद जो कुछ मतालवा हिसाब से मुरतहिन का निकले

वह दो महीने के अन्दर राहिन को अदा करना होगा, नहीं तो रहन की हुई जायदाद वेच दी जावेगी ।

(ग) रहन की हुई जायदाद की तफसील—

२ वीं धा १३ विस्वा हकीयत जमींदारी जो कि खाता खेवट न० ६ पट्टी राम-सुख महाल तोताराम स्थित मौजा हरग्यानपुर परगना व तहसील रामनाग जिला हमीरपुर मे दर्ज है ।

(घ) नीचे दिये हुए हिसाब से ४२७५) रु० बकाया निकलते हैं ।

३—सीताराम मुरतहिन का देहान्त हो गया वादी उसका लड़का व उत्तराधिकारी है ।

४—विनाय दावी १६ मई सन् १९ ...ई० के दो महीने बाद यानी १६ जुलाई सन् १९.....ई० को अवधि के अन्तिम दिन से स्थान हरग्यानपुर, अदालत की अधिकार सीमा के अन्दर पैदा हुई ।

५—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि उसका जो रुपया हिसाब से निकलता हो दिलाया जावे और बैवात के लिये डिग्री आर्डर ३४ नियम २५ जाता दीवानी के अनुसार वादी के नाम प्रति-वादी के ऊपर सादिर की जावे ।

२५—रहन छुटाना (इनफेकाक)

(Redemption.)

यह रहन के सम्बन्ध की तीसरी प्रकार की नाजिश है । जिस तरह रहन-ग्रहीता को रहन का रुपया अदा होने योग्य हो जाने पर जायदाद को नीलाम या प्रतिषेध कराने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है वैसे ही रहन-कर्ता को उस रुपया को अदा कर देने पर रहन छुटाने का अधिकार-उत्पन्न हो जाता है । यदि रहन-धन वेष्क हो चुका है तो रहन-कर्ता को कोई रुपया और नहीं देना पड़ता वरना जो हिसाब से रुपया निकलता हो वह दखल पाने से पहिले रहन-ग्रहीता को देना पड़ता है । इस प्रकार से रहन-कर्ता और रहन-ग्रहीता के स्वत्व प्रायः एक समान है ।¹

रहन-छुटाने के दावे में उन सब मनुष्यों को मुक्तदमे में क़रीक़ बनाना चाहिये जिनका कोई रहन की हुई जायदाद में हक़ हो या जिनको रहन छुटाने का हक़ पैदा होता हो ।² ऐसे कोई मनुष्य यदि वादी होने से इन्कार करें या वादी न बनना चाहें तो उनके प्रतिवादी बनाया जा सकता है ।

रहन की तारीख़, रहन-कर्ता व रहन-ग्रहीता के नाम, रहन का मूजधन और

1 I L R 36 All 195 P C , 16 Mad 486 25 A L J R 1051

2 Or. 34 R. 1 C P C

(घ) रहन की हुई जायदाद वही जायदाद जो १६ जून सन् १६.....ई० के पहिले रहननामे में रहन है ।

४—१३ जून १६३५ ई० के रहननामे के असली मुरतहिन दिलदार बख्श का देहान्त हो गया, वादी उसका लडका और उसकी लड़की मुसम्मात नूर फातमा उसके वारिस हुए । मुसम्मात नूर फातमा ने दोनों रहननामों में अपना हक वादी के नाम दान, हिजा कर दिया । अब वादी अकेला मालिक और दावा करने का हकदार है ।

५—बिनायदावी (दोनों रहननामों की अवधि समाप्त होने के दिन से) ।

६—दावे की मालियत :—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) प्रतिवादी को हुकम हो कि वह ६३४५) रु० असल और सूद दोनों रहननामों का मतालवा मय खर्च नालिश व सूद अदालत से नियत की हुई तारीख तक अदा करे नहीं तो रहन की हुई जायदाद प्रतिषेध कर दी जावे और वादी को उस पर दखल दिला दिया जावे ।

(४) काबिज़ मुरतहिन का राहिन पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१ - प्रतिवादी नं० १ की जायदाद का वादी काबिज़ मुरतहिन है ।

२—उस रहन का विवरण यह है :—

(अ) रहन की तारीख—१६ मई सन् १६.....ई० ।

(ब) राहिन का नाम—हरभजन ।

मुरतहिन का नाम—सीताराम ।

(क) रहन के रुपये की संख्या—१२५०) रु० ।

(ख) सूद की दर ॥) सैकड़ा मासिक और यह भी करार पाया कि मुरतहिन सात साल तक रहन की हुई जायदाद पर काबिज़ रह कर उसकी आमदनी वसूल करे और सरकारी माल गुजारी और तहसील वसूल के खर्च काट कर जो कुछ मतालवा बचे उसमें हर छमाही रहन के सूद में काटता रहे । जो कुछ भी सूद के रुपये में हो वह हर छमाही रहन के मतालवा में जोड़ कर उस पर भी इसी हिसाब से सूद लगाया जावे । सात साल की अवधि के बाद जो कुछ मतालवा हिसाब से मुरतहिन का निकले

वह दो महीने के अन्दर राहिन को अदा करना होगा, नहीं तो रहन की हुई जायदाद बेच दी जावेगी।

(ग) रहन की हुई जायदाद की तफसील—

२ बीधा १३ विस्था हकीयत जर्मीदारी जो कि खाना ग्वेट न० ६ पट्टी राम-सुख महाल तोतागम स्थित मौजा हर्ग्यानपुर परगना व तहसील रामवाग जिला हमीरपुर में दर्ज है।

(घ) नीचे दिये हुए हिसाब में ४२७५) ०० बकाया निकलते हैं।

३—सीताराम मुरतहिन का देहान्त हो गया वादी उनका लड़का व उत्तराधिकारी है।

४—विनाय दावी १६ मई सन् १९ ...ई० के दो महीने बाद यानी १६ जुलाई सन् १९.....ई० को अवधि के अन्तिम दिन से स्थान हर्ग्यानपुर, अदालत की अधिकार सीमा के अन्दर पैदा हुई।

५—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि उसका जो रुपया हिसाब से निकलता हो विलाया जावे और वैवात के लिये डिग्री आर्डर ३४ नियम २५ जाप्ता दीवानी के अनुसार वादी के नाम प्रतिवादी के ऊपर सादिर की जावे।

२५—रहन छुटाना (इनफेकाक)

(Redemption.)

यह रहन के सम्बन्ध की तीसरी प्रकार की नालिश है। जिस तरह रहन-ग्रहीता को रहन का रुपया अदा होने योग्य हो जाने पर जायदाद को नीलाम या प्रतिषेध कराने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है वैसे ही रहन-कर्ता को उस रुपया को अदा कर देने पर रहन छुटाने का अधिकार-उत्पन्न हो जाता है। यदि रहन-धन बेशक हो चुका है तो रहन-कर्ता को कोई रुपया और नहीं देना पड़ता चरना जो हिसाब से रुपया निकलता हो वह दखल पाने से पहिले रहन-ग्रहीता को देना पड़ता है। इस प्रकार से रहन-कर्ता और रहन-ग्रहीता के स्वत्व प्रायः एक समान है।¹

रहन-छुटाने के दावे में उन सब मनुष्यों को मुकदमे में फरीक बनाना चाहिये जिनका कोई रहन की हुई जायदाद में हक हो या जिनको रहन छुटाने का हक पैदा होता हो।² ऐसे कोई मनुष्य यदि वादी होने से इन्कार करें या वादी न बनना चाहें तो उनको प्रतिवादी बनाया जा सकता है।

रहन की तारीख, रहन-कर्ता व रहन-ग्रहीता के नाम, रहन का मूलधन और

1 I L. R 36 All 195 P C , 16 Mad 486 , 25 A L J R. 1051

2 Or. 34 R. 1 C P C.

सूद की दर, रहन की हुई जायदाद की तफसील और रहन की शर्तें विशेष कर रहन छुटाने के लिये जो प्रतिज्ञायें दोनों पक्षों में नियत हुई हों और यह कि वादी को रहन छुटाने का अधिकार है अर्जीदावे में लिखना चाहिये। यदि रहन-ग्रहीता रहन की हुई जायदाद पर काबिज हो और रहन के रुपये पर किसी निश्चित दर से सूद चढ़ता हो तब रहन के हिसाब की भी प्रार्थना होनी चाहिये। यदि वादी के हिसाब से कुछ रुपया जायदाद की आमदनी से बेबाक हो गया हो या इसके अतिरिक्त कुछ रुपया प्रतिवादी के पास उस आमदनी से जमा हो गया हो तो वैसी ही उचित प्रार्थना दावे में होनी चाहिये।

सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ६१ में वह पुरुष जिनकी ओर से रहन छुटाने का दावा हो सकता है दिये हुए हैं। यदि रहन एक से अधिक रहन-कर्त्ता की ओर से लिखा गया हो तो उनमें से एक रहन-कर्त्ता सिर्फ अपने हिस्से को नहीं छुड़ा सकता।¹ परन्तु वह पूर्ण रेहन को अन्य हिस्सेदारों की अनुमति लिये बिना भी छुटा सकता है।² यही नियम जहाँ पर एक से अधिक रहन-ग्रहीता हो तब भी लागू होता है।³

यदि रहन-कर्त्ता रहन-धन अदा करने के लिये अपनी इच्छा प्रगट करे और उसको देने को तत्पर हो या सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ८३ के अनुसार अदालत में रुक्या जमा कर देवे, तब रहन के रुपये पर उस तारीख से सूद नहीं चढ़ता।⁴ यदि वादी ने रेहन का रुपया प्रतिवादी को दावा करने से पहले अदा करना चाहा हो या अदालत में जमा कर दिया हो तो उसका बयान अर्जीदावे में लिखना चाहिये परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि रहन छुटाने के हर दावे में दावा करने से पहले रहन का रुपया देने के लिये वादी ने अपनी इच्छा प्रगट की हो और न रहन छुटाने का दावा सिर्फ इसी विनाय पर खारिज हो सकता है।⁵

काश्तकारों के ऋण का भार हटाने के लिये कुछ प्रांतों में विशेष कानून पास किये गये हैं। संयुक्त प्रान्त में “कृषक सहायक विधान”⁶ और “ऋण भार निवारण विधान” प्रचलित हैं और उनसे काश्तकारों को रहन छुटाने के लिये बहुत सी सुविधायें दी गई हैं। “कृषक सहायक विधान”⁸ की धारा १२ के अनुसार रहन छुटाने के लिये दावा साधारण प्रार्थना पत्र की तरह मामुली कोर्ट फीम पर किया जाता है और “ऋण भार निवारण विधान”⁹

1 58 I. C. 129

2 I L R 48 Cal 22 P C , 22 Mad 209

3 I L R 47 Cal. 175 P C

4. A I R 1923 P. C 26 , I. L R 55 Mad 458

5. 19 A L J R. 572 F B I L R 43 All 638

6 U P. Agriculturist Relief Act, 1934

7 U P. Debt Redemption Act 1940

8 U P Agriculturist Relief Act

9 U P. Debt Redemption Act.

इसी के अनुसार सूद की दर कम की जा सकती है। जहाँ पर ऐसे दावे दाथर हों उचित कानून की धाराओं को अध्ययन करने के बाद अर्जीदावा लिखना चाहिये।

कोर्ट-फीस-रहन छुटाने के दावे में रहन के मूलधन पर कोर्ट-फीस लगता है यदि पूर्व लाभ (वासलात) मांगा जावे तो वासलात के रूपये पर कोर्ट-फीस नहीं देना पड़ता। अदालत के अधिकार के लिये भी मूलधन के हिसाब से ही मालियत नियत करनी पड़ती है।¹

मियाद—रहन छुटाने के लिये साधारण मियाद ६० साल की है।² परन्तु यह मियाद रहन-ग्रहीता की स्वीकृति और इकघाल से बढ़ाई जा सकती है। यदि ऐसी स्वीकृति का लाभ लेना हो तो उसकी सम्बन्धित घटनाएँ अर्जीदावे में लिखना चाहिये।

(१) रहन के छुटाने के लिये साधारण नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—यह कि वादी उस सम्पत्ति का रहन-कर्ता है जिसका प्रतिवादी रहन-ग्रहीता है।

२—रहन की तफसील यह है—

(अ) रहन की तिथि ... ।

(ब) रहन करने वाले व रहन-ग्रहीता का नाम.....।

(क) रहन पर कितना रुपया लिया गया—

(ख) व्याज की दर—

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण

(घ) यदि वादी ने किसी दूसरे से अधिकार प्राप्त किया हो तो यह लिखना चाहिये कि वादी को दावा करने का अधिकार किस प्रकार से है।

यदि प्रतिवादी का कब्जा हो तो यह भी लिखना चाहिये कि ३ — प्रतिवादी का रहन की हुई सम्पत्ति पर कब्जा है या वह उसका लगान या किराया वसूल करता है।

(नमूना नं० १ का फ़िकरा न० ४ व ५ लिखिये)

वादी प्रार्थी है कि वह रहन की हुई सम्पत्ति को छुटा ले और लेख के अनुसार उस पर अधिकार प्राप्त करे।

1. A I R 1933 Lab 155 , I L R 45 All 154

2. Art 148 Limitation Act

(२) रहन-कर्ता के उत्तराधिकारी की ओर से रहन-ग्रहीता के प्रतिनिधि के ऊपर रहन छुटाने के लिये नालिश

नाम अदालत

नं० मुकदमा

मोहन लाल वादी बनाम.....हरसुखराय प्रतिवादी ।

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी उस जायदाद का राहिन है जिसका फि प्रतिवादी मुरतहिन है ।

२—रहन का विवरण यह है—

(अ , रहन की तारीख—:५ नवम्बर सन् १९.....ई० ।

(ब) राहिन का नाम—हीरालाल ।

मुरतहिन का नाम —चैन सुखराय ।

(क) रहन का रुपया १५००) ।

(ख) सूद की दर—रहन की हुई जायदाद की आमदनी और रहन के रुपये का सूद बराबर ठहरा और यह भी करार पाया कि मुरतहिन जायदाद पर काबिज रह कर रहन के रुपये के सूद में उसकी आमदनी लेता रहे और ४ साल की अवधि के बाद जब कि रहन का रुपया दिया जावे जायदाद रहन से छूट जावे ।

(ग , जायदाद का विवरण—एक मजिला मकान (यहाँ पर पूर्ण विवरण देना चाहिये) ।

(घ) असली राहिन हीरा लाल का देहान्त हो गया, वादी उसका लड़का व उत्तराधिकारी है ।

(च) असली मुर्तहिन चैनसुखराय का भी देहान्त हो गया उसके मुरतहिनी अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के विरुद्ध इजराय डिग्री नीलाम हो कर प्रतिवादी ने खरीद किये । अब रहन की हुई जायदाद पर प्रतिवादी काबिज है ।

३—रहन नामे के अनुसार असली मुर्तहिन और उसके प्रतिनिधि रहन की हुई जायदाद पर काबिज रह कर उसकी आमदनी रहन के रुपये के सूद में वसूल करते रहे और अब भी करते हैं ।

४—रहन नामे में लिखी हुई ४ साल की अवधि का अंत हो गया । वादी अब रहन छुटाने का अधिकारी है ।

५—दावे का कारण ता० १५ नवम्बर सन् १९ई० को रहन की अवधि समाप्त होने के दिन से स्थान.....में पैदा हुई ।

६—दावे की मालियत (रहन का मूलधन यानी १५००) रु०) वादी प्रार्थी है कि—

(अ) उसका नीचे लिखी हुई जायदाद पर १५ नवम्बर सन् १६ . ई० के रहन नामे के अनुमार १५००) रु० दिलाया कर कबल दिलाया जावे और तहरीर करके जायदाद वापिस कराई जावे ।

(ब) नालिश का ग्यन्चा मय मद दिलाया जावे ।

(३) इसी तरह का दूसरा दावा, जब कि जायदाद पर देख कर और हिसाब से दवा हुआ रुपया लेना हो

(निम्नामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी उस सम्पत्ति का रहनकर्ता है जिसका मैं प्रतिवादी रहनग्रहीता है ।

२—रहन का विवरण इस भाँति है—

(अ) रहन की ता १६ नवम्बर सन् १६... ..!

(ब) नाम राहिन—अहमदनूर खाँ पिता मुहंमद गद्दिन, पूर्वाभिपारी प्रतिवादी मुर्तहिन का नाम भवानी-प्रसाद व तुलसी प्रसाद ।

(क) रहन पर ३६०७३) रु० लिया गया ।

(ख) व्याज की दर—सूद व लाभ बराबर ।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति—१० बिस्वा १६ बिस्वाँसी १३ कचवासी इक्कीयत मौजा बरई शाहपुर परगना व तहसील..... जिला अलाहाबाद ।

(घ) रहन की हुई सम्पत्ति घरेलू बटवारा से प्रतिवादी के भाग में पड़ी और अब उस पर मुर्तहिन का कब्जा है ।

३—रहन की हुई सम्पत्ति वादी के पिता ने वादी के नाम बेच दी अब अकेला वादी उसका मालिक है और रहन से छुटाने का अधिकारी है ।

४—रहन के समय में, रहनग्रहीता ने रहन की हुई जायदाद में से ४०००) रु० की कीमत के पेड़ कटवा डाले । इन कटवाये हुए पेड़ों का मूल्य रहन के मतालवा से मुजरा होने योग्य है ।

५—रहन नामे में यह शर्त थी कि ६७ बीघा ७ बिस्वा' पकी भूमि जिसका लगान ३५०) रु० था रहनकर्ता के अधिकार में रहेगी लेकिन इस भूमि पर रहनग्रहीता काबिज रहे और ६१०॥) वार्षिक काश्तकारों से वसूल करते रहे । वादी हकदार हैं कि इस रु० में से लगान का ३५०) रु० वार्षिक घटा कर शेष ६६०॥) वार्षिक १) रु० मा० सूद के साथ रहन के मतालवे में से मुजरा पावे ।

६—इस जमीन की आय और कटे हुए पेड़ों के मूल्य से रहन का रुपया बेबाक हो कर बहुत सा मतालवा प्रतिवादी के पास अधिक पहुँच गया है जो कि वादी ४००) रु० के करीब समझता है लेकिन अगर हिसाब से और अधिक निकलना हो तो वादी कोर्टफिस लगाकर उसके पाने का हकदार है ।

७—प्रतिवादी से कई बार हिसाब देने, रहन छुटाने और अधिक पहुँचे हुए मतालवे की वापसी के लिये कहा गया लेकिन वह इस ओर कोई ध्यान नहीं देता ।

८—विनाय दावी ता० १० जून सन् १९... ..ई० को अन्तिम तकाजा करने व इनकार करने के दिन से स्थान सिकदराराउ में पैदा हुई ।

९—दावे की मालियत, रहन का रु० ३६०३७) और वार्षिक बकाया का ४००) रु० कुल ३६४३७) रु० है ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी से हिसाब लिया जाय और हिसाब लेने के बाद रहन की हुई सम्पत्ति जो कि धारा नं० १ में वर्णन की गई है, रहन से छुटा कर वादी को उस पर सीर की भूमि के साथ पूरा दखल दिलाया जावे और जितना भी रुपया हिसाब से अधिक पहुँचा हुआ निकले वह प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे और यदि हिसाब से प्रतिवादी का रुपया बाकी निकले तो वह वादी से दिला कर सम्पत्ति रहन से बरी कर दी जावे ।

(ब) नालिश का कुल खर्च प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

(४) राहिन के प्रतिनिधि की, मुर्तहिन के उत्तराधिकारियों पर दखल, वासिळात व हिसाब के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी उस जायदाद का राहिन है जिसका प्रतिवादी नं० १ मुर्तहिन है ।

२—उस रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की तारीख—२३ अगस्त सन् १९.....ई० ।

(ब) राहिन का नाम—कुँअर रघुवरसिंह ।

मुर्तहिनों के नाम—लाला नरायणदास ३ हिस्सा व बुधसेन रत्नलाल ३ और ताराचन्द भी एक तिहाई के हिस्सेदार थे ।

(स) रहन पर १७५००) रु० लिया गया ।

(क) व्याज की दर रहन के रुपये का व्याज और मरहना जायदाद का लाभ बराबर ठहरा। रहन की अवधि ११ साल यानी शुद्ध सन् १३फ० से लेकर सन् १३ . फसली ठहरी परन्तु अवधि गुजर जाने के बाद जिस समय रहन का मतालवा फसल रबी के अन्त में दिया जावेगा तब ही रियासत छूट जावेगी।

(ख) रहन की हुई रियासत का विवरण यह है:—

(यहाँ पर तफसील देनी चाहिये)

(ग) असली राहिन कुंवर खुवर्गसिंह ने ता० ई० को बैनामा लिख कर रहन की हुई जायदाद वादी के नाम वेत्र डाली। उसी समय से वादी उसका मालिक और उसको रहन से छुटाने का अधिकारी है केवल नालिश की तरतीब के लिये कुंवर खुवर्गसिंह को परीक किया गया है।

(घ) नरायण दास, ताराचन्द व रत्नलाल का देहान्त हो गया है।

छत्तरमल, कुँवरसेन व बाबूराम लडके व दायभागी मृतक नारायणदास, और श्यामलाल, रामजीमल व ठाकुरदास लडके हरीशकर, लडका व दायभागी मृतक ताराचन्द और श्री० खुमान कुँथर विधवा व दायभागी मृतक रतनलाल के हैं और बुद्धसेन और मृतक मुर्तहिनों के उत्तराधिकारी जायदाद मरहना पर अधिकार किये हुये हैं।

(च) मुर्तहिनों ने अपने कब्जे के समय में रहन की हुई जायदाद की कुल आराजी में से ३२ बीघा आराजी जिस पर रहन के समय ढाका था साफ कराकर जुताड करली और उसकी लकड़ी अपने काम में ले आये जो रहननामों की शर्तों के अनुसार राहिन की थी। उसकी कीमत ३०००) ६० और इस पर सूद ५००) ६० कुल ३५००) ६० प्रतिवादी न० १ से मुजरा पाने का वादी हकदार है।

३ मुर्तहिनों ने रहननामों की शर्तों और अपने अधिकार विरुद्ध अँगनलाल प्रतिवादी के नाम से जो बुद्धसेन वादी का ममेरा भाई है एक बाग, आराजी नम्बरी १७३८ मुवाज़ी १ बीघा १४ बिस्वा जमीन में लगवा दिया है। अँगनलाल को उस जमीन पर अधिकार रखने का हक नहीं है और मुकदमा बाजी से बचने के लिये उसको भी परीक बनाया गया है।

४ - रहन की हुई जमीन के अतिरिक्त नीचे लिखी जमीन पर भी मुर्तहिनों ने रहननामों की शर्तों के विरुद्ध श्यामलाल प्रतिवादी का नाम सीर और खुद काश्त का काश्तकार, माल के कागजात में भूठा दर्ज करा दिया है असलियत में उस जमीन को और काश्तकार जातते हैं। वादी इस जमीन पर दखल पाने का हकदार है।

५—वादी ने रहन का मतालवा दफा ८३ कानून इन्तकल जायदाद के अनुसार

अदालत में दाखिल कर दिया लेकिन मुर्तहिनों ने वह रुपया जान बूझ कर नहीं लिया इसलिये वह १३ फसली से मुनाफे के पाने के हकदार नहीं हैं और वार्दी शुक्र १३...फसली से लेकर, प्रतिवादी न० १ में दखल पाने के दिन तक का हरजाना पाने का हकदार है जिसकी डिग्री उसके नाम कोर्ट फीस अदा करने पर की जावे।

६ विनायदावा ता० ४ जुलाई १६.....ई० भाग ८३ के अनुसार दी हुई दरखवास्त के स्वीकार होने के दिन से मौजा छर्रा परगना मारहग जिला एटा में अदालत के इलाके के अंदर पैदा हुई।

७--दावे की मालियत, अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस के लिये ३५०००) रु० है।

वादी प्रार्थी है कि--

(क) फिक्रा नं० २ (ग में लिखी हुई हकीयत पर वादी को २३ अगस्त सन् १६.....का लिखा हुआ रहन १७५००) रु० देकर या जितना मतालवा अदालत नियत करे दिला कर वादी को इस भाँति दखल दिलाया जावे -- जमीन नम्बरी १७३८, अँगनलाल के कब्जे में और नीचे लिखी जमीन पर जिस पर कि श्यामलाल प्रतिवादी का नाम जमाबन्दी में दर्ज है, वास्तविक दखल दिलाया जावे और अन्य हकीयत पर मालकाना दखल दिलाया जावे।

(ख) जो कुछ हरजाना वादी का ४ जुलाई सन् १६ ई० से दखल मिलने के दिन तक प्रतिवादी के ऊपर नियत किया जावे उसकी डिग्री कोर्ट फीस लेकर सादिर की जावे।

(ग) इस नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे।

(धारा न० २ में दी हुई भूमि का विवरण यह है--

(५) पिछले मुर्तहिन का रहन छुटाने के लिये मुख्य मुर्तहिन के ऊपर दावा

नारायणदास वादी बनाम १--राधा बल्लभ प्रतिवादी प्रथम पक्ष

२--जगन्नाथ	} प्रतिवादी
३--नत्थूमल	

नारायणदास वादी निवेदन करता है--

१ - यह कि प्रतिवादी नं० २ व ३ एक जमीन ४ बीघा १३ बिस्वा मुन्दर्जा खाता खेवट न० १० स्थित मौजा बालापट्टी परगना हाथरस के मालिक हैं और प्रतिवादी नं० १ उसका मुर्तहिन है।

२—रहन का विवरण इस भाँति है -

(अ) रहन की ता०—१७ अक्टूबर सन् १९...—ई० ।

(ब) राहिन का नाम—जगन्नाथ व नत्थमल प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ।

मुर्तेहिन का नाम—राधा बल्लभ प्रथम पक्ष ।

(क) रहन का मूलधन ११५०) रु० ।

(ख) व्याज की दर.....रहन के रुपये का व्याज व रहन की हुई जायदाद की आय बराबर करार पाई और मगहूना जायदाद पर मुर्तेहिन का अधिकार रहना ठहरा । रहन की ता० से मगहूना जायदाद पर मुर्तेहिन का अधिकार है और वह उसका लाभ वगूल करते हैं ।

(ग) रहन की हुई जायदाद का विवरण—

(घ) ऊपर लिखी जायदाद २ नवम्बर सन् १९ई० के सादा रहननामे के अनुसार वादी के पास रहन है और वादी के पास ११५०) रु० १७ अक्टूबर सन् १९ई० के रहन को छुटाने के लिये अमानत के रूप में छोड़ा गया है । वादी जो कि पिछला मुर्तेहिन है प्रतिवादी २ व ३ के प्रतिनिधि की हँसियत से रहन छुटाने का हकदार है ।

३—वादी ने प्रतिवादी न० ३ से रहन का रुपये लेने और हक्कीयत छुटाने के लिये कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी तैयार नहीं होता इसलिये मजबूर होकर वादी ने धारा ८३ एक्ट ४ सन् १८८२ के अनुसार ११५०) रु० अदालत में जमा कर दिया लेकिन प्रतिवादी नोटिस की तामील हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ और न रहन का छुटकारा किया इसलिये यह नालिश है ।

४—विनायदावी, रहन का मतालना दाखिल करने और धारा ८३ के अनुसार दी हुई दरखास्त खारिज होने के दिन से स्थान बालापट्टी में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

५—दावे की मालियत ११५०) रु० ।

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) वह जायदाद को रहन से छुटा ले और तहरीर करा कर उसे वापस ले और उस पर अधिकार प्राप्त करे ।

(ब) नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे ।

(६) रहन की हुई सम्पत्ति खरीदने वाले की, रहनग्रहीता पर रहन छुटाने, हरजाने, और हिसाब के लिये नालिश

नाम अदालत

न० मुकदमा सन् १९.....ई० ।

गंगा प्रसाद..... वादी ।

गंगाबक्स, देवीसिंह, रामस्वरूप, मु० आरा देवा कुँवर भरतसिंह—प्रतिवादी प्रथम पक्ष ।

शिवराजसिंह, खागनसिंह, लड़के गंगा बख्श व गंगासिंह, लालसिंह लड़के रामप्रसाद, होड़लसिंह लडका नाथलिंग देवीसिंह मारफत अपने सरञ्क.....के, द्वितीय पक्ष ।

श्रीमती देवकीकुञ्जर विधवा रूपसिंह प्रतिवादी, तृतीय पक्ष ।
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—यह कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष, प्रतिवादी तृतीयपक्ष की सम्पत्ति के मय कब्जा मुर्तहिन हैं ।

२ इस रहन का विवरण नीचे लिखा हुआ है —

(अ) रहन की ता०—१६ अक्टूबर सन् ई० ।

(ब) रहनकर्ताओं के नाम भन्डूसिंह व श्रीमती देवकी कुँवर ।

रहन ग्रहीता के नाम— गंगा बख्श व जीवाराम सिंह व भरत सिंह ।

(क) रहन का ४१००) रुपया है ।

(ख) व्याज की दर ॥=) सै० मासिक ।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण ।

(यहाँ पर विवरण लिखो)

(घ) रहन की हुई सम्पत्ति की आय से रहन का कुल रुपया वेवाक हो गया और अब कुछ शेष नहीं है ।

३—वास्तविक रहनग्रहीता गंगाबख्श जीवित है और जीवारामसिंह व भरतसिंह का देहात हो गया । प्रतिवादी प्रथम पक्ष उनके दायभागी और प्रतिनिधि हैं और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के लड़के इत्यादि हैं इसलिये उनके मुकदमे में फरीक बनाया गया है ।

४—यह रहननामा सन् १३१२ फ० से सात साल की अवधि का था और यह शर्त ठहरी थी कि अवधि समाप्त हो जाने पर ज्येष्ठ के महीने में रहनकर्ता रहन का रुपया अदा कर दे और सम्पत्ति छुटा ले और मालगुजारी की कमी वेशी रहनकर्ताओं के जुम्मे रहे । रहनग्रहीत्यों ने रहन के समय से जायदाद कब्जा कर लिया लेकिन उन्होंने रहन का कुल ४१००) रुपया अदा नहीं किया और न वह अपने दिये हुये मतालवे से अधिक पाने के हकदार हैं ।

५—भन्डूसिंह रहनकर्ता नं० १ ने इस जायदाद को गंगाबख्श व जीवाराम व भरत सिंह के यहाँ फिर संयुक्त रहन किया जिसकी तफसील नीचे लिखी है ।

(अ) रहन की ता०—२७ जून सन् १६.....ई० ।

(ब) रहनकर्ता का नाम—भन्डूसिंह ।

रहनग्रहीताओं के नाम—गगावस्थ व जीवानाम व भरतसिंह ।

(क) रहन के मतालवे की संख्या १२२०) रुपया ।

(ख) व्याज की दर—॥॥) फी सदी मा० इस शर्त पर कि दस्तावेज का रुपया दखली रहन के साथ साथ अदा किया जावेगा ।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण (वही सम्पत्ति जो रहन नामा १६ अक्टूबर सन् .. ई० ने रहन हुई)

६—इसके पश्चात प्रतिवादी तृतीय पक्ष ने त्रैनामा लिख २१ अप्रैल सन् १६ ई० को कुल रहन की हुई जायदाद को वादी के हाथ बेच डाला इस लिये वादी को कुल रहन की हुई सम्पत्ति छुटाने का अधिकार प्राप्त है ।

७—यह कि रहन की हुई जायदाद का लाभ सूद के मतालवे से शुरू से ही अधिक था और रहनग्रहीता रहन के समय से ही तहसील वगूल करते आते हैं इसलिये रहन का रुपया, असल व सूद, सम्पत्ति की आय से बेबाक हो चुका है और वादी का बहुत सा मतालवा रहन-ग्रहीता प्रतिवादियों पर वाजिब है ।

८—घिनाय दावा—

९—दावे की मालियत - ४१००) रु०

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी रहनग्रहीताओं से रहन की हुई सम्पत्ति की आय का हिसाब लिया जावे और उनके हिसाब से कोई रकम वादी के ऊपर वाजिब हो तो वह वादी से दिला कर रहन छुड़ाया जावे और जायदाद पर अधिकार दिलाया जावे और यदि प्रतिवादी के ऊपर रहन की जायदाद के हिसाब से वादी का मतालवा वाजिब हो तो उसकी डिग्री वादी के हक में रहनग्रहीता के ऊपर सादिर फरमाई जावे और जायदाद पर अधिकार दिलाया जावे ।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे ।

(७) जायदाद मरहूना के एक हिस्से को छुटाने के लिए कुल जायदाद के खरीदार पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—रुस्तम - ली खॉ अर्जीदावे की परिशिष्ट (अ) और (ब) में दी हुई जायदाद का मालिक था ।

२—रुस्तमअली खाँ की ओर से यह दोनों जायदादें ता०.....के रहननाम से रामचन्द्र के पास रुपये में लाभ व सूद बराबर पर दखली रहन थी और रहन की हुई दोनों जायदादों पर रामचन्द्र मुर्तहिन काबिज था ।

३—रहननामे में जायदाद छुटाने के लिये शर्त यह थी कि जिस समय ज्येष्ठ मास के अन्त में रहन का रुपया अदा किया जावे तभी रहन की हुई जायदाद छूट जावे ।

४—शिब्यूल (अ) में लिखी हुई जायदाद सादा इजराय डिग्री अदातल..... नम्बरीअहमदहुसैन डिग्रीदार वनाम रुस्तमअली खाँ मदयून में दायर नीलाम हुई और वादी ने ता०.....को खरीद करके उस पर नियम के अनुसार अधिकार प्राप्त कर लिया । वादी का नाम माल के कागजों पर राहिन के श्रेणी में दर्ज हो गया है ।

५—शिब्यूल ' ब ' में लिखी हुई जायदाद रुस्तमअली खाँ ने ता०..... के हिवा-नामा के अनुसार अपने नाती मुहम्मदहुसेन के नाम हिवा कर दिया । मुहम्मदहुसेन ने वह जायदाद प्रतिवादी के हाथ बेच डाली और प्रतिवादी ने उस जायदाद पर राहिन की हैसियत से माल के कागजों पर अपना नाम लिखा लिया ।

६—फिर प्रतिवादी ने रहन की हुई जायदाद को छुटाने का दावा अदालत... में रामचन्द्र मुर्तहिन के ऊपर दायर करके (अ), (ब) जायदाद छुटाने के लिये असल रहन कारुपया अदालत में दाखिल करके दोनों जायदादों पर ता०.....को अधिकार प्राप्त कर लिया ।

७—शिब्यूल (अ) में लिखी हुई वादी की जायदाद पर ता०.....से प्रतिवादी मुर्तहिन की हैसियत से काबिज है और उसकी आमदनी वसूल करता है ।

८—शिब्यूल (अ) में लिखी हुई जायदाद की कीमत बाजारू भाव से.....रु० और शिब्यूल (ब) में लिखी हुई जायदाद की कीमत बाजारू भाव से रहन के समयरु० थी ।

९—प्रतिवादी का शिब्यूल (अ) में दी हुई जायदाद की बाबत रहन का रसदी मतालवा.....रुपया होता है । वादी ने यह रुपया प्रतिवादी को देना और शिब्यूल (अ) में दी हुई जायदाद को छुटाना चाहा और रजिस्ट्री युक्त नोटिस भी दिया मगर प्रतिवादी ने उस पर ध्यान नहीं दिया ।

१०—अन्त में वादी ने पिछले ज्येष्ठ में यह मतालवा सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ८३ (Transfer of property Act) के अनुसार रहन छुटाने के लिये अदालत में जमा कर दिया लेकिन प्रतिवादी ने यह रुपया लेने और जायदाद छोड़ने से इनकार किया, इसलिये यह नालिश है ।

(८) रहन लुप्ताने के लिये इसी प्रकार का दूसरा दावा

(गिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है —

१—वादी उसी जायदाद का राहिन है जिसका वह प्रतिवादी मुर्तहिन है ।

२—रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की ता०..... ।

(ब) राहिन का नाम—हीरासिंह

मुर्तहिन का नाम—शिवदयाल ।

(क) रहन का रुपया — १२००) ४० .

(ख) व्याज की दर—॥=) आना मं० माहवारों और यह रहन की हुई जायदाद की आमदनी काट कर, जो कि मुर्तहिन के मज्जे में दी गई, कालाना देना ठहरा ।

(ग) रहन की हुई जायदाद—

खाता खेवट न०.....में लिखी हुई जर्मीदार में १० धिन्ना का हिस्सा स्थित मुहाल हीरासिंह मौजा अहमीपुर परगना शहराजपुर, जिला हमीरपुर ।

३—रहन की हुई जायदाद में से आधी हीरासिंह ने प्रतिवादी के हाथ बेच गली और शेष जायदाद नकद रुपया की हजराय डिग्री में हीरासिंह के विरुद्ध नीलाम होकर वादी ने खरीद कर ली, इस तरह दोनों परीकेंन आधी आधी जायदाद के मालिक हुये ।

४—प्रतिवादी ने.....रुपया, ता० १२ मई सन् १६.....ई० के रहन नामे का असल व सूद व मतालना रामदयाल, मुर्तहिन शिवदयाल के पिता व वारिस को अदा करके रहन की हुई रियासत छुटा ली और उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया ।

५—प्रतिवादी, वादी के आपे हिस्सा पर भी रहन छुटाने के दिन से मुर्तहिन की हैसियत से काबिज़ है । वादी ता० १२ मई सन् १६.....ई० के रहननामे का आधा रुपया देकर जायदाद रहन से छुटाने का अधिकारी है ।

६—घिनाय दावा —

७ — दावे की मालियत —

वादी की प्रार्थना —

२६—रहन-सम्बन्धी अन्य नालिशो'

उन तीन प्रकार की नालिशो के अतिरिक्त जिनके नमूने भाग २ पद २३, २४ व २५ में ऊपर दिये गये हैं कुछ अन्य प्रकार के वाद भी रहन-कर्त्ता, रहन-गृहीता और उनके प्रतिनिधियों के मध्य में दायर होते हैं। उनके नमूने इस भाग में दिये गये हैं।

यदि मुख्य रहन की डिगरी की इजराय में, जिसमें पश्चात् रहन-गृहीता फरीक न हो, और कोई पुरुष नीलाम में जायदाद खरीद लेवे प'न्तु पश्चात् रहन-गृहीता उस पर काबिज हो तो नीलाम लेने वाले को पश्चान् रहन-गृहीता या उससे परिवर्तन प्राप्त पुरुष के विरुद्ध दावा करना पड़ता है और किसी प्रकार यदि खरीदार का कब्जा हो जावे तो पश्चात् रहनदार को रहन छुटाने या दखल का दावा करना होता है।

इसके अतिरिक्त यदि रहन की हुई जायदाद पूर्ण प्रकार से अथवा कोई उसका अंश नष्ट हो जावे और वह रहन के रुपये के लिये पर्याप्त जमानत न रहे और रहन गृहीता के सूचना देने पर भी रहन-कर्त्ता जमानत पूरी न करे या किसी प्रकार से, रहन कर्त्ता के हक की कमी से वह जायदाद रहन-गृहीता के कब्जे से निकल जावे, इन सब दशाओं में रहन-गृहीता रहन का रुपया पाने का अधिकारी होता है। वह सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ६८ क अनुसार दावा कर सकता है। यदि दावा उस धारा की उपधारा 'ए' के अनुसार हो तो वादी को सिर्फ यह दिखाना काफी होता है कि प्रतिवादी ने रहन का रुपया अदा करने का इस्करार किया था।

यदि दावा धारा ६८ उपधारा 'बी' के अनुसार हो तो वादी को (१) उसका जमानता जायदाद से पृथक किया जाना और (२) रहन-कर्त्ता का वह कार्य जिससे रहन-गृहीता जायदाद से पृथक किया गया, अर्जी दावे में लिखना चाहिये।

यदि दावा धारा ६८ उपधारा 'सी' के अनुसार हो तब यह कि (१) वादी दखल पाने का अधिकारी था और प्रतिवादा ने उसको दखल नहीं दिया (२) या रहन-कर्त्ता या किसी अन्य पुरुष ने उसके दखल में विघ्न डाला और (३) अन्य पुरुष के विघ्न डालने पर रहनकर्त्ता की, रहन का शर्तों के अनुसार जिम्मेदारी, यह सब दिखाना चाहिये। ऐसी दशा में रहन-गृहीता कब्जा पाने और पूर्वलाभ (वासलात) का दावा कर सकता है।¹

यदि रहन-गृहीता रहन-कर्त्ता के विरुद्ध जाती डिगरी भी पाने का इस्करार हो तब दखल और जाती डिगरी की प्रार्थना बतौर बदल के अर्जीदावे में दोनों ही

करनी चाहिये क्योंकि यदि दखल दिला दिया गया है तो बाद की वादी रुपये का दावा नहीं कर सकता ।¹

पियाद—दखल का दावा उस तारीख से १२ वर्ष के अन्दर होना चाहिये जब कि रहन गृहीता अथवा रहन-कर्ता को दखल पाने का अधिकार प्राप्त हुआ ।² इन दावों में पूर्वलाभ का रुखा सिर्फ ३ साल का मांगा जा सकता है ।

कोर्ट-फीस—रहन के मूत्तध पर कोर्ट फीस लगती है परन्तु यदि पूर्वलाभ मांगा जावे तो उस पर पृथक कोर्ट फीस देनी होती है ।

(१) नीलाम के खरीदार की पिछले मुरतहिन पर नाक़िश, जब वह मुख्य रहन की डिगरी में फ़रीक़ न हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने नीचे लिखी हुई रियासत को इजराय डिग्री अदालत सिविलजजी मैनपुरी, मोहनलाल डिग्रीदार बनाम राधेसहाय इत्यादि मदयूनान, नम्बरी १६ सन् १६३६ ई०, में नीलाम में खरीद किया ।

२—यह डिग्री ता० ११ मई सन् १६.....ई० के रहन नामे के आधार पर मोहनलाल के नाम एक मनुष्य राधाकिशुन के ऊपर सादिर हुई ।

३—प्रतिवादी ने इस रियासत को इजराय डिग्री नम्बरी २७ सन् १६४१ ई० अदालत सिविल जजी मैनपुरी, साहू विश्वम्भर सहाय डिग्रीदार बनाम राधेसहाय की डिग्री के नीलाम में खरीद किया ।

४—यह डिग्री ७ जून सन् १६.....ई० के रहन नामे के आधार पर राधाकिशुन रहनकर्ता के ऊपर विश्वम्भर सहाय के नाम सादिर की गई थी ।

५—प्रतिवादी ने उस जायदाद पर ता०.....को खरीदारी के अनुसार अधिकार प्राप्त कर लिया और उसी समय से काबिज है ।

६—वादी की ता०..... की खरीदारी प्रतिवादी के दखल करने के बाद अमल में आई और वादी को कायदे से दखल दिहानी होने पर भी वास्तविक अधिकार जायदाद पर नहीं मिला ।

1 A I R 1925 Pat 87

2 Art 135, Limitation Act

७ ता० ११ मई १९.....ई० के लिखे हुए रहन नामे का मुर्तहिन मोहनलाल, डिग्री नं० २७ सन् १९४१ ई० में कोई फरीक नही था और न पिछला मुरतहिन विस्वम्भर सहाय डिग्री नम्बरी २३ सन् १९३६ ई० में कोई फरीक था ।

८—वादी की खरीदारी के सामने प्रतिवादी की खरीदारी का कुछ असर नहीं है और प्रतिवादी को जायदाद छुटाने का वादी से उत्तम अधिकार प्राप्त नहीं है ।

(नमूना न० १ की धारा ४ व ५ लिखिये)

वादी की प्रार्थना ।

(२) इसी प्रकार की, पिछले रहन की इजराय डिगरी के खरीदार की मुख्य रहन के खरीदार पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष नीचे लिखी हुई जायदाद का मालिक था ।

(जायदाद का विवरण यहाँ पर या अर्जीदावे के अन्त में लिखना चाहिये)

२—प्रतिवादी की ओर से यह जायदाद ता० १६ जून सन् १९ ...ई० के रहन के दस्तावेज के अनुसार ४००) रुपया में प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पास रहन थी और रहन के मतालवे पर व्याज दर व्याज फी सै० १) रुपया मा०, सालाना लगाया जाता था ।

३—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने उस जायदाद को दूसरे दस्तावेज सादा रहन नामे के अनुसार ता० १७ जुलाई सन् १९ ई० को ४००) रुपया में वादी के पास ॥॥) सै० मा०, व्याज दर व्याज वार्षिक के हिसाब से रहन किया ।

४—प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष पर १६ जून सन् १९... .. ई० के रहन नामे के अनुसार नालिश नम्बरी.....सन्.....अदालत.....में दायर की और नीलाम की डिग्री ता०.....को प्रतिवादी के विरुद्ध प्राप्त करके.....रु० में जायदाद स्वयं खरीद ली परन्तु वादी नालिश व इजराय में फरीक नहीं था ।

५—वादी ने १७ जुलाई सन् १९ ई० के रहन नामे के अनुसार प्रतिवादी के ऊपर अदालतसन्.....नालिश नम्बरी... . दायर करके ता० ...को डिग्री प्राप्त की और उसकी इजराय में यह जायदाद नीलाम होकर वादी की खरीदारी में आ गई ।

६—वादी ने खरीदने के बाद सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करना चाहा लेकिन

वादी की दखल दिहानी होने के पहिले प्रतिवादी प्रथम पक्ष पहिली खरीदारी के अनुसार ता०को दखल प्राप्त कर चुका था और काबिज था इस कारण से वादी को सम्पत्ति पर दखल नहीं मिला ।

७—वादी नीचे लिखी हुई जायदाद का गिजुले रहन इहीना की तैमियन से... .. रुपया (जितनी कीमत पर प्रतिवादी ने जायदाद खरीद री) अदा करने पर या विज्ञापन में भिखी हुई डिग्री की कीमत अदा करने पर सम्पत्ति पर दखल पाने का अधिकारी है ।

(३) इतराय डिगरी के एक खरीदार की दूसरे खरीदार पर नाबिज जब कि वह मुख्य रहन की डिगरी में फरीक न हो

(गिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी नीचे लिखी हुई जायदाद का डिग्री नम्बरी... ..सन् .. रामसहाय डिग्रीदार बनाम मोतीलाल मदन्यून की इजराय में खरीदार है जो ता०... ..के सादा रहन नामे के अनुसार मोतीलाल रहनकर्ता के ऊपर मोतीलाल के नाम सादिर की गई ।

२—प्रतिवादी भी उसी जायदाद का इजराय डिग्री नम्बरी . . सन् .. हरप्रसाद डिग्रीदार बनाम मोतीलाल मदन्यून से उसका खरीदार है जो ता०के सादा रहन नामे के आधार पर मोतीलाल रहनकर्ता के ऊपर एक मनुष्य धनीराम की हुई और इमी के विनाय पर दखल मिलने के दिन से जायदाद पर काबिज है ।

३—वादी को प्रतिवादी के जायदाद खरीदने व कब्जा कर लेने से दखल नहीं मिला ।

४—मोतीलाल या उसका प्रतिनिधि रामसहाय जिसने पिछले रहन नामे के ऊपर डिग्री नम्बरी.....सन्.....प्राप्त की, मुख्य रहन की डिग्री नं०... सन्.....में कोई फरीक नहीं था । वादी उसका प्रतिनिधि है और प्रतिवादी मुख्य मुर्तहिन का प्रतिनिधि है ।

५—डिग्री नम्बरीसन्.....का मतालवा जिसके इजराय में प्रतिवादी जायदाद को ता०.....के नीलाम में खरीद किया ...रुपया था और वादी ने जायदाद को.....रुपया में खरीद किया ।

६—प्रतिवादी ने ता०.....को जायदाद पर अधिकार प्राप्त किया और उसी समय से जायदाद पर अधिकारी है और उसके मुनाफे से लाभ उठाता है ।

७ - वादी नीलाम का रुपया अदा करने पर जायदाद का दखल पाने का अधिकारी है ।

(४) रहन-ग्रहीता का, रहन की हुई जायदाद पर दखल पाने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१ -- वादी एक मजिल पक्के मकान पर, जो कि मुहल्ला लखपती शहर हायरस में है और जिसकी चौहद्दी नीचे अंकित की जाती है दखल पाने का अधिकारी है ।

२ -- यह जायदाद प्रतिवादी ने ता०... ..के रजिस्ट्रीयुक्त रहन नामे के अनुसार.....रु० में, सूद और लाभ बराबर पर, वादी के पास दखली रहन की और यह रहननामा अथ भी कायम है ।

३--मुदायलह ने रहन नामे की शर्ते के अनुसार वादी को रहन की हुई जायदाद पर दखल नहीं दिया और वह अब भी अनुचित रीति से उस पर अधिकार किये हुए है ।

४--बिनाय दावा -

५ - दावे की मालियत --

वादी प्रार्थी है कि उसके रहन की हुई जायदाद पर जिसकी तफसील नीचे दी जाती है, दखल दिलाया जावे (यदि पूर्वलाभ का भी दावा हो तो यह भी लिखना चाहिये) और... .. रु० वासलात का, रहन की तारीख से नालिश करने की तारीख तक.....रु० मासिक के हिसाब से दिलाया जावे , ।

(५) रहन-कर्ता के अनुचित कार्य से रहन की हुई जायदाद का भाग रहन-ग्रहीता के कब्जे से निकल जाने पर

(Sec. 68, T. P. Act.)

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है -

१--ता०.....को प्रतिवादी ने नीचे लिखी हुई जायदाद वादी के पास.....रु० मे इस शर्त पर रहन की, कि वादी रहन की हुई जायदाद पर कब्जा रखे और उसका लाभ वसूल करे और खर्चा इत्यादि काट कर उसके रहन के रुपया के सूद में जो कि ॥३॥ आना सै० मासिक ठहरा था, लेता रहे । फरीक़ैन में हर छमाही हिसाब हो और रहन का कुल मतालना और सूद की बकाया यदि कुछ हो, तीन साल के अन्दर अदा कर दे नहीं तो रहन बिक्री के मूल्य समझा जावेगा ।

२—वादी उस रहननाम के अनुसार दो वर्ष तक रहन की हुई जायदाद पर काबिज रहा और उसका लाभ बगल करना रहा ।

३—ता०.....को एक व्यक्ति रामलाल ने जो कि प्रतिवादी का चचेरा भाई है वादी और प्रतिवादी के ऊपर रहन की हुई जायदाद में नें आवे हिस्से का अदालत सिविलजर्जी में दावा दायर किया । हम दावे में प्रतिवादी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया और न वादी को कोई ऐसा प्रमाण दिया जिम्मे वह प्रतिवादी को कुल जायदाद का अधिकारी सिद्ध (साबित) कर सकता ।

४—यह दावा पहिली अदालत में ता०. . . को टिग्री हुआ और उसके अनुसार रामलाल ने रहन की हुई जायदाद में नें आवे हिस्से में वादी को वेदखल कर के अधिकार कर लिया ।

५—विनाय दावी—

६—दावे की मालियत—

(वादी की प्रार्थना—रहन के रुपये की हिस्से के लिये)

(६) रहनयुक्त जायदाद की मालियत कम हो जाने

पर रहनग्रहीता का रहनकर्ता पर दावा

(Sec 68, T. P. Act.)

१—वादी के पास प्रतिवादी की एक पक्की हवेली स्थित.....तारीख.....के रहन नामे से.....रु० में रहन दखली चली आती है ।

२—मार्च सन् १९३४ ई० में भूकम्प आया और उस हवेली की अटारी हिल जाने के कारण से उतरवानी पड़ी । इसके अतिरिक्त कई जगह उसकी दीवार फट गई जिसकी मरम्मत बड़ी कठिनाई से हुई ।

३—इसी कारण से उस सम्पत्ति की आमदनी पहिले से ४०) रुपया मासिक कम हो गई है और उसकी मालियत केवल ६० प्रतिशत रह गई है ।

४—रहन के रुपये के लिहाज से इस समय सम्पत्ति काफी मालियत की नहीं है । प्रतिवादी से जमानत पूरी करने को कहा गया और ता०.....को ६ महीने की अवधि का एक रजिस्ट्री युक्त नोटिस भी दिया गया है ।

५—प्रतिवादी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न जमानत पूरी की ।

(७) रहनयुक्त जायदाद के वादाद हो जाने पर रहन-ग्रहीता का
रुपया वसूल करने के लिये दावा

(Sec. 68, Transfer of Property Act)

१—ता०.....के रहन नामे से प्रतिवादी ने अपनी नीचे लिखी हकीयत जमींदारी स्थित राजगढ़ी व बाजगढ़ी परगना सोराँव जिला एटा वादी के पास... .. रुपया में दखली रहन की और व्याज और लाभ बराबर ठहरा ।

२—रहन के दिन से वादी रहन की हुई जायदाद पर काबिज़ और दाखीलकार है और उसका लाभ वसूल करता है ।

३—रहन की हुई जमींदारी गंगा नदी के किनारे है और उसकी उत्तरी सीमा नदी है ।

४—प्रायः दो वर्ष हुये होंगे कि राजगढ़ी का आधा रकबा (क्षेत्रफल) और बाजगढ़ का तिहाई क्षेत्रफल उक्त नदी में कट कर डूब गया और नदी का बहाव इन्ही मौजों की ओर होने की वजह से दिन बदिन उनका क्षेत्रफल कम होता जाता है और उनके नदा से फिर निकल आने की आशा नहीं है । रहन की हुई जायदाद की इस समय आमदनीरु० है जो कि साधारण आय से.....रु० कम है ।

५—वादी ने ता०.....को प्रतिवादी को इसी बात का नोटिस दिया और उससे प्रार्थना की कि वह ६ महीने के अन्दर जमानत पूरी करने के लिये और पर्याप्त जायदाद वादी के हवाले कर दे ।

६—प्रतिवादी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न कोई जायदाद वादी के हवाले की ।

२७—भार की पूर्ति (निफाज़-वार)

(Charge)

भार की परिभाषा सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा १०० में दी हुई है। रहन करने पर रेहन की हुई जायदाद का स्वत्व रहन ग्रहीता की ओर परिवर्तित हो जाता है। भार स्थित करने पर ऐसा नहीं होता। प्रायः वह जायदाद उस भार की पूर्ति के लिये अंकित हो जाती है परन्तु मिलिक्यत पहले की तरह पूर्ण रूप से असली मालिक में ही रहती है। इसीलिये ऐसी जायदाद का खरीदार यदि उसने परिवर्तन सद् भाव से उस भार की सूचना और ज्ञान बिना, लिया हो तो भार के रुपये का देनदार नहीं होता और वह जायदाद उसके हाथ भार रहित परिवर्तन हो जाती है।

भार की पूर्ति के लिये वाद रहन के नीलाम की नालिश की तरह होती है और वह सब बातें अर्जीदांव में लिखना चाहिये जो कि नीलाम की नालिश के लिये भाग २३ में दी गयी है।

अवधि—नीलाम की नालिश की तरह मियाद इन नालिशों की भी १२ साल की होती है और कोर्ट-फीस पूरी मालियत पर देनी होती है।

(१) निर्वाह हेतु जायदाद से भार का रुपया वसूल
करने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी के खान पान का भार, इकरार नामे से (या और किसी दस्तावेज से) प्रतिवादी की सम्पत्ति पर है।

२—भार का विवरण यह है—

(अ) इकरार नामे की तिथि .. १७ मई सन् १८६५ ई० ।

(व) प्रणकर्ता का नाम—मोहनलाल ।

जिसके नाम लिखा गया—सोतीलाल, वादी ।

(क) भार संख्या—५०) रुपया मासिक ।

(ख) ब्याज की दर—फौ सैकड़ा आठ आना मा० रुपया वाजिव होने के दिन से, जो हर मास की पहिली तारीख को वाजिव होता है ।

(ग) अचल सपत्ति का विवरण जिस पर यह भार है—

१—एक मंज़िला पक्की हवेली ।

२—दो नग दूकान नं०....., मिली हुई दोनों दूकानें ।

३—३ बिस्वा ज़मींदारी ।

(घ) इस समय तक १२००) रुपया चाबूत खान पान दो साल (१६...व १६...) और व्याज.....कुल.....रु० होता है ।

(धारा नंबर ४ व ५ नमूना न० १ लिखना चाहिये)

सम्पत्ति के नीलाम के लिये वादी की प्रार्थना ।

(२) खरीदार के उत्तराधिकारी की ज़मानत में रुपया छांड़ने पर वार के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : --

१—यह कि वादी का पूर्वाधिकारी जीवाराम अर्जीदावे की परिशिष्ट (अ) और (ब) में लिखी हुई सम्पत्ति का मालिक था ।

२—यह कि परिशिष्ट (ब) में लिखी हुई सम्पत्ति जीवाराम की ओर से दो दस्तावेजों के अनुसार पूरनमल व पीतम्बर के पास रहन थी ।

३—यह कि जीवाराम ने ता० १४ दिसम्बर सन् १६..... ई० को परिशिष्ट (अ) में लिखी हुई जायदाद.....रु० में प्रतिवादी प्रथम पक्ष के नाम बँनामा लिख कर बेच दी और उस सम्पत्ति पर बेचने की तारीख से प्रतिवादी प्रथम पक्ष काबिज़ है ।

४—जीवाराम ने, बँनामे के मतालवे में से, प्रथम पक्ष के पास दस्तावेजों का कुल रुपया पूरनमल व पीतम्बर को अदा करने के लिये अमानत में छोड़ा था । प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने केवल एक दस्तावेज का रुपया अदा किया और दूसरे दस्तावेज का जो ता०.....के लिखा गया थारु० अदा नहीं किया ।

५—उस दस्तावेज की नालिश पूरनमल व पीतम्बर ने मृतक जीवाराम के उत्तराधिकारी, वादी के ऊपर दायर करके भार की पूर्ती (निफाज किफालत) की डिग्री परिशिष्ट (ब) में लिखी हुई जायदाद के नीलाम कराने के लिये ता० ११ दिसम्बर सन् १६.....ई० को प्राप्त की और उसकी इजराय में यही जायदाद ता० २८ अगस्त सन् १६.....ई० को नीलाम हो गई ।

६—वादीरु० वसूल करने का दावीदार है और इस मतालवे पर १) रुपया सैकड़ा व्याज पाने का अधिकारी है क्योंकि दस्तावेज में, जिसके आधार पर डिग्री हुई थी इसी दर से सूद लगाया गया है ।

७—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने शिड्यूल (अ) में लिखी हुई जायदाद को प्रतिवादी प्रथम पक्ष से दरखली रहन करा लिया है। वह प्रतिवादी प्रथम पक्ष का प्रतिनिधि है और मुर्तहिन की हैसियत जायदाद पर काबिज है।

८—हिसाब से वादी का.....रुपया निकलता है जो प्रतिवादी ने अदा नहीं किया।

९—दावे का कारण—ता० २२ अगस्त सन् १६.....ई० को, शिड्यूल (ब) में लिखी हुई जायदाद के नीलाम होने के दिन से स्थान.....में, अदालत की सीमा अधिकार के अन्दर पैदा हुई।

१० - दावे की मालियत -

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह . . .रुपया मय खर्चा नालिश व व्याज वसूल होने के दिन तक वादी को अदा कर दे नहीं तो शिड्यूल (अ) में लिखी हुई जायदाद नीलाम की जावे और उससे वादी के मतालवे की बेवाक़ी करा दी जावे।

(३) इसी प्रकार का दूसरा दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने १२ जुलाई सन् १६—ई० को नीचे लिखी हुई जमींदारी (यहाँ पर जमींदारी का विवरण देना चाहिये) प्रतिवादी रघुवर के पूर्वजों के हाथ ४०२७॥) रुपया को बेचा और कुल रुपया खरीदार के पास ऋण बेबाक करने के लिये अमानत के रूप में छोड़ा।

२—प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी ने कुल अमानत में से केवल २०००) रुपया अदा किये, शेष २०२७॥) रुपया नीचे लिखे हुये कर्जदारों को, जो त्रैनामे में लिखा हुआ है अदा नहीं किया।

३—उन ऋण देने वालों ने जिनका रुपया निकलता था वादी से तकाज़ा किया और नालिश करने को तत्पर हुए इसलिए वादी ने वह रुपया अदा कर दिया।

४—वादी २०२७॥) ६० को, जो ऋण का अदा नहीं किया गया, बेची हुई जायदाद को नीलाम करा कर वसूल करने का अधिकारी है।

५—कर्ज देने वालों के रुपये का सूद १) सैकड़ा मासिक था जो कि वादी को प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी के अनुचित कार्य के कारण देना पड़ा, वादी उसी दर से व्याज पाने का अधिकारी है।

२८—न्यास, ट्रस्ट या अमानत

ट्रस्ट एक सम्पत्ति स्वामित्व सम्बन्धी जिम्मेदारी होती है और उस विश्वास से उत्पन्न होती है जो दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों या दूसरे अन्य स्वामी के लाभ के लिये (जिम्मेदारी लेने वाले में) किया जाय और वह उसको स्वीकार करे या उसकी घोषणा की जाय और वह उसको स्वीकार करे ।

वह व्यक्ति जो विश्वास करता है या उसकी घोषणा करता है, "ट्रस्ट कर्ता" या उत्पन्न करने वाला (धरोहर रखनेवाला) कहलाता है । वह व्यक्ति जो उस विश्वास को स्वीकार करता है "ट्रस्टी" या धरोहरी कहलाता है । वह व्यक्ति जिसके लाभ के लिये विश्वास स्वीकार किया जाता है लाभप्राप्त (Beneficiary, Cetiue Trust) कहा जाता है । जिसके सम्बन्ध में ट्रस्ट होता है वह "ट्रस्ट सम्पत्ति" या धरोहर या माल धरोहर कहलाती है । और लाभप्राप्त का अधिकार वह अधिकार होता है जिससे वह ट्रस्टी के मुकामिले में ट्रस्ट सम्पत्ति के स्वामी का स्थान पाता है और यदि कोई पत्र या दस्तावेज हो, जिसके द्वारा ट्रस्ट की घोषणा की गई हो वह ट्रस्ट-पत्र कहलाता है । और किसी कर्तव्य का निषेध जो कि ट्रस्टी पर, ट्रस्टी की हैसियत से किसी कानून के कारण उस समय करना अनिवार्य हो, ट्रस्ट-निषेध कहलाता है (एक्ट २ सन् १८८२, धारा ३) ।^१

ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ट्रस्ट और दूसरा विशेष ट्रस्ट । साधारण ट्रस्ट जो किसी धार्मिक या पुण्य के कार्य से सम्बन्ध रखते हों, और उनके किसी ट्रस्टी को पृथक् करने अथवा अन्य ट्रस्टी को नियुक्त कराने या ट्रस्ट की किसी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने, इत्यादि के लिये दावे, दो अथवा दो से अधिक ऐसे मनुष्यों की ओर से दायर किये जा सकते हैं जिनका ट्रस्ट में कोई स्वत्व हो अथवा जिनको ट्रस्ट से लाभ होता हो । ऐसे दावों में संग्रह ज्ञाप्ता दीवानी की धारा ६२ के अनुसार प्रान्त के एडवोकेट जनरल की अनुमति लेनी होती है ।^२

इन दावों में अन्य आवश्यक बातों के अतिरिक्त यह भी लिखना आवश्यक होता है कि ट्रस्ट में वादियों का क्या स्वत्व है जिससे उनको नालिश करने का अधिकार प्राप्त है और यह कि एडवोकेट जनरल की अनुमति प्राप्त कर ली गई है । अर्जीदावे में वही प्रार्थना की जा सकती है जिसके लिये अनुमति प्राप्त की गई हो । ऐसे दावे अदालत जिला जज में ही दायर किये जाते हैं चाहे उनकी मालियत कुछ भी हो ।

धारा ६२ ज्ञाप्ता दीवानी के अतिरिक्त, किसी इमामवाड़ा, मसजिद या कब्रिस्तान इत्यादि से साधारण लाभ उठाने में उसके मुतबल्लगी या किसी अन्य

1. Sec 3, Indian Trusts Act, II of 1882

2 Sec. 92, C P. C.

पुरुष की ओर से विघ्न डालने पर, अथवा किसी मन्दिर या अन्य देव स्थान में किसी प्रकार की रोक टोक लगाने पर, वह मनुष्य जिनके लिये ऐसी मरिजद या देवालय स्थित किया गया हो, दावा कर सकते हैं। ये नालिशों साधारण दावों की तरह प्रत्येक अदालत में दायर की जा सकती हैं।

विशेष ट्रस्ट के सम्बन्ध में दावा लाभायक अथवा उसके वापभागियों की ओर से ही किया जा सकता है और ऐसे दावों का ध्येय यह होता है कि ट्रस्ट का प्रबन्ध ट्रस्ट कर्ता की इच्छाओं के अनुसार किया जावे। कभी कभी ट्रस्टियों को ट्रस्ट की जायदाद अनाधिकारी मनुष्यों से पाने के लिये नालिश करनी होती है और कभी ट्रस्टी को किसी ट्रस्ट-सम्पत्ति के उचित अधिकारी जानने के लिये, जहाँ पर उसके एक से अधिक दावेदार हो, नालिश करनी पड़ती है। अन्तिम प्रकार के दावों, को Inter pleader suit कहते हैं।

ऐसे दावों के लिये ज्ञाता दीवानी में एक विशेष आर्डर नं० ३५ दर्ज किया गया है जो देख लेना चाहिये। आर्डर ३५ नियम ५ के अनुसार एजेंट या किरायेदार अपने मालिक के विरुद्ध ऐसे दावे दायर नहीं कर सकता परन्तु ध्यान रहे कि एक रेलवे कम्पनी जिसको भेजने के लिये माल सुपुर्द किया गया हो, माल देने वाले की एजेंट नहीं होती और ऐसा दावा दायर कर सकती है।¹

कोर्ट-फीस—कोर्ट-फीस ऐक्ट की परिशिष्ट २ आर्टिकल १७ (iii) के अनुसार नियत कोर्ट-फीस इस्तकरार का लगता है।²

मियाद—किसी ट्रस्टी के विरुद्ध दावा दायर करने के लिये कोई मियाद नियत नहीं है और ट्रस्ट-जायदाद के लिये किसी समय, चाहे कितनी भी मियाद बीत गई हो दावा किया जा सकता है।³ जहाँ पर कोई ट्रस्ट स्थित न हो परन्तु दोनों पक्षों का सम्बन्ध ट्रस्टी, और ट्रस्ट के लाभायक के तुल्य हो, ऐसी दशा में आर्टिकल १२० के अनुसार मियाद ६ साल की होती है।⁴

नोट :—इस भाग में भिन्न भिन्न प्रकार के १५ वाद-पत्रों के नमूने दिये गये हैं जिनसे ट्रस्ट से सम्बन्धित हर प्रकार का अर्जीदावा तैयार किया जा सकता है।

1. 28 I. C 948, 17 B L R 339

2 A I R 1928 Lah 113 ; 61 I C 820

3 Sec 10, Limitation Act.

4 22 A L J 866

* (१) अमानत रखने वाले की, दो दावेदारों का झगड़ा
तय करने के लिये नालिश

(Intenpleder Suit)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—नीचे लिखी हुई चीजों को (अ—ब) ने वादी के पास (यहाँ पर जायदाद का विवरण देना चाहिये) सुरक्षित रखने के लिये अमानत में रक्खा था ।

२—प्रतिवादी (क—ख) उस माल पर दावा करता है कि (अ—ब) ने वह माल उसके नाम कर दिया था ।

३—प्रतिवादी (च—छ) भी उसी माल पर एक लिखे हुए दस्तावेज के आधार पर कि (अ—ब) ने वह माल उसके नाम लिख दिया था दावा करता है ।

४—वादी को इन दोनों प्रतिवादियों के स्वत्वों का ठीक हाल मालूम नहीं है ।

५—वादी का उस माल पर केवल खर्च इत्यादि के और कोई दावा नहीं है और यह उसको उस मनुष्य के हाथ जो अदालत करार दे हवाला कर देने को राजी और तत्पर है ।

६—यह नालिश किसी प्रतिवादी के साथ साजिश करके या मिल कर नहीं की गई ।

७—(दावे का कारण उत्पन्न होने की तारीख)—

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थना करता है कि—

(१) हुकम इमतनाई से प्रतिवादी इस माल की बाबत वादी पर दावा करने से रोक दिये जावें ।

(२) उनको हुकम हो कि अपने स्वत्वों का अदालत से फैसला करा ले ।

(३) किसी मनुष्य को जब तक अदालत झगड़ा चले उस माल के लिये रिसीवर नियत किया जावे ।

(४) उस मनुष्य को माल हवाला हो जाने पर वादी को बरी कर दिया जावे और इस माल के बाबत प्रतिवादी में से किसी का वादी से कोई सम्बन्ध न रहे ।

* नोट यह ज्ञाप्ता दीवानी के सिद्ध ल (१) अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० ४० है ।

(२) इसी प्रकार की दूसरी नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—वादी का बैंक फीरोजाबाद में आर्यन बैंक लिमिटेड (Ary in Bank Ltd.) के नाम से जारी है ।

२—इस बैंक में एक मनुष्य रामदास का रुपया नेविङ्गस बैंक में बतौर अमानत जमा था जो ३) ६० सैकड़ा वार्षिक सूद के साथ उक्त रामदास के माँगने पर बैंक को देना था ।

३—रामदास का ता०.....को देहान्त हो गया उस समय उसके रुपये व गूड की मख्या २२३२।=) थी ।

४—इस रुपया को प्रथम प्रतिवादी इस बयान से माँगता है कि वह मृतक रामदास का कुटुम्बी भतीजा और दायभागी है ।

५—इस रुपया को द्वितीय प्रतिवादी इस बयान से माँगता है कि वह मृतक रामदास का गोद लिया हुआ लडका है और इसलिये उत्तराधिकारी है ।

(यहाँ पर नमूना नं० १ भाग २८ का फिक्रा नं० ४ से ८ तक लिखना चाहिये)

* (३) मृतक की जायदाद के प्रबन्ध के लिये कर्जदारों की ओर से, प्रांवेष्ट लेने वाले पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ।

१—प्रयाग निवासी मृतक अ—ब— अपने देहान्त के समय वादी के.....रुपया का कर्जदार था और उसकी जायदाद अब भी कर्जदार है (यहाँ पर यह लिखना चाहिये की कर्जा किस प्रकार था और कोई जमानत थी या नहीं) ।

२—उक्त अ—ब— ता०.....को मर गया और अपने अन्तिम मृत्यु लेख (निष्ठा पत्र, वसीयत नामा) से क—ख— को निष्ठा (वसी—executor) नियत कर गया है (या उसने अपनी जायदाद दान (वक्तू) कर दी या वसीयत रहित मर गया, जैसी परिस्थिति हो लिखना चाहिये) ।

❧ नोट—यह जाता दीवानी का शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर ४१ है ।

३—उस वसीयत को क—ख— ने प्रमाणित किया (या जसने मृतक अ—ब— की सम्पत्ति का प्रबन्ध पत्र—प्राप्त किया) ।

४—प्रतिवादी ने मृतक (अ—ब) की चल और अचल सम्पत्ति (या उसकी आमदनी) पर कब्जा कर लिया और वादी को वह ऋण अदा नहीं किया ।

५—बिनाय दावी—

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

मृतक (अ—ब) की चल व अचलसंपत्ति का हिसान लिया जावे और उसका प्रबन्ध अदालत की डिप्री के अनुसार किया जावे ।

* (४) मृतक की जायदाद से कोई विशेष वस्तु पाने वाले का दावा

ऊपर लिखे नमूना नम्बर ३ को इस प्रकार बदल दो—

धारा नम्बर १ को काट कर धारा न० २ इस तरह से शुरू करना चाहिये—

१—मृतक अ—ब— निवासी थान... .. का, ता०... .. को या लग-भग ता० को देहान्त हुआ । उसने अपने अन्तिम ता०..... के लिखे हुए वसीयतनामे से (क—ख) को अपना वसी नियत किया और उसी वसीयतनामे से वादी के नाम (यहाँ पर जो चीज वादी को दी गई हो लिखना चाहिये) की और उसके लिये छोड़ी ।

२—प्रतिवादी (अ—ब) अचल सम्पत्ति पर अधिकारी है और उसके अतिरिक्त (यहाँ पर खास चीजों के नाम देना चाहिये) पर भी अधिकारी है ।

(वादी की प्रार्थना यह होगी कि प्रतिवादी को हुसम हो कि वह नीचे लिखी हुई चीजों वादी के हवाले करे) ।

(सूची)

† (५) मृतक की जायदाद से नक़द रुपया पाने वाले की नाक़िश

(सिरनामा)

ऊपर दिया हुआ नमूना नम्बर ३ इस प्रकार बदल देना चाहिये—

(धारा नम्बर १ काट देनी चाहिये और धारा नम्बर २ के बजाय यह लिखना चाहिये) ।

१— मृतक (अ—ब), निवासी स्थान.....का, ता०.....को देहान्त हुआ और उसने अपने ता०... ..के लिखे हुये अन्तिम मृत्यु लेख (वसीयतनामे) से (क—ख)

* नोट—यह जाता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर ४२ है ।

† नोट—यह जाता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर ४३ है ।

को निष्ठा (वसी) नियत किया और उसी (वसीयतनामे) से वादी के लिये रुपया नकद वसीयत करके छोड़ा ।

२—धारा न० ४ में शब्द 'ऋण' के बजाय "वसीयती रुपया" लिखना चाहिये ।

(६) यही नमूना अर्थात् नं० ५ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—अ—बनिवासी स्थान.....का, ता०.....को देहान्त हुआ और उसने अपने अन्तिम वसीयतनामे को नियमानुसार, ता० १ मार्च सन् १९.....ई० को इस प्रकार लिखवाया, कि वर्तमान प्रतिवादी और च—छ— (जो कि उसके सामने ही मर गया) वसी नियत किये और अपनी चल और अचल सम्पत्ति उनके पास इस हेतु से छोड़ी कि वह लोग उक्त जायदाद का किराया और आमदनी वादी को उसके जीवित रहते हुए देते रहें और मरने पर उसके यदि कोई लड़का जो कि २१ वर्ष का हो जाय या कोई लड़की जो इतनी ही आयु को पहुँची, हो, तो उसको देते रहें और ऐसा न होने पर उसकी अचल सम्पत्ति बतौर अमानत उस मनुष्य के लिये रहे जो कि उसका उत्तराधिकारी हो और उसकी चल सम्पत्ति उन मनुष्यों को पहुँचे जो कि वादी के देहान्त होने के समय कुटुम्बी हों ।

२—प्रतिवादी ने वसीयतनामा (ता० ४ अक्टूबर सन् १९—ई०) को प्रमाणित किया । वादी की अभी शादी नहीं हुई है ।

३—मृतक अपने देहान्त के समय चल और अचल सम्पत्ति का अधिकारी था प्रतिवादी ने अचल सम्पत्ति का किराया वसूल किया और चल सम्पत्ति भी अपने अधिकार में करली है और कुछ अचल सम्पत्ति बेच भी डाली है ।

४—(दावे का कारण व मालियत)—

वादी प्रार्थी है—

(अ) यह कि मृतक अ—ब— की चल व अचल सम्पत्ति का प्रबंध इस अदालत से हो और इस हेतु यथायोग्य आज्ञा दी जावे ।

(ब) अदालत अन्य कोई हुकम देना उचित समझे सादिर करे ।

* (७) एक ट्रस्टी की ओर से ट्रस्ट की पूर्ति के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

* नोट—यह जानता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० ४४ है ।

१—वादी अन्य मनुष्यों के साथ एक समर्पण पत्र का जो ता०.....के अ—व— और क—ख— यानी प्रतिवादी के पिता व माता में विवाह होते समय लिखा गया था, एक ट्रस्टी है। (या एक दस्तावेज का, जो कि अ—व— की जायदाद के वास्त, प्रतिवादी इत्यादि उसके ऋण देने वालों के लाभ हेतु लिखा गया, एक ट्रस्टी है)।

२—वादी ने ट्रस्ट की पूर्ति का भार अपने ऊपर लिया और वह समर्पण पत्र से दिलाई हुई चल और अचल सम्पत्ति पर (या उसकी आमदनी पर) काबिज है।

३—प्रतिवादी ज—द— ने उस दस्तावेज की पूर्ति के लिये दावा कर रक्खा है।

४—विनायदावा—

५—दावे की मालियत—

वादी चाहता है कि वह कुल लगान व जायदाद के लाभ का हिसाब और चल व अचल सम्पत्ति का जो कुछ रुपया जो उसको ट्रस्टी की हसियत से मिला, उसका हिसाब समभावे इसलिये वादी प्रार्थी है कि अदालत ज—द— या और ऐसे मनुष्यों के सामने जिनका उसमें लाभ हो ट्रस्ट का हिसाब वादी से ले और ट्रस्ट की कुल जायदाद का प्रबन्ध प्रतिवादी ज—द— इत्यादि के हेतु काम में लावे।

(८) ट्रस्ट से लाभ उठाने वाले की ओर से ट्रस्ट की पूर्ति के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी अन्य कई मनुष्यों के साथ ता० .. . के लिखे हुये समर्पण पत्र से एक लाभ उठाने वाला मनुष्य है।

२—प्रतिवादी ज—द— ने ट्रस्ट की पूर्ति का भार अपने ऊपर लिया और समर्पण पत्र से दिलाई हुई चल और अचल सम्पत्ति और उसकी आय पर अधिकृत है।

३—वादी समर्पण पत्र के अनुसार उसकी पूर्ति से लाभ उठाने का अधिकारी है।

४—विनायदावा—

५—दावे की मालियत—

६—वादी चाहता है कि प्रतिवादी ज—द— चल और अचल सम्पत्ति के कुल किराये, लगान व लाभ इत्यादि का और चल व अचल सम्पत्ति या उसके किसी क्रय किये हुये हिस्से के रुपये का हिसाब समभा देवे इसलिये वादी प्रार्थी है कि प्रतिवादी ज—द— को हुक्म हो कि वह अदालत में वादी और अन्य लाभ उठाने वाले पुरुषों के सामने उक्त ट्रस्ट का कुल हिसाब समभावे और ट्रस्ट की कुल जायदाद वादी और अन्य लाभ उठाने वाले पुरुषों के हेतु प्रबन्ध की जावे या ज—द— ऐसा न करने का कारण बतलावे।

(९) मैनेजर को हटाने और ट्रस्ट की पूर्ति के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—स्थान फरुखाबाद मुहल्ला मदार दर्वाजे में वादी के दादा रामसिंह का बनवाया हुआ एक श्रीकृष्ण जी का मन्दिर ब्रह्म दिनों से स्थापित है।

२—उक्त रामसिंह ने मन्दिर के राग व भोग के लिये नीचे लिखी हुई सम्पत्ति पुण्य की और उसके मैनेजर और प्रबन्धकर्ता बाल किशुन, भोजराज, होती लाल कौम वैश्य निवासी फरुखाबाद को ता०.....के दानपत्र (वक्फनामे) के अनुसार उक्त पदों पर नियत किया।

३—यह प्रबन्धकर्ता पुण्य की हुई सम्पत्ति का दानपत्र (वक्फनामे) के अनुसार प्रबन्ध करते रहे। एक एक करके इन तीनों का देहान्त हो गया। प्रथम प्रतिवादी, वर्तमान मैनेजर व प्रबन्धकर्ता है, और पुण्य की हुई सम्पत्ति पर अधिकारी है।

४—उसने दानपत्र की शर्तों के विरुद्ध पुण्य की हुई सम्पत्ति का कुछ भाग ता०.....के लिखे हुये सादा रहननामे से द्वितीय प्रतिवादी के पास रहन कर दिया है और कुछ हिस्से का सर्वकालिक (दवामी) पट्टा ता०....को तृतीय प्रतिवादी के नाम लिख दिया है और उसको दखल दे दिया है।

५—पुण्य की हुई सम्पत्ति की वार्षिक आय लगभग २०००) रुपया होती है जिसमें से मन्दिर का व्यय केवल ५००) ५० वार्षिक है। बाकी रुपया प्रतिवादी अनुचित रीति से अपने काम में लाते हैं जो कि तृतीय प्रतिवादी, सर्व कालिक पट्टेदार वसूल करता है।

६—प्रथम प्रतिवादी के कुप्रबन्ध से मन्दिर की मरम्मत नहीं की गई और दर्शन वाले कम आते हैं। राग व भोग उचित प्रकार से नहीं लगाया जाता और न प्रसाद बटता है। वादी पुण्यकर्ता रामसिंह का दायभागी है और दानपत्र के अनुसार सम्पत्ति के प्रबन्ध और उसकी आय-व्यय से सम्बन्ध रखता है और नालिश करने का अधिकारी है।

७—विनायदावा—प्रतिवादी के अनुचित रीति से रुपया अपने काम में लाने की तारीख से और विशेष प्रकार से सादा रहननामा और सर्वकालिक पट्टा लिखे जाने के दिन से।

८-- दावे की मालियत (नियत कोर्ट फीस लगेगा)।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रथम प्रतिवादी मैनेजरी की पदवी से हटाया जावे और उससे हिसाब लिया जावे।

(ब) अन्य मैनेजर व प्रबन्धकर्ता नियत किये जावे।

(क) पुण्य की हुई कुल सम्पत्ति द्वितीय प्रतिवादी के सादा रहननामे और तृतीय प्रतिवादी के सर्वकालिक पट्टे को रद्द कर के मैनेजर व प्रबन्धकर्ताओं के अधिकार में दी जावे।

(ख) भविष्य के प्रबन्ध के लिये ता०.....के दानपत्र के अनुसार कार्य-प्रणाली (स्कीम) बना दी जावे ।

(ग) नालिश का व्यय इत्यादि दिलाया जावे ।

(सम्पत्ति का विवरण)

(१०) प्रबन्धकर्ता को हटाने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : —

१—लगभग २० साल से स्थान मथुरा में मुहल्ला विसराँत घाट पर साहू सुखलाल की स्थापित की हुई एक धर्मशाला स्थित है ।

२—उस धर्मशाला में यात्री लोग बिना किराया ठहरते हैं और उसके दर्वाजे पर आरम्भ से ही सदाब्रत बँटता है जहाँ पर प्रत्येक फकीर व साधू को आधा सेर आटा, आधा पाव दाल और लकड़ी, मसाला, इत्यादि मिलते हैं और तीन कहार और दो अन्य मनुष्य यात्रियों की सेवा और सदाब्रत के प्रबन्ध हेतु नौकर रहते हैं ।

२—इस कुल खर्च और धर्मशाला की मरम्मत इत्यादि के लिये शमशपुर, फतेहाबाद, इसलाम नगर, और उन्ननपुर की ज़मींदारी लगी हुई हैं जो एक मैनेजर के प्रबन्ध में रहती है और वही मैनेजर धर्मशाले के खर्च व उसकी निगरानी का प्रबन्ध करता है ।

४—मैनेजर के नियत होने व हटाये जाने के बाग़े में साहू सुखलाल ने ता०.....के ट्रस्टनामे में, जिससे धर्मशाला स्थापित हुई यह शर्त लिखी है “ कि यदि मैनेजर ऊपर लिखा हुआ व्यय उचित रीति से न करे या धर्मशाला या सदाब्रत के प्रबन्ध में खराबी हो या वह धर्मशाला व सदाब्रत के हेतु सम्पत्ति की आय को अपने कार्य में लावे तो उसके बजाय दूसरा मैनेजर नियत किया जावे ” ।

५—ता०.....ई० से प्रतिवादी धर्मशाला और उसके सबधी सम्पत्ति का मैनेजर है और दोनों पर अधिकार रखता है ।

६—प्रतिवादी ने धर्मशाला व सदाब्रत का प्रबन्ध बिलकुल बिगाड़ दिया है, यात्री लोगो की कुछ सेवा नहीं होती और उनको कष्ट उठाना पड़ता है इससे बहुत कम यात्री धर्मशाले में ठहरते हैं । नौकर पाँच के बजाय २ या ३ रहते हैं और मॉर्गने वालों को सदाब्रत नहीं मिलता और मिलता भी है तो बहुत कम ।

७—प्रतिवादी सम्पत्ति की आय में से लगभग आधी अनुचित रीति से अपने काम में ले आता है और आधी धर्मशाला इत्यादि में खर्च करता है ।

८—धर्मशाला व सदाब्रत के सुप्रबन्ध के हेतु वर्तमान मैनेजर का हटाया जाना और किसी दूसरे उचित पुरुष का नियत होना जो ता०.....के ट्रस्टनामों के अनुसार प्रबन्ध करे अत्यन्त आवश्यक है ।

६—वादी साहू सुखलाल के कुटुम्बी हैं और उनके धर्मशाला व सदाव्रत का उचित प्रबन्ध रखने व निगरानी का अधिकार ट्रस्टनामे में दिया गया है ।

(या वादियों ने नालिश करने की आज्ञा धारा ६२ जाप्ता दीवानी के अनुसार एडवोकेट जनरल से ले ली है ।)

१०—त्रिनाय दावा—

११—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी मैनेजर के पद से हटा दिया जावे और उसकी जगह उचित प्रबन्धकर्ता नियत किया जावे ।

(ब) भविष्य के मैनेजर को हुक्म हो कि वह ता०.....के ट्रस्टनामे के अनुसार प्रबन्ध करे ।

(११) वक्फ की हुई सम्पत्ति के मुतवल्ली को हटाने के लिये दावा

१—मौजा.....परगना.....में.....बिस्वा जमीदारी बहुत दिनों से दर्गाह शाह अजमल के खर्च व कायमी के लिये मुआफ चली आती है ।

२—इस आमदनी से मुहर्रम के दिनों में मजलिस होती है, दर्गाह पर फ़ातहा पढ़ी जाती है और शरीव और फकीरो को रोटियाँ बाँटी जाती हैं ।

३—प्रतिवादी इस दर्गाह का मुतवल्ली है और मुतवल्ली की हैसियत से फिकरा नम्बर १ में लिखी हुई जायदाद पर काबिज़ है और उसकी आमदनी वसूल करता है ।

४—प्रतिवादी ने दर्गाह का खर्च बहुत कम कर दिया है और दान की हुई जायदाद की आमदनी का बहुत सा रुपया अपने ज़ाती काम में लाता है ।

५—पिछले साल में दान की हुई जायदाद की कुल आमदनी करीब ५०००) ६० हुई जिसमें मुशकिल से प्रतिवादी ने ५००) ६० दर्गाह के खर्च में सर्फ़ किया और बाकी रकम नाजायज तौर से अपने काम में लाया ।

६—इससे पिछले वर्ष भी प्रतिवादी ने ऐसा ही किया था । वह मुतवल्ली के पद पर रहने योग्य नहीं है । वादी उस दर्गाह के मुजावर हैं और दर्गाह पर खर्च किये जाने से लाभ उठाते हैं ।

७—वादियों ने जाप्ता दीवानी के दफा ६२ के अनुसार नालिश करने की एडवोकेट जनरल से आज्ञा प्राप्त करली है ।

(१२) मन्दिर की सेवा व पूजा को अनुचित रीति से
रोकने पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१— मुहल्ला पक्की सराय शहर केल में एक महादेव जी का पन्चायती मन्दिर है जिसमें वहाँ के हिन्दू निवासी दोनों समय पूजा व दर्शन को जाते हैं ।

२— वादी ५० वर्ष के पूर्व से उस मुहल्ला में रहता चला आता है और सदा से उस मन्दिर में यथोचित दर्शन व पूजा करता चला आया है ।

३— ता०.....को वादी उक्त मन्दिर में दर्शन व पूजा के लिये गया । प्रतिवादी ने बिना किसी अधिकार के वादी को दर्शन और पूजा न करने दिया ।

४— प्रतिवादी मन्दिर का मालिक नहीं है और न उसके किसी प्रकार से वादी को दर्शन व पूजा से रोकने का हक या अधिकार है ।

५— विनाय दावा —

६— दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि एक सर्वकालिक आज्ञा प्रतिवादी को इस बात की दी जावे कि वह वादी को मन्दिर में पूजा व दर्शन करने से न रोके और न किसी तरह की रुकावट डाले ।

(१३) मसजिद में नमाज़ पढ़ने से रोकने पर

१— मछली बाजार शहर कानपुर में एक मसजिद बहुत दिनों से बनी हुई है जिसमें मुसलमान इसतहकाकन पंच रोजा पढ़ते हैं ।

२— वादी मुहल्ला खुलदाबाद का रहने वाला है जो उस मसजिद से लगा हुआ है और वह इस मसजिद में अपने होश से नमाज पढ़ता चला आया है ।

३— प्रतिवादी अपने आप को मसजिद का मैनेजर बतलाता है । उससे और वादी से नियमों (अक्रायद) में मत भेद है जिससे आपस में विरोध रहता है ।

४— ता०.....को प्रति दिन की तरह नमाज पढ़ने के लिये वादी मसजिद में गया । प्रतिवादी ने उसके नमाज़ नहीं पढ़ने दी और उसको मसजिद में जाने से रोका ।

५— वादी को इस मसजिद में नमाज़ पढ़ने का हक है और प्रतिवादी को इस हक को बन्द करने या उसमें रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं है ।

(१४) कब्रस्तान में मुर्दा दफन करने से रोकने पर

१ - वादी मौजा खानपुर जिला बुलन्दशहर का रहने वाला है और कौम का शेख है ।

२ - इस मौजे में आराजी नम्बरी २५ रक्बरी ३ बीघा कब्रस्तान है जिसमें मौजे के रहने वाले शेखों के मुर्दे प्राचीन काल से दफन होते हैं ।

३ - प्रतिवादी उस मौजा का जमींदार है और वह वादी के उस कब्रस्तान में मुर्दे दफन होने से रोकता है ।

४ - ता०.....को वादी के यहाँ एक मौत हुई और उसने लाश को कब्रस्तान में दफन करना चाहा लेकिन प्रतिवादी ने ऐसा नहीं करने दिया ।

(चाकी जैसा कि नं० १२ में)

(१५) दान की हुई सम्पत्ति के बचाने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -

१ - वादी के दादा (क—ख—) ने नीचे लिखी हुई चौहद्दी का एक मन्दिर स्थान... ..में बनवा कर उसमें बिहारी जी की मूर्ति स्थापित की और उसको कुटुम्बी लोग मन्दिर की तरह वरतते रहे ।

२ - उक्त क—ख— उस मन्दिर में स्वयं भी पूजा करते थे और अपने जीवन भर उसकी निगरानी और प्रबन्ध अपने आप करते रहे और मन्दिर की सेवा व पूजा के लिये एक मनुष्य च - छ— उसका पुजारी नियत कर दिया था ।

३ - क—ख— के देहांत के बाद वादी के पिता अ - ब— और अ—ब— के देहांत के बाद वादी बराबर उक्त मन्दिर में पूजा करते रहे और उसके प्रबन्धकर रहे और च—छ— पुजारी की हैसियत से मन्दिर की पूजा और सेवा का काम करता रहा ।

४ - प्रायः ५ साल हुये होंगे कि च - छ—का देहान्त हो गया । वादी ने उसके बजाय उसके लड़के (प—ल—) प्रतिवादी को पुजारी नियत कर दिया । वह उसकी पूजा व सेवा का काम वादी की निगरानी में करता रहा ।

५ - प—ल— ने बिना किसी अधिकार के और वादी को बिना मालूम हुये उक्त मन्दिर को मकान की हैसियत से ता०.....के दस्तावेज से एक मनुष्य म—न - के यहाँ रहन कर दिया और म - न - ने उस दस्तावेज के आधार पर नालिश करके डिग्री नम्बरीअदालत ...से प—ल— के ऊपर प्राप्त कर ली और उसके इजराय में उक्त मन्दिर को नीलाम कराया है ।

६—प्रतिवादी आपस में मिले हुये हैं और वह वादी के कुटुम्बी मन्दिर को मकान मान कर बेचना और अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं और उन्होंने नालिश और इजराय की कुल कार्यवाही जानबूझ कर छिपा रक्खी थी ।

७— प्रायः एक महीना हुआ होगा कि वादी को प्रतिवादी की धोके और चालाकी का ज्ञान हुआ । उसने प्रतिवादी से झगड़ा हटाने के लिये कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देते ।

८— विनाय दावा (वादी की सूचना होने के दिन से) ।

९—दावे की मालियत, (जायदाद की मालियत, परन्तु नियत कोर्ट फीस दिया जावेगा)

वादी प्रार्थी है कि—

अदालत से यह हुक्म हो कि नीचे लिखी हुई सम्पत्ति विहारी जी का मन्दिर और वादी के कुटुम्ब की पूजा करने का स्थान है और इजराय डिग्री नम्बरी.....अदालतसे नीलाम होने योग्य नहीं है ।

२६—सम्मिलित सम्पत्ति (जायदाद मुश्तर्का)

सम्मिलित सम्पत्ति के सम्बन्ध में हिस्सेदारों में कई प्रकार की नालिशें हो सकती हैं । अधिकतर सम्मिलित सम्पत्ति के बटवारे के लिये दावा दायर किये जाते हैं, जिससे हर एक हिस्सेदार का भाग या हिस्सा पृथक्-पृथक् कर दिया जावे । ऐसा दावा प्रत्येक हिस्सेदार, बालिग हो या नाबालिग (बयस्क हो या अबयस्क) दायर कर सकता है । इनमें बाकी कुल हिस्सेदारों को प्रतिवादी बनाना चाहिये और अर्जीदावा में सम्पत्ति का सम्मिलित होना और वादी का अपने हिस्से का अधिकारी होना, और यह कि उसका जायदाद या उसके किसी भाग पर कब्जा है या नहीं, लिखना चाहिये ।

यदि बटवारा किसी विशेष रूप से कराना मंजूर हो, जैसे किसी भागी को कोई विशेष भाग दिया जावे, तो ऐसा करने के लिये आवश्यक घटनायें अर्जीदावा में लिखना चाहिये जैसे कि उस हिस्सेदार ने उस भाग पर कोई विशेष खर्च किया हो या मकान बनवाया हो । यदि सम्मिलित सम्पत्ति एक से अधिक अदालतों के अधिकार सीमा में स्थित हो तो संग्रह ज्ञान्ता दीवानी धारा १७ के अनुसार उनमें से किसी एक अदालत में विभाजन का दावा किया जा सकता है ।

बटवारा के अतिरिक्त यदि एक हिस्सेदार दूसरे को हिस्सेदार सम्मिलित सम्पत्ति से बेदखल कर देवे और उसका कुल मुनाफा या लाभ स्वयं बसूल कर

लेवे या ऐसी सम्पत्ति को मरान बनवाकर अथवा अन्य प्रकार से अपने अनुचित अधिकार में कर लेवे या उसका नाजायज परिवर्तन रहन, पट्टा इत्यादि कर देवे, इन सब वशाओं में दूसरे भागी उचित नालिश कर सकते हैं। इस खण्ड में ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की नालिशों के नमूने दिये गये हैं।

सम्मिलित सम्पत्ति के विभाजन से एक भागी, कुल मुश्तरका मिलकियत और कब्जा के बजाय उसके एक भाग का अकेला स्वामी और अधिकारी हो जाता है। इसलिये घटवारे के दावे उन्हीं हिस्सेदारों में किये जा सकते हैं जिनका एक सा हक हो और वह उस जायदाद पर काबिज हों।¹

कोई हिस्सेदार सम्मिलित सम्पत्ति के घटवारा का दावा कर सकता है और प्रतिवादी का यह प्रतिवाद पर्याप्त नहीं होता कि वादी ने पूरी सम्मिलित सम्पत्ति वाद में शामिल नहीं की, जब तक कि दावा हिन्दू अविभक्त कुल की सम्पत्ति के विभाजन का न हो।²

सम्मिलित और संयुक्त मिलकियत का यह एक विशेष अन्तर है कि यदि सम्मिलित सम्पत्ति पर वादी काबिज न हो तो वह तकसीम की डिगरी पाने का हकदार नहीं होता।³ ऐसी हालत में दावा तकसीम और देखल, दोनों का होना चाहिये।

इन दावों में (१) वादी का हिस्सा (२) वह वर्णन जिनसे वादी का उस हिस्से का मालिक होना प्रगट हो (३) जायदाद का सम्मिलित होना और (४) यह कि वादी जायदाद पर सम्मिलित रूप से काबिज है दिखाना चाहिये।

तकसीम के लिये पहले प्रारम्भिक (इवतदाई) डिगरी दी जाती है, जिससे वादी का भाग सीमित कर दिया जाता है और तकसीम हो जाने के बाद वह डिगरी पूर्ण (क्ततई) हो जाती है। इन दावों को एक विशेषता यह भी है कि जहाँ पर एक से अधिक प्रतिवादी हों वहाँ पर कोई प्रतिवादी भी अपना हिस्सा पृथक् करा सकता है, ऐसी हालत में उस प्रतिवादी की हैसियत भी बतौर वादी के तुल्य हो जाती है। परन्तु यदि कोई प्रतिवादी अपना हिस्सा पृथक् कराना चाहे तो उसको अपने हिस्से पर उचित कोर्ट फीस देनी होती है।

कोर्टफीस—जहाँ पर वादी सम्मिलित रूप से जायदाद पर काबिज हो चाहे उसके किसी भाग पर उसका कब्जा हो, तो कोर्ट फीस एकट के परिशिष्ट २ आर्टिकल १७ के अनुसार नियत कोर्ट फीस दस रुपया का लगता है, और जहाँ पर वह काबिज न हो तब मालियत के अनुसार पूरी कोर्टफीस लगती है और वादी के हिस्से की मालियत के अनुसार दावा की मालियत नियत होती है।

1 A I R. 1930 Pat 177 (F B), 108 I C 809

2 A I R 1929 Oudh 162, 1923 Mad 96

3 A I R 1923 Pat 162

संयुक्त प्रान्त में दफा ७ (vi) ए (Sec. 7 (vi) A, Court Fees Act) के अनुसार वादी को अपने हिस्से की एक चौथाई मालियत पर रसूम देना चाहिये और यदि वादी बेदखल हो तो पूरी मालियत पर रसूम देना चाहिये ।

मियाद—यदि वादी सम्मिलित सम्पत्ति पर काबिज हो तो तमादी का प्रश्न नहीं उठता और दावा किसी समय दाखिल किया जा सकता है परन्तु यदि वादी काबिज न हो तो उसका कब्जा हटने के १२ साल के अन्दर दावा दाखिल होना चाहिये ।¹

(१) सम्मिलित मकान के बटवारे के लिये ।

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—एक मंजिल पक्की हवेली उसके चारों ओर की जमीन के साथ, जिसकी चारों ओर की सीमा नीचे लिखी हुई है, मुहल्ला शाहपाड़ा शहर अलीगढ़ में बराबर २ हिस्से में नन्दराम व भूपाल दास की सम्मिलित सम्पत्ति थी ।

२—नन्दराम के लड़के व वारिस छीतरमल और कामनीप्रसाद ने कुल मकान के अपने आधे हिस्से को वादी के पूर्वाधिकारी गुलजार खॉ के १८ मई १९.....ई० को रहन किया ।

३—गुलजार खॉ के देहांत के बाद वादी ने उसके उत्तराधिकारी की हैसियत से हवेली के इस आधे हिस्से के नीलाम के लिये दावा छीतरमल व कामनी प्रसाद के ऊपर अदालत सिविलजजी अलीगढ़ में दायर किया और वह ता० १८ नवम्बर सन् १९ ई० को डिग्री हुआ । उसकी इजराय में २४ अगस्त सन् १९... ई० को नीलाम में वादी ने यह आधा हिस्सा खरीद किया और वह ६ मार्च सन् १९.....ई० से अदालत के हुक्म के अनुसार उस पर काबिज है ।

४—मकान के सम्मिलित होने के कारण वादी अपनी मिलकियत से पूरा लाभ नहीं उठा सकता इस लिये उसने भूपाल दास के लड़के व उत्तराधिकारी प्रतिवादी से बो कि आधी हवेली के सांभोदार हैं बटवारा करने के लिये कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देते ।

५—बिनाय दावा (बटवारा के अस्वीकार करने की अंतिम तारीख से) ।

६—दावे की मालियत (मकान की कीमत के ऊपर) ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) नीचे लिखी हुई कुल हवेली के दो बराबर कुरे बनाये जावे और एक कुरे पर वादी को पृथक दखल दिलाया जावे ।

- (ब) बटवारा इस प्रकार से किया जावे कि वादी को जमीन व मलवे (पत्थर लकड़ी) में आधा हिस्सा दिलाया जावे ।
 (क) नालिश का खर्चा दिलाया जावे ।

(२) सम्मिलित मकान के एक हिस्से के बँटवारे के लिये

१—एक मंजिल पक्की हवेली स्थित मुहल्ला जानसेनगज शहर कानपुर फरीकैन की मिलकियत इस तरह पर है कि कोठी के पूरब की ओर जो इमारत बनी हुई है वह अकेली वादी की मिलकियत है और जो कोठी के उत्तर की ओर इमारत है वह अकेले मुदायलेह नम्बर १ की मिलकियत है और जो कोठी के दक्खिन ओर इमारत है वह अकेले मुदायलेह नम्बर २ की मिलकियत है लेकिन कोठी के पच्छिम की तरफ जो इमारत बनी हुई है जिसमें कि ज़ीना, पाखाना, सहन, फाटक इत्यादि हैं वह तीनों फरीकैन की बराबर २ हिस्से की सम्मिलित मिलकियत है ।

२—कोठी के नकशे में जो साथ साथ पेश किया जाता है मुदई का हिस्सा लाल रंग से व मुदायलेह नं० १ का हिस्सा हरे रंग से और मुदायलेह नं० २ का हिस्सा पीले रंग से दिखाया गया है और सम्मिलित हिस्सा खाली छोड़ा गया है ।

३—फरीकैन में सम्मिलित हिस्से को काम में लाने और इस्तैमाल के बारे में भगड़ा रहता है और वह उससे उचित लाभ नहीं उठा सकते ।

४—प्रतिवादियों से बटवारे के लिये कहा गया और रजिस्ट्री नोटिस भी दिया गया लेकिन उन्होंने अभी तक बटवारा नहीं किया ।

(३) सम्मिलित दखल और वासलात के लिये

(खिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी और प्रतिवादी बराबर २ हिस्से के.....बीघा पक्की आराजी नम्बरी... स्थान.....के दखीलकार काश्तकार हैं ।

२—उस ज़मीन पर वादी और प्रतिवादी का सम्मिलित अधिकार था और दोनों उसको मुश्तर्का जोतते बोते थे ।

३—रबी १६—फ० में जब कि जौ और गेहूँ की फरीकैन की मुश्तर्का फसल जोती बोई हुई थी, प्रतिवादी ने बलात उस ज़मीन से वादी को अनाधिकृत करके उस पर अकेले अपना अधिकार कर लिया और कुल फसल को अपने काम में लाया ।

४—उस फसल का मूल्य लगभग ४००) रुपया होगा ।

५—वादी उस आराजी पर मुश्तर्का दखल पाने और रबी की फसल की आधी क्रीमत पाने का अधिकारी है ।

६—विनाय दावा (वादी की वेदखली के दिन से)

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) ऊपर लिखी आराजी पर वादी को मुश्तर्का दखल दिलाया जावे ।

(ब) २००) रुपया वतौर हर्जा रजी सन् १६.....फ० के बारे में और नालिश का खर्चा दिलाया जाय ।

(४) साझीदार के अनुचित कार्य करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी और प्रतिवादी मौजा भटगवॉ तहसील अनूपशहर में मुहाल तोताराम में जमीदार हैं ।

२—उस मुहाल में एक आराजी नम्बरी ६३ आवादी की है जो कि खाली पड़ी हुई है । यह आराजी दोनों फरीकन की सम्मिलित मिलकियत की है और वह दोनों जमीदारों की हैसियत से उस पर मुश्तर्का काबिज़ हैं ।

३—जुलाई सन् १६—ई० में प्रतिवादी ने वादी की सम्मति के विरुद्ध और उससे विना पूछे हुये उस जमीन पर एक कच्चा मकान बनवाना शुरू किया और वादी के रोकने व मना करने पर भी नहीं माना ।

४—प्रतिवादी अब भी उस मकान को बनवा रहा है और उसका विचार उसको बनवाये चले जाने का है ।

५—उस कुल जमीन का अपने काम में ले आना प्रतिवादी के अधिकार के विरुद्ध है और उससे वादी की वेदखली हो जाती है ।

६—विनाय दावा—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) वादी को अर्जीदावे में लिखी हुई जायदाद पर प्रतिवादी की बनाई हुई तामीर (इमारत) तुड़वा कर या जो कुछ इमारत और बनवाई जावे उसको तुड़वा कर सम्मिलित अधिकार दिलाया जावे ।

(५) इसी प्रकार का दूसरा दावा

१—दोनों पक्षों के मकान मुहल्ला लखपती शहर हाथरस में एक ही गली में स्थित हैं

२—यह कूंचा दोनो पत्तों की सम्मिलित सम्पत्ति है और उसमें होकर दोनों का रास्ता है और दोनो मकानों के नाले गिरते हैं ।

३—प्रतिवादी ने अपना मकान हाल मे ही बनवाया है और लगभग दस दिन हुए होंगे कि उसने कूचे की ओर एक छज्जा गौख की प्रकार से अपनी दीवाल से ४ फीट कूंचे की तरफ मे निकला हुआ बनवाना शुरू किया है । अभी गौख बन कर तैयार नहीं हुई और उस पर काम शुरू ही हुआ है ।

४—प्रतिवादी का यह काम वादी के सम्मिलित अधिकार के प्रतिकूल है और वह बार २ कहने पर भी नहीं मानता ।

(६) सम्मिलित सम्पत्ति के पट्टे की मंजूरी के लिये

१—मौजा चारई परगना इगलास मुहाल रामलाल में वादी आधे हिस्से का मालिक व जमीदार है ।

२—प्रतिवादी नं० २ उस मुहाल का नम्बरदार है और आसामियों से लगान व तहसील वसूल करता है ।

३—ता०.....के प्रतिवादी नं० २ ने.....बीघा पक्की आराज़ी नम्बरी..... (यहाँ पर तफसील देनी चाहिये) का बीस साल के लिये पट्टा..... रुपया वार्षिक पर प्रतिवादी नं० १ के नाम लिख कर ता० १ जुलाई सन् १६.....ई० से उसको उस भूमि पर अधिकार दिला दिया ।

४- वह जमीन आस पास की उसी तरह की और जमीनों के विचार से..... रुपया सालाना लगान की हैसियत की है और लगान प्रति दिन बढ़ता जा रहा है ।

५—प्रतिवादी नं० १ प्रतिवादी नं० २ का सम्बन्धी है । यह पट्टा कम और अनुचित लगान पर प्रतिवादी नं० २ ने प्रतिवादी नं० १ के नाम वादी के हानि पहुँचाने के लिये लिख दिया है ।

६—नम्बरदार की हैसियत से प्रतिवादी नं० २ को ऐसा पट्टा लिख देने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिये वह पट्टा वादी और मुहाल के अन्य हिस्सेदारों के प्रतिकूल अनुचित व प्रभाव हीन है ।

७—अन्य हिस्सेदार नालिश में शामिल नहीं हुए इस लिये उनको प्रतिवादी तृतीय पक्ष बनाया गया है ।

(७) विभाजन के पश्चात् लिखे हुए पट्टे की मंजूरी और जायदाद पर दरख्त के लिये नालिश

१—वादी और द्वितीय प्रतिवादी मुहाल रामचन्द्र नगला रामनगर, परगना..... में हिस्सेदार थे और द्वितीय प्रतिवादी उसका नम्बरदार था ।

२—वादी ने अपने हिस्से के बटवारे के लिये ता० ५ जुलाई सन् १९.....ई० के अदालत माल में प्रार्थना पत्र पेश किया ।

३—यह दरखास्त बहुत दिनों तक विचाराधीन रही और बटवारे की कार्यवाही होती रही । अन्त में तकसीम का मुकदमा १ जून सन् १९.....ई० को खतम हुआ और वादी का मुहाल अलग बन गया और बटवारा १ जुलाई सन् १९.....ई० से काम में लाया गया ।

४—तकसीम के मुकदमे के दौरान में १५ वींवा पक्की आराजी का पट्टा द्वितीय प्रतिवादी ने दस साल के लिये १५०) रुपया सालाना लगान पर प्रथम प्रतिवादी के नाम लिखा दिया । आराजी के नम्बर इत्यादि नीचे शिड्यूल में अंकित हैं

५—पट्टे में लिखी हुई आराजी का उचित सालाना लगान ३२५) रु० है और दिन प्रतिदिन लगान बढ़ता जाता है ।

६—उस जमीन का पट्टा इतने वर्ष के लिये इतने कम लगान पर द्वितीय प्रतिवादी ने वादी को बदनीयती से हानि पहुँचाने के लिये लिख दिया है और वह वादी की पावन्दी के योग्य नहीं है । वह वादी के विरुद्ध अनुचित और प्रभावहीन है ।

७—तकसीम से पट्टे में लिखे हुये नम्बर के खेत जो कि शिड्यूल (ब) में दर्ज हैं वादी के कुरे में आये हैं ।

८—शिड्यूल (ब) में लिखे हुए नम्बरों पर प्रथम प्रतिवादी का पट्टे के आधार पर कब्जा नाजायज़ और बिना किसी अधिकार के है ।

९—वादी शिड्यूल (ब) में लिखे हुए खेतों पर दखल पाने का दावेदार है ।

१०—बिनाय दावी (१ जुलाई सन् १९ . . .ई०, बटवारा होने और वेदखली का हक पाने के दिन से) ।

(८) एक हिस्सेदार का गैर साझीदार पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -

१—मुहाल मोतीराम मौज़ा मडराक में वादी हिस्सेदार व कुल मुहाल का नम्बरदार है ।

२—उस मुहाल में नम्बर ७४ बगीचा है जिसमें १४ पेड़ नीम के खड़े हुए हैं और नम्बर ७५ ऊसर है जिसमें दो नीम, एक खजूर, तीन बबूल के पेड़ हैं और बहुत से नीम और बबूल के पौधे हैं ।

३—प्रथम प्रतिवादी ने द्वितीय प्रतिवादी से मिल कर जो कि उस मुहाल में हिस्सेदार है नंबर ७४ व ७५ के पेड़ों को काटना शुरू किया है और वह वेधड़क पेड़ काट रहे हैं और उनकी लकड़ी अपने काम में लाना चाहते हैं ।

४—प्रतिवादी को बिना वादी की सम्मति के पेड़ काटने या लकड़ी लेने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी का यह काम अनुचित और वादी के अधिकार के विरुद्ध है और वह हिस्सेदार व नंत्ररदार की हैसियत से नालिश करता है।

५—बिनाय दावा —(पेड़ काटने के दिन से)।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) एक स्थायी निषेध आज्ञा प्रतिवादी के नाम निकाली जावे कि वह आराजी नवरी ७४ व ७५ मुहाल मोतीराम मौजा मडराक के पेड़ न काटे और न उनकी लकड़ी अपने काम में लावे (इसकी मालियतरुपया)।

(ब) प्रतिवादी ने जितने पेड़ काट कर अपने काम में ले लिये हों उनकी कीमत वादी को दिलाई जावे और जितने की डिग्री की जावे उसका कोर्टफीस ले लिया जावे।

३०—हिन्दू अविभक्त कुल

हिन्दू अविभक्त कुल की सम्पत्ति की मितान्तर शास्त्रानुसार कई विशेषताएँ होती हैं :—

(१) कुल के प्रत्येक सदस्य को जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति अथवा अविभक्त कुल की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होता है जिससे वह विशेष दशाओं में उसका विभाजन करा सकता है। चाहे यह उसके भाई, पिता या पितामह की इच्छा के विरुद्ध ही क्यों न हो।

(२) कुल का कोई सदस्य कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के बिना और दूसरे सदस्यों की सम्मति बिना कुटुम्बी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का परिवर्तन नहीं कर सकता। परन्तु पिता अपने पूर्व ऋण चुकाने के लिये या ऐसे कार्य के लिए जो न्याय विरुद्ध न हों या किसी अनुचित काम के लिये न लिया गया हो, जैसे जुआ या अन्य कोई व्यसन इत्यादि, पैतृक सम्पत्ति का परिवर्तन कर सकता है और वह उसके पुत्रों पर माननीय होगा।

(३) यदि किसी सदस्य का पुत्रहीन देहान्त हो जाता है तो उसकी विधवा को कुटुम्ब के निवास-गृह में रहने का और खान पान पाने का अधिकार होता है, परन्तु कुटुम्ब की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता।

इन दशाओं के उल्लंघन करने पर जो स्वत्व अन्य पक्षों को प्राप्त होते हैं उनके सम्बन्धित कुछ नालिशों के नमूने इस भाग में दिये गये हैं।

१—अविभक्त सम्पत्ति का विभाजन

(इस सम्बन्ध में खण्ड २ पद नं० २९ 'सम्मिलित सम्पत्ति' में दिया हुआ नोट देखना चाहिये)

हिन्दू अविभक्त कुल के एक सदस्य का कुल से पृथक् होना जब ही माना जाता है जब कि वह अपने पृथक् होने का, अन्य सदस्यों से कोई स्पष्ट और ऐसा कार्य करे जिससे उसके पृथक् हो जाने में कोई सन्देह न रह जावे।¹

जैसे कोई हिस्सेदार अपने हिस्से के विभाजन के लिये दावा कर सकता है।² बटवारे का दावा दायर करने पर वादी की पृथक् होने की इच्छा स्पष्टता से प्रगट हो जाती है।³ तकसीम का दावा प्रत्येक बालिग हिस्सेदार दायर कर सकता है। विशेष दशा में अवयस्क (नाबालिग) हिस्सेदार की ओर से भी उसका रक्षक बना कर दावा दायर किया जा सकता है।

अविभक्त कुल की स्त्रियों में उस विधवा के अलावा जिसको Hindu Women's Right to Property Act के अनुसार अधिकार प्राप्त हो, अन्य स्त्रियों को बटवारा कराने का अधिकार नहीं होता परन्तु कुटुम्ब में विभाजन होने पर अधिकार-युक्त स्त्रियों को हिस्सा मिलता है, जैसे यदि किसी पुत्र के दावे पर पुत्रों में विभाजन होने पर माता को एक पुत्र के बराबर हिस्सा मिलता है।

नाबालिग की ओर से तकसीम के दावे तभी चल सकते हैं जब कि बटवारा नाबालिग के लाभ के लिये हो। या वह नाबालिग के अधिकारों की रक्षा के लिये आवश्यक हो।⁴ नाबालिग की ओर से दावा होने पर कुटुम्ब की अलहदगी जब तक कि डिग्री न हो जावे तब तक नहीं समझी जाती परन्तु डिग्री हो जाने पर उसका प्रभाव दावा दायर करने की तारीख से होता है।⁵

तकसीम के दावों में नीचे लिखे मनुष्य फरीक बनाये जा सकते हैं :—

(१) भिन्न भिन्न शाखाओं के कर्त्ता या मुखिया।

(२) कुटुम्ब की वह स्त्रियाँ जिनको हिस्सा पहुँचता हो।

(३) वादी ने यदि अपना हिस्सा बेच दिया हो तो खरीदार, या उसने किसी का हिस्सा खरीद किया हो तो बेचने वाला।

1. A. I. R. 1931 P. C. 154, I. L. R. 53 All. 300

2. 17 I. A. 194, I. L. R. 18 Cal. 157.

3. A. I. R. 1923 P. C. 59, I. L. R. 43 Cal. 1031 P. C.

4. I. L. R. 29 All. 323, I. L. R. 31 Bom. 373, 17 M. L. J. 313 P. C.

5. I. L. R. 42 All. 461 F. B., I. L. R. 14 Pat. 732 F. B. But See Contra A. I. R.

(४) कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के हिस्सों के तारीदार अथवा रहने गृहीता ।

यदि एक हिस्सेदार की ओर से बटवारे का दावा अन्य हिस्सेदारों के विरुद्ध हो तो पूर्ण कुटुम्बी सम्पत्ति के बाबत होना चाहिये^१ ऐसा न करने पर अदालत दावा स्वारिज कर सकती है ।^२

कोर्ट फीस व मियाद :—जैसा कि पद २९ सम्मिलित सम्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा गया है । इस पद में दिये हुए वाद-पत्रों के नमूने नं० १, २ व ३ बटवारे के दावों के हैं ।

३—अविभक्त सम्पत्ति का परिवर्तन

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है अविभक्त कुल का कोई सदस्य उचित आवश्यकता के बिना कुल की किसी सम्पत्ति का परिवर्तन नहीं कर सकता है इसलिये दावा यदि ऐसे अनुचित परिवर्तन के विरुद्ध हो, तब यह कि परिवर्तन कर्ता कुल का मैनेजर या कर्ता नहीं था और यह कि परिवर्तन कुल की किसी उचित आवश्यकता के लिये नहीं किया गया, दावे में लिखना चाहिये । यदि हिन्दू पिता या कुल के कर्ता ने परिवर्तन किया हो तो निम्न लिखित बातें वादी की ओर से लिखना आवश्यक होती हैं :—

(१) कि वादी अविभक्त कुल का सदस्य है,

(२) परिवर्तन की हुई सम्पत्ति में उसका हिस्सा या हक है,

(३) सम्पत्ति कब और किस प्रकार परिवर्तन की गई,

(४) वह सब घटनायें जिनसे ऐसा परिवर्तन अन्याय-युक्त और नाजायज प्रमाणित किया जा सके ।

पिता के विरुद्ध ऋण की डिगरी में यदि कुल की सम्पत्ति कुर्क व नीलाम (प्रसित) की जावे तो पुत्र इजराय में उज्र पेश नहीं कर सकता जब तक कि वह यह न साबित कर सके कि पिता ने वह ऋण किसी नाजायज अथवा बदचलन काम के लिये लिया था, परन्तु ऋणी के भाई भतीजे इत्यादि जो कुल के अन्य सदस्य हों, अपने हिस्सों को नीलाम से छुदा सकते हैं । उनको यह दिखाना चाहिये कि वह डिगरी में फरीक नहीं थे और उनका उस जायदाद में हिस्सा है ।

ऐसे दावे कुल के किसी सदस्य की ओर से दायर किये जा सकते हैं जो कि परिवर्तन के समय जीवित हो^३ और ऐसे पुत्र की ओर से भी जो कि उस समय गर्भस्थित हो और बाद को जीवित रहे ।^४

1 I L R 12 Lah 574

2 A I R 1930 Lah 286

3 I L R 35 All 571

4 I L R 37 All 162, 19 A L J 934.

अविभक्त कुल की जायदाद के सम्बन्ध में प्रीवी कौंसिल का माननीय निर्णय वृजनारायन बनाम मंगला प्रसाद¹ में हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए एक दूसरे फुलबेन्च मुकदमे में² यह निर्णय किया है कि एक हिन्दू पिता अविभक्त कुल का सम्पत्ति का, उचित आवश्यकता या अपने पूर्व ऋण के चुकाने के लिये ही परिवर्तन कर सकता है इसलिये रहन-गृहीता का परिवर्तन के लिये उचित आवश्यकता साधित करना आवश्यक होता है और परिवर्तन पर आक्षेप करने वाले पक्ष को यह साधित करना आवश्यक नहीं है कि वह अनुचित था या बदचलनी के कारण किया गया।

यदि ऋण, कुल के कर्ता ने सिर्फ अपने ही नाम से लिया हो तो कुल के अन्य सदस्यों का फरोक बनाना आवश्यक नहीं है।³ ऐसे मुकदमे की डिगरी कुल के सभी सदस्यों के विरुद्ध इजराय कराई जा सकती है। यह भी लिखना आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी के विरुद्ध दावा कर्ता या मैनेजर की हेसियत से दायर किया गया है परन्तु अर्जादावा से यह प्रकट होना चाहिये कि प्रतिवादी उस कुल का कर्ता है।⁴

मियाद—अविभक्त सम्पत्ति के परिवर्तन को मनसूख कराने के लिये जहाँ परिवर्तन पिता का किया हुआ हो, अर्वाध-विधान के आर्टिकल १२६ के अनुसार मियाद १२ वर्ष की होती है और उसकी गणना उस तारीख से होनी चाहिये जिससे परिवर्तन गृहीता ने जायदाद पर कब्जा किया हो। अन्य दशाओं में आर्टिकल १२० के अनुसार मियाद ६ साल की होती है।⁵

[नोट—इस पद में दिये हुए वाद-पत्र न० ४, ५, ६ व ७ परिवर्तन के विषय पर हैं]

३—निर्वाह-व्यय

यदि हिन्दू विधवा या विवाहित स्त्री किसी उचित कारणों से (जैसे पुरुष का कोढ़ी होना इत्यादि) अपने पति या उसके कुटुम्ब से पृथक रहती हो और कुचलन न हो तो वह अपने निर्वाह या गुजर के लिये खर्चा माँग सकती है। इन दावा में (१) वह कारण जिससे वह अलहदा रही हो (२) उसका कुचलन न होना और (३) उसका निर्वाह-व्यय पाने का हकदार होना दिखाना चाहिये। निर्वाह-व्यय की उचित संख्या, पति या कुल की आर्थिक दशा, स्थिति और स्त्री की आवश्यकता-

1 A I R 1924 P C 50—21 A L J 934.

2 I L R 51 All 136—26 A L J 855 F B

3 A L J 1173 P C , 47 All 427 , 53 Bom 444 ; A I R 1932 Pat 80

4 1927 P C 56 , 25 A L J, 319 , I L R 34 All 549 , I L R 12 Lah 428 ;

I L R 2 Luck 288

5 I L R 59 Mad 667

नुसार नियत की जाती है।¹ पति के देहान्त होने पर विधवा, कुल की सम्पत्ति से निर्वाह व्यय मांग सकती है। हिन्दू पत्नी प्रायः निम्नलिखित दशाओं में निर्वाह-व्यय ले सकती है :—

- (१) जब कि पति ने उसके उसकी इच्छा के विरुद्ध छोड़ रक्खा हो।²
- (२) यदि पति ने रखेली स्त्री घर में रखली हो।³
- (३) यदि पति के कुटुम्ब का स्त्री के साथ निष्ठुर व्यवहार हो और उसको अपनी जान का भय हो।⁴

(४) यदि पति को कोई ऐसा रोग हो जो स्त्री को लग जाने का भय हो और जिससे आरोग्य होने की आशा न हो जैसे, कोढ़, उपदंश इत्यादि।⁵

(५) जब कि पति कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेवे।⁶

४—दत्तक पुत्र

हिन्दू धर्म शास्त्र के अनुसार गोद लिये हुए लड़के को हर प्रकार से वह सब अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि जनित या प्राकृतिक लड़के को प्राप्त होते हैं और वह गोद के संस्कार के बाद गोद लेने वाले कुल का सदस्य हो जाता है। नियमानुसार संस्कार होने के पश्चात् दत्तकपुत्र अथवा गोद लेने वाला पुरुष उसको मन्सूख कराने के लिये दावा नहीं कर सकते।⁷

परन्तु जहाँ गोद लेने का संस्कार नियमानुसार न किया गया हो या जब गोद लेना इच्छित न हो,⁸ अथवा गोद लेने वाले या गोद देने वाले की अनुमति धोखे या अनुचित दबाव इत्यादि से ली गयी हो,⁹ या गोद लेने वाले को विधानानुसार गोद लेने की योग्यता न हो,¹⁰ या हिन्दू विधवा स्त्री ने अपने पति की बिना आज्ञा के गोद ली हो,¹¹ या गोद लिया हुआ लड़का गोद लेने के अयोग्य हो।¹² इन सब दशाओं में हकदार पुरुष की ओर से मन्सूखी या इस्तकरार का दावा किया जा सकता है और अर्जीदावे में वही बातें लिखनी चाहिये जिनके आधार पर गोद को खण्डित कराना मन्जूर हो जैसे :—गोद लेने वाला पुरुष अधिकार युक्त

1 A I R 1934 Lah 444 , A I R 1936 Bom 138

2 A I R 1935 Lah 386 = I L R 16 Lah 892 , A I R 1936 Bom 138 ;
I L R 57 Mad 1083

3 I L R 32 Cal 284

4 I L R 34 Cal 971 , I L R 19 Cal 81

5 I L R 45 Mad 812

6 I L R 8 All 78 , 6 All 670

7 I L R 29 All 519 P C , I L R 36 Cal 1922 , 19 Bom 239 , 50 All 828

8 7 I A 250 , I L R 11 Lah 303

9 I L R 35 Bom 161 , 29 Mad 437

10 I L R 40 Mad 607

11 I L R 53 Bom 242

12 I L R 21 All 412 P C , 18 Mad 401 , 35 All 263 , 48 All 302

न था, या गोद देने जेने का संस्कार उचित रूप से नहीं किया गया अथवा गोद लेने वाला या गोद लिए जाने वाला इस योग्य नहीं था इत्यादि।

कोर्ट फीस—निर्वाह-व्यय के दावों में वार्षिक-निर्वाह के दस गुने पर कोर्ट फीस लगता है।^१ संयुक्तप्रान्त में संशोधन के बाद केवल वार्षिक-निर्वाह की रकम पर कोर्ट फीस देना होता है।

पियाद—हिन्दू-स्त्री का निर्वाह पाने के अधिकार का दावा प्रतिवादी के इस्कार से १२ साल के अन्दर किया जा सकता है।^२ बाकी निर्वाह-व्यय या गुजारे का दावा भी १२ साल के अन्दर होना चाहिये। जहाँ २२ किसी इस्कार-नामा या प्रतिज्ञापत्र के अनुसार निर्वाह-व्यय नियत किया गया हो वहाँ पर आर्टिकल ११५ व ११६ लागू होते हैं।^३


नोट:—हिन्दू विधवा को कुल की सम्पत्ति में केवल जीवनभर अधिकार होता है। वह उचित आवश्यकता बिना ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का परिवर्तन नहीं कर सकती। इस पद में दिये हुए नमूने नं० ८ से लेकर १३ तक विधवा के अधिकार के सम्बन्ध में हैं। इस सिलसिले में पद ३१ का नोट देखना चाहिये।

(१) कुटुम्बी सम्पत्ति के बटवारे के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—दोनों पक्षकार एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य हैं और उनकी वशावली यह है—



२ नीचे लिखी हुई सम्पत्ति दोनों पक्षों की संयुक्त पैतृक संपत्ति है और उनके दादा उदयराम, के समय से कुटुम्ब में चली आती है। इस पर दोनों पक्ष संयुक्त रूप से अधिकारी हैं।

३—दोनों पक्षों की किराने की एक दूकान बाज़ार.....शहर..... में उदयराम

1 Sec 7 Cl 2 Court Fees Act

2 129 Limitation Act

3 A 1 3 1937 Pat. 654, 1936 Pat 58,

अनन्तराम के नाम से जारी हैं और उसके भी दोनों पक्ष हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य होने के कारण अधिकारी और मालिक हैं ।

४—वादी का उक्त सम्पत्ति और दूकान के कारबार में एक तिहाई हिस्सा है ।

५—कुछ दिनों से सदस्यों में आपस में भगड़ा और वैमनस्य रहता है और भविष्य में कुल का संयुक्त रहना असम्भव है ।

६—वादी ने प्रतिवादी से बटवारे के लिये कहा और ता०.....के नियमानुसार नोटिस भी दिया परन्तु प्रतिवादी ध्यान नहीं देते ।

७—वाद-कारण—(नोटिस देने के दिन से) ।


८—दावे की मालियत ।

९—वादी प्रार्थी है कि नीचे लिखी हुई सम्पत्ति और दूकान के बराबर २ के तीन कुरे बनवाये जावें और एक कुरे पर वादी को पृथक अधिकार व दखल दिलाया जावे ।

(सम्पत्ति का विवरण)

(२) इसी प्रकार का दूसरा दावा

१—वादी और प्रतिवादी की वशावली यह है—



२—किशोरचन्द और उसके लड़के एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य थे और स्थान जलेसर में किराने का कारोबार किशोरचन्द द्वारकादास के नाम से करते थे । इसके अतिरिक्त उनका लेनदेन का भी काम चालू था और दस्तावेज इत्यादि किशोरचन्द के नाम से लिखे जाते थे ।

३—किशोरचन्द और उनके लड़कों के पास हर प्रकार की चल सम्पत्ति के अतिरिक्त एक मजिला दूकान नम्बरी १ व वाला खाना मय एक मंजिल मकान न० २ पैतृक सम्पत्ति थी ।

४—संयुक्त कुटुम्ब की आमदनी से एक मजिल मकान नम्बरी ३ किशोरचन्द द्वारकादास के नाम से खरीदा गया जिसके खरीदने का समय ४० वर्ष का हुआ और उसी समय से पन्नाकार उस मकान में रहने लगे और किराने का काम व लेनदेन करते रहे ।

५—द्वारकादास का लगभग २० वर्ष हुये और किशोरचन्द का १६ वर्ष हुये देहान्त हुआ पर उस समय परिवार सम्मिलित व अविभक्त था और पन्नाकार दाय-भागी होने की हैसियत से संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति व व्यवसाय पर मिल कर अधिकारी

हुये और फिराने को दूकान भिखारीदास चेतगम के नाम से पुकारी जाने लगी और लेन देन के दस्तावेजों में भी भिखारीदास का नाम लिखा जाने लगा ।

६—व्योपार की सम्मिलित आमदनी से एक मजिल दूकान जायदाद नम्बरी ४ सन् १९३६ ई० में नीलाम में खरीदी गई और सन् १९३५ ई० में दो मजिला दूकाने ६५० रुपया में रहन दखली कराई गई और दोनों पक्ष उस पर सम्मिलित रूप से अधिकारी चले आते हैं ।

७—दोनों पक्षों की जायदाद व कारोबार, चाहे वह किसी नाम से हों दोनों पक्ष की सम्मिलित सम्पत्ति है और दोनों पक्ष उस पर सम्मिलित रूप से काबिज हैं ।


८—हाल में इस प्रकार की बातें उत्पन्न हो गई हैं कि जिन से सम्मिलित कुटुम्ब का रहना असम्भव है । प्रतिवादी से बटवारे के लिये कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देते ।

(३) बटवारे और घोषणा के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—पक्षकारों की वंशावली इस प्रकार है—



२—यह कि कुन्दन लाल व गुल्लामल एक हिन्दू कुल के सदस्य थे और कपडे के क्रय-विक्रय का काम करते थे ।

३—यह कि दोनों ने परिशिष्ट (अ) व (ब) में नीचे लिखी हुई सम्पत्ति संयुक्त आय से कई नामों से खरीदी और उन पर संयुक्त रूप से अधिकारी रहे ।

४—लगभग १५—१६ साल हुए होंगे कि कुन्दनलाल की कुटुम्ब संयुक्त होने की दशा में मृत्यु हुई और शेष सदस्य संयुक्त कारोबार करते रहे ।

५ प्रायः १० साल हुये होंगे कि गुल्लामल और हरचरण व शिवचरण में बटवारा हुआ जिससे पक्की हवेली और एक दूकान हरचरण व शिवचरण के हिस्से में (देखो परिशिष्ट अ) और एक अहाता और एक दूकान (परिशिष्ट ब) गुल्लामल के हिस्से में आई और खाने पहिने का सामान दोनों फरीकैन ने पृथक २ कर लिया ।

६—उस समय से गुल्लामल बजाज़ी का कारोबार अपने हिस्से में आई हुई दूकान

पर करते रहे और प्रतिवादी ने अपनी दूकान में चूनी का काम कर लिया और गुल्लामल किराये के मकान में रहने लगे और एक का दूसरे से कुछ सम्बन्ध नहीं रहा ।

७ - गुल्लामल की १० अक्टूबर सन् १९३० ई० के वादियों को नावालिग छोड़ कर मृत्यु हो गई और प्रतिवादी ने वादियों और उनके माल को निर्बल और असहाय पाकर गुल्लामल की कुल सम्पत्ति पर इस ब्रहाने से अधिकार कर लिया कि उनका और गुल्लामल का नियमानुसार कोई बटवारा नहीं हुआ था ।

८—गुल्लामल और प्रतिवादी में पूर्ण रूप से बटवारा हो चुका है और प्रतिवादी का परिशिष्ट (ब) और (ज) में लिखी हुई सम्पत्ति पर कब्जा, जो कि मृतक गुल्लामल के हिस्से की है, अनुचित है । वादी परिशिष्ट (ब) व (ज) में लिखी हुई जायदाद पर अधिकार पाने के और प्रतिवादी से हिसाब लेने के दावेदार हैं ।

९—वाद-कारण (अनुचित कब्जा कर लेने के दिन से) ।

१०—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को परिशिष्ट (ब) और (ज) में लिखी हुई सम्पत्ति पर प्रतिवादी को वेदखल करके दखल दिलाया जावे और उनको हुकम हो कि गुल्लामल की दूकान का कुल माल और सामान व नकद, गहना इत्यादी वादी के हवाले कर दे और गुल्लामल की मृत्यु के दिन से अब तक का हिसाब वादी को समझा देवे और हिसाब से जितना रुपया निकलता हो उसकी डिग्री वादी के नाम प्रतिवादी के ऊपर की जावे ।

(ब) यदि अदालत के निर्णय से बटवारा होना करार न हो तो परिशिष्ट (अ), (ब) व (ज) में लिखी हुई कुल जायदाद और प्रतिवादी की चल सम्पत्ति के दो कुरे बराबर २ के बनाये जावें और एक कुरे पर वादी को पृथक दखल दिलाया जावे ।

परिशिष्ट (अ)	परिशिष्ट (ब)	परिशिष्ट (ज)
एक मंजिल हवेली	एक मजिल अहाता	सामान कपड़ा व नकद
एक मजिल दूकान	एक मंजिल दूकान	अनाज, बर्तन इत्यादि

(४) कुटुम्ब की आवश्यकता के लिये पिता के परिवर्तन की मंजूरी के लिये नाबिश

१—द्वितीय प्रतिवादी, वादी का पिता है और दोनों सयुक्त मिताक्षर कुल के सदस्य हैं ।

२—एक पक्का मकान स्थित स्थान... वादी और द्वितीय प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है और उसमें वह श्रविभक्त कुल के सदस्य होने के कारण रहन सहन करते हैं ।

३—इस इवेली के अतिरिक्त वादी और द्वितीय प्रतिवादी की पैतृक जमींदारी ... शीघ्र मौज़ा.....परगना... ..में है जिसकी आय कुटुम्ब के व्यय के लिये पर्याप्त होती है और कुछ बच भी रहता है और ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती ।

४—द्वितीय प्रतिवादी ने ता०.... ..को एक आड़ी दस्तावेज़... २० का प्रथम प्रतिवादी के नाम लिख दिया है और उस में इवेली और उस जमींदारी को रहन कर दिया है ।

५—कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये उस दस्तावेज़ पर कोई रुपया नहीं लिया गया और कुटुम्ब की संयुक्त सम्पत्ति द्वितीय प्रतिवादी की ओर से बिना अधिकार और स्वत्व-विरुद्ध आड़ की गई है ।

६—द्वितीय प्रतिवादी नरोत्तम और भ्रष्टाचरी पुरुष है । यदि उसने प्रथम प्रतिवादी से कोई ऋण लिया भी हो तो वह अनुचित और न्याय विरुद्ध कार्य में लगाया गया । वादी या कौटुम्बिक सम्पत्ति उसकी देनदार नहीं है ।

७—उस दस्तावेज़ के बिना विरोध पड़े रहने से वादी को हानि पहुँचने का डर है ।

(५) एक सदस्य के परिवर्तन को खंडित करने के लिये दूसरे सदस्य का दावा

१—वादी और उसका भाई बसराम एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं ।

२—एक मंजिल दूकान स्थित.....दोनों की अविभक्त सम्पत्ति है और दोनों उस पर अविभक्त कुल के सदस्य होने के कारण संयुक्तरूप से अधिकारी थे ।

३—उक्त बसराम ने इस दूकान को बिना किसी उचित कौटुम्बिक आवश्यकता के प्रथम प्रतिवादी के हाथ ता०.....को बैनामा लिख कर बेच दिया और उसको दूकान पर रखन दे दिया ।

४—यह बैनामा कुटुम्ब की उचित आवश्यकता न होते हुये वादी के विरुद्ध अनुचित और प्रभाव हीन है और उसके आधार पर बँ की हुई सम्पत्ति पर प्रथम प्रतिवादी का कब्जा अनुचित और न्याय विरुद्ध है ।

(६) दत्तक पुत्र की, पिता के लिखे दस्तावेज़ की टिप्पणी से बंधन में न आने के इस्तिकरार के लिये नाक़िश

(गिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी द्वितीय प्रतिवादी का गोद लिया हुआ पुत्र है और दोनों एक अविभक्त कुल के सदस्य हैं ।

१ - नीचे लिखी हुई जायदाद वादी और द्वितीय प्रतिवादी की संयुक्त सम्पत्ति है और वादी उस पर अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य होने के कारण द्वितीय प्रतिवादी के साथ संयुक्त अधिकृत चला आता है ।

३ - कुटुम्ब के व्यय से सम्पत्ति की आय कही अधिक है और ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है ।

४ - द्वितीय प्रतिवादी एक आवारा और अपव्ययी पुरुष है । कई मनुष्यों ने उससे इस स्वभाव का अनुचित लाभ उठा कर बिना रुपया दिये हुये ही या बदला का कुछ रुपया देकर कुटुम्बी जायदाद पर आड़ी दस्तावेज अपने २ नाम लिखा लिये हैं ।

५ - इसी प्रकार के एक दस्तावेज की प्रथम प्रतिवादी ने द्वितीय प्रतिवादी पर नालिश करके २० नवम्बर सन् १९... ई० को डिग्री नम्बरी ३४६ प्राप्त कर ली । उसमें वादी को फरीक नहीं बनाया और न इस नालिश की वावत उसके कोई जान होने दिया ।

६ - द्वितीय प्रतिवादी ने प्रथम प्रतिवादी से कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये कोई ऋण नहीं लिया और न वह ऋण कुटुम्ब के किसी खर्चों में आया । जो कुछ ऋण प्रतिवादी नम्बर १ ने दिया वह अनुचित और न्याय विरुद्ध कार्यों के लिये था और वादी और कुटुम्बी सम्पत्ति उसके देनदार नहीं हैं ।

७ - डिग्री नम्बरी ३४६ सन् १९..... ई० में वादी फ़रीक नहीं है और न वह किसी उचित ऋण के वावत दी हुई है । वह वादी पर किसी दशा में पाबन्दी के काबिल नहीं है और न उसकी इजराय में कुटुम्बी जायदाद नीलाम हो सकती है ।

८ - विनायदावी (नीलाम की सूचना के दिन से) ।

९ - दावे की मालियत (कोर्ट फीस वावत इस्तकरार) ।

वादी की प्रार्थना ।

(अ) ऋण के सम्बन्ध में, यानी जिसके विषय में डिग्री नम्बरी ३४६ सन् १९ .. ई० ता०... को अदालत सिविल जजी अलीगढ से सादिर हुई है यह आज्ञा हो कि निम्नलिखित जायदाद वादी व प्रतिवादी नम्बर २ की पैतृक है इसलिये वह उस डिग्री की इजराय में नीलाम होने योग्य नहीं है ।

ब) वाद-व्यय व्याज सहित दिलाया जावे ।

(७) कुटुम्ब के सदस्यों की ओर से अपने हिस्से
वचाने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि वादी व प्रतिवादी नम्बर २ एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं ;

(यहाँ वशावली लिखनी चाहिये)

२—यह कि जिनिग फ़ैक्टरी जो कि खेरीसिंह मोहनलाल के नाम से प्रसिद्ध है उसमें वादी व प्रतिवादी नम्बर २ कुल १६ आ० में (≡) के हिस्सेदार व मालिक हैं और यह फ़ैक्टरी कन्नौ सिक्करा जिला अलीगढ़ में स्थित है ।

३—यह कि फ़ैक्टरी में यह हिस्सेदारी सम्मिलित पूँजी में प्राप्त की गई है प्रतिवादी नं० १ नीचे लिखे शर्तों से (≡) के हिस्से में २ आना ४ पाई का मालिक है ।

४ - प्रतिवादी न० २ ने वादी के ऊपर बिना वादी को फ़र्माकर बनाये हुये एक डिग्री नम्बरी.....अदालत ने ता० .. को अनुचित प्रकार से प्राप्त करली है जिसकी पावन्दी वादी के ऊपर नहीं है ।

५—प्रतिवादी न० १ ने उस डिग्री के इजराय में अर्जा दावा में लिखी हुई नीचे की सम्मिलित व पैतृक सम्पत्ति व फ़ैक्टरी जिसमें वादी का ३ हिस्सा है कुर्क करा लिया है और कुल ऋणी जायदाद का नीलामतायून पर ता० को होने वाला है ।

६—प्रतिवादी न० १ को वादी के हिस्से या हक की कुर्की व नीलाम कराने का कोई अधिकार नहीं है और प्रतिवादी की यह कार्रवाई अनुचित है ।

७—बिनायदावी (३० नवम्बर सन् १९... ई० प्रतिवादी की कार्रवाई का ज्ञान होने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत (१००००) रुपया है और कोर्ट फीस.....रुपया है) ।
वादी प्रार्थी है कि—

(अ) यह घोषणा की जावे कि खेरीसिंह मोहनलाल के नाम की जिनिग फ़ैक्टरी में २ आने ४ पाई का हिस्सा और अन्य जायदाद में जिसकी तफ़सील अर्जादावा के नीचे लिखी हुई है एक तिहाई हिस्सा प्रतिवादी न० १ की डिग्री नम्बरी १९... ई० (व अदालत एडीशिनल सिविल जज अलीगढ़) से कुर्क और नीलाम होने योग्य नहीं है ।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद प्रतिवादी न० १ के ऊपर लगाया जावे ।
(जायदाद का विवरण)

(८) अविभक्त कुल की विधवा को अधिकार न होने की-घोषणा के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी और उसका सगा भाई रामसहाय एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य थे और उनकी जमींदारी इत्यादि कुल संयुक्त थी ।

२—रामसहाय का जून सन् १६—ई० में बिना औलाद छोड़े देहान्त हो गया और कुल जमींदारी और जायदाद पर बचे हुये सयुक्त कुटुम्बी की हैसियत से वादी काबिज और मालिक हुआ और अब भी है ।

३—वादी ने सन्तोष व तसल्ली देने के लिये रामसहाय की विधवा प्रतिवादी का नाम माल के कागजों में आधी जायदाद पर दर्ज करा दिया था वास्तव में उसका कोई कब्जा जायदाद पर न हुआ और न है ।

४—मुसम्मात ... अविभक्त कुल की विधवा की हैसियत से वादी के साथ रहती और खाती पीती रही ।

५—प्रायः दो महीने हुये होंगे कि प्रतिवादी ने जमींदारी के और हिस्सेदारों ने माल की अदालत में बटवारे के लिये दरखास्त पेश की और वहाँ से नोटिस इत्यादि जारी हुये ।

६ - ता०... ..को प्रतिवादी ने माल की अदालत में एक दरखास्त पेश की और उसमें अपने आप को उस हकीयत का जिसमें माल के कागजों पर उसका नाम दर्ज है मालिक और अधिकारी दिखलाया ।

७—वादी के ऐतराज करने पर अदालत माल ने ता०.....को उसको अपने स्वत्व की घोषणा अदालत दीवानी से कराने की आज्ञा हुई ।

८ - बिनायदावा (प्रतिवादी की दरखास्त पेश करने और अदालत माल का हुक्म होने के दिन से) ।

९ - दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि -

अदालत यह इरतकरार करे कि नीचे लिखी हुई जायदाद पर जिस पर माल के कागजों में मिलकियत के खाने में प्रतिवादी का नाम दर्ज है उसका मालिक व अधिकारी वादी है और प्रतिवादी का उसमें कोई हक नहीं है ।

(९) विधवा के खान पान का, जायदाद पर भार करार देने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—वादी के पति शेरसिंह और प्रतिवादी एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य थे ।

२—सयुक्त कुल की सम्पत्ति नीचे लिखी हुई है जिसकी वार्षिक आय प्रायः ६०००) रुपया है ।

३—वादी के पति शेरसिंह का ता०..... को कुल अविभक्त होते हुए देहान्त हुआ और प्रतिवादी अविभक्त कुल के जीवित सदस्य होने के कारण मालिक और अधिकृत है

४--वादी खान पान का खर्चा कुटुम्बी जायदाद मे पाने की, जो कि प्रतिवादी के कब्जा मे है. अधिकारी है। यह खर्चा वादी जायदाद की आमदनी और अपने पति के हिस्से के हिसाब से ६०) रुपया माहवारी उचित समझती है।

५--प्रतिवादी के ऊपर खान पान का खर्चा ता०.....से अब तक, जो उन्होंने अदा नहीं किया, वाकी है।

६ - विनाय दावा—

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि -

(अ) अदालत से हुक्म हो कि नीचे लिखी जायदाद पर वादी का ६०) रुपया माहवारी का, या जितना रुपया अदालत उचित समझे, भार है।

(ब)रुपया खान पान का ता०.....से लेकर आज तक का वादी को उस जायदाद को कुर्क व नीलाम कराकर दिलाया जावे।

(१०) विधवा के कुटुम्बी घर में रहने के अधिकार के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है —

१—रामचन्द्र व हरदेवदास सगे भाई और एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य थे और एक पक्की हवेली स्थित मुहल्ला... उनकी पैतृक सम्पति थी जिसमे वह रहा करते थे (या जो कुल का निवासस्थान था)।

२—पहिले वादी के पति रामचन्द्र की मृत्यु हुई उसके बाद हरदेव दास का देहान्त हुआ। हरदेव दास की स्त्री उन्ही के सामने मर चुकी थी।

३—रामचन्द्र या हरदेव दास के कोई सन्तान नहीं है, प्रतिवादी नम्बर १ उनका चचेरा भाई है और पश्चात दायभागी की हैसियत से मालिक है।

४—वादी अधिकारिणी होने के कारण (इसतहकाकन) उस मकान मे रहती थी और प्रतिवादी ने इस अधिकार को तोडने के लिये उस मकान का दखली रहननामा प्रतिवादी नम्बर २ के नाम लिख दिया है।

५ - प्रतिवादी नम्बर २ वादी के रहने के अधिकार मे बाधा डालता है।

६—प्रतिवादी की अनुचित कार्यवाही से वादी के हवेली मे रहने के हक मे विघ्न पड़ता है।

७—विनाय दावा —

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

- (अ) यह इस्तक़रार किया जावे कि ऊपर लिखे हुये मकान में वादी को रहायशी हक हासिल है ।
- (ब) प्रतिवादी के नाम स्थायी निषेध आशा दी जावे कि वह वादी के रहन सहन में विघ्न न डाले ।

(११) विधवा से जायदाद पाने वाले पर, दखल इत्यादि के लिये दावा


१—एक मनुष्य जुगलकिशोर, एक मकान स्थित मुहल्ला लखपती शहर हाथरस का मालिक और अधिकारी था ।

२—जुगल किशोर का लड़का केदरमल उसी के सामने मर चुका था । श्रीमती पार्वती प्रतिवादी, केदरमल की विधवा है ।

३—प्रायः १३ साल हुये होंगे कि जुगलकिशोर की पुत्रहीन मृत्यु हुई और उनकी विधवा श्रीमती जमुना जीवन भर दायभागी की हैसियत से उस मकान पर अधिकारी हुई और श्रीमती पार्वती, जिसको सिर्फ मकान में रहने का अधिकार था, श्रीमती जमुना के साथ उस मकान में रहती रही ।

४—कुछ वर्ष हुये होंगे कि श्रीमती जमुना कहीं चली गई और लापते रही । अब पता लगा है कि उसकी मृत्यु हो गई है ।

५—वादी और मृतक जुगलकिशोर का सम्बन्ध यह है :—



६—वादी मृतक जुगल किशोर का पश्चान दायभागी है और श्रीमती पार्वती की मृत्यु होने पर इस मकान का मालिक होगा ।

७ प्रतिवादी श्रीमती पार्वती ने, यह मकान बिना किसी अधिकार के और भूँटे

व्यान से ता० २२ अगस्त सन् १९..... ई० को व्रैनामा लिख कर प्रतिवादी नम्बर २ के हाथ बेच दिया और प्रतिवादी न० ० ने प्रतिवादी नम्बर १ के साथ ता० १० दिसम्बर सन् १९ ई० को इसी मकान को व्रैनामा लिख कर बेच दिया ।

८— प्रायः तीन महीने से, १० दिसम्बर सन् १९ ई० के विक्री पत्र के अनुसार प्रतिवादी नम्बर १ ने कब्जा करना शुरू किया है और लगभग १००) रुपया का सामान वहाँ से हटा कर अपने काम में ले लिया है ।

९—२२ अगस्त सन् १९.....ई० और १० दिसम्बर सन् १९.....ई० के व्रैनामा में प्रतिवादी नम्बर १ को मकान पर अधिकार करने और उसका सामान अपने काम में लाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ और उसकी यह कार्रवाई अनुचित है ।

१०—वादी उस मकान पर दखल पाने और प्रतिवादी नम्बर १ के लिये हुए सामान की कीमत पाने का हकदार है ।

३१—पश्चात् दायभागी और हिन्दू विधवा या अन्य जीवन दायभागी

हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार कुटुम्ब की विधवा स्त्री अचल सम्पत्ति पर अपने जीवन भर अधिकारिणी होती है और उसकी मृत्यु के बाद कुटुम्बी सम्पत्ति उसके दायभागियों को न मिलकर सम्पत्ति के पिछले पूर्ण स्वामी के दायभागियों को मिलती है । प्रायः विधवा, पुत्री या मां, कुटुम्ब में किसी पुरुष के न होने पर कुटुम्बी सम्पत्ति की अधिकारिणी होती हैं । उनको अपने जीवन में ऐसी सम्पत्ति की आमदनी को खर्च करने का अधिकार होता है और यदि किसी पूर्वज का ऋण अदा करना हो या कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये वह कुटुम्बी सम्पत्ति का या उसके किसी भाग का परिवर्तन कर सकती है, परन्तु वह अपने ज्ञाती खर्च के लिये उसके ऊपर कोई अनुचित भार नहीं डाल सकती और न ऐसी सम्पत्ति को बरबाद कर सकती है ।

यदि जीवन दायभागी स्त्री अपने अधिकार विरुद्ध जायदाद को इन्तकाल करे तो पश्चात् दायभागी अपने हक के इस्तक़रार को दावा कर सकते हैं कि विधवा की मृत्यु के बाद उस इन्तकाल की पाबन्दी उनके ऊपर न होगी । ऐसे दावे का फायदा विधवा की मृत्यु के समय जो नज़दीकी पश्चात् दायभागी हो वह रठा सकता है । यह दावा करीबी जीवित पश्चात् दायभागी की तरफ से दायर होना चाहिये, परन्तु यदि करीबी दायभागी विधवा से मेल में हो तो उससे नीची

श्रेणी वाला दायभागी दावा दायर कर सकता है।^१ पश्चात् दायभागी विधवा के जायदाद नष्ट करने पर उसको रोकने के लिये और जायदाद का रिखीवर नियत कराने के लिये दावा दायर करा सकता है।

विधवा के जायदाद बेचने या अन्य प्रकार से परिवर्तन करने पर पश्चात् दायभागी उसको नाजायज़ करार देने के लिये दावा कर सकता है। अर्जीदावा में नम्बर (१) वादी का प्रथम पश्चात् दायभागी होना (२) यह कि परिवर्तन कर्ता अपने जीवन भर ही के लिये जायदाद की मालिक थी और (३) यह कि बिना उचित आवश्यकता के परिवर्तन किया गया, लिखना चाहिये। ऐसे दावे कुल पश्चात् दायभागियों की ओर से समझे जाते हैं और उनमें वादी की प्रार्थना विधवा के परिवर्तन को कुल पश्चात् दायभागियों के विरुद्ध नाजायज़ और वे असर करार देने के लिये होनी चाहिये।

पश्चात् दाय भागी के दखल के दावे में, दखल विधवा की मृत्यु के बाद ही दिलाया जा सकता है। क्योंकि नाजायज़ इन्तकाल भी विधवा के हीन-हयाती-हक का परिवर्तन कर सकता है।^२ ऐसे दावों में उपर लिखी बातों के अतिरिक्त यह भी लिखना चाहिये कि विधवा की मृत्यु हो चुकी है और वादी दखल पाने का अधिकारी है। यदि विधवा के इन्तकाल की प्रार्थना न भी हो तब भी पश्चात् दायभागी जायदाद पर कब्ज़ा पा सकता है क्योंकि उसके हक पर विधवा के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।^३ इन दावों में वासलात विधवा के परिवर्तन को नामंजूर करने की तारीख से या नोटिस की तारीख से मांगे जा सकते हैं।^४

दत्तक पुत्र को भी हिन्दू धर्म शास्त्र से वही सब अधिकार प्राप्त हैं जो कि जनित पुत्र को हैं क्योंकि वह गोद लेने के पश्चात् कुटुम्ब का सदस्य हो जाता है इसलिये दत्तक पुत्र भी ऐसा दावा कर सकता है।^५

कोर्ट फीस—विधवा की मृत्यु के बाद पश्चात् दायभागी के दखल के दावे पर कोर्ट फीस दफा 6 (B) कानून कोर्ट फीस के अनुसार लगाना चाहिये।^६ यदि परिवर्तन गृहीता ने विधवा से ज़मीन खरीद कर उस पर इमारत बनवा ली हो तब भी वादी सिर्फ ज़मीन की मालियत पर ही कोर्ट फीस दे सकता है।^७

मियाद—दखल का दावा विधवा या अन्य जीवन अधिकारी की मृत्यु के १२ साल के अन्दर दायर किया जा सकता है।^८ परन्तु यदि चल सम्पत्ति के लिये

1 8 I A 14 P C, I L R 49 All 815, A I R 1931 Mad 699 F B, 24 A L J 1 P C

2 I L R 49 All 334, I L R 39 Mad 1035

3 A I R 1924 P C 56

4 34 I A 87, 1927 Nag 305

5 I L R 41 Mad 75 F B, I L R 33 Bom 88

6 I L R 2 Pat 125 F B

7 A I R 1928 Lab 852

8 Art 141, Limitation Act, I L R 23 Cal. 460; 19 All 357

दावा हो तो जीवन अधिकारी की मृत्यु के ६ साल के अन्दर ।¹ यदि दत्तक पुत्र की ओर से दावा हो तो गोद लेने के १२ साल के अन्दर ।² इस्तरकरार के दावे के लिये Article 125 लागू होता है और मियाद १२ साल की होती है परन्तु यदि दावा प्रथम पश्चात् दायभागी के पजाय अन्य पश्चात् दायभागी की तरफ से हो तो कुछ हाईकोर्टों की राय से मियाद केवल ६ साल होती है ।³

(१) हिन्दू विधवा के जीवित रहते हुए, उसके लिखे हुए वैनामे को, उसकी मृत्यु के बाद वेअसर करार देने के लिये पश्चात् दायभागी का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—नीचे लिखी हुई जायदाद, और अन्य बहुत सी जायदाद का एक मनुष्य पूरनमल मालिक था ।

२—उक्त पूरनमल का सन्में पुत्रहीन देहान्त हो गया और उसकी सम्पत्ति पर उसकी विधवा रामदुलारी अधिकारी हुई ।

३—पूरनमल की मृत्यु के समय उसके ऊपर कोई ऋण नहीं था । उसकी सम्पत्ति की आमदनी उसकी विधवा रामदुलारी के माभूली खर्च इत्यादि से कहीं अधिक है ।

४—रामदुलारी ने बिना किसी उचित आवश्यकता के नीचे लिखी हुई जायदाद का वैनामा प्रथम प्रतिवादी के नाम ता०.....को करके उस जायदाद पर उसको काबिज करा दिया और दखल दे दिया ।

५—वादी मृतक पूरनमल का नीचे लिखी वशावली के अनुसार पश्चात् दाय भागी है ।

(यहाँ पर शजरा देना चाहिये)

६ - यह वैनामा पूरनमल के पश्चात् दायभागियों की पावन्दी के योग्य नहीं है और उसके बिना मन्दूख पड़े रहने पर भविष्य में हानि पहुँचने और सान्नी व प्रमाण न मिलने का भय है ।

७—दावे का कारण (वैनामा लिखे जाने के दिन से उत्पन्न हुआ) ।

८—दावे की मालियत (परन्तु नियत कोर्ट फीस इस्तरकरार के लिये लगेगा) ।

1 Art 220, Limitation Act, 4 A L J 39 P C

2 42 I C 245 F B

3 1 L R 22 All 33 P C; 32 Cal 62, 1 Lah 69, A I R 1924 Oudh 281,

Contra I L R 29 Mad 390 F B. 41 Mad 659 F B

वादी की प्रार्थना है कि—

(अ) अदालत से यह घोषणा की जावे कि प्रतिवादिनी रामदुलारी का ता० का लिखा हुआ प्रथम प्रतिवादी के नाम त्रैनामा उक्त रामदुलारी की मृत्यु के बाद मृतक पूरनमल के पश्चात दायभागी, वादी के विरुद्ध खण्डित और वेअसर है ।

(२) विधवा के जीवित होते हुए उसके लिखे हुए
दान पत्र को खंडित कराने के लिये पश्चात्
दायभागी का दावा

१—वादी के पिता मोहनलाल के ठाकुरदास व टीकाराम दो सगे भाई थे । टीकाराम की सन्तान हीन मृत्यु हो गई और ठाकुरदास के दो लड़के हीरालाल व मूलचन्द और उनकी स्त्री मुसम्मात विलासू थी ।

२—प्रतिवादी न० १ हीरालाल की और प्रतिवादी न० २ मूलचन्द की विधवा है और प्रतिवादी नं० ६ मु० विलासी ठाकुरदास की विधवा है ।

३ - उक्त ठाकुरदास नीचे लिखी हुई जायदाद के मालिक थे ।

४ - १२ मार्च सन् १६ . ई० को ठाकुरदास ने मुसम्मात विलासू और अपने दोनों पुत्र हीरालाल और मूलचन्द के नाम एक दान पत्र इस तरह लिखा कि दान की हुई जायदाद की मालिक और अधिकारी अपने जीवन भर मुसम्मात विलासी रहेगी और उसकी मृत्यु के बाद हीरालाल और मूलचन्द उस जायदाद के मालिक होंगे ।

५—मूलचन्द की मई सन् १६३३ ई० में, मुसम्मात विलासू के जीवित होते हुये मृत्यु हुई । उसके पश्चात मुसम्मात विलासू और हीरालाल ने उस जायदाद का द्विना नामा (दानपत्र) १४ जनवरी सन् १६ई० को प्रतिवादी न० १ व २ के नाम लिख दिया और उसके बाद हीरालाल का भी देहान्त हो गया ।

६—इस द्विनानामे के लिखे जाने के समय हीरालाल को उस जायदाद में कोई हक हासिल नहीं हुआ था और मुसम्मात विलासू जीवन भर की दायभागी के कारण ऐसा दानपत्र लिखने का अधिकार नहीं रखती थी जो उसकी मृत्यु के बाद स्थिर रह सके ।


७—वादी मृतक ठाकुरदास का पश्चात दायभागी है और इस दान पत्र से उसको हानि होने का डर है ।

(३) विधवा के जीवित होते हुये उसने लिखे हुये दखली
रहन को मन्सूख और बेअमर करार दिये जाने के
लिये पश्चात दायभागी का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी और द्वितीय प्रतिवादी का सम्बन्ध नीचे लिखी शाखावली से प्रगट होगा।



२—द्वितीय प्रतिवादी मु० जमुना कुँवरि का पति हरसरन बहुत सी जायदाद, जमींदारी व मकान इत्यादि का मालिक व अधिकारी था जिसकी वार्षिक आमदनी प्रायः ३०००) रुपया है।

३—उक्त हरसरन का बिना औलाद जून सन् १६.....ई० मे देहान्त हो गया और कुल मृत सम्पति पर उसकी विधवा जमुना कुँवरि काबिज व अधिकारी हुई।

४—मु० जमुना कुवर ने इस जायदाद में से नीचे लिखी हुई जमादारी का दखली रहन १०,०००) रुपया में प्रथम प्रतिवादी के नाम लिख कर उसको जायदाद पर दखल दे दिया है।

५—यह रहननामा बिना किसी उचित आवश्यकता के किया गया है। जो आवश्यकता उसमे लिखी हुई है वह दिखावटी और भूठी हैं यथार्थ में हरसरन के सामने का कोई कर्जा नहीं था और न कोई आवश्यकता मु० जमुना कुँवरि को जायदाद रहन करने की थी।

६—वादी ऊपर लिखी वशावली के अनुसार मृतक हरसरन का पश्चात दायभागी है। यह रहननामा बिना मन्सूख पड़े रहने से पश्चात दायभागियों को हानि पहुँचने और सद्दी व प्रमाण नष्ट हो जाने का भय है।

७—बिनाय दावा—(रहननामा लिखे जाने के दिन से)।

८—दावे की मालियत—(मालियत १०,०००) रुपया होगी परन्तु इस्तकरार के लिये नियत कोर्टफीस जावेगा)।

वादी प्रार्थी है कि—

- (अ) इस बात का इस्तकरार किया जावे कि द्वितीय प्रतिवादी जमुना कुंवरि का लिखा हुआ ता०.....का रहननामा उक्त जमुना कुंवरि के देहान्त के बाद मृतक हरसरन के पश्चात दायभागी वादी के विरुद्ध खडित और वेअसर है ।
- (ब) यदि अदालत के निर्णय से रहननामे के रुपये का कोई हिस्सा उचित और वादी से दिलाने योग्य समझा जावे तो उस रुपये के अदा करने पर रहननामा खडित और वेअसर करार दिया जावे ।

(जायदाद का विवरण)

(४) विधवा के, विना उचित आवश्यकता के लिखे हुए दस्तावेज की मन्सूखी के लिये पश्चात दायभागी का दावा

१—द्वितीय प्रतिवादी मु० रामकुंवर नीचे लिखी जायदाद की अपने जीवन भर के लिये वारिस थी ।

२—इस जायदाद का असली मालिक, मु० रामकुंवर का पति रामनारायण था और उसके देहान्त के बाद प्रतिवादी को नीचे लिखी जायदाद और उसके अतिरिक्त और भी सम्पत्ति दायभागी होने के कारण जीवन भर के लिये मिली और उसी समय से जिसको लगभग १५ वर्ष हुये होंगे, उक्त प्रतिवादी उस पर अधिकारी है ।

३—द्वितीय प्रतिवादी ने इस जायदाद को बिना किसी उचित आवश्यकता के ता० .. के... . ६० में प्रथम प्रतिवादी के पास दस्तावेज लिख कर आड़ कर दिया है ।

४—जो आवश्यकता इस दस्तावेज में लिखी गई है वह भूँठी और दिखावटी है असलियत में रामनारायण पर कोई कर्ज नहीं था और न कोई आवश्यकता मु० रामकुंवर को कर्जा लेने और जायदाद आड़ करने की थी ।

५—प्रथम प्रतिवादी मु० रामकुंवर के सगे भाई का लड़का है और दोनों प्रतिवादियों ने मिल कर मृतक रामनारायण के पश्चात दायभागियों को हानि पहुँचाने के लिये यह धोखा किया है (यहाँ पर पूरा विवरण लिखना चाहिये) ।

६ - वादी मृतक रामनारायण का पश्चात दायभागी है जैसा कि नीचे लिखी वंशावली से प्रत्यक्ष होगा ।

(यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये)

७ - ता०.....का लिखा हुआ आड़ का दस्तावेज वादी के विरुद्ध नाजायज़ और वेअसर है और वादी इस बात का इस्तकरार कराने का हकदार है ।

(५) विधवा के लिये हुये पट्टे के उसकी मृत्यु के बाद
वे पसर करार दिये जाने और निपेय भाजा
निकलवाने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—द्वितीय प्रतिवादी श्रीमती लाड़ो एक मनुष्य हरचरण लाल की लड़की है। उक्त हरचरण लाल वादी का कुटुम्बी भाई (या जो सम्बन्ध हो) नीचे लिखी वशावली के अनुसार था।

(यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये)

२—लगभग... साल हुये होंगे कि हरचरण लाल की पुत्रहीन मृत्यु हुई और श्रीमती लाड़ो जीवन दायभागी की हैसियत से मृत सम्पत्ति की अधिकारी चली आती है।

३—श्रीमती लाड़ो के कोई औलाद नहीं है और उसके देहान्त के बाद वादी और उसका पुत्र... हरचरण लाल के दायभागी हैं।

४—मुसम्मात लाड़ो एक अनपढ़ और वृद्ध स्त्री है और प्रथम प्रतिवादी रामस्वरूप, जो उसके पति का भतीजा है और उसका कारोबार करता है, के कहने और काबू में है।

५—रामस्वरूप ने मृतक हरचरण लाल की नीचे लिखी हुई सम्पत्ति का ३० साल का पट्टा ६० सालाना लगान पर ता० ..के अग्ने नाम लिखा लिया है और उसके आधार पर उस जायदाद पर काबिज है

६—उस हकीयत की साधारण आय रुपया वार्षिक है और पट्टे में कम और अनुचित लगान बहुत दिनों के लिये होने के अतिरिक्त पट्टेदार के पेड़ काटने और नजराना देकर रिआया आवाद करने का भी अधिकार दिया गया है।

७ यह कुल कार्रवाई दोनों प्रतिवादियों ने पश्चात दायभागी वादी और जायदाद को हानि पहुँचाने के लिये की है।

८—प्रतिवादी रामस्वरूप ने पट्टे के अनुसार ...नग शोशम और नीम के पेड़ जिनका मूल्य १२००) रुपया के लगभग होगा उस जायदाद से काटकर अपने काम में लगा लिये हैं और उनके अतिरिक्त और पेड़ काटने का विचार करता है।

९—प्रतिवादी की यह कार्रवाई नाजायज और वादी के स्वत्व के विरुद्ध है और पट्टा बिना आक्षेप पड़े रहने से जायदाद के नष्ट होने और पश्चात दायभागी वादी को हानि पहुँचने का भय है।

१०—विनाय दावा (पट्टा लिखने के दिन से और पेड़ काटने के दिन से) ।

११—दावे की मानियत—(परन्तु कोर्टफीस पृथक पृथक दिया जावेगा ; हुक्म इमतनाई.....रु०; हरजाना पर... रु० इस्तकरार .. रु०, कुल रु०) ।
वादी प्रार्थी है कि—

(अ) यह हुक्म दिया जावे कि द्वितीय प्रतिवादी का प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम ता० का लिखा हुआ पट्टा, मु० लाडो की मृत्यु के पश्चात वादी के विरुद्ध वेअसर है ।

(ब) प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम निषेध आजा जारी की जावे कि वह उस हक्रीयत जमींदारी के पेड़ न काटे और न कोई ऐसा काम करे कि जिससे उसकी मालियत को हानि पहुँचने का भय हो ।

(क) १२००) रु० या जिनना मतालवा, अदालत उचित समझे रामस्वरूप प्रतिवादी से जमा कराये जाने की आज्ञा दी जावे ।

(ख) नालिश का खर्च ब्याज सहित दिलाया जावे ।

(६) विधवा के जीवित होते हुये, पुत्र उचित रूा से गोद न
किये जाने के इस्तकरार के किये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी न० १, मुसम्मात चैन कुँवर, अपने पति रामलाल की मृत सम्पति पर उसके देहान्त होने के समय से जिसको प्रायः ३० साल हुये होंगे, जीवन भर दायभागी की हैसियत से अधिकारी है ।

२ - वादी नीचे लिखे शजरे के अनुसार उक्त रामलाल का पश्चात दायभागी है ।

(यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये)

३ - मुसम्मात चैन कुँवर की इच्छा यह है कि उसकी मृत्यु पर वादी को जायदाद न मिले इसलिये उसने अपनी बहिन का लड़का प्रतिवादी न० २ अपने पास रख लिया है और प्रकाशित करता है कि उसने प्रतिवादी न० २ को अपने पति की आज्ञानुसार गोद ले लिया है और वह शान्दानुसार रामलाल का दत्तक पुत्र है ।

४ इस बात को पुष्ट करने के लिये उसने मार्च १९३६ ई० में गोद लेने की रसम भी की और कुल विरादरी में उसका गोद लेना सूचित किया ।

५ उक्त रामलाल का एक रेल की दुर्घटना में जब कि वह प्रायः ३० साल के थे देहान्त हो गया । उन्होने कोई आज्ञा मु० चैन कुँवर को पुत्र गोद लेने के लिये नहीं दी । प्रतिवादी न० २ के गोद लिये जाने की रसम होने और उसके प्रकाशित किये जाने से वादी

को भविष्य में हानि होने का भय है और उसके पश्चात् दायभागी होने पर इसका अनुचित प्रभाव पडता है ।

६—विनाय दावा (मार्च १९३६ अर्थात् गोद लिया जाना प्रकाशित होने के दिन से) ।

७—दावे की मालियत -

वादी प्रार्थी है कि—

इस बात का इस्तक़रार किया जावे कि प्रतिवादां न० १ को उसके पति रामलाल ने कोई आजा पुत्र गोद लेने की नहीं दी थी और यह कि प्रतिवादी न० २ मृतक गमलाल का गोद लिया हुआ पुत्र नहीं है ।

(७) गोद लिये हुए लड़के की ओर से विधवा के विरुद्ध उचित गोद लिये जाने के इस्तक़रार के लिये

१ वादी, मृतक मोहनलाल का दत्तक पुत्र है ।

२ उक्त मोहनलाल ने अपनी मृत्यु से पहिले प्रतिवादिनी को ता०..... को आजापुत्र से (या वसीयतनामे से, अथवा जवानी) गोद लेने की आजा दी कि वह उसके पुत्र हीन मर जाने पर किसी विरादरी के लड़के को उसका दत्तक पुत्र कर लेवे ।

३—प्रतिवादी ने इस आज्ञानुसार जून १९ई० मे वादी को जब कि वह प्रायः ५ वर्ष की आयु का था उचित संस्कार के पश्चात् दत्तक पुत्र बनाया और गोद लिया ।

४—गोद लेने के समय से वादी प्रतिवादिनी के पास सम्मिलित रूप से मोहनलाल के दत्तक पुत्र की हैसियत से रहता है और मोहनलाल की कुल जायदाद पर इसी हैसियत से अधिकारी और काबिज़ है ।

५—कुछ समय से प्रतिवादिनी को उसके कुटुम्बियों ने भड़का दिया है और वह वादी के जायदाद के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करती है और वादी के गोद लिये जाने को अस्वीकार करके अपने आप को उस कुल जायदाद का मालिक प्रकाशित करती है ।


६—प्रतिवादी के इस कार्य से वादी को भविष्य मे हानि पहुँचने का भय है ।

(८) विधवा को, जायदाद नष्ट करने से रोकने और रिसीवर नियत किये जाने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—कुंवर उमरावसिंह वादी के कुटुम्बी चचा थे जैसा कि निम्नलिखित वंशावली से प्रत्यक्ष होगा —



२—कुंवर उमरावसिंह की जमींदारी व हफ्तीयत कई मौजों में थी जिसकी आमदनी, मालगुजारी व स्वर्च इत्यादि काटकर प्रायः १२०००) रुपया सालाना थी ।

३ जमींदारी के अतिरिक्त उनका बहुत से मनुष्यों पर कर्जा चाहिये था जो लगभग १०,०००) रु० के था जिसका सूद सालाना ६०००) रु० वसूल होता था और उनके पास जेवर व नकद रुपया और सवारी इत्यादि भी थी और रहने का मकान व नोहरा बहुत मूल्य का था ।

४ - उक्त उमरावसिंह की ता० ८ फरवरी सन् १९.....ई० को मृत्यु हुई और हर प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति पर उनकी विधवा प्रतिवादी श्रीमती निहाल कुंवर दायभागी की हेसियत से जीवन भर के लिये अधिकारी हुई ।

५—श्रीमती निहाल कुंवर ने कु० उमरावसिंह का तीसरा विवाह जिस समय कुंवर उमरावसिंह की अवस्था ५० साल की थी हुआ था । चूँकि उक्त मुसम्मात की अवस्था कम थी इस लिये कुंवर उमरावसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसका चाल चलन खराब हो गया और वह कुछ बदचलन मनुष्यों के जाल में पड़कर उन्हीं के कहने व कब्जे में है ।

६—उक्त निहाल कुंवर ने तीन वर्ष के समय में कुल नकद रुपया व जेवरात को नष्ट कर दिया और उसके अतिरिक्त कर्जों में से भी आवे से अधिक हिस्सा वसूल करके फिजूल खर्च कर डाला और रियासत की आमदनी भी खर्च कर डाली ।

७—वादी को इस बात का पता लगा है कि उक्त मुसम्मात कुचाली मनुष्यों के ब्रह्मकाने से कुछ जायदाद को मुन्तकिल करने का प्रवन्ध कर रही है और उसके सम्बन्ध में कुछ मनुष्यों ने बात चीत भी की है ।

८—मुद्दई, कुंवर उमरावसिंह की मृत सम्पत्ति का पश्चात् दायभागी है और मुसम्मात निहाल कुंवर के कुचलन से भविष्य में उसको हानि पहुँचने का डर है ।

९—बिनायदावा—

१०—दावे की मालियत—

सुद्धि प्रार्थी है कि—


(अ) कुवर उमरावसिंह की कुल मृत सम्पत्ति का रिमीवर नियत किया जावे और रियामत का कुल प्रबन्ध उसके सुपुर्द किया जावे और वह मुग्ग्मात निहाल कुवर को जायदाद की आमदनी, रियामत का खर्चा निकालने के बाद, अदा करता रहे ।

(९) विधवा की मृत्यु पर, अन्य पुरुष से जायदाद का दखल पाने के लिए

(सिरनामा)

१—वादी नं० १ और मृतक बालकिशुन का सम्बन्ध नीचे लिखी वंशावली से सूचित होगा ।

राजाराम



(अ—ब , वादी नं० १

२—उक्त बालकिशुन निम्नलिखित सूची (अ) में अंकित सम्पत्ति का मालिक था ।

३—बालकिशुन का सन् १९३४ ई० में देहान्त हो गया और उसकी पुत्री श्रीमती जयदेवी जीवन भर के दायभागी होने के कारण सम्पत्ति की मालिक व अधिकारी हुई ।

४ - श्रीमती जयदेवी एक अनपढ़ स्त्री थी । प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी लाला शिवमुखराय ने उसको अपनी चाल पट्टी में लाकर इस सम्पत्ति का बैनामा ता० नवम्बर सन् १९.....ई० को अपने नाम करा लिया और अब प्रतिवादी मृतक शिवमुखराय का दायभागी होने के कारण उस पर अधिकारी है ।

५—श्रीमती जयदेवी का १९ जुलाई सन् १९४२ ई० को देहान्त हो गया वादी नं० १ मृतक बालकिशुन का पश्चात दायभागी होने के कारण इस सम्पत्ति का मालिक और दखल पाने का अधिकारी है ।

६—श्रीमती जयदेवी को सम्पत्ति की बिक्री करने की कोई उचित आवश्यकता नहीं थी । उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी का उस जायदाद पर कब्जा बिना किसी अधिकार के है और वह वेदखल होने और पिछले तीन साल के वासलात अदा करने का देनदार है ।

७—वादी एक निर्धन आदमी है और मुकदमे में खर्चा नहीं कर सकता उसने सम्पत्ति और वासलात का आधा हिस्सा वादी नं० २ के हाथ बेच दिया है, और नालिश दोनों की तरफ से की जाती है ।

(१०) इसी प्रकार का दूसरा दावा जबकि जायदाद पर
काबिज़ मनुष्य अपने आप को दत्तक पुत्र बतलावे

१—नीचे लिखी हुई जायदाद का मालिक व अधिकारी एक पुरुष देवकर्ण था ।

२—देवकर्ण व वादी का सम्बन्ध नीचे लिखी वंशावली से ज्ञात होगा ।

(यहाँ पर वंशावली लिखनी चाहिये)

३—उक्त देवकर्ण का ता०.....को पुत्र हीन देहान्त हो गया । उसकी स्त्री पहिले ही मर चुकी थी ।

४—ऊपर लिखी वंशावली के अनुसार वादी देवकर्ण की मृत सम्पत्ति का मालिक और उसका दायभागी है ।

५—प्रतिवादी अपने आपको मृतक देवकर्ण का दत्तक पुत्र प्रकाशित करता है और उसने देवकर्ण की सम्पत्ति पर अन्याययुक्त अधिकार कर लिया है ।

६—देवकर्ण ने प्रतिवादी को गोद नहीं लिया और न कोई गोद लेने का संस्कार किया गया ।

७—प्रतिवादी देवकर्ण की बहन का लड़का है उसका गोद लिया जाना शास्त्र विरुद्ध और अनुचित है ।

८—प्रतिवादी ने देवकर्ण की सम्पत्ति पर बल पूर्वक अधिकार कर लिया है । वादी उस पर दखल पाने और देवकर्ण की मृत्यु के दिन से उसका मुनाफा पाने का दावेदार है ।

(११) विधवा के दिये हुए सर्वकालिक दायामी पट्टेदार
के विरुद्ध दखल के लिये

१—नीचे लिखी हुई जायदाद पर, उसके असली मालिक रामलाल की मृत्यु के बाद उसकी विधवा श्रीमती रामप्यारी जीवन भर की दायभागी होने के कारण, अधिकारिणी हुई ।

२—श्रीमती रामप्यारी ने ता०.....को प्रतिवादी के नाम इस जायदाद का एक सर्व कालिक पट्टारुपया वार्षिक लगान पर लिख दिया और उसी दिन से जायदाद पर प्रतिवादी का अधिकार करा दिया ।

३—श्रीमती रामप्यारी का ता०.....को देहान्त हो गया और वादी, रामलाल का सगा भतीजा और उसका दायभागी होने के कारण उसकी कुल सम्पत्ति का स्वामी हुआ ।

४—यह पट्टा श्रीमती रामप्यारी ने अपने अधिकार विरुद्ध, बिना किसी उचित आवश्यकता के, बहुत कम लगान पर प्रतिवादी को दे दिया था । वह पश्चात् दायभागी, वादी के विरुद्ध खडित और वे असर है ।

५—वादी जायदाद पर दखल पाने और श्रीमती रामप्यारी की मृत्यु से..... रुपया वार्षिक लगान के हिसाब से जो कि उसका उचित लगान है . ..रुपया हर्जा मय सूद १) ६० सै० मा० पाने का अधिकारी है ।

(१२) दखल के लिये पुत्री का विभक्त कुल के सदस्यों पर दावा

१—वादी श्रीमती.....का पिता त्रिवेनीसहाय विभक्त कुल होने के कारण नीचे लिखी हुई सम्पत्ति का अकेला मालिक और अधिकारी था । कुटुम्बी पुरुष उससे पृथक रहते थे और उनका इस सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध न था ।

२—त्रिवेनी सहाय का पृथक होने की दशा में मई सन् १९२८ ई० में बिना कोई पुत्र छोड़े देहान्त हुआ । उनकी स्त्री की उन्ही के सामने मृत्यु हो चुकी थी । अकेली वादी उनकी पुत्री होने के कारण मृत सम्पत्ति की मालिक है ।

३—वादी अपनी ससुराल स्थानमें थी । प्रतिवादी ने जो मृतक त्रिवेनी सहाय के कुटुम्बी हैं वादी की अनुपस्थिति में कुल सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया ।

४—प्रतिवादी अपने आपको एक अविभक्त कुल के जीवित सदस्य होने के कारण उस सम्पत्ति का स्वामी प्रगट करते हैं और वादी के स्वत्व को अस्वीकार करते हैं ।


५—वादी मृतक की दायभागी होने के कारण उस जायदाद पर दखल पाने की हकदार है ।

(१३) हिन्दू विधवा का दखल और पूर्वलाभ के लिये विभक्त कुटुम्बियों पर दावा

(खिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—दोनों पक्षों की वंशावली यह है—



२—वादी के पति प्यारे लाल और उनके दोनों भाई मोहनलाल व सोहनलाल के बीच में कुटुम्बी सम्पत्ति जून १९३२ ई० में बाँटी गई। उसके पश्चात् प्रत्येक भाई अपना पृथक् २ कार्य व व्यापार करते रहे और अपने २ हिस्से की जमींदारी पर पृथक् २ अधिकारी थे।

३ - ग्राम जरारा की तीनों भाइयों की संयुक्त जमींदारी का मोहन लाल नम्बरदार था और वादी के पति प्यारे लाल को, लाभ न देने के कारण उसके उपर नालिशे करनी पड़ी।

४—इसके पश्चात् जुलाई सन् १९३५ ई० में, कुटुम्ब के पृथक् होते हुये प्यारेलाल का देहान्त हो गया और उसकी विधवा, वादी कुल मृत सम्पत्ति की स्वामिनी हुई।

५—प्रतिवादी ने मृतक प्यारे लाल की जमींदारी पर बिना किसी अधिकार के बल पूर्वक कब्जा कर लिया है और अविभक्त कुल प्रगट करके दाखिल खारिज की दरखास्त अदालत माल में पेश की है।

६—वादी ने उस दरखास्त का विरोध किया परन्तु प्रतिवादी का कब्जा होने के कारण ता०..... को उनका नाम दर्ज होने के लिये अदालत से हुकम हो गया।

७—वादी बायदाद पर दखल पाने और नाम दर्ज कराने के दिन से वासलात पाने की अधिकारी है।

३२—पति और पत्नी

पति की ओर से पत्नी के विरुद्ध प्रायः दावे विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के होते हैं और ऐसे दावे स्त्री भी पति के विरुद्ध कर सकती है परन्तु स्त्री की ओर से अधिकतर दावे पति के विरुद्ध निर्वाह व्यय पाने या पति के निवास-गृह में रहने के इस्तक्रार के होते हैं। इन सब दावों में वादी व प्रतिवादी का विवाह होना और उनका पति और पत्नी की तरह रहना और प्रतिवादी का वादी से पृथक् हो जाना या जो अन्य शिकायत की बातें हों अर्जी-दावे में लिखना चाहिये क्योंकि वह सब घटनाएँ तत्त्व मुकदमा होती हैं।¹

विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के दावों में जो पुरुष प्रतिवादी को वादी के पास आने से रुकावट डालें उनको फगीक मुकदमा बनाया जा सकता है और उनके विरुद्ध निषेध आज्ञा (हुकम इस्तनाई) की प्रार्थना की जा सकती है परन्तु प्रार्थना यही होनी चाहिये कि वह प्रतिवादी को वादी के पास आने से न रोकें।² न कि यह कि वह प्रतिवादी को अपने पास न रहने दें।³ विवाह सम्बन्धी अधिकार

1 I L R 8 All 199 F B

2 A I R 1920 Pat 798

3 I L R 44 Bom 454

के दावे पति और पत्नी दोनों की ओर से एक दूसरे के विरुद्ध किये जा सकते हैं। परन्तु ध्यान रहे कि ऐसे दावे के डिगरी हो जाने पर भी उसकी इतराए में प्रतिवादी, चाहे पति हो या पत्नी जेन नहीं भेजा जा सकता परन्तु उसकी सम्पत्ति के विरुद्ध उचित आज्ञा दी जा सकती है।¹

दावा उस अदालत में दायर होना चाहिये जिसकी अधिकार सीमा में पति रहता हो और जहाँ पर पत्नी रहने में इन्कार करे।² शादी की विशेष पूर्ति के लिये दावा दायर नहीं किया जा सकता।³ परन्तु जहाँ ऐसी प्रतिज्ञा का उल्लङ्घन किया जाना प्रमाणित हो जावे वहाँ पर एक पक्ष से दूसरे पक्ष को हर्जा और नुकसान दिलाया जा सकता है।⁴ इस तरह के दावे इस पुस्तक के उचित खण्ड में दिये गये हैं (देखो—)

कोर्टफीस—विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के दावे में यदि इस्तक्रार की प्रार्थना न हो तो कानून कोर्ट फीस की परिशिष्ट २, आर्टिकल १७ (६) के अनुसार १०) का नियत कोर्ट फीस लगता है। संयुक्त प्रान्त और पंजाब में कानून के संशोधन के बाद २००) रुपये की मालियत पर कोर्ट फीस लगता है। अदालत के अधिकार के लिए वादी दावे की मालियत स्वयं नियत कर सकता है।⁵

मियाद—इन दावों में मियाद का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कानून मियाद की धारा २३ व आर्टिकल १२० लागू होते हैं और जब तक पति या पत्नी एक दूसरे से पृथक रहें तब तक वादी को प्रतिदिन अभियोग कारण (बिनाय मुखासमत) उत्पन्न होता है।⁶

(१) पति का पत्नी के ऊपर विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी वादी की विवाहिता पत्नी है।

२—फ़रीकैन कुछ समय तक स्त्री व पति की हैसियत से रहते रहे और दो वर्ष

1. A I R 1936 All. 65; 150 I C 307

2 I L R. 59 Mad 392, 18 Bom 316

3. I. L R I Cal 74; 21 Bom 23

4 A. I R 1934 Lah. 54.

5. I L R. 28 All. 545.

6. Recurring Cause of Action. See I L R 13 All 126.

का समय हुआ होगा कि वादी के यहाँ एक आयशा बेगम नाम की लड़की प्रतिवादी के पेट से पैदा हुई जो अब तक जीवित है ।

३—प्रतिवादी ६ महीना का समय हुआ होगा कि अपने पिता के यहाँ किसी कार्य का बहाना करके गई थी । उस समय से प्रतिवादी अपने पिता व रिश्तेदारों के बहकाने में आकर वादी के यहाँ नहीं आती ।

४ - प्रतिवादी बिना किसी कारण के वादी के साथ रहने अथवा स्त्री पुरुष का इक पूरा करने में परहेज करती है इसलिये वादी विवाह सम्बन्धी अधिकार प्रतिवादी पर हासिल करने का दावेदार है ।

५—अभियोग कारण (प्रतिवादी के इनकार करने के दिन से) ।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को प्रतिवादी पर विवाह सम्बन्धी अधिकार दिलाये जावें और प्रतिवादी को हुकम हो कि वह यह अधिकार पूरा करे ।

(२) इसी प्रकार का दूसरा दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—फरवरी सन् १९२३ ई० में वादी का प्रतिवादी के साथ विवाह हुआ ।

२—विवाह के समय से प्रतिवादी के घर में रहती रही और वह पति व पत्नी के रूप से रहन, सहन करते थे ।

३—मार्च सन् १९२७ ई० में प्रतिवादी का पिता प्रतिवादी नं० २, उसको अपनी दूसरी लड़की की शादी में सम्मिलित होने के लिये लिवा ले गया और एक महीना में वापस करने का वायदा कर गया था ।

४—प्रतिवादी नं० १ अपने पिता के कहने और वश में है वह उसको वादी के मकान पर आने से रोकता है ।

५—प्रतिवादी नं० १ भी वादी के घर पर आने और विवाह सम्बन्धी अधिकार की पूर्ति करने से इनकार करती है ।

६—वादी कई बार प्रतिवादी नं० १ को लिवाने के लिये प्रतिवादी नं० २ के घर पर गया परन्तु प्रतिवादी, वादी के साथ नहीं आई और उसके पिता ने भी उसके मेजने से इनकार किया ।

७—अभियोग कारण (आखिरी इनकार के दिन से) ।

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी को आज्ञा हो कि वह वादी के साथ विवाह सम्बन्धी अधिकार पूरा करे ।

(ब) प्रतिवादी नं० २ को निषेध आज्ञा दी जावे कि वह प्रतिवादी को वादी के रह पर आने और विवाह सम्बन्धी अधिकार पूरा करने से न रोके ।

(३) स्त्री की ओर से खान पान के खर्च के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—वादी प्रतिवादी की विवाहिता स्त्री है ।

२—फरीकैन मई सन् १९३३ ई० तक पति व पत्नी की हैसियत से रहते रहे ।

३—प्रतिवादी ने जून सन् १९३३ ई० में दूसरा विवाह कर लिया और उसी समय से वह दूसरी स्त्री के साथ रहने लगा और उसने वादी को रक्षा करना व उसके पास आना छोड़ दिया ।

४—वादी को पेट पालने और जीवन व्यतीत करने में अत्यन्त कठिनाई उठानी पड़ती है ।

५—प्रतिवादी को, जायदाद इत्यादि से ६००) रुपया मासिक आमदनी है ।

६—वादी के पिता धनाढ्य व रईस मनुष्य थे, वादी के रहन सहन के ढंग और प्रतिवादी की हैसियत के अनुसार वादी का मामूली खर्चा २००) रुपया माहवारी होता है । खान पान का खर्चा प्रतिवादी अदा नहीं करता ।

७—अभियोग कारण (खान पान का खर्चा न देने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत —

वादी की प्रार्थना —

(अ) इस बात का इस्तकारार किया जावे कि वादी २००) रुपया माहवारी खान पान का खर्चा प्रतिवादी से पाने की हकदार है ।

(ब) खान, पान का पिछले तीन साल के वाचत .. रुपया प्रतिवादी से दिला-या जावे ।

(४) पत्नी का रहायशी मकान में रहने व देखल के इस्तकारार के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :—

१—वादी का विवाह सन् १९३७ ई० में प्रतिवादी के साथ हुआ । उस समय से

फरीकैन स्त्री व पति की हैसियत से एक मंजिल मकान में जो . . शहर ...मुहल्ले में स्थित है रहते रहे और वह प्रतिवादी के कुटुम्बी का रहायशी मकान है ।

२ प्रतिवादी जुलाई सन् १९४२ ई० से अनुचित सम्बन्ध के कारण दूसरी स्त्री के घर पर निवास करता था और उस समय से वादी इस मकान में अकेली रहा करती थी ।

३—प्रतिवादी का वादी से अपनी बदचलनी की वजह से कोई प्रेम नहीं था इसलिये प्रतिवादी इस फिकर में था कि वादी को उस मकान से वेदखल कर देवे ।

४—वादी एक विवाह में सम्मिलित होने के लिये मार्च सन् १९४३ ई० में मकान का ताला बन्द करके जालन्धर गई हुई थी । प्रतिवादी ने वादी की अनुपस्थिति में ताला तोड़ कर घर पर अधिकार कर लिया ।

५—वादी मई सन् १९४३ ई० में वापस आई परन्तु प्रतिवादी ने वादी को मकान में घुसने नहीं दिया और वादी के उसमें रहने के अधिकार से इनकार किया और अब भी इनकार करता है ।

६—वादी को मकान में निवास करने का अधिकार प्राप्त है ।

७—अभियोग कारण.....

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) यह घोषणा की जावे कि वादी को उस मकान में निवास करने का अधिकार प्राप्त है ।

(ब) वादी को उस मकान पर दखल दिलाया जावे ।

३३—मुस्लिम शास्त्र

इस भाग में प्रायः चन्हीं वाद-पत्रों के नमूने दिये गये हैं जिन नालिशों में मुस्लिम शास्त्र विशेष रूप से लागू होता है जैसे निकाह तोड़ने के दावे; देन महर या तर्का शरई के दावे ।

१—विवाह-विच्छेद या फिस्क-निकाह

निकाह तोड़ने के लिये, मुस्लिम शास्त्र के अनुसार पुरुष की ओर से दावा करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पति पत्नी को स्वयं ही तलाक दे सकता है । वह ऐसा तलाक उचित कारण बिना भी दे सकता है ।¹ इसलिये फिस्क-निकाह के दावे प्रायः पत्नी की ओर से पति के विरुद्ध दायर किये जाते हैं । ऐक्ट नं० ८ सन् १९३६ के अनुसार पत्नी को निकाह फिस्क कराने का अधिकार उन कारणों पर दिया गया है जो

1 I L R 59 Cal 539.

2 Dissolution of Muslim Marriage Act

उस ऐक्ट की धारा २ में दर्ज है। इसके अतिरिक्त आपस के इकरार से भी पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया जा सकता है।¹

इस ऐक्ट के पहले पति के नामर्द होने या उसका पत्नी पर भूठा इलजाम लगाने पर, पत्नी को तलाक लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता था।² यदि निकाह पत्नी की नाबालिगी में उसके पिता के अतिरिक्त किसी अन्य रिश्तेदार की अनुमति से किया गया हो और बालिग होने पर वादी ने उसको अस्वीकार किया हो तब भी दावा किया जा सकता है।

इन दावों में यह कि वादी की प्रतिवादी के साथ शादी हुई और वह कारण जिनकी वजह से निकाह फिस्क कराना मन्जूर हो लिखना चाहिये। ध्यान रहे कि यदि पति के नपुंसकता होने के कारण दावा हो तो अदालत समय दे सकती है और यदि पति की नपुंसकता तब भी बनी रहे तो दावा डिगरी किया जाता है।

मियाद—कानून मियाद के आर्टिकल १२० के अनुसार मियाद ६ साल की होती है।

(नोट—नमूने नम्बर १ से लेकर ३ तक इस विषय के हैं।)

(२) दैन-महर

महर दो प्रकार का होता है :—१—“महर मोअज्जल” जो फौरन वाजिबुलअदा हो २—“महर मोवज्जल” जो बाद को वाजिबुल अदा हो।

महर के दावे में महर का इकरार और उसकी रकम और यदि महर दोनों प्रकार का हो तो कितना किस प्रकार का था और वह कब वाजिबुल अदा हुआ, यह सब बातें अर्जीदावे में जाहिर करना जरूरी है। मुस्लिम शास्त्र के अनुसार महर शादी का एक आवश्यक अङ्ग है और यदि वह किसी विशेष इकरार से नियत भी नहीं किया गया तब भी अदालत उचित संख्या (महर-मिघिल) नियत करके डिगरी दे सकती है।

महर का रुपया कर्जों की तरह होता है और पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उसकी जायदाद से अपने महर का रुपया वसूल करने की हकदार होती है और वह उसका दावा दूसरे दायभागियों के खिलाफ कर सकती है। जब तक महर का रुपया वसूल न हो जावे वह शौहर की जायदाद पर काबिज भी रह सकती है।³ लेकिन वह उस जायदाद या उसके किसी भाग को मुन्तकिल नहीं कर सकती। विधवा के वारिस भी उसके महर के एवज में जायदाद पर काबिज रह सकते हैं।⁴

1. A. I R. 1931 Lah. 135, 1933 Lah 885, I L R 46 Cal. 141

2 I L R. 55 Bom 160, 48 All. 834, 17 A L J 78.

3. 1930 A L J. 1587, I. L R 55, All 139, 43 Mad 214 F. B. ; A. I R 1924

Cal. 508.

4 I. L. R. 49 All 127; 7 Pat. 141.

मियाद—महर के दावों में मियाद प्रायः ३ साल की होती है। वह मियाद महर तलब करने के दिन से या महर मअज्जल के लिये तलाक या पति की मृत्यु के दिन से शुमार की जाती है।¹ जहाँ पर रजिस्ट्री युक्त क्राधीननामे से महर नियत किया गया हो तो मियाद ६ साल की हो जाती है।²

(नोट:—नमूने अर्जीदावे नं० ४ से लेकर १० महर के दावों के हैं।)

(३) तर्का-शरई

मुस्लिम शास्त्र के अनुसार दायभागियों के हिस्से नियत हैं। इन हिस्सों में हनफी (सुन्नी) और शिया शास्त्रों में भेद है। इस पुस्तक में वारिसों के हिस्से की बाबत कोई नोट देने की आवश्यकता नहीं है। वकील को चाहिये कि तर्कों के दावे में किसी प्रसिद्ध मुस्लिम शास्त्र की किताब से सहायता ले और वादी का हिस्सा नियत करके अर्जीदावा तैयार करे। नमूने नं० ११ से लेकर १३ तक विरासत के सम्बन्ध के हैं और ध्यान से देखने चाहिये।

(१) स्त्री की ओर से निकाह तोड़ने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :—

१—प्रतिवादी सन् १९४५ ई० में नाबालिग थी और उसके पिता का सन् १९४५ ई० से पहिले देहान्त हो चुका था।

२—मुहम्मद हुसेन वादी के माँमू ने जून सन् १९४५ ई० में उसकी नाबालिगी के समय वादी की माता की बिना सलाह के जो उस समय जीवित थी, प्रतिवादी से उसका निकाह कर दिया।

३—वादी ने बालिग होने पर निकाह को तुरन्त अस्वीकार कर दिया और फरीकैन कभी पति पत्नी की हैसियत से नहीं रहे और न निकाह की पूर्ति हुई।

४—वादी उस निकाह के सम्बन्ध को तोड़ने और रद्द कराने की दावेदार है।

५—अभिभोग कारण (बालिग होने व निकाह को अस्वीकार करने के दिन से)।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

वादी का निकाह जो प्रतिवादी के साथ सन् १९४५ ई० में हुआ था, मन्सूख रद्द और बेअसर करार दिया जावे।

1 Arts 103, 104, Limitation Act

2 Art. 116, Limitation Act, A I R 1923 Cal 507

(२) इसी प्रकार का विवाह विच्छेद के लिये दूसरा दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—वादी की प्रतिवादी के साथ मार्च सन् १९४५ ई० में शादी हुई ।

२—प्रतिवादी नामर्द है और सहवास नहीं कर सकता ।

३—शादी के बाद वादी प्रतिवादी के साथ दो साल तक रही इस काल में वह वादी के साथ सहवास नहीं कर सका ।

४—वादी की प्रतिवादी के साथ शादी शास्त्रानुसार खंडित और वेअसर है और वादी उसको रद्द व मन्सूख कराने की हकदार है ।

५—दावे का कारण—

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

यह इस्तकरार किया जावे कि वादी की प्रतिवादी के साथ मार्च सन् १९४५ ई० में हुई शादी शास्त्रानुसार खंडित व वेअसर है ।

(३) ऐक्ट ८ सन् १९३९ की धारा २ के अनुसार निकाह फिस्क कराने का दावा

उपर्युक्त वादी निम्नलिखित प्रार्थना करती है :—

(१) यह कि वादी की शादी प्रतिवादी के साथ मार्च सन् १९४० ई० में हुई थी ।

(२) यह कि प्रतिवादी शादी के ६ महीने बाद अक्टूबर सन् १९४० में अपने व्यापार के सिलसिले में कलकत्ता चला गया और उस तारीख से आज तक पाँच वर्ष से उसका कोई पता नहीं है ।

या

(२) यह कि प्रतिवादी ने पाँच साल से (या दो वर्ष से अधिक से) वादी को छोड़ रखा है और उसकी परवरिश और निर्वाह का कोई प्रबन्ध नहीं किया है ।

या

(२) यह कि प्रतिवादी को तारीख.....को दो वर्ष से अधिक की सज़ा अदालतके हुकम से हो गयी है ।

या

(२) यह कि प्रतिवादी वादी के साथ बहुत सख्ती और बेरहमी का बर्ताव करता है, मारता पीटता है और तरह तरह से उसको कष्ट देता है इत्यादि ।

(मजमून फिकरा नम्बर ४ व ५ लिखना चाहिये)

वादी प्रार्थी है कि उसका निकाह जोकि प्रतिवादी के साथ तारीख..... मार्च सन् १९४० को हुआ अदालत से फिस्क करार दिया जावे ।

(४) स्त्री का पति के ऊपर “ महर मोवज्जल ” के लिये दावा

(सिरनामा)

मुद्दैया नीचे लिखी अर्ज करती है—

१—मुद्दैया प्रतिवादी की विवाहिता स्त्री है ।

२—मुद्दैया की शादी मुद्दायलह से ता०... ..को हुई और “ दैन महर ” का रुपया देना करार पाया जोकि मॉगने पर अदा करना ठहरा ।

३—मुद्दैया ने प्रतिवादी से अपना दैन महर ता०.....को माँगा ।

४—प्रतिवादी ने यह मतालना अभी तक अदा नहीं किया ।

५—बिनाय दावा (तलब करने के दिन से) ।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

“दैन महर” का.....रुपया मय खर्च नालिश और सूद दौरान व आइंदा रुपया वसूल होने के दिन तक प्रतिवादी से उसको दिलाया जावे ।

(५) निकाह मनसूख हो जाने पर स्त्री का “ महर मोवज्जल ” के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी नीचे लिखी प्रार्थना करती है—

१—वादी का प्रतिवादी के साथ ता०... ..को निकाह हुआ और “ महर मोव-ज्जल ” का ...रुपया देना करार पाया (या अगर महर के निस्वत कोई दस्तावेज लिखा गया हो तो उसका हवाला देना चाहिये ।)

२—फरीकैन कई साल तक पति व पत्नी की तरह रहते रहे । इसके बाद प्रतिवादी ने वादी को तलाक कर दिया जो इद्दत की मियाद खत्म होने पर अटल हो गया और फरी-कैन का निकाह मनसूख और रद्द हो गया ।

३ - प्रतिवादी ने “ दैन महर ” वादी को अभी तक अदा नहीं किया ।

(६) मुसलमान विधवा का ' महर ' के लिये मृतक पति के दायभागियों पर दावा

१—वादी मृतक मुहम्मदअली की विवाहिता स्त्री है ।

२—वादी का मुहम्मदअली के साथ ता०... ..को निकाह हुआ और महर कारुपया करार पाया जो इन्दुल तलव देना ठहरा ।

३—वादी के पति की ता०को बिना महर दिये हुए मृत्यु हो गई और प्रतिवादी मुसलिम शास्त्र के अनुसार उसके दायभागी हैं और उसकी मृत सम्पत्ति पर अपने २ हिस्से के अनुसार काबिज व अधिकारी हैं ।

४—वादी अपने हिस्से में . . . रुपया काट कर महर का बाकी रुपया मृत सम्पत्ति से, जो कि प्रतिवादी के कब्जे में है पाने की हकदार है ।

५—इस मतालवे पर वादी .. रुपया सैकड़ा माहवारी हिसाब से सूद पाने की भी दावेदार है जो कि उसके पति के देहान्त के दिन से लगाया जावे ।

(७) इसी प्रकार का दूसरा दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१ - वादी के पति इमामबखश की ता०... .. को मौत हो गई और उसने वादी के अतिरिक्त अपने लड़के प्रतिवादी नम्बर १ और दो पुत्री प्रतिवादी न० २ व ३ को अपना दायभागी छोड़ा ।

२—नीचे लिखी हुई जायदाद मृतक इमामबखश की सम्पत्ति है जिसमें प्रतिवादी का हिस्सा ३२ भागों में से २८ भाग का है ।

३—वादी के महर का १००००) रुपया इमामबखश की मौत होने के समय तक अदा नहीं हुआ था ।

४—वादी अपने महर का १/४ हिस्सा मृत सम्पत्ति के २८ भागों से, जो कि प्रतिवादी के कब्जे में है वगूल करने की हकदार है ।

५ - विनायदावी—(इमामबखश की मृत्यु के दिन से) ।

६—दावे की मालियत—

७—वादी प्रार्थी है कि.....रु० दिलाने के लिये दावा, इमामबखश की जायदाद के कुल ३२ भागों में से २८ भाग पर जिन पर कि प्रतिवादी काबिज हैं, डिग्री किया जावे ।

(८) मृतक पत्नी के दायभागी की ओर से पति के
ऊपर 'महर' के विभाग के लिये दावा

१—वादी की बहन मुसम्मात .. का निकाह प्रतिवादी के साथ ता० ...को हुआ और महर का . रुपया करार पाया जिसकी बाबत एक काबिनामा प्रतिवादी ने ता० ...को लिख दिया

२—उक्त मुसम्मात .. का ता०को देहान्त हो गया । उसकी जायदाद का हिस्से में, नीचे लिखे शजरे के अनुसार बटवारा हुआ ।

यहाँ पर शजरा मय हिस्सों के लिखना चाहिये)

३—मुसम्मात ..के देहान्त के समय तक महर नहीं दिया गया था । महर में वादी का हिस्सा..... रुपया है ।

४ प्रतिवादी ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया ।

(९) वारिस का विधवा के ऊपर जो महर के बदले
में जायदाद पर काबिज हो दखल के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :—

१—वादी का पिता (क ख ; नीचे लिखी जायदाद का मालिक और अधिकारी था ।

२—(क - ख) की ता०... के मृत्यु हो गई ।

३—प्रतिवादी क - ख —की विधवा है और उसके महर का २५००) रुपया क - ख — की मृत्यु के वक्त वाजिब था ।

४—प्रतिवादी ने क—ख— के मतरूके पर उसकी मृत्यु के दिन से, महर के मतालबे के बदले में कब्जा कर लिया है और अब तक उस पर काबिज है और उसकी आमदनी वसूल करती है ।

५—मृतक क—ख—की जायदाद में कुल ३२ भाग में से ४ भाग की मालिक प्रतिवादी और १४ भागों का मुहई और बचे १४ भागों की मालिक उसकी दो लड़कियाँ फहीमुलनिसाँ और अमीरुलनिसाँ हुई ।

६ इस मतरूके की आमदनी से बहुत दिन हुये कि महर का रुपया बेबाक हो गया और उसके बेबाक हो जाने के दिन से मुदायलहा का वादी के हिस्से पर कब्जा बिना किसी अधिकार के है ।

७ - बिनाय दावी - (महर का मतालबा बेबाक हो जाने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत —

वादी प्रार्थी है कि मृतक क—ख — की नीचे लिखी हुई जायदाद के कुल ३२ हिस्सों में से, उसको १४ हिस्सों पर बिना ' महर ' का कोई मतालवा दिलाये हुए, या जो मतालवा अदालत तजवीज करे दिला कर, दखल दिलाया जावे ।

(१०) वारिसों का महर के ऐवज में काबिज़ बेवा के ऊपर दखल के न्दिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -

१ - फरीकैन की वशावली नीचे लिखी हुई है (यहाँ पर शजरा जिससे रिश्तेदारी व वादी का वारिस होना जाहिर हो लिखना चाहिये) ।

२—फरीकैन के मूरिस अहमद अली का ता०... ..के देहान्त हुआ और नीचे लिखी हुई जायदाद उनका मतरूका है ।

३ - मुद्दायलह ने इस जायदाद पर, मौत के दिन से अपने "देन महर" को जाहिर करके कब्जा कर लिया और आज तक काबिज़ है और उसकी तहसील वमूल करके खर्च करती है ।

४—इस जायदाद की सालाना आमदनी .. रुपया है । मुद्दायलहा के महर का रुपया वाजिब था जो जायदाद की आमदनी से अदा हो गया, इसके अलावा प्रतिवादी के कब्जे में कुछ मतालवा जायद पहुँच गया है ।

५—वादी का शरई हिस्सा ऊपर लिखे शजरे के मुताबिक कुल...सहाम में..... सहाम है और वादी जायदाद में से अपने हिस्से पर दखल पाने का हकदार है ।

६ वादी इस बात पर भी राजी है कि अगर 'महर' का कुछ मतालवा हिसाब से वाजिब हो तो उस मतालवे को अदा करने पर उसको जायदाद का रसदी भाग दिलाया जावे ।

७—प्रतिवादी हिसाब करने और मुद्दई का हिस्सा छोड़ने का तय्यार नहीं होती ।

८—बिनायदावा—(इन्कार के आखिरी दिन से) ।

९—दावे की मालियत —(जायदाद की कीमत और कोर्टफीस रसदी जायदाद की पंच गुनी मालगुजारी पर अदा किया जावेगा) ।

वादी प्रार्थी है कि -

(अ) वादी को.....कुल भागों में से.....भागों पर दखल दिलाया जावे (या " देन महर " का जो कुछ मतालवा हिसाब से वाजिब हो उसके अदा करने पर दखल दिलाया जावे) ।

(ब) जो कुछ मतालवा रसदी से वादी का निकलता हो उसकी डिग्री प्रतिवादी के उपर कोर्टफीस लेकर सादिर की जावे ।

(क) खर्चा नालिश इत्यादि दिलाया जावे ।

(जायदाद की तफसील)

(११) एक वारिस का, दूसरे काबिज वारिसों पर, दखल व वासलात के लिए दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :

१—मुसम्मात अहमदी, वादी की स्त्री, अलीमुहम्मद खॉ की लड़की थी, जोकि नीचे लिखी हुई जायदाद के मालिक और अधिकारी थे ।

२—अलीमुहम्मद खॉ की ता०.....को मृत्यु हो गई और उनका मतरूका ८४ भागों में बटकर नीचे लिखी वंशावली के अनुसार विभाजित हुआ ।

(यहाँ पर वंशावली और हर दायभागी का हिस्सा लिखना चाहिये) ।

३—मुसम्मात अहमदी वेगम इस जायदाद के कुल ८४ भागों में से १२ भाग की मालिक व अधिकारी हुई ।

४—मुसम्मात अहमदी वेगम का ता०को देहान्त हो गया और उसकी जायदाद नीचे लिखी वंशावली के अनुसार.....भागों में बँटी गई जिसमें वादी का .. . भागों का हिस्सा होता है ।

५—वादी अहमदी वेगम का शरई वारिस होने की वजह से अलीमुहम्मद के ८४ भागों में से तीन भाग का मालिक है ।

६—प्रतिवादी अलीमुहम्मद खॉ के अन्य वारिस हैं और उनके मतरूके पर काबिज है ।

७—प्रतिवादी वादी के बार बार कहने और मॉगने पर भी उसके हिस्से का कब्ज़ा उसको नहीं देते ।

८—वादी अपने हिस्से के वासलात का भी दावेदार है ।

९—बिनायदावी (अलीमुहम्मद खॉ और मुसम्मात अहमदी की मृत्यु के दिन से ।)

(जायदाद की तफसील) .

(१२) इसी प्रकार का दूसरा दावा

१—वादी एक पर्दानशीन स्त्री है और नीचे लिखी जायदाद के ४२ हिस्सों में से ७ हिस्सों की मालिक व काबिज है ।

२—यह जायदाद वादी को, करीब १० साल हुये होंगे, उसके पिता की मृत्यु पर मिली। जायदाद के बकाया हिस्से के प्रतिवादी फरीक अब्बल जो वादी के पिता के अन्य दायभागी हैं, मालिक हैं और वादी और उनका उस जायदाद पर मुश्तर्का कब्जा है।

३—वादी रहायशी मकान में कभी २ जाकर ठहरती है और जमींदारी का मुनाफा प्रतिवादी नम्बर १ से जो कि नम्बरदार है और तहसील वगल करता है, लेती रहती है।

४—प्रतिवादी फरीक अब्बल ने कुल जायदाद का ता०.....को ब्रैनामा प्रतिवादी फरीक दोयम के नाम लिख कर उनको उस जायदाद पर कब्जा दिला दिया है।* (देखो नोट)

५ - प्रतिवादी फरीक अब्बल को वादी के हिस्से को ब्रै करने का कोई अधिकार नहीं था। और जहाँ तक उसका वादी के हिस्से से सम्बन्ध है वह खंडित और बेअसर है और प्रतिवादी फरीक दोयम का वादी के हिस्से पर कब्जा बिना किसी इस्तहकाक के है।

६—वादी अपने हिस्से पर दखल और ब्रैनामे के दिन से वासलात, प्रतिवादी फरीक दोयम से पाने की हकदार है।

(१३) वारिस, लड़की का, दूसरे वारिसों पर जिन्होंने रहन से जायदाद छुड़ा ली है, दखल के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी अर्ज करती है :—

१ - वादी के पिता काजी लताफतहुसेन एक कमरा और सात दो खनी दूकानों के, जिनकी चौहद्दी नीचे दर्ज है और जो मुहल्ला मदार दरवाजा शहर अलीगढ में बकै हैं मालिक व काबिज थे।

२—काजी लताफतहुसेन ने वह कमरा और दूकाने ७ मई सन् १९१९ ई० को रहननामा लिख कर ३०००) रुपया में मुसम्मात नायाब के पास दखली रहन कर दी और उन पर उसी दिन से मुश्तहिन काबिज हो गई।

३—काजी लताफतहुसेन का १९२० ई० में देहान्त हो गया और उन्होंने अब्दुल-मबीद, लड़का, मुसम्मात अलिमुलनिसा लड़की, मुसम्मात मरीयमउलनिसा लड़की (वादी) और मुसम्मात शरीफुलनिशाँ, बेवा को अपना दायभागी छोड़ा।

४—काजी लताफतहुसेन की मौत के बाद उनके कुल दायभागी संयुक्त रूप से मृत सम्पत्ति पर अधिकारी हुये।

* नोट—यदि वादी का हिस्सा अन्य वारिसों ने रहन सादा या दखली कर दिया हो तो धारा नं० ४ व ५ में आवश्यक शब्द बदलने के बाद यही फारम काम में लाया जा सकता है।

५—अब्दुलमजीद ने जो कि, प्रतिवादी फरीक दायम का मूरिस था ६ जनवरी सन् १९३२ ई० को ब्रैनामा लिखकर बिना किसी प्रकार से सूचित किये और खिलाफ अख्तयार कुल जायदाद को प्रतिवादी फरीक अब्बल के नाम बेच दिया और उसके कुछ महीने बाद से प्रतिवादी फरीक अब्बल कमरे और दूकानों पर काबिज है ।

६—वादी का ३२ भागों में से सात भाग का हिस्सा है और वह प्रतिवादी फरीक अब्बल को अपने हिस्से का रुपया-अदा करने पर दरखल पाने की दावीदार है ।

७—वादी ने अपने हिस्से का रहन का मतालवा अदा करके अपने हिस्से पर दरखल लेने के लिये प्रतिवादी फरीक अब्बल से कहा परन्तु उन्होंने ध्यान नहीं दिया ।

८—बिनायदावी (कब्जा न देने और इनकार करने के दिन से) ।

९—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि (जैसा कि फिक्रा नम्बर ६ में) ।

(रहन की हुई जायदाद की तफसील)

(१४) अपने हिस्से को बचाने के लिये, एक शरई हिस्सेदार का दूसरे शरई हिस्सेदारों पर दावा

(सिरनामा)

वादी नीचे लिखी प्रार्थना करती है--

१—वादी और प्रतिवादी फरीक दायम का शजरा यह है—

(यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये)

२—प्रतिवादी फरीक दायम और वादी के मूरिस अहमदयारखॉ की ता०..... को मृत्यु हुई और मृत सपत्ति पर वादी और प्रतिवादी द्वितीय पत्न अपने अपने शरई हिस्सों के हिसाब से काबिज व अधिकारी हुये ।

३—वादी की जायदाद के कुल ७२ भागों में १२ भाग का हिस्सा है । वादी अपने हिस्सेदारी का मुनाफा प्रतिवादी द्वितीय पत्न से पाती रही और अब भी पाती है और रहायशी मकान में जब कर्मा जाकर रहती है और अपने हिस्से पर अब भी काबिज है ।

४—प्रतिवादी प्रथम पत्न ने वादी के बिना किसी शान या सूचना के, अहमदयारखॉ का कुल मतरुवा प्रतिवादी द्वितीय पत्न में अपने यहाँ आड करा लिया और इस बिफालत की बिनाय पर टिग्री नवंबरी .. अदालत .. में प्रतिवादी के खिलाफ शामिल करके कुल जायदाद को नीलाम कराया है ।

५—वादी आड के दस्तावेज या डिग्री में कोई फरीक नहीं है और न डिग्री के मतालबा की देनदार है। उसका हिस्सा उस डिग्री की इजराय में नीलाम नहीं हो सकता।

६—बिनायदावा—, इजराय और नीलाम की कार्रवाई की सूचना होने के दिन से)।

७—दावे की मालियत (नियत कोर्ट फीस इस्तकरार के लिये लगेगा) वादी की प्रार्थना—

(अ) यह इस्तकरार किया जावे कि नीचे लिखी हुई जायदाद में वादी का १२ वाँ हिस्सा इजराय डिग्री नंबरीअदालतने नीलाम नहीं हो सकता।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे।

३४—हक-शफा

शफे के दावे (१) मुस्लिम-शाख, (२) रिवाज या (३) किसी विशेष प्रतिज्ञा या इस्तकरार की बिनाय पर होते हैं।

१—सुन्नी मुस्लिम शाख के अनुसार शफा करने वाले तीन प्रकार के होते हैं, (i) शफी-शरीक या हिस्सेदार (ii) शफी-खलीद और (iii) शफी-गार और शफा करने वाले की दो जरूरी मांग, 'तलब-मवासवत' जिससे शफा करने वाला इन्तकाल की हुई जायदाद को खरीदने की इच्छा प्रकट करता है और, 'तलबे-इश्तशात', जिससे वह जायदाद लेने और उसका मुआवजा देने के लिये तत्पर होता है, का होना जरूरी है क्योंकि बिना इनके दावा चल नहीं सकता।¹ इनके बाबत अर्जीदावा लिखने वाले का ध्यान सही व ठीक होना चाहिये और उचित है कि नालिश लिखने से पहले किसी मुस्लिम शाख की सहायता ले ली जावे।

अर्जी दावे में (१) यह कि शफा करने वाला किस श्रेणी का है और खरीदने वाला किसी श्रेणी का शफी नहीं है या कि नीची श्रेणी का है, (२) और खरीदारी की तफसील, लिखनी चाहिये। यदि प्रकट किया हुआ मतालबा मंजूर न हो तो यह दिखाना चाहिये कि असली खरीदारी का मतालबा क्या था। दोनों तलबों के अलावा और किसी नोटिस देने की जरूरत नहीं होती लेकिन जो मतालबा मंजूर किया जावे उसको अदा करने के लिये रजामन्दी अर्जी दावे में दिखाना चाहिये।

सुन्नी व शिया मुस्लिम शाखों में शफा के सम्बन्ध में कुछ अन्तर है इसलिये यह ध्यान रखना चाहिये कि भगड़े वाले व्यवहार पर कौन सा कानून लागू होगा। जहाँ पर बेचने वाला और शफा करने वाला दोनों सुन्नी हों वहाँ पर सुन्नी कानून लागू होगा और जहाँ पर यह दोनों शिया हों वहाँ पर शिया कानून लागू होगा।¹ लेकिन जहाँ पर बिक्रेता सुन्नी हो और शफा करने वाला शिया हो वहाँ पर शिया-शाख के अनुसार ही हक माँगा जा सकता है।² जहाँ बेचने वाला शिया हो और शफा करने वाला सुन्नी हो वहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की राय में शिया-शरह लागू होना चाहिये।³ लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट की राय में उसका फैसला सुन्नी शरह के अनुसार होना चाहिये।⁴

सुन्नी शाख के अनुसार शफा करने वालों की ऊपर लिखी तीन श्रेणियों में प्रथम श्रेणी का दूसरी श्रेणी से और दूसरी श्रेणी से और दूसरी श्रेणी का तीसरी श्रेणी से शफा का हक उत्तम होता है। शिया शाख के अनुसार सिर्फ प्रथम श्रेणी वाले हिस्सेदार ही शफा कर सकते हैं और वह भी तभी जब कि उस जायदाद में दो हिस्सेदार से अधिक हिस्सेदार न हों।⁵

ध्यान रखना चाहिये कि हक शफा तभी उत्पन्न होता है जब कि जायदाद पूर्ण रूप से बिक्री कर दी गयी हो। अन्य प्रकार के परिवर्तन से शफे का हक पैदा नहीं होता।⁶ इसलिये जहाँ पर जायदाद दान की गयी हो या दवामी पट्टा लिखकर हमेशा के लिये किराये पर दी गयी हो या एक जायदाद का दूसरी जायदाद से तबादला किया गया हो वहाँ पर हक शफा पैदा नहीं होगा।⁷ यदि महर के रुपये के बदले में पति पत्नी के हक में अपनी जायदाद फरोख्त कर देवे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की राय में हक शफा पैदा हो जाता है।⁸ परन्तु अबध चीफ कोर्ट में और बाद के इलाहाबाद के कुछ मुकदमों में ऐसे इन्तकाल को हिवा-बिल एवज तजवीज किया गया है जिससे हक शफा पैदा नहीं होता।⁹

२—रिवाज

जहाँ पर शफा, रीति या चलन के अनुसार माँगा जावे वहाँ पर ऐसी रीति या चलन का साबित करना वादी का कर्तव्य होता है। ऐसे रिवाज मुस्लिमानी प्रथा के अनुसार बहुत से शहर, कस्बों या उनके हिस्सों में अब भी प्रचलित हैं। रिवाज

1 I L R 7 All 775, 12 All 229

2 I L R 22 All 102

3 L L R 36 All 488

4 I L R 32 Cal 982

5 23 A L J 617

6 A I R 1929 Bom 206

7 I L R 15 Cal 184, 1930 A. L J 1478, but see I L R 40 All 322

8 A I R 1932 All 596, A I R 1937 P C 174, I L R 5 All 65

9 I I P 1 Luck 88, 2 Luck 575, A I R 1937 All 25, 1936 A L J 1027

प्रमाणित करने के लिये वादी पहली ऐसी घटनाओं की शहादत दे सकता है जहाँ पर शफे से एक की खरीदी हुई जायदाद दूसरे को दिलाई गयी हो या अवातलत की तर्जवीज से शफा का रिवाज माना गया हो। स्थानीय-रीति या मुकामी रिवाज की एक विशेषता यह है कि कहीं पर तो वह सब निवासियों पर लागू होता है और कहीं पर सिर्फ मुसलमान निवासी ही उसका फायदा उठा सकते हैं।

शफे का रिवाज प्रायः सरकारी कागजात जैसे, वाजिबुलअर्ज, दस्तूरवेही इत्यादि में दर्ज होता है लेकिन ऐसा रिवाज फरीकैन अपने ज्ञाती कागजात में भी लिख सकते हैं। यदि सम्मिलित सम्पत्ति विभाजित की जावे तो हिस्सेदार यह शर्त कर सकते हैं। किसी हिस्सेदार के जायदाद बेचने पर अन्य हिस्सेदारों को उसके खरीदने का प्रथम हक होगा।

पंजाब व अवध प्रान्तों में शफे के दावे वहाँ के स्थानीय कानून के अनुसार दायर होते हैं। (Punjab Pre-emption Act and Oudh Laws Act) लेकिन वहाँ पर भी हक शफा शरह-मोहम्मदी के अनुसार कहीं कहीं पर पैदा होता है। मद्रास प्रांत में यदि फरीकैन मुसलमान भी हो तब भी मुस्लिम शास्त्र-नुसार हक शफा पैदा नहीं होता जब तक कि कोई स्थानीय रिवाज न हो। मुस्लिम शास्त्र के अनुसार हक शफा माँगने के लिये यह जरूरी है कि जायदाद बेचने वाला और शफा करने वाला दोनों मुसलमान हों। इलाहाबाद व पटना हाईकोर्ट की राय में खरीदार का मुसलमान होना जरूरी नहीं है।¹ परन्तु इसके विरुद्ध कलकत्ता व बम्बई के हाईकोर्टों की राय में खरीदार का भी मुसलमान होना जरूरी है।²

जमींदारी से सम्बन्ध रखने वाले शफा के दावे इस प्रान्त में प्रायः Agra Pre-emption Act के अनुसार फैसले होते हैं। इस ऐक्ट की धारा ४ के अनुसार रिवाज का वाजिबुल अर्ज या दस्तूरवेही में इन्दराज होना उसको प्रचलित करने के लिये पर्याप्त होता है।

आगरा प्रीएम्पशन ऐक्ट के दावों में धारा ५ के अनुसार उस महाल के अन्दर शफा का हक होना और धारा १२ के अनुसार वादी का अधिकारी होना अर्जा दावे में दिखाना चाहिये। जायदाद बेचने वाला इन मुकदमों में जरूरी फरीक नहीं होता यद्यपि उसके फरीक बनाने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन अगर किसी दूसरे हकदार ने भी शफा का दावा किया हो तो उसको फरीक बनाना चाहिये।

मियाद—खरीदार का जायदाद पर दखल पाने के दिन से, शफा का दावा एक साल के अन्दर दायर होना चाहिये।³ जहाँपर बिक्री की हुई जायदाद ऐसी हो जिस पर दखल न हो सकता हो वहाँ पर बैनामा रजिस्ट्री कराने के दिन से एक साल की मियाद होती है। यह मियाद किसी वजह से बढ़ाई नहीं जा सकती।⁴

1 I L R 7 All 772 F B, I L R 1 Pat 578

2 4 Beng L R 134 F B, A I R 1929 Bom 206.

3 Art 10, Limitation Act

4 Sec 8, Limitation Act

कोर्ट-फीस—रहायशी मकान और मुस्लिम शास्त्र के शफा के दावे में वादी की निमत की हुई जायदाद की मालियत पर पूरा कोर्ट फीस देना होता है और जहाँ दावा जमींदारी के निस्वत हो जिस पर मालगुजारी अदा की जाती है वहाँ वार्षिक मालगुजारी की पाँचगुनी मालियत पर ।

(१) सम्मिलित शफा का मुसलमान शास्त्र के अनुसार शफा का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—मौजा राजपुर में एक मुहाल नाम का है जिसमें वादी और प्रतिवादी फरीक दोयम हिस्सेदार है और वादी कुल मौजा का नम्बरदार है । प्रतिवादी प्रथम पक्ष का उसमें कोई हिस्सा नहीं है ।

२—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने अपनी नीचे लिखी हुई, उस मौजे की जमींदारी, ता० १२ अक्टूबर सन् १६.....ई० को १५०००) रुपया में ब्रैनामा लिख कर एक अन्य पुरुष प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हाथ बेच दी । वादी को जब उस ब्रै की इत्तला मिली तो उसने फौरन “ तलब मवासिवत ” और “ तलब इस्तशहाद ” अपने मुख्ताराम से कराई लेकिन प्रतिवादी फरीक अब्बल कीमत का मतालबा लेने और ब्रै की हुई जमींदारी छोड़ने पर तय्यार नहीं हुए ।

३—फरीकैन दोनों मुसलमान और हनफी सुन्नी हैं । वादी को बेची हुई जायदाद में शरीक होने की वजह से एक अजनबी आदमी के खिलाफ शफा करने का हक हासिल है ।

४—बिनायदावा (ब्रैनामा लिखने के दिन, ता० १२ अक्टूबर सन् १६.....ई० को पैदा होकर ता० १७ अक्टूबर सन् १६.....ई० से यानी उसके रजिस्ट्री कराने के दिन से प्रगट हुई) ।

५—दावे की मालियत (१५०००) रुपया, परन्तु कोर्ट फीस पचगुनी मालगुजारी पर लगेगा) ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को नीचे लिखी जमींदारी का मुसलिम शरह के अनुसार १५०००) रुपया दिला कर मालिक करार दिया जावे और दखल दिलाया जावे और इस मतालबे में जितना रुपया बतौर अमानत प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पास छोड़ा गया हो वह वादी के पास छोड़ा जावे ।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे ।

(शफा की हुई जायदाद की तफसील)

(२) वाजिबुल अर्ज के आधार पर शफा का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष पास के रिश्तेदार और मौजा नूरपुर थोक कूलदर बख्श तहसील हाथरस के सम्मिलित हिस्सेदार हैं ।

२ - यह कि मौजा नूरपुर में शफे का रिवाज है जिसकी बात वाजिबुल अर्ज में यह लिखा है कि “ हर एक हिस्सेदार को अपने अपने हिस्से को हर प्रकार से बेचने का हक है, पहिले तो अपने पास के रिश्तेदारों के हाथ जो हिस्सेदार भी हों और यदि वह न ले तो उसी थोक के हिस्सेदारों के हाथ और यदि वह भी न ले तो जिसके हाथ चाहेगा, बेचेगा ” ।

३—यह कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने, वादी के बिना जान और सूचना के और बिना उसको खरीदने का अवसर दिये हुये रिवाज के खिलाफ नीचे लिखी जायदाद ता०.....को बैनामा लिखकर एक अन्य पुरुष प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हाथ बेच दी और असली कीमत १६००) रुपया के बजाय २१००) रुपया बनावटी कीमत शफे से बचने के लिये बैनामे में लिखा दी ।

४—यह कि वादी, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का निकट सम्बन्धी और उसके मुकाबले एक अन्य पुरुष को उस जायदाद के खरीद करने का कोई हक नहीं है ।

५— दावे का कारण (बैनामे की रजिस्ट्री होने के दिन से) ।

६—दावे की मालियत (अदालत के अधिकार के लिये जायदाद की कीमत, लेकिन कोर्ट फीस ५ गुनी मालगुजारी पर लगेगा)

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) उसको शफे की रिवाज के अनुसार १६००) रुपया या जितनी कीमत अदालत तजवीज करे दिलाकर और प्रतिवादी को बेदखल करा कर वादी को दखल दिलाया जावे और बैनामे की शर्तों का वादी के हक में होना करार दिया जावे ।

(शफा की हुई जायदाद की तफसील)

(३) वाजिबुल अर्ज के आधार पर शफे का दावा

१ - मौजा रामपुर परगना सहावर जिला एटा में मुहाल अहमदनूर में वादी और द्वितीय प्रतिवादी मिले हुये हिस्सेदार (जिनकी जायदाद मिली हुई है) हैं ।

प्रथम प्रतिवादी भी उस मुहाल का हिस्सेदार है परन्तु उसकी जमीन द्वितीय प्रतिवादी से मिली हुई नहीं है ।

२—द्वितीय प्रतिवादी ने अपनी उस मुहाल की नीचे लिखी हुई हर्कायत (यहाँ पर तफसील देनी चाहिये) ता० को ६०००) रुपया में प्रथम प्रतिवादी के नाम बेच दी और बँनामा लिख दिया और शफा के डरसे बँनामे में दिखाने के लिये कीमत ७०००) रुपया लिखा दी ।

३—इस मौजे में प्राचीन काल के शफा का रिवाज प्रचलित है और पिछले बन्दोवस्त के वाजिबुल अर्ज में उसके वावत यह लिखा है “ हर एक हिस्सेदार को अपनी हकीयत बेचने का अधिकार है लेकिन पहले वह अपने मिले हुये हिस्सेदार के हाथ और उसके इनकार करने पर मुहाल के अन्य हिस्सेदारों के हाथ और उनके भी इनकार करने पर अन्य पुरुषों के हाथ बेच सकता है ” ।

४ यह बँनामा वादी के बिना ज्ञान और सूचना के लिखा गया था । वादी को, वाजिबुल अर्ज के अनुसार मिले हिस्सेदार होने के कारण नियत कीमत देकर जायदाद स्वयं खरीदने का अधिकार है ।

५—वादी, शुफा की हुई जायदाद पर असली और वाजिबी कीमत देकर दखल पाने का दावेदार है ।

(४) शरअ और वाजिबुल अर्ज के बिनाय पर शफे का दावा

(सिरनामा)

वादी नीचे लिखी अर्ज करता है—

१—वादी और प्रतिवादी फरीक दायम बेलपुर और बाहनपुर परगना अतरौली जिला अलीगढ में मिले हुये हिस्सेदार हैं और प्रथम प्रतिवादी उन मौजों में हिस्सेदार नहीं है और एक अजनबी मनुष्य है ।

२—दोनों मौजों में शफा की रीति प्राचीन काल से प्रचलित है और पहिले के बन्दोवस्त में तैयार किये वाजिबुल अर्ज में भी शफा की रीतिदर्ज है ।

३—वादी के वाजिबुल अर्ज के मुताबिक और मिले हुये हिस्सेदार और भाई होने की वजह में दोनों मौजों की हकीयत खरीदने का हक हासिल है ।

४—प्रथम प्रतिवादी ने २७ फरवरी सन् १९ ई० के बँनामे से नीचे लिखे हुये मौजे १४२५३) रुपया आठ आना ४ पाई में द्वितीय प्रतिवादी से खरीद की और बँनामे में जर समन फर्जी व शफा के टर की वजह से २०००) रुपया दर्ज कराया ।

५—इस हकीयत का वादी शरई शर्तों है और उसने वै की इत्तला होने पर “तलब मुबास्त” व “तलब इस्तशाद” अटा की ।

६—प्रथम प्रतिवादी वादी के चार चार कहने पर भी वाजिची कीमत लेने और हकीयत छोड़ने पर तैय्यार नहीं होता ।

७—वादी उचित कीमत देने पर, हकीयत का दखल पाने का हकदार है ।

८—दावे का कारण—

९—दावे की मालियत (अदालत के अधिकार के लिये १४३५३॥) ४ पाई, और कोर्ट फीस मालगुजारी से पंचगुना अदा किया गया है ।

१०—जरसमन में से १२३५३॥) ४ मुख्य रहन की अदायगी के लिये प्रथम प्रतिवादी के पास अमानत के रूप में छोड़ा गया था । यह रुपया उसने अभी तक अदा नहीं किया और डिमी के दिन से मय सूद शफा के मतालवे मे कटना चाहिये और वादी के पास अमानत में छोड़ा जावे ।

वादी प्रार्थी है कि —

(अ) नीचे लिखी हुई हकीयत पर वादी को १४३५३॥) ४ पाई या जितना रुपया अदालत उचित तजवीज़ करे दिलवा कर दखल दिलवाया जावे और इसमें से १२३५३॥) ४ पाई डिमी की तारीख से मय सूद वादी के पास अमानत में छोड़ा जावे और बकाया रुपया प्रथम प्रतिवादी को दिला दिया जावे ।

(ब) खर्चा नालिश मय सूद दिलाया जावे ।

(दोनों मौजों की तफसील देनी चाहिये)

(५) वाजिबुल अर्ज व मुसकमानी शास्त्र के अनुसार बैनामे व शफा की मसूखी के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—एहतशामअली का बाप माजिदअली खाता खेवट नम्बर ४५५ पट्टी रहमानखॉ कस्बा कोल जिला अलीगढ़ का मालिक था ।

२—उसकी मृत्यु के बाद एहतशामअली, उसकी पाँच बहिन और माँ उसके हिस्सेदारान हुये ।

३—मुसम्मात जसीमबेगम, माजिदअली की एक लड़की कुल ७२ भाग में से सात भाग की मालिक थी । उसने अपना हिस्सा १४ अक्टूबर सन् १६.....ई० के बैनामा लिख कर वादी के हाथ बेच दिया और वादी उस रोज से उस हिस्से मालिक और काबिज हो गया ।

४—कस्बा कोल में बहुत दिनों से शफे का रिवाज है और उसके बावत वाजिबुल अर्ज में यह लिखा है— “हर एक हिस्सेदार को अपना २ हिस्सा इस प्रकार इन्तकाल

करने का हक है—पहिले तो वह अपने मिले हुये हिस्सेदार को और यदि वह न ले तो अन्य हिस्सेदारों को दे और जो वे भी इनकार करें तो जिसके हाथ चाहे क्रय कर सकता है। यदि हिस्सा बेचने वाले और शफे के हकदार में कीमत की बाबत कोई भगड़ा हो तो जो कीमत एक अन्य पुरुष देने को तय्यार होगा वही कीमत शफे के हकदार को देनी होगी।”

५—६ मई सन् १६.....ई० के एहतशामअली (प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने कुल खाता खेवट नम्बर ४५५ में से ३ बीघा दस विस्वा पक्की आराजी, वादी के सात भाग बिना अलग किये हुये माधो प्रसाद प्रतिवादी प्रथम पक्ष के नाम बँनामा लिखकर (१२००) रुपया में बेच दी और बँनामे में भूँठी कीमत (१५००) रुपया लिख दी।

६—यह बँनामा वादी के हिस्से के सात भागों की बाबत अप्रभावयुक्त व खडित है और बकाया की बाबत वादी कानून और रिवाज के अनुसार शफे का हकदार और उचित कीमत देने पर दखल पाने का अधिकारी है।

७—वादी ने क्रय की सूचना पाने पर “तलब मोवासित” और “तलब इस्तशाद” की, लेकिन प्रतिवादी प्रथम पक्ष हकीयत छोड़ने व उचित कीमत लेने पर राजी नहीं होता।

८—बिनायदावा (रजिस्ट्री होने के दिन से)।

९—दावे की मालियत (जैसा कि पहिले अर्जों दावों में है)।

वादी प्रार्थी है की—

(अ) वादी को नीचे लिखी हुई ज़मींदारी के ७२ भागों में से ७ भाग पर ता० १६ मई सन् १६.....ई० के बँनामे को मंख्व करके और बकाया ६५ भागों पर शफे का हकदार होने की वजह से असली कीमत (१२००) रुपया के अनुसार या जो अदालत तजवीज़ करे दिला कर दखल दिलाया जावे।

(ब) खर्चा नालिश इत्यादि दिलाया जावे।

(हकीयत की तफसील)

३५—जमींदार और प्रजा

(इस सिलसिले में "मालिक व किरायेदार" पद २० का नोट देना चाहिये)

जमींदार व रिआया के सम्बन्ध और मालिक व किरायेदार के सम्बन्ध में अन्तर होता है। प्रायः रिआया के मकान की तहती जमीन का मालिक जमींदार होता है, लेकिन रिआया को उस जमीन पर रहने और कब्जा रखने का हक होता है और वह जब तक अपने निवास-गृह या अन्य मकान को उस शकल में कायम रखे जमींदार, उसको बेदखल नहीं कर सकता, सिर्फ अपना लगान तहती जमीन के लिये वसूल कर सकता है। यह लगान कहीं पर टकीना, कहीं पर पर्जवट और कहीं पर घर ग्रहना इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है।

जब तक कि कोई आरखी इकरार या स्थानीय रिवाज न हो, रिआया को अपना मकान या उसमें रहने के हक व कब्जा को इन्तकाल करने का अधिकार नहीं होता और ऐसा करने पर जमींदार रिआया और उससे खरीदने वाले दोनों को बेदखल करा सकता है।¹ रिआया के लावारिश हो जाने पर, या उसके रद्दायश छोड़ देने पर जमींदार उस मकान का मय भूमि के मालिक हो जाता है। कहीं कहीं पर प्रजा कच्चे मकान को बिना जमींदार की आज्ञा लिये या उचित नजराना दिये पक्का नहीं बनवा सकती और न उसमें कोई तब्दील करा सकती है।² यहाँ पर जमींदार व रिआया के सम्बन्ध के कुछ नमूने दिये गये हैं।

प्रचलित विधान के अनुसार संयुक्त प्रान्त व अवध में कृषी (जर-आती) मौजों में जहाँ पर प्रायः काश्तकार ही रहते हो जमींदार कुल गाँव की जमीन का मालिक माना जाता है जिसमें आबादी की जमीन भी शामिल होती है जिस पर रिआया के मकान बने हुए हों। ऐसे गाँव में रिआया अपने मकान के मलबा, मिट्टी, लकड़ी, खपदा, इत्यादि, के ही मालिक होते हैं और उस जमीन का मालिक, जिस पर मकान खड़ा हो जमींदार होता है।³ यदि गाँव या उसका कोई हिस्सा किसी म्युनिसिपैलिटी या टाउन परिषद की अधिकार सीमा के अन्दर आ जावे तब भी उस जमीन में जमींदार का हक बद्स्तूर कायम रहता है।⁴ लेकिन ऐसी जमीन के बाबत यह कानूनी क़यास कि जमींदार

1. A. I. R. 1939 All 392, 1935 All 720; 1 I. L. R. 3 Luck 107, 20 All 248.

2. 1936 A. L. J. 503, A. I. R. 1929 All 439; 1936 All 553

3. A. I. R. 1935 All 720.

4. A. I. R. 1927 All 605 and 609.

ससके हर टुकड़े का मालिक है स्थिर नहीं रहता ।^१ ज़मींदार की बिना आज्ञा या अनुमति के प्रजा अपने बाहिरी सहन पर कोई अन्य नई तामीर नहीं कर सकता ।^२

मियाद—प्रजा से मकान खरीदने वाले के विरुद्ध दावा मे Art. 44 कानून मियाद के अनुसार मियाद १२ साल की होती है । यदि सहन की तामीर हटाने का दावा हो तो आर्टिकल ३२ लागू होता है ।^३

(१) ज़मींदार की ओर से मुन्तक़िक किये हुये मकान की बेदखली के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी गाँव साखनी परगना अन्नूपशहर की पूरी ज़मींदारी का मालिक है ।

२—द्वितीय प्रतिवादी उस गाँव में वादी की प्रजा की हैसियत से आज्ञाद है और लोहारगौरी का काम करता है ।

३—१७ मई सन् १९३७ ई० को बैनामा लिखकर उक्त प्रतिवादी ने उसी गाँव में अपना रहने का मकान (उसकी तफ़सील होनी चाहिये) प्रथम प्रतिवादी के हाथ बेच दिया और उसी तारीख से वह मकान पर काबिज है ।

४—वाजिबुल अर्ज और वहाँ की रिवाज के अनुसार प्रजा को मकान के मलवे के अतिरिक्त मकान इत्यादि बेचने का हक नहीं होता ।

५—१७ मई १९३७ ई० का बैनामा ज़मींदार के विरुद्ध खंडित और बेअसर है और प्रथम प्रतिवादी का मकान पर कब्ज़ा अनुचित और बिना किसी अधिकार के है ।

६—वादी मकान के नीचे की ज़मीन पर, मकान का सामान व मलवा हटाने के बाद, देखल पाने का अधिकारी है ।

७—अभियोग कारण—

८—दावे की मालियत—

1 A I R 1936 All 442, 1938 Oudh 251, 1 L R 54 All 379

2 A I R 1937 All 472 1 L R 1 Luck 469, 55 All. 214

3 A I R 1937 All 427

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को मकान के नीचे की जमीन पर दखल दिलाया जावे और प्रथम प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह मकान का मलबा अदालत से नियत किये हुये समय के अन्दर वहाँ से हटा लेवे और उसके वहाँ से न हटाने पर वादी को मलबे सहित जमीन पर दखल दिलाया जावे ।

(२) ज़मींदार की बिना इजाज़त बनवाये हुए मकान के गिरा देने के लिये नाज़िश्

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है —

१—वादी क़स्बा कोल में मुहल्ला सराय दुबे का ज़मींदार है ।

२ इस मुहल्ले में रिआया वादी की तरफ से बसी हुई है वो अपने मकानों की ज़मीन के लिये वादी को टकीना देती है ।

३—कोई प्रजा वादी की बिना आजा पुराने मकान के बजाय नया मकान नहीं बनवा सकता और आशा मिल जाने पर ज़मींदारी की रीति के अनुसार सवा रुपया की दर-वाजा देना पड़ता है ।

४—यह रिवाज व चलन इस सराय में प्राचीनकाल से चला आता है और रिवाज कोल की वाजिबुल अर्ज़ में भी लिखा हुआ है ।

५—प्रतिवादी बहुत दिनों से वादी की प्रजा की हैसियत से एक मकान में रहता था और (=) आने माहवारी टकीना दिया करता था ।

६—प्रायः तीन साल हुये कि मकान को खाली छोड़ कर और ताला बन्द करके प्रतिवादी बाहर चला गया और जुलाई १९.....ई० में वापस आया ।

७—प्रतिवादी की अनुपस्थिति में वह मकान वर्षों से गिर कर बर्बाद हो गया । प्रतिवादी ने वादी की बिना आशा उसके नया बनवाना शुरू किया है और कोई ज़मींदारी का हक़ अदा नहीं किया ।

८—अभियोग कारण—

९—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि -

(अ) प्रतिवादी के नाम निषेध आशा निकाली जावे कि वह वादी की बिना आशा के और बिना हक़ अदा किये हुए मकान न बनावे ।

(३) : उसके ऐसा न करने पर प्रतिवादी को वेदखल कर के दखल दिलाया जावे ।

(३) ज़मींदार का, उत्तगधिकारी न रहने पर, मकान पर दखल पाने के लिये दावा

१—वादी गाँव फरीदनगर मुहाल सफेद में दो बिस्वा का मालिक व ज़मींदार है ।

२ उस मुहाल की अबादी जुदागाना है और आबादी वाले हिस्से में एक हीरा लोधा रहता था ।

३ करीब २५ साल हुये होंगे कि उक्त हीरा बिना वारिस छोड़े मर गया और उसकी विधवा मु० जमना उस मकान में रहती रही ।

४—मई सन् १९३८ ई० में मुसम्मात जमना का भी देहान्त हो गया और वादी ज़मींदार होने की वजह से उस लावारिस मकान का मालिक है ।

५—प्रतिवादी उस मकान के पास रहता है और उसने हीरा वाले मकान को खाली पाकर जुलाई सन् १९३८ ई० से उस पर नाजायज कब्जा कर लिया है ।

६ वादी उस मकान पर प्रतिवादी को वेदखल करा कर दखल पाने का अधिकारी है ।

(४) जमींदार का हक चडारूप के लिये दावा

१—वादी ज़िला इलाहाबाद परगना चाइल में गाँव दरियाबाद का जमींदार है ।

२—उस गाँव में वादी की रिश्ताया आबाद है जो अपने मकान इत्यादि के निरसमत वादी को सालाना “ पर्जबट ” दिया करती है ।

३—मकानों के मलवे और हक रिहायश की वावत प्राचीन काल से यह रिवाज चला आता है कि किसी रिश्ताया के मकान का मलवा या रहने का हक बेचने पर वादी जमींदार होने के कारण, कीमत का एक चौथाई हिस्सा पाने का हकदार होता है ।

४—प्रतिवादी द्वितीय पत्त उस गाँव में एक मकान में (जिसकी चौहद्दी नीचे दी गई है, वादी की रिश्ताया की हिसियत से रहता है ।

५—प्रतिवादी ने १० फरवरी सन् १९.....ई० को वह मकान २००) रुपया में चैनामा लिख कर प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हाथ बेच दिया और उसी दिन से प्रतिवादी प्रथम पक्ष उस मकान पर क़ाबिज़ है ।

* (५) ज़मींदार की ओर से रसम और टकीने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—प्रतिवादी ज़िला बुलन्दशहर में गाँव गंगात्राँस के मुहाल राम सहाय में रिआया की हैसियत से आत्राद है और अपने रहने के मकान की ज़मीन के लिये ॥॥ आना सालाना वादी को, जो कि वहाँ का ज़मींदार है, टकीना देता है ।

२—वाजिबुल अर्ज और गाँव के रिवाज के अनुसार टकीना के अलावा हर एक रिआया को लड़की की शादी में एक रुपया नकद, ५ सेर चावल, दो सेर शकर, ज़मींदार को देना पड़ता है ।

३—प्रतिवादी के ऊपर ३ साल का टकीना २॥ रुपया बाकी है ।

४—प्रतिवादी ने पिछली जनवरी में लड़की का विवाह किया और उसकी बाबत प्रतिवादी ने ज़मींदार को रसम अदा नहीं की । पाँच सेर चावल और दो सेर शकर की ५) रुपया क़ीमत होती है ।

५—अभियोग कारण—

६—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना (टकीने और ज़मींदारी को रसम के लिये) ।

* नोट - ऐसी प्रथाएँ अब बन्द होती जा रही हैं । ज़मींदारी की अन्य प्रथाओं के लिये भी, जहाँ ऐसी प्रथाएँ प्रचलित हों, जैसे कि भूसा या करबी देना या गाय भैंस चराना इत्यादि, यही अर्जादावा, आवश्यक संशोधन करने पर काम में लाया जा सकता है ।

३६—दखल व वासनात (पूर्वलाभ)

यदि कोई मनुष्य वादी की जमीन पर बिना अधिकार दखल कर ले, या उचित प्रकार का दखल खतम हो जाने पर भी काबिज रहे तो ऐसी हालत में दरम्यानी मुनाफे और दखल के लिये दावे किये जाते हैं।

यह दावे यदि दफा ६ कानून दादरसी खास (Specific Relief Act) के मुताबिक किये जायें तो बेदखली के दिन से छः ६ महीने की मियाद होती है नहीं तो मामूनी दावा १२ साल के अन्दर किया जा सकता है। पहिली तरह के दावों में वादी को दखल दिला दिया जाता है और यह नहीं देखा जाता कि असलियत में जायदाद का मालिक कौन है।^१

धारा ६ के दावे के फैसले की कोई अपील नहीं होती परन्तु प्रतिवादी अपनी मिल्कियत का नम्बरी दावा बेदखल होने पर दायर कर सकता है।^२ इन दावों में किसी एक की मिल्कियत का त्रिण्य नहीं किया जाता और असली मालिक भी ऐसा प्रश्न नहीं उठा सकता।^३ वह अपनी मिल्कियत के आधार पर दूसरा दावा दायर कर सकता है, परन्तु एक ही दावे में दोनों बातों का फैसला नहीं किया जा सकता, जैसे, यदि प्रतिवादी जायदाद का मालिक हो परन्तु वादी का उस पर ६ महीने से कब्जा हो, ऐसी हालत में वादी को दफा ६ कानून दादरसी खास के दावे में डिगरी मिल सकती है लेकिन मिल्कियत के दावे में कोई डिगरी नहीं मिल सकती।^४

इन दावों में यह कि (१) वादी का जायदाद पर कानूनी कब्जा था (२) यह कि प्रतिवादी ने दावे के दिन से ६ महीने के अन्दर उसको बेदखल कर दिया है और यह कि (३) बेदखली उसकी बिला रषामन्दी के की गई, लिखना चाहिये।

धारा ६ की नालिश में वासनात नहीं दिलाया जा सकता इसलिये इन दावों में पुराने मुनाफा की प्रार्थना करना व्यर्थ होता है। ऐसे दावे गवर्नमेन्ट के खिलाफ दायर नहीं किये जा सकते और इनकी अपील या निगरानी नहीं हो सकती।

1. 7 I C 700

2 I L R 33 All 174 F. B; 46 All. 903.

3 I L R 56 Cal 29; A. 1 R 1922 Bom. 216.

4 I L R 33 All 174 F. B, 25 A L J. 847, 46 All. 903

दफा ९ के दावों के अतिरिक्त यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जायदाद पर बिना अधिकार काबिज हो या उसका जायज कब्जा रखने का हक खत्म हो जाने पर नाजायज तरह पर काबिज रहे तो मालिक को उसकी बेदखली के दिन तक जायदाद के मुनाफा घसूल करने का हक हासिल होता है।¹

नम्बरी दावों में वह हक (स्वत्व) जिसके बिनाय पर दावा किया गया हो दिखाना जरूरी है। इसके बाद प्रतिवादी का बेदखल करना या बादी का अपने आप दखल जाद देना और प्रतिवादी का दखल कर लेना दिखाना चाहिये।

मुशतर्क दखल पाने के लिये प्रजादिवे में फरकैत का मुशतर्क मालिक होना और वह घटनाएँ जिनमें ऐसे दखल में अंतर पड़ा हो, और जिस तारीख से प्रतिवादी का विरुद्ध अधिकार हुआ हो दिखाना चाहिये।

कोर्टफीस—दफा ६ कानून दादरसी खाम के दवों में कानून कोर्टफीस की परिशिष्ट १ के आर्टिकल २ के अनुसार मानियत पर आधी कोर्टफीस लगती है। अन्य दखल के दावों में दफा ७ V, (५) कानून कोर्टफीस के मुनाबिक रसूम लगाना चाहिये।

पियाद—दफा ६ कानून दादरसी खाम के मुद्दमें बेदखली के दिन से ६ महीने के अन्दर दायर होने चाहिये।² दखल के अन्य दवे बेदखली की तारीख से १२ साल के अन्दर³ एक हिस्सेदार का दूसरे हिस्सेदार के विरुद्ध दखल का दावा भी १२ साल के अन्दर दायर होना चाहिये उस तारीख से जब कि प्रतिवादा का कब्जा वादा क खिलाफ हुआ हो।⁴ इस सम्बन्ध में कानून मियद की धारा १४२ व १४४ का अन्तर अच्छी तरह से जानना चाहिये।⁵

नोट :—दखल व वासलात के नमूने भिन्न भागों में पहले भी दिये जा चुके हैं। आवश्यकतानुसार वे वाम में लाये जा सकते हैं।

1. 25 A. L. J. 857; I L. R. 49 All. 191; 6 Bom 215 F. B., 8 Pat 351, 10 Luck. 659; A. I. R 1930 Lah 220; But see 50 Cal 23 and 61 Cal. 419.

2. Art 3 Limitation Act.

3. Art. 142 Limitation Act

4 Art. 144 Limitation Act.

5. 1934 A. L. J. 973 F. B.; I. L. R 55 All. 209.

† (१) दखल के लिये निर्दिष्ट प्रतिकार विधान की धारा ९ के
अनुसार नालिश

(UNDER SEC 9 OF SPECIFIC RELIEF ACT)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—वादी एक मजिल पक्के मकान पर जो कि गाँव सोरों जिला एटा में स्थित है बहुत दिनों से काबिज है ।

२—उस मकान में वादी की रहाइश थी और वह उसमें बाल बच्चों सहित रहता था ।

३—जून सन् १९३४ ई० में वह कार्यवश अपने परिवार सहित मकान में ताला लगा कर बाहर गया हुआ था । प्रतिवादी ने उसकी अनुपस्थिति में मकान का ताला तोड़ कर उस पर कब्जा कर लिया ।

४—प्रतिवादी को बलपूर्वक कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं था । वादी उस मकान पर दखल पाने का दावेदार है ।

५—अभियोग कारण (कब्जा के दिन से छः महीने के अन्दर) ।

६—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना है कि उस मकान पर प्रतिवादी को वेदखल करके वादी को दखल दिलाया जावे और नालिश का खर्चा दिलाया जावे ।

(२) असली मालिक का, कब्जा करने वाले पर, अन्तर्गत लाभ
के लिए दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—वादी, ६१ बीघा १ बिस्वा जमींदारी जो ग्राम पला साहवाद परगना कोल
स्ताता खेवट नम्बर १ जमई १२५) रुपया का, १६ सितम्बर सन् १९३१ ई० के
रहननामे के अनुसार जो मुसग्मात बसंती वेगम वेबा दुरमतखॉ ने लिखा, से दखली
मुर्तहिन है ।

† नोट—दखल और अन्तर्गत लाभ वासलात के लिये बहुत ने नमूने भिन्न भिन्न
भागों में पहिले दिये जा चुके हैं और वह आवश्यकतानुसार काम में लाये जा सकते हैं ।

२—नात्रालिगी के दिनों में बोदी की भौं उमकी बली थी और दुर्गासिंह बादी न मामा सरवराकार था और वह रहन की हुई जायदाद की तहसील वसूल करता था।

३—दुर्गासिंह, केदारनाथ के यहाँ नौकर था। केदारनाथ ने अनुचित दावा डाल कर दुर्गासिंह से मुर्तहनी हक का एक बेंनामा लिखाया जिसमें उस रहन की हुई जायदाद का उसको असली मालिक और बादी को फर्जी मालिक जाहिर करके ता० ३ सितम्बर सन् १९३२ ई० को ज्वाला प्रसाद को रहन की हुई जायदाद पर अधिकारी बना दिया।

४—फसल रबी सन् १३५० फ० से उसने दुर्गासिंह ने रहन की हुई जायदाद न मुनाफा बादी को देना बन्द कर दिया इस पर बादी को ३ सितम्बर सन् १९३२ ई० के बेंनामे की तहरीर का हाल मालुम हुआ।

५—बादी ने ३ सितम्बर सन् १९३१ ई० के बेंनामे को मसूख करने के लिये अदालत सिविल जजी अलीगढ में दुर्गासिंह व ज्वाला प्रसाद के मुकाबले में दावा किया व १८ मार्च सन् १९३७ ई० को डिस्ट्रिक्ट हुआ परन्तु अदालत अपील से वह फैसला ता० २४ मार्च सन् १९३८ ई० को मसूख होकर बादी का दावा डिग्री हुआ वह बेंनामा वेग्रन करार दिया गया और वही फैसला हाई कोर्ट से भी स्थिर रहा।

६—बादी ने ६ मई सन् १९३८ ई० को अदालत अपील के फैसले के अनुसार रहन की हुई जायदाद पर अधिकार प्राप्त कर लिया।

७—ज्वाला प्रसाद, १३५० फसल रबी से खरीफ सन् १३४५ फ० तक रहन की हुई जायदाद पर अनुचित रीति से अधिकार किये रहा। इस दौरान को बाबत वासलात के निसबत रहन की हुई जायदाद के वसूल करने का हक बादी को ज्वाला प्रसाद प्रतिवादी से है।

८—बादी परन्तु भगड़ा दूर करने के लिये नालिश करने के दिन से दखल पाने के दिन तक दावा करता है।

९—वासलात की सख्या असल व सूद १) रुपया माहवारी के हिसाब से १००० रुपया है और यही सख्या दावे का मूल्य कोर्ट फीस के लिये निर्धारित किया जाता है।

१०—अभिधोग कारण—१ अगस्त सन् १९२५ ई० व १ अगस्त १९२६ ई० व १ अगस्त १९२७ ई० व १ अगस्त सन् १९२८ ई० को पैदा हुई है।

११—बादी १३ दिसम्बर सन् १९३८ ई० को बालिग हुआ है और अन्तर्गत लाभ उसकी अवयस्कता के समय में देय योग्य हुई इसलिए दावा में तमादी का कोई प्रभाव नहीं है।

मुद्दै प्रार्थी है कि—

१०००) रुपया असल व सूद नीचे लिखे हिसाब के अनुसार खर्चा नालिश सहित का दावा ज्वाला प्रसाद प्रतिवादी के ऊपर डिग्री किया जावे।

(३) अन्तर्गत लाभ और दखल के किये, जायदाद के मालिक की ओर से अन्य पुरुषों के ऊपर जो कि उस जायदाद पर कब्जा किये हुए हों, नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—वादी एक मजिला पक्के मकान का, स्थित मुहल्ला .. शहर.....मालिक व काबिज था ।

२—वादी कार्यवश जून सन् '१९४० ई० में बरई आदि स्थानों को मकान में ताला लगा कर गया था ।

३ प्रथम प्रतिवादी ने वादी की अनुपस्थिति में दिसम्बर सन् १९४० ई० में उस मकान पर अनुचित प्रकार से कब्जा कर लिया और अपनी ओर से द्वितीय प्रतिवादी को किराये पर दे दिया । इस समय उस मकान में द्वितीय प्रतिवादी प्रथम प्रतिवादी की ओर से, किरायेदार की हैसियत से रहता है ।

४—वादी सन् १९४२ ई० में वापिस आया और प्रतिवादी से मकान का कब्जा माँगा । वह लोग वादी के हक को नहीं मानते और कब्जा देने से इनकार करते हैं ।

५—प्रतिवादी का उस मकान पर कब्जा नाजायज और बिना किसी अधिकार के है । वादी उस मकान पर दखल और हर्जा पाने का दावेदार है ।

६—अभियोग कारण—दिसम्बर सन् १९४० ई०, नाजायज कब्जा करने के दिन से ।

७—दावे की मालियत —

वादी प्रार्थी है कि —

(अ) वादी को मकान पर दखल दिलाया जावे ।

(ब) ...रुयया दिसम्बर सन् १९४० ई० से लेकर नालिश करने की तिथि तक अन्तर्गत लाभ और दखल मिलने के दिन तक का हर्जा दिलाया जावे ।

(४) उत्तराधिकारी की ओर से काबिज अननवी

पुस्तक पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं :—

१—विशुनगिट १५ दिस्वा की असली जमींदारी आता खेवट नम्बर १, तादादी ३ दिस्वा रकम १२६ बीघा ३ दिस्वा, लगन ८६॥—), वाकै मौजा हरनोट परगना भिवारपुर का मालिक था ।

२—विशुनसिंह की १६१६ ई० में मृत्यु हुई और उसकी विधवा श्रीमती फूलो जीवन भर दायभागी की हैसियत से काबिज हुई और उसका नाम माल के कागजात में विशुनसिंह की जगह दर्ज हुआ ।

३—श्रीमती फूलो का भी मार्च सन् १६२६ ई० में देहान्त हो गया । वादी विशुनसिंह के सगे भाई दीवानसिंह के लड़के हैं और प्रतिवादी विशुनसिंह के सगे भाई धर्मसिंह के नाती हैं ।

४—धर्म शास्त्र के अनुसार विशुनसिंह के भतीजे होने के कारण, वादी प्रतिवादियों के विरुद्ध उसके निकट दायभागी है जो कि एक श्रेणी अधिक दूर हैं ।

५—श्रीमती फूलो के देहान्त के बाद प्रतिवादियों ने यह प्रगट किया कि वह भी विशुनसिंह के दायभागी हैं और इस धोके से प्रतिवादियों ने वादियों के साथ साथ ता० २० अपरेल सन् १६३० ई० को अपना नाम अदालत माल के कागजों में दर्ज करा लिया ।

६—जून सन् १६३२ ई० में प्रतिवादियों ने बटवारे के लिये अदालत माल में दरखास्त पेश की उस समय वादियों को मालूम हुआ कि वादियों के होते हुये श्रीमती फूलो के देहान्त पर विशुनसिंह की मृत सम्पत्ति में प्रतिवादियों का कोई स्वत्व नहीं था और उन्होंने अपना नाम अनुचित रीति से माल के कागजों में दर्ज करा लिया है

७—वादियों ने अदालत माल में बटवारे के विरुद्ध उत्तरदायी पेश की और वहाँ से ता० को इस भगड़े का अदालत दीवानी से निर्णय कराने के लिये आशा हुई ।

८—अभियोग कारण (प्रतिवादियों का नाम दर्ज होने, और विशेष कर ता० ... को अदालत माल के हुकम के दिन से) ।

९—दावे की मालियत (कोर्ट फीस मालगुजारी से पचगुने पर दिया जावेगा) ।
वादी की प्रार्थना—

(अ) वादियों को आधा हिस्सा कुल १५ बिस्वासी जमींदारी ग्वाता खेवट नम्र १ तादादी ३ बिस्वा रकबा १२६ बीघा ३ बीस्वा, लगान ८६॥), वाकै मौजा हरनोट परगना शिकारपुर पर दखल दिलाया जावे ।

(५) अधिकारी दायभागियों की ओर से अन्य दायभागियों पर दखल के लिये दावा


१ - भीमसिंह	} वादी, बनाम	१ धान्धूसिंह	} प्रतिवादी
२ - गगाराम		२ टालसिंह	
		३ - दवंगरसिंह	
		४ - भूरा	
		५ - तोता	
		६ - सुन्दरा	
		७ - मुरलीसिंह	

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं—

१—वादियो का चचेरा भाई अजयराम नीजे लिखी जायदाद का जो ग्राम नहड़ी परगना काल में स्थित है, मालिक व अधिकारी था ।

२—छैः या सात महीने हुये हेगे कि अजयराम का देहान्त हो गया और उसकी विधवा श्रीमती कमला उस जायदाद पर जीवन भर दाय भागी होने के कारण अधिकारी हुः ।

३—पिछले चैत्र में श्रीमती कमला का भी देहान्त हो गया । और उस जायदाद के पश्चात् दायभागी, वादी, निम्नलिखित वशावली के अनुसार मालिक हुये—



४—प्रतिवादी न० १ व २ परसराम के लड़के और न० ३ परसराम के नाती हैं जो कि आरामी का पुत्र था परन्तु एक मनुष्य सीताराम ने उसको गोद ले लिया था और उसने उक्त सीताराम की मृत सम्पत्ति को पाया जिस पर उक्त तीनों प्रतिवादी अब भी अधिकारी हैं । उनका कोई स्वत्व अजयराम की मृत सम्पत्ति में नहीं हो सकता ।

५—प्रतिवादी नं० ४ से ७ तक मृतक अजयराम के कुटुम्बी भतीजे हैं परन्तु वादियो के विरुद्ध जो कि उसके चचेरे भाई हैं उनको कोई दायभाग नहीं पहुँचता । उनके पिता कल्याण व खूवीराम श्रीमती कमला की मृत्यु होने के समय जीवित नहीं थे ।

६—अजयराम की मृत सम्पत्ति के तीन मकानों में से दो मकानो पर तो वादी काधिक

हैं और तीसरे मकान पर (जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी हुई है) प्रतिवादियों ने अनुचित अधिकार कर लिया है और अदालत माल ने अनुचित रीति से वादियों के साथ साथ उनका नाम, भी अजयराम की जायदाद के कागजों में दर्ज कर दिया है जिससे कि वादियों को, उनके अधिकार में प्रत्यन्त हानि पहुँचती है ।

७—वादियों का नाम वजाय कुल जमींदारी के सिर्फ १ तिहाई हिस्से पर दर्ज हुआ है इसलिये वह बाकी हिस्से पर और उस मकान पर दखल पाने के अधिकारी हैं जिस पर कि प्रतिवादियों ने अनुचित दखल कर रक्खा है ।

८ अभियोग कारण—

९—दावे की मालियत (कोर्ट फीस हिस्से की पचगुनी मालगुजारी पर) ।

वादियों की प्रार्थना (धारा नम्बर ७ के अनुसार) ।

(जायदाद की तफसील)

(६) उत्तराधिकारी का दखल व अन्तर्गत काम के लिये काविज़ पुरुष के ऊपर दावा ।

१—एक मनुष्य नन्हे खॉ नीचे लिखी हुई जायदाद (यहाँ पर जायदाद का ब्योरा लिखना चाहिये) का मालिक व अधिकारी था ।

२—पचास वर्ष के लगभग हुये होंगे कि नन्हे बाहर चला गया और प्रतिवादी का नाम जो उक्त नन्हे का कुटुम्बी भाई लगता था माल के कागजों में काविज़ होने की हैसियत से दर्ज हुआ और उस हैसियत से आज तक दर्ज चला आता है ।

३—उक्त नन्हे खॉ कभी गाँव छोड़ने पर भी मिलता रहा । वह लगभग ८ वर्ष से बिल्कुल ला पता है । मालूम हुआ है कि उसका १९३६ ई० में या उसी के लगभग देहान्त हो गया है ।

४—वादी व उक्त नन्हे खॉ की वशावली नीचे लिखी हुई है (यहाँ पर वंशावली लिखनी चाहिये) ।

५—वादी वंशावली के अनुसार उक्त नन्हे का उत्तराधिकारी है और उसकी मृत सम्पत्ति का मालिक है ।

६—प्रतिवादी वादी के मुकामले में मृतक नन्हे का उत्तराधिकारी नहीं है । उसका अधिकार नन्हे की जायदाद पर बिना किसी हक के और अनुचित है ।

७—वादी ने अदालत माल में दरखास्त प्रतिवादी के नाम को काटने व अपने नाम को दर्ज करने की दी थी उस का प्रतिवादी ने विरोध किया और दरखास्त १६ दिसम्बर सन् १९४३ ई० को नामजूर हुई ।

८ - वादी निजाई जायदाद का पिछले ३ साल का अन्तर्गत लाभ व दखल पाने का हकदार है।

(७) असली मालिक का दखल और अन्तर्गत लाभ के लिये अधीकृत पुरुष और उसके खरीदार पर दावा

१—मृतक केहरीसिंह, वादिनी का ससुर और नीचे लिखी हुई जायदाद का अकेला मालिक व अधिकारी था। केहरसिंह का सगा भाई नौबतसिंह प्रतिवादी न० १ उससे विलकुल विभक्त था और उसका केहरीसिंह की जायदाद से कोई सम्बन्ध नहीं था।

२—३ मार्च १९.....ई० के लिखे हुये दानपत्र (हिवानामा) से केहरीसिंह ने अपनी इस जायदाद को वादिनी के नाम दान कर दिया और उसी तारीख से वादिनी उसकी मालिक हो गई।

३—केहरीसिंह की सन् १९.....ई० में मृत्यु हो गई और प्रतिवादी नं० १ ने वादिनी की असहायता और इन बातों से परिचित न होने का अनुचित लाभ उठा कर अपना नाम अदालत माल के कागजों में केहरीसिंह के वजाय दर्ज करा लिया और वादिनी को यह विश्वास दिलाया कि उसने उन्हीं का नाम कागजों में दर्ज करा दिया है।

४—प्रतिवादी न० २ ने बकाया लगान की एक डिगरी की इजराय में प्रतिवादी न० १ से मिल कर धोके में उस जमींदारी को नीलाम कराया और स्वयं खरीद लिया, इस मिलावट और धोके की कार्रवाई का भी वादिनी को पता नहीं चला और न वह उसमें कोई फरीक थी।

५—वादिनी केहरीसिंह की जायदाद की मालिक है और उस पर दखल और उसका अन्तर्गत लाभ पाने की अधिकारी हैं। प्रतिवादी नं० १ का अपना नाम दर्ज करा लेने से और प्रतिवादी न० २ के नाम नीलाम हो जाने से वादिनी के विरुद्ध न्याय से कोई प्रभाव नहीं है।

६—अभियोग कारण (हिवानामा लिखे जाने के दिन से और मिलावट और धोके की कार्रवाई की सूचना होने के दिन से) ।

७—दावे की मालियत—

वादिनी प्रार्थी हैं कि—

(अ) नीचे लिखी जायदाद पर उसके दखल दिलाया जावे।

(ब) मुचलिन ६००) २० वार्षिक अन्तर्गत लाभ दिलाया जावे।

(क) नालिश वा म्यर्चा दिलाया जावे।

(ट) नीकाम खरीदने वाले का, दखल और वासजात के किये
मदयून और उससे मिले हुये खरीदार पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने १४ अगस्त १९३४ ई० के लिखे हुए एक तमसुक के आधार पर प्रतिवादी नं० २ के ऊपर ७ अगस्त १९३७ ई० का दावा दायर किया और उसमें पेशी के लिये ५ सितम्बर १९३७ ई० नियत हुई, परन्तु सम्मन तामील न होने के कारण से पेशी नहीं हो सकी ।

२—वादी को उस समय मालूम हुआ कि प्रतिवादी नम्बर २ उसके हानि पहुँचाने के लिये अपनी जमींदारी बेचने का इरादा कर रहा है इसलिये उसने ७ सितम्बर १९३७ ई० को प्रतिवादी नं० २ की जमींदारी की, फ़ैसले से पहिले ही कुरकी के लिये दरखास्त पेश की, जिसको अदालत ने जायदाद का उचित मूल्य न लिखने के कारण अस्वीकार कर दिया ।

३—यह कि अन्त में प्रतिवादी नं० २ के प्रतिवादी के बाद ६ नवम्बर १९३७ ई० को वादी का दावा डिगरी हुआ ।

४—वादी ने जिस डर से कुरकी की दरखास्त दी थी वह ठीक था और प्रतिवादी नं० २ ने डिगरी होने के ५ दिन पहिले ही नवम्बर १९३७ ई० को उसका ठेका धोके से प्रतिवादी नं० १ के नाम बहुत कम लगान पर लिख दिया ।

५—यह कि वादी ने १२ दिसम्बर सन् १९३७ ई० को कुर्की की दरखास्त ४३३ बीघा कुल रियासत जमींदारी की दी थी जिसको अदालत ने ता० ७ दिसम्बर सन् १९३७ ई० को उचित रूप से प्रमाणित न होने के कारण नामजूर कर दिया ।

६—यह कि प्रतिवादी नम्बर २ को इस कार्रवाई की सूचना मिलती रही और उसने १२ दिसम्बर सन् १९३७ ई० को उस जायदाद में से, पुख्ता २१ बीघा ६ बिस्वा आराज़ी का बैनामा और दूसरा बैनामा सन् १३४५ ई० से लेकर सन् १३४७ ई० तक के मुनाफे का प्रतिवादी नम्बर ३ के नाम फर्जी रूप से लिख दिये ।

७—यह कि प्रतिवादी नं० २ का प्रतिवादी नम्बर १ देवर, और प्रतिवादी नम्बर ३, समधिन और प्रतिवादी नम्बर ४ भाई व करिन्दा हैं, इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नम्बर ४, सूरजपुर गाँव के पटवारी का भाई है ।

८—यह कि वादी ने तीसरी बार दिसम्बर सन् १९३७ ई० के अंत में कुल ४३३ बीघा जमींदारी की कुर्की के लिये दरखास्त दी और ता० २२ नवम्बर

सन् १९३८ ई० को उसका नीलाम हुआ जो वादी ने खरीद किया औरर सार्टिफिकेट हासिल करने के बाद वादी ने २३ मार्च सन् १९३९ ई० को दखल हासिल किया ।

९—यह कि ठेकानामा और ब्रैनामा दोनो दिखावटी हैं और मिलावट से लिखाये गये हैं और वह वादी के विरुद्ध वे असर हैं । वादी कुल हकीयत पर पूरा दखल पाने का हकदार है ।

१०—यह कि प्रतिवादियो ने वादी का पूरा दखल नहीं देने दिया इसलिये खरीदने की तारीख से नालिश करने के दिन तक, वादी अन्तर्गत लाभ पाने का हकदार है जिसकी संख्या नीचे लिखे हुये हिसाब से प्रगट होगी ।

११—बिनायदावी (खरीदारी के दिन और जान्ते का दखल मिलने के दिन से) ।

१२—दावे की मालियत—

(अ) वादी को नीचे लिखी हुई हकीयत जमींदारी पर दखल दिलाया जावे और पहिली नवम्बर सन् १९३७ ई० का ठेका नामा और १३ नवम्बर सन् १९३७ ई० का ब्रैनामा वादी के विरुद्ध वेअसर करार दिये जावे । (हिसाब वासलात)

(९) साहिक का, ज़मीन पर दखल पाने और तामीर गिरवाने के लिये, नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले के ऊपर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :—

१—मुहल्ला कड़ोरी फिरौजाबाद में प्रतिवादी का निवासगृह है और उससे भिली हुई पूरब की ओर वादी की खाली जमीन है । मौके की कुल स्थिति दावे के साथ दिये हुये नक्शे से मालूम होती है ।

२—प्रतिवादी ने सितम्बर सन् १९.....ई० में अपना मकान गिराकर फिर से बनवाया और ऐसा करने में वादी की, उत्तर-दक्खिन दो गज आराजी और १२ गज जमीन पूरब-पच्छिम अपने मकान में दबा ली जो नक्शे में अ, ब, क, ख, अक्षरों से दिखाई गई है ।

३—वादी उस समय शहर गया हुआ था, जब वापस आया तो प्रतिवादी के मकान की उत्तरी इनिपाद भरी जा रही थी ।

४—वादी ने जमीन को अनुचित रूप से मकान में दबा लेने से प्रतिवाद को मना किया लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगड़ा करने को तैयार हुआ ।

५—प्रतिवादी, वादी के नालिश करने के विचार की खबर पाकर दीवाल को बहुत जल्दी बनवा रहा है ।

६—अभियोग कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को २४ वर्ग गज भूमि (उत्तर-दक्खिन, २ गज और पूरव-पच्छिम १२ गज) पर प्रतिवादी की बनाई हुई दीवार इत्यादि को गिरवा कर दखल दिलाया जावे ।

(ब) नीचे लिखी हुई कुल तामीर प्रतिवादी के खर्चों से गिरा दी जावे और वादी की जमीन पहिले की सी हालत में करा दी जावे ।

(१०) गोद लेने वाली स्त्री की ओर से, वसीयतनामे को मनसूख करके, गोद लिये हुये लड़के और उसके वसीयत किये हुए मनुष्य के विरुद्ध, दखल के लिये दावा

ठकुरानी मान कुँअर

वादिनी

बनाम,

१—द्रगपालसिंह }
२—कल्यानसिंह }

प्रतिवादी

वादिनी निम्नलिखित निवेदन करती है :—

१—वादिनी के पति ठाकुर रामप्रसादसिंह, हसनगढ़ी की नीचे लिखी हुई जायदाद के मालिक व काबिज़ थे ।

२—रामप्रसाद सिंह का २ अप्रैल सन् १९१३ ई० का देहान्त हुआ और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहिले अपने कुटुम्ब और वादिनी को वह वसीयत की थी जिसका विवरण १७ अप्रैल सन् १९१३ ई० के लिखे हुये इक़रारनामे में दर्ज है ।

३—यह कि अपने पति के वसीयतनामे (मृत्यु लेख) के अनुसार वादिनी ने ता० २१ मार्च सन् १९१७ ई० को सर्दारसिंह के लड़के गोविन्दपालसिंह को इस शर्त पर गोद लिया कि यदि उसकी वादिनी के जीवित होते हुये मृत्यु हो जाय तो वादिनी उसी कुटुम्ब से दूसरा पुत्र गोद कर ले और इन शर्तों को मंज़ूर करके सर्दारसिंह ने गोविन्दपालसिंह को इक़रार नामा लिख कर गोद दिया, और उसको वादिनी के जीवित होते हुए उसके पति रामप्रसादसिंह की मृत सम्पत्ति को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था ।

४—गोविन्दपालसिंह शुरु से ही एक निर्बुद्धि लड़का था और उसको अपनी हानि-लाभ समझने या विचार करने की योग्यता नहीं थी और नशेवाजी और शराब पीने के कारण उसकी तन्दुरुस्ती भी बिलकुल खराब थी ।

५—कल्याण सिंह प्रतिवादी नम्बर २ ने, जिसकी धेवती गोविन्दपालसिंह के व्याही थी और जो उसकी स्थिति जानता था, यह विचार करके कि गोविंदपाल और हसनगढ़ी की जायदाद उसके कब्जे में आजावे उसको सन् १९२५ ई० से अपने पास रक्खा और उससे भूँठे कर्जों का इकठाल कराया और रामप्रसादसिंह की जायदाद का अपने नाम ७ साल के लिये ठेकानामा लिखा कर उस पर अनुचित अधिकार कर लिया ।

६—इसके पश्चात् गोविन्दपाल की, कुसगति से दशा और भी खराब हो गई और वह बीमार रहने लगा । अस्वस्थता, नशेवाजी और शराब की वजह से उसको अपने हानि-लाभ समझने और किसी बात पर विचार करने की बिल्कुल शक्ति नहीं रही और प्रतिवादी नम्बर २ ने सन् १९२५ ई० से उसको अपने मकान से बाहर जाने या वादी अथवा अन्य किसी कुटुम्बी से मिलने का अवसर नहीं दिया ।

७—गोविन्दपालसिंह की ता०.....के मृत्यु हो गई । उसकी स्त्री भी उसके सात आठ महीने पहिले ही इसी दुःख में मर चुकी थी ।

८—गोविन्दपालसिंह के मरने से कुछ दिन पहिले प्रतिवादी नम्बर २ ने उसके जीवित रहने की आशा न देख कर लालच और जायदाद पर अनुचित अधिकार रखने के हेतु से गोविन्दपाल की बेहोशी और बदहवासी की दशा में उससे एक बर्सीयतनामा द्रगपालसिंह के नाम गवाहों को मिला फर जो कि उसी के मित्र थे, तैयार कराया और उसमें कई कर्जों का भी मिथ्यावर्णन करा लिया । हसनगढ़ी की आमदनी और गोविन्दपाल सिंह के कम खर्च होने से कर्ज लेने की न कोई आवश्यकता थी और न कोई वास्तव में कर्जा लिखा गया ।

९—यह कि १७ अगस्त सन् १९२६ ई० का लिखा हुआ बँनामा बनावटी और भूँटा है और गोविन्दपालसिंह के ठीक होश हवास होते हुये विक्री पत्र नहीं लिखा गया और न गोविन्दपाल के बर्सीयतनामे का मजमून मालूम था । इसके अतिरिक्त वादनी के पति का बर्सीयत के अनुसार और सर्दार सिंह के प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार वह इस सम्पत्ति का पूरा मालिक नहीं था और न उसको बर्सीयत या परिवर्तन का अधिकार था और न उसने ऐसी कोई बर्सीयत की, क्योंकि उसको इतना समझने का विचार करने की शक्ति ही नहीं थी ।

१०—इसके पश्चात् प्रतिवादी ने कई बारबाई ऐसी की जिसमें रामप्रसादसिंह की सून सम्पत्ति का एक भाग बर्बाद हो चुका है और दिखावटी कर्जों की वजह से हसनगढ़ी के हसनगर दिखाम जाता है । गोविन्दपालसिंह के किसी ठेकानामे

रत्नादि के विनाय पर प्रतिवादी को उस पर काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

११—गोविन्दपालसिंह की मृत्यु के बाद वादी ने दाखिल खारिज की दरखास्त दी और प्रतिवादी के एतराज करने पर उसको इन सब बातों का और वसीयतनामे के लिखाये जाने का जान हुआ ।

१२—प्रतिवादी की इस अनुचित कार्रवाई से वादी के पति की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और अन्य पुरुषों के पास जायदाद चले जाने का भय है और रामप्रसादसिंह की कुटुम्बी पीढी स्थिर नहीं रह सकती और न उसका कोई श्राद्ध और तर्पण करने योग्य पुरुष रहता है ।

१३—वादी के पति की वसीयत के अनुसार गोविन्दपाल की मृत्यु के बाद वादिनी उस जायदाद पर कब्जा पाने और दूसरा लड़का गोद लेने की अधिकारी है और प्रतिवादी का कब्जा नाजायज है । उससे कब्जा छोड़ने के लिये कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देता ।

१४—अभियोग कारण (गोविन्दपाल की मृत्यु के दिन से और वसीयतनामे इत्यादि की कार्रवाई की सूचना होने के दिन से) ।

१५—दावे की मालियत—

वादिनी प्रार्थी है कि—

(अ) उसको रामप्रसादसिंह की नीचे लिखी हुई जायदाद पर दखल व कब्जा दिलाया जावे ।

(ब) प्रतिवादी के नाम वसीयतनामा, वादिनी के विरुद्ध बेअसर और मसूख करार दिया जावे ।

(जायदाद का विवरण)



३७—स्वत्व घोषणा (इस्तकरार) की साधारण नालिशें

यदि एक पुरुष की मिल्कियत या किसी दूसरे हक पर किसी अन्य पुरुष के किसी कार्य के कारण कोई क्षति पहुँचती हो या भविष्य में क्षति पहुँचने का भय होता हो, तो वह इस्तकरार की नालिश कर सकता है। परन्तु ध्यान रहे कि यदि प्रतिवादी के शिकायती काम से वादी जायदाद से बेदखल हो या वह इस्तकरार के अतिरिक्त अदालत से अन्य प्रार्थना भी कर सकता हो तो ऐसी नालिश नहीं चल सकती।¹ हिन्दुस्तान के प्रायः सभी हाई कोर्टों की पहले यह राय थी कि इस्तकरार की डिगरी धारा ४२ निर्दिष्ट प्रतिकार विधान (दफा ४२ कानून दादरसी खास) के अनुसार ही सादिर की जा सकती है और अदालत उस दफा के अतिरिक्त डिगरी सादिर नहीं कर सकती।² परन्तु मद्रास हाईकोर्ट की राय शुरू से ही यह है कि अदालत दफा ४२ कानून दादरसी खास के अतिरिक्त भी इस्तकरार की डिगरी सादिर कर सकती है।³ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक फुलबेन्च फैसले से यही राय ग्रहण की है।⁴

दफा ४२ कानून दादरसी खास के अनुसार प्रायः दो ही प्रकार के इस्तकरार हो सकते हैं, (१) किसी कानूनी हैसियत के निस्वत और (२) किसी जायदाद से किसी हक या अधिकार के निस्वत, इसलिये उस दफे के अनुसार यह इस्तकरार नहीं किया जा सकता कि वादी अमुक परीक्षा में सफल या उत्तीर्ण हो चुका है।⁵ या कि वादी किसी जायदाद पर चलपूर्वक काबिज है।⁶ इसलिये वादी को दफा ४२ के दावा में लिखना चाहिये कि उसका क्या हक है जैसा हक मिल्कियत या पट्टा या हक मुर्तहिन इत्यादि या कि वादी कोई कानूनी हैसियत रखता है जैसे कि किसी का दत्तक पुत्र या किसी नाबालिग (अवयस्क) का चली या ट्रस्टी इत्यादि। यह भी लिखना चाहिये कि प्रतिवादी वादी का हक स्वीकार नहीं करता या कि उसके विरुद्ध कार्य करता है।

इस्तकरार के लिये वादी का जायदाद पर काबिज होना जरूरी होता है और यह अर्जीदादा में लिखना चाहिये वरना इस्तकरार का दावा नहीं चल सकता।⁷ और वादी को दखल की प्रार्थना करनी चाहिये।⁸ ऐसी प्रार्थना उचित कोर्ट

1 Sec 42, Specific Relief Act

2 A I R 1931 All 80, 1928 Cal 65, I L R 12 Pat 359

3 A I R 1957 Mad 964.

4 1955 A L J 673, F B

5 23 A L J 219

6 351 C 3.

7 I L R 3 P. 915

8 I L R 50 All 522

फीस देने पर ही दावे में बढ़ाई जा सकती है।¹ परन्तु जहाँ भगड़े वाली जायदाद पर वादी और प्रतिवादी में से किसी का कब्जा न हो तो वादी को दखल की प्रार्थना आवश्यक नहीं है।²

इस्तकरार की आवश्यकता भिन्न भिन्न दशाओं में प्रतीत होती है। एक साधारण दशा यह है जब कि डिगरीदार अपनी डिगरी में दिसी जायदाद को अपने निर्णीत ऋणी (मद्यून) की कह कर फुर्क व नीलाम कराता है और जायदाद के मालिक की उज्रदारी इजराय डिगरी में खारिज हो जाती है या किसी अन्य पुरुष की उज्रदारी पर अदालत उस जायदाद को छोड़ देवे, दोनों दशाओं में उज्रदार या डिगरीदार इस्तकरार का दावा आर्डर २१ नियम ६३ ज्वात्तादीवानी के अनुसार दायर कर सकते हैं। इसी प्रकार नीलाम होने के बाद आर्डर २१ कायदा १०३ व्यवहार-विधि-संग्रह (जामा दीवानी) के मुनाबिक इस्तकरार के दावे किये जा सकते हैं आर्डर २१ कायदा ६३ के मुकदमों में यदि दावा डिगरीदार की तरफ से हो तो मद्यून डिग्री का फरीक बनाना जरूरी नहीं होता लेकिन यदि दावा किसी अन्य पुरुष की तरफ से हो तो मद्यून डिग्री को मुकदमे में फरीक बनाना चाहिये।³ इन दावों में सबूत का भार प्रायः वादी पर होना है।

सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ५३⁴ के अनुसार परिवर्तन को खंडित कराने और इस्तकरार के लिये दावे किये जाते हैं और इन्साल्वेन्सी के रिसीवर भी इस्तकरार और परिवर्तन को खंडित कराने के दावे करते हैं। इसी प्रकार धोखा या फरेब से प्राप्त की हुई डिगरी के विरुद्ध इस्तकरार कराने की आवश्यकता होती है। इस भाग में इन सब प्रकार की नालिशों के नमूने दिये गये हैं। ध्यान रहे कि इस्तकरार करना अदालत की विचार शीलता उपशमन (अख्तयारी दादरसी) है और इस्तकरार स्वत्वारूप नहीं माँगा जा सकता। यदि कोई उससे लाभ न हो तो इस्तकरार नहीं दिया जाना चाहिये।

मियाद—इस्तकरार की नालिश के लिये कानून मियाद की परिशिष्ट १ में कोई विशेष आर्टिकल नहीं है इसलिये ये दावे साधारण आर्टिकल १२० के अनुसार ६ साल के अन्दर दायर किये जाते हैं।⁵ परन्तु आर्डर २१ नियम ६३ व १०६ जामा दीवानी की नालिशों के लिये १ साल की मियाद नियत है।⁶ और डिगरी व हुकम की मन्सूखी के इस्तकरार के लिये एक साल की मियाद है। दस्तावेजों को मन्सूख कराने के लिये मियाद ३ साल है।

1 A I R 1932 Lah 255

2 A I R 1926 Oudh 43, 1933 Pat 259

3 I L R 28 All 41.

4 Sec 53, Transfer of Property Act

5 Pat 391, 20 Cal 906

कोर्ट-फीस—आर्डर २१ नियम ६३ व्यवहार-विधिसंग्रह के दावों में जहाँ पर जायदाद की मालियत डिगरी की मुतालवे (रूपये) से अधिक हो तो मुकदमें की मालियत डिगरी का रूपया नियत करना चाहिये, लेकिन जहाँ पर ऐसी जायदाद की मालियत डिगरी के मुतालवे से कम हो तब अदालत के दर्शनाधिकार के लिये वही मालियत नियत करनी होती है लेकिन नियत कोर्टफीस आर्टिकल १७ (१) कोर्टफीस एक्ट से लगता है (संयुक्त प्रान्त में दावे की मालियत पर आधा कोर्ट-फीस लिया जाता है) ।¹

(१) व्यवहार-विधि-संग्रह के आर्डर २१ नियम ६३ के अनुसार

असफल उज्रदार का इस्तकरार के लिये दावा

(ORDER XXI, RULE 63, C. P. C.)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी पूरा मालिक है ।

२—इस जायदाद को प्रतिवादी (अ—ब—) ने अपनी डिग्री नम्बरी अदालत... . वनाम (क—ख—) की इजराय में ता०के कुर्क कराया ।

३—वादी ने इस कुर्की की निसयत जाव्ता दीवानी के आर्डर २१ कायदा ५८ के अनुसार उज्रदारी पेश की लेकिन अदालत ने उसको सरकारी तौर से ता०.....के नामजूर कर दिया ।

४—इस जायदाद में (क—ख—) मदयून का कोई हक नहीं है और वादी जायदाद की मिलकियत के बारे में अपने हक का इस्तकरार करा सकता है ।

५—बिनायदावी (उज्रदारी नामजूर होने के दिन से) ।

६—दावे की मालियत (अदालत के अधिकार के लिये जायदाद की कीमत या डिग्री का रूपया होगी, लेकिन इस्तकरार का नियत कोर्ट फीस दिया जावेगा) ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) इस बात की घोषणा की जावे कि नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी पूरा मालिक है और डिग्री नम्बरी.....अदालत(अ—ब—) डिग्रीदार वनाम (क—ख—) मदयून की इजराय में वह जायदाद कुर्क व नीलाम नहीं हो सकती ।

(जायदाद का विवरण)

फीस देने पर ही दावे में बढ़ाई जा सकती है।¹ परन्तु जहाँ भगड़े वाली लाय-दाद पर वादी और प्रतिवादी में से किसी का कब्जा न हो तो वादी को दखल की प्रार्थना आवश्यक नहीं है।²

इस्तकरार की आवश्यकता भिन्न भिन्न दशाओं में प्रतीत होती है। एक साधारण दशा यह है जब कि डिगरीदार अपनी डिगरी में किसी जायदाद को अपने निर्णीत ऋणी (मद्यून) की कह कर फुक व नीलाम कराता है और जायदाद के मालिक की उज्रदारी इजराय डिगरी में खारिज हो जाती है य किसी अन्य पुरुष की उज्रदारी पर अदालत उस जायदाद को छोड़ देवे, दोनों दशाओं में उज्रदार या डिगरीदार इस्तकरार का दावा आर्डर २१ नियम ६३ ज्ञात्तादीवानी के अनुसार दायर कर सकते हैं। इसी प्रकार नीलाम होने के बाद आर्डर २१ कायदा १०३ व्यवहार-विधि-संग्रह (ज्ञात्ता दीवानी) के मुताबिक इस्तकरार के दावे किये जा सकते हैं आर्डर २१ कायदा ६३ के मुद्दों में यदि दावा डिगरीदार की तरफ से हो तो मद्यून डिग्री का फरीक बनाना जरूरी नहीं होता लेकिन यदि दावा किसी अन्य पुरुष की तरफ से हो तो मद्यून डिग्री को मुद्दमें में फरक बनाना चाहिये।³ इन दावों में सबूत का भार प्रायः वादी पर होता है।

सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ५३⁴ के अनुसार परिवर्तन को खंडित कराने और इस्तकरार के लिये दावे किये जाते हैं और इन्साल्वेन्सी के रिसीवर भी इस्तकरार और परिवर्तन को खंडित कराने के दावे करते हैं। इसी प्रकार धोखा या फरेब से प्राप्त की हुई डिगरी के विरुद्ध इस्तकरार कराने की आवश्यकता होती है। इस भाग में इन सब प्रकार की नालिशों के नमूने दिये गये हैं। ध्यान रहे कि इस्तकरार करना अदालत की विचार शीलता उपशमन (अखत्यारी दादरसी) है और इस्तकरार स्वत्वारूप नहीं माँगा जा सकता। यदि कोई उससे लाभ न हो तो इस्तकरार नहीं दिया जाना चाहिये।

मियाद—इस्तकरार की नालिश के लिये कानून मियाद की परिशिष्ट १ में कोई विशेष आर्टिकल नहीं है इसलिये ये दावे साधारण आर्टिकल १२० के अनुसार ६ साल के अन्दर दायर किये जाते हैं।⁵ परन्तु आर्डर २१ नियम ६३ व १०६ ज्ञात्ता दीवानी की नालिशों के लिये १ साल की मियाद नियत है।⁶ और डिगरी व हुक्म की मन्सूखी के इस्तकरार के लिये एक साल की मियाद है। दस्तावेजों को मन्सूख कराने के लिये मियाद ३ साल है।

1 A I R 1932 Lah 255

2 A I R 1926 Oudh 43, 1933 Pat. 259

3 I L R 28 All 41.

4. Sec. 53, Transfer of Property Act.

5 I. L R 54 Bom 4, 2 Pat 391, 20 Cal 906

कोर्ट-फीस—आर्डर २१ नियम ६३ व्यवहार-विधिसंग्रह के दावों में जहाँ पर जायदाद की मालियत डिग्री की मुतालवे (रूपये) से अधिक हो तो मुकदमें की मालियत डिग्री का रूपया नियत करना चाहिये, लेकिन जहाँ पर ऐसी जायदाद की मालियत डिग्री के मुतालवे से कम हो तब अदालत के दर्शनाधिकार के लिये वही मालियत नियत करनी होती है लेकिन नियत कोर्टफीस अर्टिकल १७ (१) कोर्टफीस एक्ट से लगता है (संयुक्त प्रान्त में दावे की मालियत पर आधा कोर्ट-फीस लिया जाता है) ।¹

(१) व्यवहार-विधि-संग्रह के आर्डर २१ नियम ६३ के अनुसार

असफल उज्रदार का इस्तक्रार के लिये दावा

(ORDER XXI, RULE 63, C. P. C.)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी पूरा मालिक है ।

२—इस जायदाद का प्रतिवादी (अ—ब—) ने अपनी डिग्री नम्बरी अदालत... .. बनाम (क—ख—) की इजराय में ता०के कुर्क कराया ।

३—वादी ने इस कुर्की की निसयत जायदादी के आर्डर २१ कायदा ५८ के अनुसार उज्रदारी पेश की लेकिन अदालत ने उसको सरकारी तौर से ता०... ..के नामजूर कर दिया ।

४—इस जायदाद में (क—ख—) मदयून का कोई हक नहीं है और वादी जायदाद की मिलकियत के बारे में अपने हक का इस्तक्रार करा सकता है ।

५—बिनायदावी (उज्रदारी नामजूर होने के दिन से) ।

६—दावे की मालियत (अदालत के अधिकार के लिये जायदाद की कीमत या डिग्री का रूपया होगी, लेकिन इस्तक्रार का नियत कोर्ट फीस दिया जावेगा) ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) इस बात की घोषणा की जावे कि नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी पूरा मालिक है और डिग्री नम्बरी.....अदालत (अ—ब—) डिग्रीदार बनाम (क—ख—) मदयून की इजराय में वह जायदाद कुर्क व नीलाम नहीं हो सकती ।

(जायदाद का विवरण)

(३५२)

(२) इसी प्रकार का डिग्रीदार की ओर से इस्तक़रार के लिये दावा

(गिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी की एक डिग्री नम्बरी ... अदालत.....की सादिर की हुई (क—ख—) के ऊपर है ।

२—इस डिग्री के इजराय में वादी ने नीचे लिखी हुई जायदाद को (क—ख—) ऋणी के नाम से कुर्क कराया ।

३—प्रतिवादी ने अपने आपको उमका मालिक और उसको कुर्क न होने के योग्य प्रगट किया और उज्रदारी की जो ता०... ..के सरसरी में मजूर हो गई और जायदाद कुर्की से बच गई ।

४—कुर्क की हुई जायदाद का असलियत में (क ख—) मदयून वादी का निर्णीत-ऋणी मालिक व काबिज है और वह वादी की डिग्री में कुर्क व नीलाम हो सकती है ।

५—दावे का कारण (उज्रदारी मजूर होने के दिन से) ।

६—दावे की मालियत (जैसा कि नमूना नम्बर १ में है) ।

वादी की प्रार्थना (ऊपर की धारा नम्बर ४ के अनुसार)

(३) डिग्रीदार और मदयून के ऊपर, परिवर्तन करने के हक के इस्तक़रार के लिये लाडिश

(ORDER XXI, RULE 63, C. P. C.)

(गिरनामा)

वादी नीचे लिखी अर्ज करती है :—

१—वादी का निकाह प्रतिवादी द्वितीय पक्ष से मई सन् १९३२ ई० में हुआ और उसका “ दैन-महर मुवज्जल ”.....मुबलिंगरु० करार पाया ।

२—“ दैन महर ” के कुछ हिस्से के बदले में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने अपनी कुछ जायदाद वादी के हाथ ता० १० जून सन् १९३५ ई० को वै कर दी जिस पर उसी रोज़ से वादी काबिज है ।

३—बकाया दैन महर के बदले में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने अपनी जायदाद स्थितजिसकी तफसील नीचे दी जाती है ता०... ..को बैनामा लिखकर वै

४—नीचे लिखी हुई जायदाद को प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने अपनी नकद रुपये की डिग्री नम्बरी.....ता०.... अदालत.....की इजराय में अपने निर्णीत ऋणी, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के नाम से कुर्क कराया ।

५—वादी ने आर्डर २१ नियम ५८ व्यवहार-विधि-संग्रह के अनुसार उज्रदारी पेश की लेकिन वह ता०.....को सरसरी तौर पर नामजूर हो गई ।

६—इस जायदाद में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का कोई हक नहीं है और न वह उस पर क़ाबिज़ है । वादी उसकी मालिक और क़ाबिज़ है और इसी का इस्तक़रार कराने की हक़दार है ।

७—बिनायदावा (उज्रदारी नामजूर होने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत (जैसा कि नमूना नम्बर १ में है) ।

वादी की प्रार्थना —

(धारा नम्बर ६ के अनुसार)

(४) किसी जायदाद के एक हिस्से के नीलाम के क़ाबिज़ न होने के इस्तक़रार के लिए नाज़िश

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करते हैं—

१— एक मजिल पक्का मकान स्थित मुहल्लाशहर.....वादिनी और प्रतिवादी नम्बर २ का मौरूसी व मुशतर्का था और उसमें वादी का १/२ हिस्सा और प्रतिवादी न० २ का १/२ हिस्सा नीचे लिखी वशावली के अनुसार था ।

(यहाँ पर वशावली देनी चाहिये)

२—वादी को मालूम हुआ है कि प्रतिवादी नम्बर २ ने अपने अधिकार विरुद्ध कुल मकान को प्रतिवादी नम्बर १ के यहाँ आड़ कर दिया है और उसने डिग्री हासिल करके २६ सितम्बर सन् १९३५ ई० को कुल मकान नीलाम के लिये चढ़वाया है ।

३—प्रतिवादी नम्बर २ को १/२ हिस्से के अतिरिक्त मकान आड़ करने का कोई अधिकार नहीं था ।

४—कुल मकान के नीलाम हो जाने से वादी के अधिकार व हक पर हानि पहुँचने का भय है ।

५—अभिप्राय कारण (२४ सितम्बर सन् १९३५ ई०, नीलाम की कार्रवाई मालूम होने के दिन से) ।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी हैं कि—

(अ) इस बात का इस्कार किया जावे कि एक मंजिल पक्का मकान स्थित मुहल्ला.....शहर.....में से ३ हिस्से के वादीगण मालिक व काबिज हैं और वह इजराय डिग्री नम्बरी.....अदालत..... सीताराम डिग्रीदार बनाम खुशहलाराम मदनून में नीलाम नहीं हो सकता ।


(५) उत्तराधिकार के घोषित किये जाने के लिये दावा

(See Sec. 25, Succession Certificate Act)

श्रीमती पार्वती वादी बनाम	१—मुसम्मात रामप्यारी	}	प्रतिवादी
	२—मुसम्मात कटोरी		
	३—अयोध्या प्रसाद		
	४—मुसम्मात श्यामवती		

श्रीमती पार्वती वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—दोनों पक्षों की वंशावली यह है—



२—दोनों पक्षों के पुरखा मञ्चूमल नीचे लिखी हुई जायदाद स्थित कस्बा कासगंज के मालिक व अधिकारी थे ।

३—मञ्चूमल का पुत्र रामचरण उनके जीवित रहते ही मर गया था । श्रीमती श्यामवती रामचरण की विधवा है ।

४—मञ्चूमल ने अपनी दोनों पुत्रियों, मुसम्मात रामप्यारी व कटोरी का विवाह अपने जीवन ही में कर दिया था और मार्च सन् १९३१ ई० में उनकी मृत्यु हो गई ।

५—मञ्चूमल की मृत्यु के समय वादी अवयस्क (नाबालिग) और अविवाहित थी । वह कुल मृत सम्पत्ति की मितान्तर धर्मशास्त्र के अनुसार मालिक व अधिकारिणी हुई ।

६—वादी का विवाह श्री कुन्दनलाल के साथ हुआ जो कि उसका संरक्षक है और कुन्दनलाल ने जजी अलीगढ़ में पार्वती की जात व जायदाद के संरक्षक होने का सर्टिफिकेट के लिये दरखास्त पेश की और उसमें उसके पिता से मिली हुई कुल जायदाद दिखलाई ।

७—प्रतिवादी नम्बर १ व २ ने उज्रदारी की और ता० २० दिसम्बर सन् १९३३ ई० को कुन्दनलाल को श्रीमती पार्वती की व्यक्ति और मञ्चूमल की मृत सम्पत्ति में से एक तिहाई हिस्से के संरक्षक होने का सर्टिफिकेट मिल गया और दो तिहाई हिस्से की बात उसको उचित अदालत से इस्तक्रार कराने की आज्ञा हुई ।

८—वादी कुल मृत सम्पत्ति की मालिक व काबिज़ है और अपने हक का इस्तक्रार करने की हकदार है ।

९—प्रतिवादी नम्बर ३ व ४ का उस जायदाद में कोई हक नहीं है लेकिन आगे का झगड़ा मिटाने के लिये उनको भी फरीक बनाया गया है ।

१०—अभियोग कारण मञ्चूमल के देहान्त के दिन से उत्पन्न हुआ है परन्तु उसका प्रभाव २० दिसम्बर सन् १९३३ ई०, दायभागी की दरखास्त मंजूर होने के दिन से हुआ ।

११—दावे की मालियत (जैसा कि नम्बर १ में) ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) अदालत से यह घोषित किया जावे कि मञ्चूमल की नीचे लिखी हुई मृत सम्पत्ति में एक तिहाई हिस्से के अतिरिक्त जिसका सर्टिफिकेट वादी को मिल गया है बकाया दो तिहाई हिस्सों में प्रतिवादियों का कोई स्वत्व नहीं है और उन हिस्सों की भी मालिक व अधिकारिणी वादी है ।

(ब) खर्च नालिश इत्यादि दिलाया जावे ।

(जायदाद का विवरण)

(६) लेनदारों से बचने के लिये किये हुए परिवर्तन की मन्सूखी के लिये, एक लेनदार का दावा

(Sec. 53, Transfer of Property Act)

(चिरनामा)

अ—ब—वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी नं० २ वादी और दूसरे मनुष्यों का कर्जदार है और उसके ऊपर १००००) रपण के करीब कर्ज है ।

२—प्रतिवादी नं० २ के पास नीचे लिखी हुई जायदाद है, जिसकी कीमत करीब १५०००) रु० होती है।

३—उक्त प्रतिवादी ने कर्जा मारने व लेनदारों को परेशान करने की नीयत से इस कुल जायदाद का ता०.....के प्रतिवादी नम्बर १ के नाम ब्रैनामा लिख दिया।

४—प्रतिवादी नं १, प्रतिवादी नं० २ की स्त्री है। उसका “ देन महर ” का मतालवा बहुत थोड़ा था जो कि बहुत दिन हुये बेचाक हो गया था। ता०..... का लिखा हुआ १००००) रु० में “ देन महर ” की वास्तव ब्रैनामा फर्जी व दिखावटी है।

५—प्रतिवादी नम्बर २ का उस जायदाद पर कब्जा जैसे पहिले था वैसे ही चला आता है और वही उसकी तहसील वसूल, मालगुजारी व बन्दोबस्त करता है।

६—ब्रैनामा के बिना एतराज पड़े रहने से वादी व दूसरे कर्जा देने वाले मनुष्यों को हानि पहुँचने का भय है।

७—प्रतिवादी नम्बर ३ व ४ प्रतिवादी नम्बर २ को कर्जा देने वाले मनुष्यों में से हैं। चूँकि वह नालिश में शामिल नहीं हुये इसलिये नालिश की तरतीब के लिये उनके भी प्रतिवादी बना लिया गया है।

८—अभियोग कारण (ब्रैनामा लिखने के दिन से)।

९—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) ता०.....का, द्वितीय प्रतिवादी का लिखा हुआ ब्रैनामा वादी और दूसरे लेनदारों के विरुद्ध खंडित और बेअसर घोषित किया जावे।

(७) लेनदार का ऋणी के परिवर्तन को मन्सूख करने के लिये दावा

१—प्रतिवादी नम्बर २ वादी का ऋणी है और उसकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है।

२—उक्त प्रतिवादी ने ता०.....के अपनी कुल जायदाद का एक दान पत्र प्रतिवादी नम्बर १ एक मूर्ति के नाम लिख दिया और उससे अपने आप को मुतवल्ली और प्रबन्धक नियत करके उस पर स्वयं अधिकारी बन गया और उससे लाभ उठाता है।

३—वह दानपत्र प्रतिवादी नं० २ ने अपनी जायदाद ऋण-दाताओं से बचाने के लिये और उनका रुपया मारने के लिये लिखा है। वास्तव में वह स्वयं उस जायदाद

पर मालिक की हैसियत से काबिज़ है और उसकी आमदनी अपने काम में लाता है।

४—वह दानपत्र बिना मन्तव्य पड़े रहने से वादी को हानि पहुँचने का भय है।

(८) लेनदार का, पदयून और उसके पट्टेदार के ऊपर पट्टे के बेअसर और खंडित घोषित किये जाने के लिये नालिश

(T. P. Act, Sec. 53.)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी न० २ मौरूसी किसान है और उस पर वादी का कर्जा लगभग १५००) रु० ता० १० फरवरी सन् १९३३ ई० के लिखे हुये सादा दस्तावेज़ के बिनाय पर है।

२—वादी ने उस दस्तावेज़ की नालिश प्रतिवादी नम्बर २ पर ता० ८ जनवरी १९३६ ई० को दायर की लेकिन प्रतिवादी ने उसके सम्मन की तामील जान बूझ कर बहुत दिनों तक नहीं होने दी

३—नालिश के दौरान में ता० ११ मार्च सन् १९३६ ई० को प्रतिवादी न० २ ने अपनी कुल जमीन का पाँच साल के लिए पट्टा २००) रु० सालाना लगान पर प्रतिवादी नम्बर १ के नाम लिख दिया।

४—रसी २५०) रु० में से १६०) रु० ज़मींदार को लगान और १५) रु० मुनाफ़ा कार्तकारी प्रतिवादी नम्बर २ को देना पट्टे में लिखा गया है। असलियत में वह ज़मीन ५००) रु० सालाना लगान की है।

५—प्रतिवादी न० १, प्रतिवादी नं० २ का सम्बन्धी है और उसके वादी का प्रतिवादी न० २ पर कर्जा होने का ज्ञान है।

६—यह पट्टा वादी की नालिश दायर हो जाने के बाद उसका रुपया मारने और उसके भलाइ में डालने के लिये लिखा गया है और उसके बिना एतराज़ पड़े रहने से वादी को हानि पहुँचने का डर है।

७—अभिप्रेत कारण.....(पट्टा लिखने के दिन से)।

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—(पट्टे के नञ्जयज़ और बेअसर होने के इस्तफ़रार के लिये)।

(९) रिसीवर का, इन्सालवेन्ट के फर्नी इन्तकाल को नाजायज
करार दिये जाने के लिये दावा

(सिरनामा)

पं० कन्हैयालाल, रिसीवर रियासत सालिगराम इन्सालवेन्ट - वादी ।

बनाम

- | | | |
|-----------------|---|-----------|
| १—बद्रीदास | } | प्रतिवादी |
| २—श्रीमती मेहरी | | |
| ३—जैशंकर | | |
| ४—सालिकराम | | |

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी नम्बर ४ अदालत जजी अलीगढ़ से ता० १४ मार्च सन् १९३४ ई० को देवालिया करार दिया गया और वादी उसकी रियासत का अदालत से रिसीवर नियत किया गया और उसी ता० ...से रिसीवरी का कार्य करता है ।

२—ता० १० अगस्त सन् १९२० ई० का जैशंकर, प्रतिवादी नम्बर ३ का लिखा हुआ सालिकराम के नाम ५००) रुपया का एक रहननामा था जिसमें ऋणी की नवीपुर की कुछ हकीयत आड़ थी ।

३—सालिकराम की आर्थिक दशा देवालिया करार दिये जाने से दो तीन साल पहिले बहुत खराब थी और उसने वेईमानी से अपने ऊपर ऋण का रुपया मारने के लिये, उस दस्तावेज की नालिश, नम्बरी ३१ सन् १९३२ ई० अपनी बहिन श्रीमती मेहरी के नाम से जैशंकर के ऊपर इस बयान से कराई की वास्तव में उसकी मालिक श्रीमती मेहरी है और उसका नाम फर्जीतौर से लिख दिया गया है ।

४—सालिकराम ने उस नालिश में ६ फरवरी सन् १९३२ ई० को इसी प्रकार का बयान देकर उसकी डिग्री श्रीमती मेहरी के नाम सादिर करा दी ।

५—इसके बाद सालिकराम ने उस डिग्री का दिखावटी और फर्जी विक्री-पत्र श्रीमती मेहरी से अपने पास के सम्बन्धी बद्रीदास प्रतिवादी नम्बर १ के नाम २६ फरवरी सन् १९३२ ई० को लिखा कर रजिस्ट्री करा दिया और उस नालिश की इजराय की कार्रवाई बद्रीदास डिग्रीदार के नाम से होती रही और अब उसी इजराय में आड़ की हुई सम्पत्ति नीलाम पर चढ़ी हुई है ।

६—श्रीमती मेहरी के नाम से डिग्री और बद्रीदास के नाम से इजराय डिग्री और बँनामे की कार्रवाई सालिकराम ने धोके से दिखावटी और फर्जी अपने कर्जदारों का रुपया मारने के लिये की है । यह सब कार्यवाही उसकी रियासत के रिसीवर वादी के विरुद्ध नाजायज और बेअसर है और वादी उसको मन्सूख कराने का अधिकारी है ।

७—बिनायदावी (फर्जी कार्रवाई की इत्तला होने के दिन से) ।
दावे की मालियत (जैसा कि इस भाग के नमूना नम्बर १ में है) ।

वादी प्रार्थी है कि —

इस बात का इस्तकरार किया जावे कि १० अगस्त सन् १९३२ ई० के लिखे हुये रहननामे और उसकी डिग्री नम्बरी ... अदालत.....का मालिक सालिकराम प्रतिवादी नम्बर ४ है और वादी उसकी रियासत का रिसीवर होने की हैसियत से डिग्री जारी कराने का हकदार है ।

(१०) असफळ उज्रदार का इन्सालवेन्ट के रिसीवर के ऊपर दावा

(सिरनामा)

१—वादी नीचे लिखी जायदाद का मालिक और उसके ऊपर काबिज है (यहाँ पर जायदाद का विवरण देना चाहिये) ।

२—वादी ने यह जायदाद ता०... . के बँनामा लिखा कर एक मनुष्य रूपराम से खरीद की थी और उसी दिन से उस पर वह काबिज और अधिकारी है ।

३—(यदि वादी ने कोई मकान इत्यादि बनवाया हो या कोई तबदील कराई हो तो वह भी लिखना चाहिये) ।

४—रूपराम का, लगभग एक साल हुआ कि दिवाला निकल गया और वह अदालत अर्जी से इन्सालवेन्ट करार दिया गया और उसी अदालत से प्रतिवादी उसकी रियासत का रिसीवर नियत किया गया ।

५—प्रतिवादी ने उस जायदाद पर यह कह कर कि वादी के नाम लिखा हुआ बँनामा फर्जी व नुमायशी है और असिलयत में उस जायदाद का मालिक रूपराम इन्सालवेन्ट है कब्जा करना चाहा और कब्जा दिलाने के लिये साहब अज के रिपोर्ट भी की ।

६—उस अदालत से वादी के नाम नोटिस जारी हुआ और वादी ने अपने हक की दावत मालिक व काबिज होने की उस अदालत में उज्रदारी पेश की ।

७—परन्तु उस अदालत ने वादी की उज्रदारी को नामन्तूर करके रिसीवर को कब्जा दिलाने का हुक्म दिया और वादी को नम्बरी नालिश करके अपना खन्व प्रमाणित करने की हिदायत की ।


८—वादी के नाम का बँनामा सही और असली है और मुआवजा देकर लिखाया गया है । वादी अब तक उस जायदाद पर काबिज है और अपने मालिक होने का इस्तकरार कराने का हकदार है ।

(११) अनाधिकारी पुरुष के लिखे हुए बौनामे का नाजायज़
करार देने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी और प्रतिवादी नं० २ की वंशावली नीचे लिखी है—



१—हरलाल और उसके दो बड़े ए० हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य थे और २१ बि०वा नीचे लिखी हुई जमींदारी खाता खेवट नं० १ पट्टी जीवाराम स्थित मौज़ा हेतपुर परगना.....ज़िला.....में उनकी जायदाद थी।

२—नौबत को तीन और हरलाल को एक वर्ष के लगभग हुए होगे कि कुटुम्ब के अविभक्त रहते हुये दोनों का देहान्त हुआ और वादी बची हुई जायदाद का मालिक व अधिकारी हुआ।

४—वादी नाबालिग (अवयस्क) है और वादी की माँ अर्थात् प्रतिवादी नं० २ एक अनपढ़ व बेसमझ स्त्री है। प्रतिवादी नं० १ ने प्रतिवादी नं० २ को ब्रह्का कर और धोके में डाल कर उस जायदाद का बौनामा ता०.....को लिखाकर अपने नाम करा लिया और उसमें अपने मतलब के लिये असत्य बातें लिखाली हैं।

५—भूगड़ेलू जायदाद की कीमत लगभग ५०००) रु० होगी और तीन हजार रुपया में बौनामा लिखा दिखाया गया है परन्तु कोई रुपया प्रतिवादी नं० २ को नहीं दिया गया। यदि कोई अशित रुपया प्रतिवादी नम्बर २ को दिया भी गया हो तो वादी के लिये उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और न उससे वादी को किसी प्रकार का लाभ पहुँचा।

६—प्रतिवादी नं० २ को ब्रह्का करने का कोई अधिकार नहीं था। बौनामा बिना आवश्यकता के कम कीमत पर धोका और फरेब में डाल कर लिखाया गया है इसलिये वह खडित व बे असर है।

७—उस जायदाद पर प्रतिवादी नम्बर १ का नाम दाखिल खारिज़ नहीं हुआ उस पर “ वास्तविक अधिकार ” ठेकेदार का है जो हरलाल के ज़माने से १५ साल के ठेकनामा के अनुसार सन्.....फ़० से.....फ़० तक अधिकार चला आता है।

८—ब्रैनामा के बिना मसूख रहने से वादी को हानि पहुँचने का भय है।

९—बिनायदावा (ब्रैनामा के रजिस्ट्री होने के दिन से)।

१०—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी न० २ का प्रतिवादी नं० १ के नाम ता०.....का लिखा हुआ ब्रैनामा वादी के विरुद्ध खडित और वेअसर घोषित किया जावे।

(ब) नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

(१२) डिग्री के मदयूनों में आपसी जुम्मेदारी के इस्तफ़रार के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी का पूर्वाधिकारी, डाली नीचे लिखी हुई जमीन (या संपत्ति) न० १, २ व ३ स्थित ग्राम या नगर... .. का मालिक व काबिज था।

२—यह तीनों जमीन डाली की तरफ से ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के लिखे हुये रहननामे मे २०००) रुपया में रुद दर १) रुपया सैकड़ा माहवारी के हिसाब से एक मनुष्य केवलराम के पास बिना दखली रहन थीं।

३—उक्त डाली ने जायदाद नम्बर २ व ३ को बचाने के लिये जायदाद नम्बर १ को १९ जन १९३४ ई० को ब्रैनामा लिख कर प्रतिवादी के हाथ बेच दिया और वीमत के रुपया मे से १७५०) रुपया ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के रहननामे की बेगकी के लिये प्रतिवादी के पास अमानत में छोडे।

४—हस ब्रैनामे की तारीख से प्रतिवादी उस जायदाद पर काबिज व मालिक हैं और उसकी आमदनी से लाभ उठाते हैं परन्तु उन्होंने ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के रहननामे का रुपया बेगाक नहीं किया।

५—उक्त रहननामे की व अन्य दो रहननामे के आधार पर, जो डाली के लिखे हुये थे और जिनमे १ व २ नम्बर की जायदाद रहन थी, केवलराम ने अदालत.....में दावा नम्बरी ६१ सन् १९४० ई० दायर किया, जो १५ जून सन् १९४० ई० को डिग्री हुआ।

६—उक्त डिग्री मे ३३८१) रु० ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के लिखे हुये किफालती दस्तावेज की दान्त और १४ नितम्बर सन् १९४० ई० मे लेकर बमूल होने के दिन तक रुद

३) ६० सै० सालाना की दर से अदा करने और व्याज न अदा करने की हालत में आड़ की हुई जायदाद नम्बरी १ व २ व ३ के नीलाम होने का हुकम हुआ ।

७—डिग्री के मतालवा के अदा होने की अवधि समाप्त हो गई और प्रतिवादियों ने रजिस्ट्री नोटिस देने पर भी मतालवा अदा नहीं किया और न अदालत में जमा किया ।

८—प्रतिवादी मतालवा अदा करने के जुम्मेवार हैं । वह ऋण अदा करने से इनकार करते हैं और वादी को हानि पहुँचाने और कुल जायदाद उस ऋण के अदा होने के लिये नीलाम पर चढवाना चाहते हैं ।

९—विनाय दावा (डिग्री सादिर होने और अदायगी की मियाद के दिन से) ।

१०—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) इस बात का इस्तकरार किया जावे कि ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के रहन-नामे की बाबत जो डिग्री अदालत सिविल जजी अलीगढ, नम्बरी ६१ सन् १९४० ई०, ता० १५ जून सन् १९४० ई० को सादिर हुई है उसके देनदार प्रतिवादी हैं ।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे ।

(१३) धोखे से नीलाम के सार्टीफिकेट में नाम छिखा देने पर इस्त. रार के छिये

(Sec. 66, Civil Procedure Code)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी नावालिंग है और वादी की सरक्षक (वली) उसकी माँ, एक पर्दानशीन स्त्री है ।

२—प्रतिवादी, वादी का सौतेला भाई है । वह वादी की माँ की तरफ से कारिन्दा के रूप में वादी का काम करता था ।

३—इजराय डिग्री नं०.....अदालत..... . बनाम.....में मदयून ... की जायदाद नीलाम पर सढी और वादी के सरक्षक ने उसके वादी के वास्ते खरीदना चाहा ।

४—ता०... . को, नीचे लिखी हुई जायदाद (यहाँ पर जायदाद का विवरण लिखना चाहिये) वादी ने प्रतिवादी की मारफत.....६० में नीलाम में, खरीद ली और नीलाम के दिन चौथाई धन, और शेष तीन हिस्सा अदालत में दाखिल किया और ता०को नीलाम मजूर हो गया ।

५—वादी के बली ने उक्त सपत्ति खरीदने का सारटिफिकेट अदालत से ता०..... के प्राप्त किया। उसके देखने से मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने बदनीयती और धोखे से सारटिफिकेट नीलाम में अपना नाम बतौर खरीदार दर्ज करा लिया है।

६—नीलाम की खरीदारी में प्रतिवादी ने वादी के रुपये से, उसी के लिये उसके कारिन्दा होने की वजह से अपना नाम सारटिफिकेट नीलाम में बेईमानी और धोखे से दर्ज कराया है और वादी इसी बात का इस्तक्रार कराने का अधिकारी है।

७—त्रिनायदावा (धोखे की कार्रवाई मालूम के होने के दिन से)।

८—दावे की मालियत (जैसा कि नमूना न० १ में)।

वादी प्रार्थी है कि—

यह इस्तक्रार किया जावे कि नीचे लिखी हुई जायदाद का खरीदार वादी है और नीलाम के सारटिफिकेट में प्रतिवादी का नाम धोखे से दर्ज हो गया है।

(१४) धोखे से हासिल की हुई डिग्री को मन्सूख व बेअसर करार दिये जाने के लिये नालिश

१ - प्रतिवादी ने एक नालिश नं०.सन्अदालत.....में वादी और एक मनुष्य (अ—ब) के ऊपर एक प्रामेसरी नोट के ऊपर दायर की।

२—इस नालिश में वादी के रहने की जगह प्रतिवादी ने स्थान.....लिखी थी, अमलियत में वादी प्रायः.....साल से स्थानमें लगातार रहा है और पहिले स्थान में उसकी कोई रहने की जगह नहीं है।

३—वादी को इस नालिश की सूचना नहीं हुई और न उसके पास कोई सम्मन या इत्तलानामा पहुँचा और न तामील हुआ।

४—प्रतिवादी ने चालाकी और धोके से नालिश के सम्मन की ऊपरी तामील कराकर वादी के विरुद्ध में एकतरफा (ex-parte) डिग्री हासिल कराली।

५—उस डिग्री का सारटिफिकेट प्रतिवादी अदालतका ले गया और ता०....के जब उसकी हजराय में वादी की चल सम्पत्ति नीलाम में चढा कर बुर्रुष कराया, तब उस समय वादी के, डिग्री के सादिर होने का हाल मालूम हुआ।

६—डिग्री नम्बरी.....सन्....अदालत.....ने प्रतिवादी ने अदालत को धोखा व परेव में डाल कर वादी के विरुद्ध प्राप्त की है। वह वादी पर किसी तरह पाब्दा के योग्य नहीं है।

७—अभिपोग करार (बुर्जी होने व कार्रवाई डिग्री के मालूम होने के लिये)।

(१५) जायदाद के स्वामी घोषित किये जाने का दावा जब
कि बटवारे का मुकदमा अदालत माल में चक रहा हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—वादी मौजा चरगवाँ तहसील डिब्राई जिला बुलन्दशहर के मुहाल राजकुआँर में, तीन बिस्वा की हकीयत जमींदारी का मालिक व अधिकारी है।

२—वादी की उस हकीयत में से दो बिस्वा पैतृक संपत्ति है और उसने एक बिस्वा ता० १६ मई सन् १६२५ ई० के ब्रैनामे के अनुसार प्रतिवादी के फर्जी नाम से खरीदी थी जो खरीदने के समय वादी का कारिन्दा था, मगर वादी खरीदने की तारीख से उस पर मालिक की हैसियत से अधिकारी है और प्रतिवादी का उससे सम्बन्ध नहीं है।

३—उस मौजे में मुहाल राजकुआँर दस बिस्वा का है उसके एक हिस्सेदार ने हाल ही में बटवारे की दख्वास्त अदालत माल में दी और बटवारे के इस्तहार हिस्सेदारों के नाम जारी हुए।

४—वादी ने अपने ३ बिस्वा का मुहाल पृथक् कसना चाहा परन्तु प्रतिवादी ने एक बिस्वा हकीयत के सम्बन्ध में, जिस पर उसका फर्जी नाम चला आता है, उज्रदारी की और अपने आपको उसका मालिक प्रगट किया।

५—वादी को अदालत माल से ता०.....को उस जायदाद के मालिक होने का तीन महीने के अन्दर इस्तकारार कराने का हुक्म हुआ।

६—उस जायदाद में प्रतिवादी का कोई हक नहीं है। वादी उसका खरीदने के दिन से ही, जिसको १२ साल से अधिक हो गये मालिक है और उस पर मालिक की हैसियत से काबिज है। यदि प्रतिवादी का कोई हक मान भी लिया जावे तो वह नष्ट हो गया। वादी अपनी मिलकियत का इस्तकारार कराने का अधिकारी है।

७—बिनायदावा (अदालत माल के हुक्म के दिन से)।

८—दावे की मालियत (जैसे कि नमूना न० १ में)।

वादी की प्रार्थना (इस्तकारार के लिये)।

३८—लिमिटेड या रजिस्ट्री की हुई कम्पनी

जहाँ पर किसी सामे में बीस से अधिक हिस्सेदार हों, ऐसी शराकत बिना रजिस्ट्री किये स्थापित नहीं हो सकती। रजिस्ट्री हो जाने पर वह लिमिटेड कम्पनी कहलाती है।

लिमिटेड कम्पनी के हिस्सेदारों को किसी हालत में अपने हिस्से से ज्यादा रुपया नहीं देना पड़ता और कुप्रबन्ध इत्यादि होने पर कोई हिस्सेदार कम्पनी को समाप्त करने के लिये लिक्विडेशन (Liquidation) का दावा कर सकता है।

यहाँ पर कुछ आवश्यक शब्द जानना जरूरी है।

हिस्सों के लिये दरखवास्त के साथ जो रुपया दिया जाता है उसको Application money कहते हैं। दरखवास्त मजूर होने पर जो रुपया कम्पनी को अदा किया जाता है उसके Allotment money कहते हैं और इसके बाद कम्पनी हिस्सों का बकाया रुपया कई बार में माँग सकती है। पहिली माँग को, First call, दूसरी को Second call इत्यादि कहते हैं। कम्पनी स्थापित करने वालों को प्रोमोटर्स (Promoters) और चुने हुए प्रबन्ध कर्त्ताओं को डाइरेक्टर (Directors) कहते हैं। कम्पनी के नियमों को (Rules of Association) और उसके कारबार के इश्तहार को Prospectus कहते हैं और कम्पनी खतम होने पर जो रिस्वीवर नियत होता है वह लिक्विडेटर (Liquidator) कहलाता है।

लिमिटेड कम्पनी की स्थिति कानून की निगाह में किसी एक व्यक्ति की तरह है। ऐसी कम्पनी अपने नियमों के अनुसार Articles of Association नियत किये हुए किसी पुरुष के मारफत दावा दायर कर सकती है और उस पर दावा किया जा सकता है कम्पनी की ओर से हिस्सेदारों पर एलाटमेन्ट और माँग (Call) के रुपये की नालिश दायर होती है। इसी तरह हिस्सेदारों की तरफ से मुनाफा वसूल करने की और अन्य नालिशें होती हैं। कभी कभी प्रोस्पेक्टस (Prospectus) में असत्य वर्णन से कम्पनी स्थापित करने वाले प्रोमोटरों द्वारा हिस्से देव लेते हैं और हिस्सेदारों को जब असली स्थिति का पता लग जाता है तो वह अपनी बचन के लिये दावा दायर करते हैं। इसी प्रकार कम्पनी के डाइरेक्टरों में भगडा होने पर अथवा कुप्रबन्ध होने पर, कम्पनी को लिक्विडेशन (Liquidation) कर देने के लिये, इंडियन कम्पनी एक्ट के अनुमार हाईकोर्ट में दरखास्त दी जाती है।

यों पर सिर्फ उन्हीं नालिशों के तमूने दिये गये हैं जो अदालत दीवानों में प्रायः नम्बरी दावे किये जाते हैं।

यह दावे हर एक कम्पनी के नियमों (Articles of Association) के अनुसार किये जाते हैं। जब कोई पुरुष हिस्से के लिये दरखास्त देता है और वह मंजूर हो जाती है तब वह पुरुष कम्पनी का हिस्सेदार हो जाता है और आपसी प्रतिज्ञाओं के अनुसार वह कम्पनी पर, और कम्पनी उस पर, दावा कर सकती है।

* (१) कम्पनी का, हिस्सेदार पर एलाटमेंट और माँग के रुपये के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी कम्पनी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—वादी कम्पनी, Indian Companies Act of 1913 के अनुसार एक रजिस्ट्री की हुई कम्पनी है।

२—उक्त कम्पनी के नियम १६ व १७ के अनुसार कम्पनी के डाइरेक्टरो को अधिकार दिया गया है कि जिन हिस्से का पूरा रुपया अदा न हुआ हो उसकी माँग करें और हर प्रकार का रुपया जो कि कम्पनी को लेना हो मय ६) रुपया सैकड़े सालाना सूद के हिस्सेदारो से वगूल करे।

३—प्रतिवादी ने १५ अगस्त सन् १९३७ ई० को, २५) रु० प्रति हिस्से के हिसाब से ५० हिस्से खरीदने के लिये दरखास्त पेश की और १००) रुपया दरखास्त के साथ Application money कम्पनी को अदा किया और इन हिस्सों का बकाया रुपया एलाटमेंट (allotment) होने पर और कम्पनी को माँग आने पर अदा करने की प्रतिज्ञा की।

४—प्रतिवादी की दरखास्त के अनुसार २२ अगस्त सन् १९३७ ई० को ५० हिस्से प्रतिवादी को दे दिये गये लेकिन प्रतिवादी ने अपने हिस्सो पर ५) रुपया फी हिस्से के हिसाब से एलाटमेंट का रुपया अदा नहीं किया।

५—३१ अक्टूबर सन् १९३७ ई० को डाइरेक्टरो ने कुल हिस्सेदारो से १) रुपया फी हिस्से की पहली माँग की जो कि १५ दिसम्बर सन् १९३७ ई० को देना वाजिब थी और उन्होने ५) रु० फी हिस्से की दूसरी माँग कुल हिस्सेदारों से ३१ जनवरी सन् १९३८ ई० को तलब की, जो ५ मार्च सन् १९३८ ई० तक देनी वाजिब थी। दोनों माँगो का उचित नोटिस प्रतिवादी को दिया गया परन्तु उसने उनका रुपया अदा नहीं किया।

* नोट—यदि अकेले एलाटमेंट या किसी माँग के रुपया का दावा हो तो इसी प्रकार से अर्जीदावा लिखा जा सकता है।

६—अभियोग कारण (एलाटमेट के रुपया का २२ अगस्त सन् १९३७ ई०, और पहिले मॉग के मतालवे का १५ दिसम्बर सन् १९३७ ई०, और दूसरी मॉग के रुपया का १५ मार्च सन् १९३८ ई०, को पैदा हुआ) ।

७—दावे की मालियत—

वादी कम्पनी प्रार्थी है कि—

.....रुपया असल व सूद की नीचे लिखे हुये हिसाब के अनुसार मय खर्च नालिश और सूद दौरान व आइदा रुपया वसूल होने के दिन तक, प्रतिवादी के ऊपर डिग्री का जावे ।

हिसाब का विवरण —

एलाटमेट का रुपया	} २५०) रु०	२२ अगस्त सन् १९३७ ई० से सूद दर ६) रु०	सैकडा रु०
पहिली मॉग		१५ दिसम्बर सन् १९३७ ई० से सूद दर ६) रु०	सै० ... रु०
दूसरी मॉग	२५०) रु०	१५ मार्च स० १९३८ ई० से सूद दर ६) रु०	सै० ..रु०
जोड़ ७५०) रु०		जोड़ सूद.....रु०	

(२) टायरेक्टरों के झूठा प्रास्पेक्टस प्रकाशित करके हिस्सा बेचने पर दावा

(मिग्नामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—प्रतिवादी ने . . . नाम की कम्पनी की वाचन त्रिमका हैटऑफिस स्थान पर था एक प्रास्पेक्टस सर्व माधारण के लिये निकाला और प्रकाशित किया ।

२—ता०.....को वादी जो, उस प्रास्पेक्टस.....की एक प्रति मिली ।

३ उस प्रास्पेक्टस में लिखी हुई बातों को सन्ध समझ कर और उन पर विश्वास करके वादी ने ता० को कम्पनी के २५ हिस्से खरीद किये । प्रत्येक हिस्सा १००) रु० का था और उनको मूलत १०) रु० प्रति हिस्सा, प्रार्थना पत्र के साथ अदा किया गया था ।

४—उन्होंने पश्चात् वादी को गान्धुम हुआ कि प्रास्पेक्टस में बहुत सी अशुभ बातें लिखी हुई थीं । वादी उहाँ तक गान्धुम पर भ्रम है वर वर है —

(अ) प्रास्पेक्टस में लिखा है कि ५०) रु० मेकड़ा वार्षिक लाभ होता है वास्तविक में पिछले तीन वर्ष में ५) रु० सैकड़ा लाभ हुआ है और गलत हिसाब बना कर अधिक लाभ दिखाया गया है ।

(ब)) इसी प्रकार में और जो २ बातें हैं) इत्यादि ।

५—प्रतिवादी डायरेक्टर होने के कारण में अमली हालत जानता था ।

६—इसके अतिरिक्त उक्त कम्पनी की वास्तव नीचे लिखी बातें प्रगट करना आवश्यक थी जिनकी वास्तव, प्रास्पेक्टस में कुछ नहीं कहा गया—

(१) कम्पनी ने एक पुराना कारखाना खरीद किया है जिसका मालिक प्रतिवादी था ।

(२) यह पुराना कारखाना बहुत गिरी हुई और दुर्दशा में था और उसके लियेलाख रुपया कहीं अधिक मूल्य अदा किया गया ।

(३) ...रु० सालना लगान सिर्फ दो वीथे जमीन का दिया जाता है जिसका मालिक प्रतिवादी है ।

७—वादी, प्रार्थना पत्र के साथ दिये हुए रुपये के अतिरिक्त २५) रु० प्रति हिस्सा एलाटमेंट पर, और २०) रु० फी हिस्सा पहिली मॉग का अदा कर चुका है । वादी का कुल दिया हुआ १३७५) रु० है ।

८—अभियोग कारण—

९—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) १३७५) रु० सूद सहित प्रतिवादी से वापिस दिलाया जावे ।

(ब) इस बात का इस्तक़रार किया जावे कि इन हिस्सों की वास्तव भविष्य में वादी अन्य किसी मतालवे का देनदार न होगा ।

(क) खर्च नालिश इत्यादि दिलाया जावे ।

(३) कम्पनी के स्थापित करने वाले (Promotor) पर हिस्से बेचने के लिये, असत्य वर्णन करने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी बहुत दिनों से चूने की तैयारी और बिक्री का काम साफे में फर्म.....के नाम से करते थे ।

२—मार्च सन्.....में प्रतिवादी ने “कानपुर लाईम वर्क्स” के नाम से लिमिटेड कम्पनी खोलने और उस कम्पनी के हाथ अपने पुराने कारखाना को.....रु० में बेचने का

विचार किया। वास्तव में यह कारखाना शोचनीय दशा में था और उसका उचित मूल्य... ..रु० से अधिक नहीं था।

३—इसी विचार से प्रतिवादी ने काम शुरू किया और ता०... ..को “कानपुर लाइम वर्क्स” के नाम से एक कम्पनी रजिस्ट्री करा ली।

४—प्रतिवादी ने सर्व साधारण के उक्त कम्पनी के हिस्से मोल लेने के लिये आकर्षित करने के ता०.....के एक प्रास्पेक्टस प्रकाशित किया और उसमें यह असत्य बयान किये—

(१)—
(२)—
(३)—

} भूँटे बयानों का पूरा विवरण।

५—इस प्रास्पेक्टस की एक कापी प्रतिवादी न० १ ने, मैनेजिंग एजेंट की हैसियत से, अपने और कुल प्रतिवादिओं की ओर से ता०.....के वादी के पास भेजी।

६—इसके अतिरिक्त ता०.....के प्रतिवादी न० १ ने मैनेजिंग एजेंट की हैसियत से इस अभिप्राय से कि वादी कम्पनी के हिस्से खरीदे, वादी से जत्रानी भी वे ही बातें कही जो कि प्रास्पेक्टस में लिखी थी (यदि उसके किसी एजेंट या मुख्तार आदि ने कही हो तो, यही लिखना चाहिये)।

७—वादी ने प्रास्पेक्टस में लिखी हुई और प्रतिवादी नं० १ की बयान की हुई बातों को सच समझ कर और उनका विश्वास कर के उक्त कम्पनी के सौ हिस्से ता०.....को मोल ले लिये और उनकी वावत.....रुपया प्रार्थनापत्र व एलाटमेंट का अदा कर दिया।

८—यह सब बयान गलत और भूँठे थे और प्रतिवादी इनका भूँठा होना जानते थे।

९—यह बयान प्रास्पेक्टस में, और विशेष रूप से वादी से इस लिये किये गये थे कि वादी कम्पनी के हिस्से खरीद करे और उसका हिस्सेदार हो जावे।

१०—इन हिस्सों का इस समय कुछ मूल्य नहीं है वह बिल्कुल बेकार हैं और उनकी बाजार में कोई कीमत वसूल नहीं हो सकती।

११—वादी कीरु० की हानि हुई और उसका सूद इत्यादि का नुकसान हुआ।

(४) टाइरेक्टर की ओर से फीस के लिये कम्पनी के ऊपर दावा

१—... ..के वादी प्रतिवादी कम्पनी का टाइरेक्टर नियत हुआ और अब

२—उक्त कम्पनी के नियमों के अनुसार (Articles of Association) प्रत्येक डाइरेक्टर को ५०) रुपया प्रतिदिन फीस और टुगना सेकंड क्लास का किराया हर डाइरेक्टरों की मीटिंग में सम्मिलित होने का मिलता है ।

३—वादी ता०.....से ता०.....तक डाइरेक्टरों की ६ मीटिंगों में सम्मिलित हुआ और उनमें भाग लिया ।

४—नीचे लिखे हुये हिसाब से वादी के प्रतिवादी कम्पनी पर.....६० निकलते हैं जो उन्होंने अभी तक अदा नहीं किये । (हिसाब का व्योरा) ।

५—दावे का कारण (मीटिंग होने की तारीखों से) ।

(५) कम्पनी के लिक्विडेटर (Liquidator) की ओर

से माँग के बकाया रुपये के लिये हिस्सेदार

पर नाबिंश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—एक्ट ७ सन् १९१३ ई० के अनुसार रजिस्ट्री की हुई एक कम्पनी 'मैटिल वर्क लिमिटेड' के नाम से प्रचलित थी जिसका हेडऑफिस स्थान . . पर था और वही पर कम्पनी का लोहे की चद्दर, बालटी इत्यादि बनाने का कारखाना था ।

२—उक्त कम्पनी का प्रत्येक हिस्सा ५००) ६० का था और प्रतिवादी के इस कम्पनी में १० हिस्से थे जिनकी वास्तविक कुल १०००) ६० प्रार्थना पत्र के साथ और १०००) ६० पहिली माँग पर अदा कर चुका था ।

३—कम्पनी कुछ दिनों तक काम करती रही लेकिन मई १९३३ ई० में उसका काम बन्द हो गया और उसका अदालत से लिक्विडेशन (Liquidation—परसमाप्ति) होने लगी और वादी ता०.....के उक्त कम्पनी का Liquidator नियत हुआ ।

४—उक्त कम्पनी पर बहुत सा ऋण था जो कम्पनी की पूँजी से किसी प्रकार बेबाक नहीं हो सकता था । वादी ने साधारण हिस्सेदारों की मीटिंग में, जो कि ता०.....के सर्वसाधारण को सूचना देने के बाद हुई थी अदायगी की स्कीम और बकायादार हिस्सेदारों की सूची तैयार की ।

५—वादी ने कर्जा व खर्च इत्यादि निपटाने के लिये प्रत्येक हिस्से पर १००) ६० की दूसरी माँग ता०.....के तलब की और प्रतिवादी से उसके १० हिस्सों की वास्तविक १०००) ६० रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस भेज कर माँगे ।

६—प्रतिवादी हिस्सेदार होने के कारण से इस रुपये का देनदार है और उसने अभी तक वह रुपया नहीं दिया ।

७—अभियोग कारण (मॉग का रुपया वाजिब होने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(रुपये की अदायगी के लिये)

(६) कर्जदार कम्पनी के लिक्वीडेटर से प्राप्त किये हुए कर्जे की नाक़िश

१—एक्ट ७ एन् १९१३ ई० के अनुसार रजिस्ट्री की हुई एक कम्पनी [“लाहम चर्म्स लिमिटेड” के नाम से थी जो स्थान.....में चूना के कारखाने का काम करती थी ।

२—प्रतिवादी ने ता०.....के.रु० का चूना उक्त कम्पनी से खरीद किया जिसकी अदायगी के लिये १) रु० सैकड़ा सूद माहवारी के हिसाब से ठरसा था ।

३—उक्त कम्पनी का काम बन्द होकर लिक्वीडेशन (Liquidation) में आ गया और श्री हरीमोहन बनर्जी बैरिस्टरएटला उसके (Liquidator) नियत हुए ।

४—उक्त लिक्वीडेटर ने प्रतिवादी के ऊपर का कर्जा मुआवज़ा लेकर वादी के हाथ बैक़र दिया । अब वादी उसका मालिक है और वमूल करने का हक़ रखता है ।

५—प्रतिवादी को क्रय हो जाने की उचित सूचना कर दी गई थी परन्तु प्रतिवादी ने यह मतालम अदा नहीं किया ।



३६—बीमा (Insurance)

बीमा भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जैसे आजीवन बीमा, आग लगने का बीमा, पानी या बाढ़ से क्षति का बीमा, आकस्मिक दुर्घटना का बीमा इत्यादि। ये बीमे इन्श्योरेन्स कम्पनी भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न शर्तों और प्रतिज्ञाओं के साथ करती हैं जो कि उनकी लिखित बीमा पालिसी (Insurinee Policy) में लिखी जाती है। और उन शर्तों के अनुसार बीमा कराने वाला (Policy Holder) किस्तों (Premia) का देना, और कम्पनी इकरार की हुई घटनाओं के लिये अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करती है। दोनों पक्ष उन शर्तों के पाबन्द होते हैं और ऐसी नालिशों उन्हीं शर्तों के अनुसार दायर करनी चाहिये। उनके अर्जी दावों में वे सब बातें लिखनी चाहिये जो कि साधारण प्रतिज्ञाओं पर निर्धारित दावों में लिखी जाती हैं और उनके अतिरिक्त वह विशेष शर्त या शर्तें जिनके उल्लंघन करने पर दावा किया गया हो।

बीमा पालिसी का, यदि उसमें इसके विरुद्ध कोई शर्त न हो, परिवर्तन या इन्तकाल किया जा सकता है और परिवर्तन गृहीता या वह मनुष्य जिसको ऐसा अधिकार दिया गया हो, पालिसी-होल्डर के तुल्य उससे लाभ उठा सकता है।

* (१) मृतक के दायभागी का बीमा करने वाली कम्पनी पर दावा

(सिरनामा)

(अ—ब) वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—(ज—द) ने ता०.....के प्रतिवादी कम्पनी के यहाँ अपनी आयु का बीमा ५०००) रुपया का कराया और उक्त कम्पनी ने पालिसी नम्बर.....उस पालिसी के अनुसार अदायगी के बदले मे दे दी।

२—(ज—द) की मृत्यु ता०.....के हो गई।

* नोट — यदि दावा पालिसी के खरीदार की ओर से ही तो धारा न० ३ इस प्रकार लिखी जायगी।

३—ता०.....के (ज—द) ने अपने जीवन ही में उस पालिसी को तहरीर करके वादी के हाथ बेच दिया था और वादी ने ता०.....के प्रतिवादी कम्पनी को रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस इस बात का दे दिया था।

३—वादी उसका पुत्र और उत्तराधिकारी है और उसने उत्तराधिकारी होने का सर्टिफिकेट (Succession Certificate) नियम के अनुसार प्राप्त कर लिया है जो नालिश के साथ दाखिल किया जाता है ।

४—दावे का कारण (ज—द—की मृत्यु के दिन से)

५—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(२) बीमा के रुपये के लिये मृतक के निष्ठाकर्ता का इनश्योरेंस कम्पनी पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—(ज—द) ने ता०को प्रतिवादी कम्पनी के यहाँ.....रु० के लिये अपने जीवन का बीमा कराया और प्रतिवादी ने उसको पालिसी न०.....उन रुपयों के बदले में जो कि उस पालिसी के अनुसार अदा किये गये और अदा किये जाने को धे, दी ।

२—(ज—द) ने अपनी अन्तिम वसीयत ता०.....को की और इसके अनुसार वादी को वसी (निष्ठाकर्ता) नियत किया ।

३—उक्त (ज—द) की ता०..... को मृत्यु हो गई ।

४—वादी ने नियमानुसार उक्त वसीयत का प्रोवेट हासिल कर लिया है और वह दावा कर सकता है ।

(३) अन्य पुरुष के जीवन के बीमे का रुपया वसूल करने के लिये नाबिंश, जब कि अदायगी दावा करने वाले ने की हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१— (ज—द) वादी का पिता था ।

२—वादी ने (ज—द) के जीवन का बीमा (५०००) रु० का, प्रतिवादी कम्पनी के यहाँ किया और प्रतिवादी कम्पनी ने पालिसी न० वादी को उसके अनुसार अदायगियों के बदले में दी ।

३—वादी ने उक्त बीमा (ज—द) के निष्ठा क्रम और नेहरू के लिये कराया था और वह इन अदायगियों के लिये नेहरू ही में लगाना चाहता था ।

४—वादी ने पिता (ज—द) का ता०को मृत्यु हो गई ।

४०—प्राकृतिक स्वत्व व सुखाधिकार

(हकूक कुदरती व आशाइश Natural rights and rights of easement)

प्राकृतिक स्वत्व और सुखाधिकार में बड़ा अन्तर है, प्रत्येक मनुष्य को हवा में चलने, हवा में स्वाँस लेने, आम रास्ते पर आवागमन करने और नदी से पानी पीने या स्नान करने का अधिकार बिना रोक टोक के प्राप्त है इसलिये कोई अन्य मनुष्य उसको बिना उचित कारण के इन कामों से नहीं रोक सकता न उसको ऐसा करने पर नुकसान पहुँचा सकता है या उसकी स्वतन्त्रता में बाधा डाल सकता है ।

ये सब प्राकृतिक स्वत्व हैं जो प्रकृति ने मनुष्य को दान दिये हैं । इसके विरुद्ध सुखाधिकार वह स्वत्व है जो किसी व्यक्ति को प्रतिज्ञा मोआहिदे या इकरार से, किसी रीति या रिवाज से, या किसी विशेष समय तक इस्तेमाल से, सुख पाने या किसी वस्तु से लाभ उठाने का प्राप्त हो जाता है ।

इन दोनों प्रकार के स्वत्वों में बाधा होने पर स्वत्वाधिकारी दावा कर सकता है और ऐसे दावों के नमूने इस खंड में दिये गये हैं । इन दावों में बादी दो प्रकार की प्रार्थना कर सकता है । एक तो यह कि निषेध आज्ञा (अदालत हुकम इम्तनाई) से प्रतिवादी को शिकायती काम करने से आगे के लिये रोके और दूसरी यह कि शिकायती काम से जो कुछ बादी का हर्जा हुआ हो वह उसको दिलाये ।¹

सुखाधिकार का स्वत्व कहीं वही किसी वस्तु की मिलिक्रयत से पृथक् होता है, इसलिये हर फरीक को चाहिये कि वह अपने दावे या जवाब दावे में, जब ऐसे स्वत्व से लाभ उठाना हो, उसको पूरे विवरण के साथ लिखे और यह भी प्रगट करे कि वह अधिकार किस प्रकार से उत्पन्न या उसको प्राप्त हुआ जैसे—

हकूक आसायश के मुकदमे में बादी को उस हक (स्वत्व) का अधिकार होना और उससे रोके जाने, या उसमें विघ्न डालने की कुल घटनाएँ बयान करना चाहिये । यदि हरजाना या हुकम इम्तनाई भी माँगा जाय तो विघ्न डालने से जो नुकसान हुआ हो या जिसका भविष्य में डर हो, अर्जादावे में लिखना चाहिये ।

जहाँ पर हरजाना दिलाया जावेगा वहाँ पर फिर विघ्न न डालने के लिये निषेध आज्ञा (हुकम इम्तनाई) भी मिल सकता है परन्तु यदि उस विघ्न का, नकद रुपये में मुआबजा उचित हो तो अदालत नहीं देगी ।

रास्ता रोकने के मुकदमे में रास्ते दो प्रकार के होते हैं, और अर्जीदात्रे में ऊपर लिखी हुई बातों के अतिरिक्त यह भी दिखाना चाहिये कि वह रास्ता आम है या खास। यदि रास्ता खास ही तो रोक डालना ही काफी होता है लेकिन आम रास्ते के लिये वादी को कोई विपत्त हानि दिखानी चाहिये।

रोशनी व हवा के रोकने के दावों में धारा ३३ में लिखी हुई बातें और दिखाना चाहिये।

१—यह कि वादी के हकूक में प्रतिवादी के अनुचित कार्य से क्षति हुई।

२—वादी की जायदाद की मानियत में कमी हुई।

३—वादी के सुख में विघ्न हुआ।।

४—वादी अपना काम या रोजी सुख पूर्वक न कर सका।^१

हानिकर कार्य के हटाने के दावों के नमूने भी इसी खंड में दिये गये हैं। हानिकर कार्य प्रायः यह होते हैं :—

१—किसी रास्ते में रुकावट डालना या जहाँ प्रतिवादी का रास्ते को ठीक रखने का कर्तव्य हो, उसकी मरम्मत न करना।

२—आवादी में या उसके निकट कोई ऐसा कार्य करना जिससे आस पास के निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव हो जैसे धुआँ पैदा करना, बहुत शोरगुल या आवाज करना या दुर्गन्ध फैलाना इत्यादि।^२ हानिकर कार्य के विरुद्ध वादी का दावा तभी चल सकता है जब कि उसके ऐसे कार्य से विशेष क्षति हुई हो। यदि उसका कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ तो जाहता हीदानों की धारा ९१ के अनुसार प्रात के एडवोकेट जनरल की अनुमति प्राप्त करके जनता की धोर से दावा किया जा सकता है।^३

मियाद—मुआवजे के लिये कानून मियाद की धारा ३६^४ के अनुसार विघ्न पढ़ने के दिन से मियाद दो साल की है और हुक्म इमतनाई के लिये धारा १२०^५ से ६ साल की मियाद है। लेकिन इसी सिलसिले में क़ानून २३ कानून मियाद^६ और क़ानून १५ कानून आशायश^७ देखना चाहिये। हुक्म इमतनाई के लिये शर्तों की मानियत वादी को नियत करनी होती है।

1 1 L R 15 All 270, 17 Bom 648

2 1 L R 75 All 711, 21 A L J 214

3 A L R 19 7 Pat 302, 1929 A L 707 See Expl. to Sec. 23 Essential Act

4 Sec. 1

5 Sec. 21

6 Sec. 23, 24, 25, 26, 27

7 Sec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

*(१) पानी को नष्ट व अपवित्र करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी.....भूमि पर स्थित.... और उसके कुआँ पर और उस कुएँ के पानी पर काबिज है और सर्वदा उसका अधिकारी रहा है और उससे लाभ उठाने का हकदार है। इस के अतिरिक्त उसका यह भी हक है कि जो चरमे या सोते उस कुएँ में गढ़ कर आते हैं और गिरते हैं वह इस प्रकार से गढ़ कर आये कि पानी गन्दा या अपवित्र न होने पावे।

२—प्रतिवादी ने ता०.....को अनुचित रीति से उन मातों को जो उसमें गिरते हैं अपवित्र कर डाला और बन्द कर दिया।

३—इससे कुएँ का पानी अपवित्र हो गया जिससे वह घर के खर्च व काम काज के योग्य न रहा और वादी और उसके घर वाले उस पानी को काम में लाने से वंचित रहे।

४—अभियोग कारण—

५—दावे की मालियत—

(वादी का प्रार्थना)

(२) नदी का पानी अपवित्र व नष्ट करने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी जरगवाँ तहसील.....की पूरी जमींदारी व रियासत का मालिक व काबिज है।

२—इस गाँव के पच्छिम ओर, ग्राम सगूली की जमींदारी है जिसका मालिक व काबिज प्रतिवादी है।

३—यमुना नदी प्रतिवादी की जमींदारी सगूली में होती हुई वादी की जमींदारी में बहती है।

४—प्राचीनकाल से उस नदी का पानी वादी के गाँव के मवेशी पीते हैं और वहाँ के रहने वाले खेत सींचने इत्यादि काम काज में लाते हैं और वादी को नदी से, प्राकृतिक

* नोट—यह जाचता दीवानी के प्रथम परिशिष्ट के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० २३ है।

दशा में, बिना उसके किसी प्रकार अपवित्र अथवा नष्ट किये जाने के, पानी लेने का व उससे सिचाई इत्यादि करने का अधिकार प्राप्त है ।

५—प्रतिवादी का मौजा सगूली में यमुना नदी के किनारे एक रगसाजी का कारखाना है जो ता०.....से जारी हुआ है और जिसका अपवित्र व गन्दा पानी प्रतिवादी यमुना नदी में बहा देता है ।

६—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से नदी का पानी, जो उस गाँव में होकर बहता है जहाँ वादी की जमींदारी है, बदबूदार और अपवित्र हो जाता है । उसको न जानवर इत्यादि पीते हैं और न सीचने इत्यादि के काम में आता है ।

७—प्रतिवादी इस अनुचित कार्य को नहीं छोड़ता जिसके कारण से वादी को पानी एकत्रित करने में अत्यन्त कठिनाई उठानी पड़ी जिससे.....र० की उसको हानि हुई ।

८—अभियोग कारण—(कारखाना स्थापित करने के दिन से, और कारखाना चालू रहने पर प्रतिदिन से)

९—दावे की मालियत—
वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी को निषेधाज्ञा (हुक्म इमतनाई) दी जावे कि वह अपने रगसाजी के कारखाने का अपवित्र व गन्दा पानी यमुना नदी में न बहावे और न उस नदी का पानी किसी अन्य प्रकार से नष्ट करे ।

(ब) वादी को प्रतिवादी से.....र० हर्जाना दिलाया जावे ।

(क) प्रतिवादी से वादी को नालिश का खर्चा दिलाया जावे ।

* (३) गूळ फेरने या पानी काट लेने पर

१—नदी..... के किनारे स्थानपर एक पनचक्की पर वादी काबिज है और बहुत दिनों से काबिज था ।

२—इस कब्जे के कारण वादी अधिकारी है कि पनचक्की चलाने के लिये वह नदी बहती रहे ।

३—ता०.....को प्रतिवादी ने उस नदी का किनारा काट कर उसका पानी अनुचित प्रकार से इस तरह फेर दिया है कि वादी की पनचक्की की तरफ बहुत कम पानी आता है ।

४—इसके कारण वादी.....मन अनाज प्रति दिन से अधिक नहीं पीस सकता और पानी फेर देने से पहिले . मन अनाज पीसता था ।

*नोट—See Civil Procedure Code Schedule I. Appendix A, Form No 27

* (४) बहते हुये पानी को फेरने से रोकने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये नाबिज्ञ

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

(ऊपर लिखे नमूना नम्बर ३ के अनुसार)

वादी अधिकारी है कि प्रतिवादी को निषेधाज्ञा (हुकम इमतनाई) से उस पानी को फेरने से रोक दिया जावे ।

(और यही वादी की प्रार्थना में भी जोड़ना चाहिये)

† (५) आबपाशी के लिये पानी लेने में रोक डालने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी भूमि.....स्थित स्थान.....पर काबिज है और उस समय भी काबिज था जिसका ब्योरा दिया जाता है और उसको अधिकार प्राप्त है कि.....नदी या (नहर) के पानी को उस ज़मीन के सींचने के काम में लावे ।

२—ता०.....के प्रतिवादी ने अनुचित रीति से उस नदी (या नहर) की धार को दूसरी तरफ फेर दिया और इस तरह वादी को खेत सींचने और पानी काम में लाने से वंचित रक्खा ।

३—अभियोग कारण—

४—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(६) पानी लेने के अधिकार में विघ्न डालने पर हर्जे व निषेधाज्ञा के लिये नाबिज्ञ

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ग्राम.....परगना.....की २० बिस्वा जमीन का मालिक व काबिज है ।

* नोट—See C. P. C. Sch. I, App. A, Form No. 38.

† नोट—See C. P. C. Sch. I, App. A, Form No. 28.

२—इस गाँव में होकर सोन नदी बहती है और उसी से उस गाँव की ज़मीन जो कि नदी के किनारे है सींची जाती है और हमेशा से सींची जाती रही है और वादी को उस गाँव के जमींदार होने के कारण नदी के बहाव और पानी को काम में लाने का अधिकार है ।

३—प्रतिवादी ने ता०.....से उस नदी में बाँध लगा कर पानी का विशेष भाग दूसरी तरफ फेर दिया जिसके कारण नदी में पानी बहुत कम हो गया है और गाँव की आवपाशी अच्छी तरह से नहीं हो सकती । प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी को नदी के बहाव और पानी से उतना लाभ नहीं पहुँचता जितना पहिले पहुँचता था ।

४—प्रतिवादी अब भी उस बाँध को कायम रख रहा है और उसका इरादा उसको कायम रखने का है ।

५—प्रतिवादी की इस अनुचित कार्यवाही से करीब ३०० बीघा पक्की ज़मीन रबी सन्.....की फसल में बिना सींची हुई रह गई और करीब ३०००) ४० की वादी की पैदावार की हानि हुई ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) हर्जे का.....४० प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे ।

(ब) प्रतिवादी को हुकम हो कि नदी में कोई बाँध न लगावे या ऐसा काम न करे जिससे सोन नदी का बहाव या उसका पानी वादी की ज़मीन में कम हो जाय या और किसी तरह से उसको नुक़सान हो ।

(क) नालिश का खर्चा दिलाया जावे ।

(७) एक तरफ का सहारा हटा लेने और नुक़सान होने पर

हर्जे का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—मुहल्ला दरियागज शहर बानपुर में फरीबैन के पक्के मकान एक दूसरे से मिले व सटे हुये हैं और प्रतिवादी का मकान वादी के मकान के पच्छिम ओर है ।

२—दोनों मकान बहुत पुराने, प्रायः ३० साल के बने हुये हैं और वादी को प्रतिवादी के मकान और ज़मीन से अपने मकान और उसके नीचे की ज़मीन के लिये सहारा देने का अधिकार है ।

३—प्रतिवादी ने मार्च सन्में अनुचित रूप से वादी के मकान का सहारा हटाने का प्रयत्न कर हटा लिया और बिना किसी प्रकार का सहारा वादी के मकान को पहुँचा देने का प्रयत्न नहीं किया ।

४—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य का फल यह हुआ कि वादी के मकान में दीवार अपनी जगह से हट कर टेढ़ी और कमजोर हो गई और कई जगह से मकान की छतों व डाटों को नुकसान हुआ ।

५—कुल नुकसान और हर्जे के रूपये की लगभग सूची यह है—

(अ) दीवारों को नुकसान६० ।

(ब) छत को नुकसान६० ।

(क) दर्वाजे इत्यादि को६० ।

६—अभियोग कारण—(प्रतिवादी के मकान गिरवाने के दिन से) ।

(८) इसी प्रकार का, हर्जे व निपेयाज्ञा के लिये अन्य अभियोग

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—गाँव अमृतपुर जिला गुड़गाँव मुहाल तोताराम में वादी एक नग भूमि नम्बर ३६५ का मालिक व काबिज है ।

२—इस भूमि से मिला हुआ नम्बर ३६६ प्रतिवादी का खेत है । प्रतिवादी ने कंकड़ निकालने के लिये उस खेत को फरवरी सन् १९४२ ई० से खोदना शुरू किया और उसी समय से बराबर उस खेत को खोदता और कंकड़ निकालता चला जाता है ।

३—प्रतिवादी ने ऐसा करने में भूमि नम्बर ३६५ के आस पास काफी जमीन नहीं छोड़ी जिससे उस आराजी का, दोनों तरफ से यानी नीचे और बगल से (Lateral and vertical) सहारा रहे ।

४—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी की भूमि नम्बरी ३६५ की सतह ढँक गई है और उसका बहाव रुक कर उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे उसमें बोई हुई फसल बिल्कुल खराब हो जाती है और कम कीमत की होती है इसके अतिरिक्त उस जमीन की मालियत भी बहुत कम हो गई है ।

५—वादी की हानि इस प्रकार हुई है ।

(अ) फसल का नुकसान.....६० ।

(ब) जमीन की कम कीमत.....६० ।

६—प्रतिवादी अब भी खेत को खोद रहा है और उसका इरादा कंकड़ निकालने और खुदाई जारी रखने का है । यदि उसको न रोका जाय तो वादी को और भी हानि पहुँचने का भय है ।

७—अभियोग कारण—

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) वादी को हर्जे का.....२० प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

(ब) प्रतिवादी को निषेधाज्ञा दी जावे कि वह कोई ऐसा काम न करे जिससे वादी की भूमि को हानि पहुँचे ।

(ज) नालिश का खर्चा दिलाया जावे ।

*(९) हानिकारक कारखाना जारी रखने पर दावा

१—वादी.....नामक जमीन वाकै स्थान.....पर काबिज है और उन सब अवसरो पर जिनकी बाबत इस अर्जी दावे मे बयान किया गया है काबिज रहा ।

२—ता०.. ..से प्रतिवादी के धातु गलाने के कारखाने से धुआँ और बदबू इत्यादि हानिकारक चीजे अधिक तादाद मे निकलनी शुरू हुई जो उस जमीन पर फैलती हैं जिनसे हवा खराब होती है और वह जमीन की मिट्टी पर जम जाती है ।

३—इसकी वजह से उस जमीन की फसल इत्यादि को बहुत नुकसान पहुँचता है और उनकी कीमत भी कम आती है । वादी के पशु व जानवर इत्यादि उससे दुर्बल व बीमार हो जाते हैं और बहुत से उसके जहर से मर भी गये ।

४—वादी उस जमीन में इसी कारण से अपने चौपाये, भेड़, बकरी इत्यादि नहीं चरा सकता, जो कि वह कारखाने के न होने पर कर सकता था और उसको अपने पशु, भेड़, बकरी इत्यादि वहाँ मे ले जाने पड़े और उस जमीन के लाभ व अधिकार से वंचित रहा ।

(१०) हानिकारक कारखाना शुरू करने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१ - प्रायः १५ साल से कच्चा खुर्जा मे भूमि नम्बरीवादी का फल फूल का बाग है जिसमे फसल मे तरह २ के फल फूल उत्पन्न होने हैं ।

२—इस भूमि के ठीक पच्छिम की ओर उमने २० गज की दूरी पर भूमि नम्बरी ... है जिसका खज ५ बीघा है और जिसका कि मालिक व काबिज प्रतिवादी है ।

३ -यह जमीन सदा से लेती बारी के काम में आती रही परन्तु पिछले अवसर मे प्रतिवादी ने उस जमीन मे ईंट पकाना और उसके पकाने के लिये एक ८० गज लम्बा

भट्टा वादी की ज़मीन के सहारे २ तैयार करना शुरू किया है और उसके लिये लोहे की चिमनी तैयार हो रही है ।

४—प्रतिवादी का उस भट्टे में इंट पकाने का इरादा है । भट्टे की हवा वादी के फल फूल दार पेड़ों को अत्यन्त हानिकारक होगी, और बहुत से पेड़ों के जलने का डर है और चिमनी की राख और धुएँ से बाग व पेड़ इत्यादि की सफाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

५—प्रतिवादी को ऐसा काम शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है और वह वादी के मना करने पर भी नहीं मानता ।

६—अभियोग कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी को निपेधाज्ञा दी जावे कि वह अपनी भूमि नं०.....में कोई भट्टा न बनावे और न उसको जलावे ।

(ब) खर्चा व सूद दिलाया जावे ।

* (११) विशेष रास्ता बन्द करने पर

१—वादी एक मकान का, जो ग्राम.....में स्थित है, अधिकारी है और प्राचीन काल से उस पर क़ाबिज़ रहा है ।

२—वादी इस बात का हक रखता है कि प्रत्येक फसल में स्वयं अथवा अपने नौकरों के (चाहे घुड़सवार या प्यादा) सहित अपने घर से.....खेतों में होकर ग्राम सड़क तक जाया करे और वहाँ से उसी रास्ते से होकर लौट कर आवे ।

३—प्रतिवादी ने ता०.....को उस गली (रास्ता) को अनुचित रीति से बन्द कर दिया जिससे वादी सवारी पर या पैदल या किसी प्रकार से आ जा नहीं सकता (और उसी समय से उस रास्ते को अनुचित रीति से बन्द कर रक्खा है) ।

४—(यदि कोई विशेष हानि हुई हो तो लिखी जावे) ।

(१२) सार्वजनिक रास्ता बन्द करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी ने सार्वजनिक रास्ते में अनुचित व बेढगे तरह से एक खाई खोद

* नोट—यह जाब्ता दीवानी के परिशिष्ट (१) के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना न० २५ है ।

कर मट्टी और पत्थर जो.....से.....तक है इस प्रकार से एकत्रित कर रखा है किं रास्ता बन्द हो गया है ।

२—वादी, जो उस रास्ते पर न्याययुक्त और उचित कार्य से निकलता था उस मिट्टी और पत्थर के ढेर पर (या उस खाई में) गिर पड़ा जिससे वादी का हाथ टूट गया और उसने बड़ा कष्ट उठाया और अपना काम काज करने से भी बहुत समय तक लाचार रहा और इलाज करने में भी खर्चा लगाना पड़ा ।

३—अभियोग कारण—

४—दावे की मालियत—

* वादी की प्रार्थना—

†(१३) हानिकारक वस्तु के हटाने के किये नाञ्छित

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ।

१—वादी मकान नम्बर.....स्थित सड़क.....शहर.....का पूरा मालिक है और सदैव उस सम्पूर्ण समय में जिसका बयान नीचे दिया हुआ है, मालिक रहा ।

२—प्रतिवादी उस भूमि का पूरा मालिक है जो..... सड़क पर स्थित है और उस सम्पूर्ण समय के लिये जिसका बयान है मालिक रहा ।

३—प्रतिवादी ने उस भूमि पर ता०.....से पशु-वध का एक स्थान नियत किया है और वह जिवह करने का स्थान अब भी मौजूद है । वह उसी समय से जानवरों को वहाँ मँगा कर जिवह कराया करता है और खून व हड्डी इत्यादि उस सड़क पर फिकवा देता है जो वादी के मकान के सामने है ।

४—उपरोक्त कारणों से वादी को मकान छोड़ना पड़ा और वह उसको किराये पर भी नहीं चला सकता ।

(१४) इसी प्रकार का अन्य अभियोग

१—दोनों पक्षों के घर कल्या नासग ज में एक दूसरे से मिले व सटे हुए हैं मगर एक दीवार बीच में स्थित है ।

२—वादी, वेष्टक का पेशा करता है और मकान के एक हिस्से में निवास करता है

* नोट—यह जायदादी दीवानी के परिशिष्ट १ के असेन्टिक्स (अ) का नमूना न० २६ है ।

† नोट—यह जायदादी दीवानी के परिशिष्ट ६ के असेन्टिक्स (अ) का नमूना न० ३६ है ।

और मकान के दूसरे हिस्से में उसकी बैठने की जगह है जहाँ पर वादी के पास हर प्रकार के रोगी इलाज कराने के लिये आते हैं और बैठते उठते हैं ।

३—प्रतिवादी मिले हुये मकान को अभी तक उठने बैठने के काम में लाता था परन्तु ४—६ महीना में उसने उस मकान में लोहे की कडाही बनाने का कारखाना खोल रखा है ।

४—उस मकान में रात दिन लोहार व मजदूर बड़े २ हथौड़ों से लोहे के तबों को पीटते हैं जिसके कारण से ऐसा शोर रहता है कि वादी के मकान में साधारण बोल चाल सुनाई नहीं देती और हथौड़ों की आवाज़ के कारण मनुष्य सुन्न में सो नहीं सकते । अधिक शोर होने के कारण से वादी के हर काम में विघ्न पडता है और कानों को भी उसकी आवाज़ बुरी मालूम होती है जिससे कानों को सुनने में और तन्दुरुस्ती में बहुत बुरा प्रभाव पडने का भय है ।

५—प्रतिवादी से उस कारखाने के हटाने के लिये कहा गया परन्तु वह ध्यान नहीं देता है ।

(१५) हानिकारक व दुखदाई वस्तु के हटाने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—स्थान हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में गली मानसिंह के अन्दर प्रतिवादी का मकान गली के किनारे पर ही है ।

२—वह बहुत दिनों का बना हुआ, और टूटी फूटी हालत में है । उसकी दो मंजिला दीवार जो रास्ते के किनारे है तीन चार जगह फट गई है और कई जगह ईंटों की छाल गिर पड़ी है और दोनों कोनों की दीवारों से उसका जोड़ १—४ इंच हट गया है ।

३—वादी का मकान गली मानसिंह में अन्दर की ओर स्थित है और उसका दूकान के लिये रास्ता, जो कि बाजार में है, प्रतिवादी की दीवार के नीचे हो कर है और प्रति दिन वादी वहाँ होकर आया जाता करता है ।

४—उस दीवार के गिर जाने और उसके नीचे आदमी दब जाने या हानि पहुँचने का भय हर समय रहता है । चूँकि अब बरसात शुरू होने वाली है इसलिये दीवार के गिरने का और भी डर है ।

५—वादी ने उस दीवार को एक अनुभवी इनजीनियर को दिखाया जिसकी रिपोर्ट साथ २ पेश की जाती है । उससे प्रगट होगा कि दीवार का इस हालत में रहना खतरनाक है और रास्ता निकलने वालों के दब जाने का डर है और बरसात में वह खड़ी नहीं रह सकती है ।

६—प्रतिवादी से कई बार उसके तोड़ने या उसकी रक्षा के लिये और कुछ प्रयत्न करने के लिये कहा गया परन्तु वह ध्यान नहीं देता ।

७—अभियोग कारण—' प्रतिवादी को सूचित करने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी को आज्ञा दी जावे कि वह अपने मकान की दो मजिला दीवार को, जो कि गली मानसिंह के किनारे है गिरवा दे या उसकी रक्षा के लिये ऐसा प्रयत्न करे कि वह भयप्रद (खतरनाक) न रहे और उसके ऐसा न करने पर वह दीवार प्रतिवादी के खर्चों से गिरवा दी जावे ।

(ब) नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे ।

(१६) मछली पकड़ने के स्वत्व के सम्बन्ध में

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—ग्राम.....जिला.....में एक बहुत लम्बा चौड़ा तालाब है जिसके मालिक उसी गाँव के जमींदार लोग हैं ।

२—उस तालाब में मछली पकड़ने का पहिला जनवरी से ३१ दिसम्बर सन्..... का ठेका उन जमींदारों की ओर से वादी के पास था और वादी ठेकेदार की हँसियत से उस तालाब से मछली पकड़ता और बेचता है । असली ठेकानामा साथ साथ पेश किया जाता है ।

३—ता०. ... के प्रतिवादी ने अपने अधिकार विरुद्ध उस तालाब में मछलियों का शिकार किया और वादी के रोकने पर भी नहीं माना और लगभग हर प्रकार की दो मन मछली पकड़ ले गया और अपने काम में लाया ।

४—उन मछलियों का मूल्य लगभग रुपया है ।

५—व्यवहार कारण—ता० ... (मछली पकड़ने के दिन से) अदालत की अधि-कार सीमा में उत्पन्न हुआ ।

६—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना यह है कि—

(अ) प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वादी के ठेका जारी रहने तक उस तालाब में मछली का शिकार न करे ।

(ब) र० हर्ष और नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे ।

(१७) पुल के ठंके में विघ्न डालने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी के पास स्थान अनूपशहर जिला बुलन्दशहर में गंगा नदी के पुल का १ अप्रैल सन् १९—से लेकर ३१ मार्च सन् १९—ई० तक का ठेका है ।

२—उस ठेके की शर्तों के अनुसार किसी मनुष्य को यात्री, मवेशी या गाड़ी इत्यादि का अनूपशहर की सीमा से दो मील तक नौका, किश्ती या बोट या और किसी प्रकार में गंगा पार करने का अधिकार नहीं है । असली ठेकानामा नालिश के साथ २ पेश किया जाता है ।

३—वादी के ठंके में प्रतिवादी रुकावट डालना है और पुल से दो फर्लाङ्ग की ही दूरी पर मवेशी और यात्रियों को प्रतिवादी नावों में गंगा पार ले जाता है और वहाँ से उनको वापिस लाता है ।

४—वादी को जहाँ तक मालूम हुआ है प्रतिवादी ने नीचे लिखी हुई ठेके के विरुद्ध कार्रवाई की है—

- (१) ता०.....को प्रतिवादी... ..यात्री गंगा पार ले गया ।
- (२) ता०.....को प्रतिवादी.....मवेशी गंगा पार ले गया ।
- (३) ता०.....को प्रतिवादी.....मुसाफिर गंगा पार से लाया ।

५—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी को हानि हुई और वह अपनी उस आमदनी से वंचित रहा जो उसको मिलती ।

६—दावे का कारण, (धारा ४ में लिखी हुई तारीखों से) ।

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है—

(अ) प्रतिवादी के नाम निषेध आज्ञा (हुकम इमतनार्ई) घोषित हो कि वह अनूपशहर से दो मील की सीमा के अन्दर यात्री या मवेशी गंगा पार, किश्ती या किसी अन्य प्रकार से न ले जावे और न उस पार से अनूपशहर को लावे ।

(ब) हजें का.....रु० प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

(१८) पैठ या बाज़ार में रुकावट डालने पर

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :—

१—वादी जहाँगीराबाद जिला बुलन्दशहर की २० बिस्वा ज़मींदारी का मालिक है ।

२—इस कस्बे में सैकड़ों साल से वादी की जमीन में हर हफ्ते बुध के दिन आस पास के गाँव के दूकानदार और जुलाहे, चमार, दर्जी इत्यादि अपना माल लाकर बेचते हैं और मवेशियों का क्रय विक्रय होता है ।

३—वादी बाजार की जमीन का मालिक होने के कारण दूकानदार और माल बेचने वालों से किराया और मवेशी इत्यादि बेचने वालों से जमींदारी का हक वसूल करता है ।

४—प्रतिवादी ने उस स्थान के पास जहाँ कि वादी का बाजार लगता है दो महीने से हर हफ्ते बुधवार के दिन एक दूसरा बाजार, अपने अधिकार विरुद्ध, लगाना शुरू कर दिया है जिससे वादी के बाजार में बहुत खराबी पैदा होती है और उसके किराये और हक जमींदारी में बहुत कमी हो गई है ।

५—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी का यह नुकसान हुआ—

(यहाँ विवरण देना चाहिये) ।

६—बिनायदावा—

७ - दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) .. .रु० दर्जा, प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

(ब) प्रतिवादी के नाम निषेध आज्ञा घोषित की जावे और उसके वादी के बाजार के पास दूसरा बाजार लगाने में या उसके बाजार में रुकावट डालने से रोका जावे ।

(१९) पानी सींचने में रुकावट डालने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी, महाल रामनक्स. ग्राम.....में भूमि नम्बरी ३६६-३६८ का पेटक अधिकार प्राप्त कार्तकार है ।

२—इन दोनों टुकड़ों की सिचाई. सदा से, भूमि न० ३६७ के कुएँ से होती है और वादी को इनकी आबपाशी के लिये उस कुएँ से पानी लेने का अधिकार है ।

३ - रबी .. फसल में वादी ने इन दोनों टुकड़ों में गेहूँ की खेती की थी और गिरमूर .. - रबी न फसल को सींचने की अत्यन्त आवश्यकता थी ।

४ - प्रतिवादियों ने मत्पूर्वक वादी को यह फसल नहीं सींचने दी । उसको सींचने का कौन सा अधिकार था ।

५ - प्रतिवादियों की इस अनुचित कार्यवाही का यह फल हुआ कि गेहूँ की बह कुल ५६० रुक गई और कुल पैदावार नष्ट हुई और वादी की गेहूँ की फसल और उसके भूमे ५ रुक गई ।

६—अभियोग कारण—(दिसम्बर सन्.....से) ।

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ)२० हर्जे का प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे ।

(ब) प्रतिवादी के नाम आज्ञा घोषित की जावे कि वह कमी वादी को नं० ३६६-३६८ के सीचने के लिये नं० ३६७ के कुएँ से, पानी लेने से न रोके ।

(२०) पानी बहने में रुकावट डालने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी एक इकमजिला पक्के मकान (जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है) जो मुहल्ला मीरगज इलाहाबाद में स्थित है, का मालिक व काबिज है ।

२—यह मकान २० साल से अधिक का बना हुआ है और उसके दक्खिन की ओर बहुत दिनों से खाली ज़मीन पड़ी हुई थी जिसको लेकर प्रतिवादी ने.....ई० में मकान बनवाया है ।

३—प्रतिवादी के मकान की उत्तरी दीवार वादी को दीवार के सामने है और बीच में प्रतिवादी ने सिर्फ २ फिट चौड़ी गली छोड़ी है जिसमें उसके मकान की ३ मोरी और २ परनाले गिरते हैं ।

४—उस गली में इन परनाले व मोरियों के पानी निकलने का बहाव और निकास ठीक नहीं है जिसकी वजह से पानी वादी के मकान की दक्खिनी दीवार तक पहुँच जाता है ।

५—सन्.....ई० में प्रतिवादी ने मिट्टी डलवाकर उस गली को ऊँचा करवा दिया है जिसके कारण पिछली बरसात में वादी की दक्खिनी दीवार एक फिट की ऊँचाई तक बिल्कुल गल कर खराब और कई जगह से फट गई है और उसमें होकर वादी के मकान में पानी चला आया और जिससे दीवार और फर्श को बहुत नुकसान पहुँचा ।

६—प्रतिवादी से इसके कारण को दूर करने को कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देता ।

७—दावे का कारण—

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ)२० हर्जा प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे ।

(व) इस बात की घोषणा कर दी जावे कि प्रतिवादी को बीच की गली इस प्रकार से रखने का या उसको ऊँचा कर देने का, जिससे बहाव का पानी वादी की दक्खिनी दीवार तक आ जावे, कोई अधिकार नहीं है।

(क) प्रतिवादी के नाम सर्वकालिक निपेधाना जारी किया जावे कि वह उस गली और अपने मकान को इस प्रकार से न रखे कि जिससे वादी को हानि पहुँचे।

(ख) इस नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे।

(२१) प्रकाश के सुखाधिकार पाने के लिये निपेधाना का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित विवेदन करता है—

१—वादी एकमजिला पक्का मकान, स्थित मुहल्ला लखपती शहर हाथरस (जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है) का मालिक और काबिज है।

२—इस मकान की पहिली मजिल की दक्खिनी दीवार में, रसोईघर में हवा और उजैला आने और धुआँ निकलने के लिये दो जगले हैं और दूसरी मजिल में उसी ओर घँटने के कमरे में हवा और रोशनी आने के लिये दो जगले हैं और यह चारों जगले २० साल में अधिक से इसी दशा में मरित हैं और वादी के काम में आते हैं और उनको रथापित रखने का उसको अधिकार प्राप्त है।

३—इस दिन हुए कि प्रतिवादी ने उस दीवार में भिला हुआ मकान बनवाना शुरू किया है कि जिसके न रोके जाने पर चारों जगलों में हवा और उजैले का आना और रसोई-घर से धुएँ का निकलना बिल्कुल बढ़ हो जावेगा।

४—प्रतिवादी से तामीर रोकने के लिये कहा गया परन्तु वह ध्यान नहीं देता।

५—अभियोग कारण—

६—दावे की मालिकत—

वादी प्राधी कि—

(१) प्रतिवादी को माला दी जावे कि वह उस मकान को इस प्रकार से न बनवावे जिससे वादी के जगलों में रोशनी व हवा आना बढ़ हो जाय।

(२) यदि नालिश पहिले होने तक वह तामीर पूरा हो जावे तो वह मकान की दीवारें और उसमें न तोरने पर उसे वादी को हानि हो, दिलाई जावे।

(३) नालिश का खर्चा मकान मरित जावे।

६—अभियोग कारण—(दिसम्बर सन्.....से) ।

७--दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ)२० हर्जे का प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे ।

(ब) प्रतिवादी के नाम आजा घोषित की जावे कि वह कभी वादी को न० ३६६-३६८ के सीचने के लिये न० ३६७ के कुएँ से, पानी लेने से न रोके ।

(२०) पानी बहने में रुकावट डालने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी एक इकमंजिला पक्के मकान (जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है) जो मुहल्ला मीरगज इलाहाबाद में स्थित है, का मालिक व काबिज है ।

२—यह मकान २० साल से अधिक का बना हुआ है और उसके दक्खिन की ओर बहुत दिनों से खाली ज़मीन पड़ी हुई थी जिसको लेकर प्रतिवादी ने.....ई० में मकान बनवाया है ।

३—प्रतिवादी के मकान की उत्तरी दीवार वादी की दीवार के सामने है और बीच में प्रतिवादी ने सिर्फ २ फिट चौड़ी गली छोड़ी है जिसमें उसके मकान की ३ मोरी और २ परनाले गिरते हैं ।

४—उस गली में इन परनाले व मोरियों के पानी निकलने का बहाव और निकास ठीक नहीं है जिसकी वजह से पानी वादी के मकान की दक्खिनी दीवार तक पहुँच जाता है ।

५—सन्.....ई० में प्रतिवादी ने मिट्टी डलवाकर उस गली को ऊँचा करवा दिया है जिसके कारण पिछली बरसात में वादी की दक्खिनी दीवार एक फिट की ऊँचाई तक बिल्कुल गल कर खराब और कई जगह से फट गई है और उसमें होकर वादी के मकान में पानी चला आया और जिससे दीवार और फर्श को बहुत नुकसान पहुँचा ।

६—प्रतिवादी से इसके कारण को दूर करने को कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देता ।

७—दावे का कारण—

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ)२० हर्जा प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे ।

- (व) इस बात की घोषणा कर दी जावे कि प्रतिवादी को बीच की गली इस प्रकार से रखने का या उनको ऊँचा कर देने का, जिसमें बहाव का पानी वादी की दक्खिनी दीवार तक आ जावे कोई अधिकार नहीं है ।
- (क) प्रतिवादी के नाम सर्वकालिक निषेधाज्ञा जारी किया जावे कि वह उस गली और अपने मकान को इस प्रकार से न रखे कि जिससे वादी को हानि पहुँचे ।
- (ख) इस नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे ।

(२१) प्रकाश के सुखाधिकार पाने के लिये निषेधाज्ञा का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित विवेदन करता है—

१—वादी एक मजिला पक्का मकान, स्थित मुद्दला लखरती शहर हाथरस (जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है) का मालिक और काबिज है ।

२—इस मकान की पहिली मजिल की दक्खिनी दीवार में, रसोईघर में हवा और उजेला आने और धुआँ निकलने के लिये दो जंगलें हैं और दूसरी मजिल में उसी ओर बैठने के कमरे में हवा और रोशनी आने के लिये दो जंगलें हैं और यह चारों जंगलें २० साल से अधिक से इसी दशा में स्थित हैं और वादी के काम में आते हैं और उनको स्थापित रखने का उसको अधिकार प्राप्त है ।

३—दस दिन हुए कि प्रतिवादी ने उस दीवार से मिला हुआ मकान बनवाना शुरू किया है कि जिसके न रोके जाने पर चारों जंगलों से हवा और उजेले का आना और रसोई-घर से धुएँ का निकलना बिल्कुल बंद हो जावेगा ।

४—प्रतिवादी से तामीर रोकने के लिये कहा गया परन्तु वह ध्यान नहीं देता ।

५—अभियोग कारण—

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

- (अ) प्रतिवादी को आज्ञा दी जावे कि वह उस मकान को इस प्रकार से न बनवावे जिससे वादी के जंगलों से रोशनी व हवा आना बंद हो जाय ।
- (ब) यदि नालिश फैसिल होने तक वह तामीर पूरी हो जावे तो वह गिरवा दी जावे और उसके न तोड़ने पर जो वादी को हानि हो, दिलाई जावे ।
- (ज) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे ।

(२२) विशेष रास् से आने जाने की वास्त

१—मुहल्ला काजीवाड़ा शहर आगरा में वादियों के मकान . . . कूचे में स्थित हैं । वादियों के अतिरिक्त, और किसी आदमी का उस कूचे में आना जाना नहीं होता ।

२—यह कूचा पश्चिम की ओर ग्राम सड़क पर निकलता है । उसमें होकर बहुत से बाजार के मवेशी, जो कि पास ही में हैं वादियों के सामने लगी हुई फुलवाड़ी और बगीचे को नाश कर जाते थे, इसके रोकने के लिये वादियों ने बहुत दिनों से उस कूचे में एक फाटक लगवा दिया ।

३—ता०को प्रतिवादी बिना अधिकार घोड़ा गाड़ी समेत उस कूचे में घुस गया और वादियों के लगाये हुए फाटक और दरवाजे को गिरवा कर उसने अनुचित रूप में रास्ते का प्रयोग किया ।

४—वादियों के मना करने पर भी प्रतिवादी अपनी अनुचित कार्यवाही जारी रखता है और उस रास्ते से आता जाता है ।

(हुकम इम्तनाई व हजें के लिये प्रार्थना होगी)

४१—असावधानी, गफलत या लापरवाही

(Negligence)

असावधानी या गफलत के दावे या जवाबदावे में वे घटनाएँ लिखी जानी चाहिये जिनसे एक पक्ष के अनुसार दूसरे पक्ष की असावधानी प्रमाणित हो । ऐसी घटनाओं का उल्लेखन किये बिना सिर्फ यह लिख देना कि दूसरे पक्ष ने गफलत या लापरवाही की, पर्याप्त नहीं होता । उन घटनाओं से यह प्रगट होना चाहिये कि उत्तरदायी पक्ष का अमुक कर्तव्य था और उसने उसकी पूर्ति नहीं की या कि उसके विरुद्ध कार्य किया ।

असावधानी के लिये जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर होती है जो कि असावधान था परन्तु विशेष दशाओं में एजेंट और नौकर की गफलत के लिये भी उसका मालिक जिम्मेदार होता है । अदालत दीवानी के मुकदमों में गफलत से प्रायः हर्जा लेने की जिम्मेदारी पैदा होती है और हर्जों की संख्या अदालत शारीरिक व मानसिक कष्ट और आर्थिक क्षति का अनुमान करके नियत करती है इसलिये गफलत व असावधानी के दावों में जो हर्जा माँगा जावे उसमें हर प्रकार के हर्जों का विवरण देना चाहिये जिससे अदालत प्रत्येक प्रकार के हर्जों की सख्या उचित रूप से नियत कर सके । वही पुरुष हर्जा पा सकता है जिसको शिकायत की हुई गफलत से शारीरिक या मानसिक कष्ट हुआ या जिसके माल या जाय-दाद को नुकसान पहुँचा ।

यदि नालिश के पहले या नालिश करने के बाद उसकी मृत्यु हो जावे तो उसके उत्तराधिकारियों को, वादी की विशेष दशाओं के अतिरिक्त हर्जा पाने का स्वत्व नहीं रहता। परन्तु रन या मोटर की दुर्घटनाओं में, प्रतिवादी की गफलत या लापरवाही से किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिस एक्ट १३ सन् १८५५ (Fatal Accidents Act) के अनुसार हरजाने का दावा कर सकते हैं पर वह उही हालत में ही सकता है जब कि यदि मृतक की मृत्यु न हुई होती तो वह हानि पहुँचने का दावा कर सकता। वह दावे स्त्री, पुरुष, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, इत्यादि की तरफ ही से लाये जा सकते हैं इसलिये अर्जीदावे में वादी का मृतक से सम्बन्ध और गुणावज्ञे की तफसील देनी चाहिये। मृतक की मृत्यु में वादी को क्या हानि पहुँची और उसका कितना नुकसान हुआ इन्हीं बातों के अनुसार मुआवजा दिलाया जाता है।

विधान की दृष्टि में गफलत या असावधानी तब ही उत्पन्न होनी कही जाती है जब प्रतिवादी कोई ऐसा काम न करे जो किसी विशेष अवसर पर या विशेष अवस्था में एक साधारण समझदार आदमी करता, या कोई ऐसा काम करदे जो एक साधारण समझका आदमी उस दशा में न करता या यो कहना चाहिये कि प्रतिवादी का यह कर्तव्य होता है कि वह असावधानी बर्ते कि उसके किसी कार्य करने या उसके किसी कार्य न करने से दूसरे को क्षति न पहुँचे।¹ ऐसा कर्तव्य या तो आपस में प्रतिज्ञा से उत्पन्न होता है या साधारण प्रकार से किसी कानून या विधान से उत्पन्न होता है और प्रायः सभी को बर्तना होता है जैसे एक व्यक्ति के आम रास्ते को इस्तेमाल करने में दूसरे रास्ता चलने वालों को नुकसान या चोट न पहुँचे।

प्रतिवादी, उसके नौकर या उसके एजेंट की असावधानी या लापरवाही से नुकसान पहुँचने पर वादी को यह बातें दिखाना जरूरी हैं—

(१) वे घटनाएँ जिनसे प्रतिवादी का वादी के लिये कोई फर्ज साबित हो। अगर मुआहिदे से फर्ज पैदा हुआ हो तो अर्जीदावे में मुआहिदे का होना दिखाना चाहिये वरना गफलत या लापरवाही दिखाना चाहिये।

(२) वे घटनाएँ जिनसे इस फर्ज को अदा न होना जाहिर हो।

(३) यह कि इस लापरवाही या गफलत से वादी को हानि पहुँची और उसका नुकसान हुआ।²

रेल व मोटर के दुर्घटना इत्यादि के मामलों में ऐसी दुर्घटना से ही प्रतिवादी कम्पनी या उसके कर्मचारियों की असावधानी नहीं मान ली जाती, परन्तु यदि घटना ऐसी हो जो प्रायः बिना असावधानी के नहीं हो सकती थी, वहाँ पर

1 A I R. 1928 Cal 504, 1938 Rang 185

2 I L R. 58 Bom 189, 175 I C 804

(२२) विशेष गार से आने जाने की वात

१—मुहल्ला कार्जीवाड़ा गहर आगरा में वादियों के मकान . कूचे में स्थित हैं । वादियों के अतिरिक्त, और किसी आदमी का उस कूचे में आना जाना नहीं होता ।

२—यह कूचा पश्चिम की ओर आम सड़क पर निकलना है । उममें होकर बहुत से बाजार के मवेशी, जो कि पास ही में हैं वादियों के सामने लगी हुई फुलवाड़ी और बगीचे को नाश कर जाते थे, इसके रोकने के लिये वादियों ने बहुत दिनों से उस कूचे में एक फाटक लगवा दिया ।

३—ता०को प्रतिवादी बिना अनिकार घोड़ा गाड़ी समेत उस कूचे में घुस गया और वादियों के लगाये हुए फाटक और दरवाजों को गिरवा कर उसने अनुचित रूप से रास्ते का प्रयोग किया ।

४—वादियों के मना करने पर भी प्रतिवादी अपनी अनुचित कार्रवाई जारी रखता है और उस रास्ते से आता जाता है ।

(हुकम इम्तनाई व हजें के लिये प्रार्थना होगी)

४१—असावधानी, गफलत या लापरवाही

(Negligence)

असावधानी या गफलत के दावे या जवाबदावे में वे घटनाएँ लिखी जानी चाहिये जिनसे एक पक्ष के अनुसार दूसरे पक्ष की असावधानी प्रमाणित हो । ऐसी घटनाओं का उल्लेखन किये बिना सिर्फ यह लिख देना कि दूसरे पक्ष ने गफलत या लापरवाही की, पर्याप्त नहीं होता । उन घटनाओं से यह प्रगट होना चाहिये कि उत्तरदायी पक्ष का अमुक कर्तव्य था और उसने उसकी पूर्ति नहीं की या कि उसके विरुद्ध कार्य किया ।

असावधानी के लिये जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर होती है जो कि असावधान था परन्तु विशेष दशाओं में एजेंट और नौकर की गफलत के लिये भी उसका मालिक जिम्मेदार होता है । अदालत दीवानी के मुकदमों में गफलत से प्रायः हर्जा लेने की जिम्मेदारी पैदा होती है और हर्जों की संख्या अदालत शारीरिक व मानसिक कष्ट और आर्थिक क्षति का अनुमान करके नियत करती है इसलिये गफलत व असावधानी के दावों में जो हर्जा माँगा जावे उसमें हर प्रकार के हर्जों का विवरण देना चाहिये जिससे अदालत प्रत्येक प्रकार के हर्जों की संख्या उचित रूप से नियत कर सके । वही पुरुष हर्जा पा सकता है जिसको शिकायत की हुई गफलत से शारीरिक या मानसिक कष्ट हुआ या जिसके माल या जायदाद को नुकसान पहुँचा ।

यदि नालिश के पहले या नालिश करने के बाद उसकी मृत्यु हो जावे तो उसके उत्तराधिकारियों को, वादी की विशेष दशाओं के अतिरिक्त हर्जा पाने का स्वत्व नहीं रहता। परन्तु रेल या मोटर की दुर्घटनाओं में प्रतिवादी की गफलत या लापरवाही से किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिस एक्ट १३ सन् १८५७ (Fatal Accidents Act) के अनुसार हरजाने का दावा कर सकते हैं पर वह उही हालत में ही करना है जब कि यदि मृतक की मृत्यु न हुई होती तो वह हानि पहुँचाने का दावा कर सकता। यह दावे लो, पुरुष, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, इत्यादि की तरफ ही से लाये जा सकते हैं इसलिये अर्जीदावे में वादी का मृतक से सम्बन्ध और मुआवजे की तफसील देनी चाहिये। मृतक की मृत्यु में वादी को क्या हानि पहुँची और उसका किनना नुकसान हुआ इन्ही बातों के अनुसार मुआवजा दिलाया जाना है।

विधान की दृष्टि में गफलत या असावधानी नव ही उत्पन्न होती कही जाती है जब प्रतिवादी कोई ऐसा काम न करे जो किसी विशेष अवसर पर या विशेष अवस्था में एक साधारण समझदार आदमी करता, या कोई ऐसा काम करदे जो एक साधारण समझदार आदमी उस दशा में न करता या यो कहना चाहिये कि प्रतिवादी का यह कर्तव्य होता है कि वह सावधानी बर्ते कि उसके किसी कार्य करने या उसके किसी कार्य न करने में दूसरे के क्षति न पहुँचे।¹ ऐसा कर्तव्य या तो आपस में प्रतिज्ञा से उत्पन्न होता है या साधारण प्रकार से किसी कानून या विधान से उत्पन्न होता है और प्रायः सभी को बर्तना होता है जैसे एक व्यक्ति के आम रास्ते को इस्तेमाल करने में दूसरे रास्ता चलने वालों को नुकसान या चोट न पहुँचे।

प्रतिवादी, उसके नौकर या उसके एजेंट की असावधानी या लापरवाही से नुकसान पहुँचने पर वादी को यह बातें दिखाना जरूरी हैं—

(१) वे घटनाएँ जिनसे प्रतिवादी का वादी के लिये कोई फर्ज साबित हो। अगर मुआहिदे से फर्ज पैदा हुआ हो तो अर्जीदावे में मुआहिदे का होना दिखाना चाहिये वरना गफलत या लापरवाही दिखाना चाहिये।

(२) वे घटनाएँ जिनसे इस फर्ज को अदा न होना जाहिर हो।

(३) यह कि इस लापरवाही या गफलत से वादी को हानि पहुँची और उसका नुकसान हुआ।²

रेल व मोटर के दुर्घटना इत्यादि के मामलों में ऐसी दुर्घटना से ही प्रतिवादी कम्पनी या उसके कर्मचारियों की असावधानी नहीं मान ली जाती, परन्तु यदि घटना ऐसी हो जो प्रायः बिना असावधानी के नहीं हो सकती थी, वहाँ पर

1 A I R. 1928 Cal 504, 1938 Rang 185

2 I L R 58 Bom 189, 175 I C 804

साधारण प्रमाण होने पर भी ऐसी असावधानी मान ली जाती है।¹ जहाँ पर आबादी के पास रेल की लाइन का फाटक हो और रेलवे कम्पनी फाटक को खुला रखे तो उसके अर्थ ये होंगे कि उसकी लाइन पर कोई गाड़ी इत्यादि आने जाने वाली नहीं है और जनता रास्ते को इस्तेमाल कर सकती है और यदि फाटक खुला होने पर रास्ता चलने वाले को रेल या ट्रेली इत्यादि से नुकसान पहुँचे तो रेलवे कम्पनी की असावधानी आसानी से मान ली जावेगी।²

मियाद—गफलत या असावधानी के दावों में कानून मियाद का आर्टिकल, ३६ लागू होता है और उसके अनुसार मियाद दो साल की होती है।

*(१) कापरवाही से गाड़ी हाँकने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी मोची है और अपना कारखाना स्थान.....मे चलाता है और प्रतिवादी (स्थान) का सौदागर है।

२—ता०.....को शहर कलकत्ते मे दोपहर के तीन बजे वादी चौरंगी की सड़क पर होकर दक्खिन की ओर पैदल जा रहा था और उसको मिडिलटन स्ट्रीट के, जो चौरंगी के आती है, पार करना पड़ा। जब कि वह इस सड़क के पार कर रहा था और दूसरी तरफ की पटरी (पैदल चलने वालों के लिये रास्ता) पर पहुँचने ही को था, कि प्रतिवादी की एक गाड़ी जिसमे दो घोड़े जुते हुए थे और जिसको कि प्रतिवादी के नौकर हाँक रहे थे यकायक लापर्वाही से बिना रास्ता चलने वाले को होशियार किये, तेजी के साथ मिडिलटन स्ट्रीट से निकल कर चौरंगी मे आई। इस गाड़ी की बम्ब से वादी को चोट लगी और उसके धक्के से वादी गिर पड़ा और घोड़े के पाँच तले दन्न गया।

३—गिर पड़ने, कुचल जाने, और उसके धक्के से वादी का बाँया हाथ टूट गया और उसके पहलू और पीठ मे और शरीर के अन्दर भी धक्का पहुँचा जिसकी वजह से वह घर मे.....महीने तक बीमार पड़ा रहा और बहुत कष्ट उठाता रहा और अपना कामकाज न कर सका। इसके अतिरिक्त डाक्टरों की फीस व दवा इत्यादि में.....६० खर्च हुआ और उसके कारोबार के लाभ मे बहुत कमी हो गई।

४—अभियोग कारण—

५—दावे की मालियत—

(वादी की प्रार्थना)

1 Scol v L D Company, 13 W R 410 also 5 Q B 747

2. I L R 53 All 943; 16 Pat 672, 41 Cal 208

* नोट—See C. P. C. Sch I, App. A, Form No. 30.

(२) मोटर लापरवाही से हाँकने पर हजे^१ का दावा

(सिरनामा)

१—वादी एक ताल्लुकदार है और लगभग ४००००) ६० सालाना मालगुजारी सरकारी देता है और प्रथम श्रेणी का आनरेरी मजिस्ट्रेट और प्रात की ऑसिल का सदस्य है।

२—ता०.....को वादी अपनी जाड़ी में शहर अलीगढ़ से आगरे को जाने वाली सड़क पर हवा खाने के लिये जा रहा था।

३—अलीगढ़ से लगभग ४ फर्लांग की दूरी पर यह सड़क एक दूसरी सड़क से, जो हाथरस से अलीगढ़ को आती है, मिल जाती है। उसी तारीख को प्रतिवादी उस समय अपनी मोटरकार में हाथरस वाली सड़क पर अलीगढ़ की तरफ आ रहा था।

४—जबकि वादी की गाड़ी दोनों सड़कों के चौराहे से गुज़र रही थी, प्रतिवादी के मोटर हाँकने वाले ने मोटर को ऐसी लापरवाही और असावधानी से चलाया कि वह बड़े जोर और तेजी के साथ वादी की गाड़ी से टकरा गई जिसका नतीजा यह हुआ कि वादी गाड़ी से गिर गया और उसके बहुत चोट आई।

५—वादी को इस चोट के कारण डाक्टरी इलाज में रुपया खर्च करना पड़ा, और उसकी गाड़ी को नुकसान पहुँचा, घोड़े के घाव और खुसट हो गई और वादी तीन हफ्ते तक अपना मामूली कारोबार नहीं कर सका।

६—प्रतिवादी की लापरवाही यह थी कि उसने कोई सूचना देने का बिगुल नहीं बजाया और एकबारगी तेजी के साथ मोटर को वादी की गाड़ी से लड़ा दिया।

७—वादी की नीचे लिखी हुई हानि हुई—

(यहाँ पर हर्जा व हानि लिखना चाहिये)।

*(३) रेल की सड़क पर, प्रतिवादी की लापरवाही से

चोट लगने पर

(सिरनामा)

(अ—ब) वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—ता०.....सन्.....को प्रतिवादी साधारण रूप से यात्रियों को रेलगाड़ी से, स्थान.....से स्थान.....को पहुँचाया करते थे।

२—उस ता०.....को वादी प्रतिवादी की रेल गाड़ियों में से, एक गाड़ी पर सवार था।

*NOTE—See C. P. C. Sch. I, App. A, Form No. 29.

३—इसी यात्रा में स्थान.....पर (या स्टेशन.....के पास, या स्टेशन.....और स्टेशन.....के बीच में) प्रतिवादी के नौकरों की भूल और असावधानी से रेल लड़ गई जिसके कारण से वादी को बहुत चोट पहुँची (टॉग टूट गई या सर फट गया या जो कुछ हानि पहुँची हो) और उसके इलाज में बहुत खर्चा हुआ और वादी हमेशा के लिये अपना कारबार करने से मजबूर हो गया ।

या

४—उस ता०.....को प्रतिवादी के नौकरों ने ऐसी लापरवाही और भूल से एञ्जन और उसके पीछे लगी हुई गाड़ियों को प्रतिवादी की रेलवे पर जिससे वादी उस समय अधिकार युक्त जा रहा था, हॉका व चलाया कि वादी को धक्का लगा और उसको यह चोट लगी (यहाँ पर चोट का विवरण देना चाहिये)

(४) गाड़ी लड़ जाने से चोट आ जाने पर यात्री का हर्जे के लिये रेलवे पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करना है—

१—ता०.....को वादी प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे पर अलीगढ़ स्टेशन से गाज़ियाबाद के लिये दो बजे की गाड़ी पर दूसरे दर्जे का किराया देकर एक द्वितीय श्रेणी के डब्बे में सवार हुआ ।

२—प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की लापरवाही और भूल से चोला और सिकन्दराबाद स्टेशनों के बीच में यह गाड़ी गाज़ियाबाद से अलीगढ़ को आती हुई माल गाड़ी से टकरा गई और उसके धक्के से वादी अपने स्थान से नीचे गिर गया, उसकी दाहिनी बाँह की हड्डी टूट गई और दो दाँत हिल गये और कुल शरीर को धक्का लगा ।

३—इस चोट लगने के कारण वादी दो हफ्ते तक अस्पताल में पड़ा रहा और अपनी नौकरी पर नहीं जा सका । इसके अतिरिक्त डाक्टरों की फीस इत्यादि में खर्चा करना पड़ा जिसका विवरण यह है—

(अ) १५ दिन ता०.....से ता०.....तक का हर्जा.....२५०) रु०

(ब) दस बार की डाक्टर की फीस ५०) रु० ।

(क) नौकर व दवाई इत्यादि का खर्चा १००) रु० ।

४००) रु०

(५) मृतक के दायभागियों की ओर से हर्जे के
लिये नालिग

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं—

१—श्री मोहनलाल, वादी नं० १ का पति और वादी २ व ३ का पिता था और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के ओहदे पर ६००) रु० मा० के हिसाब से सरकारी नौकर था और उसकी आमदनी से कुटुम्ब का पालन-पोषण होता था ।

२—उक्त मोहनलाल अम्बाले से कानपुर के लिये प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे पर ता०,.....को दो बजे दिन को सवार हुआ ।

३—वह गाड़ी पानीपत और देहली स्टेशनों के बीच में एक दूसरी तरफ की आने वाली माल गाड़ी से टकरा गई और उक्त श्री मोहन लाल की, जो कि एञ्जिन के ब्राद की गाड़ी में बैठा हुआ था उस गाड़ी के साथ जल कर मृत्यु हो गई ।

४—यह घटना प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की असावधानता और भूल से हुई क्योंकि उन्होंने एक ही समय पर दो गाड़ियों को लाइन पर छोड़ दिया और लाइन खाली होने की वाजत उचित सावधानी नहीं की ।

५—मोहनलाल की असमय मृत्यु से वादी असहाय और बिना रक्षा व परवरिश रह गये । वादी नं० १ एक वृद्धा और अनपढ़ स्त्री है और वादी नं० २ व ३ अभी अवयस्क (नात्रालिग) हैं और स्कूल में पढते हैं ।

६—वादियों का उक्त मोहन लाल की मृत्यु हो जाने के ब्राद इस प्रकार खर्चा व हर्जा हुआ है (खर्चे और हर्जे की तफसील) ।

७—दावे का कारण (दुर्घटना के दिन से)

८—दावे की मालियत—

वादियों की प्रार्थना—

(६) रेलवे कम्पनी पर माळ न हवाळा करने का दावा

१—ता०..... को वादी ने २०० बेरे सरसो जौनपुर से फिरोजाबाद को किराया देकर ले जाने और वहाँ पर अब्दुलमजीद अब्दुलहमीद सौदागरों को डिलीवर (हवाला) करने के लिये प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों के हवाले किये और उचित रीति से रेलवे रसीद नम्बरी.....प्राप्त की ।

२—प्रतिवादी कम्पनी ने कुल २०० बेरियो में १५० बेरी उक्त सौदागरों को

हवाला कर दीं और बकाया ५० बोरी प्रतिवादी कम्पनी या उसके नौकरों ने या तो स्वयं रखली या लापरवाही से वादी की आज्ञा विरुद्ध किसी दूसरे पुरुष के हवाले कर दी।

३—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ—

(हर्जे की तफसील)

४—प्रतिवादी को वादी के दावे की सूचना नियमानुसार धारा ७७ रेलवे एक्ट के अनुसार दी जा चुकी है।

(७) माल न हवाला करने और हानि होने पर, रेलवे कम्पनी पर दावा

१—ता०.....को वादी ने २०० बोरी गेहूँ.....स्टेशन पर प्रतिवादी कम्पनी को किराया देकर.....स्टेशन ले जाने और वहाँ वादी को हवाला करने के लिये दिये और रेलवे रसीद नं०.....उसी तारीख को प्राप्त की।

२—यह माल ता०.....को स्टेशन.....पर पहुँचा लेकिन २०० बोरी में से २५ बोरी कम थीं और ४५ बोरी पानी से भीगी हुई थीं जिससे उनका अनाज बिल्कुल सड़ गया था और किसी काम का नहीं रहा, कुल १३० बोरी अच्छी दशा में थी।

३—जांच करने पर मालूम हुआ कि उस वैगन (Wagon) की, जिसमें कि प्रतिवादी कम्पनी ने लाद कर यह बोरियाँ भेजी थीं छत टूटी हुई थी और बरसात होने के कारण से गेहूँ का पानी वैगन में भर जाने से बोरियाँ भीग गईं और अनाज खराब हो गया। वादी को यह हानि प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की भूल और लापरवाही से हुई और २५ बोरी या तो प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों ने चोरी कर ली या उनकी असावधानता और वे एहतयाती से कम हो गईं। वादी को सिर्फ १३० बोरी की डिलीवरी दी गई।

४—धारा ७७ रेलवे एक्ट के अनुसार वादी ने अपने दावे की सूचना उक्त रेलवे कम्पनी के एजेंट को छः महीने के अन्दर दी थी परन्तु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया।

५—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ—

(हर्जे का विवरण)

(८) अधिक किराये की वापसी के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने ता०.....माह.....सन्.....ई० को प्रतिवादी कम्पनी की मारफत २५० बोरी गेहूँ किराया देकर अलीगढ़ से बनारस भेजने का मुआहिदा किया और उक्त कम्पनी ने वह माल अलीगढ़ से बनारस पहुँचा दिया।

२—प्रतिवादी कम्पनी ने इन बोरियों का रेलवे की किताब में लिखी हुई दर से जो ऐसे माल पर लगती है अधिक किराया माँगा, और जबतक कि वादी इस अधिक दर से किराया अदा न करे माल की डिलीवरी देने से इनकार किया ।

३—वादी को अधिक किराया अदा करना पडा और उसने ता०...मा०...सन्ई० को किराया देकर माल की डिलीवरी ले ली ।

४—प्रतिवादी कम्पनी ने इस प्रकार अधिक किराया वसूल किया -

संख्या बोरी.....	बोरा
वजन माल.....	मन
नियम पूर्वक दर.....	र०
नियम के दर से कुल किराया.....	र०
किराया जो कम्पनी ने वसूल किया	र०
किराया जो कम्पनी पर अधिक पहुँचा.....	र०

५—अधिक दिये हुए रुपये पर वादी हर्जा के रूप में १) रुपया सै० मा० का सूद पाने का हकदार है ।

६—अभियोग कारण—(.....किराया वसूल करने के दिन से) ।

७—दावे की मालियत—

८—प्रतिवादी कम्पनी के एजेंट को धारा ७७ रेलवे एक्ट के अनुसार ता०.....ई० को, वादी नोटिस दे चुका है ।

(वादी की प्रार्थना)

(९) रेलवे कम्पनी के ऊपर, भूळ से फाटक न बन्द करने और हानि पहुँचने पर दावा

१—प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे लाइन, अलीगढ़ से रामघाट को जाने वाले पक्की सड़क को उत्तर-पूरव कोण की तरफ स्टेशन से लगभग दो फर्लांग के फासले पर, पार करती है और उस स्थान पर एक फाटक है जिसको फाटक रामघाट कहते हैं ।

२—उस फाटक के ऊपर एक लैम्प लगी हुई है जो रात के समय फाटक खुला होने पर सफेद और बन्द होने पर लाल रोशनी दिखलाती है ।

३—ता०.....को वादी आगरे की गाड़ी से सवार होने के लिये रात के ११ बजे अपनी टमटम पर जा रहा था । वादी दूर से सफेद रोशनी देख कर और फाटक खुला पाकर वे रोक, टमटम को हॉके हुये रेलवे लाइन पर चला जा रहा था ।

४—रेलवे लाइन पर उस समय एक माल गाड़ी शनटिंग (Shunting) कर रही थी । उसका धक्का बड़े जोर से वादी की गाड़ी को लगा ।

५—धक्के से, वादी टमटम से दूर जा पडा और उसकी सीधी बाँह और सीधी टाँग में गहरी चोट आई और कुल शरीर को झटका पहुँचा । घोड़ा प्रायल होकर एक तरफ गिर कर मर गया और टमटम चूर-चूर हो गई ।

६—वादी को प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की भूल और असावधानी से अत्यन्त शारीरिक कष्ट और हानि हुई, क्योंकि उन्होंने लाइन को साफ नहीं रक्खा और न फाटक को उचित समय पर बन्द किया और वादी को टमटम हॉके हुये बिना रोक लाइन पर चला आने दिया ।

७—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ ।

शारीरिक कष्ट व इलाज इत्यादि.....	रु० ।
टमटम को नुकसान.....	रु० ।
घोड़े का मूल्य.....	रु० ।
कुल जोड़.....	रु० ।

(१०) लापरवाही से लोहे का तार और लाइन का टोरा

ठीक न रखने पर रेलवे कम्पनी पर दावा

१—मुहाल.....ग्राम.....ज़िला.....में भूमि नम्बरी.....का वादी बहुत दिनों से दखीलकार काश्तकार है ।

२—उस ज़मीन के एक हिस्से में छप्पर और फूस के बने हुए कई मकान हैं जिसमें वादी के चौपाये रहते हैं ।

३—उस भूमि के उत्तर की ओर, कुल लम्बाई में प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे लाइन है ।

४—उस जमीन और लाइन के बीच में प्रतिवादी कम्पनी के लोहे के तार की रोक लगी हुई थी और उस तार के बाद कच्चा टोरा था जिस पर केतकी की भाड़ी लगी हुई थी जिससे कि वादी के मवेशी लाइन पर जाने और कटने से बच जावे ।

५—लगभग तीन महीने हुये कि लाइन का तार बिल्कुल टूट गया । कच्चा टोरा पहिले ही से जगह २ पर टूटा हुआ था और केतकी के सूख जाने से चौपाये आसानी से रेलवे लाइन पर जा सकते थे । रेलवे कम्पनी ने इसको ठीक करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया ।

६—ता०.....को वादी के दो बैल और एक भैंस जो कि उस भूमि में चर रहे थे प्रतिवादी की रेलवे लाइन पर चले गये और एक सवारी गाड़ी के हाँकने वाले की लापरवाही से कट कर मर गये ।

७—दोनों बैल और भैंस की बाज़ारु कीमत.....रु० थी ।

८—विनायदावा (बँलों के कटने के दिन से) ।

९—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(११) रोशनी न होने से शारीरिक चोट पहुँचने पर यात्री वा रेलवे पर दावा

१—प्रतिवादी कम्पनी के चोला रेलवे स्टेशन पर टिकट घर से प्लेटफार्म जाने के लिये कुछ सीढियों पर होकर जाना पड़ता है ।

२—ता०वादी ने रात के दो बजे देहली जाने वाली गाड़ी के लिये टिकट घर से टिकट लिया और प्लेटफार्म की ओर गाड़ी पर चढ़ने के लिये चला ।

३—वादी रास्ते से अपरिचित था और काफी रोशनी न होने से सीढियों को न देख सका और न रोशनी इतनी थी कि सीढियाँ दिखाई देतीं ।

४—वादी गिर गया और उसके कई जगह चोट आई, चोट की वजह से वादी अपना काम एक हफ्ते तक नहीं कर सका और उसका, इलाज मे.....२० खर्च हुआ जिसका विवरण यह है—

(यहाँ पर विवरण देना)

४२—स्वत्व आविष्कार (Patent)

पेटेन्ट एक ऐसा स्वत्व है जो किसी कल, मशीन या अन्य वस्तु के आविष्कार को एक विशेष अवधि तक, उस आविष्कार को सुरक्षित रखने और उससे लाभ उठाने का विधान से प्राप्त होता है । इससे ईजाद करने वाला अपनी मेहनत का फल भोग सकता है और अन्य पुरुष उसकी नकल करने या उससे अनुचित लाभ उठाने से रोके जा सकते हैं ।

इस प्रकार का अधिकार किन दशाओं में और कहाँ तक आविष्कारक को प्राप्त है उसके सम्बन्ध में एक्ट २ सन् १९११^१ देखना चाहिये । अर्जीदावे मे वादी का पेटेन्ट का अधिकारी होना और प्रतिवादी का उसमें विघ्न डालना, कुछ घटनाओं के साथ लिखना चाहिये । वादी हर्जा माँग सकता है या प्रतिवादी के मुनाफे का हिसाब तलब कर सकता है । इसके अतिरिक्त प्रतिवादी को रोकने के लिये निषेधाज्ञा (हुकम इमतनाई) भी निकलवा सकता है ।^२

1 Patent and Designs Act, II of 1911

2 A I R. 1936 Bom. 99 ; 1938 Bom 347 , I L. R 60 Bom 261.

(१) पेटेन्ट ताले की नक़ल करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी “ जेबलाक ” के नाम से प्रसिद्ध ताले की कारीगरी व ब्रनावट का प्रथम और असली आविष्कारक है । इस ताले की कारीगरी और ब्रनावट का विवरण सूची नं० १ में लिखा हुआ है जो साथ २ पेश की जाती है ।

२—ता०.....को वादी ने इस ताले को पेटेन्ट नं०.....करा लिया जो.....साल के वास्ते था और उसकी अभी तक अवधि समाप्त नहीं हुई ।

३—प्रतिवादी ने पेटेन्ट के विरुद्ध कार्रवाई की और वादी के ‘जेबलाक’ की तरह का और उससे शकल में मिलता हुआ ताला बनवा कर उसके ‘जेबलाक’ के नाम से प्रसिद्ध किया और बाज़ार में बेचता है ।

४—ताले के उसी प्रकार के होने, शकल में मिलने और प्रायः नम्बर के अक्षर एक से होने से ग्राहकों को धोका हो जाता है ।

५—वादी के ताले का मूल्य फी नग ५)६० है और प्रतिवादी अपने तालों को ३)६० के हिसाब से बेचता है । इस अनुचित कार्य से वादी को बहुत हानि हुई है ।

६—अभियोग कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक आज्ञा निकाली जावे कि वह अपने ‘जेबलाक’ नामक ताले को बनाने और बेचने से रोकदिया जावे और कभी कोई ऐसा कार्य न करे कि जिससे वादी के पेटेन्ट के अधिकार में विघ्न पड़े ।

(ब) हर्जा व नालिश का खर्चा दिलाया जावे ।

(२) मशीन के पेटेन्ट में विघ्न डालने पर

१—आसाम देश में वर्षों से बंसलोचन तैयार किया जाता है और उसके बनाने की कई रीतियाँ हैं ।

२—वादी ने सन् १९२५ इ० में बंसलोचन बनाने और उसको शुद्ध करने का आविष्कार किया और एक मशीन बनाई और उसकी पेटेन्ट व डिजाइन्स एक्ट (Patent and Designs Act) के नियमानुसार रजिस्ट्री करा ली और सर्टिफिकेट नं०.....प्राप्त किया ।

३—इस रीति से वसलोचन नाक अग्ने में बहुत कम लागत लगती है और स्वच्छ और उत्तम माल तैयार होता है ।

४—प्रतिवादी बहुत दिनों में वसलोचन के बनाने और मकाई का काम एक पुराने ढंग से किया करता था । उसने वादी की रीति को उत्तम व लाभदायक देख कर उसकी नकल की और वादी की वसलोचन नाक करने वाली मशीन के प्रकार की एक दूसरी मशीन बनवा कर उससे काम करने लगा ।

५—प्रतिवादी की इस अनुचित कार्रवाई से वादी के व्यापार को बहुत हानि हुई और माल की बिक्री कम हो गई ।

६—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ—

(यहाँ पर हर्जे का विवरण देना चाहिये)

७—वाद-कारण—(प्रतिवादी के मशीन बनाने और काम में लाने के दिन से) ।

४३—कापीराइट (Copyright)

(पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार)

कापीराइट वह स्वत्व है जो किसी ग्रन्थकार, अनुवादक या उपदेशक को किसी पुस्तक, या निबन्ध या लेखक के प्रकाशित करने का एक नियत समय तक प्राप्त होता है । यह अधिकार भारत संघ में सुरक्षित है और ये दावे एक्ट ३ सन् १९१४ ई०^१ जिससे विलायत के कानून^२ की विशेष धारायें भारत संघ में प्रचलित कर दी गयी हैं; के अनुसार दायर किये जाते हैं । इन दावों में वादी हर्जा हिसाब और निषेधाज्ञा की प्रार्थना कर सकता है और जो किताब प्रतिवादी के पास हो उनके दिलाये जाने की प्रार्थना कर सकता है (इस खिलखिले में पद ४२ Patent का नोट भी देख लेना चाहिये) ।

ग्रन्थकार या प्रकाशक के अधिकार की रक्षा का अभिप्राय यही होता है कि प्रतिवादी, वादी के परिश्रम का अनुचित लाभ न उठा सके । कापी राइट में विप्ल डालने पर वादपत्र (अर्जीदावे) में यह लिखना आवश्यक होता है कि प्रतिवादी ने, वादी के लिखे हुए ग्रन्थ, निबन्ध इत्यादि को, पूर्ण रूप से या अंशित रूप से स्वयं अपना लिखा हुआ प्रगट करके प्रकाशित किया अथवा उसकी ऐसी नकल की जिससे वादी के परिश्रम के फल को अपने परिश्रम का फल प्रगट किया ।^३ यदि कोई

1 Indian Copyright Act.

2 Imperial Copyright Act of 1911, 1 and 2 George 5 Ch. 46.

3 A. I R 1924 P C 75, 22 A L J 473.

पुस्तक दूसरी पुस्तक या पुस्तकों की सहायता से तैयार की गई हो, जैसे कोई अनुवाद इत्यादि तो अन्य मनुष्य को भी वैसे ही पुस्तक तैयार करने का अधिकार होता है यदि वह स्वयं अपने परिश्रम और मिहनत से उसे तैयार करे और पहली प्रकाशित पुस्तक की नकल न करे या उसके विचारों का अनुचित लाभ न उठावे ।^१

वादपत्र में (१) वादी का कापीराइट का मालिक होना (२) और यह कि प्रतिवादी ने उसमें विघ्न डाला, लिखना जरूरी होता है । जिस प्रकार से विघ्न डाला हो उसका विवरण देना चाहिये । ऐसे दावे जिला जज की अदालत में दायर किये जाते हैं ।^२ और दावा उस अदालत में दायर होना चाहिये जिसकी अधिकार सीमा में दावा करने का अधिकार पैदा हुआ या जहाँ पर विघ्न डाला गया ।^३

मियाद—विघ्न डालने की तारीख से मियाद ३ सालकी होती है ।^४

नोट:—कापीराइट के मुकदमें मुकसिल की अदालतों में बहुत कम होते हैं । यदि ऐसा मुकदमा दायर करना पड़े तो इंडियन कापीराइट एक्ट नं० ३ सन् १९१४ और इंग्लिश कापीराइट एक्ट सन् १९११ की वे धाराये जो इस देश में प्रचलित हैं, देख लेनी चाहिये ।

(१) दूसरी पुस्तक प्रकाशित करके कापी राइट में विघ्न डालने पर ।

विरनामा

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

- १—वादी.....नामक पुस्तक का रचयिता और उसके कापीराइट का अधिकारी है ।
- २—प्रतिवादी ने उक्त पुस्तक से बहुत से निबन्ध लेकर.....नामक एक नई पुस्तक बनाई और उसको छपवा कर स्वयं बेचता है ।
- ३—इन निबन्धों का विवरण जहाँ तक वादी को मालूम हो सका है यह है—
(यहाँ पर नकल किये हुए विषय का, दोनों पुस्तकों के पृष्ठ इत्यादि सहित विवरण देना चाहिये) ।
- ४—वादी की पुस्तक का मूल्य २) ६० प्रति है और प्रतिवादी अपनी पुस्तक १) ६० प्रति बेचता है ।

1 1938 A L J. 390 , I L R 17 Cal 951

2 Sec 13, Ind. Copyright Act

3 I L R 33 All. 24

4 Art. 40, Limitation Act.

५—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी की पुस्तक की बिक्री बहुत कम हो गई है और प्रतिवादी की छपवाई हुई ५०० पुस्तकों में से लगभग दो सौ बिक चुकी हैं और ३०० पुस्तक अब भी उसके पास मौजूद हैं ।

६—प्रतिवादी ने बिक्री हुई किताबों का मूल्य अब करने और जेज पुस्तकों को वादी के हवाले करने के लिये कहा गया और रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस भी दिया गया लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अब भी वादी के कापीराइट का उल्लंघन करके अपनी पुस्तक की बिक्री कर रहा है ।

७—वाद-कारण—

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी को आज्ञा हो कि वह.....नामक पुस्तक की बिक्री का हिसाब पेश करे और जितनी किताब उसने बेची हों, उनकी कीमत हानि के बदले में वादी को दिलाई जावे ।

(ब) प्रतिवादी को हुकम दिया जावे कि.... नामक पुस्तक, जितनी उसके कब्जे में हों वादी के हवाले कर दे ।

(क) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक निषेधात्मक आज्ञा (हुकम इम्तनाई) जारी की जावे कि वह भविष्य में कभी.....नामक पुस्तक की बिक्री न करे और न कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादी के कापीराइट का उल्लंघन हो ।

* (२) नाटक के कापीराइट के सम्बन्ध में

१—वादी “ मकतूल ” नामक एक नाटक का ग्रंथकर्ता और उसके कापीराइट का मालिक है । केवल उसी को थियेटरो में उस नाटक के खेलने का अधिकार है ।

२—प्रतिवादी देहली के रामा थियेटर का मालिक है । उसने ता०.....को और लगातार उसके तीन दिन बाद तक वादी की बिना आज्ञा के और यह जानते हुए कि उसको बिना आज्ञा ऐसा खेल करने का अधिकार नहीं है, वह नाटक अपने थियेटर में खेला ।

३—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी का.....रु० का हर्जा हुआ ।

*नोट—यदि दावा कला इत्यादि की किताब के बारे में हो तो इसी प्रकार का वादपत्र (अर्जीदावा) जरूरी काट छाँट करके लिखना चाहिये ।

(३) संगीत के कापीराइट का उल्लंघन करने पर

(वाद शीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी “रामगीतावली” नामक एक पुस्तक का ग्रन्थकर्ता है।

२—वादी उसके कापीराइट का भी मालिक है और अकेले उन्हीं को यह संगीत गाने के साथ सर्वसाधारण के सामने खेलने का अधिकार है।

३—प्रतिवादी ने उक्त संगीत का खेल गाने बजाने के साथ.....में ता.....को और उसके दो रोज वाद तक, वादी से बिना आज्ञा लिये हुये किया और उसके कापीराइट के अधिकार का उल्लंघन किया।

४—प्रतिवादी अब भी यह अनुचित कार्य करता है और उसका विचार इसको जारी रखने का है और मना करने पर नहीं मानता।

५—वाद-कारण —

६—दावे की मालियत —

वादी की प्रार्थना —

(हर्जा व निषेधात्मक आज्ञा के लिये)

४४—ट्रेड-मार्क (Trade-Mark)

(व्यापारी छाप या तिज़ारती निशान)

जब कोई मिल मालिक, व्यापारी या दूकानदार अपने कारखाने, कोठी या दूकान की बनी हुई या वहाँ से बिकने वाली वस्तु पर कोई विशेष चिन्ह या निशान अपना नियत करके लगाता है तो उसको ट्रेडमार्क, व्यापारी छाप या तिज़ारती निशान कहते हैं। ऐसे चिन्ह या निशान से सामान खरीदने वाला जान लेता है कि वह अमुक कारखाने का बना हुआ माल है और इससे कारखाने वाला या दूकानदार अपने व्यापार को सफल और लाभदायक बना सकता है और दूसरे व्यापारियों को उनकी बनाई हुई वस्तु पर वैसा चिन्ह या निशान लगाने से रोक सकता है।¹

भारत में ट्रेड मार्क की रजिस्ट्री कराने के लिये विलायत की तरह कोई क़ानून नहीं है।² इस लिये वादपत्र में यह लिखना होता है (१) कि

1 I L R 37 Cal 204, A I R 1930 Lah 949, 1930 Cal 675

2 I L R 57, All. 510, A I R 1928 Cal 216

वह माल किसी विशेष छाप या नाम से बाजार में प्रसिद्ध हो गया है और जनता उसको उस बनाने वाले ही का माल समझ कर खरीदती है ।¹ (२) और यदि प्रतिवादी ने उसको नकल की हो तो यह कि प्रतिवादी ने ऐसा ट्रेडमार्क ग्रहण किया है जो वादी की छाप के रूप का और उससे मिलता हुआ है जिससे जनसाधारण को धोखा हो जाता है और वह उसको वादी का माल समझ कर खरीद लेते हैं ।² (३) यह कि वादी को इससे क्षति हुई और उसको भविष्य में हानि होने की सम्भावना है । काफी राइट और पेटेन्ट के मुकद्दमों की तरह इन दावों में भी हर्जाने, हिसाब और निषेधात्मक आज्ञा के लिये वादी प्रार्थना कर सकता है ।

वादपत्र में यह दिखाना आवश्यक नहीं होता कि प्रतिवादी का अभिप्राय धोखे से अपना माल वादी का माल प्रगट करके बेचने का था, केवल यह दिखाना यथेष्ट होता है कि प्रतिवादी का माल वादी के माल से रूप में इतना मिलता जुलता था कि असचेत खरीदार उसको वादी का माल समझते थे ।³ जहाँ वादी और प्रतिवादी दोनों का बनाया हुआ माल एक शकल का हो वहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि एक साधारण खरीदार दोनों पक्षों के तैयार किये हुए माल में अन्तर तुरन्त ही समझ सकता है या नहीं ।⁴

मियाद—इन दावों के लिये भी कानून मियाद के आर्टिकल ४० के अनुसार विघ्न डालने की तारीख से ३ साल की मियाद होती है ।⁵ यदि प्रतिवादी विघ्न डालना जारी रखे तो ऐसी हर तारीख से तीन साल की मियाद बढ़ती रहती है ।⁶

(१) ट्रेडमार्क उल्लंघन करने पर दावा

(वादशीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी नीचे लिखी हुई व्योपारिक छाप (Trade Mark) नम्बर १ का मालिक व काविज है ।

२—वादी ने इस ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री (कानून) के अनुसार कराई थी और उसको मिला हुआ रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट (प्रमाण-पत्र) साथ साथ पेश किया जाता है ।

1. I L R 59 Bom 373 , A I R 1936 Mad 8

2 A I R 1939 P C 272 , I L R 12 Rang 534

3. I L R 49 All 92 , 57 Mad 600 , 52 Bom 228

4 I L R 51 All 182 , A I R 1935 Bom 101 , I L R 1937 Bom 183 F B

5 A I R 1919 P C 45

6 1913 P R 97

३—प्रतिवादी ने वादी के हानि पहुँचाने और स्वयं लाभ उठाने की नीयत से वादी के ट्रेडमार्क की तरह का एक दूसरा ट्रेडमार्क जो कि नीचे न० २ दिया गया है, लगा कर जनवरी सन्.....से वैचना शुरु किया ।

४—दोनों ट्रेडमार्क एक ही प्रकार के होने के कारण, ग्राहकों को धोखा हो जाता है और प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी के व्यापार को बहुत हानि पहुँची है ।

५—प्रतिवादी को इस प्रकार का ट्रेडमार्क लगाने का कोई अधिकार नहीं है ।

६—व्यवहार कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक आज्ञा जारी की जावे कि वह नीचे लिखे ट्रेडमार्क नम्बरी २ के या वादी के ट्रेडमार्क न० १ में मिलते जुलते और किसी ट्रेडमार्क के काम में न लावे ।

(ब) प्रतिवादी से, जनवरी सन्में लेकर माल की बिक्री का हिसाब लिया जावे, और जितना प्रतिवादी ने लाभ उठाया हो वह वादी को हर्जा के रूप में दिलाया जावे ।

(क) खर्चा नालिश इत्यादि दिलाया जावे ।

(विवरण ट्रेडमार्क न० १)

(विवरण ट्रेडमार्क न० २)

(२) इसी प्रकार का दूसरा वाद-पत्र

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी मक्खन की तैयारी और विक्रय का कारोबार करता है ।

२—जो मक्खन के डिब्बे वादी के कारखाने में तैयार होकर निकलते हैं उन पर वादी की नीचे लिखी हुई व्यापारी छाप (ट्रेडमार्क) लगती है ।

(यहाँ पर उस छाप का पूरा विवरण लिखना चाहिये)

३—यह छाप लगभग २५ वर्ष से वादी के यहाँ काम में लाई जा रही है और ग्राहक उससे वादी के माल की पहचान आसानी से कर लेते हैं और माल को शुद्ध और अच्छा समझ कर खरीदते हैं ।

४—प्रतिवादी ने कुछ दिनों से मक्खन की तैयारी व बिक्री का काम शुरु किया है और वादी के व्यापार को हानि पहुँचाने के अभिप्राय से वादी के ट्रेडमार्क की तरह का एक ट्रेडमार्क अपने डिब्बों पर लगाता है जिसका विवरण यह है—

(यहाँ पर नकली छाप का विवरण लिखना चाहिये)

५—इस ट्रेड मार्क का वादी के ट्रेडमार्क में हमशकल देने और मिलाने की वजह से ग्राहको को धोका हो जाता है और वह प्रतिवादी के माल के वादी के कारखाने का माल समझ कर खरीद लेते हैं ।

६—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य ने वादी के हानि हुई और उसकी चिन्ती बहुत कम हो गई है ।

७—हर्जे का विवरण यह है—

८—प्रतिवादी इस काम के करने में अभी राज नहीं आता है और उसका इरादा उनके जारी रखने का है ।

९—बिनाय दावा—

१०—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना (हर्जा व हुक्म इम्तनाई के लिये) ।

४५—गुडविल (Good-will)*

(व्यापार की नेक नामी)

जब कोई व्यापारी, दूकानदार या कारखाना एक समय तक स्थित रहे या किसी विशेष वस्तु को उत्तम प्रकार से बनाने के लिये प्रसिद्ध हो जावे तो ऐसी नेकनामी से उसको आसानी होती है जैसे बहुत से प्रेस छपाई के काम के लिये प्रसिद्ध होते हैं, बहुत से दूकानदार अपनी ईमानदारी के लिये और बहुत से कारखाने अपने प्रत्युत्पादित वस्तुओं के लिये । ऐसी नेकनामी पर प्रतिवादी के अनुचित कार्य से बच्चा लगता है अथवा वादी के कार्य में विघ्न होता है और वह हर्जे का दावा दायर कर सकता है । एक व्यापारी या फर्म अपने नाम की गुड-विल या नेकनामी को दूसरे के हित में बेच सकते हैं अथवा परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन प्राप्त फर्म या व्यक्ति भी ऐसा दावा कर सकता है ।

* (१) व्यापार की नेकनामी का उल्लङ्घन करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी बाजार अलीगढ़ में मगनीराम साधोराम के नाम से पसरहट्टे की दूकान करता है ।

*नोट :—इन दावों के लिये भी खण्ड ४४ ट्रेड-मार्क का नोट देखना चाहिये । इस प्रकार की नालिशे बहुत कम होती हैं, यहाँ पर एक नमूना जानकारी के लिये दे दिया गया है ।

२—प्रतिवादी पहिले इसी नाम से उसी बाजार में पसरहट्टे की दुकान करता था ।

३—ता०.....के रजिस्ट्री किये हुये ब्रैनामे से प्रतिवादी ने मियरगञ्ज वाला पसरहट्टे की दुकान (जिस पर अब वादी बैठ कर दुकान करता है) का माल व अस्मान और उधार व व्यापारी नेकनामी ७५००) रु० में वादी के हाथ विक्रय कर दी थी और उसके बाद से वादी उस पर काबिज है ।

४—जून सन् १९.....ई० में प्रतिवादी ने इसी दुकान के पास लगभग १०० गज की दूरी पर एक दुकान किराये पर ले ली और उसमें पसरहट्टे का काम शुरू कर दिया ।

५—इसी ता०.....से प्रतिवादी अनुचित रीति से और १६ मई सन् १९..... ई० के ब्रैनामे के दिये हुए वादी के अधिकार विरुद्ध अपनी दूसरी दुकान पर मगनीराम साधोराम के नाम से दुकान करता है जिससे ग्राहको को यह धोखा हो जाता है, और होने का डर है, कि प्रतिवादी की दुकान वादी की दुकान की एक शाखा है ।

६—इसके अतिरिक्त प्रतिवादी अपने वर्तमान कारोबार को उस पहिले कारोबार की, जिस पर अब वादी बैठता है एक शाखा बतलाता है और इस तरह से खरीदारों को अपने साथ कारोबार करने की प्रवृत्ति करता है ।

७—जहाँ तक वादी को इस तरह की बातें मालूम हो सकी हैं वह ये हैं—

(यहाँ पर धोखा दिलाये गये हुए ग्राहको की या जिनको धोखा हो गया हो उनका विवरण लिखना चाहिये) ।

८—प्रतिवादी अब भी अपना कारोबार कर रहा है और उसकी, कारोबार को जारी रखने की इरादा है ।

९—व्यवहार कारण—

१०—दावे की मालियत—

वादी का प्रार्थना (सार्वकालिक आज्ञा व हर्जे के लिये) ।

४६—शारीरिक व सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य अधिकार

इस भाग में आघात करने और चोट पहुँचाने (Assault and battery), अनुचित रुकाव डालने (False imprisonment), अपमान करने (Defamation) और अदालत में फौजदारी का मुकदमा चलाने (Malicious prosecution) इत्यादि के दावे दिये गये हैं ।

हमला व चोट पहुँचाने के दावों में प्रतिवादी का आघात करना, वादी को चोट पहुँचना और उसके कारण जो कुछ नुकसान हुआ हो वाद-पत्र में लिखना चाहिये । अदालत फौजदारी से प्रतिवादी को उसी जुर्म के लिये दंड भिन्न जाने पर भी यह दावे किये जा सकते हैं लेकिन वहाँ से वादी को यदि कोई प्रतिकार या मुश्रावजा दिलाया गया हो तो वह हरजाना दिलाते समय अदालत ख्याल करेगी ।¹

ध्यान रहे कि जहाँ पर एक ही घटना या वारदात की भावत अदालत फौजदारी में मुकदमा चल चुका हो और वाद के अदालत दीवानी में मुकदमा चले तो अदालत फौजदारी की तजवीज का कोई प्रभाव अदालत दीवानी की तजवीज पर नहीं होना चाहिये और अदालत दीवानी उस प्रमाण पर जो उसके सामने पेश किया जावे स्वयं निर्णय करेगी ।² अदालत फौजदारी के फैसले का प्रायः इतना ही ख्याल किया जाता है कि वहाँ से किसी पक्ष पर कोई जुर्म साबित हुआ या वह बरी हुआ ।

अनुचित रुकाव या हिरासत या बेजा हिरासत के दावों में वादी को बल-पूर्वक या भय दिखाकर बिना विधानाधिकार रोकना, अथवा उसकी स्वतन्त्रता में बाधा डालना दिखाना चाहिये । अदावत में फौजदारी का मुकदमा चलाने पर नीचे लिखी यह सब बातें दिखाना चाहिये । (१) यह कि प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध फौजदारी में दावा दायर किया । (२) यह कि वह दावा वादी के अनुकूल निर्णीत हुआ । (३) यह कि वह अदालत में बिना किसी उचित कारण के किया गया था और (४) वादी को जो हानि पहुँची हो उसका विवरण ।

किसी विशेष हानि के अतिरिक्त वादी अपमान, मानहानि और शारीरिक व मानसिक कष्ट का हरजाना भी माँग सकता है ।³ वह खर्चा जो वादी ने फौजदारी के मुकदमें में अपनी रक्षा के लिये किया हो वह विशेष हानि में दिखाया

1 Sec 546, Cr P Code

2 A I R 1935 Mad 563

3 I L R. 57 Cal. 25

सा सकता है।¹ प्रतिवादी के किसी जानवर के नुकसान करने पर, प्रतिवादी का जानवर का मालिक होना और उसका खतरनाक होना जानना, अर्ची दावे में लिखना चाहिये।

मियाद—इन चारों प्रकार के दावों में मियाद एक साल की होती है।²

(१) हमला किये जाने व चोट लगने पर हर्जे का दावा

(वाद-शीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—पञ्जाब में एक जायदाद की वाजत मुकदमा चल रहा है और प्रतिवादी बहुत दिनों से वादी से दुश्मनी मानता है।

२—ता०.....के वादी बाजार.....में प्रतिवादी की दूकान के सामने से निकल रहा था कि प्रतिवादी ने वादी पर हमला किया और लाठी से उसके मारा। लाठी की चोट से वादी का सर फट गया, दाहिने हाथ की एक अंगुली टूट गई और बाँई जाँघ में घाव हो गया।

३—इन चोटों के कारण वादी को एक महीने तक अस्पताल में इलाज कराना पड़ा और शारीरिक और मानसिक कष्ट के अतिरिक्त उसके कारोबार में हानि हुई और उसका इलाज में खर्चा हुआ।

४—वादी के हर्जे का विवरण यह है—

(यहाँ पर हर्जे का विवरण देना चाहिये)।

५—वाद-कारण—

६—वाद-मूल्य—

वादी की प्रार्थना—

(२) अनुचित रुकाव और मानहानि होने पर हर्जे के लिये दावा

(वाद-शीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी फर्रुखाबाद में एक सम्मानित पुरुष है और वह व्यापार का काम करता है। इसके अतिरिक्त वह फर्रुखाबाद और मैनपुरी के जिलों में ज़मींदार और १६००) रु० सालाना का मालगुज़ार आयकर है और ५००) रु० सालाना इनकमटैक्स देता है।

1 A I R. 1935 Bom. 355 , 1933 Nag. 299

2. See Arts. 19, 22 and 23 Limitation Act

२—प्रतिवादी फर्ग्युवावाद में पुलिस इन्स्पेक्टर हैं और शहर के पुलिस स्टेशन पर नियुक्त हैं ।

३—प्रतिवादी ने ता० . के वादी को एक कास्टेबिल की मारकत बुलाया परन्तु वादी उस समय पूजा में लगा हुआ था इसलिए उसने कहला दिया कि वह पूजा समाप्त होने के बाद आवेगा ।

४—प्रतिवादी ने बिना साच विचार किये वादी के नाम सक्तीना काट दिया और वादी को कास्टेबिल से तुरन्त पुलिस स्टेशन में पकड़वा बुलाया ।

५—वादी के पुलिस स्टेशन पर पहुँचते ही प्रतिवादी ने बिना किसी कारण के अत्यन्त अनुचित शब्द वादी से कहे और यह भी कहा कि उसके सरकार बहादुर बनाम रामभजन के मुकदमे में धारा ४०८ के अनुसार गवाही सरकार की ओर से देनी होगी ।

६—वादी ने उस मुकदमे के हाल में अपरिचित होने के कारण भूठी गवाही देना अस्वीकार किया इस पर वादी ने एक कास्टेबिल को आज्ञा दी कि वह वादी को एक घंटे तक हिरासत में रखे ।

७—वादी को एक घंटे हिरासत में रखने के बाद प्रतिवादी ने एक मुहर्निर से कुछ लिखाकर, जिसकी वादी को सूचना नहीं है, वादी के हस्ताक्षर लिये और मुचलका लेकर उसके जाने दिया ।

८—इस अनुचित व बेजा हिरासत से वादी को शारीरिक व मानसिक कष्ट हुआ और उसकी मानहानि हुई और वह अपने बराबर वालों और सर्वसाधारण की दृष्टि में अपमानित हुआ ।

९—वादी मानहानि व हर्जे का.....रु० प्रतिवादी से पाने का अधिकारी है जिसका विवरण यह है—

(यहाँ पर विवरण देना चाहिये)

१०—वाद-कारण—

११—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना

(३) इसी प्रकार का दूसरा वाद-पत्र

१—ता०.....के वादी किराया देकर ईस्ट इंडियन रेलवे की डाक गाड़ी पर, मेकिड क्लास में इलाहाबाद से कानपुर को जा रहा था ।

२—प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों ने फतहपुर के स्टेशन पर वादी के ऊपर हमला किया और बलपूर्वक उसको सिकन्द क्लास की गाड़ी में उतार लिया । और वहाँ पर तीन घंटे तक अनुचित रीति से रोक रक्खा ।

३—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ—

(यहाँ पर हर्जे का विवरण देना चाहिये) ।

(४) भूँटा दोष लगाने और अपमान करने पर हर्जे के लिये दावा

१—वादी डाक्टर है और फतेहपुर सरकारी अस्पताल का असिस्टेन्ट सर्जन है ।

२—ता० १७ मई सन् १९ ई० को प्रतिवादी ने वादी के सम्बन्ध में (अ—ब), (क—ख) इत्यादि मनुष्यों से यह शब्द कहे (जैसे, वादी शराबी और बदचलन है और सजन आदमियों के घर में जाने के योग्य नहीं है) इत्यादि ।

३—यह शब्द भूँटे थे और दुश्मनी की वजह से कहे गये थे । इनके कहने से प्रतिवादी का उद्देश्य यह था कि सभ्य और सम्मानित पुरुष अपने यहाँ वादी को इलाज के लिये न बुलाये और वादी की जीविका को हानि पहुँचे और इन शब्दों का वही अभिप्राय (अ—ब) और (क—ख) ने समझा ।

४—इन शब्दों के प्रकाशित होने से वादी की प्रतिष्ठा; नेकनामी और ख्याति को बहुत हानि पहुँची और इसी कारण से शहर के कई मनुष्यों ने इलाज व औषधि के लिये उसे नहीं बुलाया और इससे वादी की हानि हुई ।

(५) अदावत से फौजदारी का मुकदमा चलाने पर हर्जे के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—ता०.....को प्रतिवादी ने वादी की गिरफ्तारी के लिये मजिस्ट्रेट स्थान.....से.....जुर्म के अपराध में वारन्ट निकलवाया, जिस पर वादी गिरफ्तार किया गया औरदिन या घटे तक कैद रहा और उसको अपनी हाजिरी के लिये.....रु० की जमानत देनी पडी ।

२—प्रतिवादी ने यह काम दुश्मनी से, बिना किसी कारण या उचित शंका के किया ।

३—ता०.....को उक्त मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी की नालिश खारिज करके वादी को छोड़ दिया ।

४—बहुत से मनुष्यों ने, जिनके नाम वादी को मालूम नहीं है गिरफ्तारी का हाल सुन कर और वादी को मुज़रिम ख्याल करके उससे कारोवार करना छोड़ दिया है (या इस गिरफ्तारी की वजह से वादीदफ्तर से क्लर्क की पदवी से निकाल दिया गया) और उसके कारण वादी को मानसिक व शारीरिक कष्ट और उसका अपमान हुआ और कैद से कूटने और मुकदमे की जवाबदेही में उसको खर्चा भी करना पड़ा ।

५—वाद-कारण—

६—दावे की मालियत—

- वादी की प्रार्थना—

(६) इसी प्रकार का अन्य वाद-पत्र

१—वादी प्रतिवादी की दूकान पर नौकर था । प्रतिवादी ने ता०.....को दुश्मनी से एक झूठा और बिना किसी कारण के, वादी के ऊपर मजिस्ट्रेट स्थान... ..के यहाँ यह अभियोग किया कि वादी ने उसके तीन सेन के जेघर च री कर लिये हैं ।

२—इसी अभियोग के साथ २ प्रतिवादी ने वादी का वारन्ट जारी कराकर उसको ता०.....को गिरफ्तार कराया ।

३—वादी गिरफ्तार हो कर ता०.....को मजिस्ट्रेट स्थान.....के सामने पेश हुआ और प्रतिवादी ने आइन्दा तहकीकात के बहाने में उसको हिरासत में रखने की प्रार्थना की और वादी ता०.....तक हिरासत में रहा ।

४—अन्त में ता०.....को मुकदमा निर्णीत हुआ और अदालत से वादी मुक्त किया गया ।

५—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी का यह हर्जा हुआ—

(यहाँ पर मानहानि व हर्जे का विवरण लिखना चाहिये) ।

(७) इसी प्रकार का तीसरा वाद-पत्र

१—मुद्दई स्थान.....में व्यापार का कागोवार करता है और वह एक सम्मानित और शरीफ आदमी है और २५००) रुपया सालाना आयकर (इनकमटैक्स) अदा करता है ।

२—मुद्दायलह विरादरी के भगडों की वजह से, मुद्दई से, बहुत दिनों से दुश्मनी रखता था और उसकी निन्दा और अपमान की फिकर में रहता था ।

३—मुद्दायलह ने १० मई सन् १९. ..ई० को मुद्दई के विरुद्ध सिटी मजिस्ट्रेट अलीगढ़ की अदालत में टफे ३२३ व ३५२ भारतीय-दंड-संग्रह (Indian Penal Code) के अनुसार हमला करने व चोट पहुँचाने का अभियोग किया ।

४—यह अभियोग लगभग तीन महीने तक चलता रहा और उसकी कई पेशियाँ भिन्न २ स्थानों पर दौरे में हुईं और मुद्दई को अपने वकील व गवाहों के साथ वहाँ जाना पड़ा ।

५—अन्त में ६ अगस्त सन् १९.....ई० को उस अदालत से अभियोग खारिज किया गया और मुद्दई बरी हुआ ।

* नाट—देखो व्यवहार विधि संग्रह परिशिष्ट १, अपेन्डिक्स (अ) नमूना नं० ३१

६—यह अभियोग भूँठा था और मुदायलह उसका भूँठा होना जानता था। उसके चलाने का कोई उचित कारण न था और मुदायलह ने मुद्दई को काट देने और हानि पहुँचाने के लिये वह दायर किया था।

७—मुदायलह के इस बेजा काम ने तीन महीने तक मुद्दई हैरान व परेशान रहा और उसको शारीरिक व मानसिक कष्ट हुआ और उसके कारोबार का हर्जा और मुकद्दमे की जवाबदेही करने में खर्चा हुआ। मुदायलह इस कुल खर्च का देनदार है।

८—मुद्दई के हर्जे की तफसील यह है—

- (अ) कारोबार में हर्जा.....रु० ।
- (ब) वकीलो की फीस.....रु० ।
- (क) गवाहों इत्यादि का खर्चा.....रु० ।
- (ख) शारीरिक व मानसिक कष्टरु० ।

९—वाद-कारण—(अभियोग करने के दिन में) ।

(८) नौकर भगा ले जाने पर

१—वादी की सुलतानपुर में आम सौदागरी (general merchandise) की दूकान है।

२—इस दूकान पर प्यारे लाल नाम का एक पुरुष वादी का नौकर था और हिसाब किताब लिखा करता था।

३—प्रतिवादी ने ता०.....को प्यारे लाल को अनुचित रीति से बहकाया और उससे, वादी को बिना सूचना दिये या उसकी सहमति लिये, प्यारेलाल से नौकरी छुड़वा दी।

४—प्रतिवादी के इस अनुचित काम से वादी प्यारेलाल की नौकरी से लाभ नहीं उठा सका और उसको कष्ट होने के अतिरिक्त व्योपार में हर्जा हुआ।

५—हर्जे की तफसील—(यहाँ पर लिखना चाहिये) ।

(९) हानिकारक जानवर रखने पर हर्जे का दावा।

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी गढ़रिये का काम करता है और उसके यहाँ, एक अहाते में जो कि स्थान.....में है भेड़ और बकरी रहती हैं।

२—उस अहाते से मिला हुआ प्रतिवादी का खलिहान है जहाँ पर उसने एक भयङ्कर व खतरनाक कुत्ता रख छोड़ा है।

३—ता०.....को प्रतिवादी का कुचा रात के समय वादी के अहाते में बुस गया। उसने वादी को भेड बक्रियो पर आघात किया और उनमें से कई को काट खाया।

४—भेड के तीन बच्चे विल्कुल मर गये और दो भेड और ५ बक्रियों के बच्चे उसके काटने से घायल हुये जिनमें से दो बच्चे वाट को मर गये।

५—वादी का हर्जा... रु० का हुआ।

(१०) इसी प्रकार का दूसरा दावा

१—स्थान विसौली में प्रतिवादी का, सड़क के किनारे मकान है।

२—उस मकान पर प्रतिवादी ने एक लंगूर पाल रक्खा है जिसने ता० को वादी के ऊपर, जब कि वह उस रास्ते में निकल रहा था हमला किया और उसके दो जगह काट लिया और घायल किया।

३—वह लंगूर एक डरावना और खतरनाक जानवर है और आदमियों पर हमला करने व काटने का आदी है।

४—प्रतिवादी उसकी इस आदत को खूब जानता था और यह जानते हुये भी उसने उसको ऐसी हालत में रख छोड़ा है।

५—वादी के हर्जे की तफसील—

(११) सड़क की खराबी से हानि पहुँचने पर

(वाद-शीर्षक)

१—प्रतिवादी-गण जिला बुलन्दशहर के डिस्ट्रिक्टबोर्ड के सदस्य हैं और उस जिले की सड़कें इस बोर्ड के प्रबन्ध और निगरानी में हैं।

२—बुलन्दशहर से अनूपशहर को जाने वाली पक्की सड़क का प्रबन्ध और निगरानी भी यही बोर्ड करता है और ता०.....को उस सड़क की मरम्मत हो रही थी।

३—उस दिन शाम को प्रतिवादी के नौकर.....ठेकेदार ने ग्रामके पास सड़क पर ककड़ों का ढेर लगा दिया और उस स्थान पर कोई रोशनी या ऐसा कोई यंत्र स्थापित नहीं किया जिससे सड़क खतरनाक और उपयोग के अयोग्य समझी जावे।

४—वादी उस रात को अपनी टमटम में उस सड़क पर जा रहा था। कोई सूचना न होने और उस स्थान पर रोशनी न होने के कारण से उसकी टमटम ककड़ों के ढेर से टकरा कर उलट गई और वादी को बहुत चोट आई। इसके अतिरिक्त घोड़े और गाड़ी को हानि हुई।

५—वादी के हर्जे का विवरण यह है—

(यहाँ पर चोट और हानि का पृथक २ विवरण देना चाहिये)।

६—वादी की प्रार्थना—

१७—अदालत माल की नालिशें

(१) विना आज्ञा ज़मीन पर काबिज़ रहने पर, उचित

लगान का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ग्राम मुहाल... ..पट्टी, थोक, या खेवट इत्यादि नम्बरी में हिस्सेदार, (ठेकेदार या अधिकार सहित रहनदार) है और इसी हैसियत से, या नम्बरदार होने की वजह से लगान वसूल करता है ।

२—मुहाल ...में नीचे लिखी हुई ७ बीघा १५ चित्वा भूमि, खाली पड़ी हुई थी । प्रतिवादी ने वादी की विना आज्ञा के साल १३.....फसली में इस भूमि पर कब्जा करके उसको अपनी काश्त में रक्खा ।

३—इस जमीन का उचित लगान १५५) ६० साल है (या कि पिछली १३ फसली में.....मनुष्य के हाथ यह भूमि . . . ६० लगान पर दी गई थी) ।

४—वादी यह लगान और १) रुपया सैकड़ा माइवारो सूद का, दखल लेने के दिन से देनदार है जो उसने अभी नहीं दिया ।

५—विनायदावा खरीफ़ फसली १३.....के लगान की बाबत ता०..... अक्टूबर सन्.....को, और रबी १३.....फ० की बाबत ता०अप्रैल सन्.....को बाजिज़ होने के दिन से, पैदा हुई) ।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

उसको.....६० मय खर्चा नालिश और सूद रुपया वसूल होने के दिन तक प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

नाम	फसल	भूमि का क्षेत्रफल	लगान	वसूल	वाकी	सूद	जोड़
खरीफ़	१३...७	बी० १५ चि०	७७॥)	—	७७॥)	१०।)	८७॥)
रबी	१३...	„	७७॥)	—	७७॥)	७)	८५)

(२) नियत बकाया लगान के सम्बन्ध में

१—वादी ग्राम .. मु०..... मु० पट्टी इत्यादि नम्बरीमें हि.सेदार है और इसी हेतियत से (या नम्बरदार होने के कारण), नांचे लिखे हुये सालों म लगान वसूल करता रहा ।

२—प्रतिवादी मुहाल.....में, १८० बीघा १७ बिस्वा पक्की आराजी की जिसका विवरण नीचे दिया हुआ है, गैरदखीलकार काश्तकार साल बसाल (या पट्टे के अनुसार..... साल के लिये. या दखीलकार काश्तकार ६०) ६० सालाना लगान पर) इन सालों में था ।

३—प्रतिवादी के ऊपर नीचे लिखे हिसाब के अनुसार.....६० बकाया लगान और १) ६० सैंकडे माहवारी सूद का.....६० निकलना है जो उसने अभी तक अदा नहीं किया ।

४—वाद-कारण (नम्बर १ के अनुसार) ।

(३) कृषक की ओर से खेती करने के अधिकार के इस्तक़रार के लिये

(वाद-शीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी ग्राम.....मुहाल.....मे.....बीघे... ..बिस्वे पक्की भूमि नम्बरी... ..का साल बसाल कृषक.....६० वार्षिक लगान पर था ।

२—प्रतिवादी इस मुहाल का नम्बरदार व ज़मींदार है । उसने वादी के विरुद्ध अदालत माल मे इस भूमि की वेदखली की डिगरी ता०.....के प्राप्त कर ली ।

३—परन्तु वादी के इस भूमि से वेदखल होने के पहिले, प्रतिवादी ने ता०.....के, वादी को उस पर काबिज रहने की आज्ञा दे दी और सालाना लगान बजाय ६० के.....६० आपस में निश्चित पाया ।

४ - वादी इस पिछली प्रतिज्ञा के अनुसार उस भूमि पर काबिज है और उसका कृषक, साल बसाल,.....६० लगान पर है ।

५—प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध पूरा दखल लेने के लिये अदालत दीवानी में

नालिश दायर की और वहाँ से वादी के विरोध करने पर ३ महीने के अन्दर अदालत माल से उसको काश्त करने का इस्तकरार कराने के लिये आज्ञा हुई ।

६—विनायदावा (वेदखली की नालिश दायर करने और आज्ञा होने के दिन से) ।

(४) वेदखली के लिये ज़मींदार का अस्थाई कृषक

के ऊपर

१—वादी ग्राम..... . मुहालमें हिस्सेदार है और लगान वमूल करता है ।

२—प्रतिवादी इस मुहाल में.....बीघा पुख्ता भूमि का ७ साल के लिये (खरीफ १३— फसली से रबी १३— फ० तक) गैरदखीलकार काश्तकार था ।

३—इस पट्टे की अवधि ता०... ..को समाप्त हो गई (या इस साल के अन्त में समाप्त हो जायगी) । वादी, प्रतिवादी को अब काश्तकार रखना नहीं चाहता ।

४—विनायदावा (पट्टे की अवधि समाप्त होने के दिन से) ।

* (५) पूरा दखल पाने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी, वादी की ओर से नीचे लिखी हुई आराजी का (यहाँ पर खेता के नम्बर लिखने चाहिये) जिसका क्षेत्रफल ... बीघा है और जो कि मुहाल मुहम्मद ईसाखाँ गाँव दतावली में है उसका अनस्थाई कृषक (गैरमौरूसी काश्तकार) था ।

२—वादी ने इस भूमि से, प्रतिवादी को अदालत माल से वेदखल कराया और वह वेदखल हो गया और वेदखली की डिग्री वादी के नाम सादिर हो गई और २१ जुलाई सन् १६..... ई० को वादी ने भूमि पर दखल ले लिया ।

३—दखल दिलाये जाने के समय उस भूमि पर फसल खड़ी हुई थी इतने प्रतिवादी को अधिकार था कि वह फसल काट कर भूमि को खाली करे ।

४—फसल काटने के बाद उस भूमि से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नहीं रहा ।

* नोट—यह नालिश अधिकतर दीवानी अदालत में होती है । इसी प्रकार की और नालिशों के सिलसिले में यहाँ लिख दी गई है ।

वादी ने खेत कट जाने के बाद उस भूमि में खेती करानी चाही तो प्रतिवादी भगडा करने को तैयार हुआ और उसने अनुचित रूप से नवम्बर सन् १९४० ई० में भूमि पर अधिकार कर लिया ।

५—प्रतिवादी का, वेदखली के बाद कब्जा बलपूर्वक और बिना किसी अधिकार के है ।

६—वादी भूमि पर दखल और नवम्बर सन् १९४० ई० में वासलात पाने का अधिकारी है ।

७—वाद-कारण (अनुचित अधिकार कर लेने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—(दखल, पूर्वलाभ व खर्च के लिये) ।

* (६) हिस्सेदार का नम्बरदार के ऊपर लाभ के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ग्राम.....मुहाल... में एक तिहाई का हिस्सेदार है और प्रतिवादी इसी मुहाल का नीचे लिखी हुई सालों में नम्बरदार था और लगान वसूल करता था ।

२—वादी के हिस्से का १३४६ व १३४७ फसली का लाभ प्रतिवादी के ऊपर बाकी है जो उसने अभी तक अदा नहीं किया ।

३—इस मुहाल में कुछ हिस्सेदारों और प्रतिवादी की खुदकारत भी है । उसका लगान भी अनस्थायी कृपकों की दर से पट्टेबन्दी में दर्ज होना चाहिये ।

४—प्रतिवादी ने लगान वसूल करने में उचित प्रयत्न नहीं किया, न नालिशों की और न कोई पञ्जरोजा लगाया जिससे कुछ पट्टेबन्दी के लगभग दो तिहाई हिस्से बटवारे के कागजों में वेजोते हुए दिखाये गये हैं और प्रतिवादी की भूल व उपेक्षा

* नोट न० १—यदि प्रतिवादी नम्बरदार वसूल किया हुआ लगान दर्ज न करावे या किसी और ऐसी वेईमानी की वाजत भगडा हो तो वह धारा न० ४ में दर्ज किया जा सकता है । परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यदि वादी बटवारे के कागजों के अनुसार मुनाफा लेना स्वीकार नहीं करता और अधिक मुनाफा माँगता है तो उसको वह सब कारण और बातें लिखनी आवश्यक हैं जिनसे कि वह अधिक मुनाफे का अधिकारी हो सके ।

नोट न० २—जो आमदनी नम्बरदार के पोला-गॉडर, चरागाह, बाग, तालाब इत्यादि से हुई हो वह अतिरिक्त आमदनी में दिखानी चाहिये और उसका विवरण नीचे लिखना चाहिये ।

से बहुत सा लगान वसूल नहीं हो सकता । वादी पट्टेवन्दी के हिस्साव से मुनाफे का अधिकारी है ।

५—उस हिस्साव से जो कि नीचे दर्ज है वादी के... . रु० प्रतिवादी के ऊपर निकलते हैं ।

६—वाद-कारण—

७ - वाद-मूल्य—

वादी प्रार्थी है कि रु० मय खर्चा व सूद दौरान व आइन्दा वादी को प्रतिवादी से दिलाये जाय ।

हिस्साव का विवरण

साल।	इकनम्बरदारी।
पट्टावन्दी।	खुदकाश्त।
मालगुजारीरु० ।	अतिरिक्त आमदनी।
कुल खर्चारु० ।	वसूल	... रु० ।
लाभरु० ।	वाकी	... रु० ।
वादी का भागमु० ।	सूद	... रु० ।
		कुल२० ।

(७) हिस्सेदारों में हिस्साव समझने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ग्राम.....मुहाल.....में दोनों पक्ष हिस्सेदार हैं और उनके हिस्से इस प्रकार हैं :—

हिस्सा वादी	प्रतिवादी न० १	प्रतिवादी न० २ व ३	प्रति० न० ४
१	१	१	१

२—उस मुहाल में दोनो पक्ष अलग २ कृषको से लगान प्राप्त करते हैं । इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नम्बर २ व ३ के अधिकार में.....बीघा भूमि और प्रतिवादी नम्बर ४ के अधिकार में.....बीघा भूमि खुदकाश्त की तरह पर है जिसके लिये वह प्रतिवादी अनस्थाई कृषकों के हिस्साव से लगान के देनदार हैं ।

३—निम्नलिखित वर्षों में, दोनों पक्षों के हिस्से धारा नम्बर १ के अनुसार और खेती धारा नम्बर २ के अनुसार रही है । इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नम्बर दो व तीन ने अविभक्त चरागाह और दो वागो की आमदनी वसूल की और प्रतिवादी नम्बर १ ने पोला व गॉडर व वज़नकर्षा वसूल की है, और वादी को तालाब की आय प्राप्त हुई है, और दोनों पक्षों ने अपने अपने भाग की सरकारी मालगुजारी अदा की है ।

४—दोनों पक्षों में आपस में साल १३—फ० और १३—फ० के सम्बन्ध में कोई हिसाब का निर्णय नहीं हुआ ।

५—ऊपर लिखी रीति के अनुसार दोनों पक्ष हर साल की पहिली अगस्त को एक दूसरे से हिसाब समझने के अधिकारी होते हैं ।

६—वादी अपने पास आर्ड हुड आय को देने के लिये प्रस्तुत है ।

७—वाद-कारण—

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है—

कि दोनों पक्षों को आपस का हिसाब समझाया जावे और हिसाब से जो कुछ मता-लना वादी का प्रतिवादी के ऊपर निकले उसकी डिग्री पृथक् २ फरीक प्रतिवादी पर खर्च नालिश इत्यादि के साथ की जावे ।

(हिसाब का विवरण जो वादी को मालूम हो लिखा जावे) ।

(८) नम्बरदार की हिस्सेदारों पर खर्चा, मालगुजारा और

हक नम्बरदारी की वाबत नालिश

१—वादी ग्राम.....मुहाल.....में हिस्सेदार है और कुल मुहाल का नम्बर-दार है ।

२—मुहाल... में प्रतिवादीगण हिस्सेदार हैं और १३—व १३—फ० में हिस्से-दार रहे । उनके हिस्से का विवरण यह है

प्रतिवादी न० १

प्रतिवादी न० २

प्रतिवादी नं ३ ।

३—वादी ने इन सालों की कुल मुहाल की मालगुजारी और सिंचाई कर सरकार में अदा की और वह प्रतिवादियों से उनके हिस्से के अनुसार रुपया पाने का अधिकारी है ।

४—इसके अतिरिक्त मालगुजारी पर वादी का ५) ६० सैकड़ा हक नम्बरदारी है और वह २४) ६० वार्षिक खर्चा, प्रतिवादियों से, उनके हिस्सों के अनुसार विभाजित करके पाने का अधिकारी है ।

५—नीचे लिखे हुये हिसाब से वादी को प्रतिवादियों से.....६० मिलना चाहिये ।

(हिसाब का विवरण)

द्वितीय भाग

द्वितीय अध्याय

प्रतिवादापत्रों (बयान तहरीर) के नमूने

साधारण प्रतिवाद

अस्वीकृत या इनकार (Denial or non-admission)—प्रतिवादी को इनकार है कि
(घटनाये लिखो) ।

प्रतिवादी स्वीकार नहीं करता कि (घटनाएँ लिखो) ।

प्रतिवादी स्वीकार करता है किपरन्तु कहता है कि.....।

विरोध (Protest) या तरदीद—प्रतिवादी इससे इनकार करता है कि वह फर्म (नाम
लिखो) में हिस्सेदार है ।

प्रतिवादी इससे इनकार करता है कि उसने वादी से वादी की बयान की हुई प्रतिज्ञा
या अन्य कोई प्रतिज्ञा की ।

प्रतिवादी को (संभक्ति) का होना स्वीकार है परन्तु वह वादी का स्वत्व स्वीकार
नहीं करता ।

प्रतिवादी इनकार करता है कि वादी ने उसके अर्जीदावा में लिखा हुआ माल या
उसका कोई हिस्सा, बेचा ।

अवधि या समाप्ति (Limitation) दावे में धारा.....का या आर्टिकल
परिशिष्ट २ अवधि विधान सन् १९०८ (Limitation Act,
Art...) के अनुसार अवधि समाप्त हो गई है ।

दर्शनाधिकार (अखत्यार समाञ्जत Jurisdiction)—अदालत को मुकदमें सुनने का
अधिकार इस कारण से नहीं है कि । (कारण लिखो) ।

बेबाकी (Payment) तारीख.....महीना.....सन्.....के प्रतिवादी ने एक हीरे
की अँगूठी वादी को दी और वादी ने उसको अपने बयान किये हुये
वादस्वत्व के निपटारे में मंजूर कर लिया ।

देवालियापन (Insolvency)—प्रतिवादी देवालिया निर्णय किया जा चुका है ।
या वादी दावा दायर होने से पहिले देवालिया करार दिया जा चुका
है और नालिश करने का अधिकार उसकी सम्पत्ति के रिसीवर
को है ।

अप्राम वयस्कता (नाबालिगी Minority)—प्रतिवादी उस समय जब कि प्रतिज्ञा
होना बयान किया जाता है नाबालिग था ।

अदालत में अदायगी (Payment into Court) प्रतिवादी ने कुल दावे की
ब्रात (या दावे के रुपये का एक भाग, जैसी दशा हो) अदालत
में.....रु० दाखिल कर दिये हैं और वह बयान करता है कि यह
रुपया वादी के दावे या ऊपर लिखे भाग) की बेवाकी के लिये
पर्याप्त है ।

पूरा कराने से दस्तबरदारो (Performance Resitted)—वादी ने बयान की हुई
प्रतिज्ञा के पूरा कराने से ता०.....को दस्तबरदारी कर दी ।

मंसूखी (Recission)—वादी और प्रतिवादी ने आपस की रजामन्दी से प्रतिज्ञा
मंसूख (रद्द) कर दी ।

पूरन्याय (Res Judicata)—वादी का दावा, डिगरी मुकदमा (उसका पता दो)
से वर्जित है ।

रोक वाद (Estoppel)—वादी इस बात की सच्चाई इन्कार करने से वर्जित है
कि (यहाँ वह बयान लिखो जिसके विषय में रोक वाद का विरोध
किया जाता है) क्योंकि (यहाँ वे घटनाएँ लिखो जिनसे रोक वाद
उत्पन्न हुआ हो) ।

प्रतिवादी के कारण जो नालिश दायर होने के बाद पैदा हुए हैं (Grounds
of defence subsequent to institution of suit)—
दावा दायर होने के बाद, तारीख.....महीना.....सन्.....को
(घटनाएँ लिखो) ।

१—ऋण या कर्जा

* (१) ऋण के दावे का साधारण प्रतिवाद-पत्र

(सिरनौमा)

१ प्रतिवादी दावे के रुपये में से २००) रु० मुजरा पाने का अधिकारी है क्योंकि उसने २००) रु० का माल वादी को बेचा और हवाले किया ।
उसका विवरण यह है—

ता० २५ जनवरी १९३८ ई०	११०) रु० ।
,, १ फरवरी १९३८ ई०	५०) रु० ।
कुल जोड़	२००) रु० ।

२ दावे का कुल रुपया (या.....रु०) प्रतिवादी ने नालिश टायर होने के पहिले ही वादी को देना चाहा और उसके लेने से इनकार करने पर ता०.....के अदालत में जमा कर दिया ।

(२) वाद पत्र पद १ नमूना नं० २ का प्रतिउत्तर,
जब कि अदायगी और तमादी की आपत्ति हो

(वाद-शीर्षक)

१—वाद-पत्र की धारा नं० १ में प्रतिवादी के पिता रमजानी का केवल १०००) रु० १६ जून सन् १९३५ के इस इक्करार से लेना कि वह १) रु० सै० माहवारी के साथ १६ जून सन् १९३६ को अदा कर दिया जावेगा स्वीकार है इसके अतिरिक्त और कोई रुपया लेने और उसके अदा करने के इक्करार से इनकार है ।

२—धारा नं० २ में रमजानी का १०००) रु० मय सूद १) रु० सै० मासिक देना स्वीकार है । और बाकी मतालवे का देनदार होने या कोई बकाया रहने से इनकार है इस अदायगी से कुल रुपया बेबाक हो गया ।

३—धारा नं० ३ स्वीकार है ।

४—धारा नं० ४ से बिलकुल इनकार है । प्रतिवादी ने कोई रुपया सूद में नहीं दिया ।

५—धारा नं० ५ में ता० १७ जून १९३७ को रुपया अदा होना और वादी का उस तारीख से २० अगस्त १९४१ तक पागल होने से इनकार है । वादी प्रतिश करते समय बुद्धिहीन नहीं था और दावे में अवधि समाप्त हो गई है ।

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १, अपेन्डिक्स (अ), भाग ४ का नमूना नं० ४ है ।

६—धारा नं० ६ से ६ तक और हिसाब के विवरण इत्यादि से प्रतिवादी को इनकार है और प्रतिवादी के ऊपर वादी का कोई रुपया वाकी नहीं है।

(३) दावा नं० ५ का प्रतिवाद पत्र जब कि ऋण व सूद के अदा करने से इनकार हो

१—वाद-पत्र की धारा नं० १ व २ से प्रतिवादियों को इनकार है। राधेसिंह व गंगाबक्स ने ऋण, जिस की नालिश की गई है या और कोई ऋण ता० २४ जून १९३७ ई० को या और किसी तारीख को वादी से नहीं लिया और न वादी के हक में यह प्रामेसरी नोट लिखा जिस पर नालिश की गई है।

२—धारा नं० ३ में गंगाबक्स का देहान्त होना और प्रतिवादी न० २ व ३ का उसका उत्तराधिकारी होना स्वीकार है लेकिन किसी रुपये के देनदार होने की जिम्मेदारी से इनकार है।

३—धारा नं० ४ से इनकार है। सूद का कोई रुपया गंगाबक्स या राधेसिंह ने अदा नहीं किया।

४—धारा नं० ५ से, तक स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी कोई रुपया देने के वादी को जिम्मेदार नहीं हैं।

* (४) तमस्सुक की नालिशों का साधारण प्रतिवाद-पत्र

(वाद-शीर्षक)

१—यह तमस्सुक प्रतिवादी का लिखा हुआ नहीं है।

२—यह कि प्रतिवादी ने ता०.... को तमस्सुक के अनुसार कुल रुपया अदा कर दिया है।

३—यह कि प्रतिवादी, उस तारीख के बाद, परन्तु नालिश दायर होने से पहिले तमस्सुक का कुल रुपया, असल व सूद, वादी को अदा कर चुका है।

(५) वाद पत्र नं० ८ का प्रतिवाद पत्र जब कि कुछ रुपये की वेवाकी की आपत्ति हो

१—धारा नं० १ से ३ तक स्वीकार हैं।

२—धारा नं० ४ से इनकार है। प्रतिवादी ने नालिश के दस्तावेज का कुल रुपया जो पहिली किस्त अदा करने के बाद वाकी रहा इस तरह वेवाक कर दिया कि मृतक अहमद

*यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ भाग ४ का नमूना नं० २ है।

अली की सम्पत्ति में से एक मकान एक मजिला जो मुहल्ला शाहपाड़ा में था, वादी के नाम ८००) ६० में विक्रय कर दिया और वादी ने उसका विक्रयपत्र फर्जी तौर पर अपनी स्त्री के नाम लिखा लिया। और १२००) ६० नकद विक्रय पत्र लिखे जाने की तारीख को अदा कर दिये और वादी से उसकी हस्ताक्षरयुक्त रसीद लिखा ली जो इसके साथ दाखिल की जाती है।

३—धारा नं० ५ में रफीउद्दीन का मर जाना स्वीकार है, तारीख की खतर नहीं है। कर्जा वसूलयात्री के सर्टीफिकेट का कोई ज्ञान नहीं है। प्रतिवादियों को उसकी कोई सूचना नहीं हुई।

४—धारा नं० ६ व ७ स्वीकार नहीं है।

५—धारा नं० ८ में विक्रयपत्र का लिखा जाना स्वीकार है लेकिन उसका रुपया नालिश के दस्तावेज की अदायगी में दिया गया था। प्रतिवादियों ने इसमें से कोई रुपया नहीं लिया और उनकी ज्ञात और जायदाद किसी रुपये की देनदार नहीं है।

६—धारा नं० ९ से ११ तक और वादी की प्रार्थना और हिसाब का विवरण स्वीकार नहीं हैं।

(६) कुछ रुपया अदा करने की आपत्ति हाने पर

(वाद-पत्र के नं० १३ का प्रतिवादपत्र)

(वाद-शीर्षक)

१—धारा नं० १ स्वीकार है।

२—धारा नं० २ स्वीकार है।

३—धारा नं० ३ से इनकार है। प्रतिवादी ने नीचे लिखी रकमों प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को अदा की—

ता० १६ जून सन् १९४८ ई० को ६३) ६०।

ता० ११ नवम्बर सन् १९४८ ई० को १५४॥३) ६०।

४—धारा नं० ४ स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी को वादी के नाम के बँनामे का कोई ज्ञान नहीं है।

५—धारा नं० ५ स्वीकार है।

६—धारा नं० ६ स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी धारा नं० ३ में लिखे हुए रुपये को काट कर दस्तावेज का बाक़ी रुपया वादी को देता था लेकिन उसने नहीं लिया।

७—धारा नं० ७ व ८ और वादी की प्रार्थना स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी ने जो कुछ रुपया हिसाब से निकलता था ता०.....के वादी को दिये जाने के लिये अदालत में जमा कर दिया और वह अन्न भी जमा है।

८—प्रतिवादी वादी से अपना खर्चा पाने का अधिकारी है।

२—अधिक अदायगी

(१) वाद पत्र न० १, का प्रतिवाद पत्र जत्र दोनों पक्षों में प्रतिज्ञा की शर्तों पर मन भेद हो

१—वादी ने (अ—व—) से जचवाने और अपना इतमीनान करने के वाद चाँदी की.....सलाखेंरु० प्रति सलाख की दर से प्रतिवादी से खरीदी और कीमत अदा की। भाव फी तोले के हिसाब से करार नहीं पाया था और न प्रतिवादी को फी तोले के हिसाब से कीमत दी गई।

२—प्रतिवादी को नहीं मालूम कि (अ—व) ने वादी को हर सलाख में खालिस चाँदी कितनी बतलाई थी और उनमें कितनी निकली। प्रतिवादी, वादी की दोनों बातों को स्वीकार नहीं करता।

३—प्रतिवादी को कोई रुपया अधिक नहीं दिया गया जिसको वह वापिस करता।

४—वादी के इस अस्वीकार बयान को सही मान कर भी, कि खालिस चाँदी अंदाज से कम निकली और रुपया देते समय वह यह बात नहीं जानता था, वादी को नालिश का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

३—माल की कीमत

* (१) माल के बेचने व हवाले किये जाने के मुकदमे का साधारण प्रतिवाद पत्र

१—यह कि प्रतिवादी ने माल नहीं मँगवाया।

२—यह कि प्रतिवादी को माल हवाला नहीं किया गया।

३—यह कि माल की कीमत.....रु० नहीं है।

या

४—यह कि प्रतिवादी ने केवल . . .रु० का माल मँगवाया था।

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १, अपेन्डिक्स (अ) भाग ४ का नमूना नं० १ है।

५—यह कि प्रतिवादी को माल केवल.....रु० का हवाला किया गया ।

६—यह कि माल की कीमत.....रु० नहीं परन्तु.....रु० है ।

७—यह कि प्रतिवादी (या उसके ऐजेन्ट (अ—ब) ने) दावे की वेवाकी में कुल रुपया वादी या उसके ऐजेन्ट (क—ख) को नालिश दायर होने से पहिले ता० को अदा कर दिया ।

८—प्रतिवादी ने दावे की वेवाकी में कुल रुपया नालिश दायर हो जाने पर ता० को अदा कर दिया ।

* (२) माऊ रोक लेने के सम्बन्ध की नालिश का प्रतिवाद पत्र

१—यह कि माल वादी का नहीं था ।

२—यह कि माल इस कारण से रोका गया था कि प्रतिवादी उस पर अधिकारी है जिसका विवरण यह है -

बाबत किराया इत्यादि देहली से कलकत्ता तक, ४५ मन का दर २) रु० फी मन . . . ६०) इत्यादि —

(३) वाद-पत्र पद ३ न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब कि वेवाकी या हिसाब इत्यादि की आपत्ति हो

१—धारा न० १ वाद पत्र स्वीकार है ।

२—धारा न० २ इस अन्तर से स्वीकार है कि प्रतिवादी, वादी की दूकान से केवल लोहे पीतल का सामान अपने कारखाने के लिये खरीदते थे और उसकी कीमत बिना ब्याज अदा करते रहते थे । नकद रुपया वादियों से प्रतिवादियों ने कभी नहीं लिया और न ब्याज देने की प्रतिज्ञा की और न कभी ब्याज दिया ।

३—वाद पत्र की धारा न० ३ में जमा व खर्च की रकमों का जोड़ स्वीकार नहीं है । २५ अक्टूबर सन् १९३१ ई० के बाद कोई सामान वादियों की दूकान से प्रतिवादियों के यहाँ नहीं आया और हिसाब में जो रकमें इस तारीख के बाद लिखी हुई हैं वह गलत हैं और इसी तारीख के बाद प्रतिवादियों ने जो १३५०) रु० वादियों को अदा किये, हिसाब में जमा नहीं दिखाये ।

* यह नमूना व्यवहार विधि सग्रह के परिशिष्ट १, अपेन्डिक्स (अ), भाग ४ का नमूना नं० ७ है ।

४-- वादियों की कोई रकम प्रतिवादियों पर चाकी होने से प्रतिवादियों को बिलकुल इनकार है ।

५-- धारा न० ४ स्वीकार है परन्तु प्रतिवादियों ने १३५०) रु० का माल (जिसका विवरण नीचे दिया हुआ है) वादी को अदा करके हिसाब वेवाक कर दिया ।

(हिसाब का विवरण)

६-- धारा न० ५ से ८ तक, अदालत के अधिकार के सिवाय स्वीकार नहीं हैं । वादियों को प्रतिवादियों के विरुद्ध किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

(४) वाद पत्र पद ४ न० १० का प्रतिवाद पत्र बिल्कुल
इन्कार करने पर, या अन्य दशा में

प्रतिवादी ने ता० १६ मई १६४१ ई० या किसी अन्य तारीख को कोई प्रतिज्ञा वादी से ६ तसवीर बनवाने की, जैसा कि वादपत्र में लिखा है या कोई और तसवीरें १५०) रु० में या और किसी रकम में एक सप्ताह या किसी और मियाद के अन्दर लेने का नहीं की न उसके कोई नमूना दिया और न १०) रु० या और कोई रुपया बचाने के रूप में उसको दिया ।

या

१-- वादपत्र की धारा न० १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२-- धारा न० ४ में वादी का यह बयान असत्य है कि उसने १ सप्ताह में तसवीरें तैयार की और वे नमूने के अनुसार थी ।

३-- प्रतिवादी शरीफनगर के राजा साहब का नौकर है । प्रतिवादी ने ये तसवीरें वादी से उक्त राजा साहब के राज्याभिषेक पर जो कि २५ मई १६४१ ई० को होने वाली थी भेंट करने के लिये तैयार कराई थी और यह बात वादी को अच्छी तरह से ज्ञात थी ।

४-- वादी ने तसवीरें बिलकुल खराब और नमूने के विरुद्ध तैयार की और मियाद के अन्दर ही नहीं बल्कि २५ मई सन् १६४१ ई० राजगद्दी के दिन तक उनको तैयार करके प्रतिवादी को नहीं दे सका और प्रतिवादी उनको राज्याभिषेक पर भेंट नहीं कर सका ।

५-- धारा न० ५ से ८ तक स्वीकार नहीं हैं ।

६-- तसवीरें अब भी नमूने के अनुसार नहीं हैं और वह अब प्रतिवादी के किसी काम की नहीं हैं ।

७ -- प्रतिवादी बचाने के १०) रु० और नमूने की वापिसी का और ५०) रु० हर्जे का दावेदार है ।

४—मजदूरी व नौकरी

(१) वादपत्र पद ४ न० २ का प्रतिवादपत्र जब कि आपत्ति गलत मतालबा और अदायगी की हो

१—वादी ने सिलार्ड की मजदूरी बहुत अधिक लगाई है ।

२—नीचे दिये हुए हिसाब से उचित मजदूरी२० होती है ।

३—अदा किये हुए २५) २० को काट कर वादी के.....२० निकलते हैं ।

४—यह रुपया प्रतिवादी ने नालिश दायर करने के पहिले वादी को देना चाह और उसके सामने पेश किया लेकिन उसने लेने से इनकार किया ।

५—प्रतिवादी ने दावे की बेबाकी में यह कुल रुपया नालिश दायर होने के बाद अदालत में ता०.....को जमा कर दिया है ।

५—हुन्डी व चैक

(१) साधारण प्रतिवाद-पत्र

१—प्रतिवादी ने हुन्डी, जिसके ऊपर नालिश की गई है, नहीं लिखी थी ।

२—प्रतिवादी ने उस हुन्डी, को, जिसके ऊपर नालिश की गई है, कभी सही नहीं किया ।

३—हुन्डी, जिसके ऊपर नालिश की गई है, सही करने के लिये पेश नहीं की गई ।

४—हुन्डी जिसका कि दावा है, अदायगी के लिये पेश नहीं की गई या नियमानुसार पेश नहीं की गई ।

५—प्रतिवादी ने हुन्डी का, जिसकी नालिश है बेचान नहीं किया ।

या

(अ - ब) के नाम, जिसके द्वारा वादी दावेदार है, बेचान नहीं किया ।

६—वादी के नाम, अ—ब) ने, जिसके द्वारा वादी दावीदार बनता है, कोई बेचान नहीं किया ।

७—प्रतिवादी को हुन्डी न स्क्रिने की कोई सूचना नहीं दी गई । या नियमानुसार सूचना नहीं दी गई ।

८—वादी नालिश करने के समय उस हुन्डी का मालिक नहीं था ।

६—प्रतिवादी ने हुन्डी के इस शर्त के साथ सही किया था कि ... (यहाँ पर यह शर्त लिखनी चाहिये) और यह शर्त पूरी नहीं हुई ।

१०—प्रतिवादी ने वादी की सुविधा के लिये हुन्डी सही कर दी थी उसका रुपया या सही करने का कोई धन प्रतिवादी को नहीं दिया गया ।

(२) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद-पत्र तब कि हुन्डी माल के ऊपर की गई हो

१—धारा न० १ व २ स्वीकार हैं ।

२—धारा न० ३ से ५ तक और उपशमन के इनकार हैं ।

३—प्रतिवादी ने हुन्डी, २०० बोरी गेहूँ कीमत के बदले में, जो कि वादी प्रतिवादी के यहाँ ता०.तक भेजने को था, सही कर दी थी ।

४—वादी ने गेहूँ नहीं भेजे और इसलिये प्रतिवादी ने हुन्डी का रुपया अदा नहीं किया ।

५—प्रतिवादी पर वादी का कोई रुपया नहीं निकलता है ।

(३) वादपत्र पद ५ नमूना न० २ का प्रतिवादपत्र जब कि वादी की मिल्कियत से इनकार हो और हुन्डी माल के ऊपर की गई हो

१—वादपत्र की धारा न० १ स्वीकार है ।

२—धारा न० २ में इस बयान से इनकार है कि वादियों के नाम वेचान मतालवे के बदले में हुन्डी और वादी हुन्डी के स्वामी हैं ।

३—धारा न० ३ स्वीकार है लेकिन प्रतिवादी यह बयान करते हैं कि उन्होंने हुन्डी को ४ गाँठ रुई की कीमत की बदल में, जो कि फर्म रामचन्द्र हरप्रसाद, प्रतिवादी की दूकान पर अवधि पूर्ण होने से पहले ही भेजने को थे, सही कर दिया था ।

४—उक्त फर्म ने यह माल प्रतिवादियों की दूकान पर नहीं भेजा इसलिये प्रतिवादियों ने हुन्डी का रुपया अदा नहीं किया ।

५—वादी ने इस बात को अच्छी तरह जानते हुये (या विला मुआवजा होना ज्ञात होते हुये) हुन्डी का वेचान अपने नाम कराया है ।

६—धारा न० ४ से इनकार है । प्रतिवादी दावे के रुपये के देनदार नहीं है ।

(४) वादपत्र पद ५ नमूना न० ४ के प्रतिवाद पत्र
जब हुन्डी न पेश करने की आपत्ति हो

१—हुन्डी की अवधि पूर्ण हो जाने के.....महीने बाद तक फर्म रामसहाय गूदरमल, कानपुर जिसके ऊपर प्रतिवादी ने हुन्डी की थी, साल्वेन्ट हालत में थी और प्रतिवादी का हुन्डी के रुपये से अधिक रुपया उन पर चाहिये था ।

२—वादी ने अवधि पूरी हो जाने के बाद ठीक समय पर अदायगी के लिये हुन्डी को फर्म रामसहाय गूदरमल पर उपस्थित नहीं किया । इसके बाद उक्त फर्म देवालिया (इनसाल्वेन्ट) हो गया ।

३—प्रतिवादी हुन्डी के रुपये की अदायगी के उत्तरदायित्व से धारा.....कानून हुन्डी (Negotiable Instruments Act) के अनुसार बरी हो गया ।

४—प्रतिवादी हुन्डी के रुपये या निखरई, सिखरई व सूद देने का उत्तरदायी नहीं है और अपना खर्चा वादी से पाने का अधिकारी है ।

(५) वादपत्र पद ५ न० ८ का प्रतिवादपत्र जब कि
जिम्मेदारी से इनकार हो

दुर्गादत्त द्वारकादास प्रतिवादियों की ओर से ।

१—प्रतिवादी उक्त दूकान बाजमुकन्द दुर्गादत्त भूभर के स्वामी हैं । प्रतिवादी कुन्दन लाल व नरायदास इस दूकान में सम्मिलित नहीं हैं और न उनका और प्रतिवादियों का कोई अविभक्त परिवार है ।

२—उक्त प्रतिवादियों ने दूकान बालमुकन्द दुर्गाप्रसाद की ओर से वादियों के नाम कोई हुन्डी नहीं लिखी । कुन्दनलाल व नरायनदास को उक्त दूकान की ओर से ऐसी कोई हुन्डी लिखने का अधिकार नहीं था । यदि कोई ऐसी हुन्डी लिखी गई तो दूकान बालमुकन्द दुर्गादत्त से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

३—उक्त हुन्डी का कोई रुपया दूकान बालमुकन्द दुर्गादत्त को वसूल नहीं हुआ और न वह दूकान के कारवार के लिये लिखी गई ।

४—प्रतिवादी किसी रुपये के, मूल या सूद इत्यादि वादी को देने के उत्तरदायी नहीं हैं ।

(६) वादपत्र पद ५ न० ९ का प्रतिवाद-पत्र जब
कि चैक में परिवर्तन करने की आपत्ति हो

१—धारा नं० १ में चैक लिखे जाने की तारीख गलत है । प्रतिवादी ने चैक ता०... के लिखा था और उसी रोज वादी को दे दिया ।

२-धारा न० २ में रुपये का अंदा देना स्वीकार है लेकिन चैक का अपनी वास्तविक दशा में पेश होना स्वीकार नहीं है ।

३-वादी ने प्रतिवादी की सहमति बिना चैक में ता०... के बजाय ता० लिख दी और उसमें परिवर्तन कर दिया और कानून हुन्टी की धारा ८७ से (एक्ट २६ सन् १८८१) उक्त चैक बेकार हो गया और प्रतिवादी का बैड उत्तरदायित्व नहीं रहा ।

४-धारा न० ३ स्वीकार है ।

५-धारा न० ४ में ७ तक स्वीकार नहीं है । वादी प्रतिवादी में किसी उपशमन का अधिकारी नहीं है ।

६-आपसी हिसाब

(१) वादपत्र पद ६ 10 १ का प्रतिवाद-पत्र जब आपसी हिसाब होने से इन्कार हो और गृहती इत्यादि की आपत्ति हो

१-वादपत्र की धारा न० १ स्वीकार है ।

२-धारा न० २ इस अन्तर से स्वीकार है कि दोनो पक्षों में आपसी हिसाब नहीं था । प्रतिवादी फर्म, वादी के फर्म से ऋण लेती थी और सदा वादी के फर्म की बकाया प्रतिवादी फर्म पर रहती थी ।

३-धारा न० ३ में कातिक वृदी १५ सन् १९६६ वि० को हिसाब का मिलान होना और बकाया निकलना स्वीकार है लेकिन वादी के फर्म की बकाया केवल.....६० थी । उसके बाद फर्म वादी के यहाँ से कोई रकम नहीं गई वरन प्रतिवादी ने रकम अंदा की । कोई हिसाब खुला और जारी नहीं था ।

४-धारा न० ४ स्वीकार है ।

५-धारा न० ५ में वादपत्र के साथ दिया हुआ हिसाब गलत है । उसमें नीचे लिखी गलतियाँ हैं ।

(यहाँ पर गलतियों का विवरण क्रमानुसार देना चाहिये)

६-हिसाब से वादी फर्म का प्रतिवादी फर्म पर कोई रुपया बाकी नहीं निकलता (या केवल.....६० निकलता है) ।

७-धारा न० ६ स्वीकार नहीं है । वादी को कोई बिनाय दावी पैदा नहीं हुई और प्रत्येक दशा में वादी की दी हुई तारीख गलत है ।

८-हिसाब में दी हुई सब रकम ३ साल से पहिले की हैं और इस लिये पद..... अवधि विधान में अवधि समाप्त हो चुकी है ।

७—अमानत का रुपया

साधारण प्रतिवाद

[जो विरोध बैंक या अमानती रुपये के जवाब दावे में हो सकते हैं वह वही है जो हुन्डी की नालिशों में हो सकते हैं और पद ५ में दिये हुए हैं । प्रतिवाद-पत्र लिखने में उनसे सहायता लेनी चाहिये ।]

(१) वादपत्र पद ७ न० १ का प्रतिवाद पत्र जब अमानत से इनकार हो और तपादों की आगति हो

१—वाद पत्र की धारा नम्बर १ स्वीकार है ।

२—धारा नम्बर २ में वादी का रुपया अमानत में जमा रहने में इनकार है । प्रतिवादी की फर्म, वादी से रुपया उधार लेती थी और उसको सूद के साथ अदा कर देती थी सूद की दर आठ आना सैकड़ा थी और माग पर अदा करने का कोई इकार नहीं था ।

३—धारा नम्बर ३ इस अन्तर् के साथ स्वीकार है कि प्रतिवादी ऋण लेते और असल और सूद में रुपया अदा करते रहे ।

४—धारा नम्बर ४ स्वीकार है ।

५—धारा नम्बर ५ में वादी ने शेष रुपये की संख्या सही नहीं लिखी वादी का केवल रुपया निकलता है ।

६—दावे में धारा ५७ अवधि विधान (Art 57 Limitation Act) के अनुसार अवधि समाप्त हो गई है । वादपत्र की धारा न० ६ में तारीख त्रिनाय दावी गलत है और यह बयान भी सही नहीं है कि वह रुपया माँगने पर पैदा हुई ।

७—वादी ने कोई रुपया प्रतिवादी फर्म से नहीं माँगा ।

८—वादी के लिये वसूल किया हुआ रुपया

(१) वादपत्र पद ८ न० १ का प्रतिवाद पत्र जब उचित वसूलयावी की आपत्ति हो

१—वादपत्र की धारा न० १ व २ स्वीकार हैं ।

२—धारा न० ३ में लगान वसूल करना व रसीद देना स्वीकार है वाकी में इनकार है ।

३—धारा न० ४ स्वीकार नहीं है । प्रतिवादी मुकदमे का कोर्ट फरीक़ नहीं था ।

४—धारा न० ५ से ७ तक और उपशमन स्वीकार नहीं है ।

५—प्रतिवादी ता० .. से जमींदार का कारिन्दा था और उसने वादी से उचित तौर पर लगान वसूल किया ।

६—प्रतिवादी ने ता० ... के जमींदार की नौकरी छोड़ी और लगान का वसूल किया हुआ रुपया और रकमों के साथ हिसाब में उसको मुजरा दे दिया और दाखिला वही जिससे वादी को रसीद दी गई थी जमींदार के हवाले कर दी ।

७—प्रतिवादी से जमींदार की शत्रुता है । वादी और जमींदार ने आपस में मिल कर बकाया लगान की डिगरी करवा ली है और यह डिगरी प्रतिवादी के विरुद्ध शहादत में पेश नहीं की जा सकती ।

८—वादी कोर्ट रुपया या सूद पाने का अधिकारी नहीं है और मुकदमे का खर्चा वह किसी दशा में नहीं पा सकता ।

(२) वाद पत्र पद ८ न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब प्रतिवादी अपने आपको मालिक बयान करता हो

प्रतिवादी का निवेदन है कि—

१—ता०... के लिखे हुए तमस्सुक का मालिक प्रतिवादी था और उसी ने तमस्सुक के द्वारा (अ—ब) को कर्जा दिया था ।

२—प्रतिवादी ने अपने खर्च से डिगरी प्राप्त की और उसका रुपया ता०..... मदयून डिगरी ने अदालत के बाहर प्रतिवादी को बेबाक कर दिया और प्रतिवादी ने ता०को डिगरी कुल वसूल में खारिज करा दी ।

३—वादी का बयान कि वह तमस्सुक का स्वामी था, और उसके खर्च से नालिश हुई झूट है ।

४—वसूल यात्री की तारीख से तीन साल बाद यह दावा किया गया है और (Limitation Act) अवधि विधान, धारा ६२ के अनुसार अवधि के बाहर है ।

६—इस्तेमाल और दखल

(१) वादपत्र पद ९ न० २ का प्रतिवाद पत्र
जब कि हिसाब की गलती और रुपया अदा
कर देने की आपत्ति हो

प्रतिवादी का बयान यह है कि—

१—प्रतिवादी के इस्तेमाल में मोटर केवल.....दिन रही जिसका विवरण यह है
(विवरण दो) ।

२—जब कि मोटर प्रतिवादी के काम में थी तो वादी के मोटर ड्राइवर ने... .. रु०
तेल इत्यादि के वास्ते लिये । उसकी रसीदें पेश की जाती हैं ।

३—इसी समय में मोटर २ टफे विगड गई और उसकी मरम्मत के बिल का
रुपया प्रतिवादी ने अदा किया । दोनों बिल और अदायगी की रसीद पेश की
जाती हैं ।

४—मोटर का रोजाना के हिसाब में किरायारु० से अधिक नहीं होता
और मोटर की खराब हालत और उसमें बैठने में कष्ट होने के ख्याल से यह किराया
उचित है ।

५—हिसाब से.....रु० वादी का निकलता है । वह वादी को मनीआर्डर
से भेजा गया लेकिन उसने वापिस कर दिया इस लिये अदालत में जमा कर दिया
गया है ।

१०—पंचायत व पंचायती फैसला

(१) वादपत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र
जब कि अनीति व्यवहार (Misconduct)
की आपत्ति हो

१—पंच ने कोई पंचायत नहीं की और न कोई शहादत लिखी ।

२—पंच वादी की सगी बहिन का दामाद है । प्रतिवादी को पंचायत के लिये
इकरारनामा लिखते समय इसका जान नहीं था । वादी ने इस बात को जान बूझ कर
छिपाया और प्रतिवादी ने पंच को बिलकुल सम्बन्ध रहित समझ कर पंचायती इकरारनामा
उसके नाम लिख दिया ।

३—पंच ने वादी की तरफदारी और रियायत की और सम्पत्ति में से अधिक भाग वादी के कुरे में लगा दिया और वादी का कुरा बजाय एक तिहाई ($\frac{1}{3}$) कीमत के लगभग आधी कीमत का कर दिया और प्रतिवादी का कुरा जो दो तिहाई ($\frac{2}{3}$) कीमत का होना चाहिये था आधी कीमत में भी कम कर दिया ।

४—प्रतिवादी ने पंच से प्रार्थना की कि वह प्रतिवादी की शहादत कलमबन्द करले और इसी लिये गवाह तलब कराये और उनके पंच के सामने लाया लेकिन पंच ने शहादत लेने से इनकार कर दिया ।

५—पंच ने मामले के तजवीज करने में खिपी हुई तहकीकात और निजी हत्तला से काम लिया है और अनीति व्यवहार (बढाएमाली) किया है ।

६—पंच का फैसला मन्मुखी के योग्य है और उसके आधार पर वादी अदालत से डिगरी नहीं करा सकता ।

११—विदेशी तजवीज

(१) वादपत्र पद ११ न० २ का प्रतिवाद-पत्र जब विरोध दर्शनाधिकार न होने का हो

प्रतिवादी का निवेदन है कि —

१—वादी ने जो दावा हाईकोर्ट रियासत जैपुर में किया था वह मन्मुखी शादी का था । उसके मुनने का उक्त न्यायालय को अधिकार नहीं था और उस मुकदमे में जो डिगरी हुई वह अधिकार विरुद्ध हुई ।

२—प्रतिवादी ने डिगरी का रुपया वादी को उसके मुखतार आम की माफत अदा कर दिया । रसीद इस प्रतिवाद पत्र के साथ नत्थी है ।

३—वादी का दावा अधिकार विरुद्ध और अनुचित है ।

१२—जमानत

साधारण प्रतिवाद

१—प्रतिवादी ने वादी की वयान की हुई जमानत नहीं की या कोई जमानत नहीं की ।

२—वह लेख जिस पर वादी जमानत होने का भरोसा करता है प्रतिवादी ने नहीं लिखा या कि वादी की वयान की हुई या कोई जमानत नहीं की ।

३—वादी ने असल देनदार को मुआहिदा करके जिम्मेदारी में बरी कर दिया (धारा १३४ अनुबन्ध विधान—कानून मुआहिदा) ।

४—वादी ने यह... ..काम किया या यह.....काम नहीं किया जिसके करने या न करने से (जैसी दशा हो) असल देनदार (मद्यून) अपनी जिम्मेदारी में मुक्त हो गया । (धारा १३४ कानून मुआहिदा)

५—वादी ने प्रतिवादी की बिना अनुमति लिये असली देनदार से पैसला कर लिया—

या उसको मुहलत देने या उस पर दावा न करने का उससे इकरार कर लिया (दफा १३५ कानून मुआहिदा) ।

६—वादी ने ऐसा कार्य किया (यहाँ पर वह लिखना चाहिये जिसको वादी ने जामिन प्रतिवादी के हक के खिलाफ किया या ऐसा काम नहीं किया जो जामिन प्रतिवादी के हक की रक्षा के लिये उसको करना चाहिये था) और उसके कारण जामिन प्रतिवादी का असल देनदार के खिलाफ चाराकार जाता रहा । (धारा १३६ कानून मुआहिदा)

७—प्रतिवादी ने ता० . . . के नोटिस में आगे के मामलो की वावत अपनी जमानत वापिस लेली (धारा १३० कानून मुआहिदा) ।

८—यदि जमानत की प्रतिज्ञा वापिस हो सकती हो तो प्रतिवादी कह सकता है कि उसने वादी के कर्जदार के साथ मुआमला करने में पहिले जमानत ता०.....को नोटिस के द्वारा या अन्य प्रकार से वापिस ले ली ।

* (१) जामिन के ऊपर मुकदमे में प्रतिवाद जब कि अदायगी का विरोध हो

१—यह कि कुल रूपया ...जिसकी जमानत प्रतिवादी ने की थी वाद स्थापित होने से पहिले अदा कर दिया गया ।

नोट —यह नमूना परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ) भाग ४ व्यवहार विधि सग्रह का नमूना न० ३ है ।

२—यह कि प्रतिवादी को वादी ने जिम्मेदारी से छोड़ दिया और असल देनदार को ता० की नहररी से मुहलत दे दी ।

(२) जमानत से इनकार करने पर

(वाद-पत्र पद १२ न० ३ का प्रतिवाद पत्र)

प्रतिवादी का निवेदन है—

१—धारा न० १ अर्जीदावा मे लिखी हुई या और कोई जमानत प्रतिवादी ने, रामलाल की नहीं की ।

२—प्रतिवादी ने वादी को रामलाल के सभ्य और माननीय पुरुष होने के बारे मे एक शिफारसी पत्र लिख दिया था परन्तु उसमे प्रतिवादी ने अपने ऊपर जमानत की तरह पर कोई उत्तरदायित्व नहीं लिया था ।

३—वादी ने उस चिठी के ऊपर रामलाल को उस समय या उसके कई महीने वाद तक कोई माल नहीं दिया और वह चिठी बेकार रही ।

४—वादी ने उस चिठी के बहुत दिनों वाद वह माल जिसका कि वर्णन धारा न० १ अर्जीदावे मे किया गया है अपने स्वय उत्तरदायित्व पर रामलाल को दिया । उसके बारे में प्रतिवादी ने कोई जमानत नहीं की ।

५—प्रतिवादी दावे के रुपये का देनदार वादी को नहीं है ।

(३) वेशकी और जुम्मेदार न होने का विरोध होने पर

(वाद-पत्र पद १२ न० ४ का प्रतिउत्तर)

मुदायलह का बयान इस प्रकार है—

१—मुद्दई के यहाँ अहमदउल्ला ६ मास तक नौकर रहा और उसने नौकरी छोड़ते वक्त कुल हिसाब वादी को समझा दिया और जो कुछ रुपया मुद्दई का उसके पास क्लर्क की हैसियत से था, मुद्दई को सुर्पद कर दिया ।

२—यदि अहमदउल्ला ने जमानत नामे के शर्तो की बमूजिब कुल रकमें जो क्लर्क की हैसियत से उसके पास थी वादी को हवाला नहीं की या माहवारी हिसाब मुद्दई को नहीं समझाया तो प्रतिवादी निवेदन करता है कि अहमद उल्ला ने वेईमानी और गवन किया और यह वेईमानी और गवन एक महीने के वाद वादी के इल्म और इत्तला मे हुआ । अर्जीदावे के फिकरा न० ३ में लिखी हुई सब रकमें इसी तरह की हैं ।

३—वादी ने अहमदउल्ला की वेईमानी और गवन का इल्म और इत्तला होने पर भी उसको मौकूफ नहीं किया ।

४—वादी ने अहमदउल्ला की बेईमानी और गवर्न की कोई सूचना प्रतिवादी को नहीं दी और प्रतिवादी की बिना रजामन्दी उसको ६ महीना तक नौकर रक्वा ।

५ मुद्दे ने ऊपर लिखे काम जो उसको प्रतिवादी जामिन के हक की हिफाजत के लिये करता था (या न करना चाहिये थं नहीं किये या किये) । प्रतिवादी अपनी जिम्मेदारी मे इस लिये झुटकाग पा गया ।

१३—प्रतिज्ञा भंग होने पर

साधारण प्रतिवाद

१—प्रतिवादी ने वादी से उमकी बयान की हुई या अन्य कोई प्रतिज्ञा नहीं की या कि प्रतिवादी के वादी के बयान किये हुए या किसी और अनुबन्ध में इनकार है ।

२—प्रतिवादी को प्रतिज्ञा भंगना स्वीकार है परन्तु वादी की बयान की हुई शर्तें स्वीकार नहीं हैं दोनो पक्षों की प्रतिज्ञाएँ यह थीं —

(यहाँ पर असली शर्तें लिखनी चाहिये और उनकी वाचत यदि कोई लेख लिखा गया हो तो उसका सर्दभ (हवाला) दिया जावे) ।

३—पक्षों के मध्य में कोई पक्की प्रतिज्ञा नहीं हुई या वादी का दिखाया हुआ मुआहिदा इस कारण से पूरा नहीं हुआ ।

। यहाँ पर वह कारण जिससे प्रतिज्ञा अधूरी रही हो, विवरण में लिखी जावे, जैसे किसी व्यक्ति की मंजूरी या सम्मति आवश्यक थी वह नहीं हुई, या कि उसका स्टाम्प पर लिखना ठहरा था या उसके सम्बन्ध में कोई रुपया देना या अन्य कोई काम करना किसी मियाद के अन्दर ठहरा था और वह नहीं हुआ) ।

४—वादी का बयान किया हुआ मुआहिदा न्यायानुसार अवैध और बेकार या कानून से पूरा होने के लायक नहीं है (ऐसी घटनाएँ जिनसे यह प्रकट हो सके कि क्या कानून से ऐसा मुआहिदा वर्जित है लिखी जावे और अनुबन्ध विधान के हवाले से आपत्ति की जावे) ।

५—प्रतिवादी ने मुआहिदे को जैसा ठहरा था पूरा कर दिया, या कि ठहरा हुआ काम प्रतिवादी ने आप कर दिया, या कि दूसरे आदमी से करा दिया और वादी ने उसके मुआहिदे के पूरा और बेबाक होने में मजूर कर लिया ।

६—वादी ने प्रधान या मुख्य शर्तें (जो कुछ शर्तें हो तफसील के साथ साफ लिखी जावे) पूरी नहीं की जो प्रतिज्ञाओं को बन्धन युक्त और प्रचलित करने के लिये आवश्यक थी ।

७—वादी ने स्वयं प्रतिज्ञा भंग की (वादी ने जो कुछ किया हो वह लिखा जावे) ।

८—प्रतिवादी दैवीकारण या शाही लडाई (या जो कुछ कारण हो जिससे वह कानूनी जुम्मेदारी से छूट सकता हो) से प्रतिज्ञा को पूर्ण या उसकी शर्त को पूरा नहीं कर सका ।

९—हर्जा जो मॉगा गया है गलत है या वादी उसके पाने का स्वत्व नहीं रखता, (जो कुछ वजह हो वह लिखी जावे जैसे कि वायदे की मित्री का भाव नहीं लगाया गया या कि वादी ने हानि दूर या कम करने की कोशिश नहीं की जो विधानानुसार उसको करना चाहिये थी या कि हर्जा प्रतिवादी के काम का फल नहीं है इत्यादि) ।

(१) वादपत्र पद १३ न० ३ का प्रतिवाद-पत्र

जब आपत्ति इनकारी अन्यथा

वेवाकी की हो

प्रतिवादी का त्रयान निम्नलिखित है—

१—प्रतिवादी इनकार करता है कि उसने वादपत्र में लिखी हुई तिथि या किसी दूसरी तिथि को वादी को १०० बोरे आटे या किसी बोरी आटे का वादपत्र में दी हुई तारीख या किसी और तारीख पर हवाले करने और उनकी वावत.....रुपये या कोई और रकम लेने की प्रतिज्ञा की ।

२—अन्यथा प्रतिवादी निवेदन करता है कि ता०.....को दोनों पक्षों में सुलह होकर यह करार पाया कि प्रतिवादी दावे व खर्चों की वेवाकी में वादी को.....रु० अदा करे और प्रतिवादी ने यह रुपये वादी को अदा कर दिया और उसने उस रुपये को दावे और खर्चों की वेवाकी में स्वीकार कर लिया ।

(२) पूर्ण प्रतिज्ञा न होने की आपत्ति होने पर

(पद १३ वादपत्र न० ४ का प्रतिवाद-पत्र)

१—दोनों पक्षों के बीच में कोई पूर्ण अनुबन्ध नहीं हुआ—वादी की ओर से दलाल के मारफत अकुआ रुई की खरीद के लिए संदेशा इस शर्त पर मिला था कि वादी प्रतिवादी से १५१ मन रुई २३) रु० प्रति मन के हिसाब से वैसाख सुदी १ संवत् १६६६ से लेकर जेष्ठ सुदी १५ संवत् १६६६ तक तुलवा लेगा और जितना भी माल तुलता जावेगा उसकी कीमत वादी उसी वक्त अदा करता जावेगा और दोनों पक्ष ढाई २ सौ रुपया मदन मोहन या.....के पास जमा कर दे जो किसी फरीक के वायदा तोड़ने पर दूसरे फरीक को हर्जा के रूप में दे दिया जावे ।

२—वादी ने यह २५०) रु० मदन मोहन के पास जमा नहीं किया और इसलिये पूरा मुआहिदा नहीं होने पाया ।

३—यदि यह व्यवहार पूर्णतया मान भी लिया जाय तो प्रतिवादी निवेदन करता कि वह वादी की ओर से पहिली शर्त पूरी न होने से रह हो गया ।

४—यह व्यवहार जुआ की तरह था और अनुबंध विधान (Contract Act) की धारा ३० के अनुसार प्रभावहीन और प्रचार के अयोग्य है ।

५—रुई का भाव वैशाख सुदी १ और जेष्ठ सुदी १५ सवत १९९६ के बीच में २३) ६० प्रति मन से कम रहा और वादी की कोई हानि नहीं हुई ।

६—वयाने का १००) ६० वादी अपने आप मुआहिदा तोड़ने की वजह से पाने का अधिकारी नहीं है ।

१४—प्रिन्सिपेल और एजेन्ट

साधारण प्रतिउत्तर

१—दोनों पक्षों में प्रिन्सिपेल और एजेन्ट का सम्बन्ध नहीं था ।

या कि वादी, प्रतिवादी का या प्रतिवादी, वादी का (जैसी परिस्थिति हो) एजेन्ट नहीं था ।

या कि प्रतिवादी ने वादी को या वादी ने प्रतिवादी को एजेन्ट नहीं रक्खा ।

२—प्रतिवादी को वादी का या वादी को प्रतिवादी का (जैसी रिस्थिति हो) वादी की वयान की हुई शर्तों पर एजेन्ट होना स्वीकार नहीं है । दोनों पक्षों की नियत की हुई असली शर्तें यह थी :—

(यहाँ पर एजेन्सी की शर्तें, स्पष्ट रूप से और विवरण सहित लिखी जावे, और यदि उनकी वाजत कोई लिखा पढ़ी या पत्र व्यवहार हुआ हो तो उसका उल्लेख किया जावे और यदि किसी विशेष शब्द या वाक्यों का लिखना आवश्यक हो तो वह भी लिखा जावे) ।

३—प्रतिवादी ने एजेन्सी की शर्तों के अनुसार काम किया । वादी जो शर्तों के विरुद्ध काम करना वयान करता है उससे इनकार है, (जैसे माल आदेश के अनुसार खरीदा व बेचा था हिसाब जैसे ठहरा था वैसे समझा दिया और रोकड़ व दस्तावेज या दूसरा माल सँवार दिया या तनखाह या कमीशन ठहरा हुआ दे दिया) ।

४—वादी ने एजेन्सी की शर्तों को पूरा नहीं किया और इससे प्रतिवादी का इतने रुपये (संख्या लिखो) का हर्जा और नुकसान हुआ ।

(यहाँ पर वादी के शर्तों के तोड़ने और हर्जे इत्यादि की घटनाएँ विवरण सहित लिखी जानी चाहिये) ।

५—दोनों पक्षों का ठीक २ हिसाब कर दिया जावे और जो एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के ऊपर निकले उसकी डिग्री उत्तरदायी पक्षकार के ऊपर कर दी जावे ।

(१) प्रतिवाद-पत्र पद १४ नमूना न० १ का, जब
कि हिसाब समझा देने व वेवाकी की आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा न० १ स्वीकार है ।

२—धारा न० २ में एजेन्सी का काल स्वीकार है लेकिन यह स्वीकार नहीं है कि वादी को माल की बिक्री और वसूलयात्री ठीक २ मालूम नहीं है । प्रतिवादी वादी के पास बिक्री और वसूलयात्री का हिसाब हर महीने भेजता रहा और वादी उन हिसाबों को देख कर तरह-२ के आदेश प्रतिवादी को देता रहा ।

३—धारा न० ३ से प्रतिवादी को इनकार है । प्रतिवादी ने एजेन्सी समाप्त होने के समय वादी को कुल हिसाब समझा दिया और जो कुछ ताले व रोकड़ प्रतिवादी के पास थी वह वादी के हवाले कर दी । वादी के लड़के रामप्रसाद के हाथ की लिखी हुई और उसके स्वयं हस्ताक्षर की हुई रसीद पेश की जाती है ।

४—धारा न० ४ से ६ तक सबसे और प्रत्येक से प्रतिवादी को इनकार है और वादी की प्रार्थना प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है । प्रतिवादी अब वादी को किसी प्रकार का हिसाब समझाने का जुम्मेवार नहीं है और न उसके ऊपर वादी का कोई रुपया चाहिये ।

(२) वाद-पत्र पद १४ नमूना न० ७ का प्रतिवाद-पत्र
जब आपत्ति सहमति व वेवाकी की हो

१—वादपत्र की १ से ५ तक धारा स्वीकार हैं ।

२—धारा न० ६ व ७ से प्रतिवादी को बिल्कुल इनकार है । वादियों की सहमति से खत्तियों बाजार भाव से १७ जनवरी सन् १९२१ ई० को बेच दी गई थी ।

३—खत्तियों हानि से बिक्री, हिसाब से जो प्रतिवाद-पत्र के साथ दाखिल किया जाता है वादियों का प्रतिवादी के ऊपर कोई रुपया बाकी नहीं निकलता । वादी कोई रुपया या सूद पाने के अधिकारी नहीं हैं । आपस में सूद की दर ॥) आने मासिक ठहरी थी ।

४—धारा न० ८ व ९ प्रतिवादी को स्वीकार नहीं हैं ।

५—यह दावा अनुचित है और वादी के सम्बन्धी सुन्दर लाल के मेल से दायर हुआ है । यह सुन्दर लाल अदालत से दूकान का वही खाता और रुपया शायब करने के अपराध में दंड भागी हो चुका है ।

१५—अपना स्वत्व बचाने के लिये दूसरे के जुम्मेदारी की अदायगी

साधारण प्रतिउत्तर

१—यह कि वादी ने भगड़े वाली अदायगी नहीं की ।

२—प्रतिवादी भगड़े को रकम का देनदार नहीं था, या कि ।

प्रतिवादी अपने जुम्मे का मतालना वादी की बयान की हुई तारीख अदायगी से पहिले दे चुका था ।

३—यह कि वह अदायगी, वादी ने अपने आप अपना हिस्सा या स्वत्व प्रमाणित या कायम करने के लिये की ।

४—प्रतिवादी को इस अदायगी से कोई लाभ नहीं पहुँचा ।

५—मॉगे हुए रुपये की संख्या या उसका हिसाब गलत है ।

६—सूद अनुचित या अधिक लगाया गया है ।

७—प्रतिवादी वादी के दावे का कुल रुपया या कुछ मतालना अदा कर चुका है ।

(१) वाद-पत्र पद १५ नमूना न० १ का प्रतिवाद पत्र

जब अदायगी और बेबाकी की आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा न० १ स्वीकार है ।

२—वाद पत्र की धारा न० २ से इनकार है । वादी ने इकरारनामे की शर्तों के विरुद्ध ३४ मन धनियाँ (१३६) रु० का और ४१ मन सौफ (२०५) रु० की, जो सामे की वादी के अधिकार में थी, प्रतिवादी को नहीं दी और सामे के कारखाने का सामान, जिसका विवरण इस प्रतिवाद पत्र के साथ दिया गया है, (१६८) रु० का वादी ले गया ।

३—धारा न० ३ स्वीकार है ।

४—धारा न० ४ स्वीकार नहीं है । वादी के पास ऊपर लिखी धारा न० २ के अनुसार ५३०) रु० का माल और सामान रहा और केवल ४८६) रु० सामे की डिग्री का उसने अदा किया । इकरारनामे की शर्त के अनुसार सामे के सामान का मूल्य तक के लिये, जो वादी के पास रहा, उसको दावा करने का अधिकार नहीं है । जो मतालना वादी चाहता है वह बेबाक हो चुका है ।

(२) प्रतिवादपत्र पद १५ नमूना न० ३ का
जब जुम्मेदारी का भगड़ा हो

१—ठेकेनाम ता०..... महीना .. सन् . . . के द्वारा वादी और प्रतिवादी बराबर भाग के ठेकेदार थे । वादी का यह बयान कि अकेला प्रतिवादी ठेकेदार था और वादी ठेका लिखने में केवल इस लिये सम्मिलित हुआ कि ठेके के रुपये की अदायगी का विश्वास हो जावे सही नहीं है ।

२—ठेके के वर्षों में वादी और प्रतिवादी दोनों ने ठेके वाली सम्पत्ति का लगान प्राप्त किया । प्रतिवादी ने अपने हिस्से के लाभ की सख्या तक लगान प्राप्त किया बाकी लगान वादी ने वसूल किया और जमींदार के ठेके का रुपया अदा नहीं किया ।

३—जमींदार के ठेके के रुपये का देनदार जिसकी डिग्री सादिर हुई वादी था । उसके विषय में कोई मतलब प्रतिवादी पर बाजिब नहीं है ।

४—प्रतिवादी इस बात पर भी सहमत है कि दोनों पक्षों के बीच लगान की वसूल्याची और ठेके के रुपये की अदायगी का हिसाब करा दिया जावे और हिसाब से जो रुपया एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के जुम्मे निकले उसकी डिग्री पाने वाले के अधिकार में कर दी जावे ।

१६—रसदी

(Contribution)

साधारण प्रतिउत्तर

१—नालिश के रुपये की अदा करने की कोई सयुक्त जुम्मेदारी वादी और प्रतिवादी की नहीं थी ।

२—प्रतिवादी दावे के रुपये का देनदार नहीं था ।

या कि अकेला वादी ही उस रुपये के अदा करने का उत्तरदायी था ।

३—वादी ने वह रुपया अदा नहीं किया ।

४—वादी को रुपया अदा करने की कोई मजबूरी नहीं थी । उसने रुपया अपनी खुशी से अदा किया ।

या उसने अपने आप अपना कब्जा या अधिकार प्रमाणित करने के लिये रुपया अदा किया ।

५—वादी ने किराया या लगान या लाभ (या कोई अन्य मतालना जिसके कारण दावे का रुपया अदा करने की जिम्मेदारी पैदा होती है,) वसूल किया और उससे दावे का कुल रुपया या उसका भाग वेनाक हो गया या प्रतिवादी का वादी के ऊपर और अधिक रुपया निकलता है ।

६—प्रतिवादी ने अपने हिस्से का रुपया वादी को (या और किसी तरह पर) अदा और वेनाक कर दिया ।

७ - दावे के रुपये का हिसाब इस भाँति है

(यहाँ पर ठीक हिसाब और मतालना लिखा जावे) ।

८—प्रतिवादी सूद का देनदार नहीं है क्योंकि:—

(यहाँ पर सूद की जिम्मेदारी से बचने का कारण लिखना चाहिये) ।

(१) प्रति उत्तर, वादपत्र पद १६ न० २ का, जब कि उत्तरदायित्व की संख्या और अदायगी की आपत्ति हो

१—वादपत्र की धारा १ स्वीकार है ।

२—वादपत्र की धारा २ स्वीकार नहीं है । दोनों पक्ष ने ऋण का रुपया आधा २ लिया था और आधे २ ऋण व व्याज के देनदार दोनों पक्ष थे ।

३—वादपत्र की धारा न० ३ सही नहीं है । दोनों पक्षों ने २००) ६० साफे के कारोबार की आय से अदा किये थे और उसकी रसीद दोनों के नाम से दी गई थी जो इस प्रतिवाद पत्र के साथ पेश की जाती है ।

४—वादपत्र की धारा ४ स्वीकार है ।

५—वादपत्र की धारा ५ में रुपये की संख्या ठीक नहीं है और सूद देने के उत्तरदायित्व से इनकार है । प्रतिवादी के ऊपर केवल.... रुपये चाहिये जो उम्मेद वादी को देना चाहा और नोटिस भी दिया लेकिन वादी ने नहीं लिया । यह रुपया अदालत में दाखिल किया जाता है ।

६—जितना रुपया प्रतिवादी स्वीकार करता है उससे अधिक के सम्बन्ध में उपशमन से इनकार है ।

७—वादी, प्रतिवादी के खर्चा का देनदार है ।

(२) प्रतिवाद-पत्र, वादपत्र पद १६ न० ४ का, जब कुर्की मौजूद न होने की आपत्ति हो

१—वादी की डिग्री में नीलाम के समय कोई कुर्की कायम नहीं थी । डिग्री की इजराय खारिज हो कर कुर्की छूट चुकी थी ।

२—प्रतिवादी ने नीलाम का कुल रूपया उचित रूप से बसूल किया। उसमे से वादी किसी हिस्से के पाने का अधिकारी नहीं है।

३—वादपत्र मे लिखा हुआ हिसाब प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है और व्याज की देनदारी से विलकुल इनकार है।

१७—फरेब (प्रपन्च) और धोखा

(१) वाद-पत्र पद १७ न० ३ का प्रतिवादपत्र, इन्तकाल लेने वाले की ओर से जब कि नेकनीयती और घोखे की खबर न होने की आपत्ति हो

[नोट—‘धोखा या फरेब के रूप रङ्ग प्रत्येक मुकदमे मे भिन्न भिन्न होते हैं इसलिये अन्य घटनाओं की इन्कारी या स्वीकारी पर भी धोखे का ज्ञान न होना लिखना चाहिये ।]

१—वाद-पत्र की धारा न० १ से ३ तक का कोई सम्बन्ध उत्तरदाता प्रतिवादी से नहीं है। वह उनको स्वीकार नहीं करता।

२—धारा न० ४ उत्तरदाता प्रतिवादी को एक सन्दूक चाय प्रतिवादी रामलाल से मोल लेना स्वीकार है। परन्तु इससे विलकुल इनकार है कि प्रतिवादी को वादपत्र की धारा न० १ मे लिखे हुए बयान या रामलाल के दूसरे किसी बयान के भूँठ होने का ज्ञान था।

३—उत्तरदाता प्रतिवादी ने चाय नेकनीयती से मामूली व्यौपार मे बाजार भाव से... ..रुपये मे राम लाल से खरीद की और कीमत अदा की। उस समय उसको रामलाल के वादी से या किसी और आदमी से उस माल की वास्तु भूँठ बयान करना विलकुल ज्ञात नहीं था।

४—उत्तर दाता के कब्जे से माल दिलाये जाने की प्रार्थना विधान विरुद्ध है। वादी को इस प्रकार का कोई स्वत्व नहीं है और वादी की कोई हानि उत्तरदाता प्रतिवादी के किसी काम करने से नहीं हुई।

१८—चल सम्पत्ति

(१) वादपत्र पद १८ न० ३ का प्रतिवाद-पत्र जब कि वादी के मालिक होने और माऊ हवाला करने से इनकार हो

१—ता०को जो चित्र (तस्वीर) प्रतिवादी को सावधानी में रखने को दिया गया था, वह शिवकुमार ने ठिया था और उमने अपने आपको उसका स्वामी बतलाया था ।

२—प्रतिवादी को, वादी का उम चित्र का मालिक होना स्वीकार नहीं है ।

३—प्रतिवादी को इस बात से इनकार है कि चित्र सावधानी से रखने के लिये वादी ने प्रतिवादी के सुपुर्द कराया ।

४—शिवकुमार और वादी दोनों उक्त चित्र को प्रतिवादी से माँगते हैं । प्रतिवादी चित्र को उस पुरुष को दिये जाने के लिये अदालत में दाखिल करता है जो उसका अधिकारी हो ।

५—प्रतिवादी को... ..६० चित्र को सावधानी से रखने और प्रतिउत्तर का खर्चा, उस मनुष्य से दिलाया जावे जो चित्र का अधिकारी निर्णीत किया जावे ।

६—वादपत्र की धारा न० ४ के बयान सही नहीं हैं और प्रतिवादी उनसे इनकार करता है ।

१६—साभा या शराकत

साधारण प्रतिउत्तर

१—वादी और प्रतिवादी के मध्य में वादी की बयान की हुई शराकत या और कोई साभा नहीं था ।

२—प्रतिवादी को वादी की बयान की हुई शराकत से त्रिकुल इनकार है । जो साभा दोनो पक्षों में हुआ था वह ता० ...क कायम हुआ या दतनी अवधि या साल तक कायम रहा और उसकी शर्तें यह थी :—

(कुल शर्तें घटनाओं के साथ लिखी जावें और यदि कोई लिखा पढी या पत्र व्यवहार उसके सम्बन्ध में हुआ हो तो उसका भी उल्लेख किया जावे)

३—साभे में (अ—ब) व (क—ख) इत्यादि साभी थे जिनको वादी ने हिस्सेदार प्रगट नहीं किया ।

या कि (स—र) व (ल - य) इत्यादि साभी नहीं थे जिनको वादी साभी बयान करता है ।

४—हिस्सेदारों के हिस्से की संख्या वादी ने सही बयान नहीं की । हिस्से की ठीक संख्या यह थी—

(यहाँ पर हिस्से का विवरण लिखा जावे) ।

५—ता० ...को साभा टूट चुका था ।

या ता० ...को टूट गया (किसी हिस्सेदार के मरने या दिवालिया (इनसाल-वेंट) हो जाने की वजह से या हिस्सेदारों की सहमति से या जो कुछ कारण हो लिखा जावे) ।

६—साभे का हिसाब हिस्सेदारों में समझ कर तय हो गया । अब कोई हिसाब बाकी नहीं है ।

७—प्रतिवादी को साभा तोड़ने में या हिसाब समझे जाने में कोई इनकार नहीं है ।

८—वादी ने साभे की शर्तों के विरुद्ध काम किया जिससे साभे के कारोबार को हानि पहुँची, वादी उसका जुम्मेदार है ।

९—वादी हिसाब समझाने का जुम्मेदार है और उसके कब्जे में साभे का बहीखाता या रोकड़ या दोनो रहते थे, या हैं ।

१०—प्रतिवादी कुल साभियों की सहमति से ता० ...के इकरारनामे के द्वारा (या अन्य प्रकार से जैसी हालत हो) हिसाब समझने के बाद अपना हिस्सा लेकर (या अपने हिस्से की जुम्मेवारी के ... रुपये देकर) पृथक हो गया । इकरार नामे की तारीख से प्रतिवादी का साभे से कोई सम्बन्ध नहीं रहा ।

(१) वाद-पत्र पद १९ न० ४ का प्रतिवाद-पत्र, जब कि साभे की शर्तों के सम्बन्ध में झगड़ा हो

१—वाद पत्र की धारा १ स्वीकार है ।

२—वाद पत्र की धारा २ स्वीकार है ।

३—वाद पत्र की धारा ३ में यह शब्द “हिस्सेदारों के मजूर किये हुये” स्वीकार नहीं है बाकी स्वीकार है ।

४—वाद पत्र की धारा ४ स्वीकार है ।

५—वाद पत्र की धारा ५ में लाला महावीर प्रसाद मैनेजर का देवालिया करार दिया जाना स्वीकार है ।

६—वाद पत्र की धारा ६ में मैनेजर के भाग का नीलाम और प्रतिवादी नम्बर १ का खरीदना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है ।

७—वाद पत्र की धारा ७ से ११ तक प्रत्येक से और सबसे, उपशमन सहित स्वीकार नहीं हैं ।

अतिरिक्त आपत्तियाँ

८—ता० ६ जुलाई सन् १९३५ ई० के इकरारनामे में यह शर्त है कि जिस समय तक साभे का कारखाना स्थापित रहे किसी साभेदार का साभे से पृथक होने का अधिकार न होगा । और यह भी शर्त है कि किसी समय किसी साभेदार या उसके स्थानापन्न को अपना हिस्सा अलग या बटवारा कराने का अधिकार न होगा और जब कोई हिस्सेदार दिवालिया करार दिया जावे तो उसके हिस्से का खरीदार हिस्सेदार मान लिया जावेगा और साभा स्थापित रहेगा । ऊपर लिखी शर्तों के विरुद्ध यह दावा नहीं चल सकता ।

९—वादी का यह बयान कि महावीर प्रसाद के दिवालिया हो जाने से साभा टूट गया सही नहीं है ।

१०—उत्तर दाता प्रतिवादी महावीर प्रसाद, जयशकर और सागरमल्ल के हिस्सों का खरीदार है और उसने उचित रूप से कारखाने पर अधिकार प्राप्त किया है ।

११—उत्तरदाता प्रतिवादी महावीर प्रसाद मैनेजर का स्थानापन्न है और इकरारनामे की शर्तों के अनुसार साभे के कारखाने का मैनेजर है ।

१२—दखल लेते समय उत्तरदाता प्रतिवादी के अधिकार में कोई पहिला बहीखाता नहीं आया और उस समय कारखाने की बहुत रद्दी हालत थी और बहुत सा सामान व कल इत्यादि पुरानी और खराब थी और कुछ सामान व कल इत्यादि उपस्थित नहीं था । प्रतिवादी ने लगभग ८०००) रु० लगा कर जिसका हिसाब पेश किया जाता है कारखाने को चालू किया है ।

१३—वादी का बयान कि कारखाने के सामान को विक्रय कर उसका रुपया प्रतिवादी ने अपने काम में लगा लिया है, झूठ है।

१४—वादी कोई उपशमन पाने का अधिकारी नहीं है।

१५—हर दशा में उत्तरदाता प्रतिवादी अपनी लागत का रुपया पाने का अधिकारी है।

१६—वादी का भाग केवल देा आने का है। साभा तोड़ने से कारखाना विल्कुल बेकार हो जायगा और उसका बटवारा किसी तरह नहीं हो सकता। साभा तोड़ने की दशा में कारखाने का नीलाम होना चाहिये।

(२) वाद-पत्र १९ न० ५ का प्रतिवादपत्र, जब दूसरे साभी होने और वसीयत हो जाने की आपत्ति हो

प्रतिवादी का प्रतिउत्तर इस प्रकार है—

१—भगड़े वाली दूकान जीवाराम कड़ेरमल में जीवाराम, कड़ेरमल, गुलाबराय और रघुवर दयाल एक २ चौथाई के साभी थे। वादी का यह बयान कि जीवाराम और कड़ेरमल आधे २ के साभी थे झूठ है।

२—कड़ेरमल ने मरने समय यह वसीयत की कि उसके भाग की जो कुछ पूँजी हिसाब से निकले उससे एक धर्मशाला और कुँआ, बगीचा और प्याऊ बना दी जावे और उसके पूरा करने के लिये अपने भाँजे ख्याली राम और श्यामलाल वल्द मोहन लाल ब्राह्मण को कार्यकर्ता (मुहत्तमि) नियत किया।

३—उक्त वसीयत के अनुसार कड़ेरमल के भाग की, साभे की रकम जो हिसाब से निकली कार्यकर्ताओं के सुपुर्द कर दी गई। वह लोग कुँआ बना रहे हैं और दूसरे काम वसीयत के अनुसार करने के हैं।

४—प्रतिवादियों को वादी का कड़ेरमल का तयेग (ताथाजाद) भाई और उसका उत्तराधिकारी होना स्वीकार नहीं है।

५—वादी साभा तुड़वाने और हिसाब समझने का अधिकार नहीं रखता और न उसके कोई पूँजी पाने का अधिकार है।

६—वादी साभे की दूकान पर १५) ६० महीने का नौकर था और कड़ेरमल वी मृत्यु के पीछे तक नौकर रहा। उसने कभी प्रगट नहीं किया कि वह कड़ेरमल का उत्तराधिकारी और मालिक है और अपने अकार्यता (तर्क फैल) से प्रतिवादी के वसीयत के अनुसार काम करने पर रुझान दिलाया। वादी का दावा रोक वाद (Estoppel) से वर्जित है।

२०—मालिक व किरायेदार

साधारण प्रति उत्तर

(थ) किरायेदार की ओर से

१—पट्टे की अवधि समाप्त नहीं हुई या कि वह घटना जो किरायेदारी समाप्त होने के लिये आवश्यक थी, नहीं हुई ।

२— प्रतिवादी ता०.....महीना.....सन्.....से सम्पत्ति का स्वामी हो गया । या कि वादी सम्पत्ति का स्वामी नहीं रहा (कुल घटनाएं विवरण सहित क्रमानुसार लिखी जावे) ।

३—प्रतिवादी ने ता०... . को गृह को वादी की सहमति से खाली कर दिया और वादी ने उस पर अधिकार कर लिया ।

४—प्रतिवादी ने पट्टे की शर्तों के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कोई वेदखली आवश्यक होती हो ।

५—प्रतिवादी ने वादी की मिलकियत से इनकार नहीं किया और न किसी तीसरे आदमी को मालिक प्रगट किया और न वादी ने नालिश दायर करने से पहिले कोई ऐसा कार्य किया जिससे उसका अभिप्राय किरायेदारी समाप्त करने का प्रगट होता हो ।

६—वादी ने जायदाद खाली करने का कोई नोटिस प्रतिवादी को नहीं दिया ।

७—खाली करने का नोटिस कानून के विरुद्ध था (नोटिस की त्रुटि स्पष्ट रूप से लिखी जावे जैसे नोटिस की अवधि तारीख खतम किरायेदारी पर समाप्त न होती हो या नोटिस अवधि विधान से कम दिन की अवधि का हो, इत्यादि) ।

८—किरायेदारी के बीच में या उसके समाप्त होने पर, या नोटिस की अवधि के बीच में या उसके खतम होने पर वादी ने अपने वेदखली के हक से दस्तब्रदारी करदी ।

या नया मुआहिदा दोनों पक्षों में हो गया और पुरानी किरायेदारी कायम रही या नई किरायेदारी पैदा (जैसी परिस्थित हो) ता०.....से हो गई और अब तक चल रही है । (इस सम्बन्ध में सम्पत्ति परिवर्तन विधान—एक्ट ४ स० १८८२—की धारा १०६, १११, ११२, ११३ का ध्यान रखना चाहिये) ।

९—प्रतिवादी वह किराया जिसका दावा है या उसका कोई भाग वादी को (या वादी के कारिन्दे या एजेन्ट को) जो वसूल करने का अधिकार रखता था, अदा कर चुका है ।

१०—किराये की दर गलत है असली किराये की दर,.....रूपये मासिक थी ।

११—प्रतिवादी को पट्टे वाली जायदाद पर कब्जा नहीं मिला ।

या ता०.....को वादी ने या (क—ख) असली मालिक ने प्रतिवादी को वेदखल कर दिया । वेदखली के दिनों के किराये का देनदार प्रतिवादी नहीं है

१२—किरायेदारी के दिनों में प्रतिवादी वह सब काम करता रहा जो किरायेदार की हेसियत से उसके करना चाहिये थे —

(जैसे किरायेदारी के दिनों में मरम्मत कराता रहा और जायदाद को रहने के योग्य बनाये रक्खा और उसका उपयोग ठीक और उचित रूप से किया) ।

१३—प्रतिवादी ने वह कार्य नहीं किये जिनकी वादी शिकायत करता है

याकि पट्टे की शर्तों के अनुसार प्रतिवादी को उनके करने का अधिकार था ।

१४— प्रतिवादी देनदार किराये या उसके भाग का जो वादी माँगता है, या देनदार हर्जा या उसके भाग का जो वादी चाहता है, नहीं है या उसकी संख्या गलत या अधिक है ।

१५—यदि कोई विशेष कानून लागू होता हो जैसे सयुक्त प्रान्त में (U. P. Rent control and Eviction Act तो उसके अनुसार आपत्तियों की जावे ।

(१) मालिक की ओर से

१—पट्टा देने के समय प्रतिवादी पट्टे देने का अधिकारी नहीं था ।

२—प्रतिवादी ने वादी को वेदखल नहीं किया ।

३—वेदखल करने के समय किरायेदारी समाप्त हो चुकी थी—

या इस कारण से कि (कारण लिखा जावे) वादी को कब्जा रखने का अधिकार नहीं रहा था ।

४—प्रतिवादी ने पट्टे की शर्तों को भंग नहीं किया या उनके विरुद्ध कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया ।

(२) प्रतिवाद पत्र पद २० न० ५ का, जब वादी की मिलकीयत से इनकार हो और वास्तविक स्वामी को किराया अदा करने की आपत्ति हो

प्रतिवादी का बयान इस प्रकार है—

१—वाट पत्र की धारा न० १ में दूकान वादी की होने में इनकार है । वह दूकान के मालिक नहीं हैं । वाकी स्वीकार है ।

२—उक्त दूकान रामलाल की मिलकीयत उसके पुरखों के समय से चली आती है और प्रतिवादी रामलाल और उसके पुरखों की ओर से उसमें किरायेदारी पर १५ वर्ष से रहता चला आता है ।

३—धारा न० २ में किराये नामे का लिखना स्वीकार है लेकिन वह वादी के नाम रामलाल के संरक्षक होने की हैसियत से लिखा गया जो उस समय अव्यस्क था और वादी उसके सर्टीफिकेट प्राप्त सरक्षक थे ।

४—धारा न० ३ वादपत्र में किमी किराये के बाकी होने से इनकार है प्रतिवादी हर महीने किराया रामलाल को, जो बहुत दिनों से व्यस्क है अदा करता है । रसीद किराया साथ नत्थी है ।

(३) प्रतिवाद पत्र पद २० न० ७ का, जब अदायगा और नोटिस अनुचित होने की आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा १ और २ स्वीकार हैं ।

२—वाद पत्र की धारा ३ में प्रतिवादी का अभी तक किरायेदार की हैसियत से आवाद होना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है—प्रतिवादी ने फरवरी सन् १९३५ ई० का किराया मनीआर्डर के द्वारा २५ मार्च सन् १९३५ को वादी के पास भेजा । वादी ने उसको २ अप्रैल सन् १९३५ ई० को वापिस कर दिया जो प्रतिवादी को ७ अप्रैल सन् १९३५ ई० को मिला ।

३—प्रतिवादी ने मार्च सन् १९३५ का किराया भी वादी के पास मनीआर्डर से भेजा वादी ने वह भी वापिस कर दिया । वादी का यह बयान कि फरवरी से मार्च सन् १९३५ तक का किराया बाकी है सही नहीं है—प्रतिवादी ने नालिश की सूचना होने ही वह किराया वादी को दिये जाने के लिये अदालत में दाखिल कर दिया है ।

४—प्रतिवादी ने किराया अदा करने में किरायेनामों की शर्तों को नहीं तोड़ा । वह किरायेनामों की शर्तों के अनुसार वेदखल नहीं होना चाहिये ।

५—वादपत्र की धारा ४ में केवल नोटिस का आना स्वीकार है परन्तु नोटिस विधानानुसार नहीं थी और उसके द्वारा वादी को नालिश का स्वत्व उत्पन्न नहीं होता ।

२१—दस्तावेजों की तरमीम (सशोधन) या मसूखी

(१) साधारण प्रति उक्त :

१—उन कारणों की अस्वीकारी जिनके आधार पर मसूखी या तरमीम की प्रार्थना की गई हो जैसे वादी-अवयस्कता—पागलपन—बेहोशी इत्यादि य प्रतिवादी का अनुचित दबाव—वेजा असर—गलत बयानी—प्रपञ्च या धोखा—या फरीकैन की गलती इत्यादि (इनकार घटनाओं के विवरण के साथ लिखा जावे) ।

२—भगड़े वाला मुआहिदा बिना बदल नहीं था ।

या मुआहिदे का अभिप्राय विधानानुसार उचित था और सदाचार (Morality) या जननीति (Public policy) के विरुद्ध नहीं था ।

या किसी कानून से वर्जित या किसी कानून की खिलाफ वर्जि पर निर्भर नहीं था

या धोखा और फरेब से भरी हुई या दूसरे आदमी की ज्ञात या जायदाद को हानि पहुँचाने का नहीं था (कुल घटनाएँ तफसील से लिखी जावें यदि इन कारणों से मुआहिदा मसूख या सशोधन कराने का दावा हो) ।

३—भगड़े वाले मुआहिदे से कभी आदमी की शादी—पेशा—तिजारत कारबार या कोई कानूनी काररवाई रोकने की गरज नहीं थी (वह घटनाएँ जिनसे असली अभिप्राय प्रकट होता हो लिखी जावे) ।

४—भगड़े वाला मुआहिदा जुए का नहीं था (यदि इस बिनाय पर मसूखी चाही गई हो) इस सम्बन्ध में अनुबंध विधान (एक्ट ६ सन् १८७२) की धाराओं का ध्यान रखना जावे—

५—यदि परदानशीन—नासमझ या परामर्श न मिलने की शिकायत हो तो यह कि वादिनी परदानशीन नहीं है या पढ़ी हुई है और व्यवहार को समझने की योग्यता रखती है और उसने (अ—ब) और (क—ख) अपने सम्बन्धी या कारकुन इत्यादि से (जैसी सूरत हो) परामर्श लेकर सोच विचार के बाद भगड़े वाला व्यवहार किया और उसके प्रभाव को अपने हक पर अच्छी तरह समझकर उसकी लिखा पढ़ी की ।

६—मुआहिदा या दस्तावेज़ जैसा कि मौजूद है दोनों पक्षों की मनशा और गरज को ठीक तरह से प्रकट करता है और कुल शर्तें—सम्पत्ति का विवरण या और बातें उसमें वही और उसी तरह लिखी हैं जैसी दोनों पक्षों में ठहरी थी ।

(२) वादपत्र पद २१ न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब कि वयस्क होने की आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा १ में वादी के अवयस्क (नाबालिग) होने से इनकार है उसकी माँ का सर्टीफिकेट-प्राप्त संरक्षक होना प्रतिवादी को ज्ञात नहीं है ।

१—वाद पत्र की धा० २ स्वीकार नहीं है।

३—धा० ३ और उसके सब बयानात और हर एक बयान में प्रतिवादी को इनकार है।

४ धारा ४ में चद रुकों और दस्तावेजों का अपने नाम वादी से लिखाना प्रतिवादी को स्वीकार है, और घटनाओं से इनकार है, प्रतिवादी ने अपने किसी मित्र के नाम कोई रुका या दस्तावेज भूँटे नहीं लिखाये—प्रतिवादी के नाम जो रुके वादी ने लिखे वह पूरा बदल लेकर लिखे केवल ४००) रु० दिये जाने का बयान भूँठ है।

५—धा० न० ५ में विक्रय पत्र का लिखा जाना स्वीकार है और घटनाएं स्वीकार नहीं हैं असल घटनाये अतिरिक्त बयान में लिखी हैं।

६ - धा० ६ व ७ से पूर्णतया इनकार है।

७—धा० ८ से लेकर १० तक उपशमन सहित स्वीकार नहीं हैं।

अतिरिक्त बयान

८—वादी अवयस्क नहीं है उसकी अवस्था २५ साल की है और वह बहुत दिन से अपना कार्य वयस्क की हैसियत से करता है।

९—वादी को और से गौर आदमी की सरभूता से, जब कि सार्टीफिकेट-प्राप्त उसकी सरसक माँ मौजूद है दावा दायर होना व्यवहार-विधि-संग्रह के आर्डर ३२ नियम ४ के विरुद्ध अनुचित है।

१०—वादी और प्रतिवादी की कोई मित्रता नहीं है और न एक साथ बैठना उठना था। वादी पर प्रतिवादी का कोई प्रभाव नहीं था।

११—कई साल से वादी वयस्क की तरह अपना कारोबार करता था और अपनी जमींदारी का नम्बरदार था और लगान की तहसील वसूल स्वयं करता था।

१२—वादी के ऊपर कई आदमियों का ऋण रुके और दस्तावेजों का था और एक रुके और एक दस्तावेज का ऋण प्रतिवादी का भी था।

१३—वादी को ऋण अदा करने इत्यादि के लिये रुपयो की आवश्यकता थी और भगड़े वाली सम्पत्ति को विक्रय करना चाहता था उसने सम्पत्ति के कुल कागज उसके अधिकार में थे और एक वयस्क होने का सार्टीफिकेट जो उसने सिविलसर्जन से कई वर्ष पहिले से ले रक्खा था, प्रतिवादी को दिखलाया। प्रतिवादी ने नेक नीयती से विक्रयपत्र का मामला उचित मूल्य पर तय किया। वादी ने उसकी लिखा पढी पूरी कर दी और प्रतिवादी ने उसका पूरा मुआवजा अदा कर दिया। रसीद और दूसरे अदायगी के कागज नत्थी किये जाते हैं।

१४—वादी का बयान फर्जी रुपया मुबरा करने और केवल २००) रुपया देने के विषय में भूँठ है।

१५—जायदाद पर वारी काबिजा नहीं है। प्रतिवादी का हक है कि वह जायदाद में अदालत माल से दाखिल हो चुका है।

१६—वादी की ओर से, जेवन मंगूकी और इन्फरमर का डाटा जन् ५२ निर्दिष्ट उपशमन विधान (Specific Relief Act) के अनुमान नहीं बन सकता।

१७—प्रतिवादी को यह स्वीकार नहीं है कि वारी के सम्बन्ध करने का कोई सट्टे निकट उचित रूप से लिया गया। अगर कोई फोरेन और मन्वरी काबिजा है, उनके सम्बन्धों ने की हो तो वह वादी पर पाबन्दी के योग्य नहीं है।

१८—बदल की तरह पर प्रतिवादी प्रायःना मन्वरी है कि वैमने के करने ने मारी ने लाभ उठाया है यदि किसी बजह से वनामा नमूय मिया जन्वे ने मने हाचन से प्रतिवादी को वनामे का कुल रुपया और उसका नद वारी और है जो हुं जायदाद ने मितना चाहिये।

२२—प्रतिज्ञा की विशेषपूर्ती

(Specific Performance)

(१) साधारण प्रतिवत्तर

- १—प्रतिवादी ने वादी के साथ कोई आपसी प्रतिज्ञा नहीं की।
- २—(अ—ब) प्रतिवादी का ऐजेन्ट नहीं था (यदि वादी ने ऐसा बयान किया हो)।
- ३—वादी ने नीचे लिखी शर्तें पूरी नहीं की (शर्तें लिखो)।
- ४—प्रतिवादी ने अंश पूर्ती (Part Satisfaction) के बयान किये हुये काम नहीं किये।
- ५—वादी का हक मिलिकियत जायदाद में जो विक्री होना ठहरी थी ऐसा नहीं है जिसको प्रतिवादी नीचे लिखी बातों के कारण से मंजूर करने पर मजबूर हो (लिखो क्यों)।
- ६—आपसी प्रतिज्ञा नीचे लिखी बातों के विषय में अनिश्चित (Uncertain) है (वह बातें लिखो)।
- ७—वादी ढील करने का दोषी (Guilty of Laches) है।
- ८—वादी धोखा (या मिथ्या वाद—गलत बयानी) करने का दोषी है।
- ९—या प्रतिज्ञा न्याय विरुद्ध (Illegal and Unfair) है।
- १०—या इकरार दोनों पक्षों की गलती से हुआ।
- ११—धारा (७), (८), (९), (१०) की जैसी सरत हो, घटनाएँ यह हैं :—
(यहाँ पर आवश्यक घटनाएँ लिखो)।

(उन मुकदमों में जहाँ हर्जें का दावा हो और प्रतिवादी अपनी हर्जें की देनदारी न मानता हो तो उसको आपसी प्रतिज्ञा करने से इनकार करना चाहिये या प्रकट करना चाहिये कि कौन ऐसे कारण हैं जिन पर वह भरोसा करना चाहता है जैसे अवधि विधान—वेवाकी और अदायगी—दस्तखरदारी—धोखा इत्यादि) ।

(२) वादपत्र पद २२ न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब वादी के प्रतिज्ञा भंग करने की आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा न० १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—वाद पत्र की धारा ४, ५ व ६ उपशमन सहित स्वीकार नहीं हैं ।

३—जो भगड़े का निपटारा इस मुकदमे के दोनों पक्षों में अदालत अर्पिल से भगड़े वाली ज़मीन को एक हफ्ते के अन्दर बेचने का ठहरा था उसको पूरा करने के लिये उत्तरदाता प्रतिवादी सदा प्रस्तुत रहा और वादी से मुआहिदा पूरा करने के लिये तकाजा करता रहा लेकिन उसने स्वयं मुआहिदे को पूरा नहीं किया ।

४—वादी उत्तरदाता प्रतिवादी के तकाजा करने पर भी एक दिखावटी नोटिस चालाकी से प्रतिवादी को ठहरी हुई अवधि समाप्त हो जाने के बाद ३१ मई सन् १९—को दिया जिसका जवाब प्रतिवादी ने ७ जून सन् १९—के नोटिस से भेजा कि उत्तरदाता प्रतिवादी बैनामा करने को तैयार है । रुपया देकर वादी उसकी रजिस्ट्री करा ले ।

५—उत्तरदाता प्रतिवादी ने तारीख २१ जून सन् १९—को वादी को दूसरा नोटिस दिया लेकिन वादी ने दोनो नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और अब तक चुप रहा और बैनामे के बाकी ८०) रुपया अदा करके रजिस्ट्री नहीं कराई और स्वयं मुआहिदे को तोड़ा ।

६—वादी के बैनामा न कराने से प्रतिवादी की बहुत बड़ी हानि यह हुई कि प्रतिवादी अपनी बाकी ज़मीन पर जो मकान बनाना चाहता था वह नहीं बना सका और जो मलबा इत्यादि उसने तामीर के लिये इकट्ठा किया था वह खराब और नष्ट हो गया ।

(३) वादपत्र पद २२ न० ७ का प्रतिवाद पत्र पिछले खरीदार की ओर से जब सूचना न होने की आपत्ति हो

श्यामलाल प्रतिवादी का प्रतिउत्तर निम्नलिखित है—

१—उत्तरदाता प्रतिवादी को वादी के नाम क्रय प्रतिज्ञा होना और विक्रय पत्र लिखा जाना स्वीकार नहीं हैं ।

२—उत्तरदाता प्रतिवादी को कोई सूचना वादी के बयान किये हुए मुआहिदे की विक्रयपत्र ता० ४ अगस्त सन् १९.....के अपने नाम लिखाते समय नहीं थी ।

३—उत्तरदाता प्रतिवादी खरीदार नेकनीयत वाद अदा करने बदल के वादी के बयान किये हुये मुआहिदे की बिना सूचना और खबर के है और उसके विरुद्ध वादी प्रतिज्ञा की पूर्ती कराने या दखल पाने का अधिकारी नहीं है ।

४—उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम जो विक्रयपत्र लिखा गया है उसके रुपये का कोई भाग फर्जी नहीं है ।

५—उत्तरदाता प्रतिवादी ने केवल १०) एक काश्तकार से भगडेवाली जायदाद के वसूल किये हैं । वादी ने जो मुनाफे की सख्या नियत की है वह गलत है ।

२३—२६ रहन की नालिशें

२३—नीलाम

(१) साधारण प्रतिउत्तर

१—वह सब आपत्तियाँ जो साधारण प्रतिउत्तरों पद १३ (प्रतिज्ञा भंग करना), २१ (तरमीम और मन्सूखी) और २२ (प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ती) में दिये जा चुकी हैं जहाँ तक वह भगडे वाले व्यवहार से लागू होती हों, नीलाम की नालिश में भी की जा सकती है ।

२—यदि नालिश जमानत के आधार पर हो तो वह सारी आपत्तियाँ जो साधारण प्रतिउत्तर पद १२ (जमानत) में लिखी जा चुकी हैं ।

३—यदि नालिश रसदी की बिनाय पर हो तो वह सब आपत्तियाँ जो साधारण प्रतिउत्तर पद १६ (रसदी) में दी हैं ।

४—यदि नालिश हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्यों के विरुद्ध हो तो यह कि जायदाद रहन की हुई मौरूसी अविभक्त कुल की जायदाद है और उसका रहन (या आड़) कुल के एक सदस्य की ओर से अनुचित है ।

या कि वह बिना जरूरत खानदानी हुई है या कि कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों की स्वीकृति बिना की गई है या किसी अन्य कारण से प्रचलित होने योग्य माननीय नहीं है ।

५—यदि नालिश उत्तराधिकारियों के विरोध में हो तो यह कि आड़ की हुई जायदाद मृत पुरुष की छोड़ी हुई नहीं है या कि प्रतिवादी उसके उत्तराधिकारी नहीं है ।

६—यदि नालिश परिवर्तन प्रहीता या उत्तराधिकारी की ओर से दायर हुई हो तो उनको नालिश का स्वत्व न होने या सार्टिफिकेट न लेने इत्यादि के सम्बन्ध में जो विरोध हों वह किये जावें ।

७—यदि रहननामे की तहरीर और तसदीक के सम्बन्ध में कोई आपत्तिसम्पत्ति परिवर्तन विधान, की धारा ५६ के अनुसार हों तो वह किये जावें ।

८—अदायगी की आपत्ति—नीचे लिखी रकमें अदा की गईं ।

(रकमों का विवरण तारीखवार दिया जावे)

९—वादी ने कुल ऋण या उसका कोई भाग तारीख.....को छोड़ दिया या मुआफ़ कर दिया ।

१०—वादी ने आड़ी जायदाद स्वयं खरीद ली और ऋण वेवाक़ हो गया ।

११—सूद की दर तावानी है या सूद का हिसाब गलत है ।

१२—मुआमला अनीति व्यवहार (Unconscionable bargain) है ।

१३—प्रतिवादी ने अपना हक़ आड़ी जायदाद में अ—व के नाम हस्तान्तर (इन्तकाल) कर दिया ।

(२) वाद पत्र पद २३ न० २ का प्रति उत्तर जब रहन
स्वीकार न हो और पश्चात दाय भागी
होने की आपत्ति हो

प्रतिवादी का उत्तर इस प्रकार है—

१—धारा न० १ व २ स्वीकार नहीं हैं ।

२—धारा न० ३ से इन्कार नहीं है ।

३—धारा न० ४ में केसरीराम का देहान्त होना स्वीकार है परन्तु उसने कुछ सम्पत्ति नहीं छोड़ी । उत्तरदाता प्रतिवादी कुटुम्ब के पश्चात दायभागी की हैसियत से जायदाद के स्वामी हुये ।

४—धारा न० ५ से लेकर ७ तक सबसे और प्रत्येक से इन्कार है ।

विशेष बयान

५—दस्तावेज़ का जिसकी नालिश है बदल देकर लिखा जाना उत्तरदाता प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है ।

६—बलदेवसिंह, के तीन लड़के जलसिंह, मानसिंह और दूधराम थे और उनकी ४७ बीघा १७ बिस्वा पक्की भूमि हकिफ़त जर्मीदारी की थी जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मौरूसी चली आती थी ।

७—केसरीराम बलदेवसिंह का लड़का था । वह अविवाहित था और अपने भाई भतीजों के साथ हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य की हैसियत से रहता था और सब कारवार खेती और जर्मीदारी तीनों भाइयों और उनकी सन्तान को सम्मिलित थी ।

८—केसरीराम का कुटुम्ब के अविभक्त होने की दशा में देहान्त हुआ और कुटुम्ब के दूसरे सदस्य पश्चात दाय भागी की हैसियत से कुल कुटुम्ब की जायदाद के स्वामी हुये ।

९—केसरीराम को कोई आवश्यकता ऋण लेने की नहीं थी और न उसने कोई ऋण लिया ।

१०—हर दशा में मौरूसी जायदाद की आड केसरौराम की ओर से बिना कुटुम्ब के अन्य सदस्यों की सहमति के, उचित और प्रचलित होने योग्य नहीं है।

(३) वाद पत्र पद २३ न० १४ का प्रतिवाद-पत्र जब रसदी के रुपये की संख्या के सम्बन्ध में आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा नम्बर १ से लेकर ८ तक स्वीकार हैं।

२—धारा न० ६ स्वीकार नहीं है। वादी ने जायदादों का मूल्य अनुचित स्थिर किया है और हिसाब रसदी का गलत बनाया है। सही हिसाब नीचे लिखा है।

(यहाँ पर हिसाब विवरण सहित क्रमानुसार लिखा जावे)।

३—धारा न० १० से बिलकुल इनकार है। प्रतिवादी ने जो रुपया सही हिसाब से उसके जुम्में निकलता था वादी को देना चाहा और मुबलिग रु० का मनीआर्डर वादी के पास भेजा परन्तु वादी ने उसको वापिस कर दिया। अन्य वयान प्रतिवादी ने वह मतालबा वादी के दिये जाने के लिये अदालत में जमा कर दिया है।

४—वाद पत्र के अन्य वयान और उपशमन से जहाँ तक कि उनका सम्बन्ध प्रतिवादी से है, स्वीकार नहीं है।

२४—प्रतिषेध (बन्धक मोचन या बैबात) (Foreclosure)

* (१) साधारण प्रतिउत्तर

१—यह कि प्रतिवादी ने आड पत्र (रहननामा) नहीं लिखा।

२—यह कि रहननामा वादी के नाम हस्तान्तर (मुन्तकिल) नहीं हुआ (यदि कई इन्तकाल वयान किये जावें तो लिखना चाहिये कि किस इन्तकाल से इन्कार है)।

३—नालिश धारा.....परिशिष्ट १ अवधि विधान सन् १९०८ ई० के अनुसार दायर नहीं हो सकती।

४—निम्नलिखित रकमें अदा की गई—

(तारीख लिखो).....१०००) रु०।

(तारीख लिखो).....५००) रु०।

५—वादी ने ता०.....महीना.....सन्.....को अधिकार प्राप्त किया और उस तारीख से किराया वसूल करता है।

❖ यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपेनडिक्स (अ) पद ४ का नमूना न० ११ है।

६ - वादी ने अधिकार ता०.....को छोड़ दिया ।

७—प्रतिवादी ने अपना सारा अधिकार (अ-ब) के नाम ता०.....म०...सन्.....की दस्तावेज के द्वारा हस्तान्तर मुन्तकिल) कर दिया ।

नोट—वैवात की नालिश में दूसरी आपत्तियाँ जो हो सकती हैं पद २३ (नालिश नीलाम) के साधारण प्रति उत्तर में और उन पदों में जिनका हवाला उसमें दिया हुआ है मिलेंगी ।

(२) वाद पत्र पद २४ न० ३ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से

१—धारा न० १ स्वीकार है ।

२—धारा न० २ (व) स्वीकार नहीं है । प्रतिवादी ने मुजलिग.....रु० नीचे लिखे हिसाब के अनुसार अदा किये हैं । वह मुजरा नहीं किये गये । (अदायगी का विवरण तारीखवार दिया जावे ।) ।

३—रहननामा (आड़ पत्र) ता० १३ जून सन् १९—की वाजत केवल मुजलिग.....रु० वाजित हैं ।

४—धारा न० ३ की उपधारा (द) में वैवात होने की शर्त स्वीकार नहीं है और धारा (ह) स्वीकार नहीं है ।

५—रहननामा ता० ११ सितम्बर सन् १९—के द्वारा मुर्तहिन को कोई अधिकार वैवात का नहीं दिया गया । उसकी बिना पर नालिश वैवात नहीं हो सकती ।

६—उक्त रहननामा के विषय में प्रतिवादी ने मुजलिग.....रुपये तारीख.....महीना.....सन्.....के और मुजलिग.....रुपये तारीख...महीना.....सन्.....के श्रीमती नूरफातमा के अदा किये जिसकी रसीदे इस प्रतिवाद पत्र के साथ नत्थी की जाती हैं । वह वादी ने मुजरा नहीं दिया । हिसाब से केवल मुजलिग.....रुपये शेष हैं ।

७—धारा न० ४ में दिलदार बखश का देहान्त होना स्वीकार है परन्तु हिबा होना स्वीकार नहीं है और अकेले वादी को अधिकार नालिश दायर करने का नहीं है ।

८—उत्तराधिकार-प्रमाण-पत्र (सार्टीफिकेट) प्राप्त किये बिना नालिश किसी तरह कायम नहीं रह सकती ।

२५—रहन से मुक्त कराना

(इनफिकाक—Redemption)

(१) साधारण प्रतिवाद् पत्र

१—वादी के वर्णन किये हुए रहन या किसी रहन के होने से प्रतिवादी को इनकार है ।

२—यह कि वादी की बयान की हुई रहन या कोई दूसरी रहन अब स्थित नहीं है ।

३—यह कि प्रतिवादी का सम्पत्ति पर अधिकार मालिकाना और मुखालिफाना १२ साल से ऊपर से है और वादी का रहन छुड़ाने का अधिकार यदि हो भी तो उसमें अबधि समाप्त हो गई है ।

४—वादी, रहन कर्ता या उसका प्रतिनिधि नहीं है और उसको रहन छुड़ाने का स्वत्व नहीं है ।

(यदि वादी किसी इन्तकाल पर भरोसा करता हो तो उसके विषय में जो कुछ एत-राज हों वह लिखा जावे) ।

५—प्रतिवादी ने हकराहिनी ब्रैनामे तारीख.....महीना.....सन्.....के द्वारा से (या अन्य रूप से) प्राप्त कर लिया है और वह अब सम्पत्ति का स्वामी है ।

६—यदि दावा अबधि के बाहर किसी देनदारी की स्वीकारी (Acknowledgement) या अदायगी के द्वारा अबधि बढ़ने की विनाय पर दायर किया हो तो कहा जा सकता है कि देनदारी की स्वीकारी या अदायगी नहीं हुई वह अबधि बढ़ाने के लिये पर्याप्त नहीं है । (वह कारण जिससे वह काफी नहीं लिखी जावे) ।

७—वह कार्य जिनकी वादी शिकायत करता है प्रतिवादी ने नहीं किये (जैसे रहन की जायदाद को हानि पहुँचाना, वृद्ध काटना, मरम्मत न कराना इत्यादि) ।

८—प्रतिवादी को जायदाद छुड़ाने के लिये हिसाब से... ..रुपये देने हैं ।

९—रहन छुड़ाने का दावा अन्तिम महीने जेठ पर या रहननामे (आइ पत्र) में ठहरे हुये समय पर दायर नहीं हुआ ।

१०—प्रतिवादी को रहन छुड़ाने का नोटिस नहीं दिया गया या रहन का रुपया पेश (tender) नहीं किया गया (यदि ऐसी शर्त रहननामे में हो) ।

११—हिसाब लाभ या सूद या हर्जा या वासलात का गलत है और प्रतिवादी उसका देनदार नहीं है और उसकी सख्या गलत और अधिक है ।

(अन्य आपत्तियों अगले नमूने में दी गई हैं)

*(२) रहन छुड़ाने के मुकदमे में प्रतिउत्तर पत्र

१—वादी का रहन छुड़ाने का अधिकार आर्टिकल.....परिशिष्ट १ अवधि विधान सन् १९०८ के अनुसार जाता रहा ।

२—वादी ने अपना कुल अधिकार जायदाद में (अ—ब) के नाम मुत्तकिल कर दिया ।

३—प्रतिवादी ने दस्तावेज तारीख.....महीना.....सन्.....के द्वारा अपना कुल अधिकार रहन के रुपये और रहन की जायदाद का (अ—ब) के नाम मुत्तकिल कर दिया ।

४—प्रतिवादी रहन की जायदाद पर किसी समय काबिज न था और न उसका किराया उसने कभी वसूल किया । (यदि प्रतिवादी चंद्र रोज के अधिकार का इकरार करे तो उसको चाहिये कि अवधि लिखे और वाद के अधिकार से इनकार करे) ।

(३) वाद पत्र पद २५ न० ६ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों में पूरे सिरनामे के साथ

अदालत सिविलजज बहादुर.....

अलीगढ़ न० मुकदमा.....सन् १९.....

गंगा प्रसाद.....वादी

बनाम

गंगाबख्स वगैरह.....प्रतिवादी ।

गंगाबख्स उत्तरदाता प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र ।

१—वाद पत्र की धारा न० १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा न० ४ में रहननामा मियादी ७ साल सन् १३४३ फसली तक होने और मुर्तहनों का अधिकार रहन की तारीख से जायदाद पर रखना और मालगुजारी की कमी वेशी राहनो के जुम्मे होना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है ।

३—धारा न० ५ सूद सादा होना स्वीकार नहीं है बाकी स्वीकार है ।

४—धारा न० ६ में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का वादी के हक में बैनामा ता० २१ अप्रैल १९३६ को करना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है ।

५—धारा न० ७ में मुर्तहनान का वक्त रहन से तहसील वमूल करना स्वीकार है शेष स्वीकार नहीं हैं ।

६—धारा न० ८, ९, १० व ११ स्वीकार नहीं हैं ।

* यह नमूना व्यवहार विधि सग्रह के परिशिष्ट १ अपेनडिक्स (अ) पद ४ का नमूना न० १२ है !

७ - धारा न० १२ में वादी का ता० २५ मई सन् १९३६ को ५६७१) रु० दफा ८३ कानून इन्तिकाल जायदाद के अनुसार दाखिल करना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है ।

८ - धारा न० ६, १३, १४, १५, और दादरसी स्वीकार नहीं हैं ।

विशेष आपत्तियाँ—

६—उत्तरदाता प्रतिवादी का रुपया इस प्रकार निकलता है ।

(अ) बाबत असल व सूद रहननामा व कमी सूद व वेशी मालगुजारी व खर्च गाँव रहननामे की शर्तों के अनुसार जिसका हिसाब इसके साथ नत्थी है ।	} ११२४२।५
(ब) बाबत असल व सूद रहननामा मशरू-तुलरहन ।	
(ज) बाबत लागत पक्का कुआँ ।	४०५)
(द) खर्च बटवारा व वेदखली ।	७५)

जोड़ १४०३५।३५

इस रकम के अदा करने के बाद रहन छूट सकता है ।

१०—वादी का यह कथन कि प्रतिवादी ने आड़ पत्र (रहननामा) तारीख १६ अक्टूबर सन्-१९—का कुल रुपया अदा नहीं किया गलत है । प्रतिवादी ने उक्त रहन का कुल रुपया अदा कर दिया है ।

११—वादी का यह बयान कि आमदनी जायदाद से रहन का कुल रुपया बेबाक हो चुका है सही नहीं है ।

१२—वादी का यह बयान कि उत्तरदाता प्रतिवादी ने आसामियों पर कोई लगान नहीं बढ़ाया और उससे अनुचित लाभ उठाया असत्य है, रहन वाली जायदाद की जमाबन्दी शरह बन्दोबस्त के हिसाब से अधिक है ।

१३—उत्तरदाता प्रतिवादी ने कोई पेड़ रहन की जायदाद से नहीं काटे, वादी का बयान इस विषय में झूठ है और वह पेड़ों के मूल्य के विषय में कोई रकम पाने का अधिकारी नहीं है ।

१४—उत्तरदाता प्रतिवादी ने केवल लगान वसूल किया, कोई रकम सिवाय की वसूल नहीं की । बयान वादी इसके विरुद्ध सही नहीं है ।

१५—वादी का यह बयान कि प्रतिवादी का अधिकार अनुचित है गलत है । वादी किसी पूर्व-लाभ के पाने का अधिकारी नहीं है और लाभ की संख्या वादी ने गलत और अधिक स्थित की है ।

१६—असल रकम जो प्रतिवादी की वादी के ज़िम्मे निकलती है वादी ने जेठ से पहिले अधिकार पूर्ण (जिसको अधिकार है) अदालत में दाखिल नहीं की । वादी का दावा वर्तमान परिस्थिति में चलने के अयोग्य है ।

२६—राहिन व मुर्तहिन

(१) नालिश पद २६ न० १ का प्रतिवादपत्र

बहुत से उज्रों से

१—धारा न० १ व २ स्वीकार नहीं हैं ।

२—धारा न० ३, ४, व ५ स्वीकार हैं ।

३—धारा न० ६ में वादी को दखल न मिलना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है ।

४—धारा न० ७ स्वीकार है ।

५—धारा न० ८, ९, व १० और दादरसी स्वीकार नहीं हैं, सब से और प्रत्येक से इनकार है ।

विशेष आपत्तियाँ ।

६—डिगरी न० २३ सन् १९—फर्जी और साजिशी थी जो राधाकिशन मदयून ने अन्य पुरुषों का ऋण मारने के लिये अपने बहनोई मोहनराय के हक में एक वेत्राक और अवधि प्राप्त दस्तावेज के आधार पर उत्तर दाता प्रतिवादी को बिना फरीक बनाये सादिर करा ली थी और उस डिगरी के इजरा में वादी के नाम जो राधाकिशन का दामाद है खरीद करा ली ।

७—डिगरी न० २३ सन् १९—और इजराय की कार्रवाई जो उसके आधार पर हुई और वादी की उसमें खरीदारी, सब प्रतिवादी के विरुद्ध में वेत्रसर और बेकार हैं । वादी उस खरीदारी के जरिये से नालिश करने का अधिकारी नहीं है और न उसका हक प्रतिवादी के हक से बढ़ कर है ।

८—प्रतिवादी किसी मतालवे का देनदार वादी को रहननामे ११ मई सन् १९२९ या डिगरी नम्बरी २३ सन् १९३९ की बाबत जो उस रहननामे के आधार पर सादिर हुई है, नहीं है ।

९—वादी जब रहननामा ता० ११ मई सन् १९—की बिनाय पर प्रतिवादी के मुकाबले में डिगरी प्राप्त न करे कोई दादरसी नहीं पा सकता । नालिश वर्तमान परिस्थिति में चलने के लायक नहीं है ।

(२) नालिश पद २६ न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब

आपत्ति रहन के फर्जी होने की हो

१—प्रतिवादी के ऊपर बहुत सा ऋण कई आदमियों का चाहिये था और वह लोग भकान को कुर्क और नीलाम कराना चाहते थे ।

२—वादी, प्रतिवादी का साला है। प्रतिवादी ने अपना मकान अपने से बचाने के लिये उसका फर्जी रहननामा वादी के नाम लिख दिया था। कोई प्रत्युपकार उसका प्रतिवादी ने वादी से नहीं लिया।

३—वाद को प्रतिवादी ने महाजनों से फैसला करके उनके ऋण वेत्ताक कर दिये और रहननामा (आड़पत्र) वेकार रहा और कार्यान्वित नहीं हुआ।

४—वादी दखल या किसी लाभ (मुनाफा) पाने का अधिकारी नहीं है।

२७—भार की पूर्ति (निफाज़वार)

(१) साधारण जवाब दावा

नोट—(वह सब विरोध जो पद २३ के साधारण जवाबदावे में दिये जा चुके हैं आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसी नालिशों में भी किये जा सकते हैं)।

(१) नालिश पद २७ न० २ का प्रतिवाद-पत्र खरीदार से परिवर्तन-ग्रहीता की ओर से

१—वाद-पत्र की धारा न० १ से लेकर ६ तक कुल और प्रत्येक उत्तरदाता प्रतिवादी को स्वीकार नहीं हैं।

२—धारा नम्बर ७ स्वीकार है।

३—धारा नम्बर ८ से लेकर ११ तक कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं।

विशेष आपत्तियाँ

४—उत्तरदाता प्रतिवादी को यह स्वीकार नहीं है कि पूरनमल और पीतम्बर का कोई ऋण था और वह उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम लिखते समय बाकी था।

५—पूरनमल व पीतम्बर की नालिश में उत्तरदाता प्रतिवादी कोई फरीक नहीं था, डिग्री जिसको वादी प्रगट करता है वह उत्तरदाता प्रतिवादी के विरुद्ध प्रभाव हीन है।

६—यदि वादी के बयान के अनुसार प्रतिवादी प्रथम पत्न (खरीदार जायदाद) ने कोई प्रतिज्ञा भङ्ग की तो उसके आधार पर वादी को कोई अधिकार नालिश करने का उत्तरदाता प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं हो सकता।

७—१४ दिसम्बर सन् १६—ई० के विक्रय पत्र को और ११ दिसम्बर सन् १६—की डिग्री को जिनके आधार पर वादी का दावा है, १२ साल से अधिक हो गये और दावा अवधि के अन्दर नहीं है।

८—जायदाद परिशिष्ट (अ) डिग्री ११ दिसम्बर सन् १९—ई० में आड़ नहीं थी जो उत्तरदाता प्रतिवादी के यहाँ रहन देखली है उसके मुकाबले में भार की पूर्ती का दावा अनुचित है ।

९—वादी जीवाराम का उत्तराधिकारी नहीं है प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) उत्तराधिकारत्व प्राप्त किये बिना वह दावा नहीं कर सकता ।


२८—ट्रस्ट (अमानत)

(१) नालिश पद २८ न० २ का प्रतिवाद-पत्र, एक दावेदार की ओर से दूसरे दावेदार के विरुद्ध

प्रथम प्रतिवादी का बयान इस प्रकार है—

१—उत्तर दाता प्रतिवादी मृतक रामदास का कुटुम्बी भतीजा नीचे लिखी वंशावली के अनुसार है और धर्मशास्त्र के अनुसार उसका उत्तराधिकारी है ।

मोहनलाल



२—द्वितीय प्रतिवादी नामालूम किसका लड़का है जो अकाल के दिनों में मृतक रामदास ने पालने के लिये रख लिया था, वह उक्त रामदास का गोद लिया हुआ लड़का नहीं है ।

३—उक्त रामदास ने द्वितीय प्रतिवादी को कभी गोद नहीं लिया और न कोई गोद लेने की रसम की और न गोद लिये हुए लड़के की तरह उसको रक्खा वह विरादरी में रामदास का गोद लिया हुआ लड़का नहीं माना जाता ।

४—द्वितीय प्रतिवादी की जाति न मालूम होने के कारण वह विधानानुसार गोद नहीं लिया जा सकता था और यदि उसकी गोद होती भी तो वह अनुचित थी और वह उत्तराधिकारी रामदास मृतक का नहीं हो सकता ।

* (२) जवाब दावा मुकदमा प्रबन्धक-पत्र जो वसीयत के आधार पर माऊ पाने वाले की ओर से दायर हुई हो

१—(अ—ब) की वसीयत में उसकी जायदाद पर ऋण था और वह देवालिया होने की

* यह नमूना ज़ाबता दीवानी के अपेन्डिक्स अ का नमूना नम्बर १४ है ।

दशा में मरा। मरते समय उसकी कुछ अचल सम्पत्ति थी जिसको प्रतिवादी ने बेचा और उसकी बिक्री से.....६० प्राप्त हुए। उसके पास कुछ चलसम्पत्ति भी थी जिसको प्रतिवादी ने बेचा और जिसकी बिक्री से.....६० प्राप्त हुये।

२—प्रतिवादी ने वह रुपये और मुबल्लिग.....६० जो प्रतिवादी को अचल सम्पत्ति के किराये से प्राप्त हुए, वह वसीयत करने वाले की मृत्यु के खर्च और वसीयतनामे के खर्च में लगाये और उसके कुछ ऋण अदा किये।

३—प्रतिवादी ने आमदनी और खर्च का हिसाब बना कर एक नकल उसकी वादी के पास तारीख.....महीना.....सन्.....को भेज दी और वादी को रसीदों से हिसाब की सच्चाई जाँचने का अवसर दिया परन्तु उसने प्रतिवादी की इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया।

४—प्रतिवादी निवेदन करता है कि वादी को इस मुकदमे का खर्चा अदा करना चाहिये।

* (३) वसीयतनामे के प्रोबेट में जवाब दावा ✓

१—यह कि मृतक का उक्त वसीयत नामा और उसका परिशिष्ट कानून एक्ट विरासत हिन्द (३६ सन् १९२५) (या एक्ट विसीयत हिन्दू सन् १८७०) के अनुसार उचित रीति से नहीं लिखा गया।

२—जिस समय कि वसीयत नामा और उसका परिशिष्ट लिखे जाना प्रकट किये जाते हैं उस समय मृतक का मस्तिष्क, स्मरण-शक्ति और समझ ठीक नहीं थे।

३—वसीयतनामा और परिशिष्ट वादी ने (और दूसरे आदमियों ने जिनके नाम इस समय प्रतिवादी को मालूम नहीं हैं) मिल कर अनुचित दबाव से लिखवाये।

४—उक्त वसीयतनामा और परिशिष्ट वादी ने धोखे से लिखवाया और वह धोका जहाँ तक कि प्रतिवादी को अब तक मालूम हुआ है यह था (धोखे का वर्णन)।

५—मृतक उक्त वसीयतनामा और उसकी परिशिष्ट लिखते समय उनके मजमून को (या उक्त वसीयतनामे से वितरण की हुई जायदाद सम्बन्धी धाराओं को, जैसी परिस्थित हो ; नहीं जानता था और न उसको स्वीकार करता था।

६—मृतक ने अपनी सच्ची अन्तिम वसीयत पहिली जनवरी सन् १९—को की और उसके द्वारा अकेले प्रतिवादी को उसका कार्यकर्ता नियत किया।

* यह नमूना जान्ता दीवानी के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स अ मह ४ का नमूना नम्बर १५ है।

प्रतिवादी प्रार्थी है :—

(अ) यह कि अदालत वादी के प्रकट किये हुए उक्त वसीयतनामे और परिशिष्ट के विरुद्ध निर्णय करे ।

(ब) यह कि अदालत मृतक के वसीयतनामे तारीख १ जनवरी सन् १६—का प्रोवेट विधानानुसार दिये जाने की डिग्री सादिर करे ।

(४) नालिश पद २८ न० ११ का वयान तहरीरी
जब कि उचित पत्रन्ध की आपत्ति हो

१—विवाद-पत्र की धारा नम्बर १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा न० ४ से इनकार है जो खर्च दरगाह के सदा से हेते चले आये हैं वही खर्च प्रतिवादी प्रथा के अनुसार करता है, कोई कमी उनमें नहीं की गई । वादो का यह वयान कि वक़फ (धार्मिक दान) की सम्पत्ति की आय प्रतिवादी के निजी खर्च में आती है त्रिल्कुल भूठ है ।

३—धारा न० ५ से इनकार है, वक़फ की सम्पत्ति की आय लगभग ३०००) ६० हुई है और उतना ही व्यय हुआ ।

४—धारा न० ६ से पूर्णतया इनकार है प्रतिवादी का सदा यह बर्ताव रहा है कि वक़फ की सम्पत्ति की आमदनी वक़फ के कामों में व्यय होती है ।

५—वादपत्र की धा० न० ७ स्वीकार नहीं है वादी दरगाह के मुजाविर नहीं है बल्कि साधारण फकीर है जो अकसर दरगाह के समीप में रह कर भीख माँगते हैं और खैरात (दान) पर गुजर करते हैं उनका कोई सम्बन्ध दरगाह से नहीं है और न उसकी बाबत उनको नालिश करने का अधिकार है ।

६—वादी और उनके साथ दूसरे फकीरों का एक गिरोह (दल) बन गया है यह लोग दरगाह की ज़ियारत करने वालों को बहुत तंग करते हैं प्रतिवादी ने कुछ दिनों से दरगाह का इन्तज़ाम करने में इन लोगों के साथ कड़ा बर्ताव किया है और यह नालिश उन्होंने दुश्मनी से दायर की है ।

(५) नालिश पद २८ न० १५ का प्रतिवाद-पत्र जब
कि प्रतिवादी भगड़े वाले मन्दिर को अपनी
निजी सम्पत्ति वयान करता हो

१—भगड़े वाला मन्दिर उत्तरदाता प्रतिवादी के चाप दादों का है और उसके पूर्वजों का बनवाया हुआ है ।

२—उक्त मन्दिर प्रतिवादी और उसके पूर्वजो के मालकाना अधिकार में ५० वर्ष के ऊपर से चला आता है । उसके एक भाग में मूर्ति श्रीविहारी जी महाराज की है जिसकी पूजा सेवा प्रतिवादी और उसके पूर्वज करते रहे हैं और उसके चढावे से अपना निर्वाह करते हैं और दूसरा भाग उनके रहने और मवेशी इत्यादि के कार्य में आता रहा है ।

३—वादी का वह बयान कि उक्त मन्दिर उसके दादा ने बनवाया और वह उनकी पारिवारिक (कौटुम्बिक) पूजा का स्थान है और वह उसके प्रबन्धक हैं और प्रतिवादी और उसके पिता को उन्होंने पुजारी नियत किया, असत्य है ।

४—वादी या उसके पुरखों का भगड़े वाली सम्पत्ति पर १२ साल के अन्दर अधिकार नहीं रहा प्रतिवादी और उसके पूर्वज उस पर ५० साल के ऊपर से मालिकाना और मुखालिफाना अधिकृत चले आते हैं, वादी के दावे में तमादी लगचुकी है ।

५—वादी को न्यायालय से किसी सहायता पाने का अधिकार नहीं है ।

२६—संयुक्त संपत्ति (जायदाद मुश्तर्का)

(१) साधारण जवाब दावा

१—जायदाद अविभक्त (संयुक्त या मुश्तर्का) नहीं है ।

२—वादी का जायदाद में कोई भाग नहीं है ।

३—वादी के भाग की संख्या कम है ।

४—सम्पत्ति पहिले से बट्टी हुई है और हिस्सेदार अपने २ हिस्सों पर पृथक पृथक अधिकृत हैं और अब जायदाद का कोई हिस्सा साभे में नहीं है (या सिर्फ सहन या अन्य कोई भाग साभे का है और बट्टवारे के योग्य है) ।

५—वादी १२ वर्ष से अधिक से काबिज नहीं है और प्रतिवादी उसके हिस्से पर उसके अधिकार से इनकार करता हुआ मालकाना और मुखालिफाना काबिज है वादी के दावे में तमादी है (पद १४४ परिशिष्ट १ अवधि विधान सन् १९०८) ।

६—वादी किसी विशेष भाग पर अधिकार नहीं रखता था और वह अविभक्त (मुश्तर्का) दखल का अधिकारी नहीं है ।

७—भगड़े वाली जायदाद बट्टवारा होने योग्य नहीं है (बहुत न्यून क्षेत्र होने या बहुत से हिस्सेदार होने इत्यादि के कारण से, जो कुछ हो लिखा जावे) ।

८—भगड़े वाली जायदाद, प्रतिवादी के अविभक्त कुल का निवासगृह है और

धारा ४ एक्ट ४, सन् १८६३ ई० (विभाजन विधान) के अनुसार प्रतिवादी वादी के हिस्से को उचित मूल्य पर खरीदने का अधिकार रखता है ।

६— प्रतिवादी ने कोई अनुचित उपयोग साम्ने की जायदाद का नहीं किया, या कि प्रतिवादी के किसी काम से वादी का कोई हर्जा नहीं हुआ या, कि यह काम वादी और दूसरे हिस्सेदारों की सम्मति से किया गया ।

१०— प्रतिवादी ने वह काम जिसकी शिकायत की जाती है मैनेजर, प्रबन्धक या नम्बरदार की हैसियत से नेकनीयती से कुल हिस्सेदारों की ओर से उनके लाभ के लिये किया है और उससे कुल हिस्सेदारों का लाभ है ।

(यहाँ पर वह घटनाएँ विवरण सहित लिखी जानी चाहिये जिनसे प्रतिवादी की हैसियत और अधिकार और हिस्सेदारों का लाभ प्रकट होता हो, ।

(२) पद २९ न० १ का प्रतिवाद-पत्र जब कि उज्र बटे हुये होने का है

१— विवाद-पत्र की धारा १ में हवेली का मुश्तर्का होना स्वीकार नहीं है वाकी स्वीकार है ।

२— धारा २ घ ३ का सम्बन्ध प्रतिवादी से नहीं है ।

३— धारा ४ से ६ तक स्वीकार नहीं हैं ।

विशेष बयानात

४— भगड़े वाली हवेली भूपालदास और नौवतराय और उनके उत्तराधिकारियों के बीच ५० साल से बटी हुई चली आती है । पच्छिम का हिस्सा भूपालदास और उनकी सन्तान का है जो उत्तरदाता प्रतिवादी हैं और पूरब का हिस्सा नौवतराय और उनकी सन्तान का है ।

५— इस तरह पर दोनों हिस्सों के स्वामी अपने २ हिस्सों पर काबिज चले आते हैं और अपने हिस्सों को बनाते और उनकी मरम्मत कराते रहे हैं । एक को दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं रहा ।

६— दस वर्ष के लगभग हुये कि उत्तरदाता प्रतिवादी ने अपने हिस्से मकबूजा पर बालाखाना तामीर किया और उस पर टीन का सायबान डाला और उसमें लगभग ५०००) रु० खर्च किये ।

७— वादी का बयान कुल हवेली के अविभक्त होने के सम्बन्ध में सही नहीं है केवल सहन और दुबारी शामिल हैं और दूसरी मंज़िल का एक ज़ीना मुश्तर्का (अविभक्त) है उनके बॉटने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है । वादी ने उनके बॉटने के लिये प्रतिवादी से कभी नहीं कहा ।

(३) नालिश पद २९ नम्बर (७ का प्रतिवाद-पत्र
जब कि नेकनीयती की आपत्ति हो

- १ धारा न० १ जात न होने के कारण स्वीकार नहीं है ।
२—धारा न० २, ३ स्वीकार हैं ।
३—धारा न० ४, ५ व ७ कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं और दादरसी से इनकार है ।

विशेष प्रयानात

४—भगड़े वाली जमीन, ऊसर और गाँव से बहुत दूर थी और उसकी भराई का कोई साधन नहीं था उसमें क़ा़रत (कृषि) नहीं होती थी और न उससे किसी तरह की कोई आय थी ।

५—प्रतिवादी ने नेकनीयती से उक्त ज़मीन को मुत्रलिंग.....र० लगान पर २० साल की अवधि के लिये नम्बरदार से इस भरोसे पर लिया कि प्रतिवादी ऊसर जमीन को तोड़ कर जोतने लायक करेगा और कच्चे कुएँ बना कर उसकी आबपाशी करेगा और खाद वगैरह डाल कर कुछ दिनों बाद उससे लाभ प्राप्त करेगा ।

६—प्रतिवादी का कोई रिश्ता प्रतिवादी नम्बर २ (नम्बरदार) से नहीं है । नम्बरदार ने भगड़े वाला पट्टा प्रतिवादी को नेकनीयती से सब हिस्सेदारों के लाभ के लिये उचित लगान पर दिया उसको ऐसा पट्टा देने का अधिकार था और वह वादी पर हिस्सेदार की हैसियत से काबिल पावन्दी है ।

७—प्रतिवादी ने बहुत सी लागत लगा कर जमीन को तोड़ कर जोतने लायक किया है और उसमें दो कच्चे कुएँ बनाये हैं और बहुत लागत का खाद डाला है । वादी ने यह दावा अनुचित लाभ उठाने के लिये दायर किया है ।

८—वादी २ साल तक जायदाद का लाभ भगड़े वाली जमीन का लगान शामिल करके वसूल करता और पट्टे को स्वीकार करता रहा है । अब वह दावा करने का अधिकारी नहीं है ।

३०—हिन्दू अविभक्त कुल (खानदान मुश्तर्का)

(१) पद ३० न० २ का अभियोग उत्तर जब कि
अविभक्त कुल होने से इनकार हो

१—धारा १ स्वीकार है ।

२—धारा २ में द्वारकादास व भिखारीदास का अविभक्त कुल का सदस्य होना स्वीकार नहीं है और न किसी लेन देन का साझे में होना स्वीकार है । किराने की दूकान कसामल द्वारकादास के नाम से होना स्वीकार है । वास्तविक हाल विशेष बयान में लिखा है ।

३—धारा ३ में सम्पत्ति नम्बर १ व बालाखान नम्बर २ का पैतृक होना स्वीकार है ।

४—धारा ४ में सम्पत्ति न० ३ का पैतृक होना स्वीकार है । बाकी स्वीकार नहीं है ।

५—धारा ५ में द्वारकादास और कसामल का देहान्त होना स्वीकार है । शेष वाते सत्य नहीं है ।

६—धारा ६ में सम्पत्ति न० ४ का विक्रय करना और दो मजिल दूकानों का रहन कराना स्वीकार है, परन्तु यह स्वीकार नहीं है कि अविभक्त सम्पत्ति की श्राय से नीलाम खरीदा गया या दूकानों रहन कराई गई और यह भी स्वीकार नहीं है कि फरौकैन उस पर अविभक्त रूप से काबिज़ हैं ।

७—अभियोग-पत्र की शेष सब धाराओं से कुल और प्रत्येक से इनकार है ।

- विशेष बयान ।

८—दोनों पक्ष अविभक्त हिन्दूकुल के सदस्य नहीं हैं । लगभग ३० वर्ष हुए द्वारकादास व भिखारीदास के परिवार का बटवारा होकर केवल किराने की दूकान साझे में रही ।

९—पैतृक सम्पत्ति में से मकान न० ३ प्रतिवादियों के अधिकार में है और बालाखाना न० २ वादियों के अधिकार में है और वह बटे हुये हैं ।

१०—केवल दूकान किराना नम्बरी १ सम्मिलित और अविभक्त है परन्तु उसमें से बहुत सा माल व असबाब व वहीलाते, दस्तावेज, जेवर इत्यादि जो विशेष कर प्रतिवादियों का था वादियों ने उनकी अनुपस्थित में पृथक कर लिये हैं ।

११—दूकान न० ४ और रहन की हुई दो मजिल दूकानों से वादियों का कोई सम्बन्ध नहीं है । वह प्रतिवादियों की सम्पत्ति हैं और उनके बटवारा कराने का वादियों का कोई अधिकार नहीं है ।

१२—गिरवी रखे आभूषण, उघाई और डिगरियों के बटवारा कराने का वादियों को कोई अधिकार नहीं है। उनमें से कोई वस्तु साभे की नहीं है।

१३—साभे की कोई रोकड प्रतिवादियों के अधिकार में नहीं है।

१४ बटवारे की सम्पत्ति का विवरण वादियों ने असत्य और उसका मूल्य मनमाना नियत किया है।

१५—नालिश का वाद कारण जो वादियों ने स्थिर किया है गलत है।

१६—किराने की दूकान और बालाखाने के अतिरिक्त वादियों का अधिकार किसी अन्य सम्पत्ति पर नहीं है और अन्य सम्पत्ति पर कब्जा अविभक्त होने का बयान असत्य है।

१७ प्रतिवादियों को किराने की दूकान बॉटने में कोई आपत्ति नहीं है और न कभी थी।

१८ - प्रतिवादी निवेदन करते हैं कि किराने की दूकान का बटवारा दोनों पक्षों में करा दिया जावे और प्रतिवादियों का खर्चा वादियों से दिलाया जावे।

(२) पद ३० न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब गोद न लिये जाने और वादी के उत्पन्न न होने की आपत्ति हो

प्रथम प्रतिवादी (डिग्रीदार) का प्रतिवाद पर निम्नलिखित है—

१ - वादी, द्वितीय प्रतिवादी का गोद लिया हुआ पुत्र नहीं है और न वह दोनों एक अविभक्त कुल के सदस्य हैं।

२—धरा २ में लिखी हुई सम्पत्ति द्वितीय प्रतिवादी की पैतृक है परन्तु उस पर वादी का कोई कब्जा किसी हैसियत से नहीं है और न वादी का उसमें अधिकार है। द्वितीय प्रतिवादी के जुम्मे ऋण उसके पिता के समय से चला आता था। उस ऋण के श्रदा करने और लड़की की शादी के खर्च की आवश्यकता से उसने आड़ी दस्तावेज तारीख २२ अगस्त सन् १९२८ को, उचित रीति से प्रतिवादी के नाम लिखा।

३—प्रतिवादी ने उसी दस्तावेज के आधार पर नीलाम की डिग्री प्राप्त की है और उसकी हजराय में भगड़े वाली सम्पत्ति नीलाम के योग्य है।

४—उक्त दस्तावेज लिखने के समय तक वादी उत्पन्न नहीं हुआ था और न उसकी गोद हुई थी। यदि वादी का गोद लिया जाना मान भी लिया जावे तो भी उसको कोई अधिकार आपत्ति करने का दस्तावेज २२ अगस्त सन् १९२८ और डिग्री नम्बरी ३४९ सन् १९पर, जो उसके आधार पर निर्माण हुई, नहीं है।

५ वादपत्र में जो बयान द्वितीय प्रतिवादी के विषय में भ्रष्ट और अव्ययी होने और प्रतिवादी के नाम वेजरुरत और बिना कुल सुआवजा लिये प्रमाण पत्र लिखने, के किये गये हैं, वह सही नहीं हैं।

६—प्रतिवादी विश्वास करता है कि यह नालिश इस अभिप्राय से दायर की गई है कि प्रतिवादी की डिग्री की इजराय इस भूगड़े में रुकी रहे और द्वितीय प्रतिवादी ने यह नालिश कराई है ।

(३) नालिश पद ३० न० ८ का उत्तर जब

कि अविभक्त कुल होने से इनकार हो

१—वाद-पत्र की धारा १ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि वादी और रामसहाय हिन्दू अविभक्त-कुल के सदस्य नहीं थे ।

२—धारा २ में रामसहाय का जून सन् १९३६ में देहान्त होना स्वीकार है । बाकी स्वीकार नहीं है ।

३—धारा ३ में प्रतिवादिनी का नाम रामसहाय वाली आधी सम्पत्ति पर माल के कागजों में दर्ज होना स्वीकार है । बाकी स्वीकार नहीं है ।

४—धारा ४ से इनकार है ।

५—धारा ५, ६, व ७ स्वीकार हैं ।

६—धारा ८, ९, व १० और वादी की प्रेरणा स्वीकार नहीं है ।

विशेष प्रत्युत्तर

७—रामसहाय और वादी अविभक्त-कुल के सदस्य नहीं थे । उनकी कुल सम्पत्ति बट्टी हुई थी और सारा कारोबार, खेती इत्यादि का, पृथक पृथक था । केवल जमींदारी सम्पत्ति में थी ।

८—रामसहाय ने मुनाफे की कई नालिशों वादी के ऊपर उन ग्रामों के विषय में दायर की जिनमें वादी नम्बरदार था और वह वादी के मुकाबले में डिगरी हुई और वादी ने अपनी सम्पत्ति का एक अंश रामसहाय के हाथ बेचा ।

९—रामसहाय का बटे हुये सदस्य की दशा में देहान्त हुआ और प्रतिवादिनी उसकी छोड़ी हुई कुल सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी व काबिज हुई और है । उसका नाम जायदाद जमींदारी पर माल के कागजात में दर्ज है ।

१०—वादी का रामसहाय की छोड़ी हुई सम्पत्ति में कोई स्वत्व नहीं है और न उसका सम्पत्ति के किसी भाग पर अधिकार है ।

११—वादी का व्यवहार प्रतिवादिनी के साथ अच्छा नहीं है । वह अपने भाग को अलग कराना चाहती है और इसीलिये उसने बटवारे के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है ।

१२—वादी, अपने आपका कुल सम्पत्ति का स्वामी घोषित नहीं करा सकता ।

(४) वाद-पत्र न० ११ पद ३० का उत्तर
अनेक आपत्तियों से

प्रतिवादी न० १ का प्रतिउत्तर निम्नलिखित है ।

१—धारा १ व २ स्वीकार है ।

२—धारा ३ में जुगल किशोर का देहान्त होना स्वीकार है परन्तु जुगल किशोर को मरे हुए बीस वर्ष से अधिक हुये । श्रीमती यमुना का जीवन-पर्यन्त दायभागी और मकान पर अधिकृत (काबिज) होना स्वीकार है, परन्तु श्रीमती पार्वती का मकान में अन्य कोई स्वत्व होने से इनकार है । उसका मकान में रहना स्वीकार है ।

३—धारा ४ असत्य है । श्रीमती यमुना स० १९२६ में हाथरस में मरी ।

४—धारा ५ में वशावली अधूरी है । जुगलकिशोर का एक दूसरा सगा भाई नन्मूल और था । नन्मूल का लड़का बलदेवदास है जो अब भी जीवित है ।

५—धारा ६ में वादी के, जुगलकिशोर का पश्चात् दायभागी (Reversioner) होने से इनकार है । बलदेवदास के जीवित होते हुए वादी पश्चात् दायभागी नहीं हो सकता और न उसको नालिश करने का अधिकार है ।

६—धारा ७ में ता० २२ अगस्त सन् १९३८ व ता० १० दिसम्बर सन् १९३८ के विक्रय पत्रों का लिखा जाना स्वीकार है परन्तु वह उचित रूप से लिखे गये । श्रीमती यमुना की मृत्यु के पश्चात् श्रीमती पार्वती १२ साल से अधिक अवधि तक मालिकान और मुखालफाना मकान पर काबिज रही और मकान की पूरी मालिक हो गई और उसने उचित रूप से मकान को विक्रय किया ।

७—धारा ८ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि उत्तरदाता प्रतिवादी का अधिकार १० दिसम्बर सन् १९३८ के विक्रयपत्र की तारीख से है । उससे पहिले प्रतिवादी न० २ का ता० २२ अगस्त सन् १९३८ के विक्रयपत्र द्वारा अधिकार था ।

८—धारा ९ से पूर्णतया इनकार है । प्रतिवादी का कब्जा स्वामी के रूप से उक्त मकान पर है ।

९—धारा १० स्वीकार नहीं है । वादी को कोई प्रतिकार अदालत से नहीं मिल सकता ।

१०—श्रीमती यमुना की मृत्यु के १२ साल से अधिक दिनों के बाद दावा दायर हुआ है और पद १२५ परिशिष्ट १ अवधि विधान के अनुसार उसमें अवधि समाप्त हो जाने के कारण अधिकार नष्ट हो गया है ।

११—वादी ने श्रीमती पार्वती को १२ साल से अधिक तक भगडे वाले मकान पर काबिज रहने दिया और वह उस पर मालिकाना कार्य करती रही । वादी ने नेकनीयत से पर्याप्त जाँच के बाद बदल देकर उसको खरीद किया ।

३१—हिन्दू विधवा और पश्चात्तदायभागी या अन्य जीवन दायभागी

(१) वाद-पत्र पद ३१ न० २ का प्रतिउत्तर
जब उत्तरजीवित्व का विरोध हो

प्रतिवादी न० १ व २ का उत्तर इस प्रकार है—

१—धारा १ व २ स्वीकार हैं ।

२—धारा ३ इस अन्तर से स्वीकार है कि ठाकुरदास अपने लड़कों के साथ हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्यों की हैसियत से सम्पत्ति के मालिक थे ।

३—धारा ४ व ५ स्वीकार हैं ।

४—धारा ६ व ७ स्वीकार नहीं है ।

विशेष कथन

५—कुल जायदाद ठाकुरदास के पिता राजकरन के समय की थी जिसमें ठाकुरदास के लड़के हीरालाल व मूल चन्द को जन्म लेने के समय से ही स्वत्व प्राप्त था ।

६—ठाकुरदास को कोई अधिकार पैतृक सम्पत्ति को दान (हिवा) करने का नहीं था और न वास्तव में कोई दान हुआ ।

७—ता० १२ मार्च सन् १९—का दान-पत्र कभी कार्यरूप में परिणत नहीं हुआ और न श्रीमती बिलासी को उसके द्वारा कोई सम्पत्ति मिली । दान-पत्र नाजायज था और १२ साल से अधिक अवधि तक बिना कार्य रूप में परिणत हुये पड़े रहने से बेकार हो गया ।

८—ठाकुरदास सन् १९२७ में मरे और हीरालाल और मूलचन्द हिन्दू अविभक्त कुल के बचे हुये सदस्यों की हैसियत से कुल जायदाद खानदानी के मालिक व काबिज हुये ।

९—मूलचन्द की मृत्यु पर जो मई सन् १९३३ में हुई, हीरालाल उत्तर जीवी होने के कारण उसका मालिक हुआ और काबिज रहा ।

१०—परिवार की स्त्रियों का नाम परिवार के सदस्यों के साथ केवल उनके विश्वास और संतोष के लिये माल के कागजों में दर्ज होता रहा, उनका कभी सम्पत्ति पर अधिकार नहीं हुआ और न उनका उसमें कोई स्वत्व था ।

११—हीरालाल ने उचित रूप से भगड़े वाली जायदाद का दानपत्र उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम किया और उसको दानपत्र लिखने का पूर्ण अधिकार था । श्रीमती बिलासी का नाम दानपत्र में इसलिये सम्मिलित करा लिया गया कि उसका नाम माल के कागजों में लिखा हुआ था ।

१२—प्रायः २० वर्ष से हीरालाल हकीयत का नम्बरदार था। और उसका भाई मूलचन्द प्रतिवादी और उसका पिता मोहनलाल उसके हकीयत का मालिक स्वीकार करते और उससे मुनाफा वसूल इसी हैसियत से करते रहे और उसके विरुद्ध उन्होंने चल व अचल सम्पत्ति का बटवारा कराया। अत्र वादी को इसके विपरीत कहने का अधिकार नहीं है।

१३—वादी हीरालाल का उत्तराधिकारी नहीं है और उसको दानपत्र ता० १४ जनवरी सन् १९३५ को खडित कराने का अधिकार नहीं है।

(२) वादपत्र पद ३१ न० ७ का प्रतिवाद-पत्र

जब नियमानुसार गोद होने से इनकार हो

१—धारा १ स्वीकार है।

२—धारा २ में वशावली स्वीकार नहीं है और वादी के पश्चात् दायभागी होने से इनकार है।

३—धारा ३ स्वीकार नहीं है। मृत रामलाल ने प्रतिवादी न० १ को मौखिक अनुमति गोद लेने की दी और मरने से एक सप्ताह पहिले एक वसीयतनामा भी लिखा और उसमें प्रतिवादी न० १ को पुत्र गोद रखने की आज्ञा दी। प्रतिवादी न० १ ने अपने पति की आज्ञानुसार प्रतिवादी न० २ को गोद लिया है और गोद लेने का सस्कार किया। गोद लेने की तारीख से वह प्रतिवादी के पास रहता है और वह रामलाल का दत्तक (गोद लिया हुआ) पुत्र है।

४—धारा ४ स्वीकार है।

५—धारा ५ में कुछ घटनायें असत्य रूप से वर्णित की गई हैं। रामलाल रेल लड़ जाने से घायल होकर दो महीने के लगभग बीमार रहे और इलाज कराते रहे। उन्होंने मृत्यु-लेख (वसीयत नामा) लिखा और गोद लेने की आज्ञा प्रतिवादिनी न० १ को दी। दूसरी घटनायें जो इस धारा में लिखी हैं उनसे इनकार है।

६—धारा ६ स्वीकार नहीं है, वादी को दावे का अधिकार नहीं है और न वह कोई प्रतिकार पा सकता है।

(३) वादपत्र पद ३१ न० ९ का अनेक विरोध पर निर्भर प्रतिवाद-पत्र

सम्पत्ति विक्रेता प्रतिवादी का प्रतिउत्तर निम्नलिखित है—

१—धारा १ वादपत्र में दी हुई वंशावली स्वीकार नहीं है। विशेष करके इस बात से इनकार है कि वादी नम्बर १ रामचन्द्र का लडका है।

२—वादपत्र की धारा २ के सम्बन्ध में सूची (अ) में जो सम्पत्ति का विवरण दिया है वह गलत है। ठीक विवरण विशेष बयान में दिया हुआ है।

३—धारा ३ स्वीकार है।

४—धारा ४ में इस बात से इनकार है कि लाला शिवमुखराय ने कोई चाल की।

शेष स्वीकार है। विक्रय पत्र तारीख ५ नवम्बर सन् १९२६ उचित रूप से लिखा गया।

५—धारा ४ में श्रीमती जय देवी की मृत्यु होना स्वीकार है परन्तु उसके मरने की ठीक तारीख ज्ञात नहीं है। बाकी से इनकार है।

६—धारा ६ से लेकर ९ तक स्वीकार नहीं है।

विशेष बयान

७—बालकिशुन एक अहाते के केवल अमले के मालिक थे जिसमें कुछ दूकानों और कच्चे मकान बने हुये थे। अहाते की भूमि उनके पास सर्वमालिक पट्टे पर थी जिसका वह वार्षिक लगान भूमि के स्वामी को दिया करते थे।

८—बालकिशुन की आर्थिक दशा बहुत दिनों से खराब थी वह सदा अन्य लोगों के ऋणी रहते थे।

९—बालकिशुन का लिखा हुआ अन्तिम प्रमाण पत्र १७ फरवरी सन् १९२३ ई० का पाँच सौ रुपये का था जिसमें इस अहाते का अमना आड़ था।

१०—बालकिशुन का ऋणी होने की दशा में सन् १९२४ ई० में देहान्त हुआ। उसके बाद से ही कुछ आदमियों ने जो अपने आपको असत्य रूप से बालकिशुन का कुटुम्बी प्रगट करते थे और एक पुरुष बुद्धू ने जो अपने आप को बालकिशुन का गोद लिया हुआ लड़का बतलाता था सम्पत्ति के अधिकार व दखल में अनुचित हस्तक्षेप करना आरम्भ किया।

११—इन पुरुषों से सन् १९२६ में मुकदमावाजी बल निकली जिसमें श्रीमती जय देवी का, जो बालकिशुन की उत्तराधिकारिणी थी बहुत खर्चा पड़ा और श्रीमती जयदेवी को बालकिशुन का ऋण अदा करने और मुकदमेंवाजी के व्यय और सम्पत्ति की मरम्मत के लिये, जिसकी दशा खराब और गिरी हुई हो गई थी, कई ऋण लेने पड़े।

१२—पहिला परिवर्तन श्रीमती जयदेवी ने ता० ३ नवम्बर सन् १९२८ को १५००) रुपये में गणेशीलाल वैजनाथ के पास किया और फिर उ३ ऋण को अदा करने और अपने निर्वाह के लिये उस सम्पत्ति को, विक्रय पत्र ता० ५ नवम्बर सन् १९२९ ई० के द्वारा प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी लाल शिवमुखराय के हाथ विक्रय कर दिया।

१३—विक्रय पत्र ता० ५ नवम्बर सन् १९२९ उचित आवश्यकता से लिखा गया और वह बालकिशुन के दायभागियों पर जो कोई हों, पाबन्दी के योग्य है।

१४—वादी नम्बर १ मृत बालकिशुन का दायभागी नहीं है और भगड़े वाली सम्पत्ति में उसका कोई हक नहीं है।

१५—वादी नम्बर २ उत्तरदाता प्रतिवादी के यहाँ विक्रयपत्र लिख जाने के बाद तक नौकर रहा और वेईमानी के कारण बरखास्त कर दिया गया। उसने वादी नम्बर १ को फरजी उत्तराधिकारी कायम करके साक्षिणी विक्रयपत्र बिना बदल दिये, आधी सम्पत्ति का अपने

नाम लिखा लिया है । उसका भी कोई अधिकार सम्पत्ति में नहीं है और दोनों वादी सम्पत्ति का दखल और पूर्वलाभ पाने के अधिकारों नहीं हैं ।

१६—पूर्वलाभ की संख्या वादियों ने अनुचित और गलत काम की है ।

१७.—प्रतिवादी ने ४०० रु० मकान बनाने में व्यय किया है । विक्रयपत्र का रुपया और तामीर की लागत दिये बिना वादी किसी दशा में उपशमन नहीं पा सकते ।

३२—पति और पत्नी

(१) नालिश पद ३२ नम्बर २ का प्रतिउत्तर जब कि कठोरता और निर्दयता की आपत्ति हो

१—धारा १ स्वीकार है ।

२—धारा २ इस अन्तर से स्वीकार है कि वादी एक बार दो साल तक अन्य देशों में नौकरी पर रहा और बहुधा बाहर रहता रहा और प्रतिवादी अधिकांश अपने पिता के मकान पर रहती रही । सन् १९२६ से पहिले कभी एक दफे में दो महीना से अधिक वादी और प्रतिवादी एक साथ नहीं रहे ।

३ - धारा ३ में घटनाये असत्य रूप से वर्णन की गई हैं । अप्रैल सन् १९२६ से लगातार प्रतिवादी को वादी के साथ रहने का अवकाश मार्च सन् १९२७ तक हुआ । इस समय में वादी ने प्रतिवादी के साथ बड़ी निर्दयता और कठोरता का व्यवहार किया । उसको कई बार मारा पीटा और खाने पीने की कुछ खबर नहीं ली । प्रतिवादी इस कठोरता के व्यवहार और खाने पीने के दुख से फरवरी सन् १९२७ में बीमार हो गई और बहुत दिनों तक बीमार पड़ी रही । वादी ने उसका कोई इलाज नहीं कराया ।

४—मार्च सन् १९२७ ई० में प्रतिवादी का पिता उसकी यह दशा देख कर उसको अपने घर लिवा ले गया और वहाँ उसका इलाज कराया और अभी इलाज करा रहा है । प्रतिवादी अब भी बहुत दुर्बल है ।

५—धारा ४ स्वीकार नहीं है ।

६—धारा ५ व ६ स्वीकार हैं । प्रतिवादी को वादी के साथ रहने में अपने जीवन का भय है । वह किसी प्रकार वादी का कठोर व्यवहार सहन नहीं कर सकती और उसके साथ रहना नहीं चाहती ।

७—ऊपर लिखी हुई दशा में वादी को नालिश करने का अधिकार नहीं है और न उसको कोई प्रतिकार माँगने का अधिकार है ।

३३—मुसलिम शास्त्र

(१) नाक़िश पद ३३ न० १ का प्रतिवाद पत्र जब कि
निकाह जायज़ होने का उज़्र हो

१—दफा १ अर्जीदावा तसलीम है ।

२—दफा २ में निकाह का होना तसलीम है । दूसरे वाक़आत तसलीम नहीं है ।
वादी का निकाह प्रतिवादी के साथ वादी की माँ ने वादी के मामा की सलाह और राय से
किया ।

३—दफा ३ से त्रिकुल इनकार है । वादी सन् १९४६ ई० में त्रालिग हुई
उसने उस समय निकाह को नामन्जूर नहीं किया । उसके पहिले से वादी और प्रतिवादी पति
पत्नी की तरह रहते थे और त्रालिग हो जाने के बाद भी वादी बराबर नवम्बर सन् १९४७ तक
प्रतिवादी के साथ रही और फरीकैन मर्द औरत की तरह रहते रहे ।

४—अर्जीदावे में वादी का यह बयान कि फरीकैन पति पत्नी की तरह एक साथ नहीं
रहे और निकाह की पूर्ति नहीं हुई सही नहीं है ।

५—वादी को मुसलिम शास्त्र (शरअ मुहम्मदी) के अनुसार निकाह तोड़ने और
उसको खंडित कराने का कोई अधिकार नहीं है और न था । अर्जीदावे की दफा ४
तसलीम नहीं है ।

६—यदि वादी का कोई ऐसा स्वत्व बिना स्वीकार किये अनुमान भी कर लिया
जावे तो वह स्वत्व वादी के त्रालिग होने के बाद प्रायः २ साल तक प्रतिवादी के साथ पत्नी
की तरह रहने से जाता रहा ।

(२) नाक़िश पद ३३ न० ९ का बयान तहरीरी जब ' महर '

की संख्या और उसके अदा न होने का उज़्र हो

१—प्रतिवादी का देन महर मुत्रलिग १७०००) रुपया था । वादी का यह बयान
कि वह २५००) रुपया था सही नहीं है ।

२—आमदनी जायदाद मतरुका जो देन महर के बदले में प्रतिवादी के अधिकार में
है मुत्रलिग २००) रुपया माहवार है, जो महर के रुपये का सूद अदा करने के लिये भी
काफ़ी नहीं होती ।

३—हिसाब से , देन मेहर और उसका सूद ६) रुपया सैकड़ा सालाना की दर से
मुत्रलिग..... रुपया होता है जो अभी तक बाकी है ।

४—वादी को देन महर और उसका सूद अदा किये बिना कब्जा माँगने का
कोई अधिकार नहीं है ।

(३) नालिश पद ३३ न० १३ का उत्तर जब रिश्तेदारी से इनकार हो और कब्जा मुत्वालिफाना होने का उज्र हो

वयान तहरीरी मुद्दायलहम फरीक अक्वल (खरीदार जायदाद) नीचे लिखे प्रकार है—

१—धारा १ अर्जादावे मे काजी लताफत हुसेन का वादी का पिता होना स्वीकार नहीं है बाकी स्वीकार है ।

२—धारा २ स्वीकार है ।

३—धारा ३ में काजी लताफत हुसेन की मृत्यु की तारीख ठीक नहीं मालूम और वादी का उनकी लड़की और वारिस होना स्वीकार नहीं है बाकी स्वीकार है ।

४ - धारा ४ स्वीकार नहीं है ।

५ - धारा ५ में बैनामा लेना और काबिज होना स्वीकार है बाकी से इनकार है ।

६—धारा ६ से लेकर ९ तक मय दादरसी कुल से और हर एक से इनकार है ।

विशेष प्रतिवाद

७—वादी लड़की काजी लताफत हुसेन की नहीं है और न उसका उनकी मतरूका जायदाद में कोई स्वत्व है ।

८—काजी लताफत हुसेन को मरे २५ साल हुये । तारीख दायर होने नालिश से पहिले १२ साल के अन्दर वादी का कब्जा भगड़े वाली जायदाद पर या किसी दूसरी जायदाद मतरूका काजी लताफत हुसेन पर नहीं रहा । पद १४४ परिशिष्ट १ अवधिविधान सन् १९०८ के अनुसार दावे में अवधि समाप्त हो गई है ।

९—काजी लताफतहुसेन की मृत्यु पर उनकी मृत संपत्ति के मालिक और काबिज मुसम्मात शरीफन विधवा, मुसम्मात अलीमन उनकी लड़की; और अब्दुलमजीद उनका लडका, हुये और इन्हीं का नाम जमीदारी संपत्ति पर माल के कागजों में दर्ज हुआ ।

१०—मुसम्मात शरीफन व मुसम्मात अलीमन ने दस्तावेज सन् १९३३ के जरिये से अपने हक विरासत से अब्दुलमजीद के हक में दस्तवरदारी कर दी । उस समय से अब्दुल मजीद कुल जायदाद मतरूका काजी लताफत हुसेन पर मय भगड़े वाली जायदाद के काबिज रहा ।

११—उत्तरदाता प्रतिवादी ने उचित अन्वेषण और सरकारी कागजों का निरीक्षण करने के बाद नेक नीयती से भगड़े वाली जायदाद को अब्दुलमजीद से उचित मूल्य देकर खरीद किया और अदालत में ३०००) रुपया दाखिल करके जायदाद को रहन से छुटाकर कब्जा हासिल किया । वादी का दावा धारा ४१ सम्पत्ति हस्तान्तर विधान से वर्जित है ।

१२—उत्तरदाता प्रतिवादी जायदाद पर सन् १९२२ ई० से काबिज हैं । उसने अपने आपको जायदाद का पूरा मालिक विश्वास करके करीब ४०००) रुपया जायदाद की मरम्मत और दुरुस्ती में खर्च किये और वादी और उसका पति जो उसी जायदाद के समीप रहते हैं प्रतिवादी के इस कार्य को देखते रहे और इस समय तक चुप रहे और अपनी अकार्यता (तर्कफेल) से प्रतिवादियों को यह विश्वास दिलाया कि वादी का उसमें कोई हक नहीं है । धारा ११५ साक्ष्य विधान (Evidence Act) के अनुसार वादी का दावा रोकवाद (Estoppel) के नियम से वर्जित है ।

३४—अग्रक्रयाधिकार (हक शफा)

(१) वादपत्र पद ३४ न० २ का प्रतिउत्तर जब रिवाज से इनकार हो

प्रतिउत्तर खरीदार सम्पत्ति की ओर से ।

१—धारा १ स्वीकार है ।

२—धारा २ में रिवाज से इनकार है वाजिबुलअर्ज में इन्दराज होना स्वीकार है ।

३—धारा ३ में विक्रय पत्र कराना स्वीकार है परन्तु उसके सम्बन्ध में जो बयान किये गये हैं वह स्वीकार नहीं है !

४ धारा ४ से लेकर ६ तक प्रत्येक और कुल स्वीकार नहीं हैं ।

विशेष कथन

५—मौजा नूरपुर में कोई प्रथा शफा की नहीं है ।

६—पहिले की वाजिबुलअर्ज में इन्दराज प्रतिज्ञा के रूप में था जो बन्दोबस्त की अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो गया । हाल के बन्दोबस्त की वाजिबुलअर्ज में कोई शर्त शफे का नहीं है वादी को पुरानी वाजिबुलअर्ज के आधार पर दावा करने का अधिकार नहीं है ।

७—उत्तरदाता प्रतिवादी और वादी एक थोक में हिस्सेदार हैं । प्रतिवादी अजनबी नहीं है और उसके विरुद्ध वादी को अग्रमान स्वत्व शफा की प्रथा होने की दशा में भी नहीं है ।

८—वादी ऋणी है और उसको जायदाद खरीदने की सत्ता नहीं है । क्रय का मामला स्वयं वादी ने कराया और यह ब्रैनामा उसकी अनुमति और सूचना से हुआ ।

९—ब्रैनामे में बदल का रुपया जो लिखा है वह सही है उसका कोई भाग कल्पित नहीं है ।

(२) वादपत्र-वद ३४ न० ४ का प्रतिउत्तर जब रिवाज
और तलव से इनकार हो

क्रेता का प्रतिवाद पत्र

१—धारा १ अर्जीशवे मे वादी का प्रतिवादी द्वितीयपक्ष के साथ मिला हुआ हिस्सेदार होना स्वीकार नहीं है ।

२—धारा २ से इनकार है । भगडे वाले मौजों में कोई रिवाज शफा नहीं है । पहिली वाजिबुलअर्ज प्रतिशा के रूप मे थी जो बन्दोबस्त के वाद मंसूख और बेकार हो गई ।

३—धारा ३ स्वीकार नहीं है । पहिली वाजिबुलअर्ज प्रचलित नहीं है और उसके आधार पर दावा अनुचित है । हाल की वाजिबुलअर्ज में शफा की कोई प्रथा दर्ज नहीं है ।

४—धारा ४ में बैनामा (विक्रय-पत्र) होना स्वीकार है परन्तु यह बयान गलत है कि वह बैनामा वादी की बिना सूचना और ज्ञान के हुआ । वह वादी की अनुमति और ज्ञान से हुआ । वादी पर बहुत ऋण है और उसको जायदाद खरीद करने की काबलियत नहीं है वह खरीदारी पर तत्पर नहीं हुआ अब उसको शफा का दावा करने का स्वत्व नहीं है ।

५—वादी का यह बयान कि बैनामे के रुपये का कुछ भाग कल्पित था असत्य है । ७१४६ ≡) रु० ८ पाई नकद रजिस्ट्री के समय दिया गया और २३५३॥) ४ पाई, अमानत में छोड़ा गया ।

६—धारा ५ से इनकार है ।- मुसलिम शास्त्रानुसार वादी को शफा का अधिकार नहीं है और वादी ने ' तलब मुवास्वत ' और ' तलब इश्तशहाद ' अदा नहीं की ।

७—धारा नम्बर ६ व ७ व ८ कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं ।

८—धारा ६ में यह स्वीकार है कि अमानत का रुपया अभी अदा नहीं हुआ । वादी कोई प्रतिकार पाने का अधिकारी नहीं है ।

३५—जमींदार और प्रजा

(१) वाद-पत्र पद ३५ न० १ का प्रतिउत्तर

जब कि क्रय करने की प्रथा

होने की आपत्ति हो

क्रेता प्रतिवादी निम्नलिखित निवेदन करता है ।

१—वाद-पत्र की धारा १, २, व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा ४ से इनकार है । ग्राम सखनी में सदा से मकानों के हस्तान्तर करने की प्रथा चली आती है और ग्राम के निवासी अपने मकानों को क्रय व रहन और अन्य रूप से हस्तारिन्त करते हैं और इन्तिकाल लेने वाले जमींदार की किसी रोक टोक के बिना उन पर काबिज रहने हैं और इसी तरह उनके दूसरों के हाथ मुन्तकिल कर सकते हैं ।

३—धारा ५ स्वीकार नहीं है । त्रैनामा वादी पर पाबन्दी के योग्य है । उसके द्वारा प्रतिवादी का बिक्रे हुये मकान पर अधिकार उचित रूप से है ।

४—धारा ६, ७ व ८ और वादी की प्रार्थना कुल से और प्रत्येक से इनकार है ।

(२) वादपत्र पद ३५ न० ३ का बयान

तहरीरी जब लावारिसी से इनकार हो

१—धारा १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा ४ मे श्रीमती जमना का सन् १९३८ में मरना स्वीकार है लेकिन इससे इनकार है कि वादी जमींदार की हैसियत से मकान का मालिक हुआ । हीरा प्रतिवादी का चचेरा भाई था, श्रीमती जमना के मरने पर प्रतिवादी उसका उत्तराधिकारी हुआ और उचित रूप से मकान पर काबिज है ।

३—धारा ५ मे भगड़े वाले मकान के निकट प्रतिवादी का निवास स्थान होना स्वीकार है और मकान पर उसका अधिकार करना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है । प्रतिवादी ने मई सन् १९३८ में श्रीमती जमुना के मरने पर जायज तरह से मकान का अधिकार प्राप्त किया ।

४—धारा ६ और उपशमन स्वीकार नहीं है ।

३६—दखल और पूर्वलाभ (वासलात)

(१) वादपत्र पद ३६ न० ६ का प्रतिवाद पत्र

जब आपत्ति विमुखाधिकार

होने की हो

१—धारा १ व २ इस परिवर्तन के साथ स्वीकार है कि प्रतिवादी का अधिकार २५ साल से अधिक से स्वामी के रूप में वादी के विमुख रहा है ।

२ - धारा ३ स्वीकार नहीं है , नन्हे के लापता हुये ५० साल से अधिक हो गये । इस समय मे वह कभी ग्राम मे नहीं आया और न उसकी किसी आदमी को खबर मिली ।

३—नन्हे की मृत्यु के कानून के विचार से १२ साल से अधिक बीत गये । अब उसकी सम्पत्ति किसी उत्तराधिकारी के नहीं मिल सकती दावे मे अवधि समाप्त हो चुकी है ।

४—धारा ४ में वंशावली अशुद्ध है नन्हे के पुरखा गुलाब का केई लड़का सीताराम वादी का दादा नहीं था ।

५—धारा ५ से इनकार है वादी नन्हे का उत्तराधिकारी नहीं है ।

६—धारा ६ स्वीकार नहीं है । वादी की दी हुई वंशावली से प्रतिवादी नन्हे का उत्तराधिकारी है ।

७—धारा ७ स्वीकार है ।

८—धारा ८ से इनकार है और वादी का दखल व पूर्व लाभ पाने का अधिकारी होना स्वीकार नहीं है ।

(२) वादपत्र ३६ न० ९ का प्रतिवाद पत्र जब

अनुचित दखल करने से इनकार हो

१—प्रतिवादी ने अपना मकान नये सिरे से बनाने में वादी की केई खाली भूमि अपने मकान मे नहीं सम्मिलित की ।

२—प्रतिवादी का मकान पुरानी नीव पर बना है और उसकी पैमाइश अब भी मौके पर उतनी ही मौजूद है जो विक्रयपत्र ता०.....महीना.....सन् में दी हुई है, जिसके द्वारा प्रतिवादी ने मकान क्रय किया ।

३—प्रतिवादी अपने मकान को साधारण रूप से तामीर कर रहा है । वादी सब शिकायतें, उसकी जमीन दवाने और जल्दी से तामीर करने की वावत अनुचित और असत्य हैं ।

(३) वार्दपत्र पद ३६ न० १० का प्रतिवादेपत्र
बहुत सी आपत्तियों से

प्रतिवाद पत्र ठाकुर कल्यानसिंह प्रतिवादी न० २—

१—धारा १ वादपत्र स्वीकार है ।

२—धारा २ में ठाकुर रामप्रसादसिंह का २ अप्रैल सन् १९१३ को देहान्त होना स्वीकार है और यह भी स्वीकार है कि उन्होंने वादिनी को गोद लेने की अनुमति दी थी लेकिन किसी इकरारनामे के होने से इनकार है ।

३—धारा ३ में ता० २१ मार्च सन् १९१७ को गोविन्दपाल सिंह का गोद लिया जाना स्वीकार है शेष स्वीकार नहीं है । गोविन्दपाल सिंह किसी शर्त के साथ गोद नहीं लिये गये, वह रियासत हसनगढ़ के स्थायी मालिक थे और इन्तिकाल करने का अधिकार रखते थे । किसी इकरारनामे के लिखे जाने और उसकी पाबन्दी से इनकार है ।

४—धारा ४ से बिल्कुल इनकार है । गोविन्दपाल सिंह एक बुद्धिमान, समझदार, चतुर और दूरदर्शी व्यक्ति थे और उनके पूरी होशियारी और योग्यता जायदाद के प्रबन्ध की थी, वह उर्दू, हिन्दी और कुछ अंग्रेजी पढ़े हुए थे । वह न शराब पीते थे और न कोई दूसरा नशा करते थे और न उनका स्वास्थ्य ही खराब था ।

५—धारा ५ में प्रतिवादी की धेवती का विवाह गोविन्दपाल सिंह से होना और गोविन्दपाल सिंह का ठेका ७ साल की अवधि का लिखाना स्वीकार है शेष बातें असत्य हैं और दुश्मनी और द्वेष से वर्णन की गईं हैं ।

६—धारा ६ में लिखी सब बातें झूठ हैं, उन सब से और प्रत्येक से इनकार है ।

७—धारा ७ में गोविन्दपाल सिंह की स्त्री का उनसे पहिले मरना स्वीकार है बाकी से इनकार है । उनकी स्त्री कुछ दिनों साधारण रूप से बीमार रह कर मरी ।

८—धारा ८ में मृत्यु लेख का लिखा जाना स्वीकार है । उसके सम्बन्ध में जो बातें बयान की गईं हैं वह झूठ हैं, उनसे प्रतिवादी इनकार करता है ।

९—धारा ९ के कुल और प्रत्येक बयान से प्रतिवादी को इनकार है ।

१०—गोविन्दपाल सिंह ने ता० १७ अगस्त सन् १९३६ को तन्दुफरती की दशा में जब उनके होश हवास ठीक थे अपनी राजी और इच्छा से मृत्युलेख को उसके समाविष्ट विषय और कानूनी प्रभाव को अपने स्वतंत्र पर सोच समझ कर इस विचार से दगपाल सिंह के नाम लिखवाया कि रियासत हसनगढ़ कायम रहे और ता० १६ अगस्त सन् १९३६ को उसकी रजिस्ट्री करा दी ।

११—निष्ठा-पत्र (मृत्युलेख) सच्चा और वास्तविक है और उस पर वाची सम्मानित और विनामेल वाले लोगो की हैं । उस मृत्युलेख से गोविन्दपालसिंह की अन्तिम इच्छा और चाहना प्रकट होती है । वादिनी ने जो बयान इसके विरुद्ध किये हैं वह सत्य नहीं हैं ।

१२—गोविन्दपाल सिंह विना किसी बन्धन या शर्त के गोद लिये गये थे और वह सम्पत्ति के पूर्ण स्वामी और मालिक थे और उनके हर तरह से रियासत के हस्तान्तर करने का अधिकार था ।

१३—मुकद्दमा नम्बरी २५४ सन् १६२३ गोविन्दपाल सिंह को रियासत हसनगढ़ का दखल प्राप्त करने के लिये वादिनी के मुकाबले में सबजजी अलीगढ़ में दायर करना पड़ा और वह हाईकोर्ट तक लडा और गोविन्दपाल सिंह रियासत के पूरे और स्थायी मालिक निर्णित हुये और वादिनी को केवल १८००) ६० साल निर्वाह और हसनगढ़ की गद्दी में रहने का अधिकार दिया गया । उस मुकद्दमें के निर्णय के अनुसार अब वादिनी गोविन्दपाल सिंह का अधिकार पूर्ण और स्थिर होने से इनकार नहीं कर सकती और न वह मृत्युलेख को इस आधार पर अवैध कह सकती है । पूर्व न्याय (Res Judicata) का नियम उसमें वर्जित करता है ।

१४—धारा १० स्वीकार नहीं है । गोविन्दपाल सिंह का दखल का दावा दायर करने और उसके हाईकोर्ट तक लडने में बहुत खर्च पड़ा और वादिनी उन दिनों सम्पत्ति पर काबिज रह उसकी आय अपने खर्च में लाती रही । इसके अतिरिक्त गोविन्दपाल सिंह कुछ दिनों तक बीमार रहे और उनके इलाज में खर्च पड़ा और गोविन्दपाल सिंह के लड़की पैदा हुई थी उसकी खुशी में खर्च हुआ, इन सब कारणों से उन पर लगभग २००००) ६० कर्ज हो गया था । उसके चुकाने के लिये उन्होंने रियासत के एक भाग का ठेका दे दिया था ।

१५—मृत्युलेख लिखने समय ठेके की अवधि समाप्त नहीं हुई थी और लगभग ११०००) ६० ऋण का शेष था । उन्होंने प्रतिवादी की अनुमति से ठेका मंजूख करके एक लेख लिख दिया और ऋण वेवाक करने का प्रबन्ध मृत्युलेख के कार्यकर्ता के उत्तरदायित्व पर रक्खा ।

१६—धारा ११ में गोविन्दपाल सिंह के मरने पर वादिनी का नाम चढ़ाने का प्रार्थना पत्र देना स्वीकार है, शेष से इनकार है ।

१७—धारा १२, १३, १४ व १५ और उपशमन कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं है ।

१८—मृत्युलेख की मसूखी के दावे में पद-परिशिष्ट १ अवधि विधान १६०८ के अनुसार अवधि समाप्त हो गई है ।

१९—मृत्युलेख के बाद, वादिनी का कोई अधिकार रियासत हसनगढ़ में शेष नहीं रहा है ।

३७—स्वत्व घोषणा (इस्तकरार)

(१) वाद-पत्र पद ३७ न० का प्रतिवाद पत्र, जब

कि ऋणी के मालिक होने से

इनकार हो

१—वादपत्र की धारा १ व २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा ४ व ५ व ६ और दादरसी प्रत्येक से और सब ने इनकार है ।

विशेष बयान

३—भगड़े वाली सम्पत्ति का मालिक व काबिज प्रतिवादी है ; वादी का उसमें कोई स्वत्व या अधिकार नहीं है ।

४—उक्त सम्पत्ति का आधा हिस्सा प्रतिवादी का पैतृक है और शेष आधा हिस्सा उसने (अ—व) से ता०.....के विक्रय से खरीद किया और खरीदने के दिन से जिसको कि १२ साल से अधिक हो गये, वह मालकाना और मुखालिफाना कुल सम्पत्ति पर काबिज है ।

५—डिग्री ऋणी का इस सम्पत्ति पर १२ साल के अन्दर कभी कब्जा नहीं रहा और उसका कोई अधिकार माना भी जावे तो उसमें अवधि समाप्त हो चुकी है ।

(२) वादपत्र पद ३७ न० ६ का प्रतिवाद-पत्र जब कि

इन्तिकाल जायज़ होने की आपत्ति हो

१—वादपत्र की धारा १ व २ स्वीकार नहीं है ।

२—धारा ३ में विक्रयपत्र का लिखा जाना स्वीकार है अन्य बातों से इनकार है ।

३—धारा ४ वादी ने जैसे बयान की है स्वीकार नहीं है वास्तविक घटनाएँ विशेष बयान में लिखी हैं ।

४—धारा ५, ६, ७, ८ व ९ सब से और प्रत्येक से इनकार है ।

विशेष बयान

५—प्रतिवादिनी का निकाह प्रतिवादी न० २ से सन् १९..... मे हुआ और देन मेहर २५०००) रु० का करार पाया और उसके विषय में प्रतिवादी न० २ ने प्रतिवादिनी के नाम ता०.....को काबिज नामा (Dower deed) लिख दिया ।

६—देन मेहर के २५०००) रु० में से १५०००) रु० के बदले प्रतिवादी न० २ ने लगभग ६ साल हुये अपनी सम्पत्ति जमींदारी प्रतिवादिनी को बँ कर दी जिस पर प्रतिवादिनी काबिज है और उसका नाम माल के कागज़ों में दर्ज है ।

७—देनमेहर के शेष १००००) रु० में प्रतिवादी न० २ ने अपनी दूसरी सम्पत्ति प्रतिवादिनी के हाथ बेच दी और उसी रोज से प्रतिवादिनी उस पर काबिज है और उसका नाम माल के कागजों में दर्ज है ।

८—इस जायदाद की लगान की तहसील वसूल प्रतिवादिनी के कारिन्दे करते हैं और मुसन्ना बही से रसीद देते हैं और सरकारी मालगुजारी अदा करते हैं और कुल सम्पत्ति की प्रतिवादिनी नम्बरदार है ।

९—प्रतिवादी न० २ का सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है और न कोई उसका हक है ।

१०—वाद पत्र के यह बयान कि दिखावटी देन मेहर के बदले में विक्रयपत्र लिखा गया और प्रतिवादी न० २ सम्पत्ति पर काबिज है और लगान वसूल करता है शलत और भूँठ है ।

(३) वादपत्र पद ३७ त० ११ का प्रतिवाद जब कि विक्रय पत्र के जायज़ होने का उज्र हो

प्रतिवादी न० १ (सम्पत्ति के क्रेता) का प्रतिवाद पत्र—

१—वादपत्र की धारा १ व २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा ४ में वादी का अवयस्क होना और प्रतिवादी न० २ का उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम विक्रय पत्र लिखना स्वीकार है, अन्य बातों से इनकार है ।

३—भगड़े वाली सम्पत्ति और दूसरी सम्पत्ति के साथ ता०.....के लिखे हुए प्रमाण पत्र (दस्तावेज) के द्वारा २०००) रु० में एक आदमी हरगूलाल के पास हरलाल की ओर से आड़ थी । दस्तावेज में १) रु० सैकड़े मासिक सूद की दर थी और सूद दर सूद छः माही था और कुल सम्पत्ति के डूब जाने का भय था ।

४—प्रतिवादिनी न० २ वादी की प्राकृतिक संरक्षक (अभिभावक) है उसने वादी के अन्य सम्बन्धियों से विचार परामर्श करके सम्पत्ति पर १) सै० मासिक सूद का हिसाब लगा कर ३०००) रु० में प्रतिवादी के हाथ विक्रय किया और हरगूलाल का आड़ का रुपया वेचकर करके दूसरी जायदाद आड़ से ऋण-रहित करा ली ।

५—प्रतिवादिनी न० २ एक समझदार और चतुर स्त्री है और उसने जायदाद की वादी के प्राकृतिक संरक्षक की हैसियत से उचित मूल्य पर उसके लाभ के लिये बेची । प्रतिवादी ने न उसको बहकाया और न कोई धोखा दिया और विक्रय पत्र में लिखी हुई सब बातें सच हैं ।

६—धारा ५ से इनकार है । भगड़े वाली सम्पत्ति का बाजारी मूल्य ३०००) रु० से किसी प्रकार अधिक नहीं है और मूल्य का कुल रुपया ऋण की अदायगी में, जिसका देनदार वादी था, व्यय हुआ और उससे वादी का लाभ हुआ ।

७—धारा ७ से बिल्कुल इनकार है ।

८—धारा ८ स्वीकार नहीं है । प्रतिवादी का नाम अदालत माल में दाखिल हुए एक साल हो गया और वह सन्.....फसली का लगान भी ठेकेदार से वसूल कर चुका है । अब ठेकेदार का अधिकार प्रतिवादी की ओर से है ।

९—केवल इस्तफरार का दावा धारा ४२ विशेष उपशमन विधान (Sec. 42 Specific Relief Act.) के अनुसार कायम रहने योग्य नहीं है ।

१०—धारा ९ व १० से, सब से व प्रत्येक से इनकार है ।

३८—लिमिटेड कम्पनी

(१) वादपत्र पद ३८ नम्बर १ का प्रतिवाद पत्र
बहुत सी आपत्तियों से

१—वाद पत्र की धारा १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा ४ स्वीकार नहीं है प्रतिवादी को कोई हिस्सा एलाट (Allot दिया) नहीं किया गया और न कोई सूचना एलाटमेंट की प्रतिवादी को दी गई ।

३—धारा ५ स्वीकार नहीं है । जो मॉगे वादी प्रकट करता है वह नहीं की गई और न उनका कोई उचित नोटिस प्रतिवादी को दिया गया ।

४—धारा ६ व ७ और दादरसी कुल और प्रत्येक, प्रतिवादी को स्वीकार नहीं हैं ।

५—वादी कम्पनी के मेनेजिंग डायरेक्टर ने प्रतिवादी को धोखा देकर और भूँटा प्रासपेक्टस दिखला कर हिस्से खरीदने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी से ले लिया था इसके बाद जब वास्तविक बात प्रतिवादी को मालूम हुई और उसने धोखा देने का अभियोग (फौजदारी दावे की अर्जी) मिनेजिंग डायरेक्टर और कम्पनी के दूसरे डायरेक्टरों पर करना चाहा तो उन लोगो ने यह कह दिया कि प्रतिवादी को कोई हिस्से एलाट नहीं किये जावेगे और दरखास्त का रुपया (Application Money) वापिस कर दिया जावेगा और उसकी बात एक लेख प्रतिवादी के हवाले कर दिया जो नथी किया जाता है ।

६—प्रतिवादी कम्पनी का हिस्सेदार नहीं है ।

७—प्रतिवादी के जुम्मे किसी एलाटमेंट या माँग के रुपये नहीं निकलते हैं ।

(२) प्रतिवाद पत्र, वाद पद ३८ न० ५ का
जब उत्तरदायित्व से इनकार हो

१—धारा १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा ४ स्वीकार नहीं है । वादी ने कोई साधारण अधिवेशन हिस्सेदारों का ता०.....मा०.....सन्.....को या किसी अन्य तारीख पर नहीं किया । और न उक्त अधिवेशन या किसी दूसरे अधिवेशन की सूचना प्रतिवादी को दी ।

३—कोई ऋण अदा करने की कार्य प्रणाली और वाकीदार हिस्सेदारों की सूची प्रतिवादी के ज्ञान और सूचना में प्रस्तुत नहीं हुई और किसी स्कीम (कार्य प्रणाली) और सूची का नियम के अनुसार तैयार होना प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है ।

४—धारा ५ से लेकर ८ तक प्रत्येक से और कुल से प्रतिवादी को इनकार है ।

५—प्रतिवादी के जुम्मे किसी माँग का रूपया वाजिब नहीं है ।

६—कम्पनी का बहुत अधिक रूपया डायरेक्टरों और मेनेजिंग डायरेक्टर के जुम्मे वाकी हैं जब तक वह रुपये अदा न करे दूसरे हिस्सेदारों से माँग करना अनुचित है ।

३६—बीमा

(१) वाद-पत्र पद ३९ न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब
असत्य वर्णन और आत्म हत्या का उद्गार हो

१—वादी ने बीमा कराने के समय प्रतिवादी से यह प्रकट नहीं किया था कि ज—द को साल भर में या उसके कुछ दिन आगे पीछे एक विशेष पीड़ा का दौरा होता है जिससे वह बहुत कमजोर और मृततुल्य हो जाता है और जीवन की आशा कम रह जाती है ।

२—यह बात बड़ी आवश्यक थी जिसको वादी जानता था परन्तु उसने प्रपंच से प्रतिवादी को प्रकट नहीं किया और प्रतिवादी को इसका ज्ञान नहीं था ।

३—प्रतिवादी को ज्ञात हुआ है कि (ज—द) ने ऐसी पीड़ा की दशा में जीवन से तग आकर आत्म हत्या की और ऐसी दशा में पालसी की धारा ६ के अनुसार बीमा मंसूख और बेकार हो गया और प्रतिवादी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया ।

७—धारा ७ से बिल्कुल इनकार है ।

८—धारा ८ स्वीकार नहीं है । प्रतिवादी का नाम अदालत माल में दाखिल हुए एक साल हो गया और वह सन्.....फसली का लगान भी ठेकेदार से वसूल कर चुका है । अब ठेकेदार का अधिकार प्रतिवादी की ओर से है ।

९—केवल इस्तकरार का दावा धारा ४२ विशेष उपशमन विधान (Sec. 42 Specific Relief Act.) के अनुसार कायम रहने योग्य नहीं है ।

१०—धारा ९ व १० से, सब से व प्रत्येक से इनकार है ।

३८—लिमीटेड कम्पनी

(१) वादपत्र पद ३८ नम्बर १ का प्रतिवाद पत्र

बहुत सी आपत्तियों से

१—वाद पत्र की धारा १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा ४ स्वीकार नहीं है प्रतिवादी को कोई हिस्सा एलाट (Allot दिया) नहीं किया गया और न कोई सूचना एलाटमेंट की प्रतिवादी को दी गई ।

३—धारा ५ स्वीकार नहीं है । जो माँगे वादी प्रकट करता है वह नहीं की गई और न उनका कोई उचित नोटिस प्रतिवादी को दिया गया ।

४—धारा ६ व ७ और दादरसी कुल और प्रत्येक, प्रतिवादी को स्वीकार नहीं हैं ।

५—वादी कम्पनी के मेनेजिंग डायरेक्टर ने प्रतिवादी को धोखा देकर और भूँठा प्रासपेक्टस दिखला कर हिस्से खरीदने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी से ले लिया था इसके बाद जब वास्तविक बात प्रतिवादी को मालूम हुई और उसने धोखा देने का अभियोग (फौजदारी दावे की अर्जी) मिनेजिंग डायरेक्टर और कम्पनी के दूसरे डायरेक्टरों पर करना चाहा तो उन लोगो ने यह कह दिया कि प्रतिवादी को कोई हिस्से एलाट नहीं किये जावेगे और दख्वास्त का रुपया (Application Money) वापिस कर दिया जावेगा और उसकी बाबत एक लेख प्रतिवादी के हवाले कर दिया जो नत्थी किया जाता है ।

६—प्रतिवादी कम्पनी का हिस्सेदार नहीं है ।

७—प्रतिवादी के जुम्मे किमी एलाटमेंट या माँग के रुपये नहीं निकलते हैं ।

(२) प्रतिवाद पत्र, वाद पद ३८ न० ५ का
जब उत्तरदायित्व से इनकार हो

१—धारा १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा ४ स्वीकार नहीं है । वादी ने कोई साधारण अधिवेशन हिस्सेदारों का ता०.....मा०.....सन्.....को या किसी अन्य तारीख पर नहीं किया । और न उक्त अधिवेशन या किसी दूसरे अधिवेशन की सूचना प्रतिवादी को दी ।

३—कोई ऋण अदा करने की कार्य प्रणाली और वाकीदार हिस्सेदारों की सूची प्रतिवादी के ज्ञान और सूचना में प्रस्तुत नहीं हुई और किसी स्कीम (कार्य प्रणाली) और सूची का नियम के अनुसार तैयार होना प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है ।

४—धारा ५ से लेकर ८ तक प्रत्येक से और कुल से प्रतिवादी को इनकार है ।

५—प्रतिवादी के जुम्मे किसी मॉग का रुपया वाजिब नहीं है ।

६—कम्पनी का बहुत अधिक रुपया डायरेक्टरों और मेनेजिंग डायरेक्टर के जुम्मे वाकी हैं जब तक वह रुपये अदा न करे दूसरे हिस्सेदारों से मॉग करना अनुचित है ।

३६—बीमा

(१) वाद-पत्र पद ३९ न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब
असत्य वर्णन और आत्म हत्या का उज्र हो

१—वादी ने बीमा कराने के समय प्रतिवादी से यह प्रकट नहीं किया था कि ज—द को साल भर में या उसके कुछ दिन आगे पीछे एक विशेष पीड़ा का दौरा होता है जिससे वह बहुत कमजोर और मृततुल्य हो जाता है और जीवन की आशा कम रह जाती है ।

२—यह बात बड़ी आवश्यक थी जिसको वादी जानता था परन्तु उसने प्रपंच से प्रतिवादी को प्रकट नहीं किया और प्रतिवादी को इसका ज्ञान नहीं था ।

३—प्रतिवादी को ज्ञात हुआ है कि (ज - द) ने ऐसी पीड़ा की दशा में जीवन से तंग आकर आत्म हत्या की और ऐसी दशा में पालसी की धारा ६ के अनुसार बीमा मंखूख और बेकार हो गया और प्रतिवादी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया ।

४०—प्राकृतिक स्वत्व व सुखाधिकार

* (१) कष्ट दायक कार्य को हटाने के वाद का प्रतिउत्तर

१—यह कि वादी की रोशनी प्राचीन काल से नहीं है (या उसके दूसरे बयान किये हुये अधिकार प्राप्त होने से इनकार किया जावे) ।

२—वादी की रोशनी में प्रतिवादी के भवन से कोई हरजा नहीं होगा ।

३—प्रतिवादी इनकार करता है कि वह या उसके नौकर पानी को अपवित्र करते हैं ।

(या वह कार्य करते हैं जिनकी शिकायत है) ।

(यदि प्रतिवादी दावा करता हो कि उसको वह काम करने का अधिकार, जिसकी शिकायत की जाती है बहुत दिनों के उपयोग से या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त हो गया है तो उसको ऐसा कहना चाहिये और अपने दावे की प्रतिवाद के कारण भी लिखने चाहिये) ।

४—वादी ढील का दोषी है जिसका विवरण निम्नलिखित है—

सन् १९१० ई० के कारखाना आरम्भ हुआ ।

सन् १९११ ई० में वादी ने अधिकार किया ।

सन् १९१३ ई० में पहिली शिकायत हुई परन्तु दावा सन् १९३८ में प्रारम्भ किया गया ।

५—वादी के हरजे के दावे के जवाब में प्रतिवादी ऊपर लिखे कारणों पर भरोसा करता है और निवेदन करता है कि उन कार्यों से जिनकी शिकायत की जाती है वादी की कोई हानि नहीं हुई (यदि अन्य कारणों पर भरोसा हो तो वह भी लिखे जावे जैसे गुजरे हुये हरजे की वास्तव तमादी) ।

(२) वाइपत्र पद ४० न० २ वा प्रतिवादपत्र जब सुखाधिकार प्राप्त हो जाने की आपत्ति हो

१—रंग साजी का कारखाना जिसका प्रतिवादी मालिक है २५ साल से पहिले से चला आता है ।

२—कारखाने के मालिक २५ साल से बराबर बिना किसी गोक टोक के कारखाने में आया हुआ पानी यमुना नदी में अधिकार युक्त होने से बहाने रहे हैं उनको ऐसा करने का 'सुखाधिकार विधान' एक्ट ५ सन् १८८२ की धारा १५ के अनुसार अधिकार प्राप्त हो चुका है ।

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह की परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ) पद ४ का नमूना नम्बर १० है ।

३—प्रतिवादी को इनकार है कि कारखाने के पानी से नदी का पानी बदबूदार और काम में लाने के योग्य नहीं रहता और जानवर और आवपाशी और घर के कामों में नहीं आ सकता ।

४—प्रतिवादी को इनकार है कि वादी का बयान किया हुआ हरजा या कोई हानि हुई ।

(३) वादपत्र पद ४० न० ११ का प्रतिवाद-पत्र जब रास्ते के इक से इनकार हो

१—धारा १ स्वीकार है ।

२—धारा २ से इनकार है भगड़े वाले खेत का मालिक प्रतिवादी है । वादी उस खेत को अधिकार पूर्ण खुले तौर पर बिना रोक टोक के २० साल तक लगातार रास्ते की तरह इस्तेमाल नहीं करता रहा । उसको धारा १५ एक्ट ५ सन् १८८२ ई० के अनुसार रास्ते का सुखाधिकार खेत में प्राप्त नहीं हुआ ।

३—वादी का वास्तविक रास्ता, ग्राम सड़क को, एक दूसरी गली में होकर कुछ फेर से है । उक्त खेत कुछ दिनों से बिना जुता हुआ बजर पड़ा था और वादी और उसके नौकर उसमें होकर प्रतिवादियों की मौखिक अनुमति से निकल जाते थे । इस प्रकार का उपयोग भी सन् १६३७ और सन् १६४१ ई० में जब उक्त खेत जोता गया बन्द हो गया था ।

४—धारा ३ और उपशमन स्वीकार नहीं है ।

(४) वादपत्र पद ४० न० २२ का प्रतिवादपत्र बहुत सी आपत्तियों पर निर्भर

१—धारा १ स्वीकार है ।

२—धारा २ में जंगलों का होना स्वीकार है परन्तु पहिली मंजिल के जंगले तीन चार साल के निकाले हुये हैं । उनके विषय में धारा १५ एक्ट ५ सन् १८८२ के अनुसार वादी को कोई सुखाधिकार प्राप्त नहीं हुआ । उनको कायम रखने का वादी को अधिकार नहीं है ।

३—धारा ३ में प्रतिवादी का मकान बनवाना आरम्भ करना स्वीकार है परन्तु प्रतिवादी की तामीर से दूसरी मंजिल के जंगले बिल्कुल बन्द नहीं होंगे । केवल पहिली मंजिल के रसेई घर के २ जंगले कुछ बन्द होंगे । बन्द करने का अधिकार प्रतिवादी को प्राप्त है ।

४—रसेई घर में दो अन्य जंगले पूरव को सड़क की ओर, हवा और प्रकाश आने और धुआँ निकलने के लिये नगे हुये हैं भगड़े वाले जंगलों का कुछ भाग बन्द हो जाने से कोई विशेष और आवश्यक हानि वादी की नहीं होगी ।

५—धारा ४, ५, व ६ व उपशमन कुल से और प्रत्येक से इनकार है ।

४१—उपेक्षा (गफलत) व असावधानी (लापरवाह

* (१) प्रतिवाद पत्र, वाद-पत्र पद ४१ न० १ का, ऐसी दानि के विषय में जो असावधानी से गाड़ी हाँकने से हुआ है।

१—प्रतिवादी को वादी के इस बयान से इनकार है कि वह गाड़ी जिसका वादपत्र में वर्णन है प्रतिवादी की गाड़ी थी और वह प्रतिवादी की सुपुर्दगी या अधिकार में थी। वह गाड़ी... (नाम)...घोड़ेखाने वालों की जो.....स्ट्रीट कलकत्ता के हैं, थी जिनसे प्रतिवादी घोड़े-गाड़ी किराये पर मगाता है और वह आदमी जिसकी सुपुर्दगी और अधिकार में उक्त गाड़ी थी उस घोड़ेखाने वाले का नौकर था।

२—प्रतिवादी यह स्वीकार नहीं करता कि उक्त गाड़ी मिडिलटन स्ट्रीट से गफलत से या एकाएक या बिना आवाज होशियारी दिये हुए या तेजी या अपायकारक गति (खतरनाक रफतार) से निकली।

३—प्रतिवादी का कथन है कि यदि वादी उचित सावधानी और उद्योग काम में लाता तो संभव था कि गाड़ी को अपनी ओर आता हुआ देख लेता और उसके धक्के से बच जाता।

४—प्रतिवादी उन बयानों को जो वादपत्र की धारा ३ में किये गये हैं स्वीकार नहीं करता।

† (२) नुक़सान पहुँचाने के कुछ मुक़दमों में प्रतिवाद
१—इनकार उन भिन्न २ काय्यों (या मामलों) से जिनकी शिकायत हो।

(३) वादपत्र पद ४१ न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब कि
चारी हो जाने और उत्तरदायित्व न
होने की आपत्ति हो

१—धारा १ स्वीकार है।

२—धारा २ में १५० बोरी हवाला करना, स्वीकार है बाकी ५० बोरी खागा और

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह की परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ) पद ४ का न० ४ है और उस वादपत्र का प्रतिवाद पत्र है जो उक्त अपेन्डिक्स का नमूना न० ३० है।

† यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के अपेन्डिक्स (अ) पद ४ का नमूना न० ६ है।

सरसोल स्टेशनों के बीच रात में चलती हुई मालगाड़ी से चोरी चली गईं। रेलवे के नौकरो की कोई उपेक्षा या लापरवाही नहीं थी।

३—वोरी कम किराये पर भेजने वाले की जुम्मेवारी पर, (Risknote Form B) के द्वारा रवाना हुई थी और उसकी शर्तों के अनुसार रेलवे कम्पनी हानि की उत्तरदायी नहीं है।

४—हर्जे की संख्या और उसकी जुम्मेवारी से प्रतिवादी को इनकार है।

५—धारा ३, ४ व ५ कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं।

(४) वादपत्र पद ४१ न० ९ का प्रतिवाद-पत्र जब कि भूल (गफळत) से इनकार हो

१—प्रतिवादी को इनकार है कि उसके नौकरो ने वादी की बयान की हुई भूल या कोई और दूसरी भूल की।

२ रेलवे फाटक रामघाट पर मशीन से ऐसा प्रबन्ध है कि जिस समय रेलगाड़ी फाटक की ओर आती है फाटक अपने आप बंद हो जाता है और लेम्प की लाल रोशनी सड़क की तरफ हो जाती है।

३—वादी उस समय जब कि फाटक बंद होना और लाल रोशनी सड़क की तरफ घूमना शुरू हुई, वेतहाशा दौड़ते हुये टमटम अदर ले गया जो फाटक की तरफ आती हुई मालगाड़ी से टकरा गई।

४—टमटम के केवल पिछले भाग में मालगाड़ी का धक्का लगा। उससे कोई नुकसान टमटम का नहीं हुआ और न वादी को कोई चोट या धक्का लगा।

५—प्रतिवादी को इनकार है कि वादी की बयान की हुई चोट या कोई और चोट वादी ने सहन की या वादी की बयान की हुई या और कोई हानि हुई।

६—प्रतिवादी बयान करता है कि यदि कोई चोट वादी ने सहन की या कोई हानि उसकी हुई तो यह उसकी ही भूल और असावधानी का फल था।

४२—पेटेन्ट (Patent)

(१) साधारण घटनाग्रस्त प्रतिवाद पत्र

१— प्रतिवादी ने वादी के पेटेन्ट में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया न वह काम किये जिनकी वादी शिकायत करता है (हर एक शिकायती काम में क्रमानुसार इनकार किया जावे) ।

२— वादी ने कोई पेटेन्ट जायज तरह से प्राप्त नहीं किया ।

या कि वह पेटेन्ट मसूख हो गया ।

या कि वह विधानानुसार अवैध है (जिस कारण से आपत्ति की जाती हो वह कारण लिखा जावे) ।

३—वादी का पेटेन्ट कोई नया आविष्कार नहीं है या वादी उसका प्रथम और वास्तविक आविष्कार करने वाला नहीं है ।

४— वादी का बयान किया हुआ आविष्कार ऐसा आविष्कार नहीं है जिसकी वास्तविक पेटेन्ट विधानानुसार मिल सकता हो ।

(२) वादपत्र पद ४२ न० १ का प्रतिवाद पत्र जब पेटेन्ट और उस पर अनुचित हस्तक्षेप करने से इनकार हो

१—धारा १ से इनकार है । वादी असली और प्रथम आविष्कारक “जेवलाक” ताले की बनावट और कारीगरी का नहीं है । उस कारीगरी और बनावट के ताले बहुत दिनों से “ शर्मा ब्रादर्स,” “ हाफिज़ एन्ड को ” और कई दूसरे कारखानों में बनते थे और अम भी बनते हैं और प्रतिवादी भी उनको वादी के प्रकट किये हुये पेटेन्ट के कई साल पहिले से बनाता और बेचता है ।

२—धारा २ स्वीकार नहीं है । किसी पेटेन्ट का जो कानूनन जायज हो और जायज रूप से प्राप्त किया हो, होना प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है । जो पेटेन्ट वादी प्रकट करता है विधानानुसार नहीं है और न वादी का बयान किया हुआ आविष्कार ऐसा है जिसका पेटेन्ट मिल सकता हो ।

३—धारा ३ से बिल्कुल इनकार है । प्रतिवादी लगभग १५ साल से इस तरह के ताले बनाता और बाज़ार में विक्रय करता है । वह ताले “ जेवलाक ” ताले के साथ एक सी और मिलती हुई शकल के नहीं हैं और दोनों के चिन्ह अलग २ हैं ।

४—धारा ४ से इनकार है । कोई धोखा किसी क्रेता को होना सम्भव नहीं है और न वास्तव में किसी क्रेता को धोखा हुआ ।

५—धारा ५ में प्रतिवादी के ताले ३ रुपये प्रति ताले के हिसाब से बिकना स्वीकार है । वादी की कोई हानि ऐसी विक्री से होना स्वीकार नहीं है ।

६—धारा ६ व ७ स्वीकार नहीं हैं । अभियोग कारण वादी ने अनुचित स्थित किया है ।

४३—कापीराइट (Copyright)

* (१) साधारण प्रतिवादपत्र

- १—वादी रचयिता (Author) अथवा अन्य अधिकार युक्त पुरुष नहीं है ।
- २—पुस्तक की रजिस्ट्री नहीं हुई ।
- ३—प्रतिवादी ने कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया ।

(२) वादपत्र पद ४३ न० १ का प्रतिवाद पत्र

जब कापीराइट से इनकार हो

१—धारा १ वादपत्र से इनकार है । वादी पुस्तक का लेखक नहीं है और न कापीराइट का मालिक है ।

२—उक्त पुस्तक कई मुद्रालयों से बहुत बार छप चुकी है और जहाँ तक प्रतिवादी को मालूम हुआ है उसका लेखक एक पुरुष मोतीलाल था और उसको मोतीलाल ने पहिली बार नवलकिशोर प्रेस लखनऊ में सन् १९३१ में छपवाया था ।

३—धारा २ में पुस्तक का छपवाना और बेचना स्वीकार है, परन्तु वादी की किसी पुस्तक से निबन्ध लेने से इनकार है । प्रतिवादी ने कुछ निबन्ध अपनी किताब में मोतीलाल की पुस्तक से लिये हैं जिनमें अब किसी का कापीराइट नहीं है । प्रतिवादी ने वादी के किसी कापीराइट में विघ्न नहीं डाला ।

४—धारा ४ में निबन्धों का विवरण स्वीकार है परन्तु वह सब मोतीलाल की पुस्तक से लिये गये हैं । उनसे कोई अनुचित हस्तक्षेप कापीराइट में, यदि कोई हो, नहीं होता ।

५—धारा ४ में प्रतिवादी की पुस्तक का मूल्य एक रुपया होना स्वीकार है बाकी बात नहीं है ।

६—धारा १ से लेकर ८ तक कुल और प्रत्येक से इनकार है ।

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ) पद ४ का नमूना न० ८ है ।

४४—ट्रेडमार्क (Trademark)

* (१) साधारण प्रतिवाद पत्र

१—यह कि व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क) वादी का नहीं है ।

२—यह कि वादी का बयान किया हुआ व्यापार चिन्ह कोई व्यापार चिन्ह नहीं है ।

३—प्रतिवादी ने ट्रेडमार्क में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया ।

(२) वादपत्र पद ४४ न० २ का प्रतिवाद पत्र जब

कि छाप में अन्तर और वादी को अधिकार

न होने की आपत्ति हो

१—धारा १ से ३ तक कुल और हर एक प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है । वादी का बयान किया हुआ व्यापार चिन्ह कोई व्यापार चिन्ह नहीं है और न वह वादी का व्यापार चिन्ह है ।

२—धारा ४ में प्रतिवादी का मखन की तैयारी का काम करना और छाप लगाना स्वीकार है । इससे इनकार है कि प्रतिवादी का चिन्ह वादी के किसी चिन्ह के साथ एक प्रकार का है या कि प्रतिवादी ने अपना चिन्ह वादी को हानि पहुँचाने के लिये लगाया है । प्रतिवादी ने वादी के किसी व्यापार चिन्ह में अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया ।

३—धारा ५ से बिल्कुल इनकार है । दोनों चिन्ह एक दूसरे से पृथक हैं और कोई धोखा किसी खरीदार को नहीं हो सकता और न वादी के किसी ट्रेडमार्क में अनुचित हस्तक्षेप होता है ।

४—धारा ६ से लेकर ९ तक और उपशमन कुल से और प्रत्येक से इनकार है । वादी को कोई हानि प्रतिवादी के किसी कार्य से नहीं हुई और हानि की सख्या मनमानी और शलत है ।

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ) पद ४ का नमूना न० ९ है ।

४५-गुडविल (Goodwill)

(१) वादपत्र पद ४५ न० १ का प्रतिवादपत्र बहुत सी आपत्तियों का

१—धारा १ व २ स्वीकार हैं ।

२—धारा ३ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि जो कारोबार वादी को बेचा गया उसकी कोई व्यापारिक नेकनामी नहीं थी और न वह वादी के हाथ बिकी ।

३—धारा ४ स्वीकार है ।

४—धारा ५ में कारोबार पसरहट्टे का मंगनीराम साधूराम के नाम से करना स्वीकार है शेष से इनकार है । मंगनीराम साधूराम प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम हैं । इस नाम से प्रतिवादी पिदरुन गंज में काम करता है और इसी नाम से मियाँ गंज में काम करना शुरू किया है । वादी की दुकान प्रतिवादी की दुकान से बहुत दूर है और कोई धोखा किसी खरीदार को किसी तरह का नहीं होता । प्रतिवादी को अपने पुरखों के नाम से व्यापार करने का अधिकार है ।

५—धारा ६ व ७ से, कुल से और प्रत्येक से इनकार है । प्रतिवादी ने कभी अपनी मियाँगंज की दुकान को वादी की दुकान की शाखा नहीं बतलाया और न किसी खरीदार को ऐसा कह कर प्रेरित किया ।

६—धारा ८ में कारोबार करना और जारी रखना स्वीकार है, बाकी से इनकार है ।

७—शेष धाराये तथा उपशमन स्वीकार नहीं हैं ।

४६—शारीरिक और सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य अधिकार

(१) मानहानि के हर्जे के दावों में साधारण प्रतिवादपत्र

१—प्रतिवादी ने वह शब्द जिनकी वादी शिकायत करना है नहीं कहे, या नहीं लिखे और न छापे ।

२—शब्दों का अर्थ जो वादी लगाता है वह प्रतिवादी का अभिप्राय नहीं या और न वह अर्थ उनका समझा जा सकता है ।

३—वह शब्द साधारण बोलचाल में अपमान या मान हानि के नहीं हैं और न किसी अपमान या मान हानि का अर्थ उनका लगाया जा सकता है ।

४—जो शब्द प्रतिवादी ने कहे हैं वह वास्तव में सच है और प्रतिवादी ने उनको उचित अधिकार से लिखा या छपा (जिन घटनाओं से अधिकार प्रकट होता हो, उनका क्रमानुसार विवरण लिखा जावे) ।

५—प्रतिवादी ने उक्त शब्दों को नेक नीयती से वादी के सार्वजनिक कार्यों की आलोचना करते हुये लिखा और वह आलोचना उचित और ठीक थी और बिना किसी दुश्मनी या द्वेष के, जनता के उपकारार्थ थी ।

६—वादी की कोई विशेष हानि उन शब्दों से नहीं हुई ।

७—प्रतिवादी ने क्षमा माँग ली या माफी छाप दी या वास्तविक घटनाएँ छाप दी ।

८—वादी ने प्रतिवादी को क्षमा कर दिया या.....रुपये हर्जा लेकर क्षमा कर दिया ।

९—हर्जे की सख्या गलत और अधिक है ।

१०—प्रतिवादी.....रुपये हर्जा देने और क्षमा माँगने को तैयार है और हर्जे का रुपया अदालत में दाखिल कर दिया है ।

(२) वादपत्र पद ४६ न० ४ का प्रतिवाद पत्र

जब आपत्ति बयान सच होने की हो

१—धारा १ और २ स्वीकार हैं ।

२—धारा ३ स्वीकार नहीं है । (अ—ब) और (क—ख) बाप बेटे हैं और प्रतिवादी के सम्बन्धी हैं । (क—ख -) की युवती स्त्री जापे के रोग से बीमार थी । उन्होंने प्रतिवादी से उसका इलाज वादी से कराने के विषय में पूछा । प्रतिवादी ने बिना किसी द्वेष या ईर्ष्या से जो कुछ सूचना प्रतिवादी को वादी के विषय में थी, उसको सच विश्वास करते हुये नेक नीयती से (अ—ब) और (क—ख) से कह दिया ।

३—वादी के सम्बन्ध में सर्व साधारण में यह चर्चा है कि उसका अनुचित सम्बन्ध श्रीमती (ग—घ) वेश्या से है और वह शराब पीता है और अस्पताल (चिकित्सालय) में बीमारों के देखने के समय नशे की दशा में बहुधा निकलता है ।

४—वादी के शराब पीने के विषय में प्रतिवादी को मुख्य करके सूचना रामलाल और सोनी राम से मिली जिनके यहाँ वादी इलाज करने गया और नशे की दशा में रोगों के विपरीत नुसखे लिख दिये जिनके सेवन करने से रोगियों को बहुत दुःख पहुँचा और वाद को दूसरे डाक्टरों के इलाज से अच्छे हुये ।

५—धारा ४ से बिल्कुल इनकार है । वादी की कोई नेवनामी और नामवरी नहीं थी जिसको प्रतिवादी के शब्दों से हानि पहुँची हो । वादी की कोई हानि उन शब्दों से नहीं हुई ।

(३) साधारण प्रतिवाद हरजे की नाशियों में जो शत्रुता से फौजदारी का झूठा मुकदमा चलाने के विषय में हों

१—प्रतिवादी ने कोई दंडाभियोग (इस्तगासा , नहीं) किया या वारन्ट जारी नहीं कराया या कोई दूसरी कार्यवाही अदालत की नहीं की ।

२—प्रतिवादी को दंडाभियोग (Complaint) झूठा होने से इनकार है ।

३—दंडाभियोग सच्चा था ।

४—प्रतिवादी को दंडाभियोग के, द्वेष के या बिना उचित कारण और विश्वास विरुद्ध होने से इनकार है या अभियोग बिना किसी द्वेष के नेक नीयती से उचित कारण और विश्वास से दायर किया गया था ।

५—प्रतिवादी को फौजदारी की काररवाई वादी के अनुकूल निर्णित होने से इनकार है या वादी अदालत फौजदारी से मुक्त नहीं हुआ या सन्देह में (Benefit of doubt) मुक्त हुआ ।

६—वादी की हानि नहीं हुई या हानि की संख्या असत्य है ।

(४) वादपत्र पद ४६ न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब अभियोग सच्चा होने की आपत्ति हो

१—धारा १ में वादी का व्योपार का कारोबार करना स्वीकार है । शेष बात नहीं है ।

२—धारा २ में इनकार है प्रतिवादी की कोई शत्रुता वादी से नहीं थी और न वह उनकी निन्दा और अपमान करना चाहता था ।

३—धारा ३ स्वीकार है ।

४—धारा ४ में बयानात बढ़ा कर किये गये हैं । मुकदमे की केवल दो पेशी दौरे में और एक स्थान अलीगढ में हुई और वादी के दो गवाह केवल एक तारीख पर स्थान अलीगढ में उपस्थित हुये ।

५ धारा ५ में अभियोग ता० ६ अगस्त १९४१ ई० को डिसमिस और वादी का वारी होना स्वीकार है परन्तु वादी को सन्देह का लाभ (Benefit of doubt) दिया गया ।

६—धारा ६ से बिल्कुल इनकार है । प्रतिवादी को इनकार है कि अभियोग भूँठा था और प्रतिवादी उसके भूँठा जानता था और कोई उचित कारण उसके दायर करने का न था और प्रतिवादी ने द्वेष से वादी को कष्ट और हानि पहुँचाने के लिये दायर किया था ।

७—धारा ७ स्वीकार नहीं है प्रतिवादी को इनकार है कि वह किसी हानि का वादी को देनदार है ।

८—धारा ८ स्वीकार नहीं है । हानि की संख्या मनमानी और गलत है ।

४७—अदालत माल की नालिशें

(१) वादपत्र पद ४७ न० ३ का प्रतिवाद पत्र

जब कि दत्तक पुत्र (गोद) से इनकार हो

१—वादी दत्तक पुत्र (अ—ब) का जो चिरस्थायी कृषक (दखीलकार काश्तकार) भगड़े वाले खाते का था, नहीं है और न उसका उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि है ।

२—वादी शिकमी (जैली) काश्तकार भगड़े वाले खाते का मृतक (अ—ब) के जीवन में था । उसके मरने की तारीख से वह काश्तकार साल बसाल (गौरदखीलकार) हो गया और वेदखल होना चाहिये ।

३—वादी को किसी इस्तकरार कराने का स्वत्व नहीं है ।

(२) वादपत्र पद ४७ न० ५ का प्रतिवाद पत्र

जब ज़र्मीदार और कृषक का सम्बन्ध

होने से इनकार हो

१—वादी प्रतिवादी से लगान वसूल नहीं करता और न उसको नम्बरदार की हैसियत से प्रतिवादी को वेदखल करने का अधिकार है ।

२ - प्रतिवादी सदा से लगान (क—ख) हिस्सेदार को अदा करता है और प्रतिवादी उसी का कृपक है ।

३—प्रतिवादी की खेत जोतने की अवधि १४ साल की हो गई और उसको चिरस्थायी स्वत्व हो गया । वह कृपक साल बसाल नहीं है और न वेदखली के योग्य है ।

(३) वादपत्र पद ४७ न० ८ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों का

१—धारा १ वादपत्र इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि सन् १३४६ फसली में वादी का भाग केवल ३ था बाकी ३ (क ख) का था जिसका मालिक वादी विक्रय के द्वारा सन् १३४६ फसली का मुनाफा वाजिव हो जाने के बाद हुआ ।

२—धारा २ वादी के कहने के अनुसार स्वीकार नहीं है वादी का लाभ हिसाब से मुबल्लिग.....र० होता था वह प्रतिवादी ने वादी को देना चाहा और वादी के न लेने पर मनीआर्डर से उसके पास भेजा । वादी ने मनीआर्डर भी वापस कर दिया अब प्रतिवादी ने उस धन को वादी के दिये जाने के लिये अदालत में दाखिल कर दिया है ।

३—धारा ३ में कुछ हिस्सेदारों और प्रतिवादी की खुदकाशत होना स्वीकार है परन्तु उसका लगान वादी ने गलत और अधिक नियत किया है ।

४—धारा ४ से प्रतिवादी को इनकार है । प्रतिवादी ने, जिन आसामियों से लगान वसूल होने की आशा थी उन पर पचराजा लगाया और नालिशो की और वेदखली कराई और उचित प्रयत्न लगान वसूल करने का किया । ज़मीन पटुवा और आसामी असमर्थ होने के कारण कुल लगान कभी वसूल नहीं होता था और न इन वर्षों में हुआ । कुछ आसामी भाग गये और कुछ जमीन जोतने वाले न मिलने के कारण खाली पड़ी रही । लाभ का हिसाब रकम वसूल पर होना चाहिये ।

५—धारा ५ में जो हिसाब वादी ने कायम किया है वह गलत है । पट्टे बढ़ी गलत और बढ़ा कर लिखी है । आय इसके अतिरिक्त कोई नहीं है । खुदकाशत और आसामियों का लगान ज्यादा लगाया है और गाँव व्यय कम स्थित किया है और मुकदमों का व्यय नहीं लगाया ।

६—गाँव व्यय वार्षिक मुबल्लिग.....र० होता है और मुबल्लिग.....र० वेदखली और शेष लगान के मुकदमों और पचरोजे में व्यय हुए हैं जिनका विवरण यह है ।

(कुल व्यय का विवरण यहाँ पर या प्रतिवाद-पत्र के साथ दाखिल किया जावे)

७—लाभ का सही हिसाब वयान तहरीरी के साथ नत्थी किया जाता है । उसके अनुसार मुबल्लिग.... र० लाभ के वादी के निकलते हैं जो उसके पास भेजे गये और अब दाखिल अदालत कर दिये गये हैं ।

द्वितीय भाग

द्वितीय अध्याय

शपथ-पत्र, प्रार्थना-पत्र इत्यादि

१—शपथ-पत्र

(१) प्रमाण-पत्र सम्बन्धी शपथ-पत्र

(आर्डर ११ नियम १३ व्यवहार-विधि सग्रह)

(सिरनामा)

मैं (क—ख) उपरोक्त प्रतिवादी शपथ लेता हूँ (या इत्तरार सालह करता हूँ)
और निम्नलिखित निवेदन करता हूँ—

१—मेरे कब्जे या अधिकार में इस मुकदमे के भगड़े वाले व्यवहारों के सम्बन्धी कागज-पत्र हैं जो इस शपथ-पत्र की परिशिष्ट १ के पहिले व दूसरे भाग में दिये हुए हैं ।

२—मैं उन कागजों को जो परिशिष्ट १ के दूसरे भाग में दिये हुए हैं पेश करने पर आपत्ति करता हूँ (आपत्ति के कारण लिखे जावे) ।

३—मेरे कब्जे या अधिकार में इस मुकदमे के भगड़े के मामलों के सम्बन्धी कागज जो परिशिष्ट २ में दिये हुए हैं, थे परन्तु अब नहीं है ।

४—यह कागज मेरे कब्जे या अधिकार में अन्तिम बार (लिलो कब और उनका क्या हुआ और अब वह किसके अधिकार में हैं) ।

५—जहाँ तक मेरा ज्ञान, सूचना और विश्वास है मेरे कब्जे, रत्ना या अधिकार या मेरे वकील या ऐजेन्ट के कब्जे, रत्ना या अधिकार में या मेरी आर से किसी अन्य पुरुष के कब्जे रत्ना या अधिकार में कोई हिसाब, 'हिसाब वही, चौचर, रसीद, चिठी, याददास्त, कागज या तहरीर या और कोई नकल या इन्तिखाव किसी ऐसे कागज का या किसी दूसरे कागज का जिसका सम्बन्ध इस मुकदमे के भगड़े वाले मामलों, या उनमें से किसी से हो, न अब है और न कभी था, सिवाय उन कागजों से जो परिशिष्ट १ और २ में दिये हुए हैं ।

* (२) किसी पक्षकार के परज'ने पर उसके उत्तराधिकारियों
के नाम स्थित कराने के लिये शपथ-पत्र

(आर्डर २२ नियम ३ व्यवहार विधि संग्रह)

(वाद-शीर्षक)

शपथ-पत्र.....पुत्र.....जाति.....व्यवसाय.....निवासस्थान..... ।

मैं शपथ लेता हूँ (या हलफ उठाता हूँ या सत्य कहने की प्रतिज्ञा करता हूँ) और
वयान करता हूँ—

१—यह कि मैं वादी का मुखतारआम (या मुखतार खास या पैरो मार मुकद्दमा)
हूँ और पैरवी मुकद्दमा करता हूँ और उसके सम्बन्धी व्यवहारों (या हालात मुन्दर्जा इस
वयान हलफी) को जानता हूँ ।

२—यह कि... . . .प्रतिवादी की ता०.....महीना.....सन्... . को मृत्यु
हुई ।

३—यह कि (अ—ब) और (क—ख) (मृतक के कुल उत्तराधिकारियों के
नाम उनकी रिश्तेदारों और पते सहित लिखे जावें) उसके उत्तराधिकारी हैं ।

(यदि एक या एक से अधिक उत्तराधिकारी अवयस्क हों और अवयस्कों का नाम
उनके प्राप्त सर्टीफिकेट सरक्षक सहित स्थित कराना हो तो :—

४—यह कि (अ—ब) अवयस्क है और उसका संरक्षक सर्टीफिकेट प्राप्त
(च—छ) है ।

(यदि कोई सर्टीफिकेट प्राप्त संरक्षक न हो और किसी अन्य पुरुष को
संरक्षक नियत कराना हो तो न० ४ की जगह निम्नलिखित दो धाराएँ लिखनी
चाहिये ।

५—यह कि (अ—ब) अवयस्क है और उसका कोई संरक्षक सर्टीफिकेट प्राप्त
नहीं है वह (ज—झ) अपने भाई (चचा या दूसरे सम्बन्धी) के साथ या उसकी रक्षा में
रहता है ।

६—यह कि (ज—झ) संरक्षक की योग्यता रखता है और उक्त अवयस्क के
विरुद्ध उसका कोई स्वत्व नहीं है ।

* यह नमूना व्यवहार विधि-संग्रह के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (क) का नमूना
न० ५ है ।

द्वितीय भाग

द्वितीय अध्याय

शपथ-पत्र, प्रार्थना-पत्र इत्यादि

१—शपथ-पत्र

(१) प्रमाण-पत्र सम्बन्धी शपथ-पत्र

(आर्डर ११ नियम १३ व्यवहार-विधि सग्रह)

(सिरनामा)

मैं (क—ख) उपरोक्त प्रतिवादी शपथ लेता हूँ (या इत्तरार सालह करता हूँ)
और निम्नलिखित निवेदन करता हूँ—

१—मेरे कब्जे या अधिकार में इस मुकदमे के भगड़े वाले व्यवहारों के सम्बन्धी कागज़-पत्र हैं जो इस शपथ-पत्र की परिशिष्ट १ के पहिले व दूसरे भाग में दिये हुए हैं ।

२—मैं उन कागज़ों को जो परिशिष्ट १ के दूसरे भाग में दिये हुए हैं पेश करने पर आपत्ति करता हूँ (आपत्ति के कारण लिखे जावे) ।

३—मेरे कब्जे या अधिकार में इस मुकदमे के भगड़े के मामलों के सम्बन्धी कागज़ जो परिशिष्ट २ में दिये हुए हैं, थे परन्तु अब नहीं है ।

४—यह कागज़ मेरे कब्जे या अधिकार में अन्तिम बार (लिखो कब और उनका क्या हुआ और अब वह किसके अधिकार में हैं) ।

५—जहाँ तक मेरा ज्ञान, सूचना और विश्वास है मेरे कब्जे, रक्षा या अधिकार या मेरे वकील या ऐजेन्ट के कब्जे, रक्षा या अधिकार में या मेरी आर से किसी अन्य पुरुष के कब्जे रक्षा या अधिकार में कोई हिसाब, हिसाब वही, वाचर, रसीद, चिन्नी, याददास्त, कागज़ या तहरीर या और कोई नकल या इन्तिखाब किसी ऐसे कागज़ का या किसी दूसरे कागज़ का जिसका सम्बन्ध इस मुकदमे के भगड़े वाले मामलों, या उनमें से किसी से हो, न अब है और न कभी था, सिवाय उन कागज़ों से जो परिशिष्ट १ और २ में दिये हुए हैं ।

* (२) किसी पक्षकार के परजने पर उसके उत्तराधिकारियों

के नाम स्थित कराने के लिये शपथ-पत्र

(आर्डर २२ नियम ३ व्यवहार विधि संग्रह)

(वाद-शीर्षक)

शपथ-पत्र.....पुत्र.....जाति.....व्यवसाय.....निवासस्थान..... ।

मैं शपथ लेता हूँ (या हलफ उठाता हूँ या सत्य कहने की प्रतिज्ञा करता हूँ) और वयान करता हूँ—

१—यह कि मैं वादी का मुखतारआम (या मुखतार खास या पैरोकार मुकदमा) हूँ और पैरोवी मुकदमा करता हूँ और उसके सम्बन्धी व्यवहारों (या हालात मुन्दर्जा इस वयान हलफ़ी) को जानता हूँ ।

२—यह कि...प्रतिवादी की ता०महीना.....सन्... . . को मृत्यु हुई ।

३—यह कि (अ—ब) और (क—ख) मृतक के कुल उत्तराधिकारियों के नाम उनकी रिश्तेदारों और पते सहित लिखे जावें उसके उत्तराधिकारी हैं ।

(यदि एक या एक से अधिक उत्तराधिकारी अवयस्क हों और अवयस्कों का नाम उनके प्राप्त सर्टीफिकेट संरक्षक सहित स्थित कराना हो तो :—

४—यह कि (अ—ब) अवयस्क है और उसका संरक्षक सर्टीफिकेट प्राप्त (च—छ) है ।

(यदि कोई सर्टीफिकेट प्राप्त संरक्षक न हो और किसी अन्य पुरुष को संरक्षक नियत कराना हो तो न० ४ की जगह निम्नलिखित दो धाराएँ लिखनी चाहिये ।

५—यह कि (अ—ब) अवयस्क है और उसका कोई संरक्षक सर्टीफिकेट प्राप्त नहीं है वह (ज—झ) अपने भाई (च—चा या दूसरे सम्बन्धी) के साथ या उसकी रक्षा में रहता है ।

६—यह कि (ज—झ) संरक्षक की योग्यता रखता है और उक्त अवयस्क के विरुद्ध उसका कोई स्वत्व नहीं है ।

* यह नमूना व्यवहार विधि-संग्रह के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (क) का नमूना न० ५ है ।

(३) अदालत अपील में इजराय डिगरी स्थगित कराने की दरखास्त की पुष्टी के लिये शपथ-पत्र

(सिरनामा)

नाम, व पूरा पता बयान हलफी दाखिल करने वाले का ।

मैं शपथ लेता हूँ और बयान करता हूँ कि : —

१—(फारम न० २ के अनुसार) ।

२—वादी ने दावा न० ...सन्... अदालत.....में प्रतिवादी के मुकाबले में इस बयान से दायर किया कि प्रतिवादी ने अपना नया मकान बनाने में वादी की.....गज जमीन अपने मकान में शामिल कर ली, उसका दखल प्रतिवादी का मकान तुड़वा कर दिलाया जावे ।

३—प्रतिवादी का जवाब यह था कि उसने मकान पुरानी बुनियाद पर बनाया है और कोई जमीन उसमें वादी की शामिल नहीं की ।

४—प्रारम्भिक अदालत ने ता०.....महीना.....सन्.....को वादी के दावे को डिगरी किया । उस निर्णय के विरुद्ध ऊपर लिखा अपील इस अदालत में प्रतिवादी ने दायर किया है जो विचाराधीन है ।

५—वादी ने इस विचाराधीन अवस्था में दरखास्त डिगरी जारी कराने की प्रारम्भिक अदालत में वास्ते तुड़वाने मकान प्रतिवादी और दिलाये जाने दखल जमीन के पेश कर दी है और अमीन के नाम परवाना जारी हो गया है परन्तु उसका निर्वाहण नहीं हुआ । (या प्रतिवादी की दरखास्त पर अदालत ने उसको मुहलत.....दिन की अदालत अपील से हुक्म इलतवा लाने के लिये दे दी है, जैसी परिस्थिति हो बयान की जावे) ।

फारम न० २ *नोट—यह शपथ-पत्र का नमूना प्रारम्भिक मुकदमे के सम्बन्ध में है । यदि दरखास्त अपील में देना हो तो बयान हलफी इसी नमूने से बन सकता है “वादी” की जगह “वादी अपीलॉट” या “प्रतिवादी अपीलॉट” और प्रतिवादी की जगह “प्रतिवादी रैस्पान्डट” या “वादी रैस्पान्डट” जैसी परिस्थिति हो लिखा जावे । यदि वादी या अपीलॉट मर जावे और उसके उत्तराधिकारी अपना नाम मृतक की जगह कायम कराना चाहें तो बयान हलफी इसी प्रकार का होगा लेकिन उन उत्तराधिकारियों में यदि कोई अवयस्क (नाबालिग) हो तो उसके विषय में धारा ४ में केवल यह लिखने की आवश्यकता होती है कि (अ—ब) अवयस्क है और (च—छ), उसका व्यवहार प्रतिनिधि (Next Friend) है । धारा ५ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती और न अदालत कोई हुक्म व्यवहार, प्रतिनिध बनाने का देती है । इस पर भी यदि धारा न० ४ व ५ लिख दिये जावें तो कोई हर्ज नहीं है ।

६—प्रतिवादी का मकान टूट जाने के कारण निराश्रित हो जाने से प्रतिवादी को बड़ी हानि पहुँचेगी जो अर्धीनस्थ अदालत के द्वारा दायर करने से ठीक या पूरा करना बड़ा कठिन होगा ।

७—भगाड़े वाली तामार को देने हुये ६ महीने के हुए समय के विना जावे) हो गये और वादी की कोई हानि का इन्हीं दिनों में इजराय कराने से देते से नहीं है ।

८—प्रतिवादी डिगरी के निर्वाह के लिये के समय से मकानों के मालिक के जमानत देने के तत्पर है ।

९—प्रतिवादी ने मुकल्लिम... के लिये के लिये के दिनों के लिये वादी का चाहिये, अर्धीनस्थ अदालत में दाखिल कर दिया है... (यदि वादी ने दाखिल करता है) ।

(४) इमी प्रकार का दूसरा प्रपत्र-१७

(गिरनामा ।

१—(धारा १ नमूना न० २ के अनुसार) ।

२—यह कि वादी रस्पान्टन्ट मुकल्लिम (निर्धन) के और उमी मकानों में दावा न० . . .सन् ...अदालतमें प्रतिवादी के मुकल्लिम के लिये के दिनों के दखल के वास्ते (जो कुछ हो) इस बयान में दायर किया गया है (धारा १) का है और वादी उसका गोद लिया हुआ लड़का है और प्रतिवादी (अ—व) का गोद और वादी का स्वत्व उसके मुकल्लिमों में बढ कर है ।

३—यह कि प्रतिवादी ने उस दावे में इस बयान में जवाबदारी की कि वादी (अ—व) का गोद लिया हुआ लड़का नहीं है और, वह स्वयं भानना होने के कारण उसका उत्तराधिकारी और सम्पत्ति पर उचित रूप से अधिकृत है ।

४—यह कि अर्धीनस्थ अदालत ने दावे को डिगरी किया और उपरोक्त अर्धीन उस पैसले के विरुद्ध से इस अदालत में दायर किया है जो विचाराधीन है ।

५—यह कि वादी ने इस विचाराधीन अवस्था में डिगरी को दखल प्राप्त करने व खर्चा वसूल करने के वास्ते जारी करा दिया है और काररवाई इजराय प्रतिवादी की दख्वास्त पर अदालत इन्तदाई ने एक महीने के लिये मुलतवी कर दी है और प्रतिवादी को अवसर दिया है कि वह अदालत अपील से स्थगित कराने की आज्ञा ला सके ।

६—यह कि (अ—व) को मरे ६ वर्ष हो गये । उस समय से प्रतिवादी सम्पत्ति पर काबिज है । (यदि उसने कोई और कार्य्य उसके सम्बन्ध में किये हों तबिन पर दखल बदलने का प्रभाव पड़ता हो तो वह भी लिखे जा सकते हैं) ।

७—यह कि वादी अति-निर्धन है और अपील सफल होने की दशा में उससे उस लाभ के वापिस होने की जो वह कब्जा प्राप्त कर लेने पर वसूल करेगा और खर्चों के मतालवे की वापसी की, कोई आशा नहीं है और जायदाद को उससे हानि पहुँचने का भय है ।

८— यह कि प्रतिवादी मुवलिग रु०.....की जमानत वावत लाभ जायदाद दौरान अपील की व खर्चे की दाखिल करता है । रजिस्ट्री किया हुआ जमानतनामा इस दस्खास्त के साथ नत्थी है ।

(५) शपथ-पत्र खर्चा या जमानत अपीलांट से लिये जाने के लिये

(सिरनामा)

१—(धारा १ नमूना न० २ के अनुसार) ।

२ यह कि वादी अपीलांट ने दावा नम्बरी.....सन्.....अदालत ...में प्रतिवादी के विरुद्ध में इस बयान से दायर किया कि वह (अ—व) मृतक का पश्चात् उत्तराधिकारी (वारिस मावाद) उस वंशावली के अनुसार है जो अर्जीदावे में लिखी है और प्रतिवादी के मुकाबले में, जिसका कोई हक नहीं है, उसको दखल दिलाया जावे ।

३—यह कि प्रतिवादी ने उस मुकदमे में इस बयान से जवाबदही की कि वादी की बयान की हुई वंशावली बनावटी और भूँठी है, वादी (अ—व) का पश्चात् उत्तराधिकारी नहीं है और प्रतिवादी उसका उत्तराधिकारी प्रतिवाद-पत्र में दी हुई वंशावली के अनुसार है ।

४—यह कि प्रथम अदालत में मुकदमा षेढ़ साल तक चलता रहा और दोनों पक्षों ने अपनी २ बयान की हुई वंशावली के समर्थन में बहुत से साक्षी उपस्थित किये और लिखित प्रमाण दिखे ।

५—यह कि प्रथम अदालत ने कुल प्रमाणों की जाँच करके दावा तारीखको डिसमिस किया और सिरनामे में लिखा हुआ अपील उस निर्णय के विरुद्ध है, जो विचाराधीन है ।

६— वादी अपीलांट के पास कोई जायदाद भारतसंघ (इंडियन यूनियन) में नहीं है जिससे खर्चा प्रतिवादी प्रारम्भिक अदालत और अदालत अपील का वसूल हो सके (या कि इतने मालियत की सम्पत्ति है और उस पर इतना भार है और केवल प्रतिवादी के दोनों अदालतों के खर्चों के लिये भी यथेष्ट नहीं है ।

७—अधीनस्थ अदालत के खर्चों की संख्या मुवलिग.....रु० है और लगभगरु० प्रतिवादी का अपील की जवाबदही के खर्चों का है (मुकदमे की मालियत

और प्रमाण की संख्या के विचार से खर्च का अनुमान जहाँ तक हो सके ठीक किया जावे) ।

८—वादी ने दावा . . .की मदद से दायर किया है और वही उसकी तरफ से मुकदमे में खर्चा लगाता है ।

या कि वादी ने (क—ख) के हक में इकरारनामा लिख दिया है कि मुकदमा सफल हो जाने पर उसको वायदाद का चौथाई हिस्सा दे देगा और (क—ख) वादी को और से मुकदमे में खर्चा करता है (जैसी कुछ परिस्थित हो लिखी जावे यदि अपीलार्थ अवयस्क हो या कोई परदा नशीन औरत हो और लड़ाने वाले कोई दूसरे आदमी हों तो वह भी लिखा जा सकता है) ।

९—प्रतिवादी ने अपनी खर्चों की डिगरी को प्रारम्भिक अदालत से जारी कराया और वादी को गिरफ्तार कराया या उसकी कुरकी कराई परन्तु कुछ वसूल नहीं हुआ ।

२—प्रार्थना-पत्र

(१) कार्यवाही स्थगित कराने के लिये

(धारा १० व्यवहार विधि संग्रह सन् १९०८)

(मुकदमे का सिरनामा)

प्रतिवादी प्रार्थी है—

प्रार्थना पत्र धारा १० व्यवहार विधिसंग्रह के अनुसार दाखिल करता है और इस प्रकार निवेदन करता है :—

१—प्रार्थी बाजार चौहट्टी शहर कलकत्ता में दूकान कच्ची आढत की, रामसहाय गोकलचन्द के नाम से करता है ।

२—विरुद्ध पक्ष की गल्ले की दूकान रामस्वरूप जोतीप्रसाद के नाम से स्थान बरेली में है ।

३—विरुद्ध पक्ष अपनी दूकान बरेली से शल्ला और दूसरा सामान बेचने के लिये प्रार्थी की कलकत्ते की दूकान पर भेजा करता था और माल के मुकाबले में हुन्डियाँ उसकी कीमत से १०) २० सैकड़ा कम की प्रार्थी की दूकान के ऊपर कर लेता था जिनको, प्रार्थी की दूकान माल पहुँच जाने पर सिकार देती थी ।

४—इस प्रकार व्यवहार दोनों पक्षों के बीच कुछ समय तक चलता रहा । उसकी बाबत मुबलिया २०००) २० बहीखाता दूकान प्रार्थी के अनुसार विरुद्ध पक्ष के जुम्मे चाहिये थे ।

५—प्रार्थी ने अदालत खफीफा कलकत्ते में ता० १५ जून सन् १९.....को नालिश नम्बरी १३११ सन १९.....विरुद्ध पत्र के नाम उक्त रुपया और उसका सूद दिलाये जाने की दायर की ।

६—नालिश में ता० ६ सितम्बर सन् १९.....के प्रतिवाद-पत्र दाखिल हो कर तनकीहात कायम हो गई और ता० ६ दिसम्बर १९.....मुकदमा सुने जाने के वास्ते नियत हुई ।

७—उक्त नालिश दायर होने के बाद विरुद्ध पत्र ने ता० ११ अगस्त सन् १९... के यह नालिश ऊपर के सिरनामे की प्रार्थी के विरुद्ध में इस अदालत में दायर की और ता० २५ नवम्बर सन् १९.....के तनकीहात कायम होकर ता० १६ जनवरी सन् १९.....अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत हुई है ।

८—दोनों नालिशो एक ही व्यवहार के बारे में हैं और दोनों में भगडे वाली बातें एक हैं और कुल हिसाब दोनों पक्षों के बीच खफीफे की अदालत कलकत्ते में तय होगा ।

९—दावा नम्बरी १३११ सन् १९.....इस नालिश से पहिले अदालत खफीफा कलकत्ते में दायर हुआ और उसकी सुनवाई की तारीख भी पहिले की है ।

इस लिये प्रार्थना है कि ऊपर सिरनामे में लिखे मुकदमे की कार्रवाई स्थगित की जावे ।*

* नोट १—दख्वास्त हलतवा मुकदमें की पुष्टि (ताईद) में बयान हलफी देने की आवश्यकता होती है जो घटनाएँ दख्वास्त में लिखी जाती हैं वह बयान हलफी में लिखनी होती हैं । इस तरह करने से एक ही घटनाएँ दो बार लिखनी पड़ती हैं । इस लिये बहुधा यह किया जाता है कि कुल घटनाएँ शपथ पत्र में लिख-देते हैं और प्रार्थना पत्र में केवल यह कह देते हैं :—

“ उन घटनाओं के विचार से या उन हालात को निगाह में रखते हुए जो नर्त्या किये हुए शपथ-पत्र में दर्ज हैं प्रार्थी निवेदन करता है कि... ..” दोनों रूप इच्छानुसार काम में लाये जा सकते हैं । ”

नोट २—शपथ-पत्र बनाने के नियम और कुछ नमूने पहिले ही दिये जा चुके हैं ।

३—निवेदन-पत्र हस्तान्तर वाद(इन्तिकाल मुकदमा)

(धारा २४ व्यवहार-विधि संग्रह—सन् १९०८)

(१) दख्खास्त इन्तिकाल मुकदमा जब पक्षों के बीच
दो मुकदमों में भगड़े वाली बातें एक हों

(वाद शीर्षक)

(अ—त्र) उक्त प्रार्थी ।

दख्खास्त धारा २४ व्यवहार विधि संग्रह सन् १९०८ के अनुसार दखिल करता है और निवेदन करता है कि :—

१—प्रार्थी (सायल) ने एक दावा हिसाब समझाने का विरुद्ध पक्ष के मुकाबले में मुन्सफी हाथरस में ता० ५ मार्च सन् १३के दायर किया जिसका नम्बर २५६ सन् १६.....है ।

२—उक्त दावा उस लेन देन की बात है जो दोनों पक्षों के बीच प्रिन्सिपल और ऐजेन्ट की हैसियत से हुआ ।

३—उक्त दावे में ता० ११ अप्रैल सन् १६.....के तनकीहात कायम हुई और ता० १७ मई सन् १६अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत है ।

४—विरुद्ध पक्ष ने उक्त नालिश दायर होने के पश्चात एक दूसरा दावा नम्बरी २११ सन् १६.....अदालत मुन्सफी जलेसर में, प्रार्थी के विरुद्ध कुछ रकमें दिलाये जाने का दायर किया ।

५—मुकदमा नम्बरी २११ सन् १६.....में अदालत मुन्सफी जलेसर ने वाद-ग्रस्त विषय स्थित करके ता० १७ जून सन् १६.....अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत की है ।

६—वह सब रकमें जिनका मुकदमा नम्बरी २११ सन् १६.....में भगड़ा है उस हिसाब के भाग हैं जिनकी मुकदमा नम्बरी २५६ सन् १६...में मुन्सफी हाथरस में बहस

* नोट—जो घटनाये दख्खास्त इन्तिकाल मुकदमें में लिखी जाती हैं उनकी पुष्टि में भी शपथ-पत्र देना होता है । इसलिये शपथ-पत्र में कुल घटनायें लिख कर प्रार्थना-पत्र में केवल यह लिखा जा सकता है—

“ उन घटनाओं के लिहाज से जो नरथी किये हुए शपथ-पत्र में प्रकट या बयान की गई हैं यह प्रार्थना की जाती है कि मुकदमा अदालतसे अदालत.....के वास्ते फैसले के मुन्तकिल फरमाया जावे ” ।

ऐसा करने से घटनायें दो बार नहीं लिखनी पड़तीं और बहुधा यही रीति उत्तम समझी जाती है ।

है और दोनों मुकदमों के विषय में एक ही तनकीह कायम हुई हैं। (या कि मुकदमा नम्बरी २११ में तनकीह न० १, २, ३ व ४ उन्ही रकमों के विषय में हैं जिनके सम्बन्ध में मुकदमा न० २५६ में तनकीह न० ३, ५, ६ व ७ हैं)।

७—इन बातों के विचार से दोनों मुकदमों का एक ही अदालत में निर्णय होना न्याय और दोनों पक्षों की सुविधा के लिये आवश्यक है।

८—वह मामले जिनका भगड़ा दोनों मुकदमों में है स्थान हाथरस में हुए और उनके विषय में मौखिक और लिखित प्रमाण हाथरस के दूकानदारों के बहीखाते सान्नी में तलब और पेश होंगे।

९—दोनों मुकदमे हाथरस में सुने जाने से दोनों पक्षों की सुविधा रहेगी और शह-दत्त तलब कराने में व्यय कम होगा।

इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा नम्बरी २११ सन् १९ . . अदालत मुन्सफ़ी जलेसर से अदालत मुन्सफ़ी हाथरस को प्रेषण किया जावे।

(२) अन्य न्यायालय में वाद प्रेषणार्थ निवेदन-पत्र

जब न्यायाधीश प्रार्थी के विरुद्ध अपनी

सम्पत्ति प्रकट कर चुके हों

(सिरनामा)

१—एक पुरुष बुद्धसेन ने एक दावा एक दूकान स्थित बाजार चौहट्टी कसबा रसरा की बाबत, प्रार्थी के विरुद्ध इस बयान से दायर किया था कि वह उस दूकान का मालिक है और प्रार्थी का कब्जा उस पर बिना किसी अधिकार के और अनुचित है।

२—दावे का नम्बर २०३ सन् १९.....था जिसको श्री गोकुल प्रसाद साहिव ने जो उस समय मुन्सिफ बलिया थे इस तजवीज से डिसमिस किया कि बुद्धसेन उसका मालिक नहीं है और प्रार्थी भी उसका मालिक नहीं है। वास्तव में एक आदमी रामविलास उसका मालिक है और प्रार्थी उस पर बिना अधिकार के कब्जा है।

३—ता० १७ अगस्त सन् १९.....को रामविलास ने दावा नम्बरी ३११ सन् १९... अदालत सिविलजजी गाजीपुर में उक्त दूकान के विषय में प्रार्थी के विरुद्ध इस बयान से दायर किया है कि वह उसका मालिक है और प्रार्थी उस पर अनुचित अधिकार किये हुए है।

४—सयोग से वा० गोकुल प्रसाद जो मुकदमा नम्बरी २०० सन् १९.....के निर्णय के समय मुन्सिफ बलिया थे अब वह सिविलजजी गाजीपुर हैं और मुकदमा न० ३११ सन् १९.....उन्ही के इजलास में पेशी के लिये है।

५—जो राय वा० गोकुल प्रसाद साहिव की प्रार्थी के कब्जे और अधिकार के बारे में मुकदमा नम्बरी २०३ सन् १६... .. में प्रकट हो चुकी है उससे प्रार्थी को पूरा डर है कि वह मुकदमा नम्बरी ३११ सन् १६ . की सुनवाई और उसका फैसला स्वतंत्र राय और निश्चय विचार के साथ नहीं कर सकेंगे और उनके दिल पर अनजाने प्रभाव उन की पहिली तजवीज का पड़ेगा ।

६—प्रार्थी को ऊपर लिखे हालात के विचार से वा० गोकुल प्रसाद साहिव के इजलास से पूर्ण न्याय की आशा नहीं है ।

इसलिये निवेदन है कि मुकदमा नम्बरी ३११ सन् १६ फैमले के वास्ते अदालत सिविलजजी गाजीपुर से किसी अन्य अदालत में भेज दिया जावे ।

(३) वाद प्रेषणार्थ निवेदन पत्र प्रमाण की सुविधा के आधार पर

१—फर्म (अ—ब) पर, जो मंडी नजवाई शहर हाथरस में हैं, कमीशन एजेन्सी का काम होता है ।

२—उक्त फर्म पर एक समय तक विरुद्ध पक्ष का माल आता रहा और वह उसको कमीशन एजेन्ट की हैसियत से बेचती और उसका हिसाब विरुद्ध पक्ष के पास समय २ पर भेजती रही । जो कुछ रुपया मूल्य का हुआ वह हुन्डियों के द्वारा से जाता रहा ।

३—विरुद्ध पक्ष ने दावा नम्बरी ३११ सन् १६ . अदालत मुन्सफी एटा उक्त माल की बिक्री के विषय में प्रार्थी फर्म के मुकाबले में इस बयान से दायर किया है कि माल वास्तव में अधिक मूल्य पर बेचा गया और उसका कम मूल्य हिसाब में लिखा गया और व्यय अधिक लिखा गया और तोल में कमी है ।

४—प्रतिवादी को, प्रार्थी के माल का आना स्वीकार है और वह एजेन्ट की हैसियत से हिसाब समझाने का उत्तरदाता (जुम्मेवार) है और शहादत उसी की ओर से तलब और पेश होगी ।

५—कुल माल प्रार्थी फर्म ने हाथरस में वहाँ के दुकानदारों के हाथ बेचा । और उनके बहीखातों में बिक्री का इन्दराज है और उनके हस्ताक्षर युक्त बिक्री के पर्चे मिसल में दाखिल हैं ।

६—एजेन्सी का काम जिसका भगड़ा है तीन साल का है । इस समय में बहुत सा माल आया और बिका जिसकी वजह से प्रतिवादी की ओर से बहुत शहादत पेश होगी ।

७—यह सब शहादत हाथरस की होगी ।

८—मुकदमे की मालियत केवल ५००) रु० है । बहुत सी शहादत हाथरस से ऐटा ले जाने में बड़ा खर्चा पड़ेगा जो मुकदमे की मालियत के विचार से उचित न होगा ।

साक्षियों को बहुत कष्ट एटा जाने और अपने बहीखाते वहाँ ले जाने और वहाँ से वापिस लाने में होगा ।

६— मुकदमे मे स्थान एटा मे अभी केवल तनकीह कायम हुई है और ता० २३ नवम्बर सन् १६.....अन्तिम मुनवाई के वास्ते नियत है । दोनों पक्षों की जानिब से कोई शहादत तलाब नही हुई ।

इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा नम्बरी ३११ सन् १६.....अदालत मुन्सफी एटा से अदालत मुन्सफी हाथरस को प्रेषण कर दिया जावे ।

४—वाद पक्षकार (फरीक मुकदमा)

(१) ज़रूरी फ़रीक का नाम बढ़ाये जाने के लिये दरखास्त

(आर्डर १ नियम १० व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा मुकदमा)

(अ—ब) उक्त प्रार्थी—

दरखास्त आर्डर १ नियम १० व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार दाखिल करता है और निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी ने दावा वसूलयात्री किराये का एक दूकान के विषय मे प्रतिवादी के विरुद्ध में इस बयान से दायर किया है कि वादी उक्त दूकान का स्वामी है और प्रतिवादी उसका किरायेदार है ।

२—प्रतिवादी ने उक्त दावे में जवाबदही की है और उसकी आपत्ति यह है कि उक्त दूकान एक पुरुष नाथूराम वल्द चन्द्र सेन जात वैश्य अग्रवाल अनूपशहर की मिलकियत है और प्रतिवादी उक्त नाथूराम की ओर से किरायेदार है और नेकनीयती से उसको किराया अदा करता है ।

३—मुकदमे की कुल भगडे की बातों का पूर्ण और अन्तिम निर्णय होने के लिये यह आवश्यक है कि उक्त नाथूराम फरीक मुकदमा हो ।

इसलिये दरखास्त है कि उक्त नाथूराम प्रतिवादी की हैसियत से फरीक मुकदमा किया जावे ।

(२) अनावश्यक फ़रीक़ का नाम पृथक़ रिये जाने के लिये प्रार्थना

(आर्डर १ नियम १० व्यवहार विधि संग्रह)

(वाद शीर्षक)

१—ऊपर के सिरनामे के मुकदमे में वादी नम्बर १, अपने आप को मृतक रामसिंह का उत्तराधिकारी प्रकट करता है और उसी अधिकार से उसने दावा दायर किया है।

२—वादिनी नम्बर २, मृतक रामसिंह की विधवा है वह भी अपने आपको मृतक रामसिंह की उत्तराधिकारिणी बयान करके दावा करती है।

३—वादी न० १ और वादिनी न० २ के स्वत्व एक दूसरे के विरुद्ध हैं और वह दोनो एक दावे में सम्मिलित नहीं हो सकते।

४—प्रतिवादी को वादियों का स्वत्व अनिश्चित होने के कारण प्रतिवाद और शहादत में बड़ी कठिनाई का सामना करना होगा और बहुत परेशानी होगी।

५—वादी नम्बर ३ का वादपत्र के बयानों से कोई हक भगडे वाली जायदाद में प्रकट नहीं होता। वह त्रिकुल अनावश्यक फ़रीक़ है।

इसलिये प्रार्थना है कि वादियों न० १ व २ में से एक का नाम और वादी न० ३ का नाम वादियों की सूची से निष्कासित (खारिज) कर दिया जावे।

✽ ५—स्थानी तामील (Substituted Service)

(१) स्थानी तामील के लिये प्रार्थना-पत्र

(व्यवहार विधि संग्रह आर्डर ५ नियम २०)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखे मुकदमे में प्रतिवादी का सम्मन तीन बार बिना तामील वापिस हो चुका है।

* नोट १—यदि प्रतिवादी कोई पर्दानशीन स्त्री हो या कोई ऐसा पुरुष हो जिसकी तामील साधारण रूप से हाथों हाथ न हो सकती हो उसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र इसी नमूने से आसानी से तैयार हो सकता है।

नोट २—ऐसी दरखास्त की पुष्टि के लिये शपथ-पत्र देना आवश्यक होता है और शपथ-पत्र में दरखास्त की घटनायें दर्ज होनी चाहिये या वह रूप स्वीकार किया जावे जो दरखास्त इन्तकाल मुकदमे में प्रकट किया जा चुका है यानी, घटनायें शपथ-पत्र में लिख दी जावे और उसके हवाले से दरखास्त स्थानी तामील के लिये दी जावे।

२—प्रतिवादी का साधारण निवासस्थान मौज़ा रामपुर परगना अहार जिला बुलन्दशहर मे है ।

३—पहिली बार सम्मन इसी पते से जारी हुआ और इस रिपोर्ट से वापिस आया कि प्रतिवादी अपनी ससुराल में स्थान दानपुर जिला मेरठ गया हुआ है, नहीं मालूम कब तक वापिस आवेगा और मकान में ताला पड़ा हुआ है ।

४—वादी ने दूसरी बार सम्मन दानपुर के पते से जारी कराये और वहाँ से बिना तामील इस रिपोर्ट से वापिस हुए कि प्रतिवादी वहाँ नहीं रहता और न वहाँ मौजूद है ।

५—वादी ने फिर तीसरी बार सम्मन रामपुर के पते से जारी कराये और साधारण रूप से और डाक के द्वारा दोनों से प्रतिवादी के पास भेजे गये ।

६—लिफाफा रजिस्ट्री इन्कारी होकर वापिस आया और चपरासी ने यह रिपोर्ट की कि प्रतिवादी मकान पर नहीं है और मकान बन्द है ।

७—प्रतिवादी जान बूझ कर तामील सम्मन नहीं करता और उससे जान बूझ कर बचता है । मामूली तरह से उस पर तामील होना सम्भव नहीं है ।

इसलिये प्रार्थना है कि आर्डर ५ नियम २० व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार प्रतिवादी पर स्थानी तामील किये जाने की आज्ञा दी जावे ।

६—वाद पत्र का संशोधन (Amendment)

(निवेदन-पत्र आर्डर ६ नियम १ व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार)

(वाद शीर्षक)

१—वादी ने दावा दखल जायदाद का इस बयान से दायर किया है कि उक्त जायदाद सोहन लाल की थी और वादी अब उसके गोद लिये हुए पुत्र की हैसियत से उसका मालिक है ।

२—प्रतिवादी जायदाद को सोहन लाल की होना स्वीकार करता है परन्तु वादी के मुतबन्ना होने से इनकार करता है और एक वशावली के आधार पर अपने को सोहन लाल का उत्तराधिकारी बयान करता है ।

३—वादी सोहन लाल के सगे चाचा नाथूराम का नाती है और दत्तक पुत्र न होने की दशा मे भी वह सोहन लाल का निकट उत्तराधिकारी प्रतिवादी के विरुद्ध मे है ।

४—कुल भगड़ा दोनों के मध्य में निर्णय होने के लिये यह आवश्यक है कि उत्तराधिकार स्वत्व की तनकीह भी स्थित कर के दोनों के बीच इसी मुकदमे में फैसल हो जावे ।

इस लिये प्रार्थना है कि वाद पत्र में निम्नलिखित वाक्य धारा न० ४ के अन्त में बढ़ाने की अनुमति वादी को दी जावे और वाद-पत्र का सुजोखन (तरमीम) किया जावे—

“ वादी मृतक सोहन लाल के सगे चचा नाथू राम का नाती है और प्रतिवादी के मुकामले में नजदीकी उत्तराधिकारी मृतक सोहन लाल का है और बिना गोद (तबनियत) के भी वह जायदाद का उत्तराधिकारी और मालिक प्रतिवादी के मुकामले में है ” ।

७—नम्बर पर मुकदमा कायम कराने के लिये (Restoration)

(१) वादी के अनुपस्थित होने पर

(आर्डर ६ नियम ४ व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखे मुकदमे में ता०.....सुनवाई के वास्ते नियत थी ।

२—वादी ने उस तारीख के लिये गवाह तलब कराये थे ।

३—वादी का गाँव स्थान अदालत से १० मील के दूरी पर है ।

४—उक्त तारीख पर वादी अपने गवाहों के साथ गाड़ी में सवरे खाना हुआ और साधारणतया नौ बजे के लगभग कचहरी पर पहुँच जाता ।

५—गाँव से ४ मील चल कर चक ऊँची चढाई पर गाड़ी का पहिया टूट गया और बहुत प्रयत्न करने पर भी चलने के योग्य नहीं हुआ ।

६—बिबश होकर वादी अपने गाँव को वापिस गया और वहाँ से दूसरे पहिये का प्रबन्ध करके लाया और इस अड़चन के हो जाने के कारण वादी और उसके गवाह कचहरी पर १२ बजे पहुँचे ।

७—पहुँचने पर मालूम हुआ कि मुकदमा वादी की अनुपस्थिति में डिसमिस हो गया ।

८—गाँव से चलते समय गाड़ी के पहियो की दशा बहुत अच्छी मालूम होती थी । वादी की अनुपस्थिति एक अचानक घटना के कारण हुई ।

इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा फिर से नम्बर पर कायम किया जावे ।

(२) दूसरा नमूना रेल दुर्घटना के आधार पर

(सिरनामा)

१—उपरोक्त मुकदमे में ता०.....महीना.....सन्.....पेशी के वास्ते नियत थी ।

२—मुकदमा लगभग ११ बजे पेश हुआ और वादी की अनुपस्थिति में डिसमिस हो गया ।

३—वादी स्थान..... का रहने वाला है जो .. कचहरी अदालत में रेल के रास्ते से १५ मील की दूरी पर है ।

४—वादी के रहने के स्थान से रेल गाड़ी सवेरे ७ बजे चलती है जो कचहरी पर ८ बजे पहुँचा देती है ।

५—वादी और उनके गवाह पेशी की तारीख के रोज सवेरे ७ बजे की गाड़ी से रवाना हुये ।

६—सयोग से उक्त गाड़ी लाइन पर एक दुर्घटना हो जाने के कारण दूसरे स्टेशन, स्थान.....पर लगभग ३ घंटे खड़ी रही और लाइन साफ हो जाने के बाद लगभग १० $\frac{१}{४}$ बजे रवाना हो कर ११ $\frac{१}{४}$ बजे यहाँ पहुँची ।

७—वादी और उसके गवाह ११ $\frac{३}{४}$ बजे कचहरी पहुँचे और आने पर मालूम हुआ कि मुकदमा अनुपस्थिति में खारिज हो गया ।

८—वादी की अनुपस्थिति दुर्घटना के कारण बिना उसके किसी दोष के हुई । इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा फिर से नम्बर पर कायम किया जावे ।

८—एकतरफा डिगरी की मंजूरी के लिये

(आर्डर ६ नियम १३ व्यवहार-विधि-संग्रह)

(१) समन की तामील और नालिश की सूचना न होने के कारण

(सिरनामा)

१—प्रतिवादी प्रार्थी लगभग ३ साल से बन्धुई रहता है और वहाँ पर मेवा बेचने का काम करता है ।

२—प्रार्थी प्रतिवादी पर तामील समन की नहीं हुई और न उसको नालिश दायर होना ज्ञात हुआ ।

३—वादी ने नालिश का समन प्रार्थी प्रतिवादी के पहिले निवासस्थान फेजावाद के पते से जारी कराकर न मालूम किस तरह तामील ऊपरी करा ली ।

४—मुकदमा ता०.....के प्रतिवादी की अनुपस्थिति में पेश हो कर एकतरफा डिगरी हो गया ।

५—प्रतिवादी ता०.....के फेजावाद वापिस आया उस समय उसको.....गाँव वालों से एकतरफा डिगरी सादिर होने का हाल मालूम हुआ ।

६—डिगरी एकतरफा कायम रहने से प्रतिवादी की हानि है ।

७—प्रार्थना-त्र टेने का अधिकार ता०.को एकतरफा डिगरी का ज्ञान होने से हुआ ।

इस लिये प्रार्थी दरखास्त करता है कि डिगरी एकतरफा मसूख हो कर मुकदमा नम्बर सात्रिक पर कायम किया जावे ।

(२) संरक्षिका के परदानशीन होने और उसके कारिन्दा के वीमार हो जाने के आधार पर

(सिरनामा)

१—(नाम-प्रार्थी) सायल पागल है और उसकी सरक्षिका मुसम्मात शफुननिसा एक परदानशीन औरत है ।

२—उक्त मुसम्मात की और से एक आदमी माशूक अली मुकदमे का पैरोकार था ।

३—ता०.... माह.....सन्.....मुकदमे मे पेशी के लिये नियत थी और उक्त पैरोकार ने पेशी की तारीख के लिये साक्षी तलब कराये थे ।

४—सयोग से उस तारीख पर उक्त पैरोकार.....बीमारी (जो कुछ हुई हो, लिखी जावे) में घिर गया और अदालत में नहीं उपस्थित हो सका ।

५— उक्त कारिन्दा दूसरे गाँव में रहता है सायल की संरक्षिका को उसका हाल मालूम नहीं हुआ ।

६—साक्षी जो तलब कराये थे वह भी समन तामील न होने के कारण से उपस्थित नहीं हुये ।

७—अदालत ने मुकदमे को एकतरफा सुन कर डिगरी कर दिया ।

८—प्रतिवादी की और से अनुपस्थिति ऊपर लिखे कारणों से हुई इस लिये प्रार्थना है कि डिगरी एकतरफा मसूख हो कर मुकदमा फिर से नम्बर सात्रिक कायम किया जावे ।

६—दख्खास्त, बहियों के मुआइने के लिये

(आर्डर ११ नियम १८ व्यवहार-विधि-संग्रह)

(वाद शीर्षक)

१—उपर्युक्त दावा वादी ने इस बयान से टायर किया है कि उसने सम्बन्धसे संवत्.....तक कमीशन एजेंट की हैसियत से प्रतिवादी की ओर से बहुत से सौदे खरीदे और बेचे और उनके विषय में घाटे के रूपमें बहुत से दूकानदारों को दिये जिनका उसने दावा किया है ।

२—प्रतिवादी ने ऊपर लिखे सम्बन्धों की वादी की बही, जिनकी तफसील नीचे दर्ज है मुआइना करना चाही और नोटिस आर्डर ११ नियम १५ व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार वादी को दिया ।

(बही या बहियों की तफसील यहाँ दी जावे)

३—वादी ने तामील नोटिस हो जाने पर भी उक्त बहीखातों का मुआइना प्रतिवादी को नहीं कराया और न अवधि के अन्दर कोई स्थान मुआइने के लिये नियत किया ।

(यदि वादी ने कुछ बही दिखलाई हो और कुछ न दिखलाई हो तो लिखा जा सकता है कि “वादी ने बही १, २, व ३ प्रतिवादी को मुआइना कराई और ४, ५, ६ मुआइना नहीं कराई जिनमें सौदे सब से पहिले लिखे जाते हैं या और जो कुछ कारण हो”)

४—जब तक प्रतिवादी को पूर्ण ज्ञान उन सौदों के विषय में न हो जिनके घाटे का वादी दावा करता है प्रतिवादी दावे की जवाबदारी नहीं कर सकता और न उचित रीति से वादी के बयानों की काट कर सकता है ।

इसलिये दख्खास्त है कि वादी को हुकुम दिया जावे कि वह उक्त बही (या बहियों न० ४, ५, और ६) का मुआइना प्रतिवादी को करा देवे ।

१०—दख्खवास्त, मिसिल तलब करने के लिये

(आर्डर १३ रूच ४० व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखा मुकदमा प्रामेसरी नोट के आधार पर प्रचलित हुआ है जो कुल प्रतिवादी के हाथ का लिखा हुआ और उसका हस्ताक्षरित है ।

२—प्रतिवादी को प्रामेसरी नोट के लिखने और हस्ताक्षर से इन्कार है ।

३—नीचे निम्न लिखित मिसलों में से न० १ और २ में प्रतिवादी के लिखे हुये पत्र (खत) मौजूद हैं जिनका अदालत के सामने प्रतिवादी के लेख और उसका ढंग मिलाने के लिये होना आवश्यक है ।

४—निम्नलिखित मिसिल न० ३ में प्रतिवादी का दाखिल किया हुआ प्रतिवाद पत्र है जिसमें उसने उक्त प्रामेसरी नोट के लिखे जाने और उसका रुपया निकलना स्वीकार किया है ।

५—मिसिल नम्बरी १ और २ में अन्य पुरुषों के पत्र दाखिल किये हुये हैं जो वादी को वापिस नहीं मिल सकते ।

६—मिसिल नम्बरी ३ के बयान तहरीरी की प्रमाणित प्रतिलिपि वादी ने सबूत में दाखिल कर दी है परन्तु प्रतिवादी ने उसको स्वीकार नहीं किया और असल का समर्थन कराने के लिये मिसिल का आना आवश्यक है ।

इस लिये निवेदन है कि मिसिल नम्बरी १ व २ व ३ तलब की जावे ।*

(यहाँ पर मिसलों का विवरण और उनका पूरा पता, नाम अदालत, नाम पक्षाकार व तारीख दाखिल और फैसिल होने की लिखी जावे) ।

* नोट १—ऐसे निवेदन पत्र की पुष्टि में शपथ-पत्र देना आवश्यक होता है और शपथ-पत्र में वह घटनाएँ लिखी होनी चाहिये जो धारा १ से लेकर ६ में दर्ज हैं और मिसलों का पता लिखा जावे ।

११—दरख्वास्त, निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी के लिये

(आर्टर ३८ रूत १ व्यवहार-विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—प्रतिवादी किनारी बाजार शहर आगरे में दूकान पसरट्टे की करता था और फर्म वादी से ऋण लेकर कारोबार में लगाता था ।

२—उक्त प्रतिवादी असली रहने वाला एक मौज्जे का है जो रियासत भावलपुर मे भारत सघ (Indian union) के बाहर है ।

३—वादी ने तारीख १० मार्च सन् १९ ... ई० को अपने नौकर रहीमदाद के तकाज़ के लिये प्रतिवादी की दूकान पर भेजा, उसने दूकान वन्द पाई और प्रतिवादी का, तलाश करने पर भी कोई पता नहीं मिला ।

४—प्रतिवादी के जुम्मे फर्म वादी का मुवलिग... ..६० असल और सूद का बाकी है ।

५—रतनलाल व प्यारेलाल जो प्रतिवादी की दूकान के समीप के दूकानदार हैं उनसे पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने दूकान का माल पृथक करके दो तीन रोज़ से कारोबार बन्द कर दिया है और बहुत जल्द उसका इरादा अपने गाँव को चले जाने का है ।

६—प्रतिवादी अपने रहायशी मकान स्थित मुहल्ला नवाबगँज मे छिपा हुआ है ।

७—वादी ने आज ऊपर लिखी नालिश वास्ते दिलाये जाने अपने मतालवे के इस अदालत में दाखर कर दी है ।

८—प्रतिवादी के पास कोई अचल सम्पत्ति भारतसघ मे नहीं है ।

९—वादी को विश्वास है कि प्रतिवादी नालिश की खबर पाकर भारत-सघ से बाहर चला जायगा और वादी को नालिश का रुपया वसूल करने मे बड़ी कठिनाई होगी ।

इसलिये दरख्वास्त है कि प्रतिवादी फैसले से पहिले गिरफ्तार कर लिया जावे और उससे वादी के मतालवे की जमानत तेली जावे ।

१२—निर्णय से पूर्व कुर्की के लिये निवेदन-पत्र

(आर्डर ३८ रूल ५ ज्ञानता दीवानी संग्रह)

(सिरनामा)

१—प्रतिवादी के जुम्मे वादी का ऋण ४०००) रु०, प्रामेसरी नोट के द्वारा है ।

२—वादी ने कई बार प्रतिवादी से तक्राजा किया और अन्तिम बार तारीख २१ मई सन् १९४६ ई० के दावा करने की इच्छा प्रकट की ।

३—प्रतिवादी टालटूल करता रहा और उसने इसी बीच तारीख २ जून सन् १९४६ ई० के एक सम्पत्ति ६०००) रु० नकद में विक्रय कर दी और वादी का रुपया अदा नहीं किया ।

४—वादी ने विवशतः ५ जून सन् १९४६ के इस अदालत में दावा दायर किया और तामील समन की ११ जून सन् १९४६ के प्रतिवादी पर हो गई ।

५—प्रतिवादी के पास केवल एक मकान और है जिसकी मालियत ६०००) या ७०००) रुपये से अधिक नहीं है ।

६—वादी को नत्थीमल दलाल से मालूम हुआ है कि प्रतिवादी उस मकान के विक्रय करने की भी बात चीत और लोगों से कर रहा है ।

७—उक्त मकान विक्रि जाने से वादी का रुपया वसूल होना असम्भव हो जायगा ।

८—प्रतिवादी उक्त मकान के इस विचार से बँच रहा है कि वादी का रुपया वसूल न हो और वह इस विचार को उक्त नत्थीमल से प्रकट कर चुका है ।

अतएव प्रार्थना है प्रतिवादी को आशा हो कि वह वादी के रुपये के लिये जमानत दाखिल करे और जमानत दाखिल होने तक निम्नलिखित सम्पत्ति फैसले के पहिले कुर्क व रली जावे ।

१३—निषेधाज्ञा के लिये निवेदन-पत्र

(आर्डर ४० रूल १ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—वादी ने ऊपर लिखा दावा एक मकान के दखल दिलाये जाने के वास्ते प्रतिवादी के विरुद्ध दायर किया है ।

२—उक्त मकान में प्रतिवादी की रहायश है ।

३—उक्त प्रतिवादी मकान की चौखट और किवाड़ निकाल कर उसको नष्ट करता है और कई दीवारों की ईंटें निकाल कर बेचता है ।

४—प्रतिवादी ने मकान में पूरब की कोठी के चौखट और किवाड़ निकाल ली हैं और द्वार की दीवार की ईंटें नाथूराम माली के हाथ बेच दी हैं ।

इसलिये प्रार्थना है कि निषेधात्मक आज्ञा (हुक्म इमतनाई) प्रतिवादी के नाम जारी की जावे कि वह उक्त मकान की चौखट और किवाड़ या और कोई सामान पृथक न करे और न कोई ईंट इत्यादि को बेचे और न मकान को किसी प्रकार की हानि पहुँचावे ।

१४—दख्वास्त, रिसीवर नियत किये जाने के लिये

(आर्डर ३६ रूल १ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखा दावा साभा तोड़ने और हिसाब समझाने का है ।

२—साभे के कारोबार में रुपया वादी का लगता था और उसका मैनेजर प्रतिवादी था ।

३—साभे का कुन सामान और सारे कागज़ और बही खाता प्रतिवादी के अधिकार में हैं और उसी के अधिकार में साभे की नकदी है ।

४—वादी का अब तक लगभग २५०००) रुपया साभे के कारोबार में लगा हुआ है जिसका हिसाब २॥ साल से प्रतिवादी ने नहीं दिया ।

५—प्रतिवादी ने नैनसुख और हरभजन दो मनुष्यों की डिग्री शिराकत के ऊपर करा ली है जिनकी इजराय में कोठी, जिसमें शराकत का काम होता है, १० अपरैल सन् १९.....ई० को कुर्क हो गई है ।

६—प्रतिवादी ने मुकदमे में साभे का कोई हिसाब अब तक पेश नहीं किया। मुकदमे के दायर हुये ६ महीने और प्रतिवाद पत्र दाखिल किये हुये ४ महीने हो गये।

७—वादी को पूरा विश्वास है कि प्रतिवादी ने बहुत सा रुपया साभे का अलग कर लिया है और वादी को ठीक हिसाब देना नहीं चाहता।

८ प्रतिवादी के हाथ में साभे का बही खाता और कारोबार रहने से केठी नीलाम हो जाने और वादी के हानि पहुँचने का भय है।

इसलिये प्रार्थना है कि कोई रिसीवर शराकत की जायदाद के लिये नियत किया जावे और प्रतिवादी को आज्ञा हो कि वह साभे का कुल माल, रुपया बही खाता हिसाब और जायदाद रिसीवर के सुपुर्द कर देवे।

❁ १५—प्रार्थना पत्र, उत्तराधिकारी का नाम चढ़ाने के लिये

(आर्डर २२ रूल ४ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—रामसहाय प्रतिवादी का ६ नवम्बर सन् १९ . ई० को देहांत हुआ।

२—जय देव और सुखदेव उसके पुत्र और उत्तराधिकारी हैं।

इसलिये प्रार्थना है कि जय देव और सुखदेव का नाम मृतक रामसहाय के स्थान पर प्रतिवादियों की सूची में चढ़ाया जावे।

* नोट १—इस प्रकार के प्रार्थना पत्र की पुष्टि (ताईद) में जो बयान हलफ़ी दाखिल होता है उसका एक नमूना शपथ पत्र के अध्याय में दिया हुआ है। उससे अन्य प्रकार की दख्वास्त भी बन सकती हैं।

नोट २—उत्तराधिकारी कायम किये जाने की अवधि ६० दिन की है अगर इस अवधि के अन्दर उत्तराधिकारी कायम न कराये जावे तो अभियोग (मुकदमा साकित) हो जाता है और आर्डर २२ रूल ६ के अनुसार साकित होने का हुक्म मसूख कराने की दख्वास्त देनी होती है।

उस दख्वास्त की पुष्टि के लिये शपथ-पत्र भी नमूना नम्बर २ बयान हलफ़ी से बन सकता है। उक्त नमूने के अन्त में यह लिखना आवश्यक होता कि अवधि के अन्दर दख्वास्त क्यों नहीं दी गई और देहान्त की तारीख़ की सूचना प्रार्थी को कब हुई और पहले सूचना न देने के क्या कारण थे।

१६—निवेदन-पत्र, वादी से ज़मानत खर्चा लिये जाने का

(आर्डर २५ नियम १, व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—वादी का असली निवास स्थान पाकिस्तान के एक गाँव में, भारत सघ के बाहर है।

२—वादी देहली में गोटे की फेरी का काम करता था और एक किराये के मकान में बाल बच्चों सहित रहता था।

३—वादी के पास कोई जायदाद भारत सघ में नहीं है।

४—वादी ने कारोबार करना देहली में बन्द कर दिया है और अपने बाल बच्चों को अपने निवास स्थान को भेज दिया है और मालिक मकान को इस महीने की अन्तिम तारीख से मकान छोड़ने का नोटिस दे दिया है।

५—दावा खारिज होने पर प्रतिवादी का खर्चा वादी से वसूल होने का कोई उपाय नहीं है।

इसलिये प्रार्थना है कि वादी से प्रतिवादी के खर्चों की जमानत ले ली जावे।

१७—दख्खास्त, अन्तिम डिगरी की तैयारी के लिये

(१) दख्खास्त, तैयारी डिगरी क़तई नीलाम जायदाद

(आर्डर ३४ रूल ५ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखे मुकदमे में प्रारम्भिक (इबतदाई) डिगरी, नीलाम जायदाद की ता०.....महीना.....सन्.....को सादिर हुई।

२—छः महीने की मियाद जो मदयून डिगरी को मतालबा अदा करने के लिये दी गई थी, ता०.....महीना.....सन्.....को समाप्त हो गई।

३—मदयून ने मतालबा डिगरी अभी तक अदा नहीं किया।

४—मतालबा डिगरी का, अब तक का हिसाब नीचे दिया हुआ है, इसलिये प्रार्थना है कि डिगरी क़तई नीलाम जायदाद की आर्डर ३४ नियम ५ जाब्ता दीवानी के अनुसार मुबलगा.....रुपये की वसूलयात्री के वास्ते मय खर्चा व सूद आयन्दा तारीख वसूल तक, सादिर की जावे।

(हिसाब का विवरण इस जगह दिया जावे)

(२) दख्खास्त जब कि डिगरीदार को एक अवधि के
अन्दर रुपया दाखिल करने का हुक्म हुआ हो

(सिरनामा)

१—ता०.....महीना..... सन्.....को डिगरी इत्रतदाई नीलाम जायदाद की प्रार्थी डिगरीदार के हक में सादिर हुई और मदयून को मतालवा के अदा करने के वास्ते ता०.....महीना.....सन्.....तक की मियाद दी गई ।

२—डिगरी मे यह हुक्म है कि यदि मदयून इस उक्त अवधि के अन्दर डिगरी का रुपया अदा न करे तो डिगरीदार ता०.....महीना... सन्.....तक मुबल्लिगरुपये मुख्य रहन के सम्बन्ध मे दाखिल करे और जायदाद, मतालवा डिगरी और उक्त मतालवे दोनो की वसूलयात्री के वास्ते नीलाम की जावे ।

३—मदयून ने मतालवा डिगरी उस अवधि के अन्दर जो उसको दी गई थी अदा नही किया और डिगरीदार ने मुबल्लिग.....रुपये ता०.....महीना.....सन्.....को अन्दर मियाद मुख्य रहन के सम्बन्ध मे अदालत मे दाखिल कर दिये ।

४—डिगरीदार के, नीचे लिखे हिसाब के अनुसार रुपये निकलते हैं ।

मतालवा डिगरी ता०.....तक	रु० ।
सूद ता०.....से आज तक	रु० ।
मुख्य रहन का मतालवा	रु० ।
सूद ता०..... से आज तक	रु० ।
खर्चा	रु० ।
(पहिले फारम के अनुसार प्रार्थना) ।	

१८—दख्खास्त, ज़ातो डिगरी की तैयारी के लिये

(आर्डर ३४ नियम ६ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—उपरोक्त मुकदमे में नीलाम की डिगरी ता०महीना.....सन्..... को सादिर हुई ।

२—आड़ी जायदाद का आधा भाग एक तीसरे आदमी की नालिश मे जो फरीकैन के मुक़ावले में डिगरी हो गई है, उसकी मिलकियत और इस डिगरी में नीलाम के अयोग्य करार पाया, शेष आधा भाग नीलाम हो गया ।

३—नीलाम का रुपया अदा हो जाने... . पर रुपया मतालवा डिगरी बाकी है ।

४—रहननामा जिसकी विनाय पर डिगरी नीलाम सादिर हुई थी ता०.....महीनासन् ...का था और उसमें... रु० ता०.....माह... ..सन्.....को सूद में वसूल हुये थे और वसूलयात्रा सूद की वजह से दावा ६ साल की मियाद के अन्दर था ।

५—बाकी मतालवा डिगरी मदयून की जात और दूसरी जायदाद से वसूल होने के काबिल है ।

इसलिये प्रार्थना है कि डिगरी वास्ते दिलाये जाने मुबल्लिग.....रुपये, मयसूद आयन्दा तारीख नीलाम से तारीख वसूल तक, व खर्चा हाल वमुकावले जात मदयून विरुद्ध पक्ष सादिर फरमाई जावे ।

(२) दूसरा नमूना ऐसी दख्वास्त का, ऋणी की जायदाद के विरुद्ध

(आर्डर ३४ नियम ६ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखे मुकदमे में प्रारम्भिक डिगरी की ता०.....माह..... सन्.....को और अन्तिम डिगरी ता०.....माह... ..सन्को सादिर हुई ।

२—कुल आड़ी जायदाद नीलाम हो गई ।

३—नीलाम के रुपये मुजरा करने के बाद मुबल्लिग.....रु० नीचे लिखे हिसाब के अनुसार मतालवा डिगरी अभी बाकी हैं ।

(यहाँ पर हिसाब दिया जावे)

४—दस्तावेज जिसकी विनाय पर प्रारम्भिक डिगरी सादिर हुई ता०.....महीनासन् ...का लिखा था और नालिश ६ साल के अन्दर ता०माह सन् का दायर हुई थी ।

५—असल मदयून (रामसहाय) मर गया विरुद्ध पक्ष उसके वारिस हैं और उसके मतरूका पर काबिज हैं ।

इसलिये दख्वास्त प्रार्थना है कि डिगरी वास्ते दिलवाने मुबल्लिग... ..रु० मयसूद तारीख नीलाम से तारीख वसूल तक और खर्चा के, वमुकावले जायदाद मतरूका मदयून जो कि विरुद्ध पक्ष के कब्जे में है सादिर की जावे ।

१६—दरखास्त इजराय डिगरी

(आर्ट २१ नियम ११ व्यवहार विधि संग्रह)

प्रत्येक डिगरी जारी कराने की दरखास्त लिखित होनी चाहिये और उस पर प्रार्थी या किसी ऐसे पुरुष के, जो मुकदमे की सब बातों से अदालत के इतमीनान में से परिचित सिद्ध हो, हस्ताक्षर तथा पुष्टि होगी और उसमें नीचे लिखी हुई बातें नकशे या सूची के रूप में लिखी जावेंगी ।

(अ) नम्बर मुकदमा—

(व) नाम पक्षाकार—

(क) तारीख डिगरी—

(ख) डिगरी के विरुद्ध कोई अपील हुआ है या नहीं ।

(ग) क्या डिगरी होने के बाद कोई अदायगी या भुगड़े का निपटारा दोनों पक्षों में हुआ है, और हुआ है तो क्या ?

(घ) क्या डिगरी के जारी कराने के लिये पहिले कोई दरखास्ते दी गई और दी गईं तो उनकी तारीख और उनका परिणाम ?

(च) कुल रुपया मय सूद [यदि सूद दिलाया गया हो] जो डिगरी से निकलता हो वा और कोई उपशमन जो डिगरी से दिलाया हो, किसी ऐसी क्रॉस (Cross-Decree) डिगरी के विवरण सहित जो कि जारी की हुई डिगरी के पहिले या बाद को सादिर हुई हो ।

(छ) खर्च का रुपया (यदि कुछ हो) जो दिलाया गया हो ।

(ज) नाम उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध में डिगरी जारी करानी हो ।

(झ) वह रीति (या ढंग) जिसमें अदालत की सहायता दरकार हो ।

(१) किसी विशेष वस्तु के जिसकी डिगरी हुई हो, दिलाये जाने में ।

(२) किसी अन्य नालिश के द्वारा या नीलाम मय या विना कुर्की किसी जायदाद के ।

(३) किसी पुरुष की गिरफ्तारी और जेलखाने में कैद से ।

(४) रिसीवर नियत किये जाने से ।

(५) या किसी अन्य रीति से जो प्रेरित उपशमन के प्रकार से आवश्यक हो ।

दख्खवास्त इजराय डिगरी

(आर्डर २१ नियम ११ व्यवहार-विधि-संग्रह)

अदालत का नाम . . . ; नम्बर इजराय सन्

में डिग्रीदार नीचे लिखी हुई डिग्री के निर्वाहण के लिये यह प्रार्थना-पत्र पेश करता हूँ ।

नम्बर मुकदमा	न० ११० सन् १९४४
नाम दोनों पक्ष	(अ—ब) वादी बनाम (ज—द) प्रतिवादी
तारीख डिग्री	११ अक्टूबर १९४४
डिग्री की नाराजी से कोई अपील हुई अथवा नहीं	नहीं
डिग्री के बाद अदायगी या तसफिया इजराय के लिये यदि कोई पहिली दख्खवास्त दी हो तो उसकी ता० और परिणाम	कुछ नहीं
कुल मतालना मय सूद जो डिग्री से दिलाया गया हो या और कोई दादरसी खर्च यदि दिलाया हो	मु० ७०] रु० ४ मार्च सन् १९४५ ई० की दरखवास्त से वसूल हुआ
किसके मुकामले में इजराय किया जावेगा	मु० ३१४ रु० ८ आ० ३ पा० असल (ब्याज ६ रु० सै० वार्षिक)
	खर्च डिग्री ४७ रु० १० आ० ४ पा०
	बमुकामले (ज—द)
किस प्रकार से अदालत की सहायता की प्रार्थना है	जब चल सम्पत्ति (जायदाद मनकूला) की कुर्की व नीलाम की प्रार्थना हो [मैं दरखवास्त देकर आशा करता हूँ कि कुल मतालना, मु० ५० (मय ब्याकज वसूल होने के दिन तक) और खर्च डिग्री का, कुर्की व नीलाम चल सम्पत्ति के द्वारा प्रतिवादी की सूची के अनुसार वसूल कराया जावे] । जब अचल सम्पत्ति (जायदाद गैर मनकूला) हो तब, “ मैं दरखवास्त देकर आशा करता हूँ कि कुल मतालना मय ब्याज वसूल होने के दिन तक का, अचल सम्पत्ति की कुर्की व नीलाम के द्वारा, वसूल करा दिया जावे ।

मैं स्पष्टि करता हूँ कि इस प्रार्थना पत्र का कुल अर्थान सब हूँ ।

हस्ताक्षर

दिनांक

(जत्र अचल सम्पत्ति की कुर्की व नीलाम की दख्वास्त हो) ।

(जायदाद का विवरण)

में .. तसदीक करता हूँ कि ऊपर दर्ज किया हुआ विवरण सच है ।*

२०—दख्वास्त, उज़रदारी

(१) ऋणी की ओर से डिगरी जारी कराने पर

(धारा ४७, व्यवहार-विधि-सग्रह)

(सिरनामा)

१—दख्वास्त इजराय पहिली दख्वास्त से तीन साल के बाद दाखिल की गई है और डिगरी की अवधि समाप्त हो चुकी है ।

२—डिग्रीदार को पहिली इजराय में २५३) ६० मदयून उज़रदार की जायदाद के नीलाम से वसूल हुए थे, वह उसने मुजरा नहीं दिये ।

३—डिग्री से सूद नहीं दिलाया गया था । डिगरीदार ने हिसाब में ६०सूद अनुचित लगाया है ।

(२) इसी प्रकार का अन्य विरोध

१—जायदाद जो डिगरी में ग्रसित है वह जायदाद मदयून उज़रदार की पैतृक संपत्ति है । डिगरीदार ने उसके गैरमौरूसी बेजा बयान किया है । उसका नीलाम कलकटरी में होना चाहिये ।

२—डिगरीदार ने डिगरी के अनुसार.....६० श्रीमती रेनकाकुँअर को दिये जाने के वास्ते दाखिल अदालत नहीं किये । जत्र तक यह मतालना डिगरीदार दाखिल न करे डिगरी जारी कराने का अधिकारी नहीं है ।

(३) तीसरा नमूना उज़रदारी उत्तराधिकारी की ओर से

१—वह जायदाद जिसकी कुर्की के लिये प्रार्थना पत्र डिगरीदार ने दिया है वह मदयून डिगरी की नहीं थी ।

२—मदयून डिगरी और उज़रदार सगे भाई और एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य थे और उक्त जायदाद मौरूसी खानदानी है जिसका मालिक मदयून के मर जाने पर शेषाधिकारी की हैसियत से उज़रदार हुआ ।

* नोट—यह ज्ञान्ता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर न० ६ है ।

३—डिगरीदार ने ऋणी के जीवन में कोई कुर्की नहीं कराई और वह उसको ऋणी की संपत्ति कह कर कुर्क नहीं करा सकता ।

(४) बेना कुर्की होने पर अन्य व्यक्ति की ओर से उज़रदारी

(आर्डर २१ नियम ५८ व्यवहार-विधि संग्रह)

१ डिगरीदार ने नीचे लिखे खेतों की पैदावार खुशीराम मदन्यून की मिलकियत करार देकर कुर्क कराई है ।

२—उक्त खेतों का पट्टेदार एक आदमी इनायत बेग है और उसकी ओर से उज़रदार काश्तकार शिकमी ता० १२ नवम्बर सन् १६की कबूलियत के द्वारा है ।

३—उक्त खेतों की पैदावार जोती बोई उज़रदार की है और उसी के कब्जे से कुर्की हुई है ।

४—उक्त पैदावार में खुशीराम मदन्यून का कोई स्वत्व नहीं है इसलिये प्रार्थना है कि कुर्क की हुई पैदावार प्रार्थी के हक में छोड़ दी जावे ।

(५) इसी प्रकार का अन्य नमूना

१ यह कि उज़रदार दूकान आदत गुड़, शकर, चावल इत्यादि की बाजार गुड़पाई शहर हाथरस में करता है और उसकी दूकान पर नाम हेमराज प्रभूपाल पड़ता है ।

२—डिगरीदार ने नीचे लिखे माल को मदन्यून का माल करार देकर कुर्क कराया है ।

३—मदन्यून बाज़ार तोपखाना शहर हाथरस में दूकान करता है और उसकी दूकान पर मेवालाल नरायण दास नाम पड़ता है । उसका कोई सम्बन्ध कुर्क किये हुये माल या उज़रदार की दूकान से नहीं है ।

४—कुर्क किये हुए माल का मालिक उज़रदार है और उसकी कुर्की दूकान हेमराज प्रभूपाल पर उज़रदार के कब्जे से हुई है ।

इसलिये प्रार्थना है कि कुर्क किया हुआ माल उज़रदार के हक में छोड़ दिया जावे ।

(६) इसी प्रकार का तीसरा नमूना

१—डिगरीदार विरुद्ध पक्ष (फरीकसानी) ने एक मंजिल मकान पुस्ता स्थित मुहल्ला नवावगज शहर कानपुर नम्बरी ५२३ अहमद बख्श अपने मदन्यून डिगरी की मिलकियत मानकर कुर्क कराया है ।

२—उक्त मकान मुहम्मद बख्श का था । उसके दो लड़के पीरबख्श और अहमद बख्श और लड़की वजीरन उत्तराधिकारी हुये और सब उत्तराधिकारी कुर्क किये हुए मकान पर काबिज हैं ।

३—उक्त मकान में अहमद बख्श मदयून का भाग केवल $\frac{१}{४}$ है शेष $\frac{३}{४}$ के मालिक और काबिज उज्रदार हैं । $\frac{३}{४}$ हिस्से की बाबत कुर्की वेजा है ।

इस लिये प्रार्थना है कि $\frac{३}{४}$ हिस्सा मकान का उज्रदारों के हक में कुर्की से बरी किया जावे ।

२१—दख्वास्त मंसूखी नीलाम

(आडेर २१ नियम ६० व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—उपर्युक्त मुकदमे में प्रार्थी की सम्पत्ति ता०.....महीना.....सन्..... के मुखलिग६० में नीलाम हुई ।

२—नीलाम का विज्ञापन नियमानुसार प्रकाशित व मनादी नहीं हुआ और खरीदारों के नीलाम की सूचना नहीं हुई ।

३—सूचना नीलाम के विज्ञापन में जायदाद पर किफालत का भार ५०००) ६० का दिखलाया गया । वह भार वास्तव में ३०००) ६० का था । इस गलती से खरीदारों के घोखा हुआ ।

४—नीलाम शाम के ५ बजे बहुत अनुचित समय पर हुआ और केवल डिग्रीदार के और उसके दो तीन साथियों के, खरीदार एकत्रित नहीं हुए ।

५—नीलाम के विज्ञापन अनुसार जायदाद तीन लाटो में अलग २ नीलाम होने की थी । अमीन नीलाम ने उसको एक लाट में नीलाम कर दिया और जायदाद की तफसील खरीदारों को नहीं बतलाया ।

६—नीलाम की हुई जायदाद का बाजारी मूल्य.....६० से कम किसी दशा में नहीं है ।

७—यह कि ऊपर लिखी अनियमितता और बेकायदगी के कारण जायदाद बहुत कम कीमत में नीलाम हुई और उससे प्रार्थी की हानि हुई ।

इस लिये प्रार्थना है कि नीलाम मंसूख फर्माया जावे ।

(२) इसी प्रकार का दूसरा नमूना

१—प्रार्थी की सम्पत्ति का नीलाम तारीख २० नवम्बर सन् १६..... ई० के ३५००) ६० में हुआ ।

२—नीलाम की हुई जायदाद की परग मूल्य (बाज़ारी कीमत) किसी दशा में ६०००) रु० से कम नहीं है ।

३—इतनी बड़ी मालियत की जायदाद इतने कम मूल्य में नीलाम निम्नलिखित कारणों से हुई ।

- (अ) नीलाम के विज्ञापन का प्रकाशन और मनादी गाँव में नहीं कराई गई और न कोई नीलाम का विज्ञापन जायदाद पर लटकाया गया ।
- (ब) नीलाम के विज्ञापन में २५००) रु० का तार एक रहननामे दखली का प्रकट किया गया, वास्तव में वह रहन बहुत दिन हुए बेचाक हो चुका था ।
- (क) नीलाम की तारीख के दो दिन पहिले से डिगरीदार ने यह प्रसिद्ध कर दिया था कि नीलाम स्थगित हो गया और किसी दूसरी तारीख को होगा ।
- (ख) ऊपर लिखे कारणों से बहुत से खरीदार जो जायदाद को खरीदना चाहते थे नीलाम के मौके पर नहीं पहुँचे और जो कुछ पहुँचे वह भार की वजह से पूरी बोली नहीं बोल सके और जायदाद बहुत कम कीमत में नीलाम हो गई ।

इस लिए प्रार्थना है कि तारीख २० नवम्बर सन् १६.....ई० का नीलाम मसूख किया जावे ।

२२—विवादाधार अपील

(Grounds or Memorandum of Appeal)

(१) (आर्डर ४१ रूज १, व्यवहार-विधि-संग्रह)

नाम अदालत..... ।

नम्बर मुकदमा .. अपील सन्..... ।

.....वादी (या प्रतिवादी) अपीलान्ट (विवादी) ।

बनाम

.....प्रतिवादी (या वादी) रैस्पान्डेन्ट (प्रतिविवादी) ।

उपर्युक्त विवादी (अपीलान्ट)

अदालत.....स्थान.....की डिगरी.....मुकदमा नम्बरी सन्..... ता०
.....के विरुद्ध अपील दाखिल करता है और उस पर नीचे लिखी आपत्ति करता है ।

१—प्रमाण से यह सिद्ध है कि जीवाराम ने वादी को शास्त्रानुसार रसम अदा करके मोद लिया और वह विरादरी में जीवाराम का पुत्र माना जाता है ।

२—साक्ष्य से यह भी सिद्ध है कि माड़वारियों में लड़की का लड़का गोद लेने का चन्दन है और जीवाराम के कुल में यह प्रथा सदा से चली आती थी ।

३—अधीनस्थ अदालत ने जीवाराम के वसीयतनामे (मृत्यु लेख) को प्रमाण से अनुचित रूप से पृथक् कर दिया है । वह कानून से शहादत में लेने योग्य है ।

४—रिवाज के सम्बन्ध में वाजिब-उल-अज^र के इन्द्रराज बड़े अच्छे प्रमाण होते हैं । उन पर यथेष्ट विचार अदालत ने नहीं किया ।

५—वादी की उम्र दावा दायर करते समय २१ साल से अधिक नहीं थी और दावे में अवधि समाप्त नहीं हुई है ।

*(२) इन्हीं प्रकार का अन्य नमूना

(सिरनामा पहिले फारम के अनुसार)

१—उपस्थित प्रमाण से वाद में सिद्ध है कि रघुनाथ के लड़के अविभक्त थे और भगड़े वाली जायदाद उनकी पैतृक अविभक्त कुल की सम्पत्ति है ।

२—शहादत से प्रमाणित हुआ है कि भगड़े वाली सम्पत्ति अविभक्त कुल के रुपये से खरीदी गई थी और रघुनाथ के सब लड़कों की मिलकियत थी ।

३—वादीगण यह सिद्ध नहीं कर सके कि रघुनाथ के लड़कों में कोई बटवारा हुआ ।

४—पंचायती फैसला एक फर्जी कागज था उस पर कभी अमल नहीं हुआ ।

५—सम्पत्ति में अपीलान्ट का भाग ३ है ।

६—अधीनस्थ अदालत ने अविभक्त कुल प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर अनुचित डाला है ।

(३) द्वितीय विवाद (अपील दायम)

(सिरनामा)

१—यह कि वास्तविक वाद-विषय यह था कि भगड़े वाली गली ग्राम है या निजी (Private) और इसका अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं किया ।

२—यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस मिथ्यानुमान से मुकदमे को आरम्भ किया कि भगड़े वाली गली उन लोगों की मिलकियत है जिनके मकानों के दरवाजे उसमें खुलते हैं और वाद का निर्णय अनुचित रूप से किया ।

* नोट—जो विपक्ष विवाद (Cross-objections) प्रति-विवादी (रैस्पान्डेन्ट) की ओर से आर्डर ४१ रूल २२ के अनुसार होते हैं उनकी विवादाधार (नूजवात) वैसी ही बनाई जाती है जैसे अपील की ।

३—घटनाओं के आधार पर जो स्वामित्व के विषय में अदालत ने फल निकाला है वह विधानकुल नहीं है।

४—धारा १५ और धारा १८ उप-धारा (ज) सुल्हाधिकार विधान (एक्ट ५ सन् १८८१ (Easements Act) के अनुसार प्रतिवादी को खिड़की बन्द करने का अधिकार था।

२३—आवेदन-पत्र, इजराय डिगरी स्थगित कराने के लिये

(आर्डर ४१ रूल ५, ज़ाब्ना दीवानी)

[जो नमूने शपथपत्र (बयान हलफ़ी) के प्रकरण में नम्बर ३ व ४ पर दिये हुए हैं उसके हवाले से निवेदनपत्र बनाया जा सकता है।]

२४—अपीलान्ट से खर्च की ज़मानत लिये जाने के लिये आवेदन-पत्र

(आर्डर ४१ रूल १०, व्यवहार विधि संग्रह)

[जो नमूना बयान हलफ़ी के प्रकरण में न० ५ पर दिया हुआ है उसके हवाले-से दरखास्त बनाई जा सकती है।]

२५—दरखास्त वापसी रुपया

(धारा १४४ व्यवहार विधि संग्रह)

(१) डिगरी मंसूख हो जाने पर अज्ञ किये हुए रुपये की वापसी के लिये

(सिरनामा)

उपर्युक्त प्रार्थी के अनुसार दरखास्त धारा १४४ व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार दाखिल करता है और निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—ता०.....महीनासन्को अदालत मुसफ़ी गाजियाबाद से डिगरी विरुद्ध पक्षा के हक में जो मुकदमे में वादी था (३५४) रु० खर्चा मुदकमा दिलाये जाने के लिये प्रार्थी प्रतिवादी के विरुद्ध सादिर हुई।

२—उक्त डिगरी को विरुद्ध पक्ष ने इजरा कराके उसका मतालंबा प्रार्थी से ता०महीना.....सन्.....को वसूल कर लिया ।

३—प्रार्थी प्रतिवादी ने उक्त डिग्री की नाराजी से अपील दायर कर रक्खा था । अदालत अपील ने ता०.....महीना.....सन्.....को प्रारम्भिक अदालत की डिगरी का संशोधन कर दिया और १७६) रुपया मय खर्चा रसदी दावे से कम होने का हुकम दिया ।

४—नीचे लिखे हिसाब के अनुसार.....रुपये प्रतिवादी प्रार्थी को विपत्ती घादी पक्ष से वापिस मिलना चाहिये ।

(यहाँ पर हिसाब का विवरण लिखा जावे)

इसलिये प्रार्थना है कि गिरफ्तारी के द्वारा विपत्ती से प्रार्थी को यह रुपया और खर्चा इजराय दिलाये जाने का हुकम किया जावे ।

(२) वापसी दखल और पूर्वलाभ व खर्चा के लिये डिगरी मंजूरी पर हो जाने ।

(सिरनामा इत्यादि)

१—ता० १६ फरवरी सन् १६.....ई० को अदालत सिविल जजी मेरठ से डिगरी नम्बरी १२३ सन् १६—, विरुद्ध पक्ष के हक में निम्नलिखित सम्पत्ति का दखल और मुकदमा के वासिलात और खर्चा मु० ३२७५) रु० दिलाये जाने के वास्ते, प्रार्थी के ऊपर सादिर हुई ।

२—उक्त डिगरी के विरुद्ध प्रार्थी ने अपील नम्बरी ३२५ सन् १६—, अदालत साहब नज बहादुर मेरठ में की ।

३—अपील विचाराधीन अवस्था में विरुद्ध पक्ष ने डिगरी को अदालत सिविल जज मेरठ से जारी करा कर नीचे लिखी जायदाद पर दखल ४ मार्च सन् १६—को प्राप्त कर लिया और वासिलात व खर्च का मतालंबा मय खर्च इजराय, ३३३५) रुपये ता० २३ मार्च सन् १६—, को कुर्की हो जाने की वजह से प्रार्थी ने विरुद्ध पक्ष को अदा कर दिया ।

४—अपील नम्बरी ३२५ सन् १६—अदालत जज साहब बहादुर मेरठ से ता० २७ अप्रैल सन् १६—को प्रार्थी के अनुकूल निर्णीत हुई और अधीनस्थ अदालत की डिगरी मंजूरी होकर कुल दावा वादी मय खर्चा के डिसमिस हुआ और २३५) रुपये खर्चा प्रारम्भिक अदालत और ४२७) रुपये खर्चा अदानत अपील, प्रार्थी को विरुद्ध पक्ष से दिलाये गये ।

५—प्रार्थी जायदाद पर दखल और अपने अदा किये हुए मतालंबे को विरुद्ध पक्ष से वापिस चाहता है । इसके अतिरिक्त वह जायदाद का अन्तर्गत लाभ ता० ४ मार्च सन्

१६—से तारीख वापसी दखल तक और अदा किये हुए मतालवे का सूद २३ मार्च सन् १६—ई० से अदा की तारीख तक और दोनों अदालतों का खर्चा विरुद्ध पक्ष से चाहता है ।

६—इस रुपये का हिसाब निम्नलिखित है—

मतालवा जो प्रार्थी ने ता० २३ मार्च सन् १६—को विरुद्ध पक्ष को अदा किया	} ३३३५।=)
खर्चा प्रारम्भिक अदालत.....		
खर्चा अदालत अपील ४२१)
सूद ३३३५।=) पर ता० २३ मार्च सन् १६—से अब तक १) रु० सैकड़ा मासिक से	} ५००)
मुनाफा जायदाद ४ मार्च सन् १६—से अब तक २ साल की		
उक्त रुपये का सूद १) सैकड़ा मासिक के हिसाब से	} १८३=)
वर्तमान इजराय का खर्चा.....		
		कुल जोड़..... ५८२१।)

७—जायदाद जिस पर दखल वापिस मिलना चाहिये उसकी तफसील यह है।

(पूर्ण विवरण दिया जावे)

इसलिये प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसको जायदाद पर जिसका विवरण धारा नम्बर ७ में दर्ज है दखल वापिस दिलाया जावे और मतालवा जो धारा ६ में दर्ज है विरुद्ध पक्ष की सम्पत्ति (जिसका विवरण इस निवेदन पत्र के साथ नत्थी है) को कुर्क व नीलाम कराकर वसूल कराया जावे ।

(३) प्रार्थना-पत्र, दखल की वापिसी और वासलात व इर्जा के लिये

(सिरनामा इत्यादि)

१—ता० .. महीना.....सन् : ..को मुकदमा नम्बरी . सन् १६—मुंसफ़ी सहसवान से वादी का नीचे लिखी जायदाद पर दखल के लिये दावा, प्रार्थी प्रतिवादी के ऊपर डिगरी हुआ ।

२—डिगरी प्रतिवादी प्रार्थी के अपील करने पर अदालत जज साहब बहादुर शाह जहाँपुर से अपील नम्बरी ..सन् ...मे तारीखमहीना .. सन् .. को मसूख हुई और वादी विरुद्ध पक्ष का दावा प्रतिवादी प्रार्थी के मुकामले में डिसमिस हुआ ।

३—अपील के दौरान में वादी विरुद्ध पक्ष ने अदालत के द्वारा भगड़े वाली जायदाद पर तारीखमहीना.....सन्.....को दखल प्राप्त कर लिया और अपने

कब्जे के दिनों में २०० पेड़ बबूल और ५० पेड़ शीशम के एक जगल से, जो उस हक्कीयत में नम्बर रकबी ८० बीघा में है काट लिये और उनकी लकड़ी अनुमानतः २०००) रुपये कीमत की अपने काम में ले ली और लगान वसूल करने के अतिरिक्त मुवलिग ३००) रुपये कई असाभियों से नजराना लेकर आवादी की खाली जमीन पर उनके मकानात बनवा दिये ।

४—वादी विरुद्ध पक्ष ने अपने कब्जे के दिनों में लगान वसूल करने का उचित प्रयत्न नहीं किया जिसके कारण से लगभग २००) रुपये के लगान में तमादी आ गई और उसकी लापरवाही की वजह से ६ असाभी गैर दखीलकार वेदखल न कराने के कारण दखीलकार काश्तकार हो गये ।

इसलिये प्रार्थी निम्नलिखित उपशमन की प्रार्थना करता है—

(अ) जायदाद पर जिसकी तफसील नीचे दी है उसका दखल वापिस दिलाया जावे ।

(ब) २०००) रुपये कीमत लकड़ी बबूल और शीशम के प्रार्थी को विरुद्ध पक्ष से दिलाये जावें ।

(क) मुवलिग ३००) रु० नजराने के दिलाये जावे ।

(ख) असाभियों का दखीलकार हो जाने का हर्जा जिसकी सख्या प्रार्थी ४००) रु० स्थित करता है विरुद्ध पक्ष से दिलाया जावे ।

(ग) जायदाद का अन्तर्गत लाभ ... रु० वावत सन् विरुद्ध पक्ष से मय सूद दिलाये जावे ।

(घ) मुवलिग .. रु० प्रारम्भिक अदालत और अपील का खर्चा फरीकसानी से दिलाया जावें ।

(च) धारा (व) (क) (ख) (घ) का रुपया मय खर्चे कुर्की व नीलाम जायदाद जिम्मेदारी मदयून फरीकसानी (जिसका विवरण इस दख्वास्त के साथ नत्थी है) द्वारा वसूल कराया जावे ।

(यहाँ पर या पृथक् से जायदाद का विवरण दिया जावे)

२६—दरख्वास्त, डिगरी और अर्जीदावा के संशोधन के लिये

(धारा १५२ व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—वादी ने उपर्युक्त दावा जायदाद ज़िमीदारी मौजा रामनगर मोहाल मोहन लाल पट्टी रामसहाय का दखल दिलाये जाने के वास्ते इस अदालत में दायर किया ।

२—मुहाल मोहन लाल पट्टी रामसहाय का खाता खेवट नम्बर ३ है और उसके सम्बन्धित, शामिलाल देह का खाता खेवट नम्बर ११ है जिसमें सब पट्टी वालों का भाग है और शामिलाल देह का खाता पट्टी के खातों का भाग है ।

३—ग़लती से जो सम्पत्ति का विवरण वादपत्र में दिया गया उसमें शामिलाल देह की खेवट का नम्बर दर्ज होने से रह गया ।

४—दावा अदालत से ता०.....महीना ...सन्को डिगरी हुआ और जो सम्पत्ति का विवरण वाद-पत्र में दिया हुआ था वही डिगरी में दर्ज हुआ ।

५—वादी ने डिगरी जारी करा कर तारीख . को अदालत के द्वारा दखल लिया और तारीखको दरख्वास्त नाम चढ़ाने के लिये अदालत माल में पेश की ।

यह ग़लती दाखिल खारिज की दरख्वास्त देने के समय मालूम हुई । इसलिये प्रार्थना है कि वादपत्र और डिगरी का संशोधन किया जावे और उनमें सम्पत्ति के विवरण में निम्नलिखित शब्द बढ़ाये जावे “ हिस्सा रसदी शामिलाल देह खाता खेवट नम्बर ११ के सहित है ” ।

— — —

२७—दरख्वास्त, संरक्षता के सर्टीफिकेट के लिये

(१) साधारण नमूना (एक्ट ८ सन् १८९०)

अवयस्क के संरक्षक (वली) बनने की दरख्वास्त में एक्ट ८ सन् १८९० की धारा १० के अनुसार निम्नलिखित बातें लिखनी होती हैं ।

(अ) अवयस्क का नाम पुरुष है या स्त्री..... ।

धर्म (मत).....पैदा होने की तारीख..... ।

साधारण निवास स्थान..... ।

(ब) यदि अवयस्क स्त्री हो तो उसका विवाह हुआ है या नहीं, और यदि विवाह हो गया हो तो उसके पति का नाम और उसकी अवस्था ।

(क) अवयस्क की सम्पत्ति, यदि कुछ हो तो किस प्रकार की है और कहीं स्थित है और अनुमानतः उसका मूल्य ।

- (ख) नाम और रहने का स्थान उस व्यक्ति का जिसकी सुपुर्दगी या रक्षा में अवयस्क या उसकी सम्पत्ति हो ।
- (ग) अवयस्क के निकट सम्बन्धी कौन हैं और वह कहाँ रहते हैं ।
- (१) . ..(नाम व पता).....।
- (२).....(..”).....।
- (३)(...”).....।

इत्यादि ।

- (घ) क्या अवयस्क की व्यक्तिगत या सम्पत्ति या दोनों का कोई सरक्षक ऐसे आदमी की ओर से नियत हुआ है या नहीं, जो उस कानून के अनुसार जिसका अवयस्क पात्रन्द है, संरक्षक नियत करने का अधिकार रखता हो या अधिकार रखने का दावा करता हो ?
- (च) क्या कभी इस अदालत में या किसी दूसरी अदालत में अवयस्क की जात या जावदाद या दोनों का सरक्षक नियत करने की दरखास्त गुजरी है या नहीं ? यदि गुजरी है तो किस अदालत में, और कब और उसका क्या परिणाम हुआ ।
- (छ) क्या दरखास्त संरक्षक नियत करने या घोषित करने अवयस्क की जात, या सम्पत्ति, या दोनों के लिये है । -
- (ज) जब दरखास्त संरक्षक नियत करने के वास्ते हो तो निर्धारित सरक्षक की योग्यता ।
- (झ) जब दरखास्त संरक्षक का इस्तक़रार करने की हो तो वह कारण जिन पर वह सरक्षक होने का दावेदार हो ।
- (ट) वह कारण जिनकी वजह से दरखास्त देने की आवश्यकता पड़ी हो ।
- (ठ) और अन्य ऐसी बातें यदि कुछ हों जो नियत की गई हो या आवेदन पत्र के प्रकार के विचार से जिनका लिखना आवश्यक हो ।

दरखास्त के साथ निर्धारित संरक्षक को अनुमति पेश करना आवश्यक होता है और उस पर उस सरक्षक के हस्ताक्षर और दो व्यक्तियों की गवाही होना जरूरी है ।

दरखास्त की तसदीक और उस पर पेश करने वाले के हस्ताक्षर उसी प्रकार होते हैं जैसे वादपत्र पर ।

(२) अवयस्क के पिता की ओर से संरक्षक बनने की दरखास्त

- (अ) अवयस्क का नाम नित्यानन्द है, वह पुरुष है, उसका धर्म हिन्दू है ।

जन्म होने की तारीख २८ दिसम्बर सन् १९..... है और उसका साधारण निवास स्थान शहजहाँपुर है —

(ध) अवयस्क की सम्पत्ति का विवरण नीचे लिखे अनुमार है —

हक मकानस्थान शाहजहाँपुर मूल्य ४०००) ५० सम्पत्ति
जमींदारी नूरपुर तहसीलबदायूँ १००००) ५० (सारी सम्पत्ति क्रमानुसार दी
जावे और उसकी कीमत लिखी जावे) ।

अवयस्क के ऊपर इस प्रकार ऋण है —

(यहाँ पर ऋण और उसका पूर्ण विवरण लिखना चाहिये) ।

(क) प्रार्थी शाहजहाँपुर में रहता है और अवयस्क की जात और जायदाद
दोनों की रक्षा करता है और उसकी सम्पत्ति पर काबिज है ।

(ख) प्रार्थी अवयस्क का पिता है । दूमरे निकट सम्बन्धी यह है —

(१) श्रीमती चम्पा विधवा अचलानन्द जाति ब्राह्मण निवासी शाहजहाँपुर
मुहल्ला गनिया पाड़ा—अवयस्क की मा ।

(२) रामसहाय पुत्र पूरनमल ब्राह्मण साकिन मेरठ मुहल्ला कम्बोह दरवाजा
—मामा अवयस्क ।

(ग) अवयस्क की जात या जायदाद या दोनों का संरक्षक किसी ऐसे आदमी की
ओर से नियत नहीं हुआ जो उस कानून के अनुसार जिसका नाबालिग
पाबन्द है संरक्षक नियत करने का अधिकार रखता हो या अधिकार रखने का
दावा करता हो ।

(घ) किसी समय इस अदालत में या किसी और अदालत में उक्त अवयस्क की
जात या जायदाद या दोनों का संरक्षक बनाने की दरखास्त नहीं गुजरी ।

(च) यह दरखास्त अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक नियत कराने के लिये है ।

(छ) प्रार्थी संरक्षक होने की योग्यता रखता है और उसके ऊपर किसी का ऋण
नहीं है ।

(ज) यह दरखास्त इसलिये दी जाती है कि अवयस्क के ऊपर ऋण है जो
उसके नाना पर था और सम्पत्ति भी अवयस्क को उसके नाना से पहुँची है ।
एक ऋण की डिगरी न० ११६ रून् १६३१ अदालत जजी शाहजहाँपुर)
में जो उसके नाना के मतरूके पर अवयस्क के मुकाबले में सादिर हुई है
जायदाद जमींदारी नूरपुर की नीलाम पर चढ़ी हुई है । ऋण की अदायगी
का प्रबन्ध, बिना संरक्षक के नहीं हो सकता ।

(झ) अवयस्क किसी के साथ हिन्दू अभिवक्त कुल का सदस्य नहीं है ।

इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी संरक्षक सम्पत्ति नित्यानन्द अवयस्क का नियत
किया जावे ।

हस्ताक्षर ।

तसदीक का लेख ।

स्थान ।

दिनांक ।

(३) आवेदन पत्र संरक्षक नियत किये जाने के लिये,
अवयस्क की बहिन की ओर से

(सिरनामा)

- (अ) अवयस्क का नाम.....गगाप्रसाद, बाप का नाम... हीरा लाल, जाति तेली, निवासी अमरोहा उम्र लगभग १० वर्ष । तिथि पैदा होने की, वैसाख व्रदी १० सम्वत् १९९४ तदनुसार ५ मई सन् १९३७ ।
- (ब) अवयस्क हिन्दू धर्म का अनुयायी है और पुरुष है ।
- (क) नात्रालिग की सम्पत्ति का विवरण यह है—
(यहाँ पर अवयस्क की जायदाद का विवरण लिखा जावे)
- (ख) प्रार्थिनी अवयस्क की बहिन है और अमरोहे में रहती है । उसको संरक्षक होने की योग्यता है उस पर किसी का ऋण नहीं है । अवयस्क प्रार्थिनी के साथ रहता है और प्रार्थिनी ही उसका पालन पोषण करती है ।
- (ग) अवयस्क के अन्य सम्बन्धी प्रार्थिनी के अतिरिक्त यह हैं—
(१) श्रीमती महतानो (पूरा पता लिखो) अवयस्क की दूसरी बहिन ।
(२) परशादीलाल (पूरा पता लिखो) अवयस्क का ममेरा भाई ।
- (घ) अवयस्क की जात, जायदाद या दोनों का संरक्षक किसी ऐसे आदमी की ओर से नियत नहीं हुआ जो संरक्षक नियत करने का अधिकार या दावा रखता हो ।
- (च) इससे पहिले एक दरखास्त संरक्षक नियत कराने की एक पुरुष परशादी लाल ने इस अदालत में दी थी (नम्बर मुतफर्रका ३६ सन् १९४५) जो ता० १६ फरवरी सन् १९४५ को इस हुकम से फैसल हुई कि यदि उक्त परशादी लाल ५०००) ५० की जमानत तीन महीने के अन्दर दाखिल कर दे तो वह अवयस्क का संरक्षक नियत हो । वह जमानत दाखिल नहीं कर सका और उसकी दरखास्त खारिज हो गई ।
- (छ) यह दरखास्त किसी बली के इस्तकरार के वास्ते नहीं है ।
- (ज) यह दरखास्त इस लिये पेश की गयी है कि अवयस्क की जायदाद का प्रबन्ध करना है और असाभियों से लगान वसूल करना है । बिना सर्टीफिकट संरक्षक के सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध नहीं हो सकता और न लगान वसूल होता है जिससे अवयस्क का पालन पोषण अच्छी तरह हो सके ।
- (झ) यह प्रार्थना पत्र जात व जायदाद दोनों का संरक्षक नियत करने के वास्ते है । यदि किसी कारण से सायला का जायदाद का संरक्षक नियत करना उचित न

समझा जावे तो प्रार्थिनी को केवल उसकी जात का सरक्षक नियत कर दिया जावे और जायदाद से नावालिग के खान पान और उसकी पढ़ाई के वास्ते, उचित खर्चा सम्पत्ति की आय से दिलाने की आज्ञा दी जावे ।*

(ट) अचयस्क के पिता का १५ जूलाई सन् १९४१ को देहात हुआ उसके दो साल के बाद अचयस्क की माँ मर गई । अचयस्क की सम्पत्ति का प्रबन्ध कई आदमियों के हाथ में रहा जो तहसील से सरवराकार नियत होते रहे । चार पाँच साल हुए श्रीमती मेहताजी नावालिग की दूसरी बहन तहसील से उसकी सरवराकार नियत हुई । उसने इस समय में बहुत कुछ रुपया अचयस्क का खर्च और बर्बाद कर दिया इस लिये दरखास्त है कि प्रार्थिनी को सार्टिफिकेट सरक्षकता जात और जायदाद उक्त नावालिग का दिया जावे ।

२८—जायदाद हस्तान्तर करने की आज्ञा के लिये आवेदनपत्र

(१) रहन सादा के लिये आज्ञा प्राप्त करने को

(धारा २६ व ३१ एक्ट ८ सन् १८६०)

(सिरनामा)

१—यह कि प्रार्थी (सायल) ने तारीख ३ सितम्बर सन् १९.....ई० को सरक्षकता का प्रमाणपत्र (सार्टिफिकेट) प्राप्त किया है ।

२—अचयस्क के पिता भोजराज की २६ अपरैल सन् १९.....ई० को मृत्यु हो गई ।

३—सम्पत्ति का विवरण जो नावालिग को अपने पिता से मिली और उसका अनुमानतः मूल्य यह है ।

(यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण और अनुमानतः मूल्य लिखा जावे) ।

४—ऋण जो नावालिग के बाप ने छोड़ा उसका विवरण यह है—

(यहाँ पर ऋण का विवरण मथ सूद लिखना चाहिये) ।

५—सम्पत्ति की आय... २० वार्षिक है ।

* नोट—यदि दरखास्त किसी सरक्षक के इस्तकरार के वास्ते हो जो मृत्यु लेख (वसीयतनामे) या किसी दूसरे दस्तावेज के द्वारा नियत किया गया हो तो धारा (३५) इस प्रकार लिखनी चाहिये ।

“ यह दरखास्त वास्ते इस्तकरार वली जात व जायदाद उक्त नावालिग यानी दोनों के हैं । प्रार्थी को नावालिग के बाप ने अपनी अन्तिम वसीयत के द्वारा उसका वली करार दिया है और उसकी कुल सम्पत्ति का प्रबन्ध प्रार्थी के सिपुर्द किया है । तहसील बख्त, किराया और सम्पत्ति का अन्य प्रबन्ध करने के लिये इस्तकरार सरक्षकता की आवश्यकता है ” ।

६—कुल ऋण मय सूद के मुत्रलिंग २० अंश करना है जिसका वार्षिक सूद २०००) २० होता है और कुल सम्पत्ति नष्ट हो जाने का भय है ।

७—निम्नलिखित सम्पत्ति मुत्रलिंग . . २० में रहन सादा करने का विचार है जिससे कुल ऋण अंश हो जायगा और वार्षिक सूद केवल ८०) २० साल होगा ।

(यहाँ पर उस सम्पत्ति का जो रहन करना मंजूर हो विवरण दिया जावे)

८—अवयस्क की हकीयत के ऊपर एक ऋण की डिग्री जायदाद नीलाम होने के लिये हो चुकी है और उसमें तीन महीने की अवधि रुपया अंश करने के लिये मिली है यदि डिगरी अंश न होगी तो अधिक मूल्य की जायदाद नीलाम हो जाने से नात्रालिंग की हानि होगी ।

९—सादा रहन की कच्ची लिपि इस दरखास्त के साथ दाखिल की जाती है ।

इस लिये प्रार्थना है कि जायदाद की (जो धारा न० ७ में दी गई है) रहन सादा करने की अनुमति दी जावे ।

(२) विक्रयपत्र (बैनामे) के द्वारा

(सिरनामा)

१—सायल ने तारीख २५ मार्च सन् १९४१ ई० के अवयस्कों की सरचाकता का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) प्राप्त किया ।

२—मेहताब सिंह, अवयस्कों के पिता का १२ फरवरी सन् १९३१ ई० के देहात हुआ ।

३—मेहताबसिंह ने निम्नलिखित सम्पत्ति छोड़ी—

(यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण अनुमानतः मूल्य सहित लिखा जावे) ।

४—मेहताबसिंह ने निम्नलिखित ऋण छोड़े—

(यहाँ पर ऋणों की तफसील दी जावे और उसमें यह भी दिखलाया जावे कि उनका सूद क्या होता था और यदि उनके आधार पर डिगरी हत्यादि हुई हों तो उनमें क्या कार्रवाई हो रही है) ।

५—वार्षिक आय और व्यय का हिसाब यह है—

६—सम्पत्ति का विवरण जो इस समय अधिकार में हो और हर जायदाद की आमदनी—

७—तफसील ऋण की जो अंश अंश करने को हो और उसका वार्षिक सूद—

८—सम्पत्ति का विवरण जिसके विक्रय (बँ) करने की दरखास्त हो उसकी आय और नियत मूल्य के सहित—

६—विक्रय करने से लाभ जो अवयवकों का हो लिखा जावे—(जैसे थोड़ी जायदाद विक्रय करने से बाकी जायदाद बच जाती है और अवयवकों के पालन पोषण के लिये पर्याप्त आय रह जाती हो) ।

१०—वैनामा की कच्ची लिपि आवेदन पत्र के साथ दाखिल की जाती है ।

११—ऋण के दस्तावेजों की नकल यदि कोई हों, दाखिल की जावें ।

इस लिए प्रार्थना है कि ऊपर लिखी जायदाद के विक्रय करने की अनुमति दी जावे ।

२६—दरखास्त, संरक्षक के हटाए जाने के लिये

(धारा ३६ एक्ट ८ सन् १८९०)*

(चिन्नामा)

१—प्रार्थी भोजराम नात्रालिग का सगा मामा है और विरुद्ध पक्ष उक्त नात्रालिग का सर्टिफिकेट प्राप्त संरक्षक है और अदालत से उसके हक में संरक्षकता का प्रमाण पत्र तारीखके सादिर हुआ था ।

२—विरुद्ध पक्ष की उम्र अब ६० साल से ऊपर है वह बहुत कमजोर है और आँखों से कम दिखाई पड़ता है जिसके कारण वह अब संरक्षक का काम करने योग्य नहीं है ।

३—विरुद्ध पक्ष उक्त जायदाद के इन्तजाम में बहुत भूल और ढील करता है जिसके कारण से अवयवक की जायदाद के असामियों पर लगान की बाकी बढ़ गई है और कुछ में अवधि समाप्त हो चुकी हैं ।

४—उक्त संरक्षक उक्त अवयवक के पढ़ने लिखने का उचित प्रबंध नहीं करता । अवयवक की उम्र १५ साल के लगभग है और वह अब तक मामूली पढ़ना लिखना नहीं सीख सका ।

नोट *—वह कारण जिनके आधार पर संरक्षक हटाए जाने की, दरखास्त दी जा सकती है एक्ट ८ सन् १८९० ई० की धारा ३६ में दिये हुए हैं । जिस वजह पर आवेदन पत्र देना मंजूर हो वही वजह ऊपर के नमूने में लिखी जा सकती है । प्रार्थना पत्र का रूप ऊपर लिखे हुए के अनुसार होगा ।

३०—उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सार्टिफिकेट विरासत)

(Succession Certificate)

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र धारा २५२ एक्ट ३६ सन् १९२५ के अनुसार जिला जज की अदालत में पेश होता है और उसमें हस्ताक्षर और तसदीक उसी प्रकार होती है जैसे कि व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार वाद पत्र पर और उसमें निम्नलिखित बातें लिखी होनी चाहिये—

(अ) मृतक के मरने की तारीख ।

(ब) मरने के समय मृतक का साधारण निवासस्थान और यदि ऐसा निवास स्थान उस अदालत के अधिकार की भूमि सीमा के अन्दर न हो जिसमें कि आवेदन पत्र दिया जावे, तो मृतक की वह जायदाद जो उस सीमा के अन्दर स्थित हो ।

(ज) मृतक के कुटुम्बी और दूसरे निकट सम्बन्धी और उनके पृथक् २ निवास स्थान ।

(द) वह स्वत्व जिसके द्वारा प्रार्थी दावेदार हो ।

(ह) किसी ऐसी रकावट का उपस्थित न होना, जो धारा ३७० एक्ट के अनुसार उक्त या किसी और कानून के, सार्टिफिकेट दिये जाने को वर्जित करती हो या दिये जाने पर उसको अवैध बनाती हो ।

(व) ऋण व किफालत जिनकी निसबत सार्टिफिकेट की दरखास्त हो ।

(ऋण का विवरण)

उक्त एक्ट की धारा ३८३ में वह सब कारण लिखे हैं जिनके आधार पर दिया हुआ सार्टिफिकेट वापिस हो सकता है और वह यह हैं—

(अ) यह कि कार्रवाई प्राप्त करने सार्टिफिकेट की वास्तव में दूषित थी ।

(ब) यह कि सार्टिफिकेट ग़लत बयानों से या अदालत से विशेष घटनाओं को छिपा कर धोखे से प्राप्त किया गया ।

(ज) यह कि सार्टिफिकेट एक असत्य घटना बयान करके जो सार्टिफिकेट के दिये जाने के लिये आवश्यक हो प्राप्त किया गया चाहे ऐसा बयान अज्ञानता या लापरवाही से किया गया हो ।

(द) यह कि अन्य घटनाओं के कारण सार्टिफिकेट बेकार और निकम्मा हो गया है ।

(ह) यह कि किसी अधिकार युक्त अदालत की डिगरी या हुकम के विचार से जो किसी मुकदमे या अन्य कार्रवाही में, उस जायदाद के सम्बन्ध में जिसमें कर्ज व किफालत मुन्दज़ें सार्टिफिकेट, सादिर हो चुकी हैं, उचित यह है कि सार्टिफिकेट मंख कर दिया जावे ।

जो आवेदन पत्र सर्टिफिकेट की मंजूरी का दिया जावे वह ऊपर लिखे कारणों में से एक या एक से अधिक के आधार पर होना चाहिये ।

(१) उत्तराधिकार के सर्टिफिकेट के लिये आवेदन-पत्र

(सिरनामा)

१—प्रार्थी के पिता मल्हू ने तारीख १ जून सन् १९२८ ई० का देहान्त किया ।

२—मरते समय मृतक का निवास स्थान मौजा पला जिला बुलन्द शहर में था ।

३—उमराव, मुहम्मद अमीर, अताउल्ला सगे भाई और मुसम्मात महबूबन सगी बहन प्रार्थी की हैं और वह पला जिला बुलन्दशहर में रहते हैं सिवाय उनके और कोई करीबी रिश्तेदार मृतक का नहीं है ।

४—प्रार्थी मृतक मल्हू का बेटा है और अपने बहन भाइयों के साथ उसका उत्तराधिकारी है ।

५—इन कर्जों के निस्वत कोई हक प्रोवेट या प्रवन्क पत्रों से भारतीय उत्तराधिकार विधान सन् १९२५ ई० के अनुसार साबित नहीं किया गया और कोई रुकावट उक्त एक्ट के अनुसार या किसी दूसरे कानून के अनुसार सर्टिफिकेट दिये जाने या उसके जायज होने में है ।

६—प्रार्थी के तीनों भाई और बहन जिनके नाम धारा ३ में दर्ज हैं अकेले प्रार्थी के नाम सर्टिफिकेट दिये जाने में सहमत हैं ।

७—उन कर्जों का विवरण, जिनके सम्बन्ध में दरखास्त की जाती है यह है —

(यहाँ पर कर्जों का विवरण दिया जावे और उसमें कर्जदारों का नाम और दस्तावेज़ इत्यादि का पूरा २ पता दिया जावे) ।

(२) दरखास्त वापसी या मंजूरी सर्टिफिकेट विरासत

(सिरनामा)

१—ता०.....महीनासन्के विरुद्ध पक्ष ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) मृतक चुन्नी लाल की छोड़ी हुई सम्पत्ति का प्राप्त किया ।

२—सर्टिफिकेट प्राप्त करने की दरखास्त में विरुद्ध पक्ष ने यह बयान किया कि मृतक चुन्नीलाल अविभक्त कुल का सदस्य नहीं था और वह सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में प्रमाण पत्र मिला चुन्नीलाल की पैदा की हुई है और वह चुन्नीलाल के सगे भाई, मंसुख का लड़का है और मृतक का भतीजा होने की हैसियत से उसका उत्तराधिकारी है ।

३—वास्तव में मृतक चुन्नीलाल हिन्दू अविभक्त कुल का सदस्य था जिसके दोनों पक्ष सदस्य हैं और सर्टिफिकेट में वर्णित सम्पत्ति, अविभक्त कुल की सम्पत्ति है ।

४—यह कि प्रमाण पत्र के लिये आवेदन-पत्र में विरुद्ध पक्ष ने प्रार्थी का नाम सम्बन्धियों की सूची में नहीं दिखलाया । प्रार्थी चुन्नीलाल का सगा भतीजा है और सदस्य अविभक्त कुल होते हुए उसके साथ रहता था ।

५—यह कि प्रार्थी अवयस्क है । उसको या उसकी संरक्षिका को कोई सूचना प्रमाण पत्र या उसके दिये जाने की नहीं हुई और विरुद्ध पक्ष ने फरेव से प्रार्थी की रिश्तेदारी और स्वत्व को छिपा कर सर्टिफिकेट अकेले प्राप्त कर लिया ।

इस लिये प्रार्थना है कि उक्त प्रमाणपत्र रद्द और मगूख कर दिया जावे ।

३१—रूपया दाखिल करने के लिये दरखास्त

(धारा ८३ सम्पत्ति परिवर्तन विधान, एक्ट ४ सन् १८२२)

(१) राहिन की ओर से

(सिरनामा)

१—प्रार्थी ने आड़ पत्र (रहननामा) २५ फरवरी सन् १९१९ ई० के द्वारा अपनी हकीयत जमींदारी मौजा बहलूलपुर परगना सोरो जिला ऐटा की, मुजलिग २०००) रुपये के बदले में पास हनूमान सिंह विरुद्ध पक्ष के पिता के नाम रहन दखली की और सूद व लाभ बराबर ठहरा ।

२—तारीख रहन से हनूमानसिंह और उसके मरने के बाद से विरुद्ध पक्ष हकीयत पर रहन गहीता (मुरतहिन) की हैसियत से काबिज हैं ।

३—रहननामे की शर्त के अनुसार रहन का रूपया अखीर माह जेष्ठ में विरुद्ध पक्ष को दिया जाने के लिये रहन छुड़ाने के वास्ते अदालत में दाखिल किया गया है ।

इस लिये प्रार्थना है कि उक्त मतालवा विरुद्ध पक्ष को रहननामा २५ फरवरी सन् १९१९ ई० की वेवाकी में दे दिया जावे और उक्त दस्तावेज उस पर वेवाकी के लिखाये जाने के बाद प्रार्थी को दिला दिया जावे ।

(२) जायदाद के खरीदार की ओर से

(रहननामा)

१—विरुद्ध पक्ष के पास सादा रहननामा तारीख ११ माह जून सन् १९३१ ई० के द्वारा हकीयत जमींदारी मौजा अशरी परगना अहार, मिर्जा शहवाज बेग की ओर से २०००) रुपये में रहन सादा है ।

२—उक्त दस्तावेज के रुपये में से २५) रुपये ता० १३ जून सन् १९३७ और ४०) रुपये ता० २४ मई सन् १९३३ का अदा हो चुके हैं ।

३ मिर्जा शहजाज बेग ने उक्त हकीयत को अपनी और दूसरी हकीयत के साथ प्रार्थी के हाथ बैनामे के द्वारा मुवरिखा २१ जून सन् १९३६ को बेच दिया है और २८५८) रुपये प्रार्थी के पास ११ जून १९३१ के रहननामे के बाकी मतालवा के अदा करने के वास्ते अमानत छोड़ा है ।

४—मतालवा रहननामा ११ जून १९३१ ई० का मय सूद आज की तारीख तक मुवलिग २२५२) रुपये होता है । वह इस आवेदन पत्र के साथ दाखिल किया जाता है ।

इसलिये प्रार्थना है कि उक्त मतालवा विपत्ती को रहननामा ११ जून सन् १९३१ की बेनाकी में दे दिया जावे और उक्त दस्तावेज बाद तहरीर बेनाकी प्रार्थी को दिलया जावे ।

(३) रहनकर्ता की ओर से, स्वयं अपने और अन्य रहनकर्ताओं के उत्तराधिकारी होने पर

(सिरनामा)

१—रहननामा १३ जून सन् १९३७ के द्वारा प्रार्थी और उसके दो सगे भाई हरदेव व नेतराम ने अपनी जमींदारी २५००) रुपये में सूद लाभ बराबर पर, विरुद्ध पक्ष के पिता के पास रहन दखली की ।

२—रहन के दौरान में १५ बीघा जमीन बञ्जर जिससे कुछ लाभ रहन-ग्रहीताओं को नहीं होता था सड़क रेल में आ गई और उसके बदले में १२५०) रुपये रहन-ग्रहीताओं को मिल गये । अब केवल १२५०) रुपये रहन के बाकी हैं ।

३—हरदेव व नेतराम का देहाँत हिन्दू अविभक्त कुल में हो गया, उनकी कोई सतान नहीं है । प्रार्थी बचे हुए सदस्य कुटुम्ब की हैसियत से कुल हकीयत का मालिक है ।

४—प्रार्थी १२५०) रुपये विरुद्ध पक्ष को १३ नवम्बर सन् १९३७ के रहननामे की बेनाकी के सम्बन्ध में दिये जाने के वास्ते दाखिल अदालत करता है ।

३२—आवेदन-पत्र, प्रोबेट व प्रबन्धक पत्रों के लिये

प्रोबेट या प्रबन्धक पत्रों (Letters of Administration) प्राप्त करने का आवेदन पत्र नत्थी किये हुये मृत्युलेख के साथ धारा २७६ एकट ३६ सन् १९२५ के अनुसार अत्र पेश होते हैं और इस प्रकार के आवेदन पत्र अंग्रेजी भाषा में या अन्य भाषा में जो अदालत में प्रचलित हो पेश होना चाहिये और उसके साथ असल मृत्युलेख (वसीयतनामा) पेश होना चाहिये । यदि वास्तविक मृत्युलेख मृतक के वाद गुम हो गया हो या कही रख जाने की वजह से न मिलता हो या किसी अनुचित कार्य या इत्फाक से जो वसीयत करने वाले का फेल न हो, नष्ट हो गया हो तो मृत्युलेख की नकल या उमकी कच्चीलिपि यदि मौजूद हो तो पेश की जा सकती है । यदि नकल या कच्चीलिपि मौजूद न हो तो मृत्युलेख के समाविष्ट विषय (मजमून) की तहरीर पेश की जा सकती है ।

आवेदनपत्र में नीचे लिखी बातें दर्ज होंगी ।

(अ) वसीयत करने वाले के मरने की तारीख ।

(ब) यह कि नत्थी की हुई उसकी अन्तिम वसीयत है ।

(क) यह कि वह नियमानुसार लिखी गई ।

(ख) तर्कों की मालियत जो अनुमान से प्रार्थी के हाथ में आवेगा ।

(ग) जब निवेदन-पत्र प्रोबेट के वास्ते हो तो यह कि प्रार्थी मृत्युलेख में लिखा हुआ प्रबन्धक (Executor) है ।

इन बातों के अतिरिक्त आवेदन पत्र में यह भी लिखा जावेगा —

(अ) जब आवेदनपत्र डिसट्रिक्ट जज के यहाँ दिया जावे तो, यह कि मृतक मरते समय जज के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर स्थाई निवास स्थान या कोई जायदाद रखता था ।

(ब) जब आवेदनपत्र किसी डिसट्रिक्ट डेलीगेट के यहाँ दी जावे, तो यह कि मृतक मरते समय ऐसे डेलीगेट की भूमि सीमा अधिकार के अन्दर स्थाई निवास स्थान रखता था ।

जब आवेदनपत्र डिसट्रिक्ट जज के यहाँ दिया जावे और कोई भाग जायदाद का, जो अनुमान से प्रार्थी के कब्जे में आने का हो दूसरे प्रान्त में हो तो आवेदनपत्र में यह भी लिखना होगा कि हर एक प्रान्त की जायदाद की सख्या बया है और कौन कौन से डिसट्रिक्ट जजों के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर वह जायदाद है ।

यदि प्रोबेट का प्रचार कुल भारत संघ (Indian Union) में कराना मंजूर हो तो धारा १९६ के अनुसार निवेदन पत्र में यह भी लिखना आवश्यक है कि प्रार्थी को जहाँ तक विश्वास है कोई दूसरी दरखास्त किसी दूसरी अदालत में प्रोबेट के वास्ते नहीं दी गई और यदि कोई ऐसी दरखास्त दी गई तो किस अदालत में और किस व्यक्ति या व्यक्तियों ने और उस पर क्या कार्रवाई हुई ।

(१) प्रोवेट के लिये दरखास्त मृत्युलेख (वसीयतनामा) सहित

न्यायालय.....(नाम)..... ।

न० मुकदमा.....सन्..... ।

रामलाल पुत्र श्यामलाल ब्राह्मण सा० मौजा डिवाई जिला बुलन्द शहर.....
प्रार्थी ।

धारा २७६ एक्ट ३६ सन् १९२५ के अनुसार उक्त रामलाल यह दरखास्त दाखिल करके निवेदन करता है कि—

१—प्रार्थी के चचा मोहनलाल की १७ मई सन् १९३३ ई० को मृत्यु हुई ।

२—मृत्युलेख वसीयतनामा जो इस दरखास्त के साथ पेश किया जाता है वह मृतक मोहनलाल की अन्तिम वसीयत है ।

३—इस मृत्युलेख को मृतक ने नियमानुसार लिखा और पूरा किया और उसकी रजिस्ट्री कराई ।

४—उसकी मृत सम्पत्ति (मतरुका लगभग ११०००) रु० की मालियत की है जो कि प्रार्थी के हाथ में आवेगी ।

५—प्रार्थी प्रबन्ध कर्ता (Executor) मुन्दर्जा वसीयतनामा है ।

६—मृतक की साधारण रहने का स्थान डिवाई में था और वही उसकी मृत सम्पत्ति स्थित है जो कि अदालत के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर है ।

७—इससे पहिले प्रोवेट के लिये कोई निवेदन पत्र किसी अदालत मे किसी आदमी की ओर से जहाँ तक प्रार्थी को विश्वास है नहीं उपस्थित किया गया ।

इसलिए प्रार्थना है कि प्रार्थी को उक्त वसीयतनामे का प्रोवेट प्रदान किया जावे ।

(२) इसी प्रकार की दूसरी दरखास्त जब मृत्यु लेख की
प्रमाणित प्रति लिपि दाखिल की जावे

अदालत जिला जज बनारस ।

न० मुकदमा .. . सन् ... ई० ।

श्रीमती रामदेवी विधवा पंडित हरविलास ब्राह्मण साकिन मुहल्ला रामपुरा शहर
बनारस—प्रार्थिनी ।

१—पंडित हरविलास की ता० २ जून सन् १९४० ई० को बर्दवान बंगाल प्रान्त में मृत्यु हुई ।

२—मृत्यु के समय मृतक का साधारण निवास स्थान न० १४४ मुहल्ला रामपुरा बनारस था जहाँ पर वह सरकारी नौकरी से पेंशन लेने के बाद स्थायी रूप से रहने लगे थे । इसके अतिरिक्त उन्होंने बनारस मे सम्पत्ति छोड़ी जो अदालत की भूमि सीमा के अन्दर है ।

३—लेख-पत्र जो इस आवेदन पत्र के साथ नत्थी है वह मृतक को अन्तिम वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि (नकल) है जो उसने जूलाई सन् १९३१ ई० को नियम पूर्वक लिखी और ३ जूलाई सन् १९३१ ई० को रजिस्ट्री कराई ।

४—प्रार्थिनी मृतक की विधवा है और मृत्युलेख में प्रबन्धक नियत की गई है उसके अतिरिक्त मृतक ने निम्नलिखित संबन्धी छोड़े हैं—

(अ) पं० रामविलास मृतक का सगा भाई सत्र इंस्पेक्टर पुलिस जैसवार (बंगाल) ।

(ब) पं० मोहनी विलास पुत्र, पं० धनविलास मृतक का भतीजा क्लर्क टेलीग्राफ आफिस बनारस ।

५—मृतक की सम्पत्ति जो अनुमान से प्रार्थिनी के हाथ में आवेगी उसका मूल्य लगभग ३६७३) २० है इसमें से ५००) २० की जायदाद प्रान्त बंगाल में डिस्ट्रिक्ट जैसोर के इलाके के अन्दर है । कुल सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया हुआ है ।

६—मृतक प्रार्थिनी के साथ सितम्बर सन् १९३६ ई० में कलकत्ते इलाज कराने गया था और वसीयतनामे व और दूसरे कागजों को अपने साथ लेता गया था । वापिसी के समय बनारस में लगे होने के कारण अपने भाई रामविलास के मकान पर बर्दवान मे ठहर गया और वहीं उसकी मृत्यु हुई । प्रार्थिनी क्रियाकर्म के लिये बनारस आई और जब क्रिया कर्म करने के पश्चात सामान और कागज लेने को बर्दवान गई तो बहुत ढूँढ़ने पर भी कागज-पत्र और वसीयतनामा नहीं मिले । इसलिये प्रार्थिनी ने जाबते की नकल प्राप्त करली है जो इस आवेदन पत्र के साथ पेश की जाती है ।

७—जहाँ तक प्रार्थिनी को विश्वास है इससे पहिले कोई आवेदन पत्र मृतक की सम्पत्ति के प्रोवेट या प्रबन्धक-पत्र के वास्ते इस अदालत में या किसी दूसरी अदालत में नहीं उपस्थित किया गया ।

इसलिये प्रार्थना है कि प्रोवेट मय नत्थी की हुई नकल ज़ाबता वसीयतनामे के, जिसका प्रचार सारे भारत संघ में हो, मृतक की जायदाद के प्रबन्ध के लिये प्रार्थिनी को दिया जावे ।

(३) दरखास्त प्रबन्धक पत्रों के लिये (चिट्ठयात एहतमाम) *

(धारा २७८ एक्ट ३६ सन् १९२५)

(सिरनामा)

१—इस प्रकार की दरखास्त में निम्नलिखित बातें दर्ज करनी होती है ।

* नोट १—जब कि दरखास्त डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ हो और कोई भाग जायदाद का जो प्रार्थी के हाथ में अनुमान से आने को हो दूसरे प्रान्त में हो तो दरखास्त में यह बात लिखी जावेगी कि ऐसी जायदाद की कितनी संख्या प्रत्येक प्रान्त में है और कौन २ डिस्ट्रिक्ट जजों की भूमि सीमा अधिकार के अन्दर वह जायदाद स्थित है ।

(अ) समय और स्थान मृतक के मरने का—

(ब) मृतक के कुटुम्बी और अन्य सम्बन्धी और उनके निवास स्थान ।

(ज) वह स्वत्व जिसके द्वारा प्रार्थी दावेदार हो ।

(द) यह कि मृतक ने कुछ जायदाद डिसट्रिक्ट जज (या डिसट्रिक्ट डेलीगेट) की भूमि सीमा अधिकार के अन्दर जिसके यहाँ दरख्वास्त पेश की जावेगी छोड़ी ।

(ह) और जायदाद की मूल्य संख्या जो अनुमान से प्रार्थी के हाथ में आने को हो (और जब कि निवेदन पत्र डिसट्रिक्ट डेलीगेट के यहाँ हो तो निवेदन पत्र में यह भी लिखा जावेगा की मृतक मरते समय ऐसे डेलीगेट के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर निवास स्थान रखता था ।) *

(४) प्रबन्धक पत्र प्राप्त करने के वास्ते आवेदन पत्र

(सिरनामा)

१—प्यारे लाल प्रार्थी के चचेरे भाई ने इटावा में तारीख ५ अगस्त सन् १९३७ को देहांत किया । मृतक के कुटुम्बी और दूसरे सम्बन्धी और उनके निवास स्थान नीचे लिखे हैं :—

(अ) मानसिंह पुत्र चेतसिंह जाति जाट साकिन नगले मोजा, तहसील खैर, जिला बदायूँ—मृतक का चचेरा भाई ।

(ब) रामसहाय बल्द इन्दरमन जाति जाट साकिन रामनगर परगना जलेसर जिला एटा—मृतक का कुटुम्बी भतीजा ।

२—प्रार्थी मृतक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित वंशावली के अनुसार है और उसका अधिकार दूसरे रिश्तेदारों के मुक़ाबले में अधिक है ।

(यहाँ पर वंशावली दी जावे)

३—संपत्ति (तर्का) जो अनुमान से प्रार्थी के हाथ में आने को है, उसकी मालियत प्रायः..... रुपये है और उसका विवरण नीचे दिया हुआ है ।

४—मृतक का साधारण निवास स्थान एटा में था और वही पर उसकी जायदाद ज़मींदारी और मकानात भी हैं जो इस अदालत के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर है ।

* नोट २- यदि प्रबन्धक-पत्रों का प्रचार कुल भारत संघ में कराना मंजूर हो तो उक्त एक्ट की धारा २७६ के अनुसार यह भी लिखना आवश्यक है कि जहाँ तक प्रार्थी का विश्वास है कोई दूसरा आवेदन-पत्र किसी दूसरी अदालत में प्रबन्धक पत्र प्राप्त करने के वास्ते नहीं उपस्थित किया गया और यदि किया गया तो किस अदालत में और किस व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से और उस पर क्या कार्रवाई हुई ।

५—इससे पहिले कोई निवेदन पत्र प्रोवेट या प्रवन्धक पत्रों के वास्ते किसी अदालत मे उपस्थित नहीं किया गया ।

इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी को मृतक ग्यारे लाल की सम्पत्ति के प्रवन्धक पत्र दिये जावे ।

(जायदाद का विवरण)

३३—इन्साल्वेन्सी (देवालियापन)

(एक्ट ५ सन् १९२०)

देवालिया (Insolvent) करार दिये जाने की दरखास्त धारा १३ एक्ट ५ सन् १९२० के अनुसार ऋणी और महाजन (मदयून और दायन) दोनों की ओर से लग सकती है । ऋणी के निवेदन पत्र मे नीचे लिखी बातें लिखनी होती हैं ।

(अ) यह बयान कि ऋणी अपना ऋण अदा करने के योग्य नहीं हैं ।

(ब) वह स्थान जहाँ वह साधारण रूप से रहता हो या कारोबार करता हो या लाभ के लिये स्वयं काम करता हो या यदि वह गिरफ्तार या कैद हो गया हो तो वह जगह जहाँ वह हिरासत मे हो ।

(ज) न्यायालय (यदि कोई हो) जिसकी आज्ञा से गिरफ्तार या कैद हुआ हो या जिसने उसकी सम्पत्ति की कुर्की का हुक्म दिया हो उस डिगरी के विवरण सहित जिसके सम्बन्ध मे ऐसा हुक्म हुआ हो ।

(द) कुल ऋणों की संख्या और विवरण जो उसके जुम्मे हों, लेनदारों के निवास स्थान समेत जहाँ तक मालूम हों या उचित सावधानी काम में लाने से मालूम हो सकते हों ।

(इ) संख्या और विवरण उसकी कुल सम्पत्ति का जिसमें—

(१) अनुमानत मूल्य ऐसी जायदाद का जो नकदी रूप में न हो दिया जावे ।

(२) उस स्थान या स्थानों के सहित, जहाँ वह जायदाद मिल सकती हो ।

(३) अपनी सहमत का लेख कि वह ऐसी कुल जायदाद को अदालत के अधिकार में देने को तत्पर है सिवाय ऐसी चीजों के (वही खाले को छोड़ कर) जो व्यवहार विधि संग्रह सन् १९०८ या किसी अन्य विधान के अनुसार जो उस समय प्रचलित हो इजराय डिगरी में कुर्की और नीलाम से लुटा हो लिखी जावे ।

(व) यह बयान कि मदयून ने पहिले किसी समय कोई दरखास्त इन्साल्वेन्ट करार दिये जाने की दी है या नहीं और (जहाँ ऐसी दरखास्त गुजर चुकी हो) तो —

- (१) यदि वह दरखास्त खारिज हो चुकी हो तो खारिज होने का कारण ।
- (२) यदि ऋणी इन्सालवेन्ट करार दिया जा चुका हो तो इन्सालवेन्सी का संचित विवरण और यदि इन्सालवेन्सी मनसूख करदी गई हो तो उसका कारण ।

प्रत्येक पत्र इन्सालवेन्सी के हेतु आवेदन पत्र में, जो एक या कई लेनदारों की ओर से दिया जावे वह सब बातें दर्ज होगी जो ऊपर धारा (व) में लिखी हैं और नीचे लिखी बातें भी दर्ज होंगी ।

- (१) वह इन्सालवेन्सी का काम जो ऋणी ने किया हो और उसके करने की तारीख ।
- (२) संख्या और विवरण उन दावों का जो ऐसे ऋणी के विरुद्ध हैं ।

धारा १० एक्ट ५ सन् १९२० के अनुसार किसी ऋणी को इन्सालवेन्सी की दरखास्त पेश करने का अधिकार नहीं होता जब तक कि वह अपना ऋण चुकाने के अयोग्य न हो और उसका ऋण ५००) ६० से कम न हो या वह किसी अदालत की डिगरी की इजराय में जो अदायगी रुपये के वास्ते हो गिरफ्तार या कैद किया गया हो या ऐसी डिगरी के इजराय में कुर्की का हुकम हो गया हो और वह हुकम उसकी जायदाद के ऊपर स्थित हो । इस लिये जो आवेदन-पत्र ऋणी की ओर से दिया जावे उसमें यह ऊपर लिखी बातें भी लिखनी होती हैं ।

धारा ६ एक्ट ५ सन् १९२० के अनुसार किसी लेनदार को अपने देनदार की वाज्त इन्सालवेन्सी की दरखास्त देने का अधिकार नहीं होता जब तक कि.....

- (अ) ऋण लेनदार का देनदार के ऊपर या यदि दो या दो से अधिक लेनदार दरखास्त में शामिल हों तो उन सब का लेना ऋण ५००) ६० से कम न हो । और
- (ब) ऋण की सख्याँ नियत हो और वह उस समय या किसी अगले नियत समय पर देने योग्य होता हो ।
- (ज) इन्सालवेन्सी का अन्य कार्य जिसके आधार पर दरखास्त दी जाती हो, दरखास्त देने की तारीख से ३ महीने के अन्दर हुआ हो ।

इस लिये जो दरखास्त लेनदार की ओर से दी जावे उसमें ऊपर लिखी बातें भी लिखना चाहिये ।

एक्ट ५ सन् १९२० की धारा ६ में वह कार्य लिखे हैं जिनका करना इन्सालवेन्सी का काम कहा जाता है । लेनदार की दरखास्तों में उनमें से जो काम देनदार ने किये हैं वह लिखना चाहिये ।

(१) ऋणी की ओर से आवेदन-पत्र

अदालत जज खफीफा बरेली ।

रामलाल पुत्र सोहनलाल जाति खत्री निवासी रामपुर जिला बरेली ।.....

.....प्रार्थी ।

उक्त प्रार्थी दरखास्त धारा १० एक्ट ५, १९२० के अनुसार पेश करता है और आवेदन करता है कि—

१—प्रार्थी मौजा रामपुर जिला बरेली मे इस अदालत के अधिकार की भूमि सीमा के अन्दर आढत और रुई खरीदने व बेचने का काम करता था ।

२—प्रार्थी को व्यापार मे हानि हुई और उसके ऊपर २४००) रु० का ऋण हो गया ।

३—ऋण की संख्या और तफसील जो प्रार्थी को देना है लेनदारों के नाम और पते सहित जहाँ तक प्रार्थी को मालूम हैं (या उचित सावधानी और खोज से निश्चय हो सके हैं) परिशिष्ट (अ) मे जो इस दरखास्त के साथ नत्थी है दिये हुए हैं ।

४—प्रार्थी अपने जुम्मे का ऋण चुकाने के योग्य नहीं हैं ।

५—जो सम्पत्ति प्रार्थी के पास सिवाय नकदी के है उसकी संख्या व तफसील और अनुमानतः मूल्य और उस जगह का पता जहाँ उक्त जायदाद मिल सकती है परिशिष्ट (ब) में जो इस दरखास्त के साथ नत्थी है दर्ज है ।

६—प्रार्थी उस कुल जायदाद को अदालत को सुपुर्दगी और अधिकार मे देने को तैयार है । प्रार्थी निवेदन करता है कि देवालिया करार दिया जावे ।

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट (ब)

स्थान व हस्ताक्षर
व प्रमाण लेख

} हस्ताक्षर प्रार्थी
तारीख

(२) आवेदन पत्र जब गिरफ्तारी या कैद हो चुकी हो
या कुर्बी का हुक्म हो गया हो

(शीर्षक नमूना न० १ के अनुसार)

१ प्रार्थी अपने जिम्मे का कर्जा चुकाने के योग्य नहीं है ।

२—प्रार्थी का साधारण निवास स्थान कस्बे देववन्द में है और उसी जगह वह कारोबार दुकानदारी करता है ।

३—प्रार्थी का सामान दूकानदारी डिगरी नम्बरी.....सन्.....अदालत की इजराय में अदालत.....ने मुकदमा इजराय नम्बरी.....सन्.....कुर्क हो गया है और हुकम कुर्की कायम है ।

(यदि गिरफ्तारी या कैद हो तो लिखना चाहिये कि) प्रार्थी डिगरी नम्बर.... सन्.....अदालत.....के इजराय में अदालतने मुकदमा इजराय डिगरी नम्बरीसन् ... गिरफ्तार या कैद हुआ है और मुकाम ... जेलखाने में मौजूद है ।

४—तादाद और तफसील कर्जे की जो प्रार्थी को देना है लेन दारों के नाम और पते के सहित जहाँ तक उसके मालूम हैं या खोज और उचित तलाश से मालूम हो सके हैं दरखास्त के नीचे परिशिष्ट (अ) में दिया गया है और उनका जाड़ ५००) ६० में ऊपर है ।

५—संख्या व विवरण कुल जायदाद की जो प्रार्थी के पास है और उसका अनुमानित मूल्य और स्थान जहाँ वह मौजूद है नीचे दिये हुए परिशिष्ट (ब) में दर्ज है और साथल उस जायदाद को अदालत की सुपुर्दगी और अधिकार में देने का तत्पर है ।

६—प्रार्थी ने इससे पहिले कोई दरखास्त देवालिया करार दिये जाने की नहीं दी । इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी इन्सालवेट करार दिया जावे ।

(३) दरखास्त लेनदारों की ओर से

(सिरनामा)

१—रामभरोस पुत्र तिरवेनी सहाय जाति ब्राह्मण निवासी मैनपुरी कारोबार व्यापार कपड़े का शहर मैनपुरी में तिरवेनी सहाय रामभरोस के नाम से करता था । उक्त रामभरोस इजराय डिगरी नम्बरी २०३ सन् १६३६ ई० अदालत सिविलजर्जी मैनपुरी भोलानाथ डिगरी-दार बनाम रामभरोस मद्यून मे गिरफ्तार हो कर जेलखाने मैनपुरी में कैद है ।

२—उक्त रामभरोस ने दो महीने के लगभग हुए अपनी कपड़े को दूकान उठा दी और अपने लेनदारों को कर्जा अदा करना बन्द कर दिया और तारीख १५ नवम्बर सन् १६-४१ ई० को गिरफ्तार हो कर कैद हो गया । यह दरखास्त उस तारीख ने तीन महीने के अन्दर है ।

३—भोलानाथ की डिगरी नम्बरी २०३ सन् १६३६ ई० का मतालिवा ३५७॥=) है और रामदयाल की डिगरी का मतालिवा ३७२॥=) है और दोनों की तादाद ५००) ६० से ज्यादा है ।

४—उक्त रामभरोस के ऊपर और कर्जे भी हैं जिनका ठीक पता प्रार्थी को नहीं है ।

५—उक्त रामभरोस की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है और वह अपना कर्जा चुकाने के योग्य नहीं है ।

इस लिये प्रार्थना है की उक्त रामभरोस इन्सालवेट घोषित किया जावे ।

॥ इति शुभम् ॥

पर्यायवाची शब्द सूची

ENGLISH

HINDI

URDU

A

Abandonment	स्वत्व विसर्जन	तर्क हक
Abatement	नष्ट हो जाना	सकृत, रफा करना
Abduction	हरण	जबरदस्ती ले भागना
Abetment	अपराधार्थ प्रोत्साहन	तरगीत्र जुर्म
Abetter } Abettor }	प्रोत्साहक	तरगीत्र कुनिन्दा
Absconder	पलायित, भगोड़ा	फरार, फरार हुआ
Absolute decree	पूर्ण या अन्तिम डिगरी	कतई डिगरी
Abstract	सार	इन्तखान, खुलासा
Acceptance	स्वीकारी, स्वीकृत अंगीकारी, हुन्डी सिकारना	कबूल करना, मंजूर करना
Accessory	सहायक, अपराध सहकारी	शरीक जुर्म
Accident	दुर्घटना	हादसा, वाकया
Accomplice	सह अपराधी	शरीक जुर्म
Account, Action of	हिसाब देने का आवेदन	नालिश हिसाब फहमी
„ Rendition of	हिसाब देना	„
Accused	अभियुक्त	मुलजिम
Acknowledgment	स्वीकृति	इकत्राल
Acquiescence	सहमति, मौन सम्मति	तसलीम त्रिल सकृत रजा
Acquit	मुक्त करना	रिहा करना, बरी करना
Act of indemnity	न्याय विरुद्ध कार्य	इफत्राल खिलफ कानून
„ of bankruptcy	देवालिया होने का कार्य	इफत्राल जिनसे देवालिया होने का सबूत हो
Actionable	अभियोग्य, वाद-योग्य	कात्रिल इजराये नालिश
„ claim	अभियोग्य, वाद, वादयोग्य स्वत्व	दावा कात्रिल नालिश
Adhesive	चिपकाने वाला	चस्पादनी
Adjective Law	पूरक नियम	कानून जामा

Adjourned hearing	स्थगित सुनवाई	मुलतवी गुदापेशी
Adjudication	निर्णय	पैसला, तजवीज
Administer-oath	शपथ देना	हलफ देना
Administration, Letters of—	प्रवन्धक पत्र	चिट्ठियात एहतमाम
Admission	स्वीकारी, अग्गीकारी, स्वीकृति	इकत्राल, इकरार
Admission of guilt	अपराध स्वीकृति या स्वीकारी अपराध	इकत्राल जुर्म
Adoption	दत्तक ग्रहण, दत्तक विधि	तत्रनियत
Adult	वयस्क	वालिंग
Adulteration	मिश्रण, मिलावट	मिलावट
Adultery	व्यभिचार	जिना, ताल्लुक नाजायज
Ad valorem	मूल्यानुसार	मुताबिक मालियत
Adverse possession	विपरीत अधिकार विमुखा- धिकार	कब्जा मुखालिफाना
Advocate	वकील, वैरिस्टर, अभिभाषक	वकील
Affidavit	शपथ पत्र	बयान ह नफी
Agnate	पितृ सम्बन्धी, कुटुम्बी	यकजदी
Agreement	प्रतिज्ञा, ठहराव, समझौता	मुआहिदा इकरार
Agriculturist	कृषक, किसान	काश्तकार
Aid in execution	प्रवर्तन मे सहायता	इमदाद कार्रवाई इजरा
Alias	उपनाम	उर्फ, उर्फियत
Alibi	अनुपस्थिति	उज्र अदम मौजूदगी
Alien	विदेशी	गैर मुल्क का
Alimony	पति की आय या सम्पत्ति का भाग जो विवाह विच्छेद होने पर पत्नी को दिलाया जावे	
Aliunde	अन्य प्रकार से	दूसरी तरह से
Allege	आरोपण करना	बयान या इजहार करना
Allegations of fact	घटना सम्बन्धी आरोपणत या वर्णन	बयानात मुताल्लिक वाक़ा
Allowance	वट्टा, वृत्ति	वजीफा, भत्ता
Alternative plea	विकल्प विरोध	उज्र बतौर बदल
Ambiguity	अस्पष्टता	इवहाम, इश्तबा
Amendment	सशोधन	तरमीम इस्लाक
Ancestors'	पूर्वज	मृरिस

Ancestral property	पैत्रिक सम्पत्ति	जायदाद मौरूसी
Annuity	वार्षिक वृत्ति	सालाना वजीफा
Anomolous	अनियमित, असंगत	मोहमिल बेजाता
„ mortgage	अनियमित आड	रहन बेजाता
Antecedent debts	पूर्ववर्ती ऋण	कर्जा माकवल
Aposteriori	वह घटनाये जिनसे भविष्य का फल निकाला जा सके	वाक्यात मवनी नतीजा आइन्दा
Appeal	विवाद, अपील, प्रेरणा	इल्तजा, दरखास्त इन्साफ
„ Cross	प्रति प्रेरणा	अपील मुखालिफाना
„ Grounds of	विवादाधार अपील	मूजवात-ए-अपील
Appellant	विवादी, अपीलान्ट	अपील करने वाला
Appendix	परिशिष्ट	जमीमा, तितम्मा
Application	प्रार्थना पत्र, आवेदन	दरखास्त, अर्जी
Apportionment	यथा योग्य विभाजन	तकसीम न-हिस्सा मुनासिब
Approver	साक्षी भेदी	गवाह सरकारी
Apputenance	भूमि सम्बन्धित स्वत्व	आराजी मुताल्लिका
Apriori	घटित घटनाओ से फल निकालना	नतीजा वाक्यात मफूरत
Arbiter } Arbitrator }	पंच, मव्यस्थ	सालिस
Arbitration	पंचायत	सालिसी
Area	क्षेत्र	रकबा
Argument	तर्क, प्रति पादन	दलील, बहस, हुज्जत
Arrest	गिरफ्तारी	हिरासत,
Arson	गृहदाह, आग लगाना	आतिशजनी
Article	धारा, पद	मद, दफा
„ of Association	संघ या कम्पनी के नियम	कनायद कायम होने कम्पनी
Ascendants	पूर्वज गण	आबो अजदाद
Assault	आक्रमण, मारपीट	हमला, मारपीट
Assets	सम्पत्ति, पूजा	सरमाया, तर्की
„ personal	निजी सामान	असवाब, जायदाद मनक़ला
„ real	अचल सपत्ति	जायदाद गैर मनक़ला

Assign	अर्पित करना	मुन्तकिल या सुपुर्द करना
Assumpsit	प्रतिज्ञा भंग होने पर हानि का दावा	नालिश हर्जा विनाय मुआहिदा
Attachment	आसेध, कुर्की	कुर्की या गिरफ्तारी
„ Liable to	आसेध योग्य	काबिल ए-कुर्की
„ under	आसेध युक्त	जेर कुर्की
Attest	प्रमाणित करना, पुष्टि करना	तसदीक करना, गवाही
Attester } Attestor }	प्रमाणितकर्ता पुष्टि ”	तसदीक कुनिन्दा
Auction	नीलाम, घोष विक्रय	नीलाम
„ purchaser	घोष क्रेता	खरीदार नीलाम
Award	(१) पंच निर्णय (२) दंड देना, निर्णय करना	(१) तसफिया या फैसला सालिसी (२) हुकम सजा तजवीज

B

Bail	प्रतिरक्षण	जमानत
„ Admit to	प्रतिरक्षण स्वीकार करना	जमानत पर रिहा करना जमानत होना
Bail bond	प्रतिरक्षण पत्र, प्रतेभूपत्र	जमानतनामा
Bailable offence	प्रतिरक्षण योग्य अपराध	जुर्म काबिल जमानत
Balance-sheet	चिट्ठा, वार्षिक हिसाब	वासिल वाकी
Bankruptcy,	देवालिया पन	देवालिया होना
Barred by limita- tion	अवधि वाधित	तमादी पजीर
Beneficiary	लाभ स्वत्वाधिकारी पुरुष	शख्स मुस्तहक इस्तफादा
Bequest	दान, निष्ठा, उत्तर दान	वसीयत, हिबा
„ conditional	प्रतिबन्ध दान	हिबा शर्तिया
Bigamy	स्त्री या पुरुष के होते हुये दूसरा विवाह कर लेना, द्विविवाह-प्रथा	शौहर या बीबी के जीते होते हुए दूसरी शादी करना
Bill of exchange	हुन्डी	हुन्डी या दस्तावेज तहरीरी बएवज़ रुपया

Bill To accept a	हुन्डी सिकारना	हुन्डवी कबूल करना
„ payable to bearer	धनी जोग हुन्डी	हुन्डवी वाजिबुल अदा हासिल
„ payable to banker	शाह जोग हुन्डी	हुन्डवी काबिल अदायगी महाजन
„ payable after date	मित्रि पूजे की हुन्डी	मियादी हुन्डवी
„ payable at sight or demand	दर्शनी हुन्डी	पहुँचे दाम की हुन्डी
„ Duplicate Board of Revenue	दोपरती हुन्डी उच्चतम राजस्व न्यायालय माल की प्रमुख अदालत	दो परत वाली हुन्डवी हुक्काम आली सीगा माल
Bodily injury	शारीरिक क्षति, आघात	जरर जिस्मानी
Bonafide	सद्भाव	हक्कीकी; ठीक नीयत से
Bond	टीप, तमस्सुक	दस्तावेज, वसीका
Breach of contract } „ of covenant }	प्रतिज्ञा भंग, अनुबन्ध भंग	खिलाफ वर्जी मुआहिदा
Brief	(१) संचित, संचेप (२) मुकदमें की मिसिल	(१) मुखतसर (२) याददाश्त मुकदमा
Burden of Proof	प्रमाण भार	बार सबूत
By-law	उपनियम	कानून जैली कवायद
C		
Calumny	मिथ्या आरोपण	भूटा इतहाम
Cancellation	खंडन, निर्सन	तन्सीख इनफिसाक
Capital punishment	मृत्युदंड	सजाये मौत
Cart Blanche	हस्ताक्षरयुक्त कोरा कागज़	दस्तखती सादा कागज
Case, Cause	अभियोग, दावा, वाद	मुकदमा निजा नालिश
Cause mortes	मृत्यु का वारण	मर्ज-उल मौत विनाय दावा,
Cause of action	व्यवहार कारण, वाद उत्पन्न होने का कारण	विनाय मुख्वासमत
Cause title	वाद शीर्षक, सिरनामा	सिरनामा मुकदमा
Cause list	अभियोग सूची, वाद सूची	फेहरिस्त मुकदमा

Certificate	प्रमाण पत्र	सनद, सर्तीफिकेट
Cestui qui trust	हिताधिकारी	जिसके लिये अमानत की गई हो
Chapter	अध्याय	बाब
Charge	दोष	इलजाम
Charitable endowments	पुण्यार्थदान	वक्फ
Chronological order	कालानुक्रम	वृत्तरतीव तारीख
Circumstantial evidence	वृत्तान्त घटित प्रमाण, स्थिति विषय में प्रमाण	शहादत करायन बहालाज
Claim	वाद, स्वत्व प्रतिपादन	दावा
Clerical error	लिपि दोष, लेखन दोष	लिखने की गलती
Client	आसामी, व्यवहरिया	मुवक्किल
Clog on the equity of redemption	वधक मोचक में प्रतिबंध	फक्क करने में रुकावट
Code, Civil Procedure	व्यवहार विधि-संग्रह अर्थ-विधान-संग्रह	मजमुत्रा जाता दीवानी
Code, Cr. Procedure	दंड विधि संग्रह	मजमूत्रा जाता फौजदारी
Codicil	उत्तरदानपत्र का परिशिष्ट	तितम्मा वसीयत नामा
Cognizable offence	हस्तक्षेप योग्य अपराध	जुर्म काविल दस्तन्दाजी
Collateral	सगोत्र	एक ही वंश की सन्तान
Commensality	सह भोजित्व	एक में खाने पीने के जरिये साभा
Committing Magistrate	प्रेषक दंडाधिकारी	मजिस्ट्रेट सुर्पद कुनिन्दा
Composition deed	सधि पत्र	तस्मियानामा
Compromise	समझौता	सुलहनामा
Condonation	क्षमा	मुत्राफी
Confession	अपराध स्वीकृति	इकवाल जुर्म
Confidential	गुप्त	पोशीदा
Conjugal rights	दाम्पत्य अधिकार	शोहर व जौजा के हकूक
Consanguinity	सगोत्रता	करावत
Consideration	पलटा, प्रतिफल	बदल, मुत्रावजा
Consignee	प्राप्त कर्ता	जिसको माल भेजा जाय

Consignor	प्रेषक	भेजने वाला
Conspiracy	पडयंत्र	साजिश
D		
Damages	क्षति	हर्जा
Dangerous weapon	सङ्कटकारी शस्त्र अपायकारक शस्त्र	खतरनाक आला
Days of grace	अनुग्रहीत अवधि	अध्याम रियायती
Deadly weapon	घातक शस्त्र	मोहलिक आला
Death illness	प्राण नाशक रोग	मर्जुल मौत
Death sentence	प्राण दंड	सजाय मौत
Debutter property	देवस्थानी सम्पत्ति	जायदाद जो किसी देवता को वक्फ हो
Deceased	मृत व्यक्ति	मुतफ्फी
Decision	निर्णय	फैसला
Declaratory Suit	अधिकार स्थापक-अभियोग	दावा इस्तकरारिया
Decree	स्वत्व निर्णय, न्याय पत्र	बाजाब्ता इजहार फैसले का
Decree holder	न्यायपत्र धारी	डिगरीदार
Dedication	पुरयार्थदान	वक्फ
Deed	प्रमाण पत्र, लेख्यपत्र	दस्तावेज
De facto guardian	वास्तविक अभिभावक	सरपरस्त वाकई
Defamation	मान हानि	तौहीन
Default	त्रुटि	कसूर
Defence	उत्तर, प्रतिवाद	जवाब देही
Defendant	प्रति वादी	मुद्दाअलेह
Deferred dower	अप्रस्तुत स्त्री शुल्क	महर मुवज्जल
Definitive judge- ment	अंतिम निर्णय	नातिक फैसला
Delivery of posses- sion	अधिकारारपण	हवालगी कब्जा
Demarcation	सीमा निर्धारण	हद्द कायम करना
De novo	पुनः आरम्भ से	अजसरे नौ
Departmental in- quiry	वैभाषिक अनुसन्धान	जॉज अज जानिव महकमा
Deposition	कथन, साक्ष्य	इजहार
Descendant	वशज	औलाद

Desertion	पलायन, त्याग	फरारी
Devolve	हस्तान्तरित होना	एक से दूसरे के पास पहुँचना
Dilatory plea	अभियोग निर्णय में विलम्ब वाला कारणोत्तर, विलम्बकारी कारणोत्तर	उज्र जो बायस तबक्कुफ मुकदमा हो
Disclaimer	अधिकार अस्वीकृति	इनकार दावे से
Discontinuous easement	अनविरत सुखाधिकार	इक इस्तेफादा गैर मुसलसल
Discretionary power	विवेकाधीन अधिकार	इख्तियार तमीज
Dishonest misappropriation of property	वेजा कुटिलता से सम्पत्ति का दुरूपयोग	बदद्यानती से माल का तसर्फ
Dishonour	अपमानित करना	वेइज्जत करना
Dismiss	निरसन करना, विसर्जित करना	वरखास्त करना, खारिज करना
Dismissal for default	अनुपस्थिति या अवहेलना के कारण निरसन	इरवराजी बअदम हाजिरी
Dispauper	निर्धनता अस्वीकार करना	मुफलिसी ना मजूर करना
Dispossession	अधिकार हरण	वेदखली
Disprove	असत्य सिद्ध करना	तरदीद करना
Dissolution of marriage	विवाह विच्छेद	इनफिसाख, तलाक
Dissolution of partnership	सहकारिता भङ्ग, साभ्ना टूटना	इनफिसाख शिरकत
Distant-kindred	दूरस्थ संबन्धी, बान्धव	रिशतेदारान
District Judge's court.	मंडल न्यायाधिकारी का न्यायालय	जिला जज की अदालत
District Magistrate	दंड मंडलाधिकारी	मजिस्ट्रेट जिला
Division bench	न्याय उपमंडल	चंद हाकिमों की बेंच
Divorce Act	विवाह विच्छेद विधान	कानून तलाक
Document	लेख्य पत्र	दस्तावेज
Documentary evidence	लेख्य साक्ष्य	शहादत तहरीरी
Dominant heritage	प्रमुख अधिपत्य	इकीयत गालिन

Donee	दान गृहीता, आदाता	मिक्के डिल, डिग का
Donor	दाना	दिवा करने वाला
Dower	स्त्रीधन	महर, दहेज
Dowry	स्त्रीधन	दहेज
Draft	प्राथमिक नोट, गड्डिनिय	मुसविदा, खाना
Duly stamped	उचित शुल्क युक्त	जानना न्याय मुक्त
Duplicate	द्वितीय प्रति	मुसय
Duress	बन्धन	झूठ
Dying declaration	मृत्यु कालीन कथन	शरवज क्तोतुलमर्ग का बयान
I		
Earnest money	सत्यकार, अग्रिम द्रव्य	जेर वातना, जेरे पेशगी माई
Earnings	उर्पाजन, आय	आमदनी, कमाई
Easement	सुखाधिकार, व्यवहार- * स्वत्व	हक आसायश
Easement of necessity	आवश्यक सुखाधिकार	हक आसायश जरूरी
Easement Act	सुखाधिकार विधान	कानून हक आसायश
Egress	निर्गमन, बहिर्गमन	बरामद, निकास
Eject	अधिकारच्युत करना, निष्कासन करना	वेदखल करना, निकाल देना
Ejectment	निष्कासन	वेदखली, कब्जा हटाया जाना,
Election	निर्वाचन	इन्तखाब, चुनाव
Election petition	निर्वाचन-अभियोग	दरखवास्त शिकायत
Electorate	निर्वाचक जन	गुतअल्लिक इन्तखान
Elopement	विवाहिता स्त्री का पर पुरुष के साथ भाग जाना, शुभ पलायन	इन्तखाब कुनिन्दगान विवाहित औरत का दूसरे आउमी के साथ राजी हो कर छिप कर भाग जाना
Embezzlement	प्रमत्तण, धरोहर को अनु- चित रूप से अपने काम में लाना, न्यास-ग्रसन	खयानत, शयन,

Empanel	पंचो की सूची में नाम चढ़ाना	जूरी का नाम फेहरिस्त में दर्ज करना
Empower	अधिकार देना	हस्त्यार देना
Enactment	विधान, व्यवस्थापन	आर्डिन, कानून, ऐक्ट बनाना
Encroach	अतिक्रमण करना, अनधिकार प्रवेश करना	मदाखलत करना, दस्त- दराजी करना, दूसरे का हक दबा लेना
Encroachment	अनधिकार प्रवेश, अति- क्रमण, अनधिकार हस्तक्षेप	मदाखलत, दस्तदराजी
Encumbrance	भार	मुवाखजा, वार
Endorsement	पृष्ठ पर हस्ताक्षर या लेख, उत्तरोपरि लेख	इवारत जुहरी, तहरीर जुहरी
Endowment	विशेष कार्यार्थ नियोजित सम्पत्ति, दान	खास गरज के लिये दी हुई जायदाद, वक्फ
Enforce	प्रचलित करना, अवर्तित करना	नाफिज या जारी करना
English mortgage	आंग्ल बन्धक	रहन इंग्लिशिया, रहन अंग्रेज़ी
Enhancement	बढ़ोतरी, वृद्धि	इजाफ़ा
Entice	प्रलोभन देना, पथ भ्रष्ट करना	तरगीब देना, फुसलाना, बहकाना
Equitable mortgage	स्वत्व-लेखाधान द्वारा बन्धक	रहन बजरिये दास्तावेजात हक्कियत
Equity	स्वभाविक न्याय, प्राकृ- तिक न्याय, न्याय नीति	अदल, इन्साफ
Equity, justice and good conscience	न्यायधर्म तथा सदाचार (के अनुकूल)	(मुताबिक उलूस) अदल इन्साफ व नेकनियती
Equity of redemp- tion	बन्धक मोचनाधिकार	हक इनफिकाक, रहन की हुई जायदाद को छुड़ाने का हक
Estate with limited interest	परिमिताधिकार युक्त सम्पत्ति	जायदाद बइस्तहकाक महदूद
Estoppel	पूर्व कथन के विरुद्ध कहने की शक, प्रतिबन्ध	माने तकररीर मुख्तालिक

Evidence	साक्ष्य, प्रमाण	शहादत, सबूत
Evidence Act	साक्ष्य विधान	कानून शहादत
Examination in chief.	साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्ष के प्रश्न, साक्ष्यार्थी प्रश्न	सवाल फरीक अन्वल, शहादत पेश करने वाले के सवाल
Exception	छूट, अपवाद	मुस्तसना, इस्तसना
Excise	१—मादक-द्रव्य-शुल्क २—मादक-द्रव्य-विभाग	१—मुनश्शी अशियाय का महसूल, २—महकमा जानकारी
Excommunication	जाति से बाहर करना, बहिष्कार, समाज च्युति	जात से खारिज करना
Exccute	१—निर्वाह, सम्पादन करना २—फासी देना	तकमील करना, बजा लाना
Execution	१—निर्वाह, सम्पादन २—प्राण-दण्ड	१—इजरा, तकमील, २—फासी
Exhibit	१—प्रदर्शित वस्तु, प्रादृश्य २—प्रदर्शित करना, प्रकट करना	१—दस्तावेज या कोई शय जो अदालत में पेश हो २—निशान, निशानी
Exile	देश निकाला, निर्वासन	जलावतन
Ex-officio	अधिकारतः, अधिकार जन्य	ब ऐतबार ओहदा
Ex-parte	एक पक्षीय	यकतरफा
Exparte decree	एक पक्षीय स्वत्व निर्णय	यकतरफा डिक्री
Expert evidence	विशेषज्ञ का साक्ष्य	माहिर की शहादत
Explanation	१—व्याख्या २—उत्तर	१—तौजीह, तशरीह, २—जवाब
Expropriatory	स्वामित्व-च्युत	साकितुल्मिल्कियत
Expropriatory tenant	स्वामित्व-च्युत कृषक	आसामी साकितुल्मिल्कियत
Extention of time	काल वृद्धि	तौसीह मियाद
Extortion	बलात ग्रहण	इस्तैहसाल विलजब
Extra judicial	विधि बाह्य, अधिकार वदिमूर्त, व्यवस्था विरुद्ध	खारिज अज्ञ जाता. वेकायदा
Eye-witness	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी	गवाह चश्मदीव

Fabricating evidence	false	कूट प्रमाण निर्माण करना, कपट साक्षी करण	भूठी शहादत बनाना
Fact		घटना, विषय	अम्र, वाक्या, वात
Fact in issue		वाद ग्रस्त विषय, वाद विषय, वाद हेतु विषय	वाक्या तनकीह तलत्र
Factum Valet		अंसगत कार्य प्रतिवादन	जवात्र अम्र मौक्या
False accusation		मिथ्या दोषारोपण,	भूठा इलजाम लगाना
False evidence		परोक्त दोष, मिथ्या साक्ष	भूठी गवाही
False imprisonment		अवैध काराबन्द	कैद विला अख्यार कानूनी के
False personation		कपट रूप धारण करना	गैर शखर बनना
Falsification of account		भूठा लेख बनाना	भूठा हिसाब बनाना
Federal government		सयुक्त राज्य, सघ शासन	सलतनत मुत्तहिदा
Felony		गुरु तर अपराध, भारी अपराध	जुर्म कबीरा
Fictitious		काल्पनिक,	फर्जी
Fiduciary relation		न्याय सम्बन्ध	ताल्लुक अमानती
Final decree		अन्तिम स्वत्व निर्णय	डिक्री कतई
Foreclosure		बन्धक-मोचनाधिकार-लोपन	सकूत इस्तहकाक इनफिकाक रहन, रहन छुड़ाने का हक जायल होना तजवीज रियासत गैर जवती
Foreign judgment		परराष्ट्र निर्णय	
Forfeiture		अधिकार हरण, अपहार, राज्य द्वारा अपहरण	
Forged document		कूट लेख	जाली दस्तावेज
Forgery		कूट रचना, कपट परिवर्तन	जालसाजी
Frame of suit		वाद-रचना	तरतीब नालिश
Framing of charge		दोषपत्र निर्माण करना	फर्दकरारदादजुर्म लगाना
Framing of Issues		वाद विषय निर्णय निर्णय योग्य विषय	तनकीहात कायम करना
Fraud		विभाजन प्रतारण, कपट	फरेब, चालवाजी

Freehold	करहीन भूमि, निष्कर भूमि	जागीर, मुआफ़ी
Frivolous and Vexatious complaint	मिथ्या तथा त्रासहेतु अभियोग	नालिश बगरज ईजा रसानी
Full bench	पूर्ण न्याय मंडल	इजलास कामिल

G

Gamb'ing Act	द्यूत विधान,	कानून किमार बाजी
Garnishee	ऋणी का ऋणी	मदयून का मदयून
Gema'ogy	वंशावली, वंश वृत्त	शिजराउल नसब, पुस्तनामा
General Clauses Act	बहु प्रसुक्त वाक्य विधान, साधारण वाक्यांश विधान	कानून इब्रारत आला
General power of attorney	अनेक विषयाधिकार पत्र सर्वाधिकार पत्र	मुख्तार नामा आम
Generation	वंश, पीढ़ी	पुरत
Gift	दान	शयमौहूत्रा, हिवा
Giving false evidence	मिथ्या साक्ष देना	भूठी गवाही देना
Goodbehaviour	सदाचार, सद्ब्यवहार	नेकचलनी
Good consideration	योग्य प्रतिफल	बदल जायज
Good faith	सद्भावना,	नेकनियती
Goodwill	ख्याति	नेकनामी, साख
Government of India Act	भारतीय शासन विधान	कानून हुक्मत हिन्द
Government pla- der	राजकीय अभिभाषक	सरकारी वकील
Grant	१—वृत्ति २—दान-पत्र, ३—प्रदान करना	१—अतीया, इमदाद नकदी २—सनद ३—देना
Gratuity	अवसर-काल-प्राप्त-पारि- तोषिक	इनाम
Grave and sudden provocation	अत्यन्त आकस्मिक क्रोधा- वेश	सख्त वनागहानी इश्तअल तवा
Grievous hurt	कठोराघात	ज़रब शदीद
Gross negligence	घोर असावधानी, भारी प्रमाद	गफलत शदीद

Grounds of appeal	विवादाधार	मूजवात अपील
Grove-holder	उपवनाधिकारी	काविज वाग, वागदार
- Guarantee, Guar- anty	प्रतिभू	जमानत
Guardian ad litem	अभियोगार्थ अभिभावक वादार्थ अभिभावक	वली दौरान मुकदका
Guilty	दोषी, अपराधी	मुजरिम, कमूरवार

H

Harbouring offenders	अपराधी को आश्रय देना	पनाहदिही मुजरिमान
Hearsay evidence	जनश्रुति-साक्ष्य	शहादत समाई
Heirs-at-law	विधिविहित उत्तराधिकारी	वारिस कानूनी
Hereditary	पैतृक, आनुवंशिक, पर- म्परागत	मौरूसी
Heresy	१—धार्मिक मतभेद, २—मतविरुद्धता	१—मजहब की उसूली गलती २—दीन से गुमराही
High Court	सर्वोच्च न्यायालय	सदर अदालत, हाईकोर्ट
Hire-purchase- system	निश्चित अंशों में मूल्य लेकर विक्रय-रीति	तरीभा फरोख्तगी माल बजरिये किराया
Homicide	नर हत्या, मनुष्य बध	कत्ल इन्सान
Honorary Magis- trate	अवैतनिक दंड-न्यायाधीश	आनरैरी मजिस्ट्रेट
Hostile witness	विरुद्ध साक्षी	मुखालिफ गवाह
House search	गृह अन्वेषण	खाना तलाशी
House trespass	अनधिकार गृहप्रवेश	मदाखिलत बेजा बखाना
Hypothecation	गिरवी, बन्धक	इस्तगराक

I

Identification	अभेद-प्रतिपादन, चिन्हत- करण	शिनाखत, पहिचान
Ignorance of law	विधान-अज्ञता	उज्र नावाकफियत कानूनी
Illegal	न्याय विरुद्ध, अवैध	नाजायज, खिलाफ कानून
Illegitimate	१—जारज, २—अवैध	गैर सहीउल नस्ल, नाजायज
Illicit intercourse	अवैध संसर्ग, अगम्यागमन	ज़िमाअ नाज़ायज

Immaterial	अनावश्यक, महत्वहीन	गैर अहम
Immemorial usage	स्मरणहीन आचार	रिवाज कदीम
Immoral purpose	अनैतिक हेतु अशिष्ट उद्देश्य	गरज खिलाफ तहजीब
Immovable property	स्थायर सम्पत्ति	जायदाद गैर मनकूला
Implead	अभियोग चलाना	इस्तगाला या नालिश करना
Implied	मानवी, उपलब्धित गर्भित	मतलब
Impound a document	नंशयान्मक लेख का न्याया- लय में निरुद्ध रखना	दस्तावेज का अदालत की तहवील में रखना
Imprisonment	क रागार, कारावास	कैद, हक्स, जेल-खाना
Impugn	प्रतिवाद करना विरोध करना	तरदीद करना
Incapacity	अमामूर्य, अक्षमता	नाकाबलियत
Income-tax	आयकर	महसूल आमदनी
Indefeasible	जा मिटाया न जा सके, अलोपनीय	नाकाबिल इनफिसाख व जवाल
Indemnity bond	क्षतिपूर्तिपत्र, पारिहीणिकपत्र	अवरानामा, जोखम-नामा
Indian Penal Code	भारतीय दंड सग्रह, भारतीय दंड विधान	मजमुआ ताजीरात हिन्द
Inequitable	न्यायविरुद्ध	खिलाफ मादलत, खिलाफ इन्साफ
Infringement of right	स्वत्व या अधिकार में हस्त- क्षेप करना	किसी के हक में दस्तन्दाजी करना
Ingress	पैठ, प्रवेश	रसाई, वारयाबी, दाखिल होना
Inherent powers	स्वाभाविक अधिकार, अन्तवर्ती अधिकार	इख्त्यारात लाहक
Inheritable	उत्तराधिकारोपभोग्य	काबिल हर्स
Inequity	अन्याय	वैइन्साफी
Injunction	निषेधाज्ञा	हुकम इम्तनाई
Injustice	अन्याय	वैइन्साफी
Innuendo	वक्तोक्ति	फिकरा तौहीनी
Inquest	अन्वेषण	तहकीकात अदालती
Inquiry	अन्वेषण, निरूपण, समीक्षा	तहकीकात

Insolvency Act	ऋण परिशोध-विधान	कानून देवालिया
Instigator	उकसाने वाला, उत्तेजक	तरगीत्र देने वाला, बहकाने वाला
Intercourse	१—संसर्ग, समागम, २—सम्मिलन, पारस्परिक सम्बन्ध, ३—पत्र व्यवहार	१ हमबिस्तरी २—राहरस्म, मुलाकात, मेलजोल, ३—मरासलत बाहमी
Interim order	मध्यवर्ती आज्ञा	हुकम दरमयानी
Interpleader suit	अनेक प्रतिवादियों के पारस्परिक विरोध-निर्णय सम्बन्धी वाद	नालिश तश्फिया वैन उल मुतनाज़्जिन
Investigate	खोजना, अनुसंधान करना	तफ्तीश करना, जाँचना
Ipsso facto	स्वभाव सिद्ध, स्वयमेव	वनफसही, अपने आप
Irrelevant facts	असम्बन्ध बातें, अप्रासंगिक विषय	व क़यात गैर मुताल्लका
Irrevocable	अपरिवर्तन, अखंडनीय वाद	नाकाबिल तनसीख या तरदीद
Issue	विषय, वादग्रस्त विषय, विचार्य विषय	तनकीह अम्रतनकीह तलब,
J		
Joinder of causes	अनेक अभियोग, वाद योग्य विषयो को सम्मिलित करना	इश्तमाल विनाय हाथ
Joinder of charges	दोष-एकत्रीकरण	इल्जामात का शमूल
Joint family property	सयुक्त कुटुम्ब सम्पत्ति	जायदाद खानदान मुश्तरका
Joint ownership	सयुक्त स्वामित्व	मिलकियत मुश्तरका
Judge	न्यायाधीश, निर्णायक	जज, मुसिफ, हाकिम अदालत
Judgment	निर्णय	तजवीज, फेसला
Judgment-creditor	न्याय-पत्रधारक, स्वत्व निर्णय-प्राप्त कर्ता	डिक्रीदार
Judgment debtor	निर्णीत ऋणी	मदयून डिक्री
Judicial enquiry	न्यायालय सम्बन्धी अन्वेषण	तहकीकात अदालती
Judicial proceeding	न्यायालय कार्यवाही	कार्रवाई अदालती

Jurisdiction	अधिकार क्षेत्र, अधिकार सीमा	इलाका अख्त्यार समात, अख्त्यार समात
Jury	पञ्च, पचमडल, न्यायाधीश के परामर्शदाता, न्याय सभ्य	मुशीर
Justice, equity and good conscience	न्यायधर्म तथा सदाचार (के अनुकूल)	(मुताबिक उसूल) अदल इन्साफ व नैकनीयती
Keeping the peace	शान्ति रखना	अमन कायम रखना
Kidnapping	मनुष्यापहरण, मनुष्या-पनयन	इन्सान के ले भागना
Kindred	सम्बन्धी, सगोत्र, आत्मीय	रिश्तेदार, नातेदार
Laches	अनुचित विलम्ब, असावधानी अवहेलना, उपेक्षा	तसाहुल, गफलत, बेपरवाही
Land Acquisition Act	भूप्राप्ति विधान	कानून हुसूल आराज़ी
Landholder, } Landlord }	क्षेत्रपति, भूस्वामी	ज़मीदार
Land tenure	जेत-स्वत्व-पद्धति, कर्षण अधिकार	तरीका कब्जा जायदाद
Larceny	चोरी स्तेय	सिरका
Latent ambiguity	निगूढ़ संदिग्धार्थ	इब्रहाम खफी
Law	नियम, विधान, राजनियम	आईन, कानून
Law report	न्याय समाचार-पत्र, न्यायो-दाहरण पत्रिका	नजायर कानूनी
Lawful	न्याय सगत, वैध, विधिविहित, शास्त्रविहित	जायज कानून के मुताबिक
Lawyer	न्यायज्ञ, अभिभाषक, न्याय-शास्त्रज्ञ, विधिवक्ता	कानूनदॉ. वकील, कानून जानने वाला
Leading question	उत्तर सूचक प्रश्न, साकेतिक प्रश्न	सवाल मवसुल मकसूद, दशारा आमेज सवाल
Lease	टेका, पट्टा	इजारा
Legal disability	वैधानिक अक्षमता, अयोग्यता	कानूनी नाकाबलियत
Legal necessity	वैधानिक आवश्यकता, न्यायोचित आवश्यकता	जरूरत कानूनी

Legal Practitioner's Act	अभिभाषक विधान	कानून अशखास-कानून-पेशा
Legal representative Legatee	न्यायेक्त प्रतिनिधि मृत्युपत्र हिताधिकारी, उत्तराधिकारी	कायम मुकाम कानूनी मोहूबइलेह वसीयती
Legislation	नीतिस्थापन, व्यवस्था निर्माण	कानूनसाजी, कानून बनाना
Legislature	व्यवस्थापिका सभा	मजलिस वाज आन कानून कानून बनाने वाली जमात
Legitimate	१-न्याय्य, विधि-अनुसार, २-उचित, ३-अरिस वास्तविक	१-मुताबिक उमूल कानून, जायज २-वाजिब, मुनासिब ३-सदी उलनस्त्र,
Lessee	पट्टाधारी, अधिकारवाहक	इजारेदार, ठेकेदार, पट्टादार
Lessor	पट्टादाता, अधिकारदाता	इजारादेहिन्दा, ठेका देहिन्दा
Letters of administration	मृतक-सम्पत्ति प्रबन्ध, प्रबन्धक पत्र	चिठियात एतमामतर्का
Letters patent	राजकीय लेख, राजकीय आज्ञापत्र	फरमानशाही, सनद
Liability	दायित्व, उत्तरदायित्व	जिम्मेदारी
Libel	१-निन्दात्मकलेख, २-निन्दा	१-तौहीन तहरीरी २-तौहीन
License, } Licence }	१-अनुमतिपत्र	१-इजाजत, सनद २-इजाजत नामा, सनद
Lien	विशेष अधिकार, बाञ्छित स्वत्वपूर्ण होने तक अधिकार	हककिफालत
Life estate	आजीवन स्वामित्व	मिल्कियत जो किसी के ज़िन्दगी तक रहे
Limitation	समयावधि, मर्यादा, सीमा, प्रतिबन्ध	मियाद, कैद
Limitation Act	अवधि विधान	कानून मियाद
Limited Company	संघ जिसमें उत्तरदायित्व परिमित हों	महदूद जिम्मेदारी की कम्पनी
Limited interest	सीमित स्वत्व	इस्तहकाक महदूद

Limited owner	परिमित अधिकार युक्त- स्वामी, परिमित स्वामी	मालिक बइस्तहकाक महदूद
Liquidator	ऋणपरिशोध प्रबन्धक, परिसमापक पद धिकारी	वह ओहदेदार जो हिसाब तय करने के लिये मुकर्रर हो, कर्जा चुकाने वाला ओहदेदार
Litigation	अभियोग, वाद विवाद	मुकदमावाजी
Local custom	स्थानीय रीति, देशाचार	रिवाज मुकामी
Local Government	स्थानीय शासन	मुकामी गवर्नमेन्ट
Local usage	देशाचार	रिवाज मुकामी
Locus standi	हस्तक्षेप अधिकार,	ऐतराज करने का हक
Lower Court	निम्नविा रालय, अधीनस्थ न्यायालय	अदालत मातहत
Lunatic	उन्मत्त, विक्षिप्त	दीवाना, पागल
Lurking trespass	house गुप्तरीति से अनुचित गृहप्रवेश चौर्य प्रवेश	मखफी मदाखलतवेजा बखाना
M		
Magistrate	दंडन्यायाधीश, दंडनायक पुरशासक	मजिस्ट्रेट
Maintenance	१—भरण पोषण, अभि- योग प्रतिपादन २—असम्बद्ध	१—परवरिश, वजीफा, नाननफ का गुजारा २—गैर ताल्लुक मुकदमे को चलाना
Major	युवा, पूर्ण वयस्क, सज्ञान	बालिग
Majority	१—सज्ञानता, पूर्ण वय स्कता युवावस्था २—बहुमत	१—सिने बलूग, २—कसरत राय
Maladministration	कुशासन	बदनज़मी, बदइन्तजामी
Malafide	दुर्भावपूर्वक प्रवञ्चना-पूर्वक	बदनियती से
Malice	द्वेष, वैमनस्य,	हसद अदावत, कौना, डाह
Malicious	prosec- ution द्वेषमूलक अभियोग, अभि- शसन	इस्तगासा बगरज ईमारसानी
Manager	प्रबन्धक, कर्ता, व्यवस्थापक	मोहतमिम, मुन्तजिम
Mandamus	उच्च न्यायालय का आदेश, नियोग	हुक्म नामा

Mandatory injunction	न्यायालय का निषेधादेश नियोगीय निषेधाज्ञा	हुकम ताक़ीदी, हुकम इस्तनाई
Marriage	बिवाह	इज्दवाज, शादी
Marshalling of securities	प्रतिभू निस्तार क्रम	तरतीब वमूल जरेकिफालत
Matrimonial	विवाह सम्बन्धी, वैवाहिक	इज्दवाज के मुताल्लिक
Maturity of bill of exchange	हुडी चुकाने की तिथि	हुडी के रुपये चुकाने की तारीख
Memorandum of appeal	विवादार्थ निवेदन, विवाद- स्मरण-पत्र	याद्दाश्त अपील
Memorandum of association	संस्था का व्यावहारिक स्मरण-पत्र	याद्दाश्त शराकत
Merits of the case	अभियोगस्थिति	रुयेदाद मुकदमा
Miscellaneous profits	अतर्गत लाभ, अंतरभूत लाभ	वासलात
Metes and bounds	सीमा आदि द्वारा विभाजन	हिस्ता वजरिये पैजायरा ब्रहदूद के
Minor	१—अज्ञान, अप्रौढ अवयस्क, अप्राप्त वयस्कता २ - छोटा, लघु, अल्प	१—नाबालिग २—उफीफ, कमतर, अदना
Minority	१ - अवयस्कता, बाल्या- वस्था, अप्राप्त वयस्कता, २ - न्यूनता, अल्पता	१—नाबालिगी २—कमी
Misappropriation	दुरुभ्योग, प्रमत्तण, अनि- र्दिष्टभोग, दुःविनियोग	तसरुफ वेज़ा
Miscarriage of justice	अन्याय	नाइन्साफी
Misconduct	दुराचार, कुबाल, अनुचित आचरण	बदवजई, बदचलनी
Misjoinder of causes of action	अयुक्त अभियोग कारणों का सम्मिश्रण करना	इश्तमाल बेजा विनाय हाय दावी
Misjoinder of parties	असम्बद्ध पक्षाकार-समावेश	इश्तमाल बेजा फरीकैन
Misrepresentation	भ्रान्त कथन, मिथ्या प्रदर्शन	शलत बयानी
Mortgage	बन्धक	रहन, गिरवी
Mortgage by conditional sale	होड़ी, बन्धक, सप्रतिज्ञ क्रय बन्धक, सोपाधिक बन्धक	रहन बय विल वफा

Mortgagee	गिरो रखने वाला, बन्धक ग्रहीता	मुर्नहिन जिसके पास गिरवी रखा जाय
Mortgagor	बन्धक करने वाला, बन्धक दाता	राहिन, गिरौ करने वाला
Movable property	अस्थावर सम्पत्ति, जगम सम्पत्ति, चल सम्पत्ति,	जायदाद मनकूला
Movables	जंगम सम्पत्ति, चल सम्पत्ति	माल मनकूला
Multifariousness	अयुक्त सग्मिश्रण, अमित सग्मिश्रण	इस्तमाल वेजा
Murder	हत्या, घात, वध	कत्ल, अमद, खून
Mutation of names	नामपरिवर्तन, नामान्तर	दाखिल खारिज, तब्दील नाम
Mutual account	पारस्परिक लेखा	हिसाब वाहमी

N

Necessary party	आवश्यक पक्षकार, आव-श्यक पक्षव्यक्ति	फरीक लाजमी
Necessity	आवश्यकता	जरूरत
Negligence	असावधानी, उपेक्षा, प्रमाद	शफलत, वेपरवाही
Negotiable instru- ment	क्रय-विक्रय-योग्य पत्र	दस्तावेज काविल वै व शरा ,, ,, खरीद व फरोखत
Negotiable Instru- ment Act	क्रय विक्रय योग्य लेखा विधान	कानून दस्तावेजात काविल वै व
Net profit	शुद्ध लाभ	मुनाफा खालिस
Next friend	इष्टमित्र, व्यवहार-प्रतिनिधि	रफीक
Nonapparent easce- ment	अव्यक्त सुखाधिकार, अप्रकट सुखाधिकार	हक इस्तफादाये वातबी
Non appealable	विवाद अयोग्य, अविवादा-नीय	नाकाविल अपील
Nonbailable offence	अप्रतिभाव्य अपराध	जुर्म नाकाविल जमानत
Noncognizable offence	रक्षक अग्राह्य अपराध हस्तक्षेप-अयोग्य अपराध	जुर्म नाकाविल दस्तन्दाजी पुलिस
Nonjoinder of pai- ties	पक्षकार ऐकत्र भाव	अदम इस्तमाल फरीकैन
Not guilty	निर्दोष	वेजुर्म

Mandatory injunction	न्यायालय का निपेधादेश नियोगीय निपेधाजा	हुक्म ताकीदी, हुक्म इम्तनाई
Marriage	बिवाह	इज्दवाज, गादी
Marshalling of securities	प्रतिभू निस्तार क्रम	तरतीब वगुल जरेकिफालत
Matrimonial	विवाह सम्बन्धी, वैवाहिक	इज्दवाज के मुताल्लिक
Maturity of bill of exchange	हुडी चुकाने की तिथि	हुडी के रुपये चुकाने की तारीख
Memorandum of appeal	विवादार्थ निवेदन, विवाद- स्मरण-पत्र	याद्दारत अपील
Memorandum of association	संस्था का व्यावहारिक स्मरण-पत्र	याद्दाश्त शराकत
Merits of the case	अभियोगस्थिति	रुयेगद मुकदमा
Meane profits	अतर्गत लाभ, अंतरभूत लाभ	वासलात
Metes and bounds	सीमा आदि द्वारा विभाजन	हिस्सा वजरिये पैजायश बहदूद के
Minor	१—अज्ञान, अप्रौढ अवयस्क, अप्राप्त वयस्कता २ - छोटा, लघु, अल्प	१—नात्रालिग २—उफीफ, कमतर, अदना
Minority	१ - अवयस्कता, बाल्या- वस्था, अप्राप्त वयस्कता, २ - न्यूनता, अल्पता	१—नात्रालिगी २—कमी
Misappropriation	दुरुभ्योग, प्रमत्तण, अनि- दिष्टभोग, दुःविनियोग	तसरुफ वेजा
Miscarriage of justice	अन्याय	नाइन्साफी
Misconduct	दुराचार, कुनाल, अनुचित आचरण	बदवजई, बदचलनी
Misjoinder of causes of action	अयुक्त अभियोग कारणों का सम्मिश्रण करना	इश्तमाल वेजा विनाय हाथ दावी
Misjoinder of parties	असम्बद्ध पक्षाकार-समावेश	इश्तमाल वेजा फरीकैन
Misrepresentation	भ्रान्त कथन, मिथ्या प्रदर्शन	गलत बयानी
Mortgage	बन्धक	रहन, गिरवी
Mortgage by conditional sale	होड़ी, बन्धक, सप्रतिज्ञ क्रय बन्धक, सोपाधिक बन्धक	रहन बय त्रिल वफा

Mortgagee	गिरों रखने वाला, बन्धक ग्रहीता	मुर्तहिन जिसके पास गिरवो रखा जाय
Mortgagor	बधक करने वाला, बन्धक दाता	राहिन, गिरौ करने वाला
Movable property	अस्थावर सम्पत्ति, जगम सम्पत्ति, चल सम्पत्ति,	जायदाद मनकूला
Movables	जंगम सम्पत्ति, चल सम्पत्ति	माल मनकूला
Multifariousness	अयुक्त सभिमश्रण, अमित सभिमश्रण	इस्तमाल बेजा
Murder	हत्या, घात, बध	कत्ल, अमद, खून
Mutation of names	नामपरिवर्तन, नामान्तर	दाखिल खारिज, तब्दील नाम
Mutual account	पारस्परिक लेखा	हिसाब वाहमी
N		
Necessary party	आवश्यक पक्षकार, आव- श्यक पक्षव्यक्ति	फरीक लाजमी
Necessity	आवश्यकता	जरूरत
Negligence	असावधानी, उपेक्षा, प्रनाद	गफलत, बेपरवाही
Negotiable instru- ment	क्रय-विक्रय-योग्य पत्र	दस्तावेज काबिल बै व शरा " " खरीद व फरोखत
Negotiable Instru- ment Act	क्रय विक्रय योग्य लेखा विधान	कानून दस्तावेजात काबिल बै व
Net profit	शुद्ध लाभ	मुनाफा खालिस
Next friend	इष्टमित्र, व्यवहार-प्रतिनिधि	रफीक
Nonapparent ease- ment	अव्यक्त सुखाधिकार, अप्रकट सुखाधिकार	हक इस्तफादाये बातवी
Non appealable	विवाद अयोग्य, अविवाद- नीय	नाकाबिल अपील
Nonbailable offence	अप्रतिभाव्य अपराध	जुर्म नाकाबिल जमानत
Noncognizable offence	रक्षक अग्राह्य अपराध हस्तक्षेप-अयोग्य अपराध	जुर्म नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस
Nonjoinder of par- ties	पक्षकार ऐकत्र भाव	अदम इस्तमाल फरीकैन
Not guilty	निर्दोष	बेजुर्म

Notice	१—विज्ञप्ति, सूचनापत्र, विज्ञापन २—ध्यान	१—नोटिस, इत्तला, इत्तला नामा २—तवज्जुह
Nucleus	१—केन्द्र, अन्तर्गर्भ २—असली पंजी मूलाश	१—मरकज, वीच २—इन्तदाई सरमाया
Nuisance	दुखदाई, हानिकारक, उपद्रव	अम्र बाइस तकलीफ .
Nullity of marriage	विवाह निरर्थकता	इज्दवाज कलादम होना
()		
Oath	सौगन्ध, शपथ	हलफ, कसम
Oaths Act	शपथ विधान	कानून हलफ
Obiter dictum	विचारक का आप्रासतीक गत, मरणोत्तर समीक्षा	राय जज निस्वत किसी अम्र के जो मुताल्लिक फैसला मुदकमा न हो
Objection	आक्षेप, आपत्ति	उम्र, एतराज
Oblation to the dead	पिंडदान	
Obsolete	अप्रचलित, अप्रयुक्त	गैर मुरव्वज
Occupancy right	भोगाधिकार स्वत्व, स्थाई भोगाधिकार	हक दखीलकारी
Octroi	नगर प्रवेश-कर, नगर शुल्क	चुगी
Offence	अपराध	जुर्म
Official assignee	ऋणपरिशोध-प्रबन्धक नियुक्तऋण-शोधक	ओहदेदार सरकारी वास्ते एहतमाम जायदाद दीवालिया
Official liquidator	नियुक्तऋण-शोधक	इंसरिम सरकार
Officiating	स्थानापन्न	कायम मुकाम, ऐवजी
Offspring	१—सन्तान २—परिणाम, फल	१—ओलाद, बालबच्चे २—नतीजा
Omission	१—भूल, चूक, त्रुटि २—तर्क, त्याग	१—फरो गुजाश्त
Onerous bequest	उत्तरदान, जिसमें लाभ की उपेक्षा दायि व अधिक हो	वसीअत जिसमे जिम्मेदारिया बमुकाबले नफा के ज्यादा हों
Onerous gift	भारात्मक दान, दुर्वहदान	जेरवार करने वाला हिवा
Onus	भार, दायित्व	वार
Opposite party	विपक्षी, उत्तरपक्ष	फरीक सानी

Order of adjudication	वाचिक, मौखिक ऋणशोधन-क्षमता की निर्णय आशा, ऋण-मोचना-शक्ति की आशा,	तकरीरी, जुवानी हुकम करारदाद देवालिया-दिवाले का हुकम
Ordinance	समय-विशेष-आवश्यक विधान, सामयिक विधान कल्प, समयादेश	आर्डिनेन्स, कानून सुल्त-सुल वक्त
Ordinary jurisdiction	साधारण अधिकार क्षेत्र	इख्तियार समात मामूली
Original jurisdiction	मूल-वाद अवस्थाधिकार	इख्तियार समात इब्तदाई
Ostensible owner	प्रकट स्वामी	मालिके जाहिर
Out law	१—विधान-रक्षण-ब्राह्म	१—वह शख्स जो कानून की हिफाजत से खारिज हो
Over rule	२—बटमार प्रत्यादेश करना	२—गृहजन, लुटेरा मुस्तरद करना, मंसूख करना, उलट देना
Overt act	प्रकट कर्म	जाहिरा फेल
Ownership	अधिकार, स्वामित्व	मिलिकियत
Owner's risk	स्वामी की जोखिम पर	मालिक की जिम्मेदारी पर
P		
Panel	पंचसूची, तालिका	फेहरिस्त जूरी
Paragraph	लेखाश, चरण, धारा	फिकरा
Parliament	प्रतिनिध सभा, व्यवस्था-पिका सभा	पार्लियामेन्ट
Parol, Parole	मौखिक प्रतिज्ञा	इकरार जवानी
Parol evidence	मौखिक साक्ष्य	शहादत जवानी
Part heard case	श्रुतांश अभियोग	जुजन समाग्रत शुदा मुकदमा
Part performance	आंशिक सम्पादन	जुजन तामील
Partible	विभाज्य	काविल तकसीप
Parties to the suit	वाद पक्षकार	फरीकैन मुकदमा
Partition	बटवारा, विभाजन	तकसीम
Partner	साथी, सहभागी	हिस्मेदार
Partnership Act	साथी विधान	कानून शराकत
Party	पक्षकार, दल	फरीक

Patent ambiguity	स्पष्ट सदिग्धता	इत्रहाम जली
Patents and Designs Act	आविष्कार तथा आकार के प्रमाणित कराने का विधान	ईजादो और नमूनों के मुस्तनद कराने का कानून
Patrimony	पैतृक सम्पत्ति	वपौती, तरका पिदरी
Pauper suit	निः शुल्क अभियोग	नालिश मुफलिसाना
Pawn	आधान, आधि	गिरवी
Pawnee	आधान रत्नक आधिग्राहि	जिसके पास माल या गइना गिरवो रखा जाय
Pawnor, pawner	आधाता, आधिकर्ता	गिरवी करने वाला
Payable on demand	माँगने पर चुकाने योग्य, दर्शनी (हु डी)	इन्दुलतलत्र वाजिबुलअदा
Payable to bearer	धनीजोग (हुं डी), वाहकदेय	हामिल के वाजिबुलअदा
Payable to order	नाम जोग (हु डी) आशानुसार देय	इस्तुल हुक्म वाजिबुलअदा
Pecuniary jurisdiction	आर्थिक विचाराधिकार	इखितयार समाअत बलिहाज मालियत
Pedigree	वंशानली	शजरा
Penal Code	दंडविधान, दंड संग्रह	मज मुआ ताजीरात
Penalty	दंड	तावान
Pendency	विचाराधीन अवस्था	दौरान
Per capita	प्रति व्यक्ति	फी कस
Per stripes	प्रति शाखा	फी शाख
Performance	सम्पादन	तामील
Perjury	मिथ्या शपथ, मिथ्या साक्ष्य	भूठी कसम
Perpetual injunction	स्थायी निषेधाज्ञा सर्वकालिक निषेधाज्ञा	हुक्म इम्तिनाई दवामी
Personal	निजी व्यक्तिगत	जाती
Personation	भेषधारण	दूसरा शख्स बनना
Petition	प्रार्थनापत्र निवेदन पत्र,	अर्जी दरखास्त
Petitioner	प्रार्थी, निवेदक	सायल
Pious obligation	पवित्र कर्तव्य	फर्ज़पाक
Plaint	वाद पत्र, अभियोगपत्र	अर्जीदावा
Plaintiff	वादी	मुद्दै

Plea	तर्क, प्रत्युत्तर	उज्र
Pleadings	उत्तर प्रत्युत्तर, पक्ष निवेदन	वयानात फरीकैन
Pledge	वधक, उपनिधि	गिरवी
Policy	क्षेमपत्र नीति	बीमा
Poll-tax	प्रति व्यक्ति कर	जज़िया, महसूल फी रास
Polyandry	बहुपतित्व	औरत का चन्द शोहर रखना
Polygamy	बहु पत्नीत्व	मर्द का चन्द बीभियाँ रखना
Possession	अधिकार, आधिपत्य	दखल
Post mortem examination	शवपरीक्षा, मृतदेह-परीक्षा	मरने के बाद लाश का मुआयना
Posthumous child	पित्र मरणोत्तर-जात शिशु	बच्चा जो बाप के मरने के बाद पैदा हो
Power of attorney	प्रतिनिधि-पत्र	मुख्तारनामा
Prayer for relief	प्रतिकार हेतु प्रार्थना	इस्तदुआ वास्ते दादरसी
Precept	आदेश	फरमान
Pre-emptiou	पूर्व क्रयाधिकार	हक शुफा
Pre-emptor	पूर्व क्रयाधिकारी	शफी
Preliminary decree	प्रारम्भिक न्यायपत्र	डिग्री इब्तिदाई
Preliminary enquiry	प्राथमिक अन्वेषण	तहकीकात इब्तिदाई
Preliminary objection	प्राथमिक आपत्ति	इब्तिदाई उज्र
Premature	अकालज, कच्चा	कब्ल अज़ वक्त
Prescriptive right	बहुकाल भोग जनित स्वत्वाधिकार	हक जो बचजह कदामत या शुदामद के हासिल हो
Presumption	अनुमान, धारणा	कयास
Preventive relief	निषेधात्मक प्रतिकार	दादरसी इम्तनाई
Prima facie	प्रत्यक्ष रूपेण, देखने में	बज़ाहिर
Primogeniture	ज्येष्ठाधिकार	जिठान्सी
Principal	प्रधान, मूलधन	खास, जर असल
Prisoner	बंदी	कैदी
Privacy	एकान्त	पोशीदगी
Privy Council	परमोच्च न्यायालय	प्रिवा कौंसिल
Procedure	विधि, रीति	जाव्ता
Process	आज्ञा, कार्यप्रणाली	हुकम नामा

Proclamation	ठद्-घोषणा	ऐलान
Pro forma	क्रमिक	तरतीबी
Prohibited degrees of relationship	विवाह वर्जित सम्बन्ध	रिश्तेदारी जिससे शादी ममनुअर है
Promissory Note	ऋण वचन पत्र	प्रोमिसरी नोट, रुक्का
Promoters	सचालक, सहायक	बानी, इम्दाद करने वाले
Prompt dove	प्रस्तुत स्त्रीधन	महर मअज्जल
Promulgation	प्रचार, प्रकाशन	मुश्तहरी
Proof	प्रमाण	सबूत
Proposal	प्रस्ताव	तजवीज
Proprietor	स्वामी	मालिक
-Prosecution	अभियोग	इस्तगासा
Prospectus	कार्यक्रम सूची	खुलासा हाल वास्ते इत्तिला
Prove	प्रमाणित करना, सिद्ध करना	साबित करना
Proviso	होड़, नियम	शर्त
Proxy	प्रतिनिधि	कायम मुकाम
Puberty	यौवन	सिने बलूग
Public	सार्वजनिक, जनता	आम
Public documents	राजकीय लेख्यपत्र	दस्तावेजु सरकारी
Public notice	सार्वजनिक विज्ञप्ति	इश्तहार आम
Public nuisance	सार्वजनिक अपकारक कृत्य	अम्रनायस तकलीफ आम
Public policy	राजनीति, जननीति	मसलहत आम्मा
Publication	प्रकाशन	शायी करना
Punishment	दंड	सजा

Q

Quash	खडन करना	मंसूख करना
Quasi contract	प्रतिज्ञा भास	मुआहिदा इस्तवाती
Quasi easement	आभासित सुखाधिकार	हक आसायश कयासी
Question of fact	घटना सम्बन्धी प्रश्न या तथ्य	वाकआती सवाल
Question of law	न्याय विषयक प्रश्न, वैधानिक प्रश्न	अम्र मुतअल्लिक कानून सवाल कानूनी,

R

Rape	बलात् भोग, बलात्कार	जिना विलज्ब्र
Rateable distribution	समानुपातिक विभाजन	तकसीम बहिस्सा रसदी

Ratification of contract	प्रतिज्ञा स्वीकृति या अनुमोदन	मुश्राहिदे का मजूर करना
Ratio	अनुपात	तनासुत्र
Real property	स्थावर सम्पत्ति	जायदाद गैरमनकूला
Reasonable apprehension	उपयुक्त आशका	माकूल शक
Reasonable and probable cause }	यथोचित तथा सम्भाव्य कारण	माकूल व मुम्किन वजह
Rebuttal	खंडन, प्रतिक्षेप	तरदीद
Receiver	उगाहने वाला, ग्रहणकारी	वसूल करने वाला
Reciprocal	पारस्परिक	बाहमी, आपस का
Record of rights	स्वत्व सूची	कागजात हकूक, खेवट
Rectification of instrument	लेख्य संशोधन	इसलाह दस्तावेज़
Redemption	बंधक मोचन	इन्फिक्रक रहन
Re-examination	पुनः प्रश्न	सवालात मुकरर
Reference	व्यवस्था हेतु प्रार्थना	इस्तसनाव
Refund	प्रतिदान	वापिसी, लौटा देना
Refund of fee	शुल्क प्रतिदान	वापिसी फीस
Registration	प्रमाणीकरण, पंजीयन	रजिस्ट्री करना
Rejoinder	प्रत्युत्तर	जवाबुल जवाब
Relevant facts	सम्बन्धित घटनायें	वाकआत मुत्तल्लिका
Religious endowments	धार्मिक दान	औकाफ मजहबी
Remand	पुनः प्रेषण	वापिसी
Rendition of account	लेखा देना	हिसाब देना
Rent	भाड़ा, कर	किराया, लगान
Repeal	खंडन, निरसन	मंसूखी
Representative	प्रतिनिधि	कायम मुकाम
Rescission of contract	अनुबन्ध निरसन	मंसूखी ठेका
Res judicata	पूर्वन्याय, निर्णीत विषय	निजा फैसल शुदा
Resolution	प्रस्ताव	तजवीज
Respondent	प्रति विवादी, उत्तरवादी	जवाबदेह

Restitution of conjugal rights }	वैवाहिक अधिकार की माग	मनालवा हुकूम ज़नोशोई
Restoration of suit	पूर्वावस्था में लाना	मुकदमा वाज व नम्बर
Retrospective effect	भूतकाल दर्शी प्रभाव अनुदर्शी प्रभाव	साधिका अमूर पर पड़ने वाला असर
Reverse	उलट देना	मंखूख करना
Reversioner	उत्तराधिकारी, उत्तर भोगी	वारिसे मात्राट
Review	पुनरावलोकन	तजवोजसानी
Revision	पुनर्निरीक्षण, पुनर्विचार	निगरानी
Revocation	खंडन, निरसन	इनफिमाख
Right of private defence	- निजरक्षाधिकार, आत्मरक्षा- धिकार	इस्तइकाक हिफाजत खुद इख्तियारी
Right of way	गमनागमन-अधिकार	हक ए-आमदरफ्त
Rigorous imprisonment	कठोर कारावास	कैद सख्त
Risk note	जोखम मोचन पत्र	दस्तावेज इशराय खतरा
Rule	नियम	कायदा
S		
Sale	विक्री, विक्रय	फरोख्त
Salvage	विक्रय पत्र	बयनामा
Sanction	स्वीकृति	मजूरी
Satisfaction	निपटारा, परिशोध, सतोष	अदायगी, चुकाना
Schedule	परिशिष्ट, सूची	जमीमा
Scribe	लेखक, लिपिक	कातिब दस्तावेज
Seal	छाप, मुद्रा	मुहर
Search warrant	अनुसंधानाज्ञा	वारन्ट तलाशी
Second appeal	द्वितीय विवाद	अपील दोयम
Secondary evidence	गौण साक्ष्य	शहादत मनकूली
Secured creditor	संप्रतिभू धनिक	कफील कर्जखवाह
Security	प्रतिभूति	जमानत
Security bond	प्रतिभूतिपत्र	जमानतनामा
Sedition	राजद्रोह	बगावत
Self acquired property	स्वोपार्जित सम्पत्ति	खुद की पैदा कदी जायदाद
Self defence	आत्मरक्षा	हिफाजत खुद इख्तियारी

Sentence	दंडाज्ञा	सजा
Sentence of death	मत्पुदंड	सजाय मौत
Service of summons	आवाहनपत्र पालन	तामील समन
Servient	अधीनस्थ	तावे
Sessions	सत्र-दंड-न्यायालय	अदालत सेशन
Set off	प्रतिपक्ष-देय-संतुलन	मुजरार्ई
Share-holder	भागधारक, अश भोगी	हिस्मेदार
Sharer	भागीदार (भागी)	हिस्सेदार
Signature	हस्ताक्षर	दस्तखत
Simple imprisonment	सरल कारावास	कैद सादा
Simple mortgage	साधारण बंधक	रहन सादा
Sine die	अनिश्चित तिथि	बिला रोज मुकर्ररा के
Single bench	एक न्यायाधीश का न्यायालय	इजलास हाकिमे वाहिद
Sittings	बैठक, अधिवेशन	इजलास
Slander	अपमान जनक शब्द	तौहीन जवानी
Small causes court	लघुव्यवहारी न्यायालय लघुवाद न्यायालय	अदालत मतालवा खफीफा
Solemn affirmation	सच बोलने की प्रतिज्ञा	इकरार सालेह
Solitary confinement	एकान्त कारावास	कैद तनहाई
Sound mind	स्थिर बुद्धि	सही-लउ-अकल
Special law	विशेष विधान	कानून खास
Special relief	विशेष उपशमन	दादरसी खास
Specific performance	निर्दिष्ट सम्पादन, विशिष्ट कार्य पूर्ति	तामील मुखतस
Specific relief	निर्दिष्ट उपशमन	दादरसी खास
Specific Relief Act	निर्दिष्ट उपशमन विधान	कानून दादरसी खास
Spiritual benefit	आध्यात्मिक लाभ	रुहानी फवायद
Stamp duties	मुद्रापत्र द्वारा न्याय शुल्क	रसूम स्टाम्प
Standing order	स्थायी आज्ञा	मुस्तकिल हुकम
Statement	कथन, वक्तव्य	इजहार
Statute	विधान	कानून
Stay of execution	निर्वाह स्थगन	इलतवाय इजराय
Step in aid of execution	निर्वाह सहायक उद्योग	कारवाई मुआविन इजराय

Stricture	प्रतिकूल समालोचना	नुक्ताचीनी
Sub judge	विचाराधीन	जेर तजवीज़
Subpoena	आवाहन पत्र	सफीना
Sub-section	उपधारा	तहती दफा, ज़िमन
Sub-tenant	उपपट्टाधारी, उपकृपक	आसामी शिकमी
Subsequent mortgage	परवर्ती बन्धक	रहन मावाद
Subsistence allowance	निर्वाह व्यय	खर्चनान नफका
Substituted Service	अपरीक्षी रीति से आवाहन पत्र निर्वाह	तामील बतरीक गैरमामूली
Succession Act	उत्तराधिकार विधान	कानून जानशीनी
Succession Certificate	उत्तराधिकार प्रमाण पत्र	सार्टीफिकेट जानशीनी
Suit in forma pauperis	निः शुल्क अभियोग	नालिश बसीगा मुफलिसी
Summary procedure	संक्षिप्त विधि	सरसरी जाव्ता
Summary trial	संक्षिप्त अभियोग निरीक्षण	तेहकीकात सरसरी
Supreme court	सर्वोच्च न्यायालय	अदालत आला
Surety	प्रतिभू	ज़ामिन
Surety-bond	प्रतिभू पत्र	जमानत नामा
Survivor	उत्तर जीवी	प्रसमापा
Symbolical delivery	लाक्षणिक समर्पण	हवालगी अलामती

T

Table	पत्रक, सूची	नकशा, शजरा
Tacking	बंधक संयोजन	इजतपात्र किफालत
Tamper with a document	लेख दूषित करना	दस्तावेज में जाल बनाना
Temporary injunction	अल्प कालीन निषेधाज्ञा	हुकमइम्तिनाई चंद रोजा
Tenancy	क्षेत्राधिकार	किरायेदारी
Tenant for life	आजीवनधारक	आसामी हीन हयाती
Territorial jurisdiction	प्रादेशिक श्रवणाधिकार	

Testament	शेषसाक्ष्यपत्र, मृत्युपत्र	वसीयतनामा
Testator	उत्तरदान कर्ता	वसीयत करने वाला
Testimony	साक्ष्य	गवाही
Thumb impression	अगुष्ठ छाप	निशानी अँगूठा
Title	अधिकार उपाधि	इस्तहकाक, खिताब
Toll	पथ शुल्क	महसूल राहदारी
Tort	अपकृत्य, हानि	फेल वेजा
Tout	अभियोग-मध्यवर्ती	दलाल मुकद्मात
Trade Mark	व्यापार चिन्ह	निशान तिजारत
Trade usage	व्यापार-परिपाटी	दस्तूर तिजारत
Transaction	व्यवहार, कारोबार	मुआमला
Transfer application	अन्य न्यायालय में वाद- प्रेषणार्थ निवेदनपत्र	दरखास्त इन्तकालमुकदमा
Transfer of pro- perty Act	सम्पत्ति-हस्तान्तर-विधान	कानून इन्तकान जायदाद
Transferee	हस्तान्तरित वस्तु प्राप्तकर्ता	मुन्तकिल इलेह
Translation	अनुवाद	तरजुमा
Transportation for life	आजन्म देश निकाला, निर्वासन	हंस दवाम
Travelling allowance	भ्रमण व्यय	सफर खर्च
Treasure-trove	भूमि-गत द्रव्य	दफ्तीना
Trespass	अनधिकार प्रवेश	मदाखलत वेजा
Trial	विचार परीक्षण	तहकीकात व तजवीज़
Tribunal	अदालत, विचारालय	इजलास
True copy	प्रमाणित प्रतिलिपि	नकल मुताधिक असल
Trust	धरोहर, न्याय	अमानत
Trust Act	न्यास-विधान	कानून अमानत
Trustee	न्यासधारक	अमीन, ट्रस्टी

U

Ultra vires	अधिकार के बाहर	खारिज अज इख्तियार
Uncertain event	अनिश्चित घटना	इत्तिफाकिया घटना
Unchastity	अपवित्रता, असतीत्व	वे असमती
Unconditional	प्रतिबंधहीन	विलाशर्त
Unconsonable bar- gain	अपर्याप्त प्रतिफल प्रतिज्ञा	मुआहिदा जो विला बदल काफी के किया जाय

Undervaluation	न्यून मूल्य-निर्धारण	कम तखमीना मालियत
Undisturbed possession	अग्र्यडितयोग	कब्जा विला मजाहमत
Undivided family	अविभक्त परिवार	खानदान गैर मुनकसिमा
Undue influence	अनुचित प्रभाव -	दाय नाजायज
Unencumbered	भाररहित	विलावार
Unilateral contract	एक पक्षीय प्रतिज्ञा	मुआहिदा यकतफाँ
Universal legatee	पूर्ण उत्तरदाताधिकारी	कुल जायदाद का मूसी इलेह
Unlawful	अवैध	खिलाफ कानून
Unlawful assembly	अवैध जन समूह	मजमा खिलाफ कानून
Unlawful purpose	अवैध उद्देश्य	गरज नाजायज
Unliquidated damages	अपरिशोधित क्षति	हर्जा गैर मुशखुसा
Unnatural offences	अप्राकृतिक अपराध	जरायम खिलाफ वजे फितरी
Unobstructed heritage	अप्रतिबंध दाय	विरासत विलारोक
Unprofessional conduct	वृत्ति विरुद्ध व्यवहार	अमेल खिलाफ पेशा
Unsound mind	विकृत मस्तिष्क	फातिहल अकल
Unstamped instrument	अशुल्क लेख्यपत्र	दस्तावेज विला रसूम
Usage	व्यवहार	अमलदरामद
Usuer	भोग	इस्तेमाल
Usufruct	फल भोगाधिकार, दूसरे की सम्पत्ति का उपभोग पात्र करने का अधिकार	हक इस्तेमाल व तसर्वफ-पैदावार या मुनाफा किसी जायदाद का विलाहक मिल-कियत के
Usufructuary mortgage	भोग बंधक	रहन इस्तफाई
Uterine	वैपित्रेय सहोदर या सहोदरा	अखयाफी, जो एक माँ व दूसरे बाप से पैदा हो
	V	
Vacations	अवकाश	तातीलात
Valuable consideration	उचित प्रतिफल	बदल कीमती

Valuation of suits	वाद मूल्य	मालियत दावा
Vendee	क्रेता, खरीदार	मुश्तरी
Vendor	विक्रेता	वाया
Verbal order	मौखिक आज्ञा	हुक्म जुवानी
Verbatim	शब्दशः, अक्षरशः	लफज बलफज
Verdict	पचनिर्णय सन्निर्णय	राय सालिसान
Verification of plaintiff	वाद प्रमाणी करण	तस्दीक अर्जीदावा
Versus	विरुद्ध	बनाम
Vested inheritance	प्राप्त उत्तराधिकार	हासिल शुदा हक
Vexations suit	क्लेश हेतु अभियोग, उद्वेगकारी अभियोग	नालिश बगरज ईजार सानी
Vice versa	इसके विपरीत, विपक्षेण	इसके बर अ ल
Void ab initio	मूलतः निरर्थक, निषिद्ध	कल अदम अज डक्तिदा
Void agreement	निरर्थक प्रतिज्ञा, निषिद्ध समझौता	मुग्रामला कलअदम
Voidable contract	खडनीय अनुबंध	मुग्राहिदा मुमकिन उल इनफिसाख
Voluntarily causing grievous hurt	इच्छा पूर्वक मर्मन्तक आघात करना	बिल इरादा जरब शदीद पहुंचाना
Vote	मत	राय
Vow	शपथ, त्रिवाचा	कसम
॥		
Wager	दोड, पग, बाजी	शर्त
Waiver	तर्क, त्याग	छोड़ना
Want of consideration	प्रतिफलभाव	बदला का न होना
Warranty	प्रतिभू, प्रतिभूपत्र	जामिन, जमानत नामा
Weight of evidence	प्रमाण महत्व	बक अर्त शहादत
Whipping	बेत मारना, काड़े मारना	ताज्जियाना लगाना
Widow's estate	विधवाधन	बेवा की जायदाद
Wilful neglect	स्वेच्छागत उपेक्षा	लापरवाही दीदो दानिस्ता
Will	शेष इच्छा	बसीयत
Winding up	सहव्यवसाय समाप्ति	तसफिया हिसाब किताब बख्तम शिराकत

With costs	व्यय सहित	मय खर्चा
Withdrawal of claim	अभियोग प्रत्यावर्तन, वाद प्रत्यावर्तन	किसी दावे को वापिस लेना
Without consideration	बिना प्रतिफल	बिलावदल
Witness	साक्षी	गवाह
Writ	आज्ञापत्र, समादेश	हुकमनामा
Write off	निरसन करना	घटे खाते डालना खर्चों में डालना
Writer	लेखक	कातिब
Written statement	उत्तर पत्र	बयान तहरीरी
Wrongful confinement	अवैध बंधन	इस्त्र बेजा

